Toppersnotes
Unleash the topper in you

REET

राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा

Board of Secondary Education, Rajasthan

Level – II
(कला वर्ग)

भाग – 4

भारत का सामान्य ज्ञान

SIERRA INNOVATIONS

संस्करण – मार्च 2024

कॉपीराइट © 2024 **SIERRA INNOVATIONS PVT. LTD.**

सभी अधिकार सुरक्षित है। इस प्रकाशन का कोई भी भाग प्रकाशक की पूर्व लिखित अनुमति बिना प्रस्तुत या वितरित या किसी भी तरह से जिसमें फोटोकॉपी या अन्य इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल तरीके शामिल है, में प्रेषित नहीं हो सकता है। किसी भी प्रकार की छेड़छाड या संशोधन करना कॉपीराइट कानूनों का उल्लघंन होगा और कानूनी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा। पुस्तक के लेखन व प्रकाशन कार्य में लेखन व प्रकाशक द्वारा पूर्ण सावधानी बरतने के बावजूद भी कुछ गलतियॉं रह जाना सम्भव है। जिसके लिए न तो टॉपर्सनोट्स तथा न ही इसके लेखक, सम्पादक को किसी भी गलती के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। सम्पादक का नैतिक अधिकार प्रमुख किया गया है। यह SIERRA INNOVATIONS PVT. LTD. के द्वारा मुद्रित किया गया है।

किसी भी प्रकार की समस्याओं, सुझावों और फीड़बैक के लिए सम्पर्क करें :–

hello@toppersnotes.com

मुख्य कार्यालय – टॉपर्सनोट्स
SIERRA INNOVATIONS PVT. LTD.
H–176, ओसवाल फैक्ट्री के पास,
मालवीय नगर इंडस्ट्रियल एरिया,
मालवीय नगर, जयपुर,
राजस्थान–302017

मूल्य – 999/–

Website- www.toppersnotes.com
Email- hello@toppersnotes.com
Phone – 9614-828-828

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
	भारत का भूगोल	
1.	भारत का स्थिति और विस्तार	1
2.	भारत की जलवायु	5
3.	भारत का अपवाह तंत्र	15
4.	वन्य जीव जन्तु एवं अभ्यारण	34
5.	कृषि	42
6.	भारत में खनिजों का वितरण	45
7.	ऊर्जा संसाधन	48
8.	भारत के प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक प्रदेश	58
9.	परिवहन तंत्र	63
10.	विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण तथ्य	67
	भारत का इतिहास	
11.	प्राचीन इतिहास	76
	• सिन्धु घाटी सभ्यता	76
	• वैदिक काल	80
	• बौद्ध धर्म	83
	• जैन धर्म	85
	• महाजनपद काल	86
	• मौर्य वंश	87
	• गुप्त वंश	90
12.	मध्यकालीन भारत	94
	• भारत पर आक्रमण	94
	• सल्तनत काल	95
	• मुगल काल	100
	• भक्ति एवं सूफी आन्दोलन	106
	• मराठा उद्‌भव	107
13.	आधुनिक भारत का इतिहास	109
	• भारत में यूरोपियन शक्तियों का आगमन	109

	• मराठा शक्ति का उत्कर्ष	112
	• अंग्रेजो की भू–राजस्व पद्धतियाँ	114
	• गवर्नर व वायसराय	117
	• 1857 की क्रान्ति	121
	• प्रमुख आन्दोलन	123
	• राष्ट्रवाद का जन्म (उदारवादी चरण: 1885–1905)	126
	• उग्रवादी राष्ट्रवाद का युग/चरमपंथी चरण (1905–1909)	131
	• जन आंदोलन: गांधीवादी युग (1917–1925)	142
	• स्वराज के लिए संघर्ष (1925–1939)	149
	• स्वतंत्रता की ओर (1940–1947)	164
	• स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत	175
	• महत्वपूर्ण व्यक्ति और घटनाएँ	178
भारतीय संविधान		
1.	भारतीय संविधान का विकास	187
2.	प्रस्तावना	203
3.	मूल अधिकार	205
4.	राज्य के नीति निदेशक तत्व	206
5.	मूल कर्त्तव्य	207
6.	संघ	209
7.	संविधान संशोधन	224
8.	आपतकालीन उपबंध	228
9.	जनहित याचिका	230
10.	भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य	232
11.	प्रधानमंत्री एवं केन्द्रीय मंत्रिपरिषद	239
12.	भारत निर्वाचन आयोग	245
13.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	247
14.	केन्द्रीय सूचना आयोग	250
15.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	252

अन्य सामान्य ज्ञान		
1.	भारत के प्रमुख बांध	
2.	भारत के पक्षी अभ्यारण	
3.	भारत की जनसंख्या	
4.	भारत के प्रमुख बंदरगाह	
5.	भारत में प्रमुख नृत्य	
6.	अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं	
7.	भारत के प्रमुख स्टेडियम	
8.	प्रमुख व्यक्ति एवं उनके उपनाम	
9.	भारत के प्रमुख स्थल एवं उनके निर्माणकर्ता	
10.	राज्य एवं उनके मुख्यमंत्री	
11.	भारत के राष्ट्रपति	
12.	भारत के प्रधानमंत्री	
13.	लोकसभा अध्यक्ष	
14.	संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान एवं पूर्व चेयरमैन	
15.	भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त	
16.	प्रमुख उच्च न्यायालय	
17.	भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्या न्यायाधीश	
18.	नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय	
19.	भारत में सर्वाधिक बडा, लम्बा एवं ऊँचा	
20.	भारत में प्रथम पुरूष	
21.	यूनेस्को द्वारा घोषित भारत के विश्व धरोहर स्थल	
22.	भारत के राष्ट्रीय प्रतीक व चिन्ह	
23.	अविष्कार–अविष्कारक	
24.	अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के महत्वपूर्ण तथ्य	
25.	प्रसिद्ध पुस्तक व उनके लेखक	
26.	खेलकूद	
27.	विश्व की प्रमुख जल संधि	
28.	प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन	

प्रिय विद्यार्थी, टॉपर्सनोट्स चुनने के लिए धन्यवाद।

नोट्स में दिए गए QR कोड्स को स्कैन करने लिए टॉपर्स नोट्स ऐप डाउनलोड करे ।

ऐप डाउनलोड करने के लिए दिशा निर्देश देखे :-

ऐप इनस्टॉल करने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरा से या गूगल लेंस से QR स्कैन करें ।

टॉपर्सनोट्स एग्जाम प्रिपरेशन ऐप

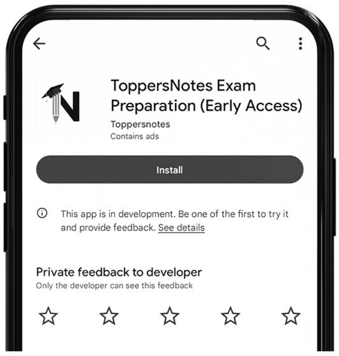

टॉपर्सनोट्स ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से ।

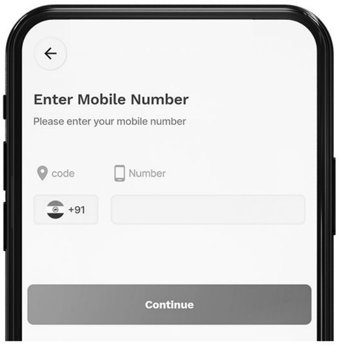

लॉग इन करने के लिए अपना **मोबाइल नंबर** दर्ज करें ।

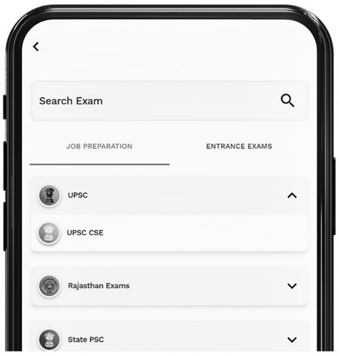

अपनी **परीक्षा श्रेणी** चुनें ।

सर्च बटन पर क्लिक करें ।

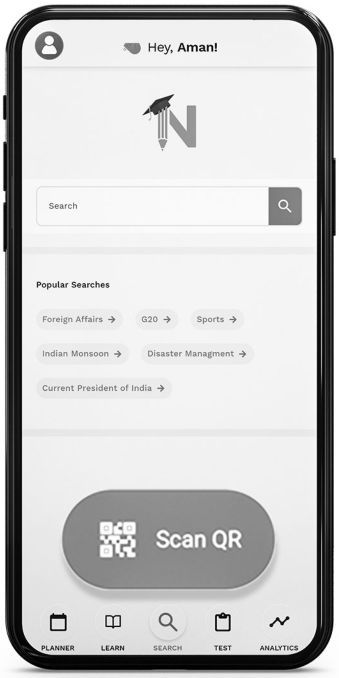

SCAN QR पर क्लिक करें ।

किताब के **QR कोड को स्कैन** करें ।

- सोल्युशन वीडियो
- डाउट वीडियो
- कॉन्सेप्ट वीडियो

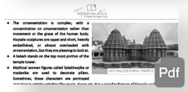

- अतिरिक्त पाठ्य-सामग्री

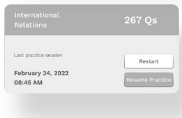

- विषयवार अभ्यास
- कमजोर टॉपिक विश्लेषण

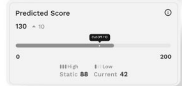

- रैंक प्रेडिक्टर
- टेस्ट प्रैक्टिस

किसी भी तकनीकी सहायता के लिए **hello@toppersnotes.com** पर मेल करें या **766 56 41 122** पर whatsapp करें ।

भारत की स्थिति और विस्तार

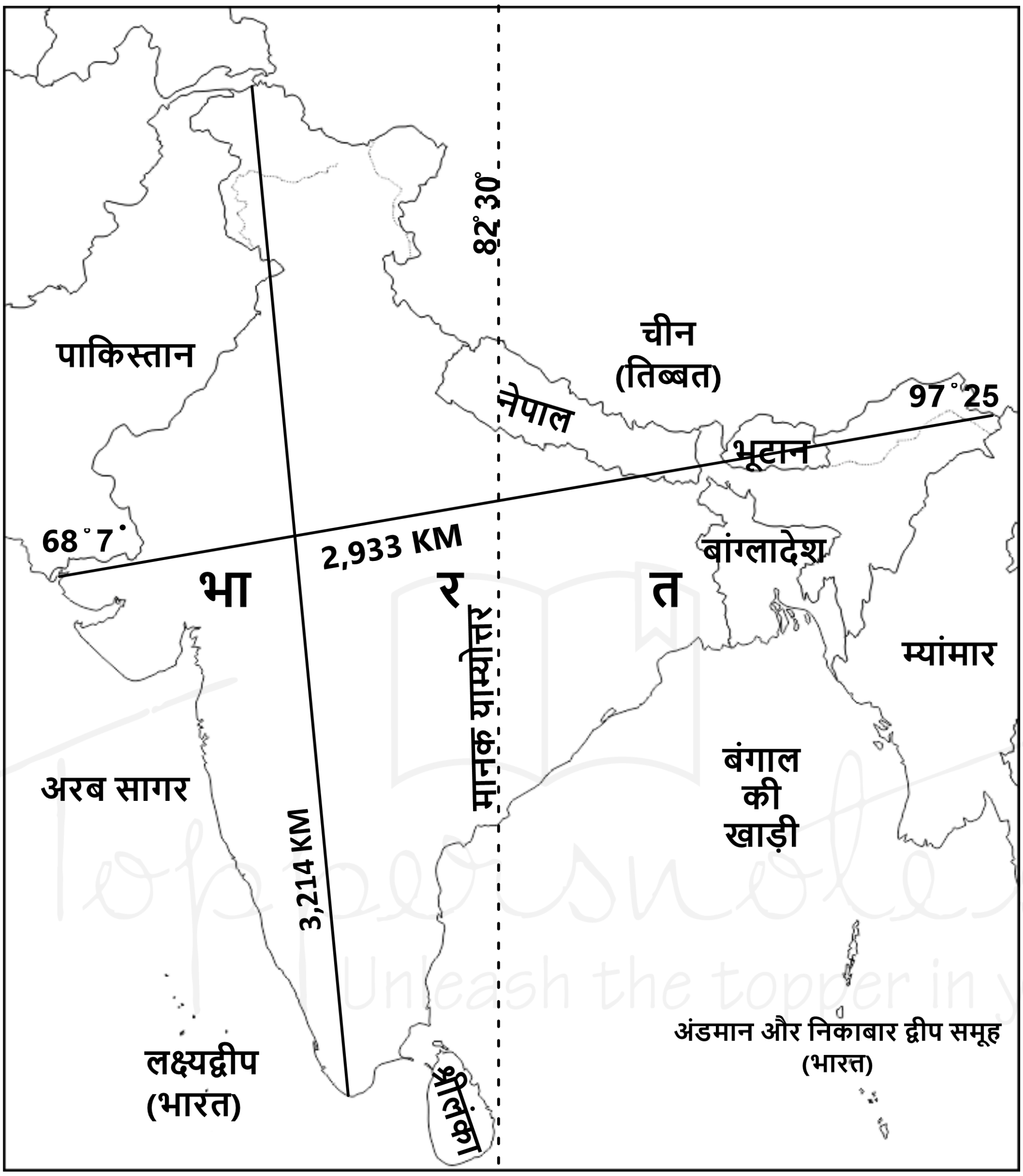

भारत - विस्तार एवं मानक समय रेखा

- **उत्तरी गोलार्ध** में स्थिति (**8°4' उत्तर से 37°6' उत्तर अक्षांश ; पूर्व 68°7 से पूर्वी देशांतर 97°25**)
- **सीमाएं :**
  - **उत्तर:** महान हिमालय
  - **पश्चिम:** अरब सागर
  - **पूर्व**: बंगाल की खाड़ी
  - **दक्षिण:** हिंद महासागर।
- विश्व का **7वां सबसे बड़ा देश।**
- **सबसे उत्तरी बिंदु :** इंदिरा कोल
- **सबसे दक्षिणी बिंदु:** अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट।
- **सबसे पूर्वी बिंदु:** अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले में किबिथू के पास
- **पश्चिमीतम बिंदु:** कच्छ में सर क्रीक, गुजरात में "गौहर माता " के पास।
- **लंबाई:** 3214 किमी
- **चौड़ाई:** 2933 किमी (अनुदैर्ध्य अंतर: 300 या 2 घंटे)
- **क्षेत्रफल:** 32,87,263 वर्ग किमी (दुनिया का 2.42%)
- **जनसंख्या:** विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश (विश्व की जनसंख्या का 2.4%)
- **कुल भूमि सीमा** = 15,200 किमी।
- **कुल समुद्री सीमा** = 7516.6 किमी (बिना द्वीपों के 6100 किमी)

विश्व में स्थान	देश का नाम	
	क्षेत्रफल के अनुसार	जनसंख्या के अनुसार
प्रथम	रूस	चीन
द्वितीय	कनाडा	भारत
तृतीय	चीन	यू.एस.ए
चतुर्थ	यू. एस. ए.	इंडोनेशिया
पंचम	ब्राजील	पाकिस्तान
षष्ठ	ऑस्ट्रेलिया	नाईजीरिया
सप्तम	भारत	ब्राजील
अष्टम	अर्जेनटीना	बांग्लादेश

भारत के पाँच शीर्ष क्षेत्रफल वाले राज्य

क्र.सं.	राज्य	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)
1.	राजस्थान	3,42,239
2.	मध्यप्रदेश	3,08,252
3.	महाराष्ट्र	3,07,713
4.	उत्तरप्रदेश	2,40,928
5.	गुजरात	1,96,024

भारत के शीर्ष क्षेत्रफल वाले 5 जिले

क्र.सं.	जिला	राज्य	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)
1.	कच्छ	गुजरात	45,674
2.	लेह	लद्दाख	45,110
3.	जैसलमेर	राजस्थान	38,401
4.	बिकानेर	राजस्थान	30,247
5.	बाड़मेर	राजस्थान	28,387

- सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश कुल 8 राज्य एवं 1 केन्द्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है।
  - उत्तराखण्ड
  - हरियाणा
  - दिल्ली (केन्द्र शासित प्रदेश)
  - हिमाचल प्रदेश
  - राजस्थान
  - मध्य प्रदेश
  - छत्तीसगढ
  - झारखण्ड
  - बिहार
- भारत के कुल 9 राज्य एवं - केन्द्र शासित प्रदेश समुद्री तट से लगे हुए हैं।

राज्य

- गुजरात
- महाराष्ट्र
- गोवा
- कर्नाटक
- केरल
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- उड़ीसा
- पश्चिम बंगाल

केन्द्र शासित प्रदेश

- लक्षद्वीप
- अण्डमान निकोबार
- दमन और दीव
- पुदुच्चेरी (पांडिचेरी)

- हिमालय को छूने वाले 9 राज्य व 2 केन्द्र शासित प्रदेश हैं।

राज्य

- हिमाचल प्रदेश
- उत्तराखण्ड
- सिक्किम
- अरुणाचल प्रदेश
- नागालैंड
- मणिपुर
- मिजोरम
- त्रिपुरा
- मेघालय
- असम
- पश्चिम बंगाल

केंद्र शासित प्रदेश

- जम्मू कश्मीर
- लेह

- भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है।

राज्य

- गुजरात
- राजस्थान
- मध्य प्रदेश
- छत्तीसगढ
- झारखण्ड
- पश्चिम बंगाल
- त्रिपुरा
- मिजोरम

- भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है।
- भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है।
- भारत का मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन वाला राज्य है।
- भारत का हरियाणा सबसे कम वन वाला राज्य है।

- भारत का मासिनराम (मेघालय) में सबसे अधिक वर्षा होती है ।
- भारत के केन्द्र शासित प्रदेश लेह में सबसे कम वर्षा होती है ।
- अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है ।
- हिमालय पर्वत सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है ।
- पाक जलडमरूमध्य और मन्नार की खाडी श्रीलंका को भारत से अलग करती है । पाक जलमडरूमध्य को पाक जल संधि के नाम से भी जाना जाता है ।
- मेकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच में स्थित है । यह रेखा 1914 में शिमला समझौते में निर्धारित की गयी थी ।
- डूरण्ड रेखा 1893 में सर डूरण्ड द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरण्ड रेखा स्थापित की गई थी । परन्तु यह रेखा अब अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के मध्य है ।
- भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है । रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण 17 अगस्त, 1947 को सर सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा किया गया था ।

1. सीमावर्ती सागर –
    - सीमावर्ती सागर क्षेत्र आधार रेखा से 12nm तक स्थित है ।
    - क्षेत्र में भारत का एकाधिकार है ।
2. संलग्न सागर –
    - संलग्न सागर क्षेत्र आधार रेखा से 24nm तक स्थित है ।
    - इस क्षेत्र में भारत के पास वित्तीय अधिकार है ।
3. अनन्य आर्थिक क्षेत्र –
    - अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200**nm** तक स्थित है ।
    - इस क्षेत्र में भारत के पास आर्थिक अधिकार है तथा यहाँ भारत संसाधनों का दोहन, द्वीप निर्माण तथा अनुसंधान आदि कर सकता है ।
4. उच्च सागर
    - यहाँ सभी देशों का समान अधिकार होता है ।

सीमावर्ती देश

- **उत्तर-पश्चिम:** अफगानिस्तान और पाकिस्तान
    - भारत-पाकिस्तान सीमा: **रेडक्लिफ रेखा**
    - पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा: **डूरंड रेखा।**
- **उत्तर**: चीन, भूटान और नेपाल
    - भारत-चीन सीमा: **मैकमोहन रेखा।**
- **पूर्व**: म्यांमार, बांग्लादेश (भारत की बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है)
- **दक्षिण**: पाक जलडमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी के माध्यम से श्री लंका से अलग।

अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले राज्य

- **बांग्लादेश**: कुल सीमा = 4096 किमी
    - **5 राज्य:** पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम
- **चीन**: कुल सीमा = 3488 किमी
    - **3 राज्य** और 1 केंद्र शासित प्रदेश: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और लद्दाख
- **पाकिस्तान** : कुल सीमा = 3323 किमी
    - **4 राज्य** और 1 केंद्र शासित प्रदेश: जम्मू और कश्मीर, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और लद्दाख
- **नेपाल**: कुल सीमा = 1751 किमी
    - **5 राज्य**: उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल
- **म्यांमार**: कुल सीमा = 1643 किमी
    - **4 राज्य**: अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड
- **भूटान**: कुल सीमा = 699 किमी
    - **4 राज्य:** अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल
- **अफगानिस्तान**: कुल सीमा = 106 किमी
    - **1 केंद्र शासित प्रदेश**: लद्दाख

भारतीय मानक मध्याह्न रेखा:

- **भारत की मानक रेखा 82°30'E देशांतर** है जो उत्तर प्रदेश के **मिर्जापुर से होकर गुजरती है** ।
- **इस** पर भारत का मानक समय आधारित है जो **ग्रीनविच मानक समय रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे है** ।
- **कर्क रेखा** - (23°30′N) गुजरात , राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल , मिजोरम, और त्रिपुरा से गुज़रती है ।

भारत की जलवायु

- **उष्णकटिबंधीय जलवायु**
- इसका **उत्तरी भाग** (कर्क रेखा के उत्तर में) **शीतोष्ण कटिबंध** में स्थित है।
- भारतीय उपमहाद्वीप **हिमालय पर्वतमाला** द्वारा शेष एशिया से अलग किया गया है - **मध्य एशिया से दक्षिण की ओर आने वाली ठंडी हवा को अवरुद्ध** करता है।
- इसलिए, सर्दियों के दौरान, भारत का उत्तरी भाग समान अक्षांशों पर स्थित अन्य क्षेत्रों की तुलना में **3°C - 8°C अधिक गर्म** होता है।
- **ग्रीष्मकाल** - **दक्षिणी भागों में भूमध्यरेखीय शुष्क जलवायु।**
- **उत्तर भारतीय मैदान** - थार, बलूच और ईरानी रेगिस्तानों से बहने वाली **गर्म शुष्क हवा जिसे 'लू'**, कहा जाता हैं, देश के दक्षिणी भागों में **तापमान बढ़ाती है**।
- **अरब सागर** और **बंगाल की खाड़ी** में हवाओं का **मौसमी उत्क्रमण** भारत को एक **विशिष्ट उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु** प्रदान करता है।

भारत में मौसम

1. **शरद ऋतु**
   - **अवधि**: जनवरी से मार्च
   - **औसत तापमान**:
     - 10-15-डिग्री सेल्सियस - **उत्तर-पश्चिम**;
     - 20-25 डिग्री सेल्सियस - **दक्षिणपूर्व**;
     - न्यूनतम तापमान- **जम्मू-कश्मीर** में 0.6 डिग्री सेल्सियस।
   - **शीत क्षेत्र** - 9-3 किमी की ऊँचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली पछुआ हवाओं के प्रभाव में।
   - भूमध्य सागर में पछुआ हवाओं द्वारा **पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ** भारत में सर्दियों की उपस्थिति को उत्प्रेरित करता है।

2. ग्रीष्म ऋतू
   - **अवधि**:
     - अप्रैल-जुलाई-**उत्तर-पश्चिम भारत**
     - मार्च-जून **अन्य भागों** में
   - **औसत तापमान:**
     - अप्रैल - **पश्चिम** में सबसे गर्म
     - मई - **शेष भारत** में सबसे गर्म महीना।
   - **अधिकतम तापमान**- 50 डिग्री सेल्सियस
   - **तटीय क्षेत्र** - 36 डिग्री सेल्सियस।
   - **अंतर-उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र** (ITCZ) जुलाई के दौरान कम दबाव का अनुभव करता है।
   - हवा **अलग-अलग दिशाओं में प्रभावित** होती है जिससे **भारतीय उपमहाद्वीप में गर्म हवाएं** चलती हैं।
   - **लू** के नाम से भी जानी जाती है - दोपहर के दौरान **उत्तर भारतीय सतह पर बहती** है।
   - **केरल** और **तमिलनाडु** में प्री-मानसून या **आम्रवर्षा** होती है (इन क्षेत्रों में आम के पकने में मदद करती है।)

3. **मानसून ऋतु**
   - **चार महीने की अवधि** जिसमे बहुत सारे **आंधी तूफ़ान** आते है।
   - तूफान **दक्षिण-पूर्वी व्यापारिक हवाओं का परिणाम** है।
   - मुख्य रूप से **दक्षिण के कम दबाव वाले क्षेत्रों में** होता है।
   - मई के आसपास **बंगाल की खाड़ी और अरब सागर** से होकर **भारत में** आती है
   - भारत में **कृषि गतिविधियों** पर एक **प्रबल प्रभाव।**

4. **परवर्ती मानसून मौसम**
   - **अक्टूबर और नवंबर** के दौरान (सर्दियों के मौसम से ठीक पहले) ।
   - एशिया के मध्य भागों में **शुष्क, घनी और ठंडी** हवा लाता है।
   - **परिणाम** - साफ आसमान
   - **औसत तापमान** - 28 - 34 डिग्री सेल्सियस।
   - **तमिलनाडु** और **केरल** में पर्याप्त वर्षा होती है।

भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक

1. **अक्षांशीय स्थिति**

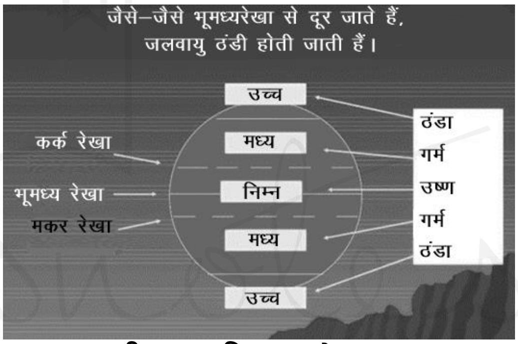

   - **भारत की मुख्य भूमि** - 8°N से 37°N.
   - कर्क रेखा के दक्षिण के क्षेत्र - **उष्ण कटिबंध** - **उच्च सौर सूर्यातप** प्राप्त करते हैं।
     - **ग्रीष्म** तापमान चरम और **शीत** तापमान मध्यम।
   - उत्तरी भाग - **गर्म समशीतोष्ण क्षेत्र** - तुलनात्मक रूप से **कम सौर सूर्यातप** प्राप्त करते हैं।
     - 'लू' की वजह से **गर्मी ।**
     - **पश्चिमी विक्षोभ** के कारण आई शीत लहरों के कारण **सर्दी बहुत अधिक** होती है।
   - **तटीय क्षेत्र** - अक्षांशीय स्थिति पर बिना निर्भरता के **मध्यम जलवायु।**

2. **समुद्र से दूरी**
   - **तटीय क्षेत्र** - मध्यम जलवायु
   - **आंतरिक स्थल** - समुद्र का कोई मध्यम प्रभाव नहीं - चरम या महाद्वीपीय जलवायु।
   - मानसूनी हवाएं सबसे पहले तटीय क्षेत्रों से टकराती है - अच्छी बारिश।

3. हिमालय

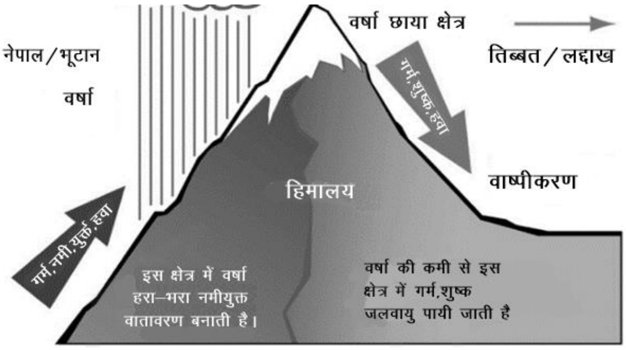

- भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला **सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक।**
- **भारत** और **मध्य एशिया** के बीच एक **जलवायु विभाजन** के रूप में कार्य करता है ।
- **सर्दियों** के **दौरान** मध्य एशिया की **ठंडी और शुष्क हवा** से **भारत की रक्षा** करता है।
- **वर्षा** लाने वाली दक्षिण-पश्चिम **मानसूनी हवाओं** के लिए एक **भौतिक अवरोध** के रूप में कार्य करता है।
- **बंगाल** की **खाड़ी** की **मानसूनी हवाओं** की शाखा को **दो भागों** में **विभाजित** करता है:
  - **उत्तर-पश्चिम भारत** की ओर मैदानी क्षेत्रों में बहने वाली एक
  - अन्य **दक्षिण-पूर्व एशिया** की ओर।
- अगर हिमालय नहीं होते, तो मानसूनी हवाएँ चीन में चली जाती और अधिकांश उत्तर भारत रेगिस्तान में तब्दील हो जाता

मैदानी भागों में वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर क्यों कम हो जाती है?
- **ग्रीष्म ऋतु** - पूरे मैदानी क्षेत्र में कई **लघु निम्न दाब** कोशिकाएँ मौजूद होती हैं।
- **मानसूनी हवाएँ** पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं - प्रत्येक **निम्न दबाव** वाले **क्षेत्रों** में **लगातार वर्षा** के कारण नमी का स्तर कम हो जाता है।
- जब **हवाएँ मैदानी** इलाकों के **पश्चिमी भागों** में पहुँचती हैं, तो हवाओं की सारी **नमी समाप्त** हो जाती है।
- **हरियाणा** और **पंजाब** राजस्थान की तरह **मरुस्थल नहीं** हैं क्योंकि वे सर्दियों में **पश्चिमी विक्षोभ** के कारण वर्षा प्राप्त करते हैं।

4. भू आकृति और भारतीय जलवायु
- किसी क्षेत्र द्वारा **प्राप्त औसत वार्षिक वर्षा** का **निर्धारण** करने वाला सबसे **महत्वपूर्ण कारक।**
- **भौगोलिक बाधाएं**
  - एक भौगोलिक बाधा के अनुवात दिशा में **अच्छी वर्षा प्राप्त** होती है
  - **वर्षा-छाया प्रभाव** के कारण **प्रतिवात दिशा** में **शुष्क/अर्ध-शुष्क** रहता है।
  - **उदाहरण**: अरब सागर से दक्षिण-पश्चिम मानसूनी हवाएँ पश्चिमी घाट के पश्चिमी तटीय मैदान और पश्चिमी ढलानों के क्षेत्रों में वर्षा का कारण बनती हैं और **महाराष्ट्र**, **कर्नाटक**, **तेलंगाना**, **आंध्र प्रदेश** और **तमिलनाडु**, पश्चिमी घाट के **वर्षा**-छाया वाले हिस्से में स्थित हैं और इसीलिए वहां कम वर्षा होती है।

- **गुजरात और राजस्थान में कोई महत्वपूर्ण वर्षा नहीं होती है:**
  - **राजस्थान** और **गुजरात में बहने वाली मानसूनी हवाएँ** किसी भौगोलिक अवरोध से **बाधित नहीं** होती हैं, और इसलिए **इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं** होती है।
  - **अरावली** के लगभग **समानांतर** चलती है - कोई **पर्वतकृत वर्षा नहीं।**
  - तिब्बत में **कम दबाव वाली कोशिकाओं की ओर** बहती है → **गुजरात** और **राजस्थान** में केवल **क्षैतिज हवा** बहती है।
    - कोई **ऊर्ध्वाधर हवा नहीं** बहती।
  - **शीत ऋतू-** उप-उष्णकटिबंधीय जेट के कारण क्षेत्र मजबूत विचलन का अनुभव करता है।
- **चेरापूंजी और मौसिनराम में असामान्य रूप से उच्च वर्षा होती है:**
  - **मौसिनराम** और **चेरापूंजी** - पृथ्वी पर **सबसे नम स्थान** (वार्षिक वर्षा> 1000 सेमी)।
  - **फ़नलिंग प्रभाव** + भौगोलिक उत्थान के कारण वर्षा।

फ़नलिंग प्रभाव
- बादलों को पहाड़ों के बीच एक संकीर्ण क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है और इसलिए बादल का घनत्व असाधारण है

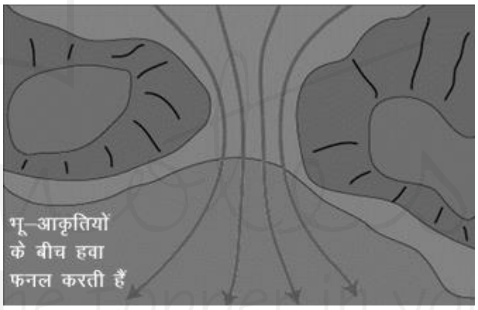

5. मानसूनी हवाएं
- भारतीय जलवायु का **सर्वाधिक प्रभावशाली कारक** है।
- भारतीय मानसून की **विशेषताएं**:
  - **आकस्मिक** शुरुआत
  - **क्रमिक प्रगति**
  - **क्रमिक वापसी**
  - हवाओं का **मौसमी उत्क्रमण**
- मानसूनी हवाओं का पूर्ण रूप से उत्क्रमण → **ऋतुओं** में **अचानक परिवर्तन।**
- **दक्षिण-पश्चिम मानसून**- पूरे देश में वर्षा लाता है।
- **उत्तर-पूर्वी शीतकालीन मानसून** - कोरोमंडल तट को छोड़कर अधिक वर्षा नहीं होती है।

6. ऊपरी हवा परिसंचरण
- जेट धारा द्वारा लाए गए परिवर्तन।

जेट धारा
- **पश्चिम से पूर्व** की ओर (20,000 - 50,000 फीट पर) **क्षोभमंडल** की **ऊपरी परतों** में क्षैतिज रूप से बहने वाली एक भूस्थैतिक हवा।

- **विभिन्न** तापमानों के **वायु द्रव्यमान** के मिलने की स्थान पर विकसित होती हैं।
- तापमान में अंतर जितना अधिक होगा, जेट धारा के अंदर हवा का वेग उतना ही तेज होगा।
- **दोनों गोलार्द्धों** में **20 डिग्री अक्षांश** से **ध्रुवों** तक विस्तृत

जेट धारा के प्रकार

- **उपोष्णकटिबंधीय जेट धारा**
    - **सर्दियों** और **शुरुआती वसंत** में विकसित ।
    - **अधिकतम गति** - ध्रुवीय जेट के साथ विलय के कारण **300 समुद्री मील।**
    - हवा का अवतलन → जिन क्षेत्रों से वे गुजरते हैं, वहां मुख्य रूप से साफ मौसम।
    - कभी-कभी उत्तर की ओर बहते हैं और ध्रुवीय जेट के साथ विलीन हो जाते हैं।
- **उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा**
    - **गर्मियों के दौरान** क्षोभसीमा के पास दक्षिण **पूर्व एशिया**, **भारत** और **अफ्रीका के ऊपर।**
    - जेट के उत्तर में गर्म हवा की एक गहरी परत और दक्षिण में ठंडी हवा की एक गहरी परत (हिंद महासागर के ऊपर) को दर्शाता है।
    - **दाब प्रवणता** में **अंतर** से प्रेरित।
- **ध्रुवीय रात्रि जेट धारा**
    - ध्रुवों पर **ऊपरी समताप** मंडल से **विसर्पित** होती है।
    - उप-ध्रुवीय निम्न दाब पेटी के ऊपर अभिसरण क्षेत्र में उपस्थित होती है।

- **पश्चिमी जेट धारा**

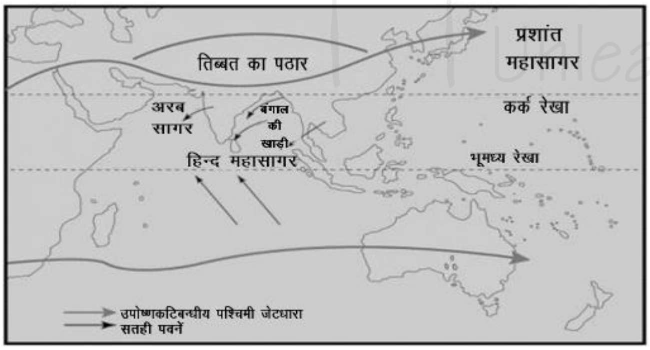

- **उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र** में **सर्दियों** के दौरान बहुत तेज गति से बहती है।
- **दक्षिणी शाखा** भारत में सर्दियों के मौसम की स्थिति को अत्यधिक प्रभावित करती है।
- **भूमध्यसागरीय क्षेत्र** से भारतीय उपमहाद्वीप में **पश्चिमी विक्षोभ** लाती है।

- उत्तर-पश्चिमी मैदानी इलाकों में **शीतकालीन बारिश** और **ग्रीष्म तूफान** और पहाड़ी क्षेत्रों में कभी-कभी **भारी हिमपात** के लिए जिम्मेदार।

- **पूर्वी जेट धारा**

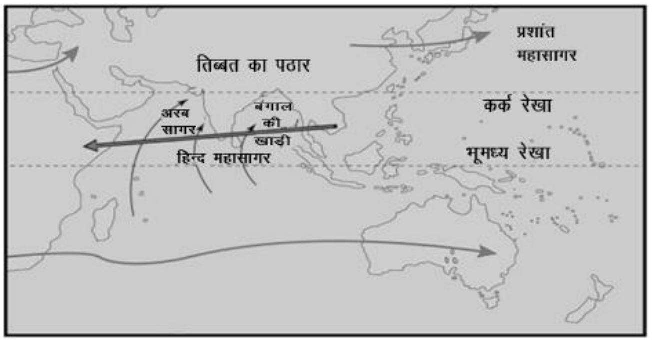

- उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणों के स्पष्ट बदलाव के कारण गर्मियों में ऊपरी वायु परिसंचरण में परिवर्तन।
- पश्चिमी जेट स्ट्रीम पूर्वी जेट धारा (तिब्बत पठार के गर्म होने के कारण उत्पन्न) द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है ।
- दक्षिण-**पश्चिम मानसून** की **आकस्मिक** शुरुआत।

7. **उष्णकटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ**
    - **बंगाल** की **खाड़ी** और **अरब सागर** से निकलती है
    - **प्रायद्वीपीय भारत** के **बड़े हिस्से** को प्रभावित करते हैं।
    - दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान **मुख्य रूप** से **बंगाल की खाड़ी** में उत्पन्न होती है - **कम तीव्रता।**
    - **पीछे हटने वाले मानसून** के दौरान बनने वाले कुछ चक्रवात - **उच्च-तीव्रता।**
        - भारत के पूर्वी तट के साथ मौसम की स्थिति को प्रभावित करें।
    - पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं और पश्चिमी जेट धारा के प्रभाव में पूर्व की ओर यात्रा करते हैं।
        - उत्तरी-मैदानों और पश्चिमी हिमालय पर सर्दियों के मौसम की स्थिति को प्रभावित करते हैं।
8. **अल-नीनो, ला नीना, ईएनएसओ(अल नीनो-दक्षिणी दोलन) और भारतीय जलवायु**
    - **एल नीनो**
        - शाब्दिक अर्थ है **क्राइस्ट चाइल्ड।**
        - **इक्वाडोर** और **पेरू** के तट पर समुद्री **पानी** का **गर्म** होना।
        - **2-7 साल** के **अंतराल** पर अनियमित रूप से होता है।
        - जब जल गर्म होता है, तो सामान्य रूप से ठंडे, **पोषक तत्वों** से भरपूर गहरे समुद्र के पानी के **उत्थान** में काफी **कमी** आ जाती है।
        - आम तौर पर **क्रिसमस के आसपास** होता है और कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक रहता है।
        - **क्रिया :**
            - **मध्य प्रशांत** के बड़े क्षेत्रों और **दक्षिण अमेरिका** के तट पर **वायुदाब कम** होता है।
            - **पश्चिमी प्रशांत** क्षेत्र में सामान्य **निम्न दबाव** को कमजोर **उच्च** दबाव द्वारा **विस्थापित** किया जाता है।
            - दबाव प्रक्रिया में बदलाव के कारण **व्यापारिक हवाएँ कम** हो जाती हैं जिससे **वाकर सेल कमजोर**/उलट जाता है।

- विषुवतीय प्रतिधारा को पेरू और इक्वाडोर की तटीय रेखाओं पर गर्म समुद्र जल को जमा करने की अनुमति देता है।
- **गर्म पानी** के जमा होने से **प्रशांत** महासागर के पूर्वी हिस्से में **तापप्रवणस्तर** गिरता है - **पेरू** के **तट** पर ठंडे गहरे समुद्र के **पानी** का **उत्थान नही** होता ।
- **पश्चिमी प्रशांत** क्षेत्र में **सूखा** लाता है, **दक्षिण अमेरिका** के भूमध्यरेखीय तट पर **बारिश** करता है, और **मध्य प्रशांत** क्षेत्र में **संवहनी तूफान** लाता है।

- **प्रभाव**
    - **गर्म पानी** - पेरू के तट पर समुद्री जीवन पर विनाशकारी प्रभाव।
    - **कोई उत्थान नहीं** - सामान्य वर्ष की तुलना में कम मछली उत्पादन।
    - **गंभीर सूखा** - ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत और दक्षिणी अफ्रीका।
    - **भारी बारिश** - कैलिफोर्निया, इक्वाडोर और मैक्सिको की खाड़ी।
- **भारतीय मानसून पर प्रभाव**
    - दोनों **विपरीत रूप** से **संबंधित** हैं।
    - **कम बारिश → सूखा** → भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित करता है

सामान्य वर्ष -

- **निम्न सतही दबाव** - उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया।
- **उच्च दाब** - पेरू का तट।
- प्रशांत महासागर के ऊपर व्यापारिक हवाएँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं।
- व्यापारिक हवाओं का पूर्वी प्रवाह गर्म पानी को पश्चिम की ओर ले जाता है, जिससे **इंडोनेशिया** और तटीय **ऑस्ट्रेलिया** में **संवहन तूफान** (तूफान) आते हैं।
- **पेरू के तट** पर: समुद्र तल का पोषक तत्वों से भरपूर **ठंडा पानी** सतह के **गर्म पानी** को **विस्थापित** कर देता है जो पश्चिम की ओर बहता है

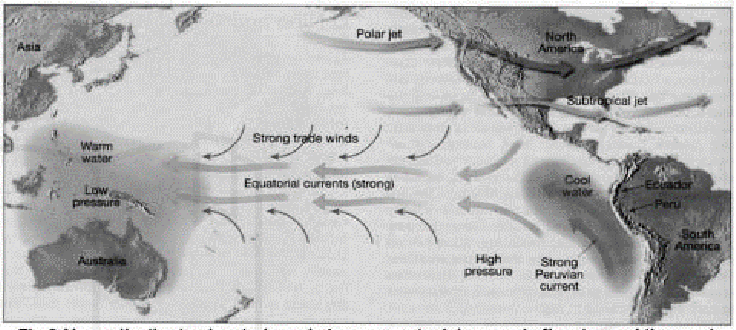

Fig.6 Normally, the trade winds and strong equatorial currents flow toward the west. At the same time, an intense Peruvian current causes upwelling of cold water along the west coast of South America.

- **ला नीना**
    - **बंगाल की खाड़ी** में मानसून और **चक्रवात उत्पत्ति**।
    - अरब सागर में कम चक्रवात उत्पत्ति।
    - **बाढ़ आम** होती हैं |
    - **क्रिया**
        - **अल नीनो** घटना **के बाद मौसम** की स्थिति आमतौर पर **सामान्य** हो जाती है।
        - कुछ वर्षों में - **व्यापारिक हवाएँ अत्यंत तेज़** हो जाती हैं → मध्य और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में ठंडे पानी का असामान्य संचय ।

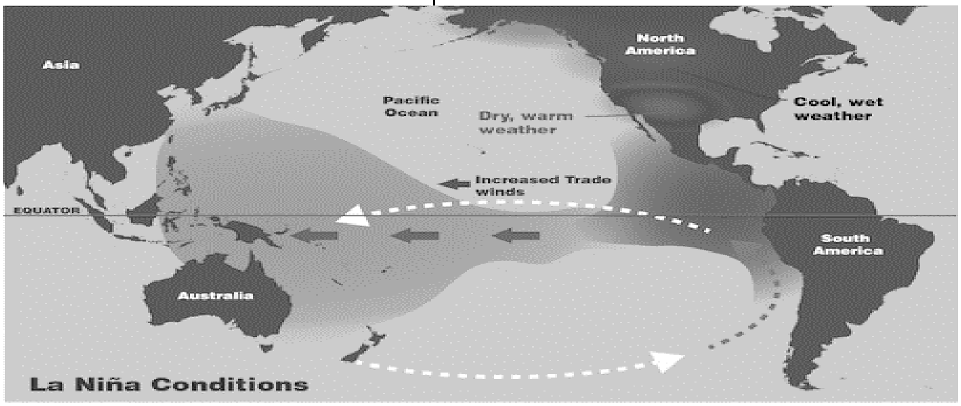

प्रभाव

- **पश्चिमी प्रशांत** पर सामान्य से **कम वायु दाब** → वर्षा में वृद्धि।
- **भारत** और दक्षिण पूर्व एशिया में असामान्य रूप से **तीव्र मानसून।**
- दक्षिणपूर्वी **अफ्रीका** में **ठंडा** और **गीला सर्दियों** का मौसम।
- पश्चिमी **कनाडा** और उत्तर-पश्चिमी संयुक्त राज्य **अमेरिका** में **कड़ाके की ठंड।**
- दक्षिणी संयुक्त राज्य **अमेरिका** में **शीतकालीन सूखा।**
- **पूर्वोत्तर मानसून** से जुड़ी वर्षा पर **नकारात्मक प्रभाव।**
- उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में विनाशकारी बाढ़।
- **सामान्य** से **अधिक वर्षा** - दक्षिणपूर्वी अफ्रीका और उत्तरी ब्राजील।

- ■ **सामान्य से अधिक शुष्क** स्थितियां- उष्णकटिबंधीय **दक्षिण अमेरिका** का पश्चिमी तट, संयुक्त राज्य **अमेरिका का खाड़ी तट**, और पम्पास, दक्षिणी दक्षिण अमेरिका।
- ■ पश्चिमी दक्षिण **अमेरिका** के **मछली उद्योग** पर **सकारात्मक** प्रभाव।
- **अल नीनो-दक्षिणी दोलन**
  - पूर्वी और पश्चिमी **प्रशांत महासागर** में **निम्न** दाब और **उच्च दाब** कोशिकाओं का **दोलन।**
  - **दक्षिणी दोलन** + **अल नीनो** = **अल नीनो दक्षिणी दोलन।**
  - अल नीनो-दक्षिणी दोलन = पूर्वी प्रशांत में (गर्म पानी + कम दबाव) + पश्चिमी प्रशांत में (ठंडा पानी + उच्च दबाव)।
  - **अल नीनो जैसी** ही **जलवायु** परिस्थितियाँ।

भारतीय मानसून

- भारत की जलवायु - **'उष्णकटिबंधीय मानसून'** प्रकार।
- **अरबी** शब्द **'मौसिम'** / मलय शब्द **'मोंसिन'** से बना है जिसका अर्थ **ऋतु** होता है।
- **विशेषता** - हवा की दिशा में एक **मौसमी उत्क्रमण** ।
- तापमान और दबाव प्रणाली में अंतर के कारण **गर्मियों के दौरान समुद्र से भूमि** की ओर और **सर्दियों** के दौरान **भूमि से समुद्र** की ओर प्रवाहित होता है।
- पूर्वी किनारों पर उष्ण कटिबंध के भीतर प्रमुख
- **एशिया** - चीन, कोरिया और जापान में कटिबंधों के बाहर।

वर्गीकरण

- **आईएमडी**(भारत मौसम विज्ञान विभाग) ने मानसून को **तीन श्रेणियों** में वर्गीकृत किया है

सामान्य मानसून	96-104%*LPA (दीर्घावधि औसत)
सामान्य मानसून से ऊपर	सामान्य मानसून से ऊपर 104-110% LPA
सामान्य मानसून से कम	सामान्य मानसून से कम 90-96% LPA

लंबी अवधि का औसत

- **1951 और 2000 के बीच जून से सितंबर तक प्राप्त औसत वार्षिक वर्षा ।**

क्रिया

कोई भी सिद्धांत मानसून की घटना की पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर पाया है।

शास्त्रीय सिद्धांत / थर्मल अवधारणा(classical theory)

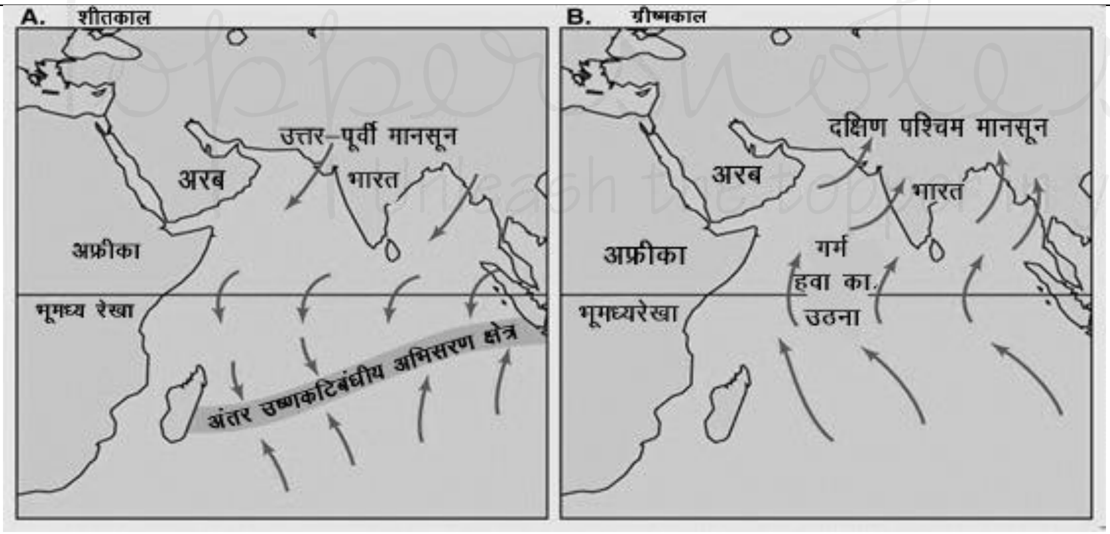

- **1686** में **सर एडमंड हैली** द्वारा।
- मानसून विशाल पैमाने पर **स्थल और समुद्री पवन** हैं जो महाद्वीपीय और महासागरों के **अंतर मौसमी तापन** द्वारा **उत्पन्न** होती हैं।
- मानसून को **भूमि और समुद्र** के **ताप** और **शीतलन** की **अंतर** दरों के परिणाम के रूप में मानता है।

कमियां:

- पृथ्वी पर हर जगह **मानसून समान** रूप से **विकसित नहीं** होता है।
- **मानसून की पेचीदगियों** की व्याख्या करने में भी विफल**: आस्कमिक** मानसून विस्फोट , मानसून की **शुरुआत** में **देरी**, आदि।

गतिशील सिद्धांत / अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र (आईटीसीजेड) के स्थानांतरण का सिद्धांत

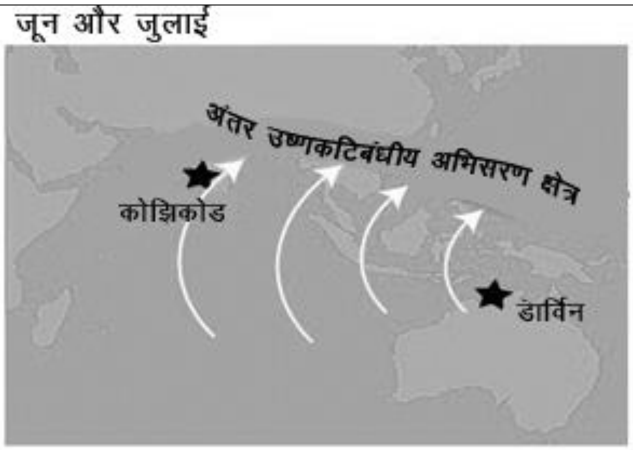

- **1951** में जर्मनी के **एच. फ्लोहन** द्वारा प्रतिपादित।
- **उष्णकटिबंधीय एशिया** की मानसून प्रणाली **ग्रहीय पवन प्रणाली** में मौसमी परिवर्तनों का परिणाम है।
    - **तापमान** में मौसमी **उतार-चढ़ाव** और **सूर्य की स्थिति** में **परिवर्तन** के कारण दबाव पेटियों में परिवर्तन के कारण मौसमी परिवर्तन।
- उष्ण कटिबंध की **ग्रहीय पवनें** - व्यापारिक पवनें भी कहा जाता हैं।
- **मार्च-सितंबर** - **सूर्य** उष्ण कटिबंध में **भूमध्यरेखीय** क्षेत्र के **ऊपर** होता है - **तीव्र ताप** जो **निम्न दबाव क्षेत्र** बनाता है।
    - यह **निम्न दाब** पेटी उत्तरी गोलार्द्ध से उत्तर-पूर्व **व्यापारिक पवनों** को **आकर्षित** करती है तथा दक्षिण-पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिणी गोलार्द्ध का निर्माण करती हैं।
- इन **दो व्यापारिक** पवनों के **अभिसरण** से वायु का **ऊपर** की ओर **आरोहण** होता है जिससे **निम्न दाब की स्थिति** उत्पन्न होती है।
    - इन्हे **अंतर-उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र** (**ITCZ**) के नाम से भी जाना जाता हैं ।
- **कर्क रेखा** की ओर **सूर्य** की स्पष्ट **स्थिति में परिवर्तन** → आईटीसीजेड में परिवर्तन।
- **जुलाई** - ITCZ 20°N-25°N अक्षांशों (गंगा के मैदान के ऊपर) के आसपास स्थित होता है जिसे मानसूनी गर्त के नाम से भी जाना जाता हैं ।
    - यह मानसूनी गर्त **उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत** के ऊपर **कम दबाव** का क्षेत्र बनाती है।
- **ITCZ** की **खिसक जाने** के कारण, दक्षिणी गोलार्ध की **दक्षिण-पूर्व व्यापारिक हवाएँ** भूमध्य रेखा को **40 ° - 60 ° E** देशांतर के बीच पार करती हैं।
- **कोरिओलिस बल** के कारण **दिशा बदलती** है और **दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व** की ओर बहती है जिसे **'दक्षिण-पश्चिम मानसून'** कहा जाता हैं
- **सर्दी** → **सूर्य** का **मकर रेखा** की ओर **विस्थापन** → **ITCZ दक्षिण** की ओर बढ़ता है → **भारतीय उपमहाद्वीप** में **हवा** की दिशा **व्युत्क्रम**।
- हवा **उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम** की ओर चलती है जिसे **शीतकालीन मानसून/'पूर्वोत्तर मानसून'** भी कहा जाता है।

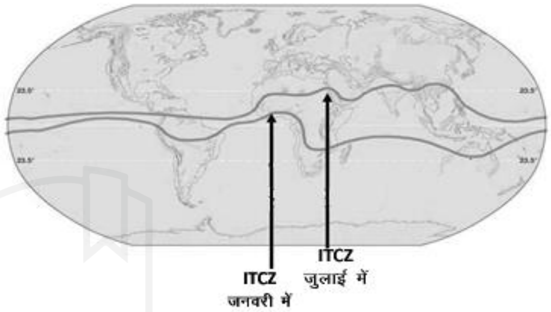

आलोचनाएं:
- **ऊपरी वायु परिसंचरण** की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता है तथा काफी लंबी अवधि के लिए और **उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों** में व्यापक क्षेत्रों में **मानसून** की स्थिति **बनाए रखने** में **महत्वपूर्ण।**
- समुद्री जल में **समुद्री परिसंचरण** और **तापमान प्रवणता** की उपेक्षा करता है।
- इसमें **वायु द्रव्यमान** (**गर्म/ठंडा**) की स्थिति और उष्ण कटिबंध से उनका **क्रमिक परिवर्तन शामिल नहीं** है जो मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले शक्तिशाली कारकों में से एक है ।

वर्तमान अवधारणा

A. तिब्बती पठार की भूमिका

- **क्षेत्रफल -** 2.5 मिलियन वर्ग किमी।
- **औसत ऊंचाई** - 4000-5000 मीटर।
- **कम वनस्पति आवरण** और बर्फ से ढकी **पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा** → गर्मियों में तीव्र ताप - आस-पास के क्षेत्र में हवा की तुलना में **2 - 3 डिग्री सेल्सियस अधिक** गर्म।
- ताप से मध्य क्षोभमंडल में **दक्षिणावर्त वायु परिसंचरण** होता है और दो-पवन धाराएँ उत्पन्न होती हैं।
  - एक **दक्षिण की ओर** बहती है और **उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा** (टीईजे) में विकसित होती है।
  - अन्य उत्तरी ध्रुव की ओर **विपरीत दिशा** में बहती है और **मध्य एशिया** के ऊपर **पश्चिमी जेट धारा** बन जाती है।
- **ग्रीष्मकाल** → सूर्य का **कर्क रेखा** की ओर **विस्थापन** → तिब्बती पठार पर तापमान लंबी अवधि के लिए उच्च रहता है।
- **वायु ऊपरी क्षोभमंडल** में चढ़ती है → ऊपरी **क्षोभमंडल** में **उच्च दबाव** क्षेत्र → **प्रतिचक्रीय** परिस्थितियों का निर्माण और **भूमि-महासागर दबाव** में **अंतर**।
- दबाव प्रवणता की वजह से भारतीय उपमहाद्वीप में वायु द्रव्यमान भूमध्यरेखीय पूर्वी जेट धारा के रूप में बहता है।
- **मेडागास्कर** के पास **मस्कारेने द्वीप** पर पहुंचने के बाद, इसका **अवरोहन शुरू** हो जाता है और **दक्षिण पश्चिम मानसून** के रूप में **भारतीय उपमहाद्वीप** में **प्रवेश** करता है।

B. जेट धारा की भूमिका

- इस अवधारणा में कहा गया है कि **मानसून** का **विस्फोट ऊपरी वायु परिसंचरण** पर **निर्भर** करता है।
- **2 प्रमुख जेट धाराएँ** मानसूनी हवाओं को प्रभावित करती हैं:
  - **उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा**
    - **उत्तरी अक्षांशों** के ऊपरी क्षोभमंडल परिसंचरण में **सर्दियों में हावी** होती है।
    - **भारतीय** उपमहाद्वीप में ~**12 किमी** की ऊंचाई पर स्थित ।
    - **हिमालय** पर्वत जेट स्ट्रीम को **दो भागों** में **विभाजित** करते है।
  - **भूमध्यरेखीय पूर्वी जेट धारा**
    - **भारतीय मानसून** के दौरान प्रभावी।
    - दक्षिण पूर्व एशिया से **हिंद महासागर** और अफ्रीका में **अटलांटिक तक** फैली **मजबूत पूर्वी** हवाओं के एक **पट्टी** के रूप में प्रतीत होती है।

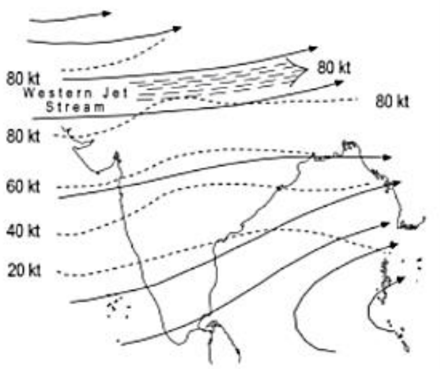

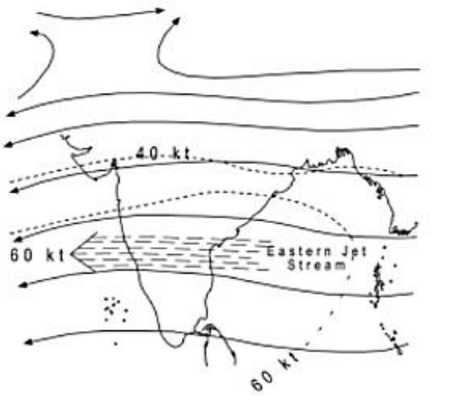

पश्चिमी विक्षोभ

- एक **अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान** जो भूमध्यसागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है।
- उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में **पश्चिम से पूर्व** की ओर बहता है।
- **विक्षोभ**- "**अशांत**" या कम वायु दाब का क्षेत्र।
- **उत्तर भारत** में वर्षा, हिमपात और कोहरा लाता है।

- एक **गैर-मानसून वर्षा** स्वरूप जो **पछुआ हवाओं** द्वारा संचालित होता है।
- **विशेषताए: बादल** छाए रहना **, उच्च रात्री तापमान** और **असामान्य बारिश**।
- **भारतीय कृषि** के लिए **लाभकारी**, विशेष रूप से उत्तर और उत्तर-पश्चिमी भारत में **रबी फसलों** जैसे **गेहूं** आदि के लिए।

- **उत्तरी भारत** में **शीत लहर** की स्थिति और **घना कोहरा** भी लाता है

निर्माण

- **भूमध्य सागर** में **अतिरिक्त-उष्णकटिबंधीय चक्रवातों** के रूप में उत्पन्न होता है।
- **यूक्रेन** और **आस-पड़ोस** के ऊपर एक **उच्च दबाव** का **क्षेत्र** का निर्माण हो जाता है, जिससे ध्रुवीय क्षेत्रों से उच्च नमी वाले अपेक्षाकृत गर्म हवा वाले क्षेत्र की ओर ठंडी हवा का प्रवेश होता है।
- ऊपरी **वायुमंडल** में **चक्रवाती** अंश के लिए **अनुकूल परिस्थितियाँ** उत्पन्न करता है → एक पूर्व की ओर बढ़ने वाले **अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय अवसाद** का निर्माण।
- भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने के लिए ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मध्य-पूर्व से बहती है ।

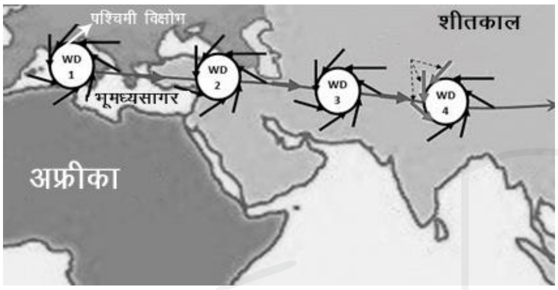

C. हिंद महासागर द्विध्रुव

- **भारतीय एल नीनो** के नाम से भी जाना जाता है ।
- हिंद महासागर में एक **युग्मित महासागर-वायुमंडलीय घटना।**
- **दो क्षेत्रों** के बीच समुद्र की **सतह** के **तापमान में अंतर**:
  - **अरब सागर** में एक **पश्चिमी ध्रुव** (पश्चिमी हिंद महासागर)
  - **इंडोनेशिया** के दक्षिण में पूर्वी हिंद महासागर में एक **पूर्वी ध्रुव।**
- समुद्र की **सतह के तापमान** (एसएसटी), के बीच में "**सकारात्मक**", "**तटस्थ**" और "**नकारात्मक**" चरणों का आवधिक दोलन शामिल है।

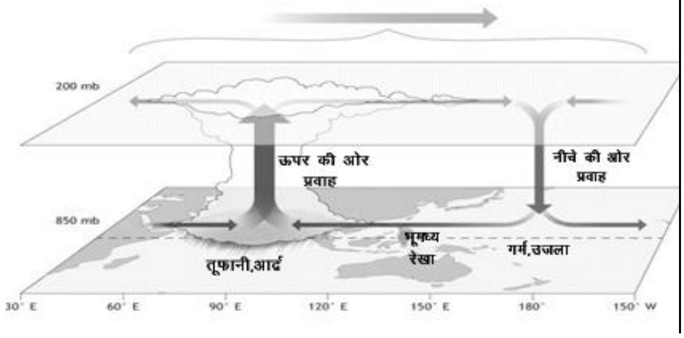

- **दुनिया भर** में **मौसम** की गतिविधियों को **प्रभावित करने वाली** एक समुद्री-वायुमंडलीय घटना।
- **उष्णकटिबंधीय मौसम** में साप्ताहिक से मासिक - समय-समय पर प्रमुख **उतार-चढ़ाव** लाता है।
- **बादलों**, **हवा** और **दबाव** की **अशांति** के रूप में परिभाषित, जो **4-8 मीटर प्रति सेकंड** की गति से पूर्व की ओर बढ़ता है।
- **औसतन 30-60 दिनों** में (कभी-कभी, 90 दिन) पूरी पृथ्वी तक फ़ैल जाता है।
- भारतीय और प्रशांत महासागरों में सबसे प्रमुख घटना है।
- **मजबूत एमजेओ(मैडेन-जूलियन ऑसीलेशन**) गतिविधि अक्सर **ग्रह को 2 चरणों** में **विभाजित** करती है:
  - **प्रथम चरण:**
    - हवा **सतह** पर **अभिसरण** करती है।
    - वायुमंडल में **ऊपर** की ओर **बढती** है और वायुमंडल के **शीर्ष पर विचलन** करती है।
    - वायुमण्डल में **वायु गति** में **वृद्धि से संघनन** और वर्षा में वृद्धि होती है।
  - **द्वितीय चरण:**
    - हवाएँ **वायुमंडल के शीर्ष** पर **अभिसरण** करती हैं, परिणामस्वरूप नीचे उतरती हैं और सतह पर विचरण करती हैं।
    - **जैसे-जैसे हवा नीचे** आती है, उसका **तापमान बढ़ता** है और **आर्द्रता कम** होती जाती है।
    - **वर्षा में कमी** ।
  - जब **मानसून** के दौरान **हिंद महासागर** के **ऊपर** होता है, **भारतीय** उपमहाद्वीप में **अच्छी वर्षा** होती है।
  - जब यह **प्रशांत महासागर** के ऊपर **लम्बे समय** तक बना रहता है, तो **मानसून कमज़ोर** होता है।

दक्षिण-पश्चिम मानसून के गठन के लिए जिम्मेदार कारक

- **गर्मी** के महीनों के दौरान **तिब्बती पठार** का **तापमान बढ़ना** ।
- दक्षिण हिंद महासागर में **स्थायी उच्च दबाव सेल** (गर्मियों में मेडागास्कर के पूर्व से उत्तर-पूर्व) का **निर्माण।**

दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत को प्रभावित करने वाले कारक उपरोक्त बिंदु

- उपोष्णकटिबंधीय जेट धारा (STJ)।
- उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट (अफ्रीकी ईस्टरली जेट)।
- अन्तः उष्णकटिबंधीय अभिसरण (कन्वर्जेंस ज़ोन) क्षेत्र ।

दक्षिण-पश्चिम मानसून की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक

- तिब्बत पर कम दबाव और दक्षिणी हिंद महासागर पर उच्च दबाव की ताकत।
- सोमाली जेट (फाइंडलेटर जेट)।
- सोमाली धारा (फाइंडलेटर करंट)।
- वॉकर सेल की हिंद महासागर शाखा।
- हिंद महासागर द्विध्रुवीय।

उत्तर-पूर्वी मानसून के गठन के लिए जिम्मेदार कारक

- **सर्दियों** में **तिब्बती** पठार और **साइबेरियाई** पठार के ऊपर **उच्च दाब** कोशिकाओं का **निर्माण** और **सुदृढ़ीकरण।**

- **दक्षिण हिंद** महासागर में **पश्चिम की ओर प्रवास** और बाद में **उच्च दबाव** वाली कोशिकाओं का **कमजोर होना।**
- **ITCZ** (अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र)का **भारत** के **दक्षिण में प्रवास।**

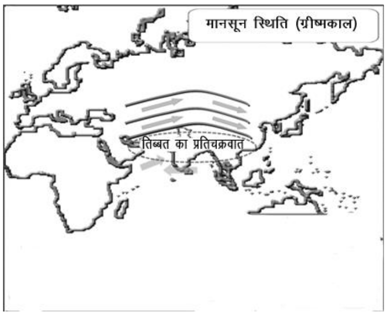

भारत में वर्षा वितरण

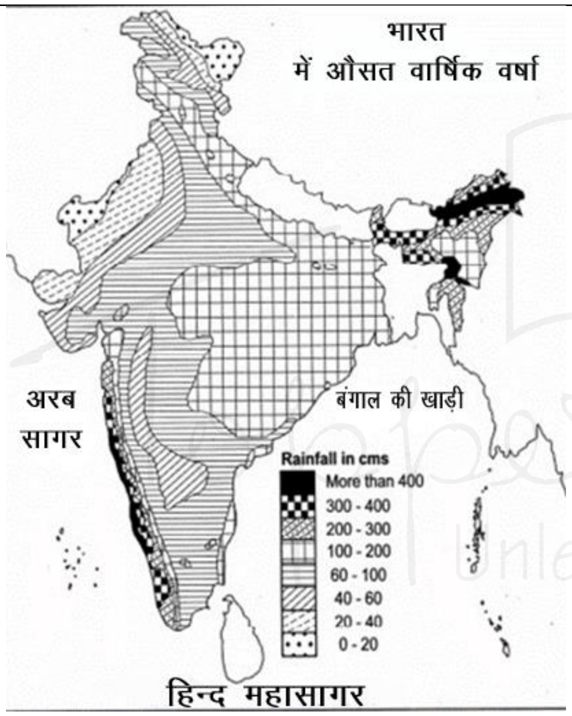

- भारत में **असमान वितरण** पाया जाता हैं |
- भारत वर्षा के वितरण के आधार पर **4 क्षेत्रों में विभाजित** है:

वर्ग	वर्षा (सेमी)	क्षेत्र
भारी वर्षा	**200**. से अधिक	पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर-पूर्व के उप-हिमालयी क्षेत्र, मेघालय के गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। कुछ हिस्सों में बारिश 1000 सेमी से अधिक हो गई है।
मध्यम वर्षा	**100 से 200**. के बीच	गुजरात से दक्षिण तक कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट के समानांतर 100 सेमी समवर्षा रेखा फैली हुई है। उत्तरी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश, ओडिशा, जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्से
कम वर्षा	**60 से 100**. के बीच	तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग
अपर्याप्त वर्षा	**60**. से कम	पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, काठियावाड़

वार्षिक वर्षा की परिवर्तनशीलता

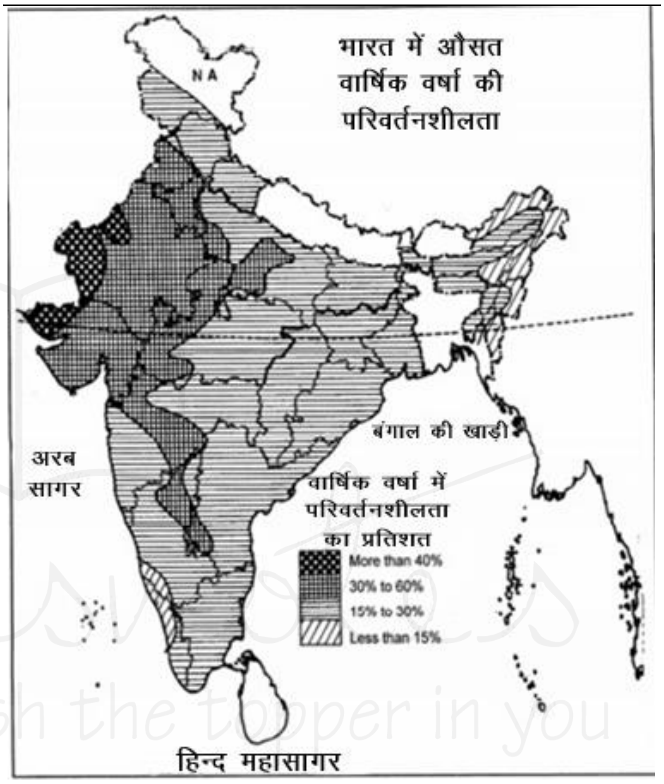

- औसत मात्रा से **वर्षा में भिन्नता** को दर्शाता है।
- भारत जैसे कृषि प्रधान देश में वर्षा की **परिवर्तनशीलता** का **अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण** है।
- एक वर्ष में किसी स्थान की वास्तविक वर्षा उसकी औसत वर्षा **10 से > 60% तक विचलित** हो जाती है।
- उन क्षेत्रों में **उच्चतम परिवर्तनशीलता** जहां औसत वार्षिक वर्षा सबसे कम है जैसे **राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र** (60% परिवर्तनशीलता)।
- वे क्षेत्र **जहाँ औसत वार्षिक वर्षा> 200 सेमी** (मेघालय पठार, पश्चिमी घाट) - **वार्षिक परिवर्तनशीलता <10%** होती है।
  - तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि (15-30% वार्षिक परिवर्तनशीलता)।
- **पश्चिमी तट से प्रायद्वीपीय क्षेत्र** के आंतरिक भाग और पश्चिम बंगाल और ओडिशा से उत्तर और उत्तर-पश्चिम की ओर **परिवर्तनशीलता** बढ़ती है।

पूर्व -मानसून से संबंधित कुछ बुनियादी शर्तें	
अवधि	**विवरण**
आम्रवर्षा	• **कर्नाटक** और **केरल** में **प्री-मानसून बारिश**

	• **आम पकने** में **मदद** करती है • अप्रैल की बारिश या **गर्मी की बारिश** भी ककह जाता है • **बंगाल की खाड़ी** के ऊपर **आंधी तूफान** के परिणाम • **अप्रैल महीने** के **दूसरे पखवाड़े** में आती है • आम को पेड़ों से समय से पहले गिरने से रोकती है
चेरी ब्लॉसम	• **कर्नाटक** और **संबद्ध क्षेत्र** • **स्थानीय तूफ़ान** • आर्द्र समुद्री पवनों तथा गर्म शुष्क स्थानीय पवनों के मिलन के कारण होता है • अप्रैल और मई के महीने में होता है • **कॉफी** के पौधों को **पकने** में **मदद** करता है
काल बैसाखी	• **मानसून पूर्व वर्षा** • बंगाल और असम में
नॉरवेस्टर्स (स्थानीय पवनें)	• **भूमध्य सागर** और **फारस की खाड़ी** से भारत की यात्रा करने वाले उथले **चक्रवाती विक्षोभ** • पूर्वी भारत में **सर्दियों** के मौसम में **असम**, **पश्चिम बंगाल** और **ओडिशा** में **वर्षा** का कारण

दक्षिण पश्चिम मानसून में अवसाद/विराम

- **दक्षिण पश्चिम मानसून** वर्षा का **प्रमुख भाग अरब** सागर और **बंगाल** की **खाड़ी** में उत्पन्न होने वाले **दबावों से उत्पन्न** होता है।
- कुछ **भूमि** पर भी **विकसित** होते हैं।
- **प्रति माह** (अन-सितंबर) लगभग **3-4 अवसाद** बनते हैं।
- **गंगा**, **महानदी**, **गोदावरी**, **कृष्णा** और **कावेरी** के **डेल्टाओं** में **भारी वर्षा** का कारण।
- अवसादों की स्थिति ITCZ (अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र) की अक्षांशीय स्थिति के साथ मेल खाती है।
- अधिकांश **बंगाल की खाड़ी** में **90° पूर्व** के पश्चिम में **उत्पन्न** होते हैं और **उत्तर-पश्चिम दिशा** में बहते हैं।
- **जून-जुलाई में अरब सागर** - अवसाद या तो उत्तर-पश्चिम या उत्तर दिशा में चलते हैं और पश्चिम गुजरात या महाराष्ट्र को प्रभावित कर सकते हैं।
- **अगस्त** और **सितंबर** के दौरान **तूफान दुर्लभ** हैं और महाराष्ट्र-गुजरात तट के करीब बनते हैं।
- देश के मध्य और उत्तरी भागों में अधिकांश वर्षा इन्हीं अवसादों के कारण होती है।
- **रुकावट** का **न होना** / उनकी **मार्ग में बदलाव** - **कम या कोई बारिश नहीं।**

भारत का अपवाह तंत्र

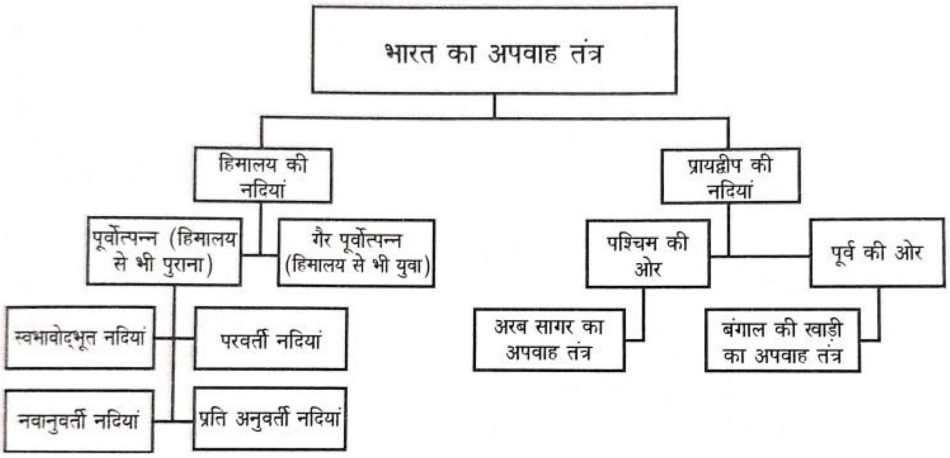

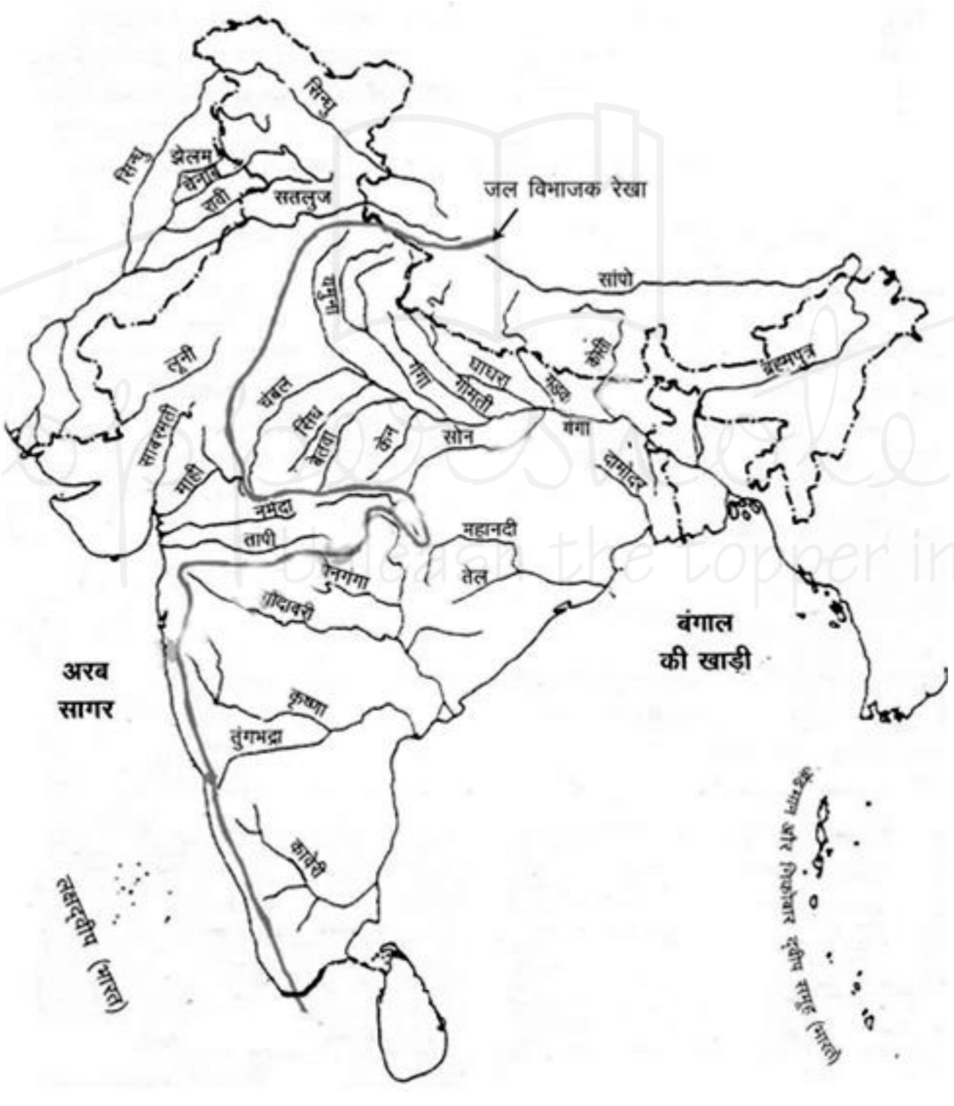

- **जलनिकास/अपवाह प्रणाली -**
  - **निश्चित वाहिकाओं** के माध्यम **से हो रहे जलप्रवाह** को **अपवाह** कहा जाता हैं। तथा इनके **सम्पूर्ण जाल** को **अपवाह प्रणाली** कहा जाता हैं।
  - नदी एंव सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को **अपवाह द्रोणी** कहा जाता हैं।

- एक अपवाह द्रोणी को दूसरी अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा को **जलविभाजक** (watershed) कहा जाता हैं।
- यह प्राय: अपवाह द्रोणियों के मध्य स्थित **उच्च भूमि क्षेत्र** होता हैं, जिसके दोनों ओर भिन्न अपवाह पाए जाते हैं। जलविभाजक की **उच्चतम बिंदुओं** को मिलाने वाली रेखा को **जलविभाजक रेखा** कहा जाता हैं।

- **अपवाह प्रतिरूप** -
  - मुख्य रूप से **नदियों** और **घाटियों के माध्यम से** सतही जल के **प्रवाह की प्रणाली** हैं। यह अपने बहाव क्षेत्र के स्थल आकृतियाँ ढाल, अपरदन के द्वारा चट्टानों के स्वरूप ,जलवायु ,जलीय **परिवर्तनशीलता ओर भू -परिदृश्य** की **सरंचनात्मक नियंत्रण** द्वारा **निर्धारित** होता हैं।
  - **अन्य तत्व पर निर्भ**र करता है:
    - भूमि की ढलान
    - भूवैज्ञानिक संरचना
    - पानी की मात्रा
    - पानी का वेग।
    - मुख्य जल विभाजक रेखा की 2 दिशाओं में पानी मुख्य रूप से बहता है:
    - बंगाल की खाड़ी में 90%
    - 10% अरब सागर में।
- **भारतीय अपवाह तंत्र** - 3 श्रेणियां:
  - **दीर्घ नदी बेसिन**
    - जलग्रहण क्षेत्र **20000 वर्ग किमी**
    - **कुल अपवाह** का **83% भाग** हैं।
    - संख्या में **13**
  - **मध्य नदी बेसिन**
    - **2000-20000 वर्ग किमी**. का जलग्रहण क्षेत्र
    - कुल भाग का **8%**
    - संख्या में **45**
  - **लघु नदी बेसिन**
    - जलग्रहण क्षेत्र **2000 वर्ग किमी** तक।
    - कुल अपवाह का **9%**
    - भारत में **55 बेसिन**

अपवाह प्रतिरूप के प्रकार

1) पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप
2) असंगत या अक्रमबद्ध जल निकासी पैटर्न/अपवाह प्रतिरूप
3) वृक्षिय / द्रुमाक्रतिक अपवाह प्रतिरूप
4) समानांतर अपवाह प्रतिरूप
5) जालीदार अपवाह प्रतिरूप
6) आयताकार अपवाह प्रतिरूप
7) अपकेंद्रीय या अरीय प्रतिरूप
8) अभिकेंद्री प्रतिरूप
9) कोणीय प्रतिरूप
10) कांटेदार प्रतिरूप
11) कुंडलाकार / वलयाकार प्रतिरूप
12) विक्षिप्त प्रतिरूप

भारत की अपवाह प्रणाली/तंत्र

2 प्रमुख समूह

1. हिमालय अपवाह प्रणाली/ तंत्र
2. प्रायद्वीपीय अपवाह प्रणाली/ तंत्र

1. हिमालय अपवाह प्रणाली/ तंत्र

- 3 मुख्य हिमालयी नदियाँ - **सिंधु**, **गंगा** और **ब्रह्मपुत्र।**
- **लंबी** और कई **सहायक नदियों** द्वारा पोषित
- नदी + सहायक नदियाँ = **नदी प्रणाली।**

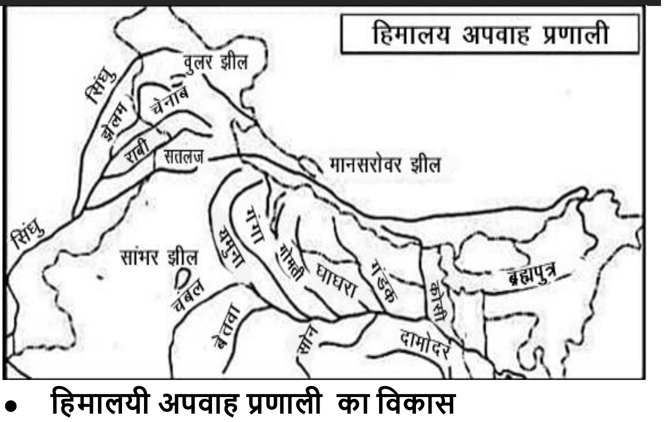

- **हिमालयी अपवाह प्रणाली का विकास**
  1. **पहला सिद्धांत:**
     - 1919 में स्वतंत्र रूप से **पास्को** और **पिलग्रिम द्वारा** दिया गया।

- ■ **परिकल्पना**:
  - ➢ असम से पंजाब की ओर बहने वाली एक **काल्पनिक प्राचीन शक्तिशाली नदी**:
    - ✓ **ई.एच.पास्को** द्वारा इंडो-ब्रह्म नाम दिया गया। पास्को- का विचार था कि **वर्तमान सिंधु** और **ब्रह्मपुत्र मूल नदी** के अलग-अलग हिस्से हैं।
    - ✓ शिवालिक नदी के रूप में नामित ई.जी. पिलग्रिम ने माना कि आदिम नदी के मार्ग पर वर्तमान शिवालिक पहाड़ियों का कब्जा है।

2. **दूसरा सिद्धांत**
   - ■ **ई. अहमद द्वारा** (1965 - 71) दिया गया।
   - ■ **परिकल्पना**:
     - ➢ टेथिस **कैम्ब्रियन से इओसीन काल** तक अवसादन के बेसिन के रूप में बना रहा।
     - ➢ **प्रथम हिमालयी उत्थान :**
       - ✓ **ओलिगोसीन** युग में - **हिमालयी अपवाह** की शुरुआत हुई।
     - ➢ **द्वितीय हिमालयी उत्थान :**
       - ✓ मध्य-**मियोसीन अवधि**
     - ➢ **तृतीय हिमालयी उत्थान**
       - ✓ **प्लेइस्टोसिन** अवधि

हिमालय अपवाह तंत्र की प्रमुख नदिया:

I. सिंधु नदी प्रणाली

- **उद्गम:**
  - ○ **मानसरोवर झील** के पास **कैलाश पर्वत श्रृंखला** में तिब्बती क्षेत्र में **बोखर चू** के पास एक ग्लेशियर से।
  - ○ तिब्बत में इसे **सिंगी खंबान** अथवा **शेर मुख** कहा जाता हैं।
- **ऊंचाई** - 4,164 वर्ग मीटर
- **अपवाह :**
  - ○ **उत्तर पश्चिम** की ओर बहती है और **डेमचोक** में लद्दाख में प्रवेश करती है।
  - ○ **डुंगटी** में, नदी एक **तेज दक्षिण-पश्चिम मोड़** लेती है और **लद्दाख श्रेणी** से होकर गुजरती है।
  - ○ सिन्धु नदी एक **उत्तर पश्चिमी जलमार्ग** धारण करती है और लद्दाख के **लेह क्षेत्र की तरफ** बहती है
  - ○ लेह में **ज़ांस्कर नदी से मिलती** है।
  - ○ **स्कर्दू** के पास, **श्योक 2,700 मीटर की दूरी पर** इससे मिल जाती है ।
  - ○ स्कर्दू शहर के माध्यम से **बाल्टिस्तान क्षेत्र में प्रवेश** करता है और **गिलगित** शहर की ओर **उत्तर-पश्चिम की ओर** बहती रहती है
  - ○ **गिलगित** में, एक दक्षिण मोड़ लेती है और फिर पश्चिम की ओर मुड़ती है और फिर पूरी तरह से पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत (खैबर पख्तूनख्वा) में प्रवेश करती है।
  - ○ **काबुल नदी** पाकिस्तान के **अटक** के पास सिंधु नदी में मिल जाती है।
    - ■ **पूर्वी अफगानिस्तान** में मुख्य नदी और **पाकिस्तान** के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बहती हैं।
  - ○ दक्षिण-पश्चिमी में **खैबर पख्तूनख्वा प्रांत** में बहती रहती है।
  - ○ पाकिस्तान के पश्चिमी और दक्षिणी पंजाब प्रांत में **मैदान के माध्यम से बहती है**, पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर बढ़ती रहती है।
  - ○ **मिथनकोट** के ठीक ऊपर, पंजनद (**पंचनाद**) **से पानी** प्राप्त करता है - झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज।
  - ○ **सिंधु** नदी बहुत **अधिक तलछट** जमा करती है और कराची के पास **अरब सागर में गिरने से पहले सिंधु नदी का डेल्टा** बनाती है।
  - ○ **अंधी डॉल्फिन** केवल सिंधु नदी में पाई जाती है।
  - ○ **दाहिने किनारे की सहायक नदियाँ:** श्योक, गिलगित, हुंजा, नुब्रा, काबुल, खुर्रम, तोची, गोमल, संगर, कुनार
  - ○ **बाएँ किनारे की सहायक नदियाँ:** ज़ांस्कर, सुरु, सोन, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास , सतलुज नदियाँ।

सिंधु नदी प्रणाली से संबंधित प्रमुख नदियां

श्योक नदी	• **उद्गम** स्थल: काराकोरम रेंज के रिमो ग्लेशियर से। • उत्तरी **लद्दाख क्षेत्र** से होकर बहती है। • **लंबाई**: 550 किमी। • **सिंधु नदी** की सहायक नदी जो **दाहिने तट पर मिलती** हैं। • **नुब्रा** नदी **श्योक नदी की सहायक नदी** हैं जो नुब्रा घाटी में मिलती हैं।

	• **काराकोरम पर्वतमाला** के दक्षिण पूर्व • **काराकोरम पर्वतमाला** के दक्षिण पूर्वी किनारे को **वी-आकार का मोड़** बनाकर बहती है।
नुब्रा नदी	• श्योक नदी की **मुख्य सहायक** नदी। • **उत्पत्ति**: नुब्रा ग्लेशियर से • लद्दाख रेंज के आधार प**र श्योक नदी** में मिलने के लिए दक्षिण-पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं | • **नुब्रा घाटी**- 3048 मी - नुब्रा नदी से बनी • **जलग्रहण क्षेत्र** - ऊंचाई और वर्षा की कमी के कारण वनस्पति और मानव निवास से रहित हैं |
शिगर नदी	• सिंधु की एक **छोटी दाहिनी तट सहायक नदी** हैं | • **लद्दाख क्षेत्र** से होकर बहती हैं | • **हिस्पर ग्लेशियर** से निकलती हैं | • **स्कर्दू** (गिलगित - बल्तिस्तान) में **सिंधु** से मिलती हैं | • **बहुत तीव्र ढाल** से नीचे उतरती हैं | • **हिमनदों** की क्रिया से **प्रभावित जलग्रहण क्षेत्र।**
गिलगित नदी	• सिंधु की **दाहिने तट की सहायक नदी** हैं | • **लद्दाख क्षेत्र** से होकर बहती हैं | • **हिमालय** की **चरम उत्तर-पश्चिम सीमा** के **निकट** एक **ग्लेशियर** से निकलती हैं | • **जलग्रहण क्षेत्र** : सुनसान और उजाड़ या वनस्पति रहित हैं |
हुंजा नदी	• गिलगित की एक महत्वपूर्ण **बाएं किनारे की सहायक नदी** हैं | • **जम्मू -कश्मीर** के **उत्तर -पश्चिम** हिस्से में काराकोरम रेंज के उत्तर में एक ग्लेशियर से निकलती हैं |
ज़ांस्कर नदी	• सिंधु की एक महत्वपूर्ण **बायीं** ओर से मिलने वाली **सहायक नदी** हैं | • **विरल मानव बस्तियाँ** |
चिनाब नदी	• **उद्गम** स्थल: ज़ांस्कर रेंज के लाहौल-स्पीति में बरलाचा दर्रा के पास से होता हैं | • **तांदी** (हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले) में **चंद्रा** और **भागा** नदियों के **संगम** द्वारा निर्मित | ○ ऊपरी भाग **चंद्रभागा** के नाम से भी जाना जाता हैं | • जम्मू क्षेत्र के माध्यम से **पाकिस्तान में पंजाब के मैदानों में बहती** है • **सिंधु जल संधि** के तहत पाकिस्तान को जल आवंटित किया गया हैं | • इस नदी पर **बगलिहार बांध** स्थित हैं | • दुनिया के **सबसे ऊंचा रेलवे पुल** जो **चिनाब ब्रिज** के नाम से जाना जाता हैं के द्वारा जम्मू -कश्मीर में बना हैं |
झेलम नदी	• **चिनाब** की **सहायक नदी** • **लंबाई** - 813km • **उत्पत्ति**: कश्मीर की घाटी के एस-ई भाग में पीर पंजाल की तलहटी में वेरीनाग में एक झरने से। • **सबसे बड़ी सहायक नदी**- किशनगंगा (नीलम)। • सिंधु जल संधि के तहत **पाकिस्तान को जल आवंटित |** • पाकिस्तान में चिनाब के साथ संगम पर समाप्त होती
किशनगंगा नदी	• **उद्गम** स्थल: जम्मू -कश्मीर के कारगिल जिले में द्रास से | • **नियंत्रण रेखा**(Line of Control) के पास **भारत से पाकिस्तान में प्रवेश** करती है और फिर **पश्चिम की ओर** चलती है जब तक कि यह **झेलम से** नहीं **मिलती** हैं | • **नीलम** के नाम से भी जानी जाती है जो ठंडे पानी के कारण या इस क्षेत्र में पाए जाने वाले कीमती पत्थर "माणिक (नीलम)" के कारण भी जाना जाता हैं | • **ट्राउट मछली** के लिए **प्रसिद्ध** हैं |
रावी नदी	• **उद्गम**: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में धौलाधार श्रेणी से होता हैं | • हिमाचल प्रदेश में **रोहतांग दर्रे** के पास **कुल्लू पहाड़ियों** में **स्रोत** हैं | • **उत्तर पश्चिमी ढलान** का अनुसरण करती हैं | • एक **बारहमासी नदी** जिसकी कुल लंबाई - 720km • **सिंधु जल संधि** के तहत भारत को जल आवंटित किया गया हैं | • इस नदी पर **रंजीत सागर बांध** (उर्फ थीन बांध) स्थित हैं | • **दाहिने किनारे की सहायक नदियाँ -** बुढिल, तिंडाहन बेलजेडी, साहो और सोल नदी**|** • **बाएँ किनारे की प्रमुख सहायक नदी -** चिरचिन्द नाला।
सतलुज नदी	• उर्फ **लाल नदी।** • **उद्गम**: मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत के दक्षिणी ढलान में रकास झील से होता हैं |

	• **शिपकी ला** दर्रे से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी और बिलासपुर जिलों से होते हुए **दक्षिण-पश्चिम दिशा** में बहती है। • विश्व का **सबसे ऊँचा गुरुत्वाकर्षण बाँध-** भाखड़ा नांगल बाँध, इसी नदी पर बना है। • **सिंधु जल संधि** के तहत भारत को जल आवंटित किया गया हैं| • मुख्य रूप से **बिजली उत्पादन** और **सिंचाई** के लिए **उपयोग** किया जाता है
ब्यास नदी	• **सिंधु** नदी प्रणाली की एक **महत्वपूर्ण नदी** हैं| • हिमाचल प्रदेश में **रोहतांग दर्रे** के पास **व्यास कुंड** से निकलती है| • पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले **हरिके पत्तन (पंजाब) में** सतलुज नदी में विलीन हो जाती है • **कुल लंबाई** - 460 किमी - हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर 256 किमी की दूरी तय करती है|

II. गंगा नदी प्रणाली

- **अलकनंदा**, **मंदाकिनी**, **नंदाकिनी**, **भागीरथी**, **धौली गंगा** , **पिंडर** और उनके संगम से निर्मित।
- **उद्गम** स्थल: गौमुख के गंगोत्री ग्लेशियर की तलहटी, (3892 मी) से होता यहाँ इसका नाम भागीरथी रहता हैं।
- **देवप्रयाग** में **भागीरथी** ,**अलकनंदा** से मिलती है जहाँ **इसका नाम गंगा** हो जाता हैं।
- 350 किमी चौड़े **गंगा डेल्टा** में अलग -अलग धारा में बहती हैं।
- गंगा नदी ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर **विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन** का निर्माण करती हैं।
- **बंगाल** की **खाड़ी** में गिरती है।
- **इलाहाबाद** में **यमुना से मिल** जाती हैं।
- **राजमहल** की **पहाड़ियों** के निकट **दक्षिण-पूर्व की ओर मुड़ती** हैं।
- पश्चिम बंगाल के **फरक्का** में, **भागीरथी-हुगली** और **बांग्लादेश** में **पद्मा-मेघना** में विभाजित होती हैं।
- ब्रह्मपुत्र/जमुना **बांग्लादेश** के **चांदपुर में पद्मा-मेघना** से मिलती है।
- स्रोत से उसके मुहाने तक की **कुल लंबाई** - 2,525 किमी
- **अलकनंदा** का **उद्गम** बद्रीनाथ के ऊपर **सतोपंथ ग्लेशियर** से होता है।
- **गंगा** एव इसकी **सहायक नदियाँ** मिल कर **पंच प्रयाग** का निर्माण करती हैं।

पंच प्रयाग

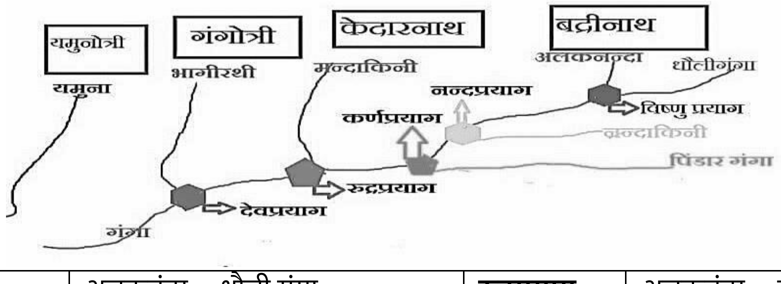

विष्णुप्रयाग	अलकनंदा + धौली गंगा	**रुद्रप्रयाग**	अलकनंदा + मंदाकिनी
नंदप्रयाग	अलकनंदा + मंदाकिनी	**देवप्रयाग**	अलकनंदा + भागीरथी = गंगा
कर्णप्रयाग	अलकनंदा + पिंडर		

प्रमुख सहायक नदियाँ

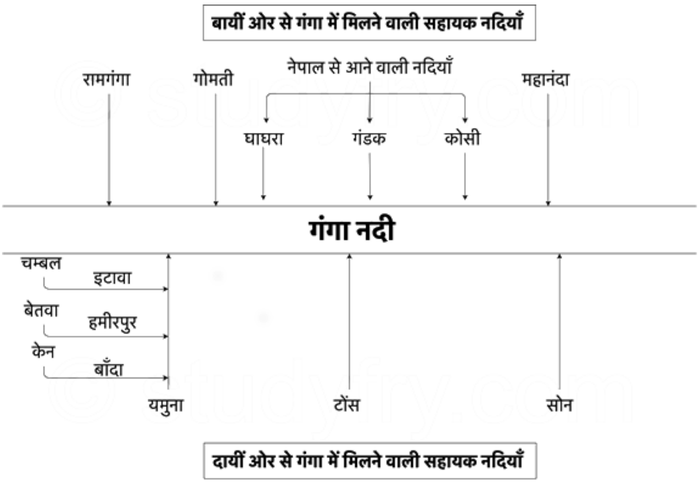

गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा
- बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले **गंगा + ब्रह्मपुत्र, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा** बनाती है।
- **भागीरथी/हुगली** और **पद्मा/मेघना** के बीच **स्थित** हैं |
- **क्षेत्रफल** - 58,752 वर्ग किमी।
- **तटरेखा** अत्यधिक **दांतेदार** हैं ।
- मुख्य भाग **उच्च ज्वार** के दौरान **समुद्री जल से भरा** एक **निचला दलदल** है।

प्रमुख बाएँ किनारे की सहायक नदियाँ

रामगंगा	• **गंगा** नदी की **सहायक** नदी। • **दक्षिण-पश्चिम कुमाऊं** में धारा के रूप **बहती** हैं । • **उद्गम** स्थल: उत्तराखंड के चमोली में दूधातोली पहाड़ी के दक्षिणी ढलान से । • **भूमिगत जल भण्डारो** से झरनों द्वारा सिंचित । • **प्रमुख भू-आकृतिक विशेषताएं:** छिन्न-भिन्न घुमाव , युग्मित और अयुग्मित छत , अंतर्ग्रन्थित पर्वतप्रक्षेप , झरने, संचरात्मक चट्टान , चट्टानें, और विशाल लकीरें बनाती हैं • **कॉर्बेट नेशनल पार्क** की **दून** घाटी से होकर बहती है। • **कन्नौज** के पास **गंगा से मिलती** है।
गोमती	• **उत्पत्ति**: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के माधो टांडा के पास गोमत ताल (उर्फ फुलहार झील) से होती हैं | • **गाजीपुर** में **गंगा** से मिलती है। • प्रसिद्ध **मार्कण्डेय महादेव मंदिर** स्थित हैं | • सबसे महत्वपूर्ण **सहायक नदी** - साई नदी (जौनपुर के निकट संगम)
घाघरा/ कर्णाली नदी	• **उत्पत्ति**: मैपचाचुंगो के हिमनदों में। • **स्रोत**: तिब्बत में मानसरोवर के दक्षिण में गुरला मांधाता चोटी के पास हुआ हैं| • **ट्रांस-हिमालयी मूल** से उत्पन • **नेपाल में हिमालय से होकर बहती** है। • भारत में **ब्रह्मघाट पर शारदा से मिलती** हैं | • गंगा की **प्रमुख बाएं किनारे की सहायक नदी** (बिहार में छपरा में संगम)। • **अयोध्या से** हो कर बहती हैं | • **लंबाई**: 1080 किमी
काली	• ट्रांस-हिमालय के **ऊंचे ग्लेशियरों से निकलती** है। • **नेपाल** और **कुमाऊं के बीच** सीमा बनाती है। • **टनकपुर** के पास मैदानी इलाकों में पहुंचने के बाद **शारदा के नाम से जानी जाती** हैं।
सरयू/सरजू	• **उत्तर प्रदेश** से होकर बहती है। • **उद्गम**: उत्तराखंड में बागेश्वर जिले के नंदा कोट पर्वत के दक्षिण में एक शृंखला से। • **घाघरा** की बायीं ओर की **सहायक** नदी।
राप्ती	• इसका नेपाल में पश्चिमी धौलागिरी और महाभारत श्रेणी के मध्य एक प्रमुख **पूर्व-पश्चिम कटक रेखा** के **दक्षिण में उद्गम** होता है • **भूमिगत जल** से **सिंचित** | • बार-बार आने वाली **बाढ़** के कारण इसे **"गोरखपुर का शोक"** कहा जाता हैं |
गंडक	• **काली** और **त्रिसुली** नदियों का **संगम**। • सोनपुर में **पटना के सामने गंगा नदी** में मिल जाती है। • **बूढ़ी गंडक** गंडक नदी के समानांतर पूर्व में बहती है। • **ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र:** धूमिल और उजाड़ (हिमालय का वर्षा छाया क्षेत्र)।

	• **मध्य और निचले पाठ्यक्रम-** वी-आकार की घाटियाँ, छिन्न-भिन्न मेन्डर्स, और दोनों तरफ युग्मित और अप्रकाशित छतें हैं।
बूढ़ी गंडक	• **उत्पत्ति**: चौतर्वा चौर से बिसंभरपुर, पश्चिम चंपारण, बिहार के पास • एक पुराने चैनल में **गंडक नदी के समानांतर पूर्व में** बहती है। • नदी पर **कोई बड़ी या मध्यम परियोजना** नहीं
कोसी/ सप्तकोशी	• उर्फ **सप्तकोशी** (7 हिमालयी सहायक नदियाँ हैं) • **नेपाल और भारत** से दोनों ओर बहने वाली **पूर्ववर्ती नदी** हैं। • **गंगा** की **सबसे बड़ी सहायक नदियों** में से एक (कठियार जिले के कुर्सेला में संगम) हैं। • **जलग्रहण क्षेत्र**: माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। • **अस्थिर प्रकृति** हैं जिस कारण इसे **"बिहार का शोक"**कहा जाता हैं।

प्रमुख दाहिने किनारे की सहायक नदियाँ

सोन	• **उद्गम**: मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास, नर्मदा नदी के हेडवाटर के पूर्व में • नर्मदा घाटी का विस्तार **सोन की निचली घाटी** में हुआ हैं| • **सहायक नदियों:** • **दाएं** – गोपद नदी, रिहंद नदी, कन्हार नदी, उत्तरी कोयल नदी • **बाएं** - घग्गर नदी, जोहिला नदी, छोटी महानदी नदी • **प्रमुख सहायक नदियाँ** - रिहंद और उत्तरी कोयल।
टोंस नदी	• यमुना की **सबसे लंबी सहायक नदी** हैं| • उत्तरांचल के **पश्चिमी भाग गढ़वाल** से होकर **बहती** है। • देहरादून, उत्तराखंड के पास कालसी के नीचे यमुना में मिलती है। • सबसे **प्रमुख बारहमासी भारतीय हिमालयी नदियों** में से एक हैं| • **यमुना** की **सबसे बड़ी सहायक** नदी।
रिहंद	• **उद्गम**: मतिरंगा पहाड़ियों से (मैनपाट पठार के दक्षिण-पश्चिम में) • **सोनभद्र, उत्तर प्रदेश** में सोन से मिलती हैं| • **जलविद्युत उत्पादन** के लिए रिहंद नदी पर **रिहंद बांध** ○ बांध के **जलाशय** को **गोविंद बल्लभ पंत सागर** के नाम से जाना जाता है।
उत्तर कोयल	• **रांची पठार** से **उद्धगम** होता है और **रुड(rud) के पास नेतरहाट** के नीचे पलामू भाग में प्रवेश करती हैं| • **बेतला राष्ट्रीय उद्यान** के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है
यमुना	• **सबसे बड़ी** और सबसे **पश्चिमी महत्वपूर्ण सहायक** नदी। • **उत्पत्ति**: उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र में बन्दरपूँछ चोटी पर यमुनोत्री हिमनद (6,000 मीटर)से होती हैं। • **हरियाणा ओर उत्तर प्रदेश** की **नहरों** का **प्रमुख स्रोत** हैं| • **त्रिवेणी संगम, इलाहाबाद (प्रयागराज)** के पास गंगा में विलीन हो जाती है। • भारत की राजधानी **नई दिल्ली, आगरा एवं मथुरा** इसी के किनारे बसे है • सहायक नदियाँ: **बेतवा, धसन, चंबल, सिंध, केन, हिंडन, गिरि**

III. ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली

- दुनिया की **सबसे बड़ी नदियों में से एक।**
- **तिब्बत** में **यारलुंग त्संगपो** के नाम से जानी जाती हैं|
- **भारत** में **सियांग** और **दिहांग** के नाम से प्रवेश करती है।
- **उद्गम स्रोत**: मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी का **अंगसी हिमनद** से होता हैं|
- **गंगा** के साथ एक **विशाल डेल्टा** बनाने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
- **जलमार्ग :-**
  - **तिब्बत**- हिमालय के समानांतर लगभग 1,200 किमी तक चलती है।
  - दक्षिण में मुड़ती है और **नमचा बरवा** के पास हिमालय के माध्यम से एक गहरी घाटी/ गहरे **महाखड्ड** का **निर्माण** करती हैं|
  - **दिहांग** के नाम से **भारत में प्रवेश** करती है।
  - **सादिया** - उत्तर से आने वाली **दिबांग** और पूर्व से आने वाली **लोहित** इसमें **मिलती** हैं|
  - **असम घाटी** में **प्रवेश** करता है जहाँ यह **ब्रह्मपुत्र** नाम से जानी जाती हैं|
  - **पश्चिम** में **धुबरी** तक बहती है और आगे नीचे, **दक्षिण** की ओर बहती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है।
- ब्रेडेड चैनल (**गुंफित जलमार्ग**) के रूप में बहती हैं|

ब्रह्मपुत्र के क्षेत्रीय नाम

क्षेत्र	नाम
तिब्बत	त्संगपो (जिसका अर्थ है 'शोधक')
चीन	यारलुंग जांग्बो जियांगिन
असम घाटी	दिहांग या सिओंग, सादिया के दक्षिण में: ब्रह्मपुत्र
बांग्लादेश	जमुना नदी
बांग्लादेश	पद्मा नदी: गंगा और ब्रह्मपुत्र का संयुक्त जल
बांग्लादेश	मेघना: पद्मा और मेघना के संगम से

- **बाएँ किनारे की सहायक नदियाँ:**
  - ल्हासा नदी
  - न्यांग नदी
  - पारलुंग ज़ांगबो
  - लोहित नदी
  - धनसिरी नदी
  - कोलोंग नदी

- **दाहिने किनारे की सहायक नदियाँ:**
  - कामेंग नदी
  - मानस नदी
  - बेकी नदी
  - रैदक नदी
  - जलढाका नदी
  - तीस्ता नदी
  - सुबनसिरी नदी

2. प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र

- हिमालय की नदियों से **अधिक पुरानी {असंगत} नदी प्रणाली** हैं |
- ऊपरी प्रायद्वीप क्षेत्र में **कुछ नदियों को छोड़कर** मुख्य रूप से **समवर्ती।**
- **गैर-बारहमासी** नदियाँ- वर्षा ऋतु में अधिकतम निर्वहन होती हैं |
- **परिपक्व** अवस्था में (नदी सम्बन्धी भू आकृतिया) और लगभग अपने आधार स्तर तक पहुँच चुके हैं (लंबवत अपरदन नगण्य है)।
- **पश्चिमी घाट** द्वारा मुख्य **जल विभाजन** किया जाता हैं |
- कम ढाल के कारण **पानी का कम वेग** और **धाराओं** की भार **वहन क्षमता** भी **कम** हो गयी हैं |
- **पूर्व की ओर** बहने वाली नदियाँ- महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी - डेल्टा बनाती हैं।
- **पश्चिम की ओर बहने** वाली नदियाँ- नर्मदा और तापी - मुहाना बनाती हैं।

- **बंगाल की खाड़ी** में गिरने वाली नदियाँ: महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी।

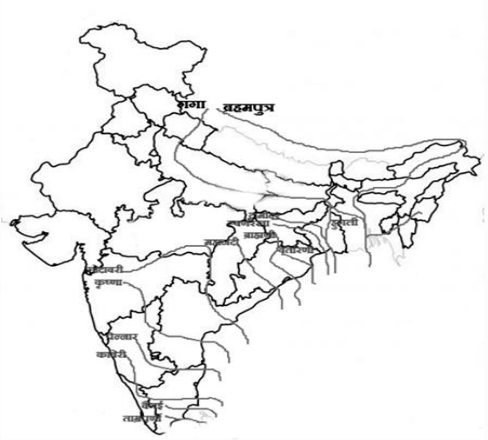

- **अरब सागर** में गिरने वाली नदियाँ: नर्मदा, तापी, माही।
- नदियाँ जो **गंगा** में मिलती हैं: चंबल, बेतवा, केन, सोन और दामोदर

- **प्रायद्वीपीय अपवाहतंत्र का विकास:**
  - **प्रथम सिद्धांत:**
    - **सह्याद्री-अरावली** अक्ष - अतीत में मुख्य जल विभाजन।
    - मौजूदा **प्रायद्वीप** - एक बड़े भूभाग का शेष आधा।
    - **पश्चिमी घाट** - इस भूभाग के मध्य में स्थित हैं|
    - **अपवाह** - पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती है।
    - **प्रायद्वीप** का **पश्चिमी भाग** टूट कर **अरब सागर में** डूब गया।
    - **भारतीय प्लेट** का **टकराव** → प्रायद्वीपीय भाग कुछ क्षेत्रों में कम हो गया जिससे दरार पैदा हो गई।
    - **पश्चिम** की ओर बहने वाली **नर्मदा** और **तापी** इन दरारों से होकर बहती हैं।
    - **सीधी तटरेखा**, **पश्चिमी घाट** की **खड़ी** पश्चिमी **ढलान** और पश्चिमी तट पर **डेल्टा** संरचनाओं की **अनुपस्थिति** इस सिद्धांत की एक संभावना को व्यक्त करती है।
  - **द्वितीय सिद्धांत:**
    - पश्चिम की ओर बहने वाली **प्रायद्वीपीय नदियाँ** स्वयं द्वारा **निर्मित घाटियों में नहीं बहती** हैं।
      - ✓ **विंध्य** के **समानांतर** चलने वाली **चट्टानों में दो भ्रंश।**
    - **हिमालय** की **विप्लव** के दौरान **प्रायद्वीप** के **उत्तरी** भाग के **मुड़ने** के कारण।
    - **प्रायद्वीप ब्लॉक**, **भ्रंशो** के **दक्षिण** में, **थोड़ा पूर्व की ओर** झुका हुआ → बंगाल की खाड़ी की ओर नदी का जल निकासी।
    - **आलोचना**:
      - ✓ झुकने से **नदी घाटियों का ढाल बढ़** जाना चाहिए था और **नदियों का कायाकल्प** हो जाना चाहिए था।
      - ✓ जलप्रपात जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर **प्रायद्वीप में अनुपस्थित** हैं|

प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियाँ

I. गोदावरी

- **प्रायद्वीपीय** भारत की **दूसरी सबसे बड़ी नदी** हैं|
- इसे **दक्षिण गंगा** या वृद्ध (पुरानी) गंगा भी कहा जाता हैं|
- **मौसमी नदी** - ग्रीष्मकाल के दौरान सूख जाती है, और मानसून के दौरान चौड़ी हो जाती है।
- **उद्गम**: नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र में ।
- दक्षिण-मध्य भारत में **दक्षिण-पूर्व** की ओर बहती है।
- **राज्य**: मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा।
- **बंगाल की खाड़ी** में गिरती है।
- राजमुंदरी में **उपजाऊ डेल्टा** बनाती है।
- एशिया का **सबसे बड़ा रेल-सह-सड़क पुल** जो इस पर **कोवुर और राजामुंद्री** को जोड़ता है।

बाएँ किनारे की सहायक नदियाँ	दायां किनारा
• बाणगंगा • कडवा • शिवना • पूर्णा • कदम • प्राणहिता • इंद्रावती • तलिपेरु • सिलेरु • साबरी	• नासर्दी • डरना • प्रवरा : • सिंधफणा नदी, • मंजरा • मानेर /मनेर • किन्नेरासनी

- **गोदावरी नदी पर परियोजनाएं:**
  - श्रीराम सागर, गोदावरी बैराज, ऊपरी पेंगंगा, जायकवाड़ी, ऊपरी वैनगंगा, ऊपरी इंद्रावती, ऊपरी वर्धा।
  - **जारी परियोजनाएं** - प्राणहिता-चेवेल्ला और पोलावरम।
- **गोदावरी बेसिन में उद्योग**
  - **प्रमुख शहरी केंद्र** - नागपुर, औरंगाबाद, नासिक, राजमुंदरी।
  - ज्यादातर **कृषि उपज पर आधारित** - धान-कुटाई, कपास कताई और बुनाई, चीनी और तेल निष्कर्षण।
  - **सीमेंट** और कुछ छोटे **इंजीनियरिंग उद्योग** भी मौजूद हैं।

- **गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना**
    - गोदावरी और कावेरी नदियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गोदावरी बेसिन के इंद्रावती उप-बेसिन में **247 हजार मिलियन क्यूबिक फीट** (tmcft) **अप्रयुक्त पानी का व्यपवर्तन** होता हैं।
    - **कृष्णा, पेन्नार** और **कावेरी घाटियों** की मांगों को पूरा करने के लिए **गोदावरी नदी से नागार्जुन सागर बांध** बनाया गया और आगे **दक्षिण की ओर** मोड़ दिया गया।
    - **आंध्र प्रदेश** के प्रकाशम, नेल्लोर, कृष्णा, गुंटूर और चित्तूर जिलों में 3.45 से **5.04 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा** प्रदान करता हैं |

II. कृष्णा नदी

- दूसरी सबसे बड़ी **पूर्व** की ओर बहने **वाली प्रायद्वीपीय नदी।**
- **उत्पत्ति**: महाबलेश्वर।
- **राज्य**: महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश
- मानसून के दौरान भारी **मिट्टी के कटाव का कारण** बनती है।
- **बालाघाट** श्रेणी (उत्तर), **पूर्वी घाट** (दक्षिण और पूर्व), और **पश्चिमी घाट** (पश्चिम) **से घिरा** है।
- **कुल लंबाई- 1**,400 किमी।
- अंत: में **बंगाल की खाड़ी में गिरती** है।
- **प्रमुख बांध-** अलमट्टी बांध, श्रीशैलम बांध, नागार्जुन सागर बांध और प्रकाशम बैराज।
- **दायां किनारा:** वेन्ना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मालाप्रभा और तुंगभद्रा
- **बाया किनारा:** भीमा,दिंडी , पेद्दावागु हलिया, मूसी, पलेरू और मुन्नेरू

प्रमुख सहायक नदियाँ

- भीम, मूसी, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा
- **प्रमुख परियोजना:**
    - **तुंगभद्रा परियोजना**
    - **श्रीशैलम परियोजना**
    - **नागार्जुन सागर बांध**
    - **प्रकाशम बैराज**
    - **घटप्रभा परियोजना**
    - **भीमा परियोजना**
- **संसाधन**
    - **समृद्ध खनिज** भंडार।
    - **औद्योगिक गतिविधियाँ**- लोहा और इस्पात, सीमेंट, गन्ना वनस्पति तेल निष्कर्षण, और चावल मिलिंग/धान-कुटाई |
- **उद्योग**
    - **प्रमुख शहरी केंद्र-** पुणे, हैदराबाद (ऑटोमोबाइल और आईटी हब)
- **सूखा और बाढ़**
    - **रायलसीमा क्षेत्र-**आंध्र प्रदेश; बेल्लारी, रायचूर, धारवाड़, चित्रदुर्ग, बेलगाम, और बीजापुर- कर्नाटक और पुणे, शोलापुर, उस्मानाबाद, और अहमदाबाद-महाराष्ट्र - सूखा प्रवण क्षेत्र।
    - **बाढ़ प्रवण डेल्टा क्षेत्र।**
    - गाद जमा होने के कारण **डेल्टा क्षेत्र में नदी तल का उठाव** - चैनल (मार्ग) की वहन क्षमता में कमी

III. नर्मदा

- प्रायद्वीपीय भारत की **पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी** (1312 किमी) **नदी।**
- **भारत** की **सबसे बड़ी भ्रंश घाटी नदी।**
- **भारत** में **सबसे बड़ा नदी मुहाना** हैं।
- **विंध्य श्रेणी** (उत्तर) और **सतपुड़ा श्रेणी** (दक्षिण) के माध्यम से एक **भ्रंश घाटी के बीच में से पश्चिम की ओर** बहती है।
- मध्य प्रदेश में **अमरकंटक के पास मैकला श्रेणी** से निकलती है।
- **राज्य**- गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश
- **जलप्रपात**: कपिलधारा, दुग्धधारा, धुंआधार , मंधार, दर्दी, सहस्त्रधारा |
- **प्रमुख परियोजना :**
    - सरदार सरोवर- (भरूच), गुजरात- नर्मदा नदी में सबसे बड़ी परियोजना हैं।
    - इंदिरा सागर-खंडवा, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा बांध हैं
    - ओंकारेश्वर-खंडवा,
    - महेश्वर-खरगोन,
    - बरगी- जबलपुर,
    - तवा बांध- होशंगाबाद।
- **बेसिन** - 98,796 वर्ग कि.मी.
- **सबसे बड़ा द्वीप:** अलीया बेट ।
- **आंशिक** रूप से **नौगम्य**
- **सहायक नदियाँ** :

बाएं किनारें की सहायक नदियाँ	दाहिने किनारें कीसहायक नदियाँ
बुढनेर नदी, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, कुन्दा, गोई, कर्जन	हिरदन, तिन्दोनी, बारना, कोलार, मान, उरी, हथनी, ओरसांग

IV. महानदी

- प्रायद्वीपीय भारत की **तीसरी सबसे बड़ी नदी**।
- **ओडिशा** की **सबसे बड़ी** नदी।
- महानदी - **2 संस्कृत शब्दों** "**महा**" - "महान" और "**नदी**" - "नदी" से मिल कर बना हैं |
- **राज्य**- छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश
- **जलग्रहण क्षेत्र** - 1.4 लाख वर्ग किमी।
- **सीमाएँ**- मध्य भारत की पहाड़ियाँ (उत्तर), पूर्वी घाट (दक्षिण और पूर्व), और मैकला श्रेणी (पश्चिम)।
- **स्रोत** - दंडकारण्य की उत्तरी तलहटी, रायपुर,(छत्तीसगढ़) |
- **जल क्षमता** और **बाढ़ क्षमता** के मामले में, यह गोदावरी के बाद **दूसरे स्थान** पर है।
- **मुख्य भाग कृषि भूमि** से आच्छादित है- कुल क्षेत्रफल का 54.27%।
- **भारतीय उपमहाद्वीप** में **सबसे सक्रिय** गाद जमा करने वाली धाराओं में से एक हैं।
- **हीराकुण्ड बाँध** एशिया की सबसे बड़ी **मानवनिर्मित झील** है।(भारत का सबसे बड़ा बाँध)
- कई धाराओं के माध्यम से **"फ़ाल्स पाइन्ट"** के पास **बंगाल की खाड़ी में मिल** जाती है।
- **ऊपरी मार्ग** - तश्तरी के आकार का बेसिन जिसे **'छत्तीसगढ़ का मैदान'** भी कहा जाता हैं|
- **उत्तर**, **पश्चिम** और **दक्षिण** में पहाड़ियों से घिरी- बड़ी संख्या में **सहायक नदियाँ** मुख्य नदी में मिलती हैं।
- **बाएँ किनारे की सहायक नदियाँ:**शिवनाथ , हसदेव, माण्ड, और इब
- **दाहिने किनारे की सहायक नदियाँ:** ओंग, तेल और जोंक।
- **प्रमुख परियोजना:**
  - महानदी मुख्य नहर
  - छत्तीसगढ़ में तंदुला जलाशय।
  - हीराकुंड बांध
  - महानदी डेल्टा परियोजना
  - हसदेव बांगो बांध
  - महानदी जलाशय परियोजना।

हीराकुंड बांध-

- **स्वतंत्रयोत्तर** पहली **बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं** में से एक।
- **उद्देश्य**: महानदी बेसिन में **बाढ़** को **नियंत्रित करना**, **सिंचाई** के लिए **पानी उपलब्ध कराना** और **नगरपालिका जल आपूर्ति।**
- **स्थान**: संबलपुर, ओडिशा।

गंगरेल बांध/आर.एस. सागर बांध (रविशंकर सागर बांध)

- **स्थान**: धमतरी जिला, छत्तीसगढ़।

दुधवा बांध:

- **स्थान**: धमतरी, छत्तीसगढ़।

- **उद्योग:**
  - **प्रमुख शहरी केंद्र**- रायपुर, दुर्ग और कटक।
  - **समृद्ध खनिज** संसाधन और **पर्याप्त बिजली** संसाधन।
  - **प्रमुख उद्योग-** लोहा और इस्पात संयंत्र, भिलाई, एल्यूमीनियम कारखाने, हीराकुंड और कोरबा, पेपर मिल (कागज), कटक और सीमेंट कारखाना, सुंदरगढ़।
  - **कृषि उद्योग** - चीनी और कपड़ा मिलें।
  - **कोयला**, **लोहा** और **मैंगनीज** का **खनन** भी प्रमुख क्षेत्र है।
- **बाढ़**:
  - **धाराओं की अपर्याप्त वहन क्षमता** के कारण डेल्टा क्षेत्र में गंभीर बाढ़ का खतरा बना रहता हैं।

V. कावेरी

- **'दक्षिण भारत की गंगा'** या **'दक्षिण की गंगा'** के नाम से **भी** जाना जाता **।**
- **उत्पत्ति:** तालकावेरी, ब्रह्मगिरी श्रेणी, चेरंगला गांव, कूर्ग, कर्नाटक से होती हैं |
- **लंबाई**: 800 किमी।
- **राज्य**-तमिलनाडु , कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी शामिल हैं।
- एक विस्तृत डेल्टा जो "**दक्षिणी भारत का उद्यान**" के नाम से भी जाना जाता हैं बनाने के बाद बड़ी संख्या में **वितरिकाओं में टूट जाता** है|
- **सीमाएँ- पश्चिमी घाट** (पश्चिम), **पूर्वी घाट** (पूर्व और दक्षिण) और **कटक** इसे कृष्णा और पेन्नार बेसिन (उत्तर) से अलग करते हैं।
- **बेसिन** - **3 भाग** - पश्चिमी घाट, मैसूर का पठार और डेल्टा।
- **डेल्टा** - **सबसे उपजाऊ भाग** |

- **मिट्टी** - काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट, जलोढ़ मिट्टी, वन मिट्टी और मिश्रित मिट्टी पायी जाती हैं।
- **वर्षा** - **दक्षिण-पश्चिम मानसून** और आंशिक रूप से उत्तर-पूर्वी मानसून से प्राप्त करता हैं।
- एक **बारहमासी** नदी हैं।
- **सिंचाई** और **पनबिजली उत्पादन** के लिए पानी का **उपयोग** किया जाता हैं।
- **बंगाल की खाड़ी** में गिरती है।
- **कृषि क्षेत्र**- कुल क्षेत्रफल का 66.21%।
- **बाएं किनारे की सहायक नदियाँ**: हरंगी, हेमावती, शिमशा और अर्कावती।
- **दाहिने किनारे की सहायक नदियाँ**: लक्ष्मणतीर्थ, कबिनी, सुवर्णावती, भवानी, नोयिल और अमरावती।
- **शिवसमुन्द्र झरने** (101 मीटर ऊंचे) के माध्यम से दक्षिण कर्नाटक पठार से तमिलनाडु के मैदानों तक जाती है।
  - नदी **2 शाखाओं में विभाजित** होती है
  - शिवसमुन्द्र में **बिजली उत्पादन** के लिए उपयोग किया जाता है।
- 2 शाखाएँ मिलने के बाद एक विस्तृत **महाखड्ड** से होकर बहती हैं- **'मेकेदातु' (गोट्स लीप)**।
- **होगेनक्कल जलप्रपात**-दक्षिण दिशा और मेट्टूर जलाशय में प्रवेश करती है।
- **भवानी मेट्टूर जलाशय** के नीचे दाहिने किनारे पर कावेरी में मिलती है ओर फिर तमिलनाडु के मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है।
- **नोयिल** और **अमरावती दाहिने किनारे** पर मिलती हैं - नदी का विस्तार - जिसे **अखंड कावेरी'** के नाम से भी जान जाता हैं
- **तिरुचिरापल्ली जिले** को पार करने के बाद, नदी **दो भागों में विभाजित** हो जाती है
  - **उत्तरी शाखा** -कोलिदम
  - **दक्षिणी शाखा** - कावेरी।
- **'श्रीरंगम द्वीप'** बनाने के लिए **2 शाखाएँ** फिर से जुड़ती हैं।
- चोलों द्वारा निर्मित **ग्रैंड एनीकट** (कल्लनई बांध) - कावेरी शाखा पर।
- ग्रैंड एनीकट (कल्लनई बांध) के नीचे, **कावेरी शाखा कावेरी** और **वेन्नर में विभाजित** हो जाती है।

VI. तापी या ताप्ती

- **अन्य नाम:** सूर्य की पुत्री ,तापी , सूरसुता , पयोष्णी।
- प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी
- इसे 'जुड़वां' या 'नर्मदा की दादी' के नाम से भी जाना जाता हैं।
- **उद्गम स्थल**: मुल्ताई (बैतूल जिला) आरक्षित वन, मध्य प्रदेश से।
- खंभात की खाड़ी से होकर अरब सागर में गिरती है।
- **राज्य**: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात।
- **दायां किनारा:** सूखी , गोमई, अरुणावती और आनेर।
- **बायां किनारा:** वाघुर, बुरे पंजर, बोरी, गिरना, पूर्णा, मोना और सिपना।

प्रमुख सहायक नदियाँ :

- पूर्णा, गिरना, गोमाई, पंजारा/पंजारा-कान/पंजारा, पेढी, अर्ना
- **महत्वपूर्ण परियोजनाएं:**
  - **हथनूर बांध (महाराष्ट्र)**
  - **काकरापार (गुजरात)**
  - **उकाई बांध (गुजरात)**
  - **गिरना बांध (महाराष्ट्र)**
  - **दहेगाम वियर (महाराष्ट्र)**

प्रायद्वीपीय भारत की अन्य प्रमुख नदियाँ

VII. पेन्नार नदी / उत्तर पिनाकिनी

- **उद्गम:** कर्नाटक के चिक्कबल्लापुरा जिले में नंदीदुर्ग श्रेणी की चेन्नाकेशव पहाड़ी से|
- **बंगाल की खाड़ी** में गिरती है।
- **लंबाई**: 597 किमी।
- **राज्य** - आंध्र प्रदेश और कर्नाटक
- अलग -अलग **धाराओं में विभाजित** हो कर **पंख आकार के बेसिन का निर्माण** करती हैं |
- **सीमाएं**:
  - **उत्तर**: एरामाला श्रेणी
  - **पूर्व:** नल्लामाला और वेलिकोंडा पर्वतमाला (पूर्वी घाट)
  - **दक्षिण:** नंदीदुर्गा पहाड़ियाँ
  - **पश्चिम:** वेदवती घाटी, कृष्णा बेसिन से इसे अलग करने वाली एक संकरी चोटी।
- **बाएं किनारा :** जयमंगली, कुंदरू और सगिलेरु
- **दायां किनारा:** चिरावती, पापघ्नि और चेयेरु
- **परियोजनाएं:**
  - **तुंगभद्रा** उच्च स्तरीय नहर
  - **सोमासिला** परियोजना।

VIII. थमिराबरानी नदी / पोरुनाई

- एक **बारहमासी** नदी हैं|
- **उद्गम:** अम्बासमुद्रम तालुक में पापनासम के ऊपर, पश्चिमी घाट की पोथिगई पहाड़ियों की अगस्त्यार्कूदम चोटी।
- तमिलनाडु में **एकमात्र बारहमासी** नदी।
- पूर्व-शास्त्रीय काल में **ताम्रपर्णी नदी** नाम से भी जानी जाती |

IX. पेन्नार (ponnaiyar)

- एक छोटी सी धारा जो **केवल तटीय क्षेत्र तक ही सीमित** है।
- **राज्य**: तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश।

X. वैगई

- कावेरी के दक्षिण में **सबसे लंबी धारा।**
- **कावेरी** और **कन्याकुमारी** के बीच में स्थित |
- **सीमाएं:**
  - **पश्चिम**: वरुणानाडु पहाड़ियाँ, अंडीपट्टी पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ और पलानी पहाड़ियाँ
  - **पूर्व**: पाक जलडमरूमध्य और पाक खाड़ी
- **जलभरण क्षेत्र** - 7,741 वर्ग किमी
- **राज्य** - तमिलनाडु।

XI. सुवर्णरेखा

- सबसे लंबी पूर्व की ओर बहने वाली **अंतर्राज्यीय नदियों** में से एक।
- **उत्पत्ति**: झारखंड के रांची जिले के नगरी गांव के पास से |
- **राज्य** - झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल |
- प्रायद्वीपीय भारत का **उत्तर-पूर्वी किनारे वाली नदी** |
- **सीमाएं:**
  - **उत्तर-पश्चिम-** छोटा नागपुर का पठार
  - **दक्षिण-पश्चिम-** ब्राह्मणी बेसिन
  - **पश्चिम-** इसे दक्षिण में बैतरणी बेसिन से अलग करने वाली चोटी द्वारा
  - **दक्षिण-पूर्व-** बंगाल की खाड़ी
- **दक्षिण**- बुरहबलंग बेसिन
- **पूर्व**- कंगसाबती नदी की कसाई घाटी
- **उद्गम**: झारखंड के रांची जिले में नगरी गांव के पास।
- **बंगाल की खाड़ी** में गिरती है।
- **दाहिने किनारे की सहायक नदियाँ** - कांची, करकरी और खरकाई।
- **बाएं किनारे की सहायक नदियाँ**: दुलंग नदी
- **जलग्रहण क्षेत्र**- 29196 वर्ग कि.मी.

XII. ब्राह्मणी और बैतरणी नदी

- **राज्य** - ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़
- **ब्राह्मणी**
  - **दक्षिण कोयल** के नाम से भी जाना जाता है
  - लंबे **सॉसेज आकार** का बेसिन
  - **उद्गम:** झारखंड के रांची जिले के नगरी गांव के पास।
  - **बाएँ किनारे की सहायक नदियाँ-** करो, और-शंख
  - **दाहिने किनारे की सहायक नदियाँ**- टिकरा।
- **बैतरनी नदी**
  - **उद्गम:** ओडिशा के केंदुझार जिले की पहाड़ी श्रृंखलाओं में डुमुरिया गांव के पास।
    - मोटे तौर पर गोलाकार आकार का बेसिन।
  - निचली पहुंच में **धामरा** के नाम से जाना जाता हैं
  - **जलग्रहण क्षेत्र** - 10,982 वर्ग किमी।
  - **बाएं किनारे की सहायक नदियाँ**- सालंदी और **मथाई** ।
  - दोनों नदियाँ **बंगाल की खाड़ी** में गिरने से पहले एक **साझा डेल्टा क्षेत्र** बनाती हैं।

XIII. साबरमती

- **राज्य** - राजस्थान और गुजरात।
- **सीमाएं:**
  - **उत्तर और उत्तर-पूर्व**: अरावली की पहाड़ियाँ
  - **पश्चिम**: कच्छ का रण
  - **दक्षिण**: खंभात की खाड़ी।
- **त्रिकोणीय बेसिन** (साबरमती नदी - वटरक नदी का आधार और स्रोत- शीर्ष बिंदु)।
- **उद्गम**: अरावली पहाड़ियाँ, उदयपुर, राजस्थान।
- **बाएँ किनारे की सहायक नदियाँ:** वाकल, हाथमती और वात्रक
- **दाहिने किनारे की सहायक नदियाँ**: सेई
- खंभात की खाड़ी से होती हुई अरब सागर में गिर जाती हैं।
- **परियोजनाएं:** साबरमती जलाशय (धरोई), हाथमती जलाशय और मेशवो जलाशय परियोजना।

XIV. माही

- **राज्य**: मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात
- **सीमाएं**:
  - **उत्तर**: अरावली की पहाड़ियाँ
  - **पूर्व:** मालवा का पठार
  - **दक्षिण**- विंध्य पर्वत
  - **पश्चिम**: खंभात की खाड़ी
- भारत की एक प्रमुख **अंतरराज्यीय** पश्चिम में बहने वाली नदियाँ।
- **उद्गम:** मध्य प्रदेश के धार जिले में सरदारपुर तहसील के ग्राम भोपावर के पास विंध्य के उत्तरी ढलान।
- **दाहिने किनारे की सहायक नदी**- सोम
- **बाएं किनारे की सहायक नदी**- अनास और मोरेन
- खंभात की खाड़ी के रास्ते **अरब सागर** में गिरती है।

XV. लूनी

- **पश्चिमी राजस्थान** में किसी भी महत्व का एकमात्र नदी बेसिन।
- **उद्गम**: अजमेर के पास अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी ढलान।
- **कच्छ के रण में गिरती** है।

- अधिकांश सहायक नदियाँ इसमें बाईं ओर मिलती हैं।
- **पश्चिमी राजस्थान** में किसी भी महत्व का एकमात्र नदी बेसिन।
- **उद्गम**: अजमेर के पास अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी ढलान।
- **कच्छ के रण में गिरती** है।
- अधिकांश सहायक नदियाँ इसमें बाईं ओर मिलती हैं।
- **जलग्रहण क्षेत्र**- राजस्थान।
- **बाएँ किनारे की सहायक नदियाँ**: लीलडी , गुहिया, बांडी (हेमावास), सुकडी (हेमावास), सुकरी, मिठडी, जवाई, खारी बानी सुकरी बंदी और सागी |
- **दाहिने किनारे की सहायक नदी:** जोजडी (मिथरी)।
- **जल निकासी क्षेत्र**: 32879 वर्ग किमी।
- **राज्य:** राजस्थान और गुजरात

XVI. घग्घर

- **भारत और पाकिस्तान के बीच** एक मौसमी नदी- **केवल मानसून के दौरान** बहती है।
- घग्गर के बहाव क्षेत्र को **पकिस्तान** में **हकरा** के नाम से जाना जाता हैं |
- **उद्गम स्थल**: हिमाचल प्रदेश में शिवालिक श्रेणी की कालका पहाड़ियाँ
- **लंबाई:** 465 किमी
- **गिरती है :** पाकिस्तान के बहावलपुर जिले में रेत के टीलो में
- **राज्य**: हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान
- **सहायक नदियाँ**: कौशल्या नदी, मर्कान्दा , सरसुती, डंगरी और चौतांग।

हिमालय और भारत की प्रायद्वीपीय नदी के बीच में तुलना

विशेषताएं	हिमालयी नदियाँ	प्रायद्वीपीय नदियाँ
उत्पत्ति का स्थान	**हिमालय पर्वत** (ग्लेशियर से आच्छादित)।	**प्रीकैम्ब्रियन प्रायद्वीपीय पठार** और केंद्रीय उच्चभूमि
प्रवाह की प्रकृति	**बारहमासी**; हिमनदों और वर्षा से पानी।	**मौसमी**; मानसूनी वर्षा पर निर्भर
जलनिकासी प्रणाली	**पूर्ववर्ती** (हिमालय से भी पुराना)। **जैसे**- सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि। **गैर-पूर्ववर्ती** (हिमालय से छोटा) **उदाहरण** के लिए- गंगा, यमुना, झेलम आदि।	प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ कायाकल्प के परिणामस्वरूप **जाल, रेडियल**(अर्धव्यास के समान) और **आयताकार प्रणाली** में **विभाजित** हैं।
नदी की प्रकृति	**लंबे मार्ग**, ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों से बहते हुए, सिर की ओर कटाव और नदी पर कब्जा करने का अनुभव; मैदानी इलाकों में, भटकना और रास्ता बदलना।	अच्छी तरह से **समायोजित घाटियों के साथ छोटा, निश्चित**
जलग्रहण क्षेत्र	**बड़ा**	**छोटा**
नदी की आयु	**युवा** - सक्रिय और गहरी घाटियाँ में	**पुरानी** नदियाँ; लगभग अपने आधार स्तर पर पहुंच गया है।

झीलें

- **बड़े आकार** का **जल निकाय**, एक बेसिन में **स्थानीयकृत।**
- **समुद्र** का **हिस्सा नहीं** है, और इसलिए लैगून से अलग हैं,
- **तालाबों से** भी बड़ी और **गहरी।**
- **प्राकृतिक झीलें**- पर्वतीय क्षेत्रों, भ्रंश क्षेत्रों और जारी हिमाच्छादन वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं।
- नदी या नाले के रूप में कम से कम एक **प्राकृतिक बहिर्वाह**, जो अतिरिक्त पानी की निकासी द्वारा झील के औसत स्तर को बनाए रखता है।

झीलों का वर्गीकरण

1. **अंतर्वाह-बहिर्वाह के आधार पर**
   - **अस्थायी झीलें**
   - **स्थायी झीलें:**
   - **मीठे पानी की झीलें**:
   - **लवणीय झीलें:**
2. **उत्पत्ति या निर्माण के तरीके के आधार पर**
   - **पृथ्वी हलचल द्वारा**

i. **विवर्तनिक झीलें**
ii. **भ्रंश घाटी झीलें**

- **हिमाच्छादन द्वारा**
  i. **सर्क झीलें या टार्न:**
  ii. **रॉक खोखली झीलें**
  iii. **घाटियों के मौरैनिक बांध के कारण बनी झीलें:**
  iv. **केतली झीलें:**
  v. **हिमनदों के बहाव के जमाव के कारण झीलें:**
- **ज्वालामुखीय गतिविधि द्वारा**
  i. **क्रेटर और काल्डेरा झीलें:**
  ii. **लावा-अवरुद्ध झीलें:**
  iii. **ज्वालामुखीय भूमि की सतह के निर्वहन के कारण झीलें:**
- **अपरदन द्वारा**
  i. **कार्स्ट झीलें:**
  ii. **पवन-विक्षेपित झीलें:**
- **निक्षेपण द्वारा निर्माण:**
  i. **नदी के जमाव के कारण निर्मित झीलें:**
  ii. **समुद्री निक्षेपों के कारण झीलें:**
  iii. **पानी के रुकने के कारण निर्मित झीलें:**
- **मानव निर्मित झीलें:**
  i. **कृत्रिम झीलें**
- **उल्का पिंड के टकराने से बनी झीलें:**
  i. इसका निर्माण तब होता है जब कोई **उल्का या क्षुद्रग्रह पृथ्वी की सतह से टकराता** है और एक **गड्ढे** का **निर्माण** करता है।
  ii. इसमें **वर्षा** का **पानी जमा** हो सकता है।
  iii. **उदा**. लोनार झील

3. जमाव स्तरों के आधार पर

Trophic Index (TI)	Chlorophyll (Chl)	Phosphorous (P)	Secci Disc (SD)	Trophic Class
<30 – 40	0 – 2.6	0-12	>8-4	Oligotrophic
40 – 50	2.6 – 20	12 – 24	4 – 2	Mesotrophic
50 – 70	20 – 56	24 – 96	2 – 0.5	Eutrophic
70 – 100 +	56 – 155 +	96 – 384 +	0.5 - <0.25	Hypereutrophic

भारत की महत्वपूर्ण झीलें

झील	राज्य	प्रकार	विशेषताएँ
कोल्लेरू झील	आंध्र प्रदेश	मीठे पानी में भारत की सबसे बड़ी झील।	• **कृष्णा** और **गोदावरी डेल्टा** के बीच स्थित है। • 2002 में अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि - रामसर साइट का भाग हैं|
सांभर झील	राजस्थान	खारेपानी की झील	• भारत की **सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय** झील। • **रामसर** आर्द्रभूमि • **महाभारत** में सांभर झील का उल्लेख राक्षस राजा बृषपर्व के राज्य के हिस्से के रूप में किया गया है।
पुष्कर झील	राजस्थान	मीठे पानी में	• राजस्थान के **अजमेर** जिले के **पुष्कर** में। • हिंदुओं की एक **पवित्र** झील। • नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के त्योहार के दौरान हजारों तीर्थयात्री झील के पानी में स्नान करने आते हैं।
लोनार झील	महाराष्ट्र	लवणीय	• 50,000 साल पहले एक **उल्कापिंड** के पृथ्वी से **टकराने के बाद** बना था • हाल ही में इसका **रंग** रातों-रात **गुलाबी** हो गया। कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि गुलाबी रंग **शैवाल की उपस्थिति** और **पानी** के **निम्न स्तर** के कारण हो सकता है
पुलिकट झील	आंध्र प्रदेश	लवणीय	• **दूसरी सबसे बड़ी लवणीय** झील। • **श्रीहरिकोटा का परीध द्वीप** झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है।
लोकटक झील	मणिपुर	मीठे पानी	• उत्तर-पूर्वी भारत मे **केइबुल लामजाओ** - दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान इसके ऊपर तैरता है • **भौंह-मृग हिरण - लुप्तप्राय संगाई** का अंतिम प्राकृतिक आश्रय।
सस्थमकोट्टा झील	केरल	मीठे पानी	• पीने के उपयोग के लिए **झील के पानी की शुद्धता** को **कैवाबोरस** नामक **लार्वा** की एक बड़ी आबादी की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है जो झील के पानी में बैक्टीरिया का सेवन करता है।
वेम्बनाड झील	केरल	मीठे पानी और लवणीय प्रकार की हैं।	• भारत की **सबसे लंबी झील केरल** राज्य की सबसे बड़ी झील। • **नेहरू ट्रॉफी बोट रेस** झील के एक हिस्से में आयोजित की जाती है

चिल्का झील	ओडिशा	लवणीय	• भारत में **सबसे बड़ा तटीय लैगून** • दुनिया का **दूसरा सबसे बड़ा लैगून।** भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियों के लिए **सबसे बड़ा शीतकालीन मैदान।** • खारे पानी की **तटीय झील।**
डल झील	जम्मू कश्मीर	लवणीय	• इसको **"कश्मीर के ताज"** या **"श्रीनगर का गहना"** भी कहा जाता हैं । एशिया का सबसे बड़ा **ट्यूलिप गार्डन** डल झील के किनारे है। • मुगल उद्यान, शालीमार बाग और निशात बाग इसके किनारे पर हैं।
नलसरोवर झील	गुजरात	मीठे पानी	• **1969** में एक **पक्षी अभयारण्य** घोषित किया गया।
सोंगमो झील	सिक्किम	मीठे पानी	• **चांगू झील** • **पूर्वी सिक्किम** में एक हिमनद झील। • **गुरु पूर्णिमा उत्सव** का स्थान ।
भीमताल झील	उत्तराखंड	मीठे पानी	• **कुमाऊं** क्षेत्र की **सबसे बड़ी** झील। • "**सी**" के **आकार** का।
बारापानी झील	मेघालय	मीठे पानी	• **उमियम झील।** • भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में **उमियाम-उमट्रू हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट**-पहली हाइडल पावर प्रोजेक्ट - **1965** में गठित।
नैनी झील	उत्तराखंड	मीठे पानी	• गुर्दे के आकार का या **अर्धचंद्राकार।** • **नैनीताल** में स्थित
पेरियार झील	केरल	मीठे पानी	• **1895** में **मुल्लापेरियार नदी** पर बांध के निर्माण द्वारा निर्मित • इसके किनारे पर एक **हाथी अभ्यारण्य और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य।**
हुसैन सागर झील	तेलंगाना	मीठे पानी	• **1562** में इब्राहीम कुली कुतुब शाह के शासन के दौरान हजरत हुसैन शाह वली द्वारा निर्मित। • **हैदराबाद** और **सिकंदराबाद** को जोड़ता है।
सलीम अली झील	महाराष्ट्र	मीठे पानी	• **महान पक्षी** विज्ञानी, **प्रकृतिवादी सलीम अली** (भारत के पक्षी विज्ञानी) के नाम पर रखा गया।
कावर झील	बिहार	मीठे पानी	• एशिया की **सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील।**
नक्की झील	राजस्थान	मीठे पानी	• **अरावली श्रेणी** में **माउंट आबू** में। • इसमें **महात्मा गांधी की अस्थियों को विसर्जित** किया गया और **गांधी घाट का निर्माण** किया गया।
भोजताल झील	मध्य प्रदेश	मीठे पानी	• **अपर लेक** • भोपाल के **पश्चिमी किनारे** पर **स्थित** है। • **एशिया** की **सबसे बड़ी कृत्रिम झील।**
वुलर झील	जम्मू कश्मीर	मीठे पानी	• भारत में **मीठे पानी की सबसे बड़ी झील।** • **विवर्तनिक गतिविधि** के **परिणामस्वरूप** निर्मित और **झेलम नदी द्वारा** पोषित है।
अष्टमुडी झील	केरल	मीठे पानी	• **केरल** के **कोल्लम** जिले में एक लैगून। • **रामसर कन्वेंशन**/अधिनियम के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व **की आर्द्रभूमि।**

भारत में प्रमुख झरने

सहस्त्रधारा जलप्रपात	• **देहरादून** के पास, • **चूना पत्थर** की **चट्टानों** के **द्रवीकरण** द्वारा निर्मित
एलीफेंटा जलप्रपात	• **शिलांग** (मेघालय) • **हाथी का चेहरा** लगता है; इसलिए अंग्रेजों द्वारा एलीफेंटा जलप्रपात का नाम दिया गया
चुलिया जलप्रपात	• **कोटा** • **चंबल** नदी पर
धुंधारजलप्रपात	• **नर्मदा** नदी पर **जबलपुर** (मध्य प्रदेश) में • **पुनर्जीवन** का प्रतिनिधित्व करता है
रजरप्पा जलप्रपात	• रामगढ़ (**झारखंड**) में • **दामोदर** और **भैरवी** नदियों के **संगम** पर
हुंडू जलप्रपात(हुंडरू)	• रांची (**झारखंड**) में **सुवर्णरेखा** नदी पर • **निक बिंदु** और **पुनर्जीवन** का प्रतिनिधित्व करता है
जोरांडा जलप्रपात	• **ओडिशा** के मयूरभंज जिले के **सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान** में
दुदुमा जलप्रपात	• मच्छकुंड नदी पर, कोरापुट जिला (**ओडिशा**) के पास • **मत्स्य तीर्थ** के नाम से भी जाना जाता है

कपिलधारा जलप्रपात	• **मध्य प्रदेश** के **अमरकंटक** जिले में • **नर्मदा कुंड** से 6 किमी • प्रसिद्ध **ऋषि कपिल** ('सांख्य दर्शन') के नाम पर रखा गया
येन्ना जलप्रपात	• **महाराष्ट्र** में **महाबलेश्वर**
दूधसागर जलप्रपात	• **गोवा** में **मांडवी** नदी पर
गोकाक जलप्रपात	• **घोड़े की नाल** के आकार का झरना • **कर्नाटक** के **बेलगाम** जिले में गोकाकी नदी पर
मेकेदातु जलप्रपात	• **बैंगलोर** (कर्नाटक) में **कावेरी** नदी पर
जोग जलप्रपात(गेरसप्पा)	• **महाराष्ट्र** में **शरवती** नदी पर • **कर्नाटक** सीमा पर (भारत में सबसे ऊँचा)
शिवनसमुद्रम् जलप्रपात	• **बैंगलोर** में **कावेरी** नदी पर
होगेनक्कल जलप्रपात	• **तमिलनाडु** में **कावेरी** नदी पर
पाइकारा जलप्रपात	• ऊटी में **नीलगिरि** पहाड़ियों पर **पाइकारा नदी** पर
वट्टापराई जलप्रपात	• पलानी राष्ट्रीय उद्यान कन्याकुमारी (**तमिलनाडु**) में **पाझयार नदी** पर
सोचीपारा जलप्रपात/सोउचीपारा	• **केरल** के **वायनाड** जिले में एक 3 स्तरीय झरना
मीनमुट्टी जलप्रपात	• मलयालम में शाब्दिक अर्थ है "जहां मछलियां अवरुद्ध हैं" • **केरल** में स्थित है
वझाचल जलप्रपात/वज़हचल	• **केरल** में **चालकुडी** नदी पर स्थित है

Toppersnotes
Unleash the topper in you

भारत के प्रमुख बांध

भारत के प्रमुख बांध			
क्र. सं.	**बांध परियोजना**	**नदी का नाम**	**राज्य का नाम**
1.	टिहरी बांध	भागीरथी नदी	उत्तराखंड
2.	हीराकुंड बांध	महानदी	उड़ीसा
3.	सरदार सरोवर बांध	नर्मदा नदी	गुजरात
4.	फरक्का बांध परियोजना	हुगली नदी	पश्चिम बंगाल
5.	उरी बांध	झेलम नदी	जम्मू कश्मीर
6.	दुलहस्ते बांध	चिनाब नदी	जम्मू कश्मीर
7.	सलाल बांध परियोजना	चिनाब नदी	जम्मू कश्मीर
8.	बगलिहार बांध	चिनाब नदी	जम्मू कश्मीर
9.	रणजीत सागर बांध (थीन बांध)	रावी नदी	जम्मू-कश्मीर और पंजाब
10.	भाखड़ा नांगल बांध	सतलज नदी	हिमाचल प्रदेश और पंजाब
11.	पोंग बांध	व्यास नदी	हिमाचल प्रदेश
12.	नाथपा झाकड़ी बांध	सतलज नदी	हिमाचल प्रदेश
13.	धौलीगंगा बांध	धौली गंगा नदी	उत्तराखंड
14.	रिहंद बांध	रिहंद नदी	उत्तर प्रदेश
15.	रानी लक्ष्मीबाई (राजघाट बांध)	बेतवा नदी	उत्तर प्रदेश
16.	माताटीला बांध	बेतवा नदी	उत्तर प्रदेश
17.	मैथन बांध	बराकर नदी	झारखंड
18.	तिलैया बांध	बराकर नदी	झारखंड
19.	पंचेत बांध	दामोदर नदी	झारखंड
20.	मयूराक्षी बांध परियोजना	मयूराक्षी नदी	पश्चिम बंगाल
21.	बीसलपुर बांध	बनास नदी	राजस्थान
22.	माही बजाज सागर	माही नदी	राजस्थान
23.	राणा प्रताप सागर बांध	चंबल नदी	राजस्थान
24.	जवाहर सागर बांध	चंबल नदी	राजस्थान
25.	गांधी सागर बांध	चंबल नदी	मध्य प्रदेश
26.	इंदिरा सागर बांध	नर्मदा नदी	मध्य प्रदेश
27.	ओंकारेश्वर बांध परियोजना	नर्मदा नदी	मध्य प्रदेश
28.	उकाई बांध	तापी नदी	गुजरात
29.	काकरापार बांध	तापी नदी	गुजरात
30.	कोयना बांध	कोएना नदी	महाराष्ट्र
31.	उजनी बांध	भीमा नदी	महाराष्ट्र
32.	जायकवाडी बांध	गोदावरी नदी	महाराष्ट्र
33.	कृष्णा राजा सागर बांध	कावेरी नदी	कर्नाटक
34.	शिवसमुद्रम बांध परियोजना	कावेरी नदी	कर्नाटक
35.	अलमाटी बांध	कृष्णा नदी	कर्नाटक
36.	तुंगभद्रा बांध	तुंगभद्रा नदी	कर्नाटक

37.	नागार्जुन सागर बांध	कृष्णा नदी	तेलंगाना
38.	पोचमपाद बांध (श्रीराम सागर प्रोजेक्ट)	गोदावरी नदी	तेलंगाना
39.	श्रीशैलम बांध	कृष्णा नदी	आंध्र प्रदेश
40.	सोमासिला बांध	पेन्नार नदी	आंध्र प्रदेश
41.	इडुक्की बांध	पेरियार नदी	केरल
42.	मुल्लापेरियार बांध	पेरियार नदी	केरल
43.	बनसुरा सागर बांध	काबिनी नदी	केरल
44.	मेट्टूर बांध	कावेरी नदी	तमिलनाडु
45.	कल्लनाई बांध	कावेरी नदी	तमिलनाडु

Toppersnotes
Unleash the topper in you

वन्य जीव जंतु एवं अभ्यारण

जैव विविधता

"जैविक विविधता का अर्थ सभी स्रोतों से जीवित जीवों के बीच परिवर्तनशीलता है, जिसमें अन्य बातों के साथ, स्थलीय, समुद्री और अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्र और पारिस्थितिक परिसरों का हिस्सा शामिल हैं; इसमें प्रजातियों के भीतर, प्रजातियों के बीच और पारिस्थितिक तंत्र की विविधता शामिल है।" --- जैव विविधता का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीबीडी)

संरक्षण की आवश्यकता

- खाद्य शृंखलाओं की निरंतरता को बनाए रखने के लिए।
- पृथ्वी पर जीवन रक्षक प्रणालियों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करना है।
- वैज्ञानिक समुदाय के लिए संभावित उपयोग करने के लिए।
- जंगली जानवरों और पौधों का एक भंडार संरक्षित किया जाता है, इस प्रकार उन्हें आसपास के क्षेत्रों में, यदि आवश्यक हो, पेश किया जा सकता है।
- समाज को तत्काल लाभ देने के लिए जैसे मनोरंजन और पर्यटन।
- भविष्य के लिए बीमा पॉलिसी के रूप में कार्य करता है।
- आनुवांशिक विविधता के नुकसान को रोकना।
- प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाना।
- पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति और क्षरण से बचाना।

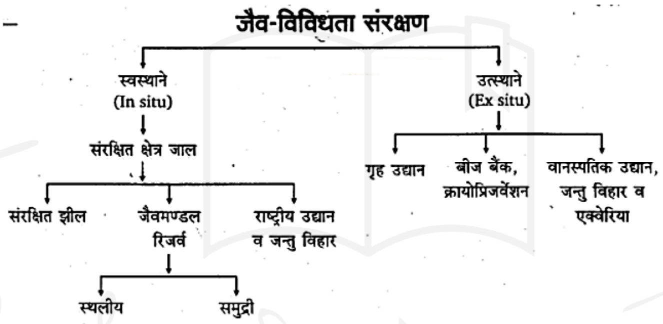

संरक्षण के लिए भारत में स्थापित प्रमुख 3 सुरक्षित/आरक्षित छेत्र

- **जीवमंडल रिज़र्व (बायोस्फीयर रिजर्व)**

- राज्य या केंद्र सरकारों द्वारा अधिसूचित।
- बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में स्थापित होने के बाद सरकार उन्हें यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर (MAB) कार्यक्रम के तहत शामिल कर सकती है।
- जीवमंडल रिजर्व के क्षेत्र:
    - कोर क्षेत्र:
        - दृढ़ता से संरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है जो की परिदृश्य, पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियों और आनुवांशिक भिन्नता के संरक्षण में योगदान देता है।
    - बफर जोन:
        - मुख्य क्षेत्रों के आसपास का क्षेत्र/कोर क्षेत्र व संक्रमण क्षेत्र के मध्य का क्षेत्र।
        - पारिस्थितिक व्यवहार/आचरण के अनुकूल गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है जो की वैज्ञानिक अनुसंधान, निगरानी, प्रशिक्षण और शिक्षा को सुदृढ़ कर सकते हैं।
    - संक्रमण क्षेत्र:
        - रिजर्व का वह हिस्सा जहां अधिकतम गतिविधि की अनुमति है।
        - आर्थिक और मानव विकास को बढ़ावा देना जो सामाजिक-सांस्कृतिक और पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ हो।

नाम		राज्य	अद्वितीय वनस्पति जीव
बायोस्फीयर रिजर्व जो MAB कार्यक्रम का हिस्सा हैं			
1	**नीलगिरि** A. भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व। B. MAB सूची: 2000	तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक	वांडा, लैप्रिस, मेडुसा का हेड ऑर्किड, चितौ विंड ऑर्किड, नीलगिरि तहर, लायन-टेल्ड मैकाक (लुप्तप्राय), नीलगिरि लंगूर
2	**मन्नार की खाड़ी** ● MAB सूची: 2001	तमिलनाडु	मॉर्निंग ग्लोरी, हेलोफिला ग्रास डुगोंग (समुद्री गाय)
3	**सुंदरवन** ● MAB सूची: 2001 ● सबसे बड़ा सतत मैंग्रोव क्षेत्र। ● UNESCO विश्व धरोहर स्थल ● रामसर साइट।	पश्चिम बंगाल	राइजोफोरा, सुंदरी, न्यापा, सैंडी मैंग्रोव, टैगल मैंग्रोव, केवड़ा, आगर बंगाल टाइगर, बंगाल मॉनिटर छिपकली ● अकेला मैंग्रोव जिसमें शेर पाए जाते है।
4	**नंदा देवी** ● MAB सूची: 2004 ● UNESCO विश्व धरोहर स्थल।	उत्तराखंड	सिल्वर वीड, फेयरी प्रिमरोज़, सेलप आर्किड हिमालयन तहर, ब्राउन बियर
5	**नोकरेक** ● MAB सूची: 2009 ● रॉयल मानस राष्ट्रीय उद्यान, भूटान को जोड़ता है	मेघालय	ग्रैंड रसमाला, बालों वाली स्टरकुलिया, जंगली नींबू, चंपाका, सफेद मेरांती सुअर की पूंछ वाली मकाक, स्टंप पूंछ वाली मकाक, विशालकाय उड़ने वाली गिलहरी
6	**पचमढ़ी** ● MAB सूची: 2009	मध्य प्रदेश	साल का पेड़, पॉलीमोर्फा बांस, सेलाजिनेला फर्न जंगली भैंस, बारासिंघा, लाल जंगल मुर्गी
7	**सिमलीपाल** ● MAB सूची: 2009 ● एरेंगा खरियास और मनकीर्डिया जनजातियाँ	उड़ीसा	कोइक्स घास, साल का पेड़, म्यरोबालन सिस्सू, चंपक रेड ब्रेस्टेड फाल्कोनेट, रूडी नेवला
8	**अचानकमार- अमरकंटक** ● MAB सूची: 2012	मध्य प्रदेश छत्तीसगढ	फोरहॉर्न एंटेलोप, सारस क्रेन, सेक्रेड ग्रोव बुश मेंढक, सफेद पीठ वाला गिद्ध
9	**ग्रेट निकोबार** ● MAB सूची: 2013	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	स्क्रू पाइन, निपा पाम, सीलोन आयरनवुड सर्पेंट ईगल, मकाक खाने वाला केकड़ा, खारे पानी का मगरमच्छ
10	**अगस्त्यमलाई** 1. MAB सूची: 2016 2. कनिकारन जनजाति द्वारा बसाया गया 3. शोला के जंगलों से बना	केरल और तमिलनाडु	रुद्राक्ष का पेड़, गौब का पेड़, जंगली धमन, काला बेर शेर की पूंछ वाला मकाक (संकटग्रस्त), पतला लोरिस, ग्रेट पाइड हॉर्नबिल
11	**कंचन्ज़ोंगा** ● MAB सूची: 2018 ● UNESCO विश्व धरोहर स्थल- भारत का पहला 'मिश्रित विश्व धरोहर स्थल'। ● लेप्चा जनजाति यहाँ पाई जाती है।	सिक्किम	हिम तेंदुआ (लुप्तप्राय), लाल पांडा
भारत के घरेलू बायोस्फीयर रिजर्व			
12	**कच्छ का रण** ● लूनी, रूपेन और बनास नदी यहीं समाप्त होती है ● नृत्य प्रकाश घटना, चीर बत्ती ● बन्नी घास के मैदान को चीते का पुनरुत्पादन मैदान माना जाता है।	गुजरात	भारतीय जंगली गधा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेटर फ्लोरिकन, लेसर फ्लोरिकन
13	**शीत मरुस्थल**	हिमाचल प्रदेश	**हिम तेंदुआ (संकटग्रस्त)**
14	**दिहांग- दिबांग**	अरुणाचल प्रदेश	रेड पांडा, टैकिन, ग्रीन पिट वाइपर ट्री फ़र्न, बेगोनिया
15	**शेषचलम हिल्स**	आंध्र प्रदेश	थिन लोरिस रेड सैंडर्स

16	**मानस**	असम	पिग्मी हॉग (गंभीर रूप से लुप्तप्राय), हिस्पिड खरगोश (लुप्तप्राय), गोल्डन लंगूर (लुप्तप्राय), सफेद सिरिस
17	**डिब्रू-सैखोवा** ● ब्रह्मपुत्र और लोहित नदियाँ इससे होकर गुजरती हैं ● मागुरी मोटापुंग आर्द्रभूमि	असम	**राउवोल्फिया, बेंटेक, लिविस्टोना आर्किड गोल्डन लंगूर (लुप्तप्राय), हूलॉक गिब्बन (लुप्तप्राय)**
18	**पन्ना** ● केन नदी इससे होकर बहती है। ● पन्ना हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध	मध्य प्रदेश	बाघ (लुप्तप्राय), चिंकारा, चीतल, सांभर, सुस्त भालू

राष्ट्रीय उद्यान

- प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्र होता है।
- वन्यजीव अभयारण्य की तुलना में अधिक प्रतिबंध होते हैं।
- सीमाएं निश्चित और स्पष्ट हैं।
- उद्देश्य - क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और जैव विविधता संरक्षण करना।
- किसी भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती है।
- पशुओं को चराने और निजी भू-अधिकार की अनुमति नहीं होती है।
- वन्यजीव अधिनियम की अनुसूचियों में उल्लिखित प्रजातियों का शिकार या अधिकृत/पकड़ने करने की अनुमति नहीं होती है।
- अभयारण्य' की स्थिति में अवनति नहीं किया जा सकता है।
- केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों के द्वारा घोषित किया जा सकता है।
- राज्य विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के अलावा सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

भारत में राष्ट्रीय उद्यान

- कुल संख्या- 106
- कुल क्षेत्रफल – 44372 वर्ग किमी. (भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का ~1.35%)
- अधिकतम राष्ट्रीय उद्यान वाले राज्य- एमपी (11 राष्ट्रीय उद्यान)
- पहला राष्ट्रीय उद्यान - जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड
- सबसे बड़ा - हेमिस राष्ट्रीय उद्यान (लद्दाख)
- सबसे छोटा - साउथ बटन नेशनल पार्क (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)

स.न.	राष्ट्रीय उद्यान(National Park)	राज्य	स्थापना	एरिया (km2)
1	पपीकोंडा नेशनल पार्क	आंध्र प्रदेश	2008	1012.86
2	राजीव गाँधी नेशनल पार्क	आंध्र प्रदेश	2005	2.4
3	श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क	आंध्र प्रदेश	1989	353.62
4	कासू ब्रह्मनन्दा रेड्डी नेशनल पार्क	तेलंगाना	1994	1.43
5	महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क	तेलंगाना	1994	14.59
6	मृगवाणी नेशनल पार्क	तेलंगाना	1994	3.6
7	नामडफा नेशनल पार्क	अरुणांचल प्रदेश	1983	1807.82
8	मुलिंग नेशनल पार्क	अरुणांचल प्रदेश	1986	483
9	डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क	असम	1999	340
10	काजीरंगा नेशनल पार्क	असम	1974	858.98
11	मानस नेशनल पार्क	असम	1990	500
12	नेमरी नेशनल पार्क	असम	1998	200
13	ओरंग नेशनल पार्क	असम	1999	78.81
14	देहिंग पटकाई नेशनल पार्क	असम	2021	111.19
15	रायमोना नेशनल पार्क	असम	2021	422
16	वाल्मीकि नेशनल पार्क	बिहार	1989	335.65

17	इंद्रावती नेशनल पार्क	छत्तीसगढ़	1982	1258.37
18	कांगर घाटी नेशनल पार्क	छत्तीसगढ़	1982	200
19	गुरु घासीदास नेशनल पार्क	छत्तीसगढ़	1981	1,440.71
20	भगवन महावीर (मोल्लम) नेशनल पार्क	गोवा	1992	107
21	काला हिरण नेशनल पार्क	गुजरात	1976	34.53
22	गिर फ़ॉरेस्ट पार्क	गुजरात	1975	258.71
23	मरीन नेशनल पार्क, कच्छ की खाड़ी	गुजरात	1982	162.89
24	वंसड़ा नेशनल पार्क	गुजरात	1979	23.99
25	कलेसर नेशनल पार्क	हरयाणा	2003	46.82
26	सुल्तानपुर नेशनल पार्क	हरयाणा	1989	1.43
27	पिन वैली नेशनल पार्क	हिमांचल प्रदेश	1987	675
28	ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क	हिमांचल प्रदेश	1984	754.4
29	इंद्रकिला नेशनल पार्क	हिमांचल प्रदेश	2010	104
30	खीरगंगा नेशनल पार्क	हिमांचल प्रदेश	2010	710
31	सिंबलबारा नेशनल पार्क	हिमांचल प्रदेश	2010	27.88
32	दचीगम नेशनल पार्क	जम्मू और कश्मीर	1981	141
33	हीमिस नेशनल पार्क	जम्मू और कश्मीर	1981	3350
34	किश्तवर नेशनल पार्क	जम्मू और कश्मीर	1981	425
35	सलीम अली नेशनल पार्	जम्मू और कश्मीर	1992	9
36	बेटला नेशनल पार्क	झारखण्ड	1986	226.33
37	बंदीपुर नेशनल पार्क	कर्नाटक	1974	874.2
38	बनारघटा नेशनल पार्क	कर्नाटक	1974	260.51
39	कूदरेमुख नेशनल पार्क	कर्नाटक	1987	600.32
40	नगरहॉल (राजीव गाँधी)नेशनल पार्क	कर्नाटक	1988	643.39
41	अंशी नेशनल पार्क	कर्नाटक	1987	417.37
42	एरावीकुलम नेशनल पार्क	केरला	1978	97
43	मथीकेटन नेशनल पार्क	केरला	2003	12.82
44	पेरियार नेशनल पार्क	केरला	1982	350
45	साइलेंट वैली नेशनल पार्क	केरला	1984	89.52
46	अनामूडी शोला नेशनल पार्क	केरला	2003	7.5
47	पम्बादुम शोला नेशनल पार्क	केरला	2003	1.32
48	बांधवगढ़ नेशनल पार्क	मध्य प्रदेश	1968	448.85
49	कान्हा नेशनल पार्क	मध्य प्रदेश	1955	940
50	माधव नेशनल पार्क	मध्य प्रदेश	1959	375.22
51	मंडल पौधा गृह, नेशनल पार्क	मध्य प्रदेश	1983	0.27
52	पन्ना नेशनल पार्क	मध्य प्रदेश	1981	542.67
53	पेंच (प्रियदर्शिनी) नेशनल पार्क	मध्य प्रदेश	1975	292.85
54	संजय नेशनल पार्क	मध्य प्रदेश	1981	466.88

55	सतपुड़ा नेशनल पार्क	मध्य प्रदेश	1981	585.17
56	वन विहार नेशनल पार्क	मध्य प्रदेश	1979	4.45
57	दिनासौर नेशनल पार्क	मध्य प्रदेश	2010	0.8974
58	चंदोलि नेशनल पार्क	महाराष्ट्र	2004	317.67
59	गुगामल नेशनल पार्क	महाराष्ट्र	1987	361.28
60	नवेगांव नेशनल पार्क	महाराष्ट्र	1975	133.88
61	संजय गांधी नेशनल पार्क	महाराष्ट्र	1983	86.96
62	ताडोबा नेशनल पार्क	महाराष्ट्र	1955	116.55
63	पेंच नेशनल पार्क	महाराष्ट्र	1975	257.26
64	केबुल लामज्व नेशनल पार्क	मणिपुर	1977	40
65	बल्फ़ाक्रम नेशनल पार्क	मेघालय	1985	220
66	नोकरेक नेशनल पार्क	मेघालय	1986	47.48
67	मूरलेन नेशनल पार्क	मिजोरम	1991	100
68	फांगफ़ुई नेशनल पार्क	मिजोरम	1992	50
69	टैंजकी नेशनल पार्क	नागालैंड	1993	202.02
70	भीतरकनिका नेशनल पार्क	ओडिशा	1988	145
71	सिमली पाल नेशनल पार्क	ओडिशा	1980	845.7
72	सरिस्का टाइगर रिजर्व	राजस्थान	1982	273.8
73	रणथम्बौर नेशनल पार्क	राजस्थान	1980	282
74	मुकुन्दरा हिल्स नेशनल पार्क	राजस्थान	2006	200.54
75	थार नेशनल पार्क	राजस्थान	1992	3162
76	केओलादेव नेशनल पार्क	राजस्थान	1981	28.73
77	कंचनजंगा नेशनल पार्क	सिक्किम	1977	1784
78	मुदुमलाई नेशनल पार्	तमिलनाडू	1990	103.24
79	मुकुरथी नेशनल पार्क	तमिलनाडू	1990	78.46
80	इंदिरा गांधी वन्यजीव संरक्षण एवं नेशनल पार्क	तमिलनाडू	1989	117.1
81	ग्यूंडी नेशनल पार्क	तमिलनाडू	1976	2.82
82	मन्नार की खाड़ी, मरीन नेशनल पार्क	तमिलनाडू	1980	6.23
83	बिशन नेशनल पार्क	त्रिपुरा	2007	31.63
84	क्लाऊडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क	त्रिपुरा	2007	5.08
85	दुधवा नेशनल पार्क	उत्तर प्रदेश	1977	490
86	गंगोत्री नेशनल पार्क	उत्तराखंड	1989	2390.02
87	गोविंद पशु विहार	उत्तराखंड	1990	472.08
88	जिम कार्बेट नेशनल पार्क	उत्तराखंड	1936	520.82
89	नंदा देवी नेशनल पार्क	उत्तराखंड	1982	624.6
90	राजाजी नेशनल पार्क	उत्तराखंड	1983	820.42
91	वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क	उत्तराखंड	1982	87.5

92	गोरूमरा नेशनल पार्क	पश्चिम बंगाल	1992	79.45
93	बक्सा टाइगर रिजर्व	पश्चिम बंगाल	1992	117.1
94	नियोरा वैली नेशनल पार्क	पश्चिम बंगाल	1986	159.89
95	सिंगलीला नेशनल पार्क	पश्चिम बंगाल	1986	78.6
96	जल्दापरा नेशनल पार्क	पश्चिम बंगाल	2014	216.51
97	सुंदरबन नेशनल पार्क	पश्चिम बंगाल	1984	1330.1
98	महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क	अंदमान और निकोबार	1983	281.5
99	मिडल बटन आईलैंड नेशनल पार्क	अंदमान और निकोबार	1987	0.44
100	माउंट हैरियट नेशनल पार्क	अंदमान और निकोबार	1987	46.62
101	नॉर्थ बटन आईलैंड नेशनल पार्क	अंदमान और निकोबार	1987	0.44
102	रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क	अंदमान और निकोबार	1996	256.14
103	सैडल पीक नेशनल पार्क	अंदमान और निकोबार	1987	32.54
104	साउथ बटन आईलैंड नेशनल पार्क	अंदमान और निकोबार	1987	0.03
105	कैंपबेल बेय नेशनल पार्क	अंदमान और निकोबार	1992	426.23
106	गलातया नेशनल पार्क	अंदमान और निकोबार	1992	110

वन्यजीव अभयारण्य

- राज्य सरकार द्वारा किसी भी क्षेत्र को अभयारण्य के रूप में गठित करने के लिए अधिसूचित किया जाता है। यदि ऐसा क्षेत्र पर्याप्त पारिस्थितिक, जीव, पुष्प, भू-आकृति विज्ञान, प्राकृतिक या प्राणी महत्व का है।
- वन्य जीवन या उसके पर्यावरण की रक्षा, प्रचार या विकास के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है।
- अभयारण्य के अंदर कुछ प्रतिबंधित मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है।
- शिकार या शिकार प्रतियोगिता से सुरक्षित होते है।
- उनके प्राकृतिक आवास में विलुप्त होने से सुरक्षित।
- अंदर रहने वाले लोगों के कुछ अधिकारों की अनुमति दी जा सकती है लेकिन उन्हें सख्ताई/कठोरता से विनियमित भी किया जा सकता है।
- बस्तियों को बसाने की अनुमति नहीं होती है (कुछ अपवाद: आदिवासी बस्तियां मौजूद हो सकती हैं)।
- अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में पदोन्नत किया जा सकता है लेकिन इसके विपरीत नहीं।
- भारत में 565 मौजूदा वन्यजीव अभ्यारण्य – 122560.85 वर्ग किमी का क्षेत्रफल (देश के भौगोलिक क्षेत्र का 3.73%) है। (भारतीय वन्यजीव संस्थान).
- संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क की लेटेस्ट रिपोर्ट में 16,829 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करते हुए 218 अन्य अभयारण्य प्रस्तावित किये गए हैं

राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिज़र्व की तुलना		
राष्ट्रीय उद्यान	**वन्यजीव अभ्यारण्य**	**जीवमण्डल रिज़र्व**
• समग्र रूप से जैविक पर ध्यान नहीं दिया जाता बल्कि संरक्षण विशेष रूप से जंगली जानवरों की प्रजातियों के आवासों से जुड़ा है। जैसे शेर, बाघ, गैंडा आदि। • दृष्टिकोण वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित नहीं • विस्तार 0.04 से 3.162 वर्ग किमी • सीमाएं राज्य द्वारा परिचालित • बफर क्षेत्र को छोड़कर कोई भी जैविक हस्तक्षेप की अनुमति नहीं • पर्यटन न केवल अनुमेय बल्कि प्रोत्साहन भी • अनुसंधान और वैज्ञानिक प्रबंधन की कमी • विशेषकर पौधों की आर्थिक प्रजातियों के जीन पूल संरक्षण पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता।	• जैविक उन्मुख ना होकर प्रजाति उन्मुख जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड • दृष्टिकोण वैज्ञानिक सिद्धांतो पर आधारित नहीं। • विस्तार 0.61 से 7.818 वर्ग किमी • सीमाएं निश्चित नहीं • सीमित जैविक हस्तक्षेप • अनुसंधान और वैज्ञानिक प्रबंधन की कमी • आर्थिक प्रजातियों, विशेषकर पौधों के जीन पूल संरक्षण पर ध्यान नहीं देना	• सम्पूर्ण रूप से जैविक समुदाय पर ध्यान केन्द्रित दिया जाता है • संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र उन्मुख है • गहन वैज्ञानिक सिद्धांतो पर आधारित दृष्टिकोण • विस्तार 5670 वर्ग किमी से अधिक • सीमाएं – राज्य विधान द्वारा निर्धारित • बफर क्षेत्र के अलावा किसी भी क्षेत्र में जैविक हस्तक्षेप की अनुमति नहीं • सामान्यत: पर्यटन की अनुमति नहीं • अनुसंधान और वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाता है। • पौधों के साथ-साथ जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है।

S.No.	State/UT	Tiger Reserve	Core area (In Sq. Kms.)	Buffer area (In Sq. Kms.)	Total Area (In Sq. Kms.)
1	Andhra Pradesh (1)	Nagarjunsagar Srisailam (1982-83)	2595.72	700.59	3296.31
2	Arunachal Pradesh (3)	Namdapha (1982-83)	1807.82	245	2052.82
3		Pakke (1999-2000)	683.45	515	1198.45
4		Kamlang (2016)	671	112	783
5	Assam (4)	Manas (1973-74)	526.22	2310.88	2837.1
6		Nameri (1999-2000)	320	144	464
7		Kaziranga (2008-09)	625.58	548	1173.58
8		Orang (2016)	79.28	413.18	492.46
9	Bihar (1)	Valmiki (1989-90)	598.45	300.93	899.38
10	Chhattisgarh (4)	Udanti-Sitanadi (2008-09)	851.09	991.45	1842.54
11		Achanakmar (2008-09)	626.195	287.822	914.017
12		Indravati (1982-83)	1258.37	1540.7	2799.07
13		Guru Ghasidas NP & Tamor Pingla WLS) (October 2021)	—	—	2048
14	Jharkhand (1)	Palamau (1973-74)	414.08	715.85	1129.93
15	Karnataka (5)	Bandipur (1973-74)	872.24	584.06	1456.3
16		Bhadra (1998-99)	492.46	571.83	1064.29
17		Dandeli-Anshi (Kali) (2008-09)	814.884	282.63	1097.514
18		Nagarahole (2008-09)	643.35	562.41	1205.76
19		Biligiri Ranganatha Temple (2011)	359.1	215.72	574.82
20	Kerala (2)	Periyar (1978-79)	881	44	925
21		Parambikulam (2008-09)	390.89	252.772	643.662
22	Madhya Pradesh (6)	Kanha (1973-74)	917.43	1134.361	2051.791
23		Pench (1992-93)	411.33	768.3023	1179.632

24		Bandhavgarh (1993-94)	716.903	820.0351	1598.1
25		Panna (1994-95)	576.13	1021.97	1598.1
26		Satpura (1999-2000)	1339.264	794.044	2133.308
27		Sanjay-Dubri (2008-09)	812.571	861.931	1674.502
28	Maharashtra (6)	Melghat (1973-74)	1500.49	1268.03	2768.52
29		Tadoba-Andhari (1993-94)	625.82	1101.771	1727.591
30		Pench (1998-99)	257.26	483.96	741.22
31		Sahyadri (2009-10)	600.12	565.45	1165.57
32		Nawegaon-Nagzira (2013-14)	653.674	1241.27	1894.944
33		Bor (2014)	138.12	678.15	816.27
34	Mizoram (1)	Dampa (1994-95)	500	488	988
35	Odisha (2)	Similipal (1973-74)	1194.75	1555.25	2750
36		Satkosia (2008-09)	523.61	440.26	963.87
37	Rajasthan (4)	Ranthambore (1973-74)	1113.364	297.9265	1411.291
38		Sariska (1978-79)	881.1124	332.23	1213.342
39		Mukandra Hills (2013-14)	417.17	342.82	759.99
40		Ramgarh Vishdhari (June 2021)	309	740	1052
41	Tamil Nadu (5)	Kalakad-Mundanthurai (1988-89)	895	706.542	1601.542
42		Mudumalai (2008-09)	321	367.59	688.59
43		Sathyamangalam (2013-14)	793.49	614.91	1408.4
44		Anamalai (2008-09)	958.59	521.28	1479.87
45		Srivilliputhur-Megamalai (Feb 2021)	641	374	1016
46	Telangana (2)	Kawal (2012-13)	892.23	1123.212	2015.44
47		Amrabad (2014)	2166.37	445.02	2611.39
48	Uttar Pradesh (2)	Dudhwa (1987-88)	1093.79	1107.985	2201.775
49		Pilibhit (2014)	602.798	127.4518	730.2498
50	Uttarakhand (2)	Corbett (1973-74)	821.99	466.32	1288.31
51		Rajaji (2015)	819.54	255.63	1075.17
52	West Bengal (2)	Sunderbans (1973-74)	1699.62	885.27	2584.89
53		Buxa (1982-83)	390.5813	367.3225	757.9038
		Total	**40145.3**	**32603.72**	**74749.02**

कृषि

कृषि के वैज्ञानिक प्रकार

कृषि का नाम	सम्बन्धित उत्पाद
1. सेरी कल्चर	रेशम कीट पालन
2. एपी कल्चर	मधुमक्खी पालन
3. विटी कल्चर	अंगूर की कृषि
4. वर्मी कल्चर	केंचुएं द्वारा उत्पादन
5. पोमोलॉजी	फलों का उत्पादन
6. हॉर्टी कल्चर	बागवानी कृषि
7. फ्लोरी कल्चर	फूलों का उत्पादन
8. पिसी कल्चर	मछली उत्पादन
9. ओलिवी कल्चर	जैतून की कृषि
10. सिल्वी कल्चर	वनों की खेती
11. ओलेरी कल्चर	सब्जी उत्पादन

कृषि फसलों का वर्गीकरण-
1. मौसम के आधार पर
2. उपयोग के आधार पर

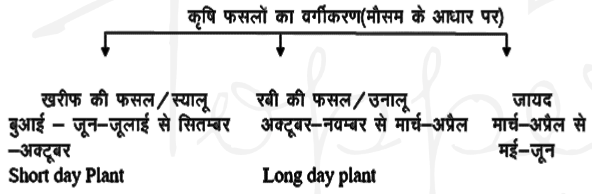

1. खरीफ की फसल/स्यालू :- बाजरा, मोठ, ज्वार, तिल, चावल, मूंग, मूंगफली, कपास, गन्ना, चवला, मक्का, सोयाबीन, सूर्यमुखी, उडद, अरहर, जूट, अरण्डी।

2. रबी की फसल/उनालू:- गेंहू, जो, चना, मटर, मसूर, मेथी, सरसों, तारामीरा,ईसबगोल, जीरा, धनिया, लहसुन, अदरक, हल्दी, अफीम, अलसी तम्बाकू।

3. जायद की फसल:- हरी सब्जियां, खरबूजा, तरबूजा।
नोट:- कुल कृषि फसलों में 65 प्रतिशत खरीफ एवं 35 प्रतिशत रबी की फसल बोई जाती है।

उपयोग के आधार पर कृषि फसलों का वर्गीकरण

1. दहलन/भूमि उर्वर फसले - दलहन फसलें:-1 चना 2 मूंग 3 मोठ 4 उडद
नोट :- अरहर की दाल भूमि की उर्वरता को कम करती है।
2. नगदी/व्यापारिक फसलेः- उद्योगों में आवश्यक, वे फसले जो उद्योगो में कच्चे माल के रूप में प्रयोग/प्रयुक्त होती है।
3. तिलहन फसलेः- तिल, मूंगफली, सरसो, तारामीरा, सूर्यमुखी(सन फ्लावर), सोयाबीन(तिलहन .दलहन), जैतून, रतनजोत/जैट्रोफा, अरण्डी, होहोबा/जोजोबा, अलसी, राई ।
4. रेशेदार फसलें :- 1. कपास 2. जूट
5. खाद्यान्न फसलें :- गेहूं , चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार, जौ

प्रमुख फसलों के उपनाम		
1	कपास	बणियां एवं सफेद सोना
2	अफीम	काला सोना
3	होहोबा/जोजोबा	पीला सोना/गोल्ड ऑफ डेजर्ड
4	बांस	आदिवासियों का हरा सोना
5	ज्वार	गरीब की रोटी
6	ईसबगोल	घोडा जीरा
7	जूट	गोल्डन फाईबर
8	मूंगफली	गरीब की बादाम

कृषि विकास हेतु किये जा रहे प्रयास

a. कृषि संबंधी एवं अन्य क्रांतियां :-

	नाम	उत्पाद
1	हरित क्रांति	खाद्यान्न फसलें
2	श्वेत क्रांति/फ्लड ऑपरेशन	दुग्ध उत्पादन से
3	पीली क्रांति	तिलहन उत्पादन
4	नीली क्रांति	मछली उत्पादन
5	लाल क्रांति	मांस/टमाटर
6	रजत क्रांति	अण्डो के उत्पादन
7	अमृत क्रांति	जल से /नदी जोडो परियोजना
8	कृष्ण क्रांति	पेट्रोलियम
9	गोल क्रांति	आलू उत्पादन
10	धूसर क्रांति	सीमेन्ट उत्पादन
11	बादामी क्रांति	मसालों से सम्बंधित
12	इन्द्रधनुष क्रांति	सभी खाद्यान्न से सम्बंधित
13	सनराईज क्रांति	तकनीकी उद्योगो से सम्बंधित
14	स्वर्णिम क्रांति	बागवान

1. हरित क्रांति/पैकेज टेक्नोलॉजी क्रांति (1966–67)

जनक

(a) वैश्विक स्तर पर
नॉरमन बोरलाग मैक्सिकों
सर्वाधिक लाभ-गेंहू, चावल

(b) भारत में एम.एस. स्वामीनाथम

सर्वाधिक हानि

- मोटे अनाज को (रागी, मक्का बाजरा)
- क्षेत्रीय असमानता बढी है
- सामाजिक असमानता बढी है
- बेरोजगारी बढी है
- भूमि की उर्वर क्षमता में कमी हुई है।

2. श्वेत क्रांति–1970

- जनक- डॉ. वर्गीज कुरियन/अमूल बॉय
- डॉ. वर्गीस कुरियन ने गुजरात में आपरेशन फ्लड की शुरूआत की।
- दुग्ध क्रांति के कारण भारत का दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है।
- दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। पहला-उत्तर प्रदेश तीसरा-गुजरात

3. कृषि फसलों की विशेष नस्ले

''फसलों की किस्म''/''जिन्स''

नाम	उत्पादक राज्य	किस्म
1. बाजरा	राजस्थान	राज–171, RCB-121
2. गेहूँ	उत्तरप्रदेश	कल्याण, सोना, सोनालिका, मालविका, कोहिनूर
3. कपास	गुजरात/आंध्रप्रदेश	नरमा, अमेरिकी, कपास
4. जूट	पश्चिम बंगाल	मेस्ता
5. मक्का	उत्तरप्रदेश	माही, कंचन, माही धवल
6. चावल	पश्चिम बंगाल	बासमती, माही सुगंधरा, परमल, चम्बल
7. सोयाबीन	मध्यप्रदेश	गौरव, पंजाब–1, पूसा–16, मैक्स–13, मोनेटा, टी–1(गौरव पपू मैक्स मोना टी)
8. मूंगफली	गुजरात	चन्द्रा
9. सरसों	राजस्थान	वरूणा, पूसा कल्याणी

4. कृषि के प्रकार –

1. शुष्क कृषि Dry farming/बारानी कृषि

(i) सिंचित कृषि या नहरी कृषि

(ii) मिश्रित कृषि

(iii) बहु-फसली कृषि या कृषि विविधता

(iv) इसके दो प्रकार होती हैं-

(A) रिले (Relay crop):- जब एक साथ दो या अधिक फसले ली जाती है तो इसे रिले क्राप कहते है । रिले फसल - जब दूसरी फसल को पहली फसल तैयार होने से पूर्व ही एक साथ लगाया जाता है । फसल के बाद तक प्रतीक्षा नहीं की जाती ।

(B) Double Corping :- जब एक वर्ष में एक साथ सामान्यतः चार या दो से अधिक फसले ली जाती है तो इसे क्वनइसम ब्वतचपदह कहते है ।

(v) वालरा या चिमाताः-
(vi) दजियाः-
} स्थानान्तरण कृषि

(vii) रोपण कृषि ;च्संदजंजपवद ।हतपद्ध

(viii) समोच्च कृषि कटुर कृषि

(ix) पट्टीदार या सीढीदार कृषि ;ैजतपच वत संककमतद्ध

(x) संरक्षित कृषि ;चतवजमबजमक ।हतपद्ध

(xi) जैविक कृषि

(xii) सविदा कृषि/ठेकेदार कृषि बवदजतंबज ।हतप

(xiii) कृषि वानिकी

भारत की महत्वपूर्ण फसलें

भारत की प्रमुख खाद्य फसलें

1. चावल

- **भारत**- विश्व में **चावल उत्पादन का 21.6%** - चीन के बाद **दूसरे स्थान** पर।
- **तापमान**: 22-32 डिग्री सेल्सियस के साथ उच्च आर्द्रता।
- **वार्षिक वर्षा -** 100 - 200 सेमी।
- **मृदा** - दोमट मिट्टी क्योंकि यह नमी को लंबे समय तक धारण कर सकती है।
- **श्रम घनिष्ठ।**
- **राज्य:** पश्चिम बंगाल > पंजाब > उत्तर प्रदेश > आंध्र प्रदेश > बिहार।
- **दक्षिणी राज्य** और **पश्चिम बंगाल**- एक कृषि वर्ष में चावल की 2/3 फसलें।
  - **पश्चिम बंगाल -** 'औस', 'अमन' और 'बोरो' के नाम से जाना जाता हैं |
- अधिकांश भारतीय लोगों की **मुख्य खाद्य फसल।**
- **सरकारी पहल:** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, हाइब्रिड (संकर)चावल बीज उत्पादन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।

2. गेहूं

- **भारत** - विश्व के कुल गेहूँ **उत्पादन का 12%।**
- **तापमान**: **तेज धूप** के साथ **10-15 डिग्री सेल्सियस** (बुवाई का समय) और **21-26 डिग्री सेल्सियस** (पकने और कटाई) के बीच।
- **वर्षा:** लगभग 75-100 सेमी.
- **मिट्टी**: अच्छी जल निकासी वाली **उपजाऊ दोमट** और **चिकनी बलुई दोमट** (दक्कन का गंगा-सतलुज मैदान और काली मिट्टी क्षेत्र)
- **राज्य**: उत्तर प्रदेश > पंजाब > मध्य प्रदेश > हरियाणा > राजस्थान।
- भारत - **चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक।**
- उत्तर और उत्तर-पश्चिमी भारत में चीन के बाद **दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल** और मुख्य खाद्य फसल।
- **सरकारी पहल**: कृषि का वृहद प्रबंधन प्रणाली, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

भारत की प्रमुख नकदी फसलें

1. कपास

- **तापमान**: 20-35 डिग्री सेल्सियस
- **वर्षा**: 50 - 80 सेमी
- **मिट्टी**: दक्कन के पठार की काली मिट्टी, जलोढ़ और लाल मिट्टी
- **राज्य**: महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश।
- भारत की **सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक फसल।**
- देश में **कुल** बोए गए **क्षेत्र** के लगभग 45% में खेती की जाती है।
- **किस्में**: भारत **शॉर्ट स्टेपल** (भारतीय) कॉटन और **लॉन्ग स्टेपल** (अमेरिकन) **कॉटन** दोनों का उत्पादन करता है।
  - **अमेरिकी कपास** को देश के **उत्तर-पश्चिमी भाग में 'नर्मा'** के नाम से जाना जाता है।

2. जूट

- **तापमान**: 24 डिग्री सेल्सियस - 35 डिग्री सेल्सियस
- **वर्षा**: 125 - 200 सेमी
- **मिट्टी**: चिकनी मिटटी या बलुई दोमट, लेकिन दोमट जलोढ़ सबसे उपयुक्त हैं।
- **राज्य**: पश्चिम बंगाल (भारत में सबसे बड़ा उत्पादक), बिहार, असम, ओडिशा और मेघालय।
- **गोल्डन फाइबर** के नाम से भी जानी जाती है और भारत की **प्रमुख नकदी फसल** है।
- जूट के पौधे की **भीतरी छाल से प्राप्त** होता है।
- **उपयोग**- बोरे, चटाई, रस्सियाँ, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियाँ।
- गन्ने की तरह **मिट्टी की उर्वरता खत्म करने वाली फसल।**
- **भारत- विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक।**
- **महत्वपूर्ण किस्में**: मेष्टा

3. गन्ना

- **तापमान**: 21-27 डिग्री सेल्सियस
- **वर्षा**: 75-100 सेमी।
- **मिट्टी**: लाल ज्वालामुखी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी
- **राज्य:** उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा।
- एक **उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फसल।**
- **उत्तर भारत**- उपोष्णकटिबंधीय किस्म - **कम मिठास** ।
- **दक्षिण भारत** - उष्णकटिबंधीय किस्म - **उच्च मिठास** और **उच्च उपज।**
- **मिट्टी की उर्वरता खत्म करने वाली फसल** - खाद या उर्वरकों का नियमित प्रयोग।
- भारत - गन्ने की मूल मातृभूमि
  - **विश्व में गन्ने** के अंतर्गत **क्षेत्रफल सबसे अधिक** है।
- भारत - **ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा** उत्पादक।

रोपण फसल

1. चाय

- **तापमान:** 13 डिग्री सेल्सियस और 28-32 डिग्री सेल्सियस
- **वर्षा**: 150cm-250cm
- **मिट्टी:** अच्छी जल निकासी वाली और गहरी दोमट
- **राज्य:** असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम, नागालैंड, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, बिहार, ओडिशा।
- **गर्म ग्रीष्मकाल और लगातार बारिश**: तेजी से चाय की पत्तियों को बढ़ावा देती है और **वार्षिक चुनाई में वृद्धि** करती है।
- **ऊंचे इलाकों** और **पहाड़ी ढलानों** पर खेती होती है जहां प्राकृतिक **जल निकासी अच्छी** होती है।
- सबसे **उपयुक्त मिट्टी** थोड़ी **अम्लीय और कैल्शियम रहित** होती है।
- **तेज धूप** या तेज **हवाओं से परिरक्षित** होने पर चाय के पौधे **बेहतर बढ़ते** हैं।
- **अधिक पूंजी** की आवश्यकता होती है |

2. कॉफ़ी

- **तापमान:**15- 28°C
- **वर्षा:** 150cm-250cm
- **मिट्टी:** उपजाऊ ज्वालामुखी लाल पृथ्वी या गहरी रेतीली दोमट।
- **राज्य:** कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के साथ-साथ पूर्वोत्तर राज्यों में भी।
- मुख्य रूप से एक **निर्यात उन्मुख वस्तु**
- **देश** में **उत्पादित कॉफी** का **65% से 70% तक निर्यात** किया जाता है।
- **गर्म और आर्द्र जलवायु** की आवश्यकता होती है
- कॉफ़ी के **पकने** के समय **शुष्क मौसम** आवश्यक है।
- **मुख्य किस्में:** अरेबिका और रोबस्टा।
- **अरेबिका -** उच्च गुणवत्ता

भारत में खनिजों का वितरण (Mineral Distribution in India)

1. कोयलाः–

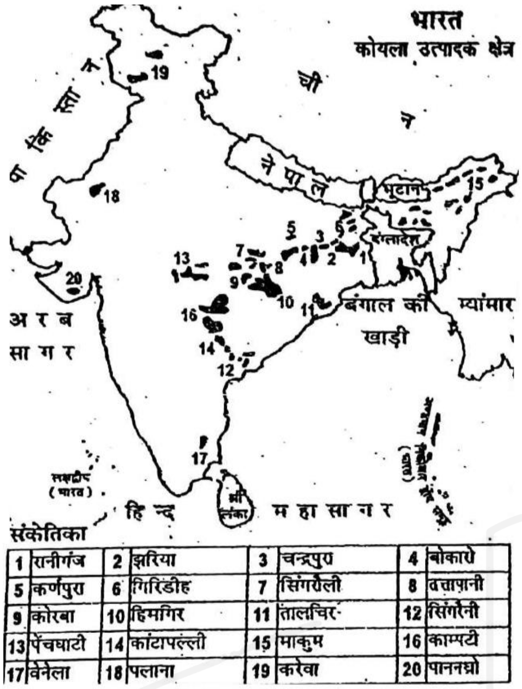

- भारत का सबसे प्रमुख ऊर्जा स्रोत कोयला है तथा भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 60% भाग कोयले से पूरा करता है ।
- भारत में 'छोटा नागपुर पठार' क्षेत्र कोयले के भण्डारों के लिए विख्यात है तथा यहाँ मिलने वाला कोयला 'गोंडवाना कोयला' कहलाता है क्योंकि इस कोयले का निर्माण 'कार्बोनिफेरस काल' के दौरान हुआ तथा उस समय भारतीय प्रायद्वीप 'गोंडवाना लैण्ड' का भाग हुआ करता था ।
- भारत में मुख्य रूप से 'बिटुमिनस' प्रकार का कोयला मिलता है ।
- 'छोटा नागपुर पठार' क्षेत्र में 'दामोदर नदी घाटी' कोयले के भण्डारों के लिए विख्यात है तथा इसे 'भारत की रूर घाटी' भी कहते है ।
- भारत में 98 प्रतिशत कोयला गौंडवाना युगीन है । कार्बन वाष्प व जल की मात्रा के आधार पर भारत में तीन प्रकार के कोयले पाये जाते है ।

कोयले के प्रकार	कार्बन की मात्रा % में	जल की मात्रा % में	वाष्प
एन्थ्रासाईट	80–85	2–5	25–40
बिटुमिनस	70–85	20–30	35–40
लिग्नाइट	65–70	30–35	35–50

- कोयले भण्डार वाले कुछ प्रमुख क्षेत्रः–
  1. झारखंड = *झरियाँ (झारखण्ड में सबसे बडी खान व भारत की दूसरी सबसे बडी खान),
  2. बोकारो,
  3. धनबाद,
  4. गिरडीह,
  5. पश्चिम बंगाल – *रानीगंज (भारत की सबसे बडी कोयले की खान)

पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस :–

असम

ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन–

1. डिगबोई (भारत में प्रथम)
2. नुमालीगढ
3. मोरान- हुगरीजन
4. सुरमा घाटी

राजस्थान

(a) जैसलमेर बेसिन–
*प्राकृतिक गैस के भण्डारों के लिए विख्यात क्षेत्र– तनोट, घोटारू (Hilium Mixed Natural Gas) गडेवाला + कमलीताल

(b) बाडमेर-सांचोर बेसिन–
क्षेत्र– मंगला, ऐश्वर्या, वागेश्वरी, रामेश्वरी, सरस्वती, भाग्यम्

यूरेनियम व थोरियम :–

- थोरियम– केरल के तटीय क्षेत्रों में मिलने वाली 'मोनाजाइट मिट्टी' में थोरियम के भण्डार पाये जाते है ।
- विश्व के कुल थोरियम भण्डारों का 30% भाग भारत में मिलता है ।
- यूरेनियम का 2% भाग भारत में पाया जाता है ।

खनिज संसाधन

1. लोहा (Iron):–
   प्रकार –

(i). मैग्नेटाइट – 70 – 80% Iron
(ii). हैमेटाइट – 60% Iron(लगभग)
(iii). लिमोनाइट – 40% Iron (लगभग)
(iv). सिडेराइट – 30 प्रतिशत 45 (लगभग)

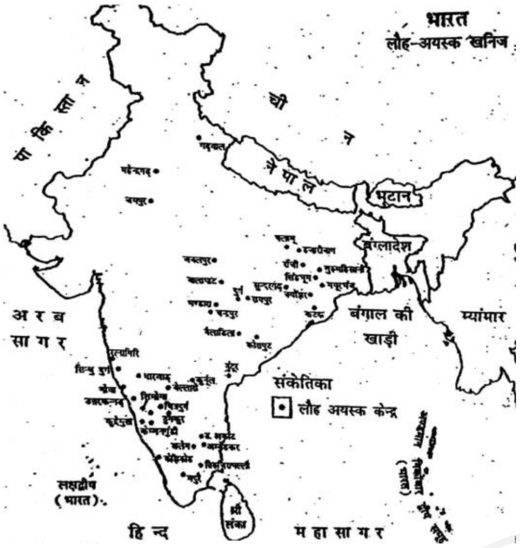

- लोहा के भंडार के प्रमुख क्षेत्र –
  (i). झारखण्ड – सिंहभूम जिला (नोवामंडी, गुआ, नोटोबुरा)
  (ii). ओडिशा – मयूरगंज जिला (गुरुमहीषणी, बादामपहाड), सुन्दरगढ जिला (बोनाई पहाड, बाराजमंदा)
  (iii). छत्तीसगढ – डल्ली राजहरा (दुर्ग जिला), वैलाडिया जिला (बस्तर जिला)

2. **मैंगनीज :-**

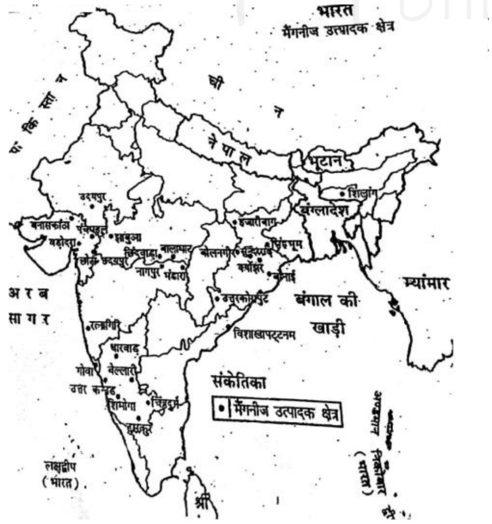

- इसका उपयोग लौह व इस्पात उद्योग में किया जाता है
- मैंगनीज के भंडार के प्रमुख क्षेत्र –
  (i). मध्यप्रदेश – बालघाट, जबलपुर, झाबुआ, छिन्दवाडा*
  (ii). महाराष्ट्र – नागपुर, भण्डारा, रत्नागिरि*
  (iii). गुजरात – बनासकांठा, साबरकांठा, पंचमहल
  (iv). राजस्थान – डूंगरपुर, बांसवाडा
  (v). ओडिशा – क्योंझर, सम्बलपुर, सुन्दरगढ

3. **बॉक्साइट :-**

- एल्युमिनियम का अयस्क।
- बॉक्साइट के भंडार के प्रमुख क्षेत्र –
  (i). झारखण्ड –लोहारदागा व पलामू (रांची पठार क्षेत्र/छोटा नागपुर पठार का दक्षिणी भाग)
  (ii). ओडिशा – कोरापुट*, बोलांगिर*, कालाहांडी*, संभलपुर
  (iii). छत्तीसगढ – बस्तर पठार क्षेत्र, सरगुजा
  (iv). तमिलनाडु – पालनी + जावदी

4. **ताँबा (Copper):-**

- ताँबा के भंडार के प्रमुख क्षेत्र –
  (i). झारखण्ड – सिंहभूम जिला (घाटशिला, राखा, मठ भंडार*, मोसावनी*)

(ii). मध्यप्रदेश - मलांजखण्ड* (बालाघाट में), बडगाँव (बैतूल जिले मे)
(iii). राजस्थान - खेतडी (झुंझनू), रघुनाथगढ (सीकर), खो-दरीबा- वर्तमान में नहीं मिलता (अलवर),दिलवाडा-किरोवली (उदयपुर), चांदमारी (झुंझनू)
(iv). महाराष्ट्र - तलोजा

5. सोना (Gold):-
सोना के भंडार के प्रमुख क्षेत्र-
(i). कर्नाटक - कोलार सोने की खान (मैसूर जिला), हाटी (रायचूर जिला)
(ii). आन्ध्रप्रदेश - रामगिरि (अनन्तपुर जिला), चितूर व कुर्नूर जिला
(iii). प्लेसर निक्षेप (Placer Deposits)- सोन व स्वर्णरेखा नदी

6. चाँदी :-
चाँदी के भंडार के प्रमुख क्षेत्र-
(i). कर्नाटक - कोलार, रायचूर, चित्रदुर्ग
(ii). झारखण्ड - तुन्दू
(iii). राजस्थान - जावर (उदयपुर)
(iv). आन्ध्रप्रदेश - कडप्पा (YSR जिला), गुन्टूर व कुर्नूल

7. सीसा व जस्ता (Lead & Zinc):-
सीसा व जस्ता के भंडार के प्रमुख क्षेत्र-
(i). गुजरात - बनासकांठा, बडोदरा
(ii). राजस्थान - जावर (उदयपुर), देवारी (उदयपुर), चन्देरिया - Lead Research Centre (चित्तौडगढ), रामपुरा अगुचा (भीलवाडा)
(iii). पश्चिम बंगाल - दार्जिलिंग
(iv). झारखण्ड - तुन्दू
(v). आन्ध्रप्रदेश - विशाखापट्टनम
(vi). सिक्किम - भोटांग

8. जिप्सम :-
- उपयोग - सीमेंट में उपयोग तथा मिट्टी की लवणता को कम करने में।
- जिप्सम के भंडार के प्रमुख क्षेत्र-
(i). राजस्थान - हनुमानगढ, बीकानेर
(ii). तमिलनाडु - सुर्खेद, कोयम्बटूर

9. मार्बल (संगमरमर) :- Matamorphic Rocks से निर्माण - चूना पत्थर (Lime Stone)
- मार्बल के भंडार के प्रमुख क्षेत्र-
(i). राजस्थान - मकराना (नागौर)
(ii). मध्यप्रदेश - जबलपुर, बैतुल
(iii). आन्ध्रप्रदेश - विशाखापट्टनम

10. टंगस्टन :-
- यह एक Hard Metal है जो न्यूक्लिर रियेक्टर्स तथा हथियारों के निर्माण में उपयोग होता है ।
- टंगस्टन के भंडार के प्रमुख क्षेत्र-
(i). राजस्थान - डेगाना (नागौर) वर्तमान में टंगस्टन मिलना बंद हो गया है । (नागौर)

11. निकल (Nickel):-
- निकिल के भंडार के प्रमुख क्षेत्र-
(i). ओडिसा - सुखेद

12. डायमंड (Diamond):-
- डायमंड के भंडार के प्रमुख क्षेत्र-
(i). मध्यप्रदेश - पन्ना
(ii). कर्नाटक - रायचूर
(iii). आन्ध्रप्रदेश -कुर्नूर व गोलकुण्डा

13. अभ्रक (Mica):-
- अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है ।
- अभ्रक के भंडार के प्रमुख क्षेत्र-
(i). झारखण्ड - कोदरमा
(ii). बिहार - मूंगेर
(iii). तमिलनाडु - कोयम्बटूर
(iv). आन्ध्रप्रदेश - नेल्लोर
(v). राजस्थान - भीलवाडा

ऊर्जा संसाधन

ऊर्जा के स्त्रोत

परम्परागत		गैर-पारम्परित
परम्परागत अनवीकरणीय ऊर्जा	**परम्परागत नवीकरणीय ऊर्जा**	1. सौर ऊर्जा 2. जलीय ऊर्जा 3. पवन ऊर्जा 4. नाभिकीय ऊर्जा 5. हाइड्रोजन ऊर्जा 6. भूतापीय ऊर्जा 7. जैव ऊर्जा 8. ज्वारीय ऊर्जा 9. जैव ईंधन
अधिकांश जीवाश्म ईंधन भूमि के भीतर पाये जाते हैं। कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस इसके उदाहरण हैं।	भूमि के ऊपर जीवाश्मीय ईंधन के रूप में पाये जाते हैं। लकड़ी, गोबर, कृषि, वनस्पति अपशिष्टों, लकड़ी का चारकोल आदि इसके उदाहरण हैं।	

पारंपरिक स्रोत

- ऊर्जा स्रोत जिनका **प्रयोग बहुत पहले से** होता आ रहा है।
- **उदा**. कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस।
- **विश्व भूगोल में परम्परागत स्रोतों की विस्तार से चर्चा की गई है।**

जल विद्युत

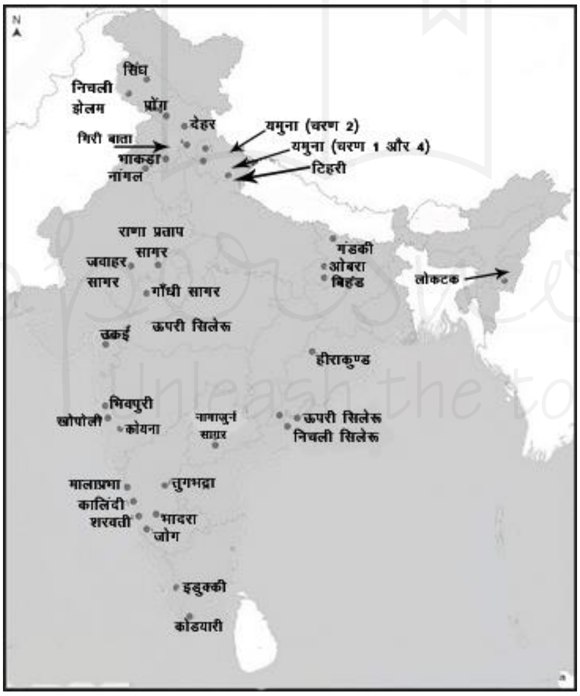

भारत में जलविद्युत विद्युत संयंत्रों की सूची

राज्य	नदी	जलविद्युत शक्ति संयंत्र
आंध्र प्रदेश	कृष्णा	नागार्जुनसागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट
आंध्र प्रदेश	कृष्णा	श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट
आंध्र प्रदेश, ओडिशा	मचकुंडो	मचकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट
गुजरात	नर्मदा	सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट
हिमाचल प्रदेश	बैरा	बैरा-सिउल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट
हिमाचल प्रदेश	सतलुज	भाखड़ा नंगल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट
हिमाचल प्रदेश	ब्यास	हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट
हिमाचल प्रदेश	सतलुज	नाथपा झाकरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट

जम्मू और कश्मीर	चिनाब	सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट
जम्मू और कश्मीर	झेलम	हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट
झारखंड	सुवर्णरिखा	सुवर्णरिखा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट
कर्नाटक	कलिनादि	कालिनादी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट
कर्नाटक	शरवती	शरवती हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट
कर्नाटक	कावेरी	शिवनासमुद्र हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट
केरल	पेरियारी	इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट
मध्य प्रदेश	सोन	बाणसागर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट
मध्य प्रदेश	नर्मदा	इंदिरा सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट
मध्य प्रदेश	रिहंद हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट	रिहंद हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट
महाराष्ट्र	कोयनास	कोयना हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट
मणिपुर	लीमाताकी	लोकतक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट
ओडिशा	सिलेरु	बालीमेला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट
ओडिशा	महानदी	हीराकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट
सिक्किम	रंगितो	रंगित हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट
सिक्किम	तीस्ता	तीस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट
उत्तराखंड	भागीरथी	टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट
हिमाचल प्रदेश	बासपा	बास्पा-द्वितीय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट
हिमाचल प्रदेश	सतलुज	नाथपा झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट
हिमाचल प्रदेश	ब्यास	पंडोह दामो
हिमाचल प्रदेश	रावी	चमेरा-1
हिमाचल प्रदेश	रावी	चमेरा-2
हिमाचल प्रदेश	ब्यास	पांग
जम्मू और कश्मीर	चिनाब	दुलहस्ती

तापीय उर्जा

- भारत के **राष्ट्रीय बिजली ग्रिड** में बिजली के **सबसे बड़े अनुपात का योगदान** देता है।
- एक ईंधन स्रोत से **ऊष्मा का उपयोग करके बिजली उत्पन्न** करता है ।
- ऊष्मा आमतौर पर एक **बॉयलर(भट्टी) में भाप उत्पन्न** करती है - एक **जनरेटर से जुड़े भाप टरबाइन को चलाने के लिए** उपयोग किया जाता है।
- **ऊष्मा स्रोत के अनुसार वर्गीकृत:**
    - कोयला आधारित
    - गैस
    - डीजल या तरल ईंधन
    - भूतापीय/ जियोथर्मल
    - बायोमास
    - अपशिष्ट पदार्थ
- भारत **मुख्य रूप से 3 प्रकार के ताप विद्युत संयंत्रों का उपयोग** करता है:
    - **कोयला**: 206404.50 मेगावाट
    - **गैस**: 24956.51 मेगावाट
    - **तरल ईंधन** (डीजल): 509.71 मेगावाट
- ताप विद्युत संयंत्रों की **कुल क्षमता**- 231870.72 मेगावाट।
- देश में **कुल बिजली उत्पादन** का **71 प्रतिशत।**

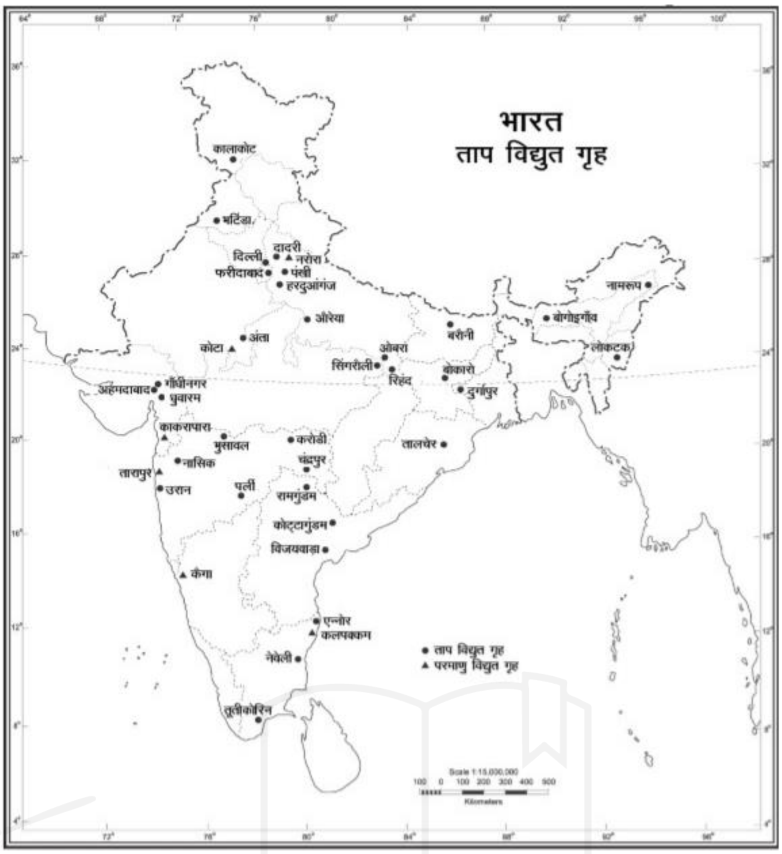

भारत में ताप विद्युत संयंत्रों की सूची

राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	थर्मल पावर प्लांट / स्टेशन का नाम
आंध्र प्रदेश	सिम्हाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट
बिहार	बरौनी थर्मल पावर स्टेशन
	कहलगाँव सुपर थर्मल पावर स्टेशन
	मुजफ्फरपुर थर्मल पावर प्लांट
छत्तीसगढ़	भिलाई विस्तार पावर प्लांट
	कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट
	सिपाट थर्मल पावर प्लांट
	डॉ. श्यामा प्रकाश मुखर्जी थर्मल पावर प्लांट
दिल्ली	बदरपुर थर्मल पावर प्लांट
	इंद्रप्रस्थ पावर स्टेशन
	राजघाट पावर स्टेशन
गुजरात	गांधीनगर थर्मल पावर स्टेशन
	झहर-गंधार थर्मल पावर स्टेशन
	कावासा थर्मल पावर स्टेशन
	कच्छ लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन
	मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट
	साबरमती थर्मल पावर स्टेशन
	सिक्का थर्मल पावर स्टेशन
	सूरत लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन
	उकाई थर्मल पावर स्टेशन
	वानकॉबो थर्मल पावर स्टेशन
झारखंड	बोकारो थर्मल पावर स्टेशन
	चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन
	पतरातू थर्मल पावर स्टेशन
कर्नाटक	बेल्लारी थर्मल पावर स्टेशन
	रायचूर सुपर थर्मल पावर स्टेशन
	उडुपी थर्मल पावर प्लांट
मध्य प्रदेश	अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन
	संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन
	संत सिंहजी थर्मल पावर प्लांट
	सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन
	विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन
महाराष्ट्र	अमरावती थर्मल पावर प्लांट
	भुसावल थर्मल पावर स्टेशन
	चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन
	खपरखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन
	कोरडी थर्मल पावर स्टेशन
	नासिक थर्मल पावर स्टेशन
	पारस थर्मल पावर स्टेशन

	परळी थर्मल पावर स्टेशन
	तिरोरा थर्मल पावर प्लांट
ओडिशा	आईबी थर्मल पावर प्लांट
	हीराकुड कैप्टिव पावर प्लांट
	तालचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन
राजस्थान	अन्ता थर्मल पावर स्टेशन
	बरसिंगार लिग्नाइट पावर प्लांट
	छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट
	गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन
	राजवेस्ट लिग्नाइट पावर प्लांट
	सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन
	वीएस लिग्नाइट पावर प्लांट
तमिलनाडु	एननोंर थर्मल पावर स्टेशन
	मेट्टुर थेरेल पावर स्टेशन
	नेवेली थर्मल पावर स्टेशन
	उत्तर चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन
	टूटीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन
उत्तर प्रदेश	अनपारा थर्मल पावर स्टेशन
	औरैया थर्मल पावर स्टेशन
	फिरोज गांधी उन्चाहायर थर्मल पावर प्लांट
	हार्डुगंज थर्मल पावर स्टेशन
	राष्ट्रीय राजधानी थर्मल पावर प्लांट
	ओबरा थर्मल पावर स्टेशन
	पंकी थर्मल पावर स्टेशन
	परिच्छा थर्मल पावर स्टेशन
	रिहाना थर्मल पावर स्टेशन
	रोजा थर्मल पावर स्टेशन
	सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन
	टांडा थर्मल पावर प्लांट
पश्चिम बंगाल	बकरेश्वर थर्मल पावर स्टेशन
	बैंडेल थर्मल पावर स्टेशन
	दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट
	दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन
	फारक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन
	कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशन
	मेजिआ थर्मल पावर स्टेशन
	सागरदीघी थर्मल पावर स्टेशन
	संतालडीह थर्मल पावर स्टेशन

परमाणु ऊर्जा

- **नाभिकीय ऊर्जा**, जो किसी भी **परमाणु का मूल** है।
- परमाणु के नाभिक में **ऊर्जा की विशाल मात्रा** होती है ।
- **ऊर्जा** एक **विखंडन प्रक्रिया** के माध्यम **से उत्पन्न** की जा सकती है जिसका **अर्थ** है **नाभिक को तोड़ना**।
- **परमाणु ऊर्जा के लिए** मुख्य कच्चा माल - यूरेनियम, थोरियम, भारी पानी, ज़िरकोनियम, हीलियम ।

भारत में परमाणु संयंत्र

- वर्तमान में **22 रिएक्टर**
- **कुल क्षमता-** 6780 मेगावाट ।
- 6000 मेगावाट के **8 रिएक्टर** (भाविनी द्वारा 500 मेगावाट पीएफबीआर सहित) **निर्माणाधीन** हैं।

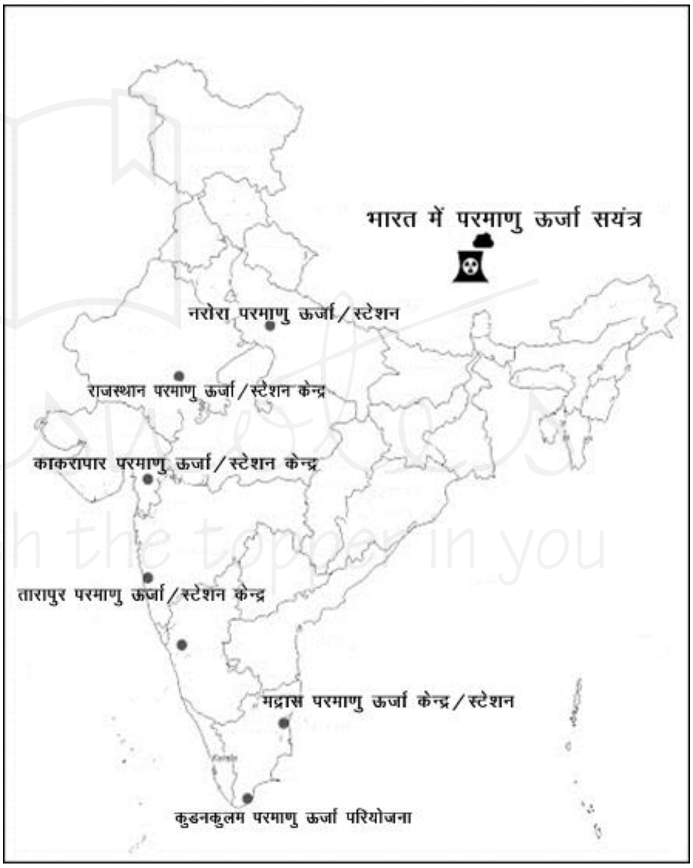

परिचालन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सूची

भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2021- आपरेशनल

संयंत्र	स्थान	ऑपरेटर	प्रकार	कुल क्षमता (मेगावाट)
कैगा	कर्नाटक	एनपीसीआईएल	आईपीएचडब्ल्यूआर-220	880
काकरापार	गुजरात	एनपीसीआईएल	आईपीएचडब्ल्यूआर-220 आईपीएचडब्ल्यूआर-700	1,140
कुडनकुलम	तमिलनाडु	एनपीसीआईएल	वीवर-1000	2,000
मद्रास (कलपक्कम)	तमिलनाडु	एनपीसीआईएल	आईपीएचडब्ल्यूआर-220	440
नरोरा	उत्तर प्रदेश	एनपीसीआईएल	आईपीएचडब्ल्यूआर-220	440
राजस्थान	राजस्थान	एनपीसीआईएल	कैंडु आईपीएचडब्ल्यूआर-220	1,180
तारापुरी	महाराष्ट्र	एनपीसीआईएल	बीडब्ल्यूआर आईपीएचडब्ल्यूआर-520	1,400
कुल				7,480

भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2021- निर्माणाधीन

संयंत्र	स्थान	ऑपरेटर	प्रकार	कुल क्षमता (मेगावाट)
मद्रास (कलपक्कम)	तमिलनाडु	भाविनी	पीएफबीआर	500
काकरापार यूनिट 4	गुजरात	एनपीसीआईएल	आईपीएचडब्ल्यूआर-700	700
गोरखपुर	हरियाणा	एनपीसीआईएल	आईपीएचडब्ल्यूआर-700	1,400
राजस्थान यूनिट 7 और 8	राजस्थान	एनपीसीआईएल	आईपीएचडब्ल्यूआर-700	1,400
कुडनकुलम यूनिट 3 और 4	तमिलनाडु	एनपीसीआईएल	वीवर-1000	2,000
कुल				6,000

भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2021- नियोजित परियोजनाएं

संयंत्र	स्थान	ऑपरेटर	प्रकार	कुल क्षमता (मेगावाट)
कैगा	कर्नाटक	एनपीसीआईएल	आईपीएचडब्ल्यूआर-700	1,400
जैतापुर	महाराष्ट्र	एनपीसीआईएल	ईपीआर	9,900
कोव्वाडा	आंध्र प्रदेश	एनपीसीआईएल	एपी1000	6,600
कावली	आंध्र प्रदेश	एनपीसीआईएल	VVER	6000
गोरखपुर	हरियाणा	एनपीसीआईएल	आईपीएचडब्ल्यूआर-700	2,800
माही बांसवाड़ा	राजस्थान	एनपीसीआईएल	आईपीएचडब्ल्यूआर-700	2,800
चुटका	मध्य प्रदेश	एनपीसीआईएल	आईपीएचडब्ल्यूआर-700	1,400
कुडनकुलम यूनिट 5 और 6	तमिलनाडु	एनपीसीआईएल	वीवर-1000	2,000
मद्रास	तमिलनाडु	भाविनी	एफबीआर	1,200
तारापुर	महाराष्ट्र		एएचडब्ल्यूआर	300
कुल				33,000

गैर-पारंपरिक स्रोत

सौर ऊर्जा

- **सूर्य के प्रकाश** द्वारा निर्मित।
- **खाना पकाने और पानी के आसवन** के लिए **ऊर्जा का उपयोग** किया जाता है
- भारत को **300 दिनों के लिए चरम सौर विकिरण** प्राप्त होता है, जो **2300-3000 घंटे धूप** के बराबर होता है, जो **5,000 ट्रिलियन kWh** के बराबर होता है।
- **बिजली उत्पन करने के तरीके:**
  - **फोटोवोल्टिक बिजली:**
    - सौर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) सेल **सौर विकिरण को बिजली में परिवर्तित** करते हैं।
  - **सौर-तापीय विद्‌युत -**
    - एक **सौर संग्राहक** जिसमें एक **प्रतिबिंबित सतह** होती है जो एक रिसीवर पर सूर्य के प्रकाश को दर्शाती है जो एक **तरल को गर्म** करती है।
    - इस गर्म किए गए **तरल का उपयोग बिजली पैदा करने वाली भाप बनाने के लिए** किया जाता है।

भारत में वितरण

भारत के प्रमुख सौर ऊर्जा संयंत्र/पार्क

1. **भड़ला सोलर पार्क, राजस्थान**
   - **स्थान**: राजस्थान का जोधपुर जिला
   - **क्षमता**: 2055 मेगावाट
   - **क्षेत्रफल**: 14000 एकड़
   - बिजली उत्पादन के मामले में **दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क।**
   - **क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा।**
2. **पावागढ़ सोलर पार्क**
   - **स्थान:** पलावाल्ली, कर्नाटक
   - **क्षमता:** 2000MW
   - **क्षेत्रफल**: 13000 एकड़
   - ऊर्जा के मामले में दुनिया का **दूसरा सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क।**
3. **कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क**
   - **स्थान**: कुरनूल, आंध्र प्रदेश
   - **क्षमता**: 1000 मेगावाट
   - **क्षेत्रफल**: 5932 एकड़
4. **नप कुंता अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क**
   - **स्थान**: अनंतपुरम, आंध्र प्रदेश
   - **क्षमता**: 1500 मेगावाट
   - **क्षेत्रफल**: 7924 एकड़
   - **अनंतपुरम अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क** के नाम से भी जाना जाता है
5. **रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट**
   - **स्थान**: रीवा, मध्य प्रदेश
   - **क्षमता**: 750 मेगावाट
   - **क्षेत्रफल**: 1590 एकड़
   - मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (एमपीयूवीएनएल) और भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के बीच एक **संयुक्त उद्यम।**
   - भारत की **अब तक की पहली और एकमात्र सौर परियोजना** जिसे **स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष**, सीटीएफ से **वित्त पोषित** किया गया है।
   - साथ ही **भारत का एकमात्र सौर ऊर्जा संयंत्र** जिसने **विश्व बैंक** के अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से **रियायती ऋण** प्राप्त किया है।
6. **चरनका सोलर पार्क**
   - **स्थान**: पाटन जिला, उत्तरी गुजरात।
   - **क्षमता**: 790 मेगावाट
   - **क्षेत्रफल**: 4,900-एकड़
   - **गुजरात सोलर पार्क-1** के नाम से भी जाना जाता है
   - वर्तमान में **विकसित हो रहा है**
7. **कामुथी सौर ऊर्जा परियोजना**
   - **स्थान**: कामुथी, रामनाथपुरम जिला, मदुरै, तमिलनाडु
   - **क्षमता**: 648 मेगावाट
   - **क्षेत्रफल**: 2500-एकड़
8. **कडपा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क**
   - **स्थान**: आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले का म्लावाराम मंडल
   - **क्षमता**: 1,000 मेगावाट
   - **क्षेत्रफल**: 5,927.76 एकड़

भारत में अन्य सौर संयंत्र

राज्य	सोलर पार्क	क्षमता (मेगावाट)	सौर ऊर्जा पार्क विकासकर्ता (एसपीपीडी)
आंध्र प्रदेश	अनंतपुरमु-I सोलर पार्क	1500	आंध्र प्रदेश सौर ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड (APSPCL), SECI का JVC , APGENCO और NREDCAP
	कुरनूल सोलर पार्क	1000	
	कडप्पा सोलर पार्क	1000	
	अनंतपुरमु-द्वितीय सौर पार्क	500	
	हाइब्रिड सोलर विंड पार्क	160	
अरुणाचल प्रदेश	लोहित सोलर पार्क	20	अरुणाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी (APEDA)
गुजरात	राघनेसदा सोलर पार्क	700	गुजरात पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (GPCL)
	हरसाद सोलर पार्क	350	
	धोलेरा सोलर पार्क Ph-I	1000	
	धोलेरा सोलर पार्क Ph-II	4000	भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई)
हिमाचल प्रदेश	काजा सोलर पार्क	1000	JVC का SJVN और हिमाचल प्रदेश सरकार
झारखंड	फ्लोटिंग सोलर पार्क	150	भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई)
कर्नाटक	पावागड़ा सोलर पार्क	2000	कर्नाटक सौर ऊर्जा विकास निगम प्राइवेट लिमिटेड (KSPDCL), KREDL का jvc और SECI
केरल	कासरगोड सोलर पार्क	105	रिन्यूएबल पावर कॉरपोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड (RPCKL), SECI का JVC
मध्य प्रदेश	रीवा सोलर पार्क	750	रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड (RUMSL), MPNRED का jvc , और SECI
	मंदसौर सौर सोलर पार्क	250	
	नीमच	500	रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड (RUMSL), MPNRED का jvc , और SECI
	आगर	550	रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड (RUMSL), MPNRED का jvc , और SECI
	शाजापुर	450	रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड (RUMSL), MPNRED का jvc , और SECI
	ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क	600	रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड (RUMSL), MPNRED का jvc , और SECI
	छतरपुर सोलर पार्क	950	रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड (RUMSL), MPNRED का jvc , और SECI
	बरेठी सोलर पार्क	550	NTPC (राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम)
महाराष्ट्र	साई गुरु सोलर पार्क (प्रगत)	500	मेसर्स साई गुरु मेगा सोलर पार्क प्रा. लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स प्रगत अक्षय ऊर्जा लिमिटेड)
	पटोडा सोलर पार्क (पैरामाउंट)	150	मेसर्स पैरामाउंट सोलर पावर प्रा. लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स के.पी. पावर प्राइवेट लिमिटेड)
	दोंदैचा सोलर पार्क	250	महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (महाजेनको)
मणिपुर	बुक्पी सोलर पार्क	20	मणिपुर जनजातीय विकास निगम लिमिटेड (एमटीडीसीएल)
मेघालय	मेघालय में सोलर पार्क	20	मेघालय पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MePGCL)
मिजोरम	वनकल सोलर पार्क	20	विद्युत् और बिजली विभाग
ओडिशा	एनएचपीसी द्वारा सोलर पार्क	40	एनएचपीसी लिमिटेड

	एनएचपीसी द्वारा सोलर पार्क	100	एनएचपीसी लिमिटेड
राजस्थान	भडला -II सौर पार्क	680	राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (RSDCL)
	भडला -III सौर पार्क	1000	राजस्थान लिमिटेड की मेसर्स सूर्य ऊर्जा कंपनी (एसयूसीआरएल) राज्य सरकार का संयुक्त उद्यम
	भडला -IV सौर पार्क	500	मेसर्स अदानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड (एआरईपीआरएल) राज्य सरकार का संयुक्त उद्यम
	फलोदी-पोकरण सोलर पार्क	750	मैसर्स एस्सेल सूर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड (ईएसयूसीआरएल) राज्य सरकार का जेवीसी
	फतेहगढ़ फेज-1बी सोलर पार्क	421	मेसर्स अदानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड (एआरईपीआरएल) राज्य सरकार का संयुक्त उद्यम
	नोख सोलर पार्क	925	राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (RSDCL)
उत्तर प्रदेश	यूपी में सोलर पार्क	440	लखनऊ सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (एलएसपीडीसीएल), यूपीनेडा और एसईसीआई के संयुक्त उद्यम
	जालौन सौर पार्क	1200	BSUL

पवन ऊर्जा

- स्वदेशी पवन ऊर्जा उद्योग के नेतृत्व में **भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र ने लगातार प्रगति दिखाई** है।
- पवन उद्योग के विस्तार के परिणामस्वरूप **एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र, परियोजना संचालन क्षमता** और लगभग **10,000 मेगावाट प्रति वर्ष का विनिर्माण** आधार हुआ है।
- दुनिया में **चौथी सबसे अधिक पवन स्थापित क्षमता |**
- **कुल स्थापित क्षमता** - 39.25 GW (31 मार्च 2021 तक)
- **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय** (MNRE)के अनुसार, भारत अपनी **7,600 किमी की तटरेखा** के साथ **127 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा** उत्पन्न कर सकता है।
- **राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान** (NIWE) के अनुसार, **कुल पवन ऊर्जा क्षमता**- 100 मीटर हब ऊंचाई पर **302 गीगावॉट।**
- व्यावसायिक रूप से **दोहन योग्य संसाधनों का 95% से अधिक**: आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु **में पाया जाता** हैं |
- MNRE ने **2022 तक 5 गीगावॉट अपतटीय पवन ऊर्जा** और **2030 तक 30 गीगावॉट** स्थापित करने का **लक्ष्य** रखा है

पवन ऊर्जा क्षमता

भारत में 10 सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्रों की सूची

पवन ऊर्जा संयंत्र	मेगावाट	स्थिति
मुप्पंडल विंड फार्म	1500	तमिलनाडु, कन्याकुमारी
जैसलमेर विंड पार्क	1064	राजस्थान, जैसलमेर
ब्राह्मणवेल पवन फार्म	528	महाराष्ट्र, धुले
ढलगांव पवन फार्म	278	महाराष्ट्र, सांगली
वंकुसावडे विंड पार्क	259	महाराष्ट्र, सतारा जिला।
वास्पेट विंड पार्क	144	महाराष्ट्र, वास्पेट
तुलजापुर विंड पार्क	126	महाराष्ट्र, उस्मानाबाद
बेलुगुप्पा विंड पार्क	100.8	बेलुगुप्पा, आंध्र प्रदेश
ममतखेड़ा विंड पार्क	100.5	मध्य प्रदेश, ममतखेड़ा
अनंतापुर विंड पार्क	100	आंध्र प्रदेश, निम्बागल्लू

महासागर ऊर्जा

- **महासागर** पृथ्वी की सतह के **70% से अधिक को सम्मिलित** करता है जिससे यह **दुनिया का सबसे बड़ा सौर संग्राहक** बन जाता है।
- महासागरीय ऊर्जा समुद्र की **लहरों, ज्वार-भाटे** या समुद्र में **संचित तापीय ऊर्जा** का सम्मिश्रण होती है।

तरंग ऊर्जा

- **समुद्र की लहरों से** बिजली का उत्पादन।
- बहती लहर की शक्ति सीधे **टर्बाइन या यंत्र** चला सकती है या यह **हवा या हाइड्रोलिक तरल पदार्थ पर दबाव** डाल सकती है।
- **महासागर इंजीनियरिंग सेल** IIT चेन्नई ने केरल में विझिंजम बंदरगाह और थंगास्सेरी में **150 KW की पायलट परियोजना की स्थापना** की।
  - इसके अलावा **अंडमान और निकोबार** द्वीप समूह में कार्निकोबार में मस प्वाइंट पर **5 पायलट परियोजनाएं** स्थापित करेंगे।

तापीय ऊर्जा

- समुद्र की **सतह** पर **गर्म पानी** और इसकी गहराई पर **ठन्डे पानी** के बीच **तापमान अंतर का उपयोग** करता है।
- **ताप प्रवणता** ~ 10°c (लगभग) - अमोनिया, प्रोपेन आदि जैसे पदार्थ वाष्पीकृत हो जाते हैं।
- **स्थान**: तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप।

ज्वारीय ऊर्जा

- जैसे ही **ज्वार बढ़ता है,** पानी को **खाड़ी में प्रवेश करने से रोका जाता** है।
- जब **ज्वार अधिक** होता है और **पानी टर्बाइनों को चलाने के लिए पर्याप्त** होता है, तो **बांध खोल** दिया जाता है और **पानी जलाशय में बहता** है, टर्बाइनों के **ब्लेड को घुमाता** है और **बिजली उत्पन** करता है।
- भारत के **केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण** ने **कच्छ की खाड़ी** और **खंभात की खाड़ी** और पश्चिम बंगाल में **सुंदरबन तट** को ज्वारीय ऊर्जा के दोहन के लिए आवश्यक ज्वार की सीमा के साथ **अनुकूल स्थानों के रूप में** पहचाना है।

भू - तापीय ऊर्जा

- भूतापीय ऊर्जा **पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली प्राकृतिक ऊष्मा** है जिसका **उपयोग बिजली** उत्पन्न करने के साथ-साथ **इमारतों को गर्म करने के लिए** भी किया जा सकता है।
- **भूतापीय संसाधनों के 3 प्रकार:**
  - जियोप्रेशराइज्ड जोन
  - हॉट-रॉक जोन
  - जलतापीय संवहन क्षेत्र।
- वर्तमान में केवल पहले का **भारत में व्यावसायिक आधार पर दोहन** किया जा रहा है।

भारत में भूतापीय ऊर्जा

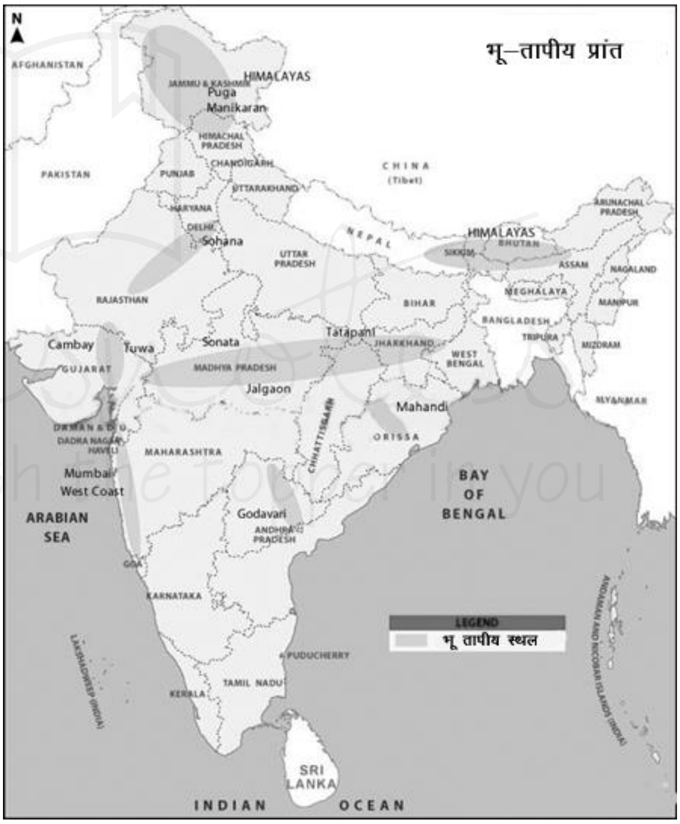

- भूतापीय क्षेत्रों की खोज और **अध्ययन 1970 में शुरू** हुआ।
- **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण** ने देश में लगभग **350 भूतापीय ऊर्जा स्थानों का पता लगाया** है।
- **सबसे आशाजनक**- लद्दाख की **पुगा घाटी।**
- **7 भूतापीय प्रांत** (हिमालय, सोहाना, पश्चिमी तट, खंभात (गुजरात), गोदावरी, महानदी और सोन-नर्मदा-तापी (SONATA) और कई भू-तापीय झरने।
- **2013-** छत्तीसगढ़ सरकार ने बलरामपुर जिले के तातापानी में **भू-तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने का निर्णय** लिया।
- **2021**- लद्दाख में पहली भू-तापीय विद्युत परियोजना स्थापित करने

का समझौता।

- **प्रमुख स्थल**
    - पुगा भूतापीय क्षेत्र
    - चुमथांग भूतापीय क्षेत्र
    - मणिकर्ण भूतापीय क्षेत्र
    - व्यास घाटी
    - सतलुज और स्पीति घाटी
    - तपोवन भूतापीय क्षेत्र, चमोली, उत्तराखंड और अलकनंदा घाटी
    - तातापानी भूतापीय क्षेत्र
    - सल्बरदी क्षेत्र
    - अनहोनी छिंदवाड़ा क्षेत्र
    - उनकेश्वर
    - गोदावरी ग्रैबेन
    - अंडमान-निकोबार क्षेत्र
    - दामोदर घाटी
    - पश्चिमी तापीय प्रांत
    - खंभात भूतापीय क्षेत्र
    - कोंकण भूतापीय प्रांत
    - सोहना तापीय क्षेत्र
    - तुवा और छाबसर भूतापीय क्षेत्र, गुजरात
    - लसुंद्र भूतापीय प्रांत

बायोमास

- एक **अक्षय ऊर्जा संसाधन** जो **पौधे और पशु अपशिष्ट से** प्राप्त होता है।
- **प्रकाश संश्लेषण** के दौरान बनने वाले **कार्बनिक अणुओं के रासायनिक बंधों को जलाने** या तोड़ने पर **बायोमास** (बायोमास रूपांतरण) से **ऊर्जा** निकलती है।
- बायोमास ईंधन का **सीधे उपयोग** किया जा सकता है या अधिक सुविधाजनक रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है और फिर उपयोग किया जा सकता है।

- वर्तमान में, **भारत** चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाद **चौथा सबसे बड़ा वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ता** है।
- भारत **2030 तक** यूरोपीय संघ को **दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता** के रूप में विस्थापित कर देगा|
- महामारी से पहले, **भारत की ऊर्जा मांग** 2019 और 2030 के बीच लगभग **50% बढ़ने का अनुमान** था।
    - वर्तमान में **विकास दर 35%** के करीब है।
- **2040 तक,** भारत **क्रय शक्ति समानता** (पीपीपी) के संदर्भ में **औद्योगिक मूल्य वर्धित** वैश्विक विकास के लगभग **20% हिस्सेदारी** के लिए तैयार है और औद्योगिक अंतिम ऊर्जा खपत में **वैश्विक विकास को बढ़ावा** देगा, विशेष रूप से इस्पात निर्माण में।

भारत के प्रमुख उद्योग

- स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली औद्योगिक नीति –1948
- भारत की छठी औद्योगिक नीति –1956
- भारत की तीसरी औद्योगिक नीति – 1991

कोलकाता हल्दिया औद्योगिक क्षेत्रः- सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग ऑटोमोबाईल उद्योगः- गुडगांव, चेन्नई, पुणे, फरीदाबाद

1. लौहा एवं इस्पात उद्योग (Iron & Steel Industry):-
   - भारत में इस उद्योग का विकास वर्ष 1875 में प्रारम्भ हुआ, जब सबसे पहले लौह व इस्पात संयंत्र की स्थापना पश्चिम बंगाल में 'कुल्टी' नामक स्थान पर की गई।
   - भारत के प्रमुख 'एकीकृत लौह तथा इस्पात संयंत्र' निम्न है–

(i). टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (TISCO)–
- वर्ष 1907 में जमशेदपुर, झारखण्ड में स्थापना
- भारत का पहला एकीकृत लौह-इस्पात संयंत्र

(ii). भारतीय आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (IISCO)–
- वर्ष 1918 में स्थापना
- पश्चिम बंगाल में स्थित तीन लौह इस्पात संयंत्र- कुल्टी, बर्नपुर व हरिपुर के प्रबंन्धन के लिए IISCO की स्थापना

(iii). विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (VISCO)–
- वर्ष 1923 में भद्रावती, कर्नाटक में स्थापना

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्थापित–

A. भिलाई आयरन एवं स्टील प्लांट–1955
USSR के साथ सन् 1955 में छत्तीसगढ में स्थापित

B. राउरकेला आयरन एवं स्टील प्लांट–
जर्मनी के साथ सन् 1959 में ओडिशा में स्थापित

C. दुर्गापुर आयरन एवं स्टील प्लांट–
यू.के. (UK) के साथ सन् 1959 में पश्चिम बंगाल में स्थापित

D. बोकारो आयरन एवं स्टील प्लांट–
USSR के साथ सन् 1973 में झारखण्ड में स्थापित

E. SAIL (Steel Authority of India Limited)-
वर्ष 1974 में स्थापित
SAIL भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के लौह-इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन करता है ।

F. सलेम स्टील प्लांट–
वर्ष सन् 1981 में तमिलनाडु में स्थापित

G. विशाखापट्टनम स्टील प्लांट–
- वर्ष 1971 में उडीसा में स्थापित
- विशाखापट्टनम तटीय क्षेत्र में स्थित World Market है तथा यहाँ ऑस्ट्रेलिया से कोयले का आयात किया जाता है ।

2. सूती वस्त्र उद्योग
(Cotton Textile Industry):-
- विश्व का दूसरा सबसे बडा सूती वस्त्र उद्योग भारत में मिलता है ।
  कॉटन पोलिस ऑफ इंडिया – मुंबई
  भारत के मैनचेस्टर – अहमदाबाद
  दक्षिण भारत का मैनचेस्टर – कोयम्बटूर
  उत्तर भारत का मैनचेस्टर – कानपुर
- क्षेत्र–
  1. महाराष्ट्र– मुम्बई, सोलापुर, कोलापुर, नागपुर, पुणे
  2. गुजरात– अहमदाबाद, बडोदरा, सूरत, भावनगर, राजकोट
  3. तमिलनाडु- कोयम्बटूर, तिरची, मदुरई
  4. मध्यप्रदेश-इन्दौर, उज्जैन, भोपाल
  5. उत्तरप्रदेश- कानपुर, मोदी नगर

3. कागज निर्माण उद्योगः–
- भारत में कागज निर्माण के लिए मुख्य रूप से घास व गन्ने से प्राप्त बगास का उपयोग किया जाता है ।
- भारत में पहली बार कागज मील की स्थापना सन् 1812 में पश्चिम बंगाल में सेरामपुर में की गई ।

क्षेत्र–
(a) पश्चिम बंगाल– सेरामपुर, टिटागढ, बालीगंज
(b) आन्ध्रप्रदेश– सिरपुर, राजमुंदडी
(c) मध्यप्रदेश– नेपानगर (News Paper Print कागज के निर्माण के लिए)
(d) कर्नाटक– बेलगोला

4. जहाज निर्माण उद्योग (Ship Building):-
   1. मझगांव डॉक्स लिमिटेड = मुम्बई
   2. कोच्चीन शिपयार्ड लिमिटेड = कोची
   3. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड = गोवा
   4. गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड = कोलकाता
   5. हल्दिया डॉक्स व पोर्ट इंजीनियरिंग लिमिटेड = हुगली (कोलकाता)

5. ऑटोमोबाइल उद्योग (Automobile Industry):-
   - पुणे, चेन्नई व गुडगांव भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग के सबसे प्रमुख उद्योग है ।
   - पीथमुपर को 'भारत का डेट्रोइड' भी कहा जाता है ।
     1. मारूति = गुडगांव (हरियाणा), अहमदाबाद (गुजरात)
     2. हीरो कम्पनी = दारूहेडा (गुडगांव के पास, हरियाणा), भिवाडी (अलवर, राजस्थान)
     3. यामाहा = फरीदाबाद (हरियाणा)
     4. अशोक लीलैण्ड (हिन्दुजा ग्रुप)= चैन्नई (तमिलनाडु), अलवर (राजस्थान)
     5. टाटा मोटर्स
   - भारत की सबसे बडी कम्पनी
   - पुणे (महाराष्ट्र), पीथमपुर (मध्यप्रदेश), लखनऊ (उत्तरप्रदेश)
   - सनाद (अहमदाबाद)- नैनो कार का निर्माण
   - पंथनगर (उत्तराखण्ड)- इंडिका कार का निर्माण

6. एल्युमिनियम उद्योग (Aluminium Industry):-
   भारत में एल्युमिनियम उद्योग की शुरूआत सन् 1937 में हुई, जब सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल में **'JK नगर'** में पहले एल्युमिनियम संयंत्र की स्थापना की गई ।
   (i) Indian Aluminium Company (INDALCO)- मुरी (बिहार), आलमपुरम (केरल), बेलगांव
   (ii) Hindustan Aluminium Company (HINDALCO) - रेणुकूट (उत्तरप्रदेश)
   (iii) National Aluminium Company (NALCO) – दामनजोडी व कोरापुत (उडीसा)
   (iv) Bharat Aluminium Company (BALCO) - कोरबा (छत्तीसगढ), विधानवाडा (पं. बंगाल)
   (v) Madrash Aluminium Company (MALCO) -मेटूर (तमिलनाडु)

7. ऊनी वस्त्र उद्योग
   (Woollen Textile Industry):-
   1. पंजाब- अमृतसर, लुधियाना,
   2. जम्मू-कश्मीर- श्रीनगर
   3. उत्तरप्रदेश- मिर्जापुर (कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध)
   4. मध्यप्रदेश- ग्वालियर

8. रेशम उद्योग (Silk Industry):-
   1. कर्नाटक- बैंगलोर, मैसूर, तुमकुर
   2. पश्चिम बंगाल- मुर्शीदाबाद, कोलकाता, 24 मालदा जिला
   3. जम्मू-कश्मीर- श्रीनगर, जम्मू
   4. असम- स्यालकुची

9. उर्वरक उद्योग (Fertilizer Industry):-
   - भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् पहला उर्वरक संयंत्र 'झारखण्ड' में 'सिन्दरी' नामक स्थान पर लगाया गया। (सन् 1961 में)
   - HBJ पाइप लाइन पर आधारित कुछ उर्वरक

   संयंत्र
   1. राजस्थान- बीजापुर, सवाईमाधोपुर, चम्बल फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल लिमिटेड कोटा
   2. पश्चिम उत्तरप्रदेश- बानवाला, बबराला, शाहजहाँपुर, जगदीशपुर
   3. पूर्वी उत्तरप्रदेश- गोरखपुर
   4. तमिलनाडु- रानीपेटन + इन्नौर
   5. पंजाब- नांगल

10. शुगर उद्योग (Suger Industry):-
   - भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तरप्रदेश में होता है ।
   - चीनी का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है
   - चीनी का सर्वाधिक उत्पादन- महाराष्ट्र > उत्तरप्रदेश > तमिलनाडु
   - चीनी उद्योग के प्रमुख केन्द्र- उत्तरप्रदेश, बिहार, पंजाब

क्र.सं.	रिफाइनरी का नाम	राज्य का नाम
1	डिगबोई	असम
2	नुमालीगढ	असम
3	गुवाहटी	असम
4	बोंगाई गांव	असम

5	बरौनी	बिहार
6	कोलकाता	पश्चिम बंगाल
7	हल्दिया	पश्चिम बंगाल
8	पारद्वीप	ओडिशा
9	विशाखापट्टनम	आंध्रप्रदेश
10	तातिपका	आंध्रप्रदेश
11	चेन्नई	तमिलनाडु
12	नागपट्टनम	तमिलनाडु
13	कोची	केरल
14	मंगलौर	कर्नाटक
15	ट्राम्बे	महाराष्ट्र
16	कोयली	गुजरात
17	जामनगर	गुजरात
18	वादीनार	गुजरात
19	मथुरा	उत्तर प्रदेश
20	भटिंडा	पंजाब
21	पानीपत	हरियाणा
22	बीना	मध्यप्रदेश

भौगलिक चिन्ह (GI Tag)

आदर्श वाक्य – भारत की अमूल्य निधि
सबसे अधिक जीआई टैक कर्नाटक के पास है ।
दार्जिलिंग की चाय पहला उत्पाद था जिसे भौगोलिक संकेतक मिला था । इसे सबसे पहले 2004 में जीआई टैग मिला था । जीआई टैग 2020 निम्न प्रकार है –

उत्पाद	राज्य (जिले)
मिर्च डाले खुरसानी	सिक्किम
मिन्दोली केला (मोयरा केला)	गोवा
हरमल मिर्च	गोवा
त्यौहारी मीठे पकवान खाजे	गोवा
धमामपट्टी लकडी की नक्काशी	तमिलनाडु
कश्मीरी केसर	जम्मू-कश्मीर
तंजावुर नेति वर्क्स और अरुम्बतूर लकडी की नक्काशी	तमिलनाडु
कोहबर और सोहराई(मिट्टी के दीवारों पर उकेरी जाने वाली कला)	झारखंड(हजारीबाग)
खोला या खोलची मिर्च	गोवा
काले चावल (चक-हाओ)	मणिपुर
गोरखपुर टेराकोटा	गोरखपुर(उत्तर प्रदेश)
कोविलपट्टी की कदलाई मितई(मूंगफली की कैंडी)	तमिलनाडु

भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र

- भारत में उद्योगों की स्थापना में असमानता रही है। इसलिए देश में औद्योगिक वितरण असमान है।
- इसका प्रमुख कारण ऊर्जा आपूर्ति, कच्चा माल, श्रम, परिवहन, बाजार आदि साधनों की उपलब्धता है।
- जिन स्थानों पर ये स्रोत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, वहाँ उद्योग सुगम तरीके से प्रगति करते हैं। इसके अतिरिक्त उद्योगों की स्थापना उनकी प्रकृति पर भी निर्भर करती है।
- उद्योग की वस्तुओं की माँग के अनुरूप देश में औद्योगिक प्रदेश का विकास हुआ है।
- इन उद्योगों के विकास में अलग-अलग कारकों की भूमिका रही है। भारत के औद्योगिक प्रदेश को 8 प्रमुख तथा 13 लघु औद्योगिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है।
- भारत के प्रमुख औद्योगिक **प्रदेश निम्नलिखित हैं-**

1. मुंबई-पुणे औद्योगिक प्रदेश-

- औपनिवेशिक काल से व्यापारिक महत्व के चलते मुंबई-पुणे औद्योगिक प्रदेश का विकास हुआ।
- मुंबई में **सूती वस्त्र उद्योग** की स्थापना की गई थी।
- यहाँ पर **औद्योगिक विकास के प्रमुख कारक**
  - निकटवर्ती क्षेत्रों से **कच्चे माल के रूप में कपास की प्राप्ति,**
  - वर्ष 1869 में **स्वेज नहर का विकास होने** से यूरोप से व्यापार की सुगमता,
  - औपनिवेशिक काल से व्यापारिक नगरीय स्थिति,
  - श्रम की उपलब्धता
  - कालांतर में पश्चिमी घाट में जल विद्युत उत्पादित ऊर्जा आपूर्ति
- मुंबई हाई में पेट्रोलियम के उत्खनन तथा खोज की वजह से उद्योगों में विविधता तथा मजबूती आई।
- इसके चलते प्लास्टिक, उर्वरक, पेट्रो-रसायन आदि उद्योगों का विकास हुआ।
- मुख्य रूप से **औद्योगिक प्रदेश मुंबई-ठाणे से पुणे और नासिक तथा सोलापुर** जिलों तक विस्तृत है।
- इसके अतिरिक्त यह अहमदनगर, रायगढ़, सांगली, सतारा, जलगाँव आदि जिलों तक विस्तृत है।

2. बेंगलुरु-चेन्नई औद्योगिक प्रदेश-

- प्रारंभ में यह कपास उत्पादन वाला क्षेत्र था। इस कारण यहाँ पर **वस्त्र उद्योग की स्थापना** की गई थी।
- वर्तमान में यह प्रदेश बेंगलुरु के देश की **'सॉफ्टवेयर राजधानी'** के रूप में विकसित होने के कारण तीव्रता से विकसित हुआ है।
- इस औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत **हथकरघा उद्योग तथा सूती वस्त्र उद्योग है।**
- इसके अतिरिक्त यहाँ **डीजल, इंजन, रेल के डिब्बे, हल्के व भारी इंजीनियरिंग उपकरण, रेडियो**, शक्कर, टायर, चमड़ा, सीमेंट, वायुयान तथा सॉफ्टवेयर उद्योग हैं।

3. कोलकाता-हुगली औद्योगिक प्रदेश-

- **कोलकाता-हावड़ा का क्षेत्र** इस औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत आता है।
- यह गंगा नदी की सहायक नदी **हुगली नदी के तट पर पश्चिम बंगाल** राज्य में विकसित हुआ है।
- इस औद्योगिक प्रदेश को आसपास के क्षेत्रों से **कच्चा माल की प्राप्ति** होती है।
- इस औद्योगिक प्रदेश को **विकसित करने वाले कारक**
  - पूर्वी बंगाल से जूट,
  - दामोदर घाटी से **कोयला आदि** की आपूर्ति,
  - छोटा नागपुर से **लौह अयस्क,**
  - बिहार, उत्तर प्रदेश तथा अन्य घने बसे क्षेत्रों **से सस्ते श्रम** की आपूर्ति होती है।
  - औपनिवेशिक काल में भारत की राजधानी रहने,
  - हुगली नदी से सस्ता जल परिवहन,
  - औद्योगिक जल की आपूर्ति,
  - धीरे-धीरे दूर तक के अन्य क्षेत्रों से रेल तथा सड़क मार्ग से जुड़ने के कारण यह औद्योगिक प्रदेश विकसित हुआ।
- वर्तमान में इन उद्योगों में जूट के अतिरिक्त कागज, सूती वस्त्र, विद्युत, इंजीनियरिंग, दवा, रसायन, उर्वरक, पेट्रो रसायन आदि का उत्पादन किया जाता है।
- कोलकाता एक **अंतरराष्ट्रीय पत्तन** है। इसके साथ यहाँ पर अन्य आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध होने के चलते इस औद्योगिक प्रदेश के उत्पादित माल को वृहद् राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध होता है।
- भारत में यह औद्योगिक प्रदेश 100 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में उत्तर में बंसबेरिया से लेकर दक्षिण में बिड़लानगर तक विस्तृत है।
- कोलकाता तथा हावड़ा के अतिरिक्त इस औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख **केंद्र सेरामपुर, हल्दिया, शिवपुर, रिशरा, गुरियह, नैहाटी, टीटागढ़, श्यामनगर, बजबज, सौदेपुर, हुगली, त्रिवेणी, बेलूर** आदि हैं।

4. छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश-

- भारत के इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में **कोयला तथा लौह अयस्क के भंडार के साथ** सस्ता श्रम उपलब्ध हैं। **दामोदर घाटी से कोयला** तथा झारखंड और उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र से **लौह अयस्क** तथा अन्य धात्विक-अधात्विक खनिज की प्राप्ति होती है।
- इस कारण इस औद्योगिक प्रदेश में **लौह इस्पात तथा अन्य भारी उद्योगों का तीव्रता** से विकास हुआ है।
- इस औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख संयंत्र **बर्नपुर, जमशेदपुर, बोकारो, कुल्टी राउरकेला आदि में स्थापित** किए गए हैं।
- यह औद्योगिक प्रदेश **पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भाग**, **ओडिशा** के उत्तरी भाग तथा **झारखंड** राज्य में फैला हुआ है।
- इस प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र **धनबाद, राँची, सिंदरी, चाईबासा, बोकारो, हजारीबाग, दुर्गापुर, राउरकेला, डालमियानगर, आसनसोल** आदि हैं।

5. गुजरात औद्योगिक प्रदेश-

- देश के इस क्षेत्र में **19वीं सदी में सूती वस्त्र उद्योग** की स्थापना की गई थी।
- इसके चलते इस प्रदेश का शुरुआती औद्योगिक विकास हुआ।
- इसमें पहले कपास का उत्पादन होता था। इस वजह से इस औद्योगिक प्रदेश का तीव्रता से विकास हुआ। कालांतर में इस क्षेत्र में उद्योगों का विविधीकरण हुआ, जिसका प्रमुख कारण तेल भंडारों की खोज तथा परिशोधनशालाओं का स्थापित होना है।

- विभाजन के पश्चात इस औद्योगिक प्रदेश का **कराची पत्तन** पाकिस्तान में रह गया। इसकी कमी को पूर्ण करने हेतु **कांडला पत्तन का** विकास किया गया जो औद्योगिक प्रदेश को मजबूती प्रदान की।
- **कोयली तथा जामनगर** में पेट्रोलियम रिफायनरी स्थापित की गई थी।
- इसके चलते अन्य संबंधित उद्योगों जैसे- रंग रोगन, प्लास्टिक आदि का विकास हुआ।
- इस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र **अहमदाबाद से वड़ोदरा** के बीच है।
- यह औद्योगिक प्रदेश मुख्य रूप से **कोयली, भरूच, खेड़ा, आणद, जामनगर, सुरेंद्रनगर, सूरत, वलसाड, राजकोट** आदि क्षेत्रों में फैला हुआ है।

6. गुरुग्राम-दिल्ली-मेरठ औद्योगिक प्रदेश-

- इस औद्योगिक प्रदेश का विकास मुख्य रूप से **उद्योग के निकट बाजार की उपलब्धता** के कारण हुआ है।
- इसके अतिरिक्त इस औद्योगिक प्रदेश के विकास में सहायक कारक
  - भाखड़ा-नागल से प्राप्त जल विद्‌युत शक्ति,
  - सस्ता श्रम तथा
  - पानीपत, फरीदाबाद से प्राप्त ताप विद्‌युत शक्ति है।
- इस औद्योगिक प्रदेश में विशाल तथा भारी विनिर्माण के संयंत्रों की स्थापना नहीं की गई है, क्योंकि यह खनिज तथा ऊर्जा संसाधनों के भंडार वाले क्षेत्रों से काफी दूरी पर अवस्थित है।
- इस औद्योगिक प्रदेश में छोटे-छोटे तथा क्लस्टर रूपी उद्यम स्थापित किए गए हैं।ये सभी परिवहन को प्रेरित करते हैं।
- उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान आदि राज्यों से चमड़े की प्राप्ति से आगरा-मथुरा में चमड़ा उद्योग का विकास हुआ है।
- इसके **अतिरिक्त हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर पाइपलाइन से मथुरा रिफाइनरी को** कच्चे माल की आपूर्ति से इस औद्योगिक क्षेत्र में पेट्रो रसायन तथा उससे संबंधित उद्योग की स्थापना की गई है।
- इस औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख उत्पाद **सीमेंट, शक्कर, सूती, ऊनी वस्त्र, कृषि उपकरण, वनस्पति घी, खाद्य प्रसंस्करण, साइकिल, ट्रेक्टर, शीशा** आदि हैं।

7. विशाखापत्तनम-गुंटूर औद्योगिक प्रदेश-

- देश के इस क्षेत्र में **खनिज भंडारों की उपलब्धता** के कारण औद्योगिक प्रदेश का विकास हुआ है।
- इस औद्योगिक प्रदेश को **गोदावरी बेसिन से कोयला तथा कृषि क्षेत्र से कृषि आगतों** की प्राप्ति होती है।
- इस औद्योगिक प्रदेश की विस्तृत तट रेखा पर **विशाखापत्तनम तथा मछलीपट्टनम जैसे पत्तन** पर अवस्थित हैं।
- इसके साथ-साथ यहाँ पर **सस्ता श्रम एवं बाजार उपलब्ध** है।
- इस औद्योगिक प्रदेश में कच्चे तेल का आयात कर उसके परिशोधन से पेट्रो रसायन उद्योग का विकास हुआ है।
- यह औद्योगिक प्रदेश भारत के **आंध्र प्रदेश में** विस्तृत है। इसके प्रमुख क्षेत्र **विजयनगर, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, राजमुंद्री, कुर्नूल, गुंटूर, एलूरु** आदि हैं।

8. कोल्लम-तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश-

- यह औद्योगिक **प्रदेश केरल में विकसित** हुआ है।
- इस औद्योगिक प्रदेश को **घने जनसंख्या बसाव के कारण बाजार तथा तटीय अवस्थिति के** कारण व्यापारिक सुविधा उपलब्ध है।
- इसे **बागानी कृषि से कच्चा** माल की प्राप्ति होती है।
- इस औद्योगिक प्रदेश में भारी उद्योग का विकास नहीं हुआ है क्योंकि यह लौह अयस्क तथा अन्य प्रमुख खनिज क्षेत्रों से काफी दूर है।
- इस क्षेत्र **में पेट्रो रसायन तथा संबद्ध उद्योगों** का विकास हुआ है, **क्योंकि कोच्चि में पेट्रोलियम** रिफाइनरी उपलब्ध है।
- इस औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख केंद्र **तिरुअनंतपुरम, कोल्लम, एर्नाकुलम, अलुवा, अलप्पुझा, कोच्चि, पुनालूर** आदि हैं।

परिवहन तंत्र
(Transportation System)

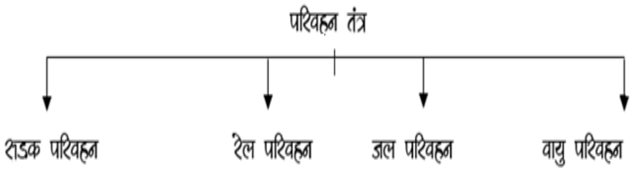

1. सडक परिवहन (Road ways):-
   - भारत में कुल 62.16 लाख किमी. लम्बाई का सडक तंत्र है ।
   - USA के बाद यह विश्व का सबसे बडा सडक तंत्र है । (USA में 63 लाख किमी.)
   - भारत में सडक यातायात देश की कुल यातायात का 4 प्रतिशत है ।
   - भारत का औसत सडक घनत्व 142.6 किमी प्रति सौ वर्ग किमी है ।
   - भारत में सबसे बडे सडक तंत्र वाले राज्य-
     (i). महाराष्ट्र (4.1 लाख किमी.)
     (ii). उत्तरप्रदेश
     (iii). पश्चिम बंगाल
   - भारत में सबसे छोटे सडक तंत्र वाले राज्य-
     (i). सिक्किम (4000 किमी.)
     (ii). मिजोरम
     (iii). गोवा
   - भारत में सर्वाधिक सडक घनत्व वाले राज्य-
     (i). केरल (517 किमी./100 वर्ग किमी.)
     (ii). पश्चिम बंगाल
     (iii). असम
   - भारत में सबसे कम सडक घनत्व वाले राज्य-
     (i). जम्मू-कश्मीर (12 किमी./100 वर्ग किमी.)
     (ii). अरूणाचल प्रदेश
     (iii). झारखण्ड

भारत में सडक तंत्र को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है ।

(i). एक्सप्रेस वे (Expressway)
(ii). राष्ट्रीय राजमार्ग
} Union Govt. NHAI (National Highway)

(iii). State Highway
(iv). District Road
} State Govt. Pwd : Union Govt = 25:75

(v). Rural Road and other – भारत निर्माण कार्य के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत (Union Govt. = 90% Center Govt. + 10% State Govt.)

राष्ट्रीय राजमार्ग (National Higway)

- भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग (National Higway) की कुल लम्बाई - 1,32,499 किमी. (2019 के आँकडो के अनुसार) है ।
- इन राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण एवं रखरखाव हेतु - NHAI, CPWD कार्य करती है ।
- NHAI की स्थापना 1988 में हुई थी। मुख्यालय दिल्ली में है ।
- CPWD की स्थापना 1854 में हुई थी । मुख्यालय दिल्ली में है ।
- राष्ट्रीय राजमार्ग (National Higway) की अधिकतम लम्बाई 15,436 किमी महाराष्ट्र में है।
- राज्य राजमार्ग (State Highway) की अधिकतम लम्बाई 33,705 किमी भी महाराष्ट्र में ही है ।

स्थान	राष्ट्रीय राजमार्ग	राज्य राजमार्ग
प्रथम	महाराष्ट्र- 15,436 किमी	महाराष्ट्र- 33,705 किमी
द्वितीय	उत्तर प्रदेश- 8711 किमी	तमिलनाडू- 26,985 किमी
तृतीय	राजस्थान- 7985 किमी	कर्नाटक- 20758 किमी
चतुर्थ	मध्य प्रदेश- 7854 किमी	गुजरात- 19,761 किमी

- अन्य मार्गो की तुलना में राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highway) मात्र 2% ही है । परन्तु इन पर यातायात का कुल 40% हिस्सा निर्भर करता है ।
- राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highway) का वर्गीकरण -
  - Single Lane National Highway- 22%
  - Double Lane National Highway- 54%
  - Multilane National Highway (4 lane, 6 lane & 8 lane)- 24%

NHDP-1 :-

- इस चरण के दौरान भारत के चार प्रमुख मेट्रो शहरों को एक दूसरे से राष्ट्रीय राजमार्गो के माध्यम से जोडा गया है तथा इसे 'स्वर्णिम चतुर्भुज' नाम दिया गया है
- 'स्वर्णिम चतुर्भज' की कुल लम्बाई 5846 किमी. है तथा इसमें **NH-8, NH-4, NH-5, NH-2** सम्मिलित है ।

भारत के कुछ प्रमुख राजमार्ग

(i). NH-1 :-
- दिल्ली – अम्बाला – जालन्धर – अमृतसर – अटारी

(ii). NH-1A :-
- जालन्धर – जम्मू – श्रीनगर – उरी (बनिहाल दर्रा)

(iii). NH-1D :-
- श्रीनगर – कारगिल – लेह

(iv). NH-2* :-
- दिल्ली – मथुरा – आगरा – कानपुर – इलाहाबाद – वाराणसी – धनबाद –दलकुनी (कोलकाता)

(v). NH-3 :-
- आगरा – धौलपुर – ग्वालियर – इन्दौर – नासिक – थाने – मुम्बई

(vi). NH-4* :-
- थाने – पुणे – कोलापुर – बैंगलोर – कोलार – रानीपेट – चेन्नई

(vii). NH-5 :-
- यह राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्वी तट के समानान्तर चलता है ।
- चैन्नई – नेल्लोर (आन्ध्रप्रदेश) – विजयवाडा – विशाखापट्टनम – भुवनेश्वर – कटक – बहरागोरा (झारखंड)

(viii). NH-6 :-
- यह लम्बाई के आधार पर भारत का दूसरा सबसे लम्बा राष्ट्रीय राजमार्ग है ।
- हजीरा (गुजरात) – सूरत – अमरावती (महाराष्ट्र) – नागपुर – रायपुर – बहरागोरा (झारखंड) – खडकपुर – हावडा – कोलकाता

(ix). NH-7 :-
- वाराणसी – जबलपुर – नागपुर – हैदराबाद – बैंगलोर – सालिम – मदुरई – कन्याकुमारी

(x). NH-8* :-
- दिल्ली – जयपुर – अजमेर – उदयपुर – अहमदाबाद – मुम्बई

(xi). NH-9 :-
- पुणे – सोलापुर – हैदराबाद – विजयवाडा – मछलीपट्टनम्

(xii). NH-12 :-
- जबलपुर – भोपाल – कोटा – टोंक – जयपुर

(xiii). NH-15*:-
- राजस्थान का सबसे बडा राष्ट्रीय राजमार्ग
- पश्चिमी सीमा के समानान्तर
- पठानकोट – अमृतसर – भटिण्डा – गंगानगर – बीकानेर – जैसलमेर – बाडमेर – समख्याली –कांडला पोर्ट

(xiv). NH-17* :-
- पश्चिमी तटीय सीमा के समानान्तर
- पन्वेल (महाराष्ट्र) – कोची

(xv). NH-31* :-
- उत्तर-पूर्व भारत की जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि यह उत्तर-पूर्व भारत को शेष भारत से जोडता है ।
- बर्हि – पूर्निया – सिलीगुडी – कूच बिहार – अमीनगाँव (असम)

(xvi). NH-44* :-
- भारत का सबसे लम्बा राष्ट्रीय राजमार्ग है।
- NH–44 जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश–पंजाब–हरियाणा–दिल्ली–उत्तरप्रदेश–राजस्थान–मध्यप्रदेश–उत्तरप्रदेश–मध्यप्रदेश–महाराष्ट्र–तेलंगाना–आंध्रप्रदेश–कर्नाटक– तमिलनाडु तक जाता है।
- इसकी कुल लम्बाई 3806 किमी की है ।

(xvii). NH-47A* :-
- भारत का सबसे छोटा राजमार्ग (लम्बाई– 6 किमी.
- कोची – वेलींग्टन द्वीप
- देश में सर्वाधिक लम्बे राजमार्ग वाले राज्य–

उत्तरप्रदेश > राजस्थान > मध्यप्रदेश > तमिलनाडु

देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 1998-1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (NHDP) शुरू की गई।

स्वर्णिम चतुर्भुज योजना
(Golden Quadrilateral)

- स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना देश के चार महानगरों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोडने वाली परियोजना है दिल्ली - मुंबई - चेन्नई - कोलकाता इसकी लंबाई 5846 किमी है।
- स्वर्णिम चतुर्भुज कुल 13 राज्यों से होकर गुजरता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम	महानगरों का नाम	कुल लम्बाई	राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य में पड़ने वाले प्रमुख शहर
NH-48	दिल्ली - मुम्बई	1419 किमी	दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान (जयपुर, उदयपुर), गुजरात (अहमदाबाद, सूरत), महाराष्ट्र (मुम्बई)
NH-48	मुम्बई-चेन्नई	1290 किमी	महाराष्ट्र (मुम्बइ,ठाणे), कर्नाटक महाराष्ट्र (बेंगलुरू), तमिलनाडु (चेन्नई)
NH-16	चेन्नई-कोलकाता	1684 किमी	आंध्र प्रदेश (नेल्लूर, गुंटूर, विजयवाडा, विशाखापटनम), ओडिशा (भुवनेश्वर), पश्चिम बंगाल (खडगपुर, कोलकाता)
NH-16	कोलकाता-दिल्ली	1435 किमी	पश्चिम बंगाल (आसनोल) झारखंड, बिहार (मोहनिया), उत्तर प्रदेश (मथुरा, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, बनारस, हरियाणा दिल्ली)

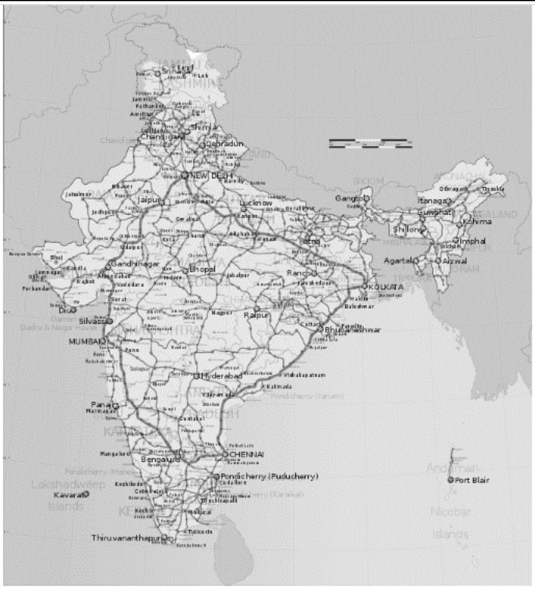

स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना

उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम गलियारा

- भारत के उत्तरी तथा दक्षिणी बिन्दु को एवं पूर्वी तथा पश्चिमी बिन्दु को आपस में जोडने वाले राज्य मार्ग इसके अंतर्गत आते है।
- उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम गलियारा परियोजना के अन्तर्गत NH-44 तथा NH-27 आते है।
- ये दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश में झांसी में एक दूसरे से मिलते है।

पूर्व-पश्चिम गलियारा (East west coridor)

- NH-27 असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को आपस में जोडता है।
- NH-27 असम से पश्चिम बंगाल-बिहार- उत्तर प्रदेश -राजस्थान-गुजरात तक जाता है।
- इसकी कुल लम्बाई 3507 किमी. की है।

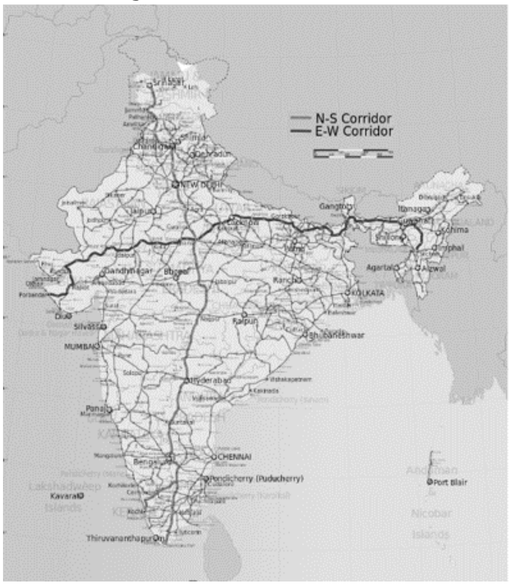

2. रेल परिवहन (Rail Network):-

- भारत में रेलवे की शुरूआत सन् 1853 में हुई तथा पहले रेलमार्ग का विकास बोम्बे से ठाणे के मध्य किया गया ।
- स्वतंत्रता के समय भारत में रेल तंत्र की कुल लम्बाई लगभग 50,000 किमी. थी तथा वर्तमान में इसकी कुल लम्बाई लगभग 64,000 किमी. है
- भारत का रेल तंत्र विश्व का चौथा सबसे बडा रेल तंत्र है ।
- सबसे बडे रेल तंत्र – U.S.A. > Russia > China > India

रेलवे जोन एवं मुख्यालय

क्षेत्र	मुख्यालय	डिवीजन
मध्य	मुंबई	मुंबई (सीएसटी), भुसवाल, नागपुर, पुणे
पश्चिम	मुंबई	मुंबई (मध्य), वडोदरा, रतलाम, अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर
उत्तर	दिल्ली	अंबाला, दिल्ली, लखनऊ, मुरादाबाद, फिरोजपुर
पूर्व	कोलकाता	आसनसोल, हावडा, मालदा, सियालदह
दक्षिण	चेन्नई	चेन्नई, मदुरै, पालघाट, त्रिची, त्रिवेन्द्रम, सलेम
पूर्व मध्य	हाजीपुर	दानापुर, धनबाद, मुगलसराय, समस्तीपुर, सोनपुर
पूर्व तट	भुवनेश्वर	खुर्दा रोड, संबलपुर, वालटायर
उत्तर मध्य	इलाहाबाद	इलाहाबाद, आगरा, झांसी
पूर्वोत्तर	गोरखपुर	लखनऊ, इज्जातनगर, वाराणसी
पूर्वोत्तर सीमा	गुवाहटी	कटिहार, अलीपुरदुआर, रंगिया, लुमडिंग, तिंसुकिआ
उत्तर पश्चिम	जयपुर	अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर
दक्षिण मध्य	सिकंदराबाद	हैदराबाद, नांदेड, सिकंदराबाद
दक्षिण पूर्व	बिलासपुर	बिलासपुर, नागपुर, रायपुर
दक्षिण पूर्व	कोलकाता	आद्रा, चक्रधरपुर, खडगपुर, रांची
दक्षिण पश्चिम	हुबली	बैंगलोर, हुबली, मैसूर
दक्षिण तटीय	विशाखापटनम	गुंटकाल, गुंटूर, विजयवाडा
पश्चिम मध्य	जबलपुर	भोपाल, जबलपुर शहर
कोलकाता मेट्रो	कोलकाता	लागू नहीं

3. जल परिवहन (Water ways):-

- भारत में जल मार्गों के विकास हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आई डब्लू ए आई) की स्थापना वर्ष 1986 में की गयी। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में है।

देश के अन्य महत्वपूर्ण जल संस्थान एवं उनके कार्यालय निम्नवत हैं–

- राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान – पटना ।
- राष्ट्रीय जलक्रीडा संस्थान – गोवा ।
- इण्डियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी – चेन्नई ।
- NWAI द्वारा वर्तमान में 6 राष्ट्रीय जलमार्गो का विकास किया जा रहा है ।

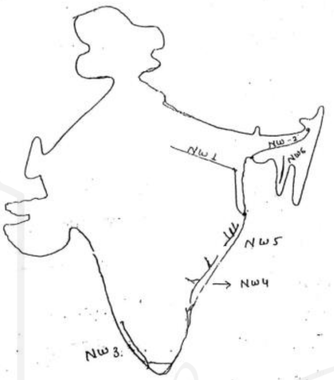

भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्ग

1. राष्ट्रीय जलमार्ग–1 (National waterway-1)
   - वर्ष 1986 में घोषित किया गया था।
   - गंगा एवं हुगली नदी पर प्रयागराज (इलाहाबाद) से हल्दिया तक ।
   - इसकी कुल लम्बाई 1680 किमी. है ।
2. राष्ट्रीय जलमार्ग–2 (National waterway-2)
   - वर्ष 1988 में घोषित किया गया था ।
   - ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी तक ।
   - इसकी कुल लम्बाई 891 किमी है ।
3. **NW-3 :-**
   - यह केरल में स्थित है ।
   - कुल लम्बाई – 205 किमी.
   - पश्चिम तट नहर + चम्पाकारा नहर + उद्योग मंडल नहर
4. **NW-4 :-**
   - यह काकीनाडा (आन्ध्रप्रदेश) से पुदुचेरी के मध्य स्थित है ।
   - कुल लम्बाई – 1095 किमी.
   - पूर्व तट नहर + गोदावरी व कृष्णा नदी का डेल्टा
   - राज्य – आन्ध्रपदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी

विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण तथ्य

विश्व के महाद्वीप

पृथ्वी के स्थलीय भाग की वृहत्तम इकाई महाद्वीप कहलाता है । इसके वृहत तटवर्ती भूभाग सागरीय क्षेत्रों से संलगन तथा वृहत आन्तरिक भाग सागरीय प्रभावों से दूर स्थिर होता है ।

- विश्व में 7 महाद्वीप है –
- एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अण्टार्कटिका ।
- एशिया विश्व का सबसे बडा महाद्वीप है, विश्व के लगभग 30 प्रतिशत
- भाग पर स्थित है । आस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है । यूरोप सबसे दूसरा छोटा महाद्वीप है ।

महाद्वीप	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	ऊँचा पर्वत (मीटर में)	सबसे नीच क्षेत्र समुद्र तल से नीचे मीटर में
एशिया	44,579,000 4.39CKm^2 (30%)	माउन्ट एवरेस्ट (8848 मी.)	मृत सागर (इजराइल) (समुद्रतल से 386मी. नीचे)
अफ्रीका	3,02,21,532 2.98 Ckm^2 (20%)	किलीमंजारो (तंजानिया) (5895 मी.)	कतरा गर्त (मिस्र) (131 मी.)
उत्तरी अमेरिका	24,320,000 2.43 Ckm^2 (16%)	माउन्ट मैकिन्ले (अलास्का) (6194 मीटर)	मृत घाटी (डेथ वैली) कैलिफोर्निया (84 मीटर)
दक्षिण अमेरिका	17,599,000 1.76 Ckm^2 (12%)	एकान्कागुआ (अर्जेन्टाइना) (6960 मीटर)	रियो नीग्रो (अर्जेन्टाइना)
अण्टार्कटिका	1.33 Ckm^2 (10%)	विन्सन मैसिफ	समुद्र तल
यूरोप	9,700,000 0.97Ckm^2 (7%)	एल्बुर्ज जार्जिया (5633 मी.)	कैस्पियन सागर (28मीटर)
आस्ट्रेलिया	0.86 Ckm^2 (5%)	माउन्टकास्यूस्को न्यूसाउथ वेल्स (2194 मी.)	लेक आय दक्षिण आस्ट्रेलिया (13 मी.)

विश्व के महासागर एवं सागर

विश्व के वृहद महासागर

महासागर	क्षेत्रफल	प्रतिशत
प्रशांत महासागर	165,246,200 Km^2 (16.5 करोड वर्ग किमी)	45.77%
अटलांटिक महासागर	82,441,500 Km^2 (7.3 करोड वर्ग किमी)	22.83%
आर्कटिक महासागर	14,090,100 Km^2 (1.4 करोड वर्ग किमी)	3.91%
हिंद महासागर	7,34,25,500	

अन्य सागर

सागर	क्षेत्रफल	प्रतिशत
मलाया सागर	0.81 करोड वर्ग किमी	2.26 प्रतिशत
मध्य अमेरिका सागर	0.43 करोड वर्ग किमी	1.21 प्रतिशत
भूमध्य सागर	0.29 करोड वर्ग किमी	0.82 प्रतिशत

छोटे बंद सागर

सागर	क्षेत्रफल	प्रतिशत
हडसन की खाडी	12.32 लाख वर्ग किमी	0.34 प्रतिशत
लाल सागर	4.37 लाख वर्ग किमी	0.12 प्रतिशत
बाल्टिक सागर	4.22 लाख वर्ग किमी	0.12 प्रतिशत
पार्शियन सागर	2.38 लाख वर्ग किमी	0.06 प्रतिशत

सामुद्रिक खाडियां एवं किनारे के सागर

बेरिंग सागर	22.68 लाख वर्ग किमी
आखोटस्क सागर	15.27 लाख वर्ग किमी
जापान सागर	10.07 लाख वर्ग किमी
पूर्वी चीन सागर	12.49 लाख वर्ग किमी
उत्तरी सागर	5.75 लाख वर्ग किमी

इंग्लिश चैनल तथा आयरिश सागर	1.78 लाख वर्ग किमी
अंडमान सागर	7.97 लाख वर्ग किमी
कैलिफोर्निया सागर	1.62 लाख वर्ग किमी
बास सागर	0.74 लाख वर्ग किमी

विश्व के महाद्वीपों के उपनाम

महाद्वीप	उपनाम
एशिया	महाद्वीपों का महाद्वीप
अफ्रीका	अन्ध महाद्वीप
उत्तरी अमेरिका	नई दुनियाँ
दक्षिणी अमेरिका	पक्षियों का महाद्वीप
अण्टार्कटिक	श्वेत महाद्वीप
यूरोप	प्रायद्वीप का महाद्वीप
ऑस्ट्रेलिया	प्यासी भूमि का देश

महासागरीय जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं-

1. गर्म जल धारा- ये जलधाराएँ विषुवत रेखीय क्षेत्रों से ध्रुवों की तरफ चलती हैं, इन जलधाराओं का पानी गरम होता है । अतः ये जलधाराएं अपने पास पडने वाले क्षेत्रों का तापमान बढा देती है।
2. ठंडी जल धारा- जो जलधाराएं ध्रुवीय क्षेत्रों से विषुवत रेखीय क्षेत्रों की तरफ चलती हैं तथा इनका पानी ठंडा होता है। अतः ये जलधाराएं अपने पास पडने वाले क्षेत्रों का तापमान घटा देती हैं ।

प्रमुख जलधाराओं का विवरण निम्नवत है-

क्र.सं.	जलधारा का नाम	महासागर का नाम	गर्म/ठंडी जलधारा
1	उत्तरी विषुवत जलधारा	प्रशांत महासागर	गर्म
2	क्युरेशियो जलधारा	प्रशांत महासागर	गर्म
3	उत्तरी प्रशांत जलप्रवाह	प्रशांत महासागर	गर्म
4	अलास्का जलधारा	प्रशांत महासाग	गर्म
5	एलनीनो जलधारा	प्रशांत महासाग	गर्म
6	दक्षिण विषुवत जलधारा	प्रशांत महासाग	गर्म
7	पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा	प्रशांत महासाग	गर्म
8	क्यूराइल जलधारा	प्रशांत महासाग	ठंडी
9	कैलिफोर्निया जलधारा	प्रशांत महासाग	ठंडी
10	हम्बोल्ट (पेरू) जलधारा	प्रशांत महासाग	ठंडी
11	उत्तरी विषुवत जलधारा	अटलांटिक महासागर	गर्म
12	एंटी जलधारा	अटलांटिक महासागर	गर्म
13	गल्फ स्ट्रीम जलधारा	अटलांटिक महासागर	उष्ण
14	फ्लोरिडा जलधारा	अटलांटिक महासागर	उष्ण
15	दक्षिण विषुवत जलधारा	अटलांटिक महासागर	उष्ण
16	ब्राजील जलधारा	अटलांटिक महासागर	गर्म
17	इरमिंगर जलधारा	अटलांटिक महासागर	ठंडी
18	लेब्रोडर जलधारा	अटलांटिक महासागर	ठंडी
19	बेंगुएला जलधारा	अटलांटिक महासागर	ठंडी
20	कनारी जलधारा	अटलांटिक महासागर	ठंडी
21	फॉकलैण्ड जलधारा	अटलांटिक महासागर	ठंडी
22	दक्षिण विषुवत जलधारा	हिंद महासागर	उष्ठ
23	मोजम्बिका जलधारा	हिंद महासागर	गर्म व स्थायी
24	अगुलहास जलधारा	हिंद महासागर	गर्म व स्थायी
25	पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा	हिंद महासागर	ठंडी व स्थायी

- जल सभी महासागरों में महासागरीय जलधाराओं की दिशा कोरियोलिस बल से निर्धारित होती है परन्तु इसके अपवाद स्वरूप हिंद महासागर के उत्तरी भाग में जलधाराओं की दिशा मौसमी हवाओं द्वारा निर्धारित होती है ।

- विषुवत रेखा के निकट महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी तथा पूर्वी तटों पर गर्म जलधाराएं प्रवाहित होती हैं।
- जहां पर दो जलधाराएं मिलती हैं उस स्थान पर प्लेंकटन नामक घास उग जाती है जिससे मछली उद्योग के लिए सहायक दशाए उत्पन्न होती हैं। इसके साथ ही गर्म एवं ठंडी जल धाराओं के मिलने से कोहरे का निर्माण होता है जिससे जल-यातायात प्रभावित होता है
- गल्फ स्ट्रीम जलधारा विश्व की सबसे तेज जलधारा है जोकि फ्लोरिडा जलधारा एवं एंटिलीज जलधारा के मिलने से बनती है।
- उत्तरी अटलांटिक महासागर में 4 जलधाराओं के बीच के शांत जल के क्षेत्र को सार्गोसो सागर कहा जाता है।
- क्युरेशियो जलधारा को जापान की काली धारा के नाम से भी जाना जाता है।

विश्व के प्रमुख द्वीप

नाम	क्षेत्रफल	स्थिति
ग्रीनलैण्ड	21.75 लाख वर्ग किमी	अटलांटिक
न्यू गिनी	744.108 लाख वर्ग किमी	पश्चिम प्रशांत महासागर
बोर्निया	7.77 लाख वर्ग किमी	पं. मध्य प्रशांत महासागर
मेडागास्कर	5.90 लाख वर्ग किमी	द. हिन्द महासागर
बैफिन द्वीप	5.76 लाख वर्ग किमी	उत्तरी अटलांटिक (कनाडा)
सुमात्रा	4.73 लाख वर्ग किमी	पूर्वी हिन्द महासागर
होन्शु	2.29 लाख वर्ग किमी	जापान (उ.प. प्रशान्त महासागर)
ग्रेट ब्रिटेन	2.18 लाख वर्ग किमी	उ. अटलांटिक महासागर
ऐलेसमेरे द्वीप	1.96 लाख वर्ग किमी	आर्कटिक महासागर
सेलेबज	1.89 लाख वर्ग किमी	पं. मध्य प्रशांत महासागर
न्यूजीलैण्ड	1.50 लाख वर्ग किमी	द.प. प्रशांत महासागर
जावा द्वीप	1.26 लाख वर्ग किमी	पूर्वी हिन्द महासागर
क्यूबा	1.14 लाख वर्ग किमी	कैरिबियन सागर
न्यूफाउण्डलैण्ड	1.12 लाख वर्ग किमी	उत्तरी अटलांटिक महासागर
लुजोन द्वीप	1.04 लाख वर्ग किमी	पश्चिम प्रशांत महासागर
आइसलैण्ड	1.03 लाख वर्ग किमी	ग्रेट ब्रिटेन के पश्चिम
मिण्डानाओ द्वीप	0.94 लाख वर्ग किमी	पश्चिम प्रशांत महासागर
आयरलैण्ड	0.82 लाख वर्ग किमी	ग्रेट ब्रिटेन के पश्चिम
होकैडो	0.77 लाख वर्ग किमी	उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर (जापान)
हिस्पनियोला	0.76 लाख वर्ग किमी	कैरिबियन सागर
सखलिन	0.74 लाख वर्ग किमी	उत्तर पश्चिम महसागर (रूस)
तस्मनिया	0.67 लाख वर्ग किमी	दक्षिण आस्ट्रेलिया महासागर
श्रीलंका	0.65 लाख वर्ग किमी	हिंद महासागर

विश्व के प्रमुख महासागरीय गर्त

गर्त	गहराई (फैदन)	स्थिति
चेलैंजर (मेरियाना)	5269	उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर
टोंगा गर्त	5022	मध्य दक्षिण प्रशांत महासागर
फिलीपींस गर्त	4767	फिलीपींस (उत्तर पश्चिम प्रशांत)
टस्का	4656	जापान के निकट (प्रशांत महासागर)
प्यूटोरिको गर्त	4622	उत्तर पश्चिम अटलांटिक (कैरिबियन सागर)

रोमशे	4030	दक्षिण अटलांटिक महासागर
सुण्डा	3828	पूर्वी हिन्द महासागर
वाल्वीडिया	3134	दक्षिण अटलांटिक महासगर

विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां एवं चोटिया

गर्त	स्थिति	सर्वोच्च चोटी
हिमालय	भारत, नेपाल, पाक, म्यानमार	माउंट एवरेस्ट (8848 मी.)
काराकोरम	भारत	माउंट K2(8612 मी.)
एण्डीज	पश्चिम दक्षिण अमेरिका	एकांकागुआ (6960 मी.)
रॉकी	प.उ. अमेरिका	माउण्ट अल्बर्ट (6050 मी)
अलास्का	प. अलास्का	माउण्ट मैकिन्ले (6193 मी.)
आल्पस	मध्य यूरोप	माउण्ट ब्लैक (4807 मी.)
काकेशस	रूस	एल्बुर्ज (यूरोप का संवोच्च चोटी) (5633 मी.)
अप्लेशियन	पूवी सं रा. अमेरिका	माउण्ट मिचेल (2037 मी.)
डेकेन्सबर्ग	द.पूर्वी अफ्रीका	थवना एन्टलेयाना (3482 मी.)
एटलस	उ.प अफ्रीका	जेबेल टौक्काल (4165 मी.)
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज	पूर्वी आस्ट्रेलिया	माउण्ट कोसियास्कु (2228 मी.3)
तिएनशान	द. मध्य एशिया	पाइक पोवेदा (7435 मी.)
यूराल	मध्य रूस	गोरा नैरोडनामा (1894 मी.)
जैग्रोस	ईरान	जार्ड कुह (4547 मी.)
सियरामाडे ओरिएंटल	मैक्सिको	दमाबंद (5698 मी.)
स्कैण्डिनेवियान पर्वत	स्कैंडिनेविया	गल्धोपिर्जे (2470 मी.)
किलामंजारा	तंजानिया	किलामंजारों (अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी) (5895 घी.)
विन्सफमैसिफ	अण्टार्कटिका	(विन्सफ मैसिफ)

Note: माउंटकुक न्यूज़ीलैण्ड का सर्वोच्च चोटी है।

लम्बबत विस्तार के अनुसार पर्वत श्रेणियाँ
(1) एण्डिज-कार्डिलेरा - 7200 कि.मी.
(2) रॉकी पर्वत श्रेणी - 4800 कि.मी.
(3) हिमालय-काराकोरम-हिन्दकुश - 3800 कि.मी.
(4) ग्रेट डिबार्डिंग रेंज - - 3600 कि.मी.

विश्व की 10 सर्वोच्च चोटियाँ

चोटियाँ	स्थिति	ऊँचाई
माउण्ट एवरेस्ट	नेपाल	8,848 मी.
माउन्ट K2	भारत (P.O.K)	8,611 मी.
कंचनजंगा	भारत	85,98 मी.
मकालू	नेपाल	86,43 मी.
चो ओयो	नेपाल/तिब्बत	8,201 मी.
धौलागिरी	नेपाल	8,67 मी.
मनास्लू	नेपाल	8,163 मी.
नंगा पर्वत	भारत	8,125 मी.
अन्नपूर्णा	नेपाल	8,091 मी.

विश्व के प्रमुख मरूस्थल

नाम	क्षेत्रफल	स्थिति
सहारा मरूस्थल	84 लाख वर्ग कि.मी.	उत्तरी मध्य अफ्रीका (अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मारीटानिया, नाइजर, सूड्धान, ट्यूनिशिया, मिश्र, मोरक्को)
प. आस्ट्रेलिया म.	15.5 लाख वर्ग कि.मी.	आस्ट्रेलिया यहां ग्रेट सैण्डी, सिम्पसन तथा

		गिब्सन मरूस्थल स्थित है ।
अरब मरूस्थल	13.0 लाख वर्ग कि.मी	अरब प्रायद्वीप (यहाँ रुब-अल-खाली तथा नैफूद मरूस्थल है।)
गोबी मरूस्थल	10.4 लाख वर्ग कि.मी	मंगोलिया
कालाहारी मरूस्थल	5.20 लाख वर्ग कि.मी.	बोत्सवाना (अफ्रीका)
तकला मकान मरूस्थल	3.20 लाख वर्ग कि.मी	सिंकियांग प्रान्त (चीन)
सोनोरा मरूस्थल	3.10 लाख वर्ग कि.मी.	(सं.रा.अमेरिका, मैक्सिको)
नामीबिया मरूस्थल	3.10 लाख वर्ग कि.मी	नामीबिया (अफ्रीका)
काराकुरम मरूस्थल	2.70 लाख वर्ग कि.मी.	तुर्कमेनिस्तान
थार मरूस्थल	2.60 लाख वर्ग कि.मी.	उ.प. भारत एवं पाकिस्तान
सोमाली मरुस्थल	2.60 लाख वर्ग कि.मी	सोमालिया (अफ्रीका)
अटाकामा मरूस्थल	1.80 लाख वर्ग कि.मी.	उ. चिली
काइजिल कुम मरूस्थल	1.80 लाख वर्ग कि.मी	उजबेकिस्तानध्कजाकिस्तान
दस्त-ए-लूट मरूस्थल	0.52 लाख वर्ग कि.मी.	पूर्वी इरान
मोजेब मरूस्थल	0.35 लाख वर्ग कि.मी	द कैलिफोर्निया

विश्व की प्रमुख झील

सर्वाधिक ऊँची झील	टिटी सिकुरू (6085 मी.)	तिब्बत का पठार
सर्वाधिकनीची-झील	मृत सागर (386 मी. समुद्र तल से	इजरायल
सर्वाधिक गहरी झील	बैकाल झील (1940 मी.)	रूस
सर्वाधिक खारी झील	डान हुआॅन (330% लगभग)	अंटार्कटिका
सर्वाधिक मीठा पानी का झील	चाड	अफ्रीका
सर्वाधिक बडी मीठी पानी का झील	सुपीरियर	सं.रा. अमेरिका
सर्वाधिक विस्तृत झील	कैस्पियन सागर	एशिया

विश्व के दस वृहद झील

नाम	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	स्थिति
कैस्पियन सागर	3,94,300	अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्केमेनिस्तान, ईरान
सुपीरियर झील	82,414	कनाडा, सं.रा. अमेरिका
विक्टोरिया	69,485	युगांडा, तंजानिया, केन्या
अरल सागर	65,800	कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान
हयूरन झील	59,600	कवाडा, सं.रा. अमेरिका
मिशिगन झील	58,016	सं.रा. अमेरिका
टांगानीका	32,893	जैरे, तंजानिया, जाम्बिया, बुरूण्डी
ग्रेट बैरियर	31,080	कनाडा
बैकाल	30,530	रूस
मलावीन्यास	30,044	तंजानिया, मलावी, मोजांबिक

अन्य झील

(1) ग्रेट स्लेव - कनाडा
(2) विनीपेग - कनाडा
(3) अथवास्का - कनाडा
(4) ईरी - USA कनाडा
(5) ओण्टेरियो - USA कनाडा.
(6) लैडोगा - रूस
(7) वाल्खश - कजाकिस्तान
(8) आयर - आस्ट्रेलिया
(9) चाड - नाइजर, नाइजीरिया, चाड, कैमरून
(10) टिटिकाका - बोलिविया, पेरू

विश्व के प्रमुख नहर

नहर	जोडती है
सु नहर (सं.रा. अमेरिका)	सुपीरयर झील एवं ह्यूरन झील
इरी नहर (सं.रा. अमेरिका	इरी एवं मिशीगन झील
मैनचेस्टर नहर (ब्रिटेन)	मैचेस्टर एवं लिवरपुल
कील नहर (जर्मनी)	उत्तर सागर एवं बाल्टिक सागर
स्वेज नहर (मिश्र)	लाल सागर एवं भूमध्यसागर
पनामा नहर (पनामा)	कैरिबियन सागर (अटलांटिक महासागर) एवं प्रशान्त महा.
8° चैनल	मालद्वीप एवं मीनीकाय द्वीप
9° चैनल	लक्षद्वीप एवं मीनीकाय द्वीप
10° चैनल	छोटा अंडमान एवं कार निकोबार द्वीप

विश्व की नदियां

- नील नदी विश्व की सबसे लम्बी नदी है । इसके बाद क्रमशः आमेजन तथा मिसीसिपी-मिसौरी है ।
- अमेजन नदी पानी की मात्रा की दृष्टि से सबसे विशाल (बडी) नदी है ।
- यांग्टीसीक्यांग चीन की सर्वाधिक लम्बी नदी है ।
- बोल्गा यूरोप की सर्वाधिक लम्बी नदी है ।
- ओब रूस की सर्वाधिक लम्बी नदी है। -
- डेन्यूब यूरोप के 7 देशों से प्रवाहित होती है।

विश्व की प्रमुख नदियाँ

	उद्गम	अन्त
नील नदी (6690 कि.मी.)	विक्टोरिया झील	भूमघ्यसागर
अमेजन (6296 कि.मी.)	पेरू	द. अंटलांटि महासागर
मिसीसिपी-मिसौरी (6040 कि.मी.)	रेडरॉक श्रोत (USA)	मैक्सिको की खाडी
यांग्टीसिक्यांग (5797 कि.मी.)	तिब्बत का पठार	पूर्वी चीन सागर
येनीसी	स्न्नू ओला (रूस)	आर्कटिक सागर
हांगहो	क्युनलुन पर्वत (चीन)	चिहिल की खाडी
ओब	अल्टाई पर्वत	ओब की खाडी
पराना	ब्राजील का पठार	रियोडेल लाप्लारा
जैरे (कांगो)	जैरे-जाम्बिया सीमा	द. अटलांटिक
आमूर (रूस)	खिंगन श्रेणी	ओखोटस्क सागर
लीना (रूस)	बेकाल पर्वत	लैप्टेव सागर (आर्कटिक सागर)
वोल्गा (रूस)	ब्लडाई पठार	दक्षिण का चीन सागर
यूराल नदी (रूस)	युराल पर्वत	कैस्पियन सागर
डेन्यूब (यूरोप)	ब्लैकफारेस्ट (जर्मगी)	काला सागर
सीक्यांग (चीन)	यून्नान पठार	द. चीन सागर
मर्रे-डार्लिंग	क्वींसलैण्ड (आस्ट्रेलिया)	इनकाउंटर की खाडी
मीकांग	तिब्बत पठार (चीन	द. चीन सागर (चोन, थाइलैण्ड, वियतनाम, कम्बोडिया)
ओरेनिको	बेनेजुएला	अटलांटिक महासागर
नाइजर	गिनी	गिनी की खाडी
जाम्बेजी	जाम्बिया	द. हिन्द महासागर

विश्व के प्रमुख औद्योगिक केन्द्र

1. मुम्बई (भारत) - सूती वस्त्र उद्योग
2. अहमदाबाद - सूती वस्त्र उद्योग
3. कोयम्बटूर (भारत)- सूती वस्त्र उद्योग
4. अनशान (चीन) - लोहा-इस्पात उद्योग
5. शंघाई (चीन) - सूती वस्त्र उद्योग
6. ढाका (बंगलादेश)- सूती वस्त्र उद्योग, कालीन उद्योग
7. वाकू (रूस) - पेट्रोलिग
8. मास्कों (रूस) - सूती वस्त्र उद्योग
9. तुला (मत) - लोहा-इस्पात उद्योग
10. गोर्की (रूस) -. इंजिनियरिंग उद्योग
11. खारकोब (रूस)- लोहा-इस्पात उद्योग
12. मैग्नीटोगार्स्क -लोहा-इस्पात उद्योग

13. निकनी-तागिल - लोहा-इस्पात उद्योग
14. चेलियाबिन्स्क - लोहा-इस्पात उद्योग, ट्रैक्टर
15. याबाता, तोबेता, नागासाकी, कावाशाकी (जापान)- सूती वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग
16. ओसाका (जापान)- सूती वस्त्र, लोहा-इस्पात उद्योग
17. शिकागो (USA)- लोहा इस्पात, मांस उद्योग
18. डेट्रायट (USA)- मोटर निर्माण
19. क्रिवायराग (रूस)- लोहा इस्पात उद्योग
20. एसैन (जर्मनी) - लोहा-इस्पात उद्योग
21. हवाना (क्यूबा) - सिंगार उद्योग
22. जोहांसवर्ग अफ्रीका)- सोना खतन
23. लेनिनग्राड (रूस)- वस्त्र रसायन व कागज
24. मेनचेस्टर (ब्रिटेन)- सूती वस्त्र उद्योग
25. पिट्सवर्ग (ब्रिटेन)- लोहा-इस्पात उद्योग (उत्तम प्रकार का) (विश्व की इस्पात नगरी)
26. शंफील्ड (ब्रिटेन)-उच्च किस्म का सर्मिकल इस्पात
27. ज्यूरिख (स्विटजरलैंड)- सुक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक
28. मिलान (इटली)- सिल्क एवं सूती वस्त्र
29. वर्मिंघम (USA)- लोहा-इस्पात उद्योग
30. लग्जेमबर्ग (जर्मनी) – हींग कयई उद्योग
31. लॉसएंजिल्स (USA)-फिल्म उद्योग, एयर क्राफ्ट उद्योग

विश्व की प्रमुख जनजातियाँ

जनजाति	क्षेत्र
सेमांग	मलेशिया
याकुत, कोरियाक, चुकच	उ.पूर्वी एशिया
पिग्मी	कांगो बेसिन (अफ्रीका
वेद्दा	श्रीलंका
बुशमैन	कालाहारी (वोत्सवाना)
किकुयू	केन्या
एस्कीमो	कनाडा, टुण्ड्रा
होंगू	एशियाई टुंड्रा
बोरा	अमेजन बेसिन (द. अ.)
पापुआन	न्यूगिनी
मसाई	पूर्वी अफ्रीका
जूलू	नेटल प्रांत (द. अफ्रीका)
लैप्स	फिनलैंड
पूनन	बोर्नियो
खिरगीज	मध्य एशिया
औका	इक्वेडोर
भल्ला कृषक	मिश्र
ऐनू	जापान
माओरी	न्यूज़ीलैण्ड
होटेनटोट	कालाहारी (वोत्सवाना)
रेड इण्डियन	सं.रा. अमेरिका
कज्जाक	मध्य एशिया
बद्दू	अरब
अफरीदी	पाकिस्तान
अरबोजिन्स	आस्ट्रेलिया के मूल निवासी
हौसा	नाइजीरिया के मूल निवासी
बांटू	द.एवं मध्य अफ्रीका
बर्बर	उत्तरी अफ्रीका
फिन्स	यूरोपीय टुन्ड्रा
तातार	साइबेरिया

विश्व की प्रमुख घास स्थल

क्र.सं.	घास का मैदान	घास भूमि का स्थान
1.	सवाना	सुडान (अफ्रीका)
2.	कैम्पास	ब्राजील
3.	सेराडो	ब्राजील
4.	लानोस	कोलंबिया, वेनजुएला, गुयाना
5.	पम्पाज	अर्जेन्टीना, उरूग्वे व ब्राजील
6.	वेल्ड	दक्षिण अफ्रीका
7.	कैण्टरबरी	न्यूज़ीलैण्ड
8.	डाउंस	ऑस्ट्रेलिया
9.	स्टेपीज	पूर्वी यूरोप व मध्य एशिया
10.	प्रेयरीज	उत्तरी अमेरिका
11.	पुस्ताज	हंगरी

नोट – बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उदगार नहीं होते लिपारी द्वीप पर स्थित स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्यसागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है । अमेरिका के हवाई द्वीप पर अवस्थित कि लायू ज्वालामुखी विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है ।

विश्व के देशों के भौगोलिक उपनाम

क्र.सं.	भौगोलिक	उपनाम
1.	कंगारूओं का देश	ऑस्ट्रेलिया
2.	येलो पेरिल	चीन
3.	सांपो का देश	ब्राजील

4.	डूबते सूर्य का देश	ब्रिटेन
5.	मोतियों का देश	बहरीन
6.	संगमरमर की भूमि	इटली
7.	उगते सूर्य का देश	जापान
8.	स्वर्णिम पैगोडा का देश	म्यामांर
9.	हजार भूमि का देश	फिनलैंड
10.	प्यारी भूमि का देश	ऑस्ट्रेलिया
11.	मध्यरात्री का देश	नार्वे
12.	विश्व का कहवा	ब्राजील

Toppersnotes
Unleash the topper in you

विश्व के देश, राजधानियां, मुद्रा, संसद

क्र.सं.	देश	संसद	राजधानी	मुद्रा
1.	अफगानिस्तान	शौरा	काबुल	अफगानी
2.	बांग्लादेश	जातीय संसद	ढाका	टका
3.	नेपाल	राष्ट्रीय पंचायत	काठमाण्डू	नेपाली रूपया
4.	पाकिस्तान	नेशनल असेम्बली	इस्लामाबाद	पाकिस्तानी रूपया
5.	भूटान	शोग्यू	थिम्फू	गुलट्रम
6.	चीन	नेशनल पीपुल्स कांग्रेस	बीजिंग	युआन
7.	स्वीडन	रिग्सडोग	स्टॉकहोम	क्रोनर
8.	डेनमार्क	फौल्कीटिंग	कोपन हैगन	डेनिसक्रिन
9.	फ्रांस	नेशनल असेम्बली	पेरिस	फ्रैंक
10.	जर्मनी	रिचस्टैग	बर्लीन	यूरो
11.	इराक	इस्लामिक असेम्बली	बगदाद	इराकी दिनार
12.	इजराइल	नैसेट	यरूसलम	न्यूशकेल
13.	जापान	डाइट	टोक्यो	येन
14.	यू.एस.	कांग्रेस	वांशिगटन डीसी	डॉलर

प्राचीन इतिहास

- इतिहास शब्द ग्रीक अथवा यूनानी भाषा के शब्द हिस्टोरिया से बना है जिसका अर्थ होता है खोज अथवा छानबीन ।
- इतिहास का संबंध अतीत की उन घटनाओं से है जिनका हमारे पास लिखित एवं प्रमाणित तिथि उपलब्ध है ।
- ग्रीका विद्वान हैरोडोट्स ने इतिहास की प्रथम पुस्तक "हिस्टोरिका" लिखी ।
- हैरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है ।
- इतिहास को जानने के लिए निम्न स्त्रोत है –
  1. पुरातात्विक स्त्रोत
  2. साहित्य स्त्रोत
  3. विदेशी यात्रियों का यात्रा वृतांत

अध्ययन की दृष्टि से भारतीय इतिहास को हम निम्न प्रकार बांट सकते हैं ।

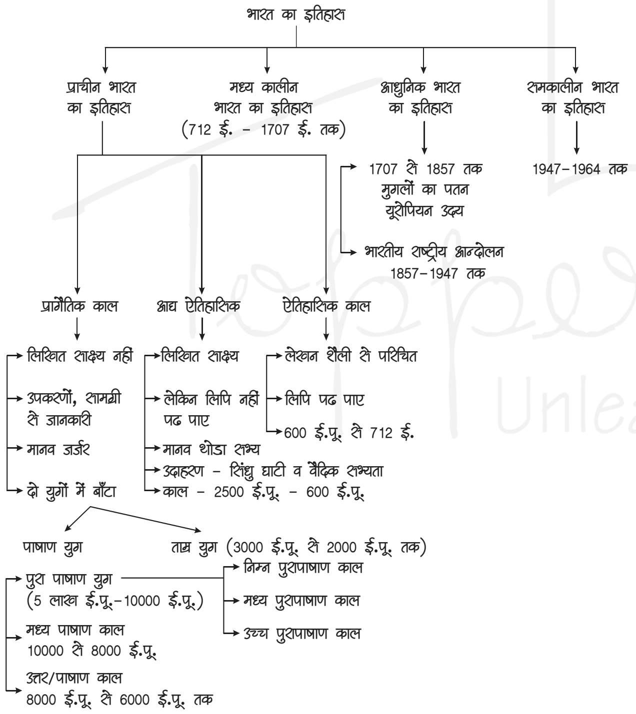

पुरापाषाण काल

- आधुनिक मानव होमोसेपियन्स का उदय ।
- मानव आग जलाना ।
- इस काल में चापर – चौपिंग संस्कृति का उदय, डी एन वाडिया ने खोज की, यह उत्तर भारतीय संस्कृति है ।
- दक्षिण भारत की संस्कृति हैण्ड – एक्स संस्कृति है इसकी खोज रॉबर्ट ब्रुस फुट ने की ।
- चापर-चौपिंग एवं हैण्ड एक्स संस्कृति (उत्तर एवं दक्षिण) मिलन स्थल चौतरान (जम्मू कश्मीर) है ।

प्रमुख स्थल

भीम बेटका – शैला शील चित्रों के प्रसिद्ध; डीडवाना (राजस्थान); हथनौरा

मध्य पाषाण काल

- इस काल को माइक्रोलिथ काल कहते है, छोटे – छोटे पाषाण उपकरणों के कारण ।
- भारत में इस काल का जनक CL क्लाईल ।
- मानव ने इस काल में सर्वप्रर्थम पशु पालन करना सीखा ।
- पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य है । बागौर (राजस्थान) एवं आदमगढ (MP) में पाये जाते है ।
- मध्य पाषाण काल का सबसे प्राचीन स्थल सराय नाहर (यूपी) है ।

उत्तर/नव पाषाण काल

- सर जॉन लुबाक ने नव पाषाण काल शब्द दिया ।
- गार्डन चाइल्ड ने इस काल को "नव पाषाणिक क्रांति" कहा ।
- ली मैसियर ने उत्तर भारत में नव पाषाणिक उपकरण खोजे ।
- नेविलियन फ्रेंजर ने दक्षिण भारत से नव पाषाणिक उपकरण खोजे ।
- मानव ने कृषि करना सीखा ।
- वृहद पैमाने पर पशुपालन एवं ग्रामीण संस्कृति के साक्ष्य मिले ।

प्रमुख स्थल

1. मेहरगढ (पाक) – नव पाषाण काल का सबसे प्राचीन स्थल
   8000 BC पूर्व कृषि के साथ साक्ष्य मिले ।
2. कोल्डी हवा – (यूपी) – 6000 वर्ष पूर्व चावल की खेती के साक्ष्य मिले ।
3. बुर्जहोम एवं गुफ्फकराल (J&K) बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी मिले है ।

नोट – प्रागऐतिहासिक काल के जनक भारत में डा. प्राइम रोज थे । जिन्होने लिंगसुगुर (कर्नाटक) से पाषाण कालीन उपकरण खोजे थे । नव पाषाण काल में दक्षिण भारत की प्रमुख फसल रागी थी ।

सिन्धु घाटी सभ्यता

परिचय

हडप्पा सभ्यता

- चार्ल्स मेसन – 1826 ई. सबसे पहले सभ्यता की ओर ध्यान आकर्षित किया ।

- जॉन ब्रंटन व विलियम ब्रंटन – 1856 ई हडप्पा नगर का सर्वे किया ।
- कनिंघम ने इस ओर दुनिया का ध्यान दिलाया, कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक विभाग का पितामह कहा जाता है ।
- 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया ।
- सर्वप्रथम इस स्थल की खोज होने के कारण यह स्थल हडप्पा सभ्यता कहलाया ।

अन्य नाम

सिंधु घाटी सभ्यता
सरस्वती नदी घाटी सभ्यता
कांस्य युगीन सभ्यता
नगरीय सभ्यता

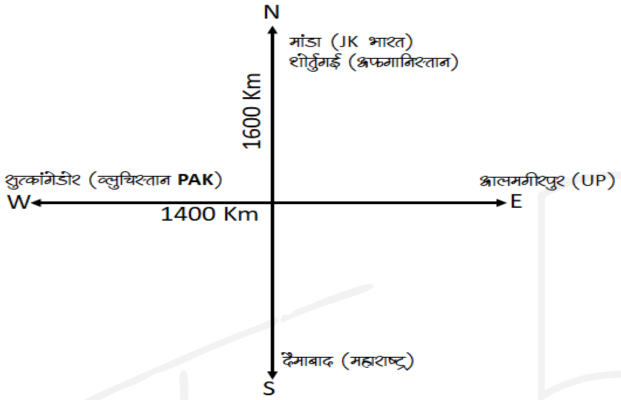

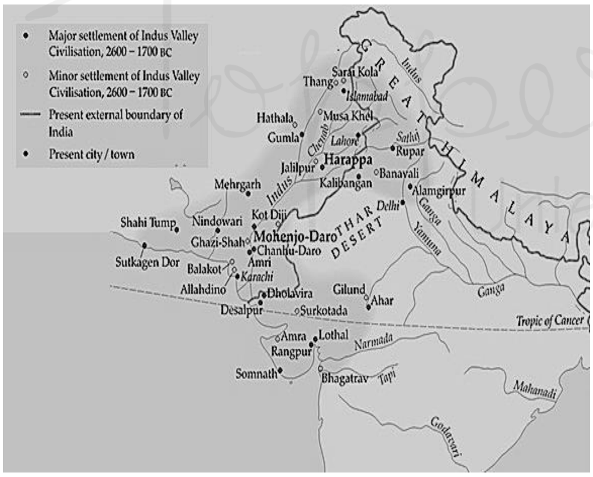

1300 किमी समुद्री सीमा

नोट

- अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के मात्र दो स्थल थे – सार्तगोई एवं मुंडीगॉक है ।
- सार्तगोई से नहरों द्वारा सिंचाई के साक्ष्य मिले है
- सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया के सभ्यता से 12 गुना बडी थी जबकि मिश्र की सभ्यता से 20 गुना बडी थी ।
- आजादी से पूर्व खोजे समस्त स्थल पाकिस्तान में चले गये । भारत में केवल दो स्थल रहे, रंगपुर (गुजरात) और रोपड (पंजाब)

- भारत का सबसे बडा स्थल राखीगढी (हरियाणा) है, दूसरा बडा स्थल धौला वीरा (गुजरात) है ।
- पिग्गट ने हडप्पा एवं मोहनजोदडो को सिन्धु सभ्यता की जुँडवा राजधानी बताया है ।
- बडे नगर (पाकिस्तान)
  - गनेडीवाल
  - हडप्पा
  - मोहनजोदडों

निवासी

यहाँ से प्राप्त कंकालों के आधार पर चार प्रजातियों में बांटा जा सकता है ।

1. भूमध्य सागरीय
2. अल्पाईन
3. मंगोलायड
4. प्रोटो आस्ट्रालायड

सर्वाधिक प्रजाति भूमध्य सागरीय प्रजाति मिली है ।

नगर नियोजन

- नगर दो भागों में विभाजित – पश्चिमी भाग एवं पूर्वी भाग । पश्चिमी भाग दुर्ग था, पूर्वी भाग सामान्य नगर था ।
- पश्चिमी भाग में प्रशासनिक लोग रहते थे । तथापूर्वी भाग में जनसामान्य लोग रहते थे ।
- सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों के मकान है ।
- सिन्धु घाटी के समकालीन सभ्यताओ मे इस विशेषता का अभाव ।
- नगर परकोटे युक्त होते थे ।
- घरों के दरवाजे मुख्य सडक की तरफ न खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे । केवल लोथल में मुख्य सडक की तरफ घरों के दरवाजे खुलते थे ।
- कालीबंगा दोहरे परकोटे युक्त है जबकि चन्हुदडो में कोई परकोटा नही ।
- धोलावीरा तीन भागों में विभक्त है । पश्चिमी, पूर्वी एवं मध्यम ।
- लोथल एवं सुरकोटडा का पश्चिमी एवं पूर्वी भाग दोनो ही एक ही परकोटे से घिरे हुए है ।
- नगर ग्रिड पद्धति पर आधारित थे अर्थात शतरंज के बोर्ड की तरह सभी नगरों को बसाया था तथा सभी मार्ग समकोण पर काटते थे ।
- सबसे चौडी सडक 10 मीटर (मोहनजोदडो) की मिलती है जो सम्भवतः राजमार्ग रहा होगा ।
- घरो मे उत्कृष्ट नाली व्यवस्था (जल निकासी हेतु)
- बडी नालियो को ढक कर रखते थे ।
- भवन के अन्दर सामान्यतः 3 या 4 कक्ष, रसोईघर, 1 विद्यालय स्नानागार एवं कुआं होता था ।
  कच्ची एवं पक्की ईंटो का प्रयोग करते थे ।
  ईंट का आकार – 1 : 2 : 4

- जल निकासी हेतु पक्की ईंटों की नालियां होती थी विश्व की किसी अन्य सभ्यता में पक्की नालियों के साक्ष्य नही मिलते थे ।

प्रमुख नगर

1. हड़प्पा

पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी जिले मे स्थित (अब- शाहीवाल जिले मे) रावी नदी के तट पर

- उत्खननकर्ता - दयाराम साहनी
- रावी नदी के तट पर श्रमिको के आवास एवं अन्नागार मिलते हैं ।
- R – 37 नामक कब्रिस्तान मिलता है । एक शव को ताबूत मे दफनाया गया है, इसे विदेशी की कब्र कहते है ।
- शंख का बना बैल व 18 वर्ताकार चबूतरे मिले है ।
- यहाँ से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरें मिली है ।
- 6 - 6 की पंक्ति में कुल 12 कमरों वाला आवास स्थल मिला है ।
- एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा की मृणमूर्ति मिली है । सम्भवतः यह उर्वरता की देवी होगी ।

2. मोहनजोदड़ो

- स्थिति = लरकाना (सिन्ध, PAK)
- सिन्धु नदी के तट पर
- उत्खननकर्ता = राखालदास बनर्जी
- मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ = मृतकों का टीला (सिन्धी भाषा)

(i) विशाल स्नानागार -

(a) 11.88 × 7.01 × 2.43 मीटर

(b) सम्भवतया यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता रहा होगा ?

(c) सर जॉन मार्शल ने इसे तात्कालिक समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा है ।

(ii) विशाल अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बडी इमारत है । ल. 45.71×15.23 मीटर चौडी है ।

(iii) महाविद्यालय के साक्ष्य

(iv) सूती कपडे के साक्ष्य

(v) हाथी का कपालखण्ड

(vi) कांसा की नर्तकी की मूर्ति मिली है ।

(vii) पुरोहित राजा की मूर्ति जो ध्यान की अवस्था में है ।

(a) इसने शॉल ओढ रखी है जिस पर कशीदाकारी का कार्य किया गया है ।

(viii) यहाँ से मेसोपोटामिया की मुहर मिलती है ।

(ix) योगी की मूर्ति मिली है ।

(x) शिव की मूर्ति मिली है ।

(xi) बाढ से पतन के साक्ष्य मिलते है ।

(xii) सर्वाधिक मुहरें सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ मिलती है ।

3. लोथल

स्थिति = गुजरात

- भोगवा नदी के किनारे

उत्खननकर्ता = S. R. राव (रंगनाथ राव)

→ यह एक व्यापारिक नगर था ।

(i) यहाँ से गोदीवाडा (Dockyard) मिलता है

(a) यह सिन्धु घाटी सभ्यता की सबसे बडी कृति है ।

(ii) मनके (Bead) बनाने का कारखाना

(iii) चावल के साक्ष्य

(iv) फारस की मुहर जो गोलाकार बटननुमा है

(v) घोडे की मृण्मूर्तियाँ

(vi) चक्की के दो पाट

(vii) घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते हैं (एकमात्र)

(viii) छोटे दिशा सूचक यंत्र

4. सुरकोटडा / सुरकोटदा

- स्थिति = गुजरात

(i) घोडे की हड्डियाँ

- सिन्धु घाटी सभ्यता के लोगो को घोडे का ज्ञान नहीं था ।

5. रोजदी (गुजरात)

हाथी के साक्ष्य

6. रोपड (PB)

- मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य

7. धौलावीरा

गुजरात - कच्छ जिला (किसी नदी तट पर नहीं)
उत्खननकर्ता - रविन्द्र सिंह विष्ट (1990 में)

- यह सबसे नवीन नगर है जिसका उत्खनन किया गया
- कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य । संभवतः नहरों के माध्यम से खेती करते होंगे । (दुर्गभाग)
- यह नगर 3 भागों में बंटा हुआ था ।
- स्टेडियम एवं सूचना पट्ट के अवशेष मिलते हैं (खेल का मैदान)

8. चन्हुदड़ों

उत्खननकर्ता - एन. मजूमदार (डाकूओं ने हत्या कर दी) - अर्नेस्ट मैके

- मनके बनाने के कारखाने (मणिकारी), मुहर बनाने का काम आदि ।
- औद्योगिक नगर
- झाकर एवं झुकर संस्कृति के साक्ष्य मिलते है ।
- कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के पद चिन्ह है ।
- एक सौन्दर्य पेटिका मिली है । जिसमें एक लिपिस्टिक है ।

कालीबंगा:-

अवस्थिति- हनुमानगढ
नदी-घग्घर/सरस्वती/दृषद्वती/चौतांग
उत्खननकर्ता- अमलानन्द घोष
(1952)अन्य सहयोगी- बी. बी. लाल
बी. के. थापर
जे. पी. जोशी एम. डी. खरे
कालीबंगा शाब्दिक अर्थ- काली चुडिया (पंजाबी भाषा का शब्द)
उपनाम- दीन हीन बस्ती- कच्ची ईटों के मकान ।

सामग्री

- सात अग्नि वेदिकाएँ एवं हवन कुण्ड मिले है ।
- युग्मित शवाधान प्राप्त हुए ।
- एक मानव कपाल खण्ड मिला है, जिसे मस्तिष्क शोधन बीमारी तथा शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है ।
- जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते है (एकमात्र स्थान) एक साथ दो फसले, उगाया करते थे, जौ एवं सरसों
- मकान कच्ची ईटों के थे बल्लियो की छत होती थी
- जल निकाली हेतु लकडी की नालियों के साक्ष्य मिले है अर्थात सुदृढ जल निकासी व्यवस्था नही थी ।
- ईटों को धूप से पकाया जाता था ।
- वृताकार चबूतरे एवं बेलनाकार मुदरे (मेसोपोटामिया) मिली है ।
- लाल रंग के मिट्टी के बर्तन मिले है जिन पर काली एवं सफेद रंग की रेखाएँ खीचीं गई है ।
- यहाँ से एक खिलौना गाडी एवं पंख फैलाए बगुले की मूर्ति मिली है।
- यहाँ से बैल व बारहसिंहा के अस्थि अवशेष मिले है।
- यहाँ का नगर अन्य हडप्पा स्थलों की तरह ही है, लेकिन यहाँ गढी एवं नगर दोनों दोहरे परकोटे युक्त है।
- यहाँ उत्खनन में पांच स्तर प्राप्त हुए है प्रथम दो स्तर प्राक हडप्पा कालीन है । अन्य तीन स्तर समकालीन हडप्पा है
- यहाँ प्राचीनतम भूकम्प के साक्ष्य प्राप्त होते है ।
- इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार यह हडप्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी है ।

हडप्पा लिपि

- लगभग 64 मूल चिह्न व 400 तक अक्षर
- दायीं से बायीं ओर लिखते थे ।
- गोमूत्राक्षर लिपि एवं भाव-चित्रात्मक लिपि थी ।
- 375 से 400 तक भाव एवं शब्दों का प्रयोग करते थे ।

पतन के कारण

- गार्डन चाइल्ड तथा व्हीलर के अनुसार आर्यो का आक्रमण
- रंगनाथ राव तथा सर जॉन मार्शल - बाढ
- लोम्बिरिक-सिंधु नदी का मार्ग बदलता
- आरस्टाईन एवं अमलानंद घोष-जलवायु परिवर्तन

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधुवासियों ने किया ।
- सारगोन अभिलेख में सिंधु वासियों को मेलुहा (नाविको का देश) कहा गया है ।
- सिंधु वासियों का प्रिय पशु कुबड वाला बैल था ।
- दूसरा मुख्य पशु एक सींग वाला गेंडा था ।
- मातृ सत्तात्मक वाला समाज था ।

वैदिक व उत्तर वैदिक काल (साहित्य)

1500 – 600 BC

इस काल को हम दो भागों में बांट सकते है ।

1. ऋग्वैदिक काल (1500 BC – 1000 BC)
2. उत्तरवैदिक काल (1000 BC – 600 BC)

परिचय

वैदिक सभ्यता आर्यो द्वारा बसाई गई सभ्यता है ।

1. वेद ⇒ श्रुति
2. ब्राह्मण ⇒
3. आरण्यक ⇒
4. उपनिषद ⇒ वेदान्त

— वैदिक साहित्य

1. वेदांग
2. धर्मशास्त्र
3. महाकाव्य
4. पुराण
5. स्मृतियाँ

— वैदिक साहित्य का अंग नहीं है ।

इस काल का इतिहास इस काल में लिखे गए साहित्य पर आधारित है । इस साहित्य को वैदिक साहित्य / श्रव्य साहित्य भी कहा जाता है । जो निम्न है ।

वेद

- वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया
- वेदों का नित्य, प्रामाणिक एवं अपौरूषेय माना जाता है
- वैदिक मन्त्रों की रचना करने वाले ब्राह्मणों को दृष्टा कहते है ।
  वेद 4 है –

1. ऋग्वेद

- ऋग्वेद में 10 मण्डल, 1028 सूक्त, 10580 (10600) मन्त्र है ।
- पहला एवं 10वाँ मण्डल बाद में जोडे गए है ।
- दूसरे से लेकर सातवें मण्डल को वंश मण्डल /परिवार मण्डल कहा जाता है ।
- तीसरे मण्डल मे गायत्री मन्त्र का उल्लेख मिलता है ।
  - गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की ।
  - गायत्री मंत्र सवितृ / सावितृ (सूर्य) को समर्पित है ।
- सर्वाधिक मूर्तियां मातृ देवी की मिली है ।
- लिंग एवं योनि की पूजा करते थे ।
- योग से परिचित थे ।
  प्राकृतिक बहुदेव वाद में विश्वास करते थे ।
- मृत्यु के बाद भी जीवन में विश्वास करते थे ।
- सिंधुवासी घोडा, गाय, शेर और ऊँट से परिचित नही थे ।
- सिंधु वासी लोहे से परिचित नही थे ।

2. यजुर्वेद

- यह 2 भागों में है – (i) शुक्ल यजुर्वेद
  (ii) कृष्ण यजुर्वेद
- यह गद्य एवं पद्य दोनों में है ।
- इसमें शून्य का उल्लेख मिलता है ।
- मंत्र पढने वाले को "अध्वर्यु" कहा जाता है ।
- यज्ञ – अनुष्ठानों की जानकारी मिलती है ।
- उपवेद – धनुर्वेद

3. सामवेद

- संगीत का प्राचीनतम स्रोत
- वैदिक मन्त्रों के उच्चारण को बताया गया है जो उच्च स्वर में गाए जाते है ।
- भगवान कृष्ण का प्रिय वेद
- मन्त्रों का उच्चारण करने वाला = उद्गाता
- उपवेद = गन्धर्ववेद

4. अथर्ववेद

- अथर्व ऋषि तथा आंगीरस ऋषि – रचयिता
- अन्य नाम – अथर्वआंगीरस वेद
- इसमें काले जादू, टोने – टोटको व चिकित्सा का उल्लेख । औषधि प्रयोग, शत्रुओं का दमन, रोग निवारण, तंत्र – मंत्र आदि ।
- मंत्रो का उच्चारण करने वाला – ब्रह्म
- उपवेद – शिल्पवेद ।

वेद एवं उनसे संबंधित उनके ब्राह्मणक, आरण्यक एवं उपनिषद् ग्रंथ

वेद	भाग	विषय	पुरोहित	ब्राह्मणक	आरण्यक	उपनिषद
ऋग्वेद	साकल बालखिल्य वास्कल	छन्द/प्रार्थनाएं	होता/होतृ	ऐतरैय	ऐतरैय कौशीतकी	एतरैय कौशील्की
यजुर्वेद	कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद	उच्च स्वर में उचारित किये जाने वाले मंत्र	अध्वर्यु	शतपथ तैतरैय मायान	तैतरैय मैत्रायणी	कठ, तैतरैय वृहदायण्यक नाराण्यणश्वर श्वेतसश्वर, ईश, मुण्डक
सामवेद	कौथूम, राणण्यम और जैनिय	संगीत, गायन	उदगाता	पंचविश, षडविच जैमीनी	जैमीनी छन्दोग्य	केन जैमीनी छन्दोग्य
अथर्ववेद	शौनक,पीलाद	भौतिकवादी जादू, टोना लौकिक विधि विधान	ब्रहमा	गोपथ	-	प्रश्न, मुण्डक, मांडुक्य

- मुण्डकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है ।
- प्रथम तीन वेदों को वेदत्रय कहा जाता है ।
- सबसे प्राचीन उपनिषद छान्दोग्य उपनिषद है ।
- उपनिषद को वेदांत कहते है ।

वेदांग

वेदों के सरलीकरण हेतु इनका निर्माण किया गया । यह वैदिक साहित्य का हिस्सा नही है । इसके छह भाग है

1. शिक्षा - इसे वेदों की नासिका कहा जाता है ।
2. ज्योतिष - इसे वेदों की आंख कहा जाता है ।
3. व्याकरण - इसे वेदों का मुख कहा जाता है ।
4. छनद - इसे वेदों का पैर कहा जाता है ।
5. निरूक्त - इसे वेदों का कान कहा जाता है ।
6. कल्प - इसे वेदों की हाथ कहा जाता है ।

कल्प के अंतर्गत शुल्व सूत्र ज्यामिति की सबसे प्राचीनग्रन्थ है ।

पुराण - संख्या - 18

ऋषि लोमहर्ष एवं इनके पुत्र उग्रश्रवा ने संकलित किया

- मत्स्य पुराण - सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक इसमें सातवाहन शासकों का उल्लेख, शुंगवंश का उल्लेख
- विष्णु पुराण - मौर्य वंश का उल्लेख
- वायु पुराण - गुप्त वंश का उल्लेख
- मार्कण्डेय पुराण - देवी महात्मय - (इसका भाग दुर्गासप्तशती) महामृत्युजंय मंत्र

- मत्स्य पुराण - सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक इसमें सातवाहन शासकों का उल्लेख, शुंगवंश का उल्लेख

स्मृति साहित्य

- सबसे प्राचीन उपनिषद छान्दोग्य उपनिषद है ।
- इसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है

आर्यो का निवास

- आर्यो के निवास के बारे में विभिन्न मत प्रचलित है
- बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यो का मूल निवास उत्तरी ध्रुव है ।
- दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत मूल के आर्य है
  - डॉ. पैनका ने जर्मनी को मूल स्थान बताया ।
  - मेक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया (वैक्टीरियाई) है ।

आर्यो के उत्पति के संबंधित हाल ही में राखीगढ में उत्खनन से भी आर्यो की मूल उत्पति के संबंध मे पता नही लग पाया ।
सिंधु वासियों का राखीगढ से जो डीएनए मिला है । वह डीएनए उत्तर भारतीयों एवं दक्षिण भारतीयों में भी पाया गया है ।

ऋग्वेद काल के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- ऋग्वेद में सबसे ज्यादा सिन्धु नदी का उल्लेख मिलता है ।
- सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी । (देवीतमा, मातेतमा, नदीतमा)
- गंगा व सरयू का उल्लेख 1 – 1 बार
- यमुना का उल्लेख 3 बार
- "भुजवन्त" नामक पहाडी चोटी का उल्लेख – जो कि हिमालय है ।
- ऋग्वेद में वर्तमान की कई नदियों का उल्लेख मिलता है ।

सिंधु	सिंध
झेलम	वितस्तता
रावी	परूष्णी
व्यास	विपाशा
सतलज	शतद्रि
चेनाब	अष्किनी
सरस्वती	सरस्वती
गोमल	गोमती
स्वात	सुवास्तु
कुर्रम	कुर्भ
काबुल	कुम्भा

नोट- गोमल, स्वात, कुर्रम, काबुल अफगानिस्तान की नदियां है ।

- ऋग्वेद कालीन प्रशासन का मुखिया राजा होता था ।
- राजा के सहयोग हेतु तीन संस्थाओं का उल्लेख मिलता है ।
- यहाँ प्रशासन खंड स्तरीय होता है । जन सबसे बडी इकाई थी ।
- ऋग्वेद में उल्लेख 275 बार । जिसका प्रमुख राजा होता था ।
- विष का उल्लेख 70 बार ।
- ग्राम का उल्लेख 13 बार ।
  1. सभा – ऋग्वेद में आठ बार उल्लेख, कुलीन लोगों की संस्था थी ।
  2. समिति – ऋग्वेद में नौ बार उल्लेख जनसामान्य की संस्था थी ।
  3. विदथ – यह सबसे प्राचीन संस्था है । 122 बार उल्लेख मिलता है । कार्यशैली की जानकारी नही मिलती ।

- आर्यो का प्रिय पशु घोडा था ।
- वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी ।
- तीन वर्णो का उल्लेख मिलता है ।
- महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे । घोषा, सिक्ता, अपाला, विषपला (योद्धा), नामक महिला विदुषियों को जिक्र मिलता है ।

ऋग्वेद काल में निम्न प्रमुख देवता थे ।
1. इंद्र – ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख । इसे पुरंदर कहा गया है ।
2. वरूण – ऋग्वेद में 30 बार उल्लेख । ऋत का देवता है ।
3. अग्नि – ऋग्वेद मे 200 बार उल्लेख ।

आर्यो की अर्थव्यवस्था पशुपालन आधारित थी ।
युद्ध गायों के लिए होते थे ।

उत्तरवैदिक काल – 1000 – 600 ईसा पूर्व

- महत्वपूर्ण स्त्रोत – यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद् व आरण्यक
- आर्य संस्कृति के प्रसार और विकास, उत्कर्ष, विभिन्नीकरण का युग
- लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरूआत । ("चित्रित धूसर मृदभाण्ड")

राजनैतिक जीवन – राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था

- राजा का पद वंशानुगत हो गया था ।
- ऐतरेय ब्राह्मण मे राजा की विभिन्न उपाधियों का वर्णन मिलता है ।
  स्वराट, विराट, एकराट, सम्राट
- राजा की सहायता हेतु 12 रत्निन् होते थे ।
- राजा यज्ञों का आयोजन करवाता था ।
  (i) अश्वमेध यज्ञ – यह साम्राज्यवादी यज्ञ होता था । 3 दिन तक होता
  (ii) राजसूय यज्ञ – राज्याभिषेक के समय किया जाता था इस दिन राजा हल चलाता था । अपने रत्निनों का निमंत्रण स्वीकार कर, उनके घर भोजन करने जाता था ।
  (iii) वाजपेयी यज्ञ – रथ दौड का आयोजन करवाते थे । राजा हिस्सा लेता था व हमेशा जीतता था

- राजा के पास स्थायी सेना नहीं होती थी ।
- ऋग्वैदिक काल मे राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर, अब अनिवार्य हो गया, जिसे 'बली' कहा जाता था ।(1/16वाँ भाग)
- विद्‌थ का उल्लेख नहीं मिलता ।
- सभा, एवं समिति का प्रभाव कम हो गया था ।
- अथर्ववेद – सभा व समिति को प्रजापति की पुत्रियाँ कहा गया है ।
- राजा की "दैवीय उत्पति का सिद्धान्त" सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण मे मिलता है ।

आर्थिक जीवन

- कृषि का विकास हो चुका था ।
- अथर्ववेद मे "पृथवेन्यु" को कृषि धरती पर लाने का श्रेय जाता है ।
  शतपथ ब्राह्मण में कृषि के सभी प्रकारों (जुताई,बुआई,कटाई) का उल्लेख मिलता है ।
- शतपथ ब्राह्मण की काठक संहिता मे (24 बैलों द्वारा खीचे जाने वाले) हल का वर्णन मिलता है ।
- गेहूँ एवं जौ प्रमुख फसले थी ।
- पशुपालन भी होता था ।
- वस्तु विनिमय होता था ।
- विनिमय मे गाय व निस्क का प्रयोग होता था ।
  निस्क - सोने का आभूषण जो गले मे पहनते थे
- कृषि मे लौह निर्मित उपकरणों का प्रयोग (अन्तरजीखेडा से साक्ष्य)
- समुद्र का ज्ञान हो गया था ।

सामाजिक जीवन

- पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार ।
- चार वर्णों मे समाज विभक्त हो गया था । किन्तु अस्पृश्यता का अभाव था ।
- ब्राह्मणों को 'अदायी' कहा जाता था । आरम्भ के 3 वर्ग द्विज कहलाते थे । (जनेऊ धारण करते हैं) उपनयन संस्कार होता था ।
  द्विज - दो बार जन्म लेने वाला
- क्षुद्रो को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था ।
- महिलाओं की स्थिति मे गिरावट आयी । (वृहदारण्य उपनिषद मे याज्ञवल्क्य एवं गार्गी का संवाद मिलता है ।)
- अथर्ववेद मे पुत्री जन्म को दुःखदायी बताया है ।
- ऐतरेय ब्राह्मण में भी पुत्री जन्म को दुःखदायी बताया है । (पुत्री - कृपण कहा)
- मैत्रायणी संहिता मे भी पुत्री को शराब एवं जुआ की तरह बुराई बताया है ।
- महिलाओ को शिक्षा का अधिकार था । उदाहरण – गार्गी, मैत्रेयी, वेदवती ।
- सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा का प्रचलन नही था ।

धार्मिक स्थिति

- प्रमुख देवता - ब्रह्मा, विष्णु, महेश ।
  पाँच प्रकार के यज्ञ होते थे (पंचयज्ञ)।
  (i) ब्रह्म यज्ञ
  (ii) देव यज्ञ
  (iii) अतिथि यज्ञ
  (iv) पितृ यज्ञ
  (v) भूत यज्ञ
- ब्रह्म यज्ञ को "ऋषि यज्ञ", अतिथि यज्ञ को "मनुष्य यज्ञ" भी कहते थे । (भूत यज्ञ - प्राणी जगत् व प्रकृति के प्रति कृतज्ञता)

3 ऋण
(i) ऋषि ऋण
(ii) देव ऋण
(iii) पितृ ऋण

बौद्ध धर्म

संस्थापक	-	गौतम बुद्ध
जन्म	-	563 ईसा पूर्व
पिता	-	शुद्धोधन
माता	-	मायादेवी
मौसी	-	प्रजापति गौतमी
पत्नी	-	यशोधरा
पुत्र	-	राहुल
जन्मस्थान	-	लुम्बिनी (कपिलवस्तु)
आधुनिक	-	रुम्मिन देई, नेपाल
वंश	-	इक्ष्वाकु शाक्य क्षत्रिय
गौत्र	-	गौतम

- 4 घटनाएँ जिन्होने बुद्ध का जीवन बदल दिया -
  (i) वृद्ध व्यक्ति
  (ii) बीमार व्यक्ति
  (iii) मृत व्यक्ति
  (iv) सन्यासी
- 29 वर्ष की अवस्था मे गृहत्याग किया यह घटना "महाभिनिष्क्रमण" कहलाती है ।
- बुद्ध ने "मध्यम मार्ग" का प्रतिपादन किया ।
- बुद्ध उरुवेला चले गये एवं वहाँ निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई ।
- अब सिद्धार्थ "गौतम बुद्ध व शाक्य मुनि" के नाम से प्रसिद्ध हुये ।
- सारनाथ में कौंडिन्य एवं अन्य ब्राह्मणों को पहला उपदेश दिया इसे "धर्मचक्र प्रवर्तन" कहते है
- सर्वाधिक उपदेश - श्रावस्ती मे दिये ।
- आनन्द प्रिय शिष्य तथा उपालि प्रमुख शिष्य था ।
- आनन्द के कहने पर भगवान बुद्ध ने महिलाओं को संघ मे प्रवेश दिया । प्रजापति गौतमी - पहली 'भिक्षुणी'
- 483 ईसा पूर्व मे बुद्ध की मृत्यु - कुशीनारा में गोरखपुर (U.P.)

- भगवान बुद्ध के प्रतीक –
  1. हाथी/ सफेद हाथी – भगवान बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक
  2. सांड/कमल – जन्म
  3. घोडा – गृहत्याग का प्रतीक
  4. बोधिवृक्ष/पीपल – ज्ञान का प्रतीक
  5. पद्चिन्ह – निर्वाण का प्रतीक
  6. स्तूप – मृत्यु का प्रतीक

7. सम्बोधि – 35 वर्ष की अवस्था मे गौतम बुद्ध को बोधगया मे निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई ।

ज्ञान/ दर्शन

4 आर्य सत्य
- (i) दुःख है ।
- (ii) दुःख का कारण है । (प्रतीत्य समुत्पाद)
- (iii) दुःख निवारण है ।
- (iv) दुःख निवारण का मार्ग है ।

अष्टांगिक मार्ग

1. सम्यक् दृष्टि
2. सम्यक संकल्प
3. सम्यक वचन
4. सम्यक कर्म
5. सम्यक जीविका
6. सम्यक प्रयास
7. सम्यक् स्मृति
8. सम्यक् समाधि

कार्य कारण/ कारणता सिद्धान्त – प्रतीत्य समुत्पाद

(ऐसा होने पर –वैसा होना)
- दुःखों का कारण अविद्या को बताया है ।
- कर्म सिद्धान्त मे विश्वास रखते हैं ।
- पुनर्जन्म मे विश्वास रखते है ।
- अनात्मवादी होते हैं । आत्म की अमरता में विश्वास नहीं रखते है ।
- अनीश्वरवादी होते हैं । ईश्वर के प्रश्न पर बुद्ध मुस्करा देते थे ।
- क्षणिकवाद (अनित्यवादी) – इस जगत की सभी वस्तुऐं अनित्य एवं परिवर्तनशील हैं ।
- आम्रपाली (वैशाली) भी बौद्ध संघ मे सम्मिलित हो गयी थी ।

निर्वाण

- निर्वाण का शाब्दिक अर्थ "दीपक/विज्ञान का बुझ जाना" होता है ।
- भगवान बुद्ध ने निर्वाण की अवस्था का उल्लेख नहीं किया है ।

बौद्ध धर्म की चार संगीति

समय	स्थान	शासक	अध्यक्ष
1. 483 ई.पू.	राजगृह	अजातशत्रु	महाकस्यप
2. 383 ई.पू.	वैशाली	कालाशोक	साबकमीर
3. 251 ई.पू.	पाटलीपुत्र	अशोक	मोगलिपुततिस्य
4. 1st शताब्दी	कुण्डलवन (कश्मीर)	कनिष्ठ	अश्वघोष/ वसुमित्र

(1) प्रथम संगीति – दो पुस्तके (ग्रन्थ) लिखी गई
  i. सुत पिटकः – भगवान बुद्ध का जीवन, उपदेश, शिक्षाएँ, तथा बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है।
     इसके खुद्दक निकाय में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएँ (जातक) मिलती हैं । इसकी रचना आनन्द ने की थी ।
  ii. विनय पिटक – संघ के नियम तथा बौद्ध भिक्षुओं के आचार विचार (आचरण) का वर्णन मिलता है इसकी रचना उपाली ने की थी ।

(2) द्वितीय संगीति – बौद्ध धर्म 2 भागों मे विभक्त हो गया ।
  - स्थापित तथा महासंघिक – दो भागों मे विभक्त

(3) तृतीय संगीति – इसमे तीसरे पिटक – अभिधम्म पिटक की रचना की गई । इसमे "बौद्ध धर्म के दर्शन" का वर्णन है संयुक्त रूप से सुत – विनय – अभिधम्म पिटक को "त्रिपिटक" कहा जाता है अभिधम्म पिटक की रचना मोगलीपुत तीस्स ने की थी ।

(4) चतुर्थ संगीति – बौद्ध धर्म 2 भागों मे विभक्त हो गया हीनयान (छोटी गाडी) एवं महायान (बडी गाडी)
हीनयान एवं महायान भी कई शाखाओं में विभक्त हो गया ।

हीनयान
- सौतान्त्रिक → कुमारलब्ध
- वैभाषिक → वसुमित्र

महायान
- शुन्यवाद → नागार्जुन (भारत का आइंसटाइन)
- योगाचार → मैत्रेयनाथ

- अन्तिम लक्ष्य - निर्वाण = (अर्थ - बुझ जाना)
- मैत्रेय - भविष्य का बुद्ध
- बुद्ध ने पंचशील का सिद्धान्त दिया

बौद्ध धर्म के त्रिरत्न

बुद्ध, धम्म और संघ

- शंकराचार्य को प्रच्छन्न/छद्म बुद्ध कहा जाता है ।
- बौद्ध संग में प्रवेश उपसम्पदा कहलाती है ।
- गृह त्यागना प्रवज्ञा कहलाता है ।
- सुतपिटक को बौद्ध धर्म का एन साइक्लोपिडिया कहा जाता है ।
- बौद्ध धर्म का सबसे बडा स्तूप बोरी बदूर स्तूप इण्डोनेशिया में है ।

जैन धर्म

- संस्थापक - ऋषभदेव/आदिनाथ का वर्णन ऋग्वेद मे
- 21वें तीर्थकर - नेमीनाथ
- 22वें तीर्थकर - अरिष्टनेमी - (कृष्ण के समकालीन)
- 23वें तीर्थकर - पार्श्वनाथ

महावीर स्वामी (24वें)

महावीर को निगठनाथपुत कहा जाता है ।

- जन्म - 599 B. C. भाई - नन्दीवर्धन
- स्थान - कुण्डग्राम
- मृत्यु - पावापुरी (बिहार)
- बचपन का नाम - वर्धमान
- पिता - सिद्धार्थ
- माता - त्रिशला
- पत्नी - यशोदा
- पुत्री - प्रियदर्शना दामाद - जामाली
- 30 वर्ष में गृहत्याग ।
- 13 माह पश्चात् वस्त्र त्याग भद्रबाहु की पुस्तक कल्प सूत्र से जानकारी मिलती है
- 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात् ज्ञान प्राप्ति ।
- जुम्बिकाग्राम मे ऋजुपालिका नदी के किनारे पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति
- प्रथम शिष्य - जामाली ।
- जामालि ने ही प्रथम विद्रोह किया ।
- आरम्भिक 11 शिष्यों को ''गणधर'' कहा जाता है
- ज्ञान प्राप्ति के पश्चात् महावीर व जिन (विजेता) कहलाये ।
- इन्होने त्रिरत्न की अवधारणा दी
  (i) सम्यक् ज्ञान
  (ii) सम्यक् दर्शन
  (iii) सम्यक् चरित्र
- पंचव्रत - महाव्रत (भिक्षुओ के लिए)
  अणुव्रत (गृहस्थों के लिए)
- कर्म सिद्धान्त (कर्म फल) तथा पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं ।
- आत्मा को जीव कहते है ।
- आस्रव - पुद्गलो का जीव की तरफ प्रवाहित होना
- संवर - जीव की तरफ पुद्गलो के होने वाले प्रवाह का रूक जाना ।
- निर्जरा - जीव से अजीव के प्रवेश को निकालने कि क्रिया ।

त्रिरत्न- सम्यक् ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र

अनेकान्तवाद

- यह जैन दर्शन का तत्वमीमांसीय सिद्धान्त है ।
- इस जगत में अनेक वस्तुएँ है एवं प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण है ।

स्यादवाद

- यह जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसीय सिद्धान्त है ।

1. जैन संगीति

समय	300 ई.पू.
शासक	चन्द्रगुप्त मौर्य
स्थान	पाटलिपुत्र
अध्यक्ष	स्थलबाहु व भद्रबाहु

- जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो गया ।
- स्थलबाहु के अनुयायी-श्वेताम्बर (तेरापंथी)
- भद्रबाहु के अनुयायी - दिगम्बर (समैया)

2. जैन संगीति

512 ई. में वल्लभी (गुजरात) में इसके देवर्धिगणि अध्यक्ष थे ।

संथारा प्रथा

जब व्यक्ति अन्न जल त्याग देता है । मौन व्रत धारण कर लेता है तथा अन्त में देहत्याग कर देता है ।

महाजनपद काल

भारतीय इतिहास की दूसरी नगरीय क्रांति ।

- 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्धों के ग्रन्थ "अंगुतर निकाय" एवं जैनों के ग्रन्थ "भगवती सूत्र" से मिलता है
- भगवती सूत्र महावीर की जीवनी है ।

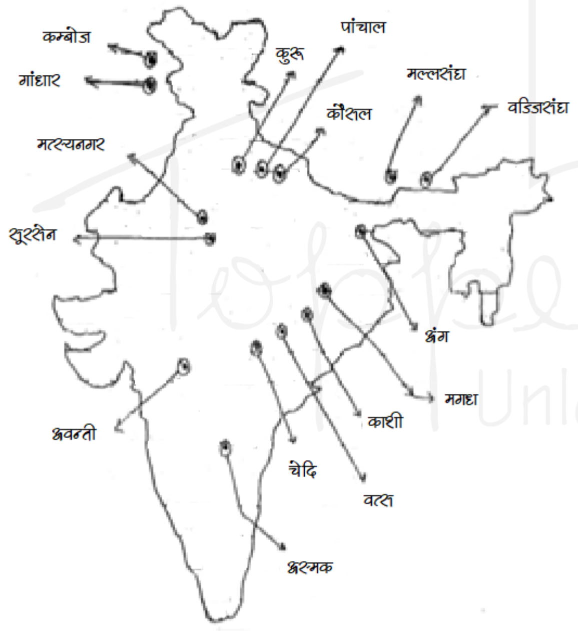

	राज्य	राजधानी
1	कम्बोज	हाटक
2	गांधार	तक्षशिला
3	कुरू	इन्द्रप्रस्थ
4	पांचाल	काम्पिल्य
5	कौशल	श्रावस्ती (साकेत)
6	मल्ल संघ	कुशीनारा, कुशीनगर
7	वज्जी संघ	विदेह/वैशाली
8	अंग	चम्पा
9	मगध	राजग्रह, गिरिव्रज, पाटलीपुत्र
10	काशी	बनारस/वाराणसी
11	वत्स	कौशाम्बी
12	चेदि	शक्तिमती
13	अश्मक	पोटन (पोटलि)
14	अवन्ती	उज्जयिनी
15	शूरसेन	मथुरा
16	मत्स्यनगर	विराट नगर

- अश्मक एक मात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था ।
- मल्ल संघ एवं वज्जि संघ में गणतंत्र था ।
- मल्ल संघ के अंतर्गत दो गणराज्य थे एवं वज्जि संघ के अंतर्गत आठ गणराज्य थे ।

मगध राज्य का इतिहास
हर्यक वंश (544-412 ईसा पूर्व)

1. बिम्बिसार

- मत्स्य पुराण में इसे क्षत्रोजस कहा है ।
- जैन साहित्य में - श्रेणिक/श्रैणिक
- कोशल के शासक प्रसेनजीत की बहन कोशला देवी से विवाह किया
- अंग के शासक चेटक की पुत्री चैल्लना से विवाह किया ।
- अंग प्रदेश को जीतकर अजातशत्रु को गवर्नर नियुक्त किया ।
- चिकित्सक जीवक को अवन्ती के शासक चंड प्रद्योत के दरबार में भेजा ।

2. अजातशत्रु

- कुणिक नाम से प्रसिद्ध
- मंत्री वस्सकार को फूट डालने के लिए वज्जी संघ भेजा तथा वैशाली का विलय मगध में किया
- रथमूसल एवं महाशिलाकंटक का प्रयोग इस युद्ध में किया ।
- सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया ।
- इसके शासन के 8 वें वर्ष में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई ।
- पाटलीपुत्र अजात शुत्र ने बसाया (राज. की. मा. शिक्षा बोर्ड कक्षा 11 वी के अनुसार)

3. उदायिन/उदयनद्

- सोन एवं गंगा नदी के किनारे कुसुमपुरा नगर बसाया जिसे पाटलीपुत्र कहते है ।
(दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार)

शिशुनाग वंश

1. शिशुनाग
   - वैशाली को राजधानी बनाया ।
2. कालाशोक
   - द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया ।
   - पाटलीपुत्र को पुनः राजधानी बनाया ।

नन्द वंश

1. महापद्मनन्द
   - इसे दूसरा "भार्गव" परशुराम कहते है । सर्वक्षत्रांतक - क्षत्रियों का नाश करने वाला कहते है ।
   - जैन धर्म को संरक्षण दिया ।
   - हाथीगुफा अभिलेख- इसके अनुसार इसने कलिंग को जीता । कलिंग में नहर का निर्माण करवाया वहाँ से जिनसेन की मूर्ति लाया ।
   - पुराणों में नन्द वंश के शासकों को (शूद्र) कहा गया है ।

2. धनानन्द

चन्द्रगुप्त मौर्य ने इसकी हत्या कर दी । (320 ई. पू. में) सिकन्दर के समकालीन था ।

विदेशी आक्रमण

फारस (ईरानी आक्रमण)
हखमनी साम्राज्य (वंश)

डेरियस (दारयबहु/दारा)

भारत पर पहला विदेशी आक्रमण । गंधार कम्बोज पर अधिकार कर लिया था ।

ग्रीक/यूनानी आक्रमण

1. अलेक्जेण्डर/सिकन्दर

पिता	-	फिलिप
गुरू	-	अरस्तु
माता	-	ओलम्पिया

- यह मकदूनिया/मैसिडोनिया का शासक था ।
- गांधार (तक्षशिला) के शासक आम्भी ने सिकन्दर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया ।
- झेलम/वितस्ता/हाइडेस्पीज का युद्ध - 326 ई. पू. सिकन्दर बनाम पोरस (पुरू) के मध्य झेलम नदी के पास हुआ पोरस पराजित हुआ ।
- सिकन्दर पोरस की बहादुरी से प्रभावित हुआ एवं उसे उसका राज्य वापस लौटा दिया ।
- सिकन्दर 19 महीने तक भारत में रूका ।

मौर्य वंश

1. चन्द्रगुप्त मौर्य :-(322 ईसा पूर्व- 298 ईसा पूर्व)
   - यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेण्ड्रोकॉट्स कहा है । इस नाम की पहचान सर्वप्रथम विलियम्स जॉन्स ने की ।
   - 305 ईसा पूर्व में सेल्युकस निकेर को पराजित किया
   - चन्द्रगुप्त का विवाह हेलना (सेल्यूकस की बेटी) से हुआ । मौर्य ने बदले में सेल्यूकस को 500 हाथी दिये ।
   - सेल्युकस निकेटर का दूत मैगस्थनीज तात्कालिक भारत की जानकारी देता है ।
   - मैगस्थनीज की पुस्तक - 'इण्डिका'
   - 298 B.C भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में श्रवण बेलागोला गया । संलेखना/सन्थारा पद्धति द्वारा प्राण त्याग दिये । (कर्नाटक)
   - चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक कहते है ।

2. बिन्दुसार :- (298-273 ईसा पूर्व)
   - प्रथम सिजेरियन बेबी ।
   - साहित्य में इसे "अमित्रोकेडीज" कहा है ।
   - यूनानी इतिहासकार इसे "अमित्रोचेडस्" कहते है
   - जैन ग्रंथों में इसे 'सिंहसेन' कहा है ।
   - दो दूत इसके दरबार में आये :-
     1. डाइमेकस (सीरिया) 2. डायनोसियस (मिस्र)
   - इसके काल में दो विद्रोह हुए तक्षशिला एवं अवंती
   - सीरिया के शासक एन्टीयोकस से 3 वस्तुओं की माँग की ।
     i. मीठी शराब (भेजेगे)
     ii. सूखे अंजीर (मेवे)
     iii. दार्शनिक (मना किया)
   - यह आजीवक सम्प्रदाय का अनुयायी था ।

3. अशोक :- (273 ईसा पूर्व से से 232 ई. पू.)
   - 269 ई.पू. राज्याभिषेक हुआ ।
   - बौद्ध साहित्य के अनुसार इसने 99 भाईयों की हत्या कर दी ।
   - शासन के आठवें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया।

- कलिंग का शासक संभवतः नन्दराज था । इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गये । 1.5 लाख लोगो को युद्धबंदी बनाया गया । (अशोक के 13 वें अभिलेख से जानकारी)
- यह जानकारी खारवेल के हाथीगुफा अभिलेख से मिलती है ।
- खारवेल चेदी (छेदी) वंश का शासक था ।
- इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया अशोक ने युद्ध घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपनाया ।
- अशोक ने राजा अभिषेक के 10 वें वर्ष बोध गया की यात्रा की 20 वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की ।
- लुम्बिनी यात्रा की जानकारी अशोक के रूम्मीनदेई अभिलेख में मिलते है । वहां की जनता का कर कम कर 1/6 से 1/8 किया ।
- रूम्मनदेई अभिलेख को अशोक का आर्थिक देई घोषणा पत्र कहते है ।
- अशोक शैव धर्म का अनुयायी था । मोगलिपुत्ततिस्य ने इसे बौद्ध धर्म मे परिवर्तित किया । कुछ बौद्ध ग्रंथ निग्रोथ से प्रभावित होकर अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने की बात करते है ।
- सिंहली धर्म ग्रंथ अशोक के उपगुप्त द्वारा बौद्ध धर्म में दिक्षित होने की बात करते है ।
- अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने की जानकारी भाब्रुक अभिलेख मिलती है ।
- अशोक ने शासन के 14 वें वर्ष में महाधम्मपात्रों की नियुक्ति की थी ।
- अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघ मित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था ।

अशोक के अभिलेख

- पाट्रेटी केथैलर ने 1750 में खोज की ।
- 1837 में जेम्स प्रिंसेप इनको पढ़ने में सफल रहा
- भाषा प्राकृत या मगधी
  यूनानी भाषा (ग्रीक भाषा)

लिपियां :- ब्राह्मी लिपि
खरोष्ठी लिपि
युनानी/अरामेइक लिपि

शर-ए-कुना अभिलेख (काबुल के पास) से 2 लिपियों अरामेइक, ग्रीक एवं ब्राह्मी लिपि के लेख मिले है

1. **वृहद शिलालेख** :- इनकी संख्या 14 है तथा 8 स्थानों से प्राप्त होते है
   13 वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है
2. **लघु शिलालेख** - इसमें अशोक की व्यक्तिगत जानकारियाँ मिलती है ।
   1. मास्की
   2. गुर्जरा
   3. उदेगोलम
   4. नेट्टुर

   इनमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है ।

   – अन्य अभिलेखों में अशोक की उपाधि देवानामप्रिय/देवानामप्रियदर्शी का उल्लेख मिलता है ।
3. **वृहत् स्तम्भ लेख**
   अभिलेखों की संख्या 7 है एवं यह 6 स्थानों से प्राप्त होते है ।

   i. **प्रयाग प्रशस्ति** :-यह मूलरूप से कौशाम्बी में था अकबर ने इसे प्रयाग में स्थापित करवाया ।

1 2 3 4 5 6 अशोक
रानी
समुद्रगुप्त
बीरबल
जहाँगीर

   इस प्रशस्ति पर इनके भी नाम मिलते है ।

   ii. **टोपरा (Delhi)** :- यह टोपरा में स्थित था ।
   - फिरोज तुगलक ने इसे दिल्ली में स्थापित करवाया
   - इस पर पूरे 7 अभिलेख मिलते है (एकमात्र)
   - 7 वें अभिलेख में जैन धर्म एवं आजीवक धर्म की जानकारी मिलती है ।

   iii. **मेरठ-दिल्ली अभिलेख** :- मूलरूप से मेरठ में था ।
   - फिरोज ने इसे दिल्ली में स्थापित करवाया ।
4. **लघु स्तम्भ लेख**
   - इनमें अशोक की राजनीतिक एवं आर्थिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है ।
   - सांची एवं सारनाथ के लेखो में बौद्ध भिक्षुओं को चेतावनी दी गयी है ।
   - रूम्मिनदेई अभिलेख में आर्थिक जानकारी मिलती है

5. गुफा/गुहा लेख
- कर्ण चौपड गुफा
- सुदामा गुफा
- विश्व झोपडी

4. बृहद्रथ

- अन्तिम मौर्य शासक (185 ई. पू.)
- सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी इसके बाद शुग वंश की स्थापना की ।

मौर्योत्तरकाल (185BC – 319 ईस्वी)

शुंग वंश (185 ईसा पूर्व – 75 ईसा पूर्व)

पुष्यमित्र शुंग

- ब्राह्मण शासक
- बौद्ध साहित्य में इसे "बौद्ध धर्म का दुश्मन" बताया है ।
- इसने मगध में कुक्टारा/कक्कुटारा विहार को तोडने का असफल प्रयास किया ।
- बाणभट्ट के हर्षचरित से जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र ने मौर्यशासक वृहद्रथ की हत्या की । (अनार्य भी कहा है)
- इसने 2 अश्वमेघ यज्ञों का आयोजन करवाया । यज्ञों के प्रधान पुरोहित-पतंजलि थे ।
- अयोध्या अभिलेख एंव मालविका अग्निमित्र (मालविकाग्निमित्र) से जानकारी मिलती है । (2 अश्वमेघ यज्ञों की)

पुस्तकें (पंतजलि द्वारा रचित)

- योगदर्शन
- योगसूत्र
- महाभाष्य (पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखित)

  → व्याकरण की प्रथम पुस्तक

भागभद्र

- यूनानी शासक एंटियोलकिडास का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा आया ।
- विदिशा के बेसनगर में हेलियोडेरस ने गरूड स्तम्भ स्थापित करवाया ।
- हेलियोडोरस ने वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया था
- विदिशा शुंगो की नई राजधानी थी ।

सांची/धमेक स्तूप

साँची स्तूप का पुनर्निर्माण शुंगकाल में हुआ ।

कण्व वंश (75 – 30 ईसा पूर्व)

1. वासुदेव कण्व – संस्थापक
2. सुशर्मा – अंतिम शासक

इण्डो – ग्रीक

1. डेमिट्रीयस (संस्थापक)
   सकल (श्यालकोट) ← राजधानी → तक्षशिला
2. मेनांडर (मिलिन्द)
   – नागसेन बौद्ध भिक्षु के साथ वार्तालाप
   – पुस्तक – मिलिन्दपन्हों
   विषय – बौद्ध दर्शन
3. हर्मियस – अन्तिम इण्डो – ग्रीक शासक

1. युक्रेटाइड्स (संस्थापक)
   तक्षशिला
2. एंटियोलकिडास
   – अपना दूत हेलियोडोरस भागभद्र के दरबार में भेजा ।

शक

- शक मध्य एशिया की बर्बर जाति थी ।
- यू ची कबीले ने इन्हें पराजित किया ।
- भारतीय साहित्य में इन्हें सिथीयन कहा जाता है ।

शकों के भारत में केन्द्र

- तक्षशिला
- मथुरा
- नासिक
- उज्जैन

सबसे प्रसिद्ध शासक – रूद्र दामन

- जूनागढ अभिलेख के अनुसार इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया ।
- जूनागढ अभिलेख संस्कृत भाषा का प्रथम बडा अभिलेख है ।
- शकों ने चाँदी के सिक्के बडी मात्रा में चलाए । रूद्रसिंह तृतीय अन्तिम शक शासक था ।

कुषाण

यह मध्य एशिया के यू ची कबीले से थे ।

1. कुजुल कडफिसस – संस्थापक
   - इसे प्रथम कडफिसस भी कहा जाता है ।

2. विम कडफिसस
- इसे दूसरा कडफिसस कहा जाता है ।
- यह भगवान शिव का अनुयायी था ।
- उपाधि = महेश्वर
- इसके सिक्कों पर त्रिशूल, नन्दी, डमरू के चित्र मिलते हैं ।

3. कनिष्क
- कनिष्क ने 78 ईस्वी में शकों को पराजित कर शक सम्वत चलाया ।
- इसके समय गांधार मूर्तिकला का विकास होता है ।
- बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में बनी थी जो बुद्ध का धार्मिक चरित्र चित्रण करती है ।
- कनिष्क ने हान वशं (चीन) के शासक पानचाओ को पराजित किया ।

इसकी 2 राजधानियाँ थी :-
1. पुरूषपुर/पेशावर
2. मथुरा

पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया तथा वहाँ से 3 वस्तुएं प्राप्त की :-
1. भगवार बुद्ध का भिक्षा पात्र
2. एक विशेष मुर्गा (कुक्कट)
3. अश्वकोष → पुस्तक (बुद्धचरित्र) (इसका आरम्भिक भाग बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपिडिया कहा जाता है)
   I. सुत्रालंकार
   II. सारीपुत्र प्रकरण
   III. सौन्दरानंद

गुप्तवंश

1. श्रीगुप्त (240-280 ई.पू.)
- गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है ।
- इसे गुप्त वंश का आदि पुरूष कहा गया है ।

2. चन्द्रगुप्त (319-335 ई.पू.)
- गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक
- 319 ईस्वी में गुप्त सम्वत चलाया ।
  (319 ईस्वी. में ही वल्लभी सम्वत् भी आरम्भ हुआ ।
- ''महाराजाधिराज'' की उपाधि धारण की ।
- लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया तथा कुमारी देवी का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया ।

3. समुद्रगुप्त (335-375 ईस्वी)
- वंश का सबसे महान शासक था ।
- हरिषेण की प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी मिलती है
- यह प्रशास्ति चम्पु शैली में लिखित है ।
- इसके सिक्कों पर इसे '' लिच्छविर्दोहित्र'' बताया गया है
- उत्तर भारत के 3 राज्यों को पराजित किया एवं प्रसभोद्धरण (जड-मूल से उखाड फेकना) की नीति अपनाया ।
- दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित कर ग्रहणमोक्षानुग्रह की नीति अपनायी । इसके तहत उन्हें पराजित करके कर लेकर अनुगृहित किया गया
- उत्तर भारत के 9 राज्यों को पराजित किया ।
- धरणीबन्ध की उपाधि धारण की
- अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाये ।
- वीणा वादक था ।
- 6 प्रकार के सोने के सिक्के प्रचलन में थे ।
  1. गरूड (सर्वाधिक महत्वपूर्ण)
  2. परशु
  3. धनुर्धर
  4. व्याघ्रहर्ता 'व्याघ्रहनन'
  5. अश्वमेघ
  6. वीणावादन
- श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बोध गया में मन्दिर निर्माण कराया ।
- इतिहासकार वी. स्मिथ समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बताता है ।

4. चन्द्र गुप्त द्वितीय (375 - 414 ई.पू.) :-

उपाधियाँ - विक्रमादित्य, परमेश्वर
- अन्तिम शक शासक रूद्रसिंह तृतीय की हत्या की एवं 'शकारि' उपाधि धारण की ।
- अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक (MH) शासक रूद्रसेन द्वितीय से किया ।
- महरौली के लौह स्तम्भ का सम्बन्ध चन्द्रगुप्त द्वितीय से है ।

इसके दरबार में नवरत्न थे -
1. कालिदास
2. वराहमिहिर
3. क्षपणक
4. शंकु
5. वररूची
6. धनवन्तरि
7. अमरसिंह
8. बेताल भट्ट/भट्टी
9. घटकर्पर

- इसके समय चीनी यात्री फाह्यान भारत आया ।
- फाह्यान चन्द्रगुप्त के नाम का उल्लेख नहीं करता है ।

5. कुमारगुप्त

- गुप्तकाल के सर्वाधिक अभिलेख इसी के मिलते है ।
- गुप्तकाल के सर्वाधिक सिक्के इसी के मिलते हैं
- राजस्थान में बयाना (भरतपुर) से सिक्कों का ढेर मिलता है ।
- प्रयाग प्रशस्ति में सर्वप्रथम भारत वर्ष का उल्लेख मिलता है ।

सुदर्शन झील - सौराष्ट्र का गवर्नर
चन्द्रगुप्त मौर्य ने निर्माण - पुष्यगुप्त
अशोक ने पुनर्निर्माण - तुशास्फ
रूद्रदामन ने पुनर्निर्माण - सुविशाख
स्कन्दगुप्त ने पुनर्निर्माण - पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित-जूनागढ
} जूनागढ (संस्कृत)

आस्तिक दर्शन :- जो वैदिक साहित्य को प्रामाणिक मानता है ।

षडःदर्शन

i. पूर्व मीमांसा
ii. उत्तर मीमांसा (वेदान्त दर्शन)
iii. सांख्य
iv. वेशेषिक
v. योग
vi. न्याय

दर्शन	प्रवर्तक
पूर्व मीमांशा	जैमिनी
उत्तर मीमांशा(वेदांत)	बादरायण
सांख्य	कपील
वैशेषिक	कर्णाद
न्याय	गौतम
योग	पतंजलि

1. अजन्ता की गुफाएँ

- अजन्ता में 29 गुफाएँ है । ASI के अनुसार 30
- औरंगाबाद किला (महाराष्ट्र
- मद्रास प्रेजीडेंसी के सैनिकों ने 1819 में इन गुफाओं की खोज की ।
- गुफा संख्या 16, 17 व 19 गुप्तकालीन हैं ।
- गुफा संख्या 16, 17 का निर्माण वाकाटक नरेश हरिषेण के मंत्री वराहदेव ने करवाया ।
- गुफा संख्या 16 में मरणासन्न राजकुमारी का चित्र है सम्भवतः यह आनन्द की पत्नी सौन्द्रा है ।
- गुफा संख्या 16 में महाभिनिष्क्रमण का चित्रण हैं घर छोडते हुए बुद्ध को दिखाया गया है ।

2. बाघ की गुफाएँ

- सन् 1818 में डेंजरफि ने इसकी खोज की ।
- चित्रकला की विषय वस्तु - धार्मिक एवं भौतिक

साहित्य

1. धार्मिक साहित्य

(i) रामायण

- आरम्भ में 6000 श्लोक थे । बाद में 24000 हो गये
- इसे ''चतुर्विंश सहस्त्र कहते है ।
- रचना-वाल्मिकी ने
- रामायण में 7 काण्ड है -बालकाण्ड, अयोध्या काण्ड, आरण्य काण्ड, किष्किन्धा काण्ड, सुन्दर काण्ड, लंका काण्ड तथा उत्तरकाण्ड ।

(ii) महाभारत

- रचना - कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास
- श्लोक 1 लाख (आरम्भ में 8000 श्लोक)
- महाभारत का आरम्भिक नाम - जय संहिता
  - भारत संहिता
  - महाभारत संहिता
- महाभारत में 18 पर्व है । 6वाँ पर्व भीष्म पर्व है, जिसमें भगवद्गीता का उल्लेख है ।

2. गैर धार्मिक साहित्य

(i) कालिदास

- काव्य - रघुवंश, कुमारसंभव (कार्तिकेय का उल्लेख)
- खण्डकाव्य - मेघदूत, ऋतुसंहार

मेघदूत ↓ (पति की वेदना)
ऋतुसंहार ↓ (पत्नी की वेदना)

नाटक

(a) मालविकाग्निमि (अग्निमित्र, पुष्यमित्र, शुंग का बेटा)
(b) विक्रमोर्वशीय (इसमें पररूखा व उर्वशी की कहानी)
(c) अभिज्ञान शाकुन्तलम अभिज्ञानशाकुन्तलम कालिदास की महानतम व अंतिम रचना ।

(ii) भास
- स्वपनवासवदत्ता (भारत में लिखित प्रथम नाटक)
- चारूदत्त
- प्रतिज्ञा यौगन्धरायण

(iii) क्षेमेन्द्र – वृहत्कथामंजरी
(iv) भारवी – किरातर्जुनियम्
(v) शुद्रक – मृच्छकटिकम (मिट्टी की गाडी)
(vi) वात्सयायन – कामसूत्र
(vii) अमरसिंह – अमरकोष
(viii) वागभट्ट – अष्टांग हृदय
(ix) माघ – शिशुपालवध
(x) दण्डी/दृण्डि – दशकुमार चरित
(xi) विष्णु शर्मा – पंचतंत्र (विषय-राजनीति/कूटनीति का प्रयोग है)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

1. आर्यभट्ट एवं पुस्तकें -
   i. आर्यभट्टीयम्
   ii. सूर्य सिद्धान्त
   iii. दशगीतिका सूत्र
   - आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होने अपने नाम पर पुस्तक की रचना की ।
   - इसके अनुसार/सर्वप्रथम इन्होने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारो ओर चक्र लगाती है एवं सूर्य सौरमण्डल का केन्द्र है ।
   - आर्यभट्ट ने सूर्यग्रहण व चन्द्रग्रहण के बारे में बताया
   - आर्यभट्ट ने पृथ्वी की त्रिज्या बताई ।

2. वराहमिहिर :-
   पुस्तकें
   i. पंचसिद्धान्तिका
   ii. वृहतजातक
   iii. लघुजातक
   - खगोलशास्त्र एवं ज्योतिषशास्त्र पर विशेष बल दिया
   - कुण्डली निर्माण किया ।

3. भास्काराचार्य प्रथम :-
   पुस्तकें
   इन्होने आर्यभट्ट की पुस्तकों पर भाष्य लिखा । लघुभास्कर्य तथा वृहदभास्कर्य

4. भास्कराचार्य द्वितीय :-
   पुस्तकें
   - सिद्धान्तशिरोमणि (इसके 4 भाग है । एक भाग का नाम अपनी पुत्री लीलावती के नाम पर)
   - गणितज्ञ

5. ब्रह्मगुप्त (भारत का न्यूटन) -
   पुस्तकें
   - खण्डखाद्य
   - ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त

6. नागार्जुन
   - इन्हें 'भारत का आइंस्टीन'' कहा जाता है ।
   - नागार्जुन का शून्यवाद का सिद्धान्त आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धान्त के समान है
     - ➢ भारत में शून्य की खोज हो गयी थी ।
     - ➢ दशमलव पद्धति भी भारत में विकसित हुई ।
     - ➢ गुप्तकाल में रसायन के क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ ।

गुप्तोतर काल

पुष्यभूति वंश

प्रभाकरवर्धन :- संस्थापक

- राजधानी थानेश्वर (हरियाणा)
- पुत्री राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक गृहवर्मा/गृहवर्मन से कराया ।
- बंगाल के गौड वंश के शासक शशांक ने मालवा के शासक के साथ मिलकर गृहवर्मा की हत्या कर दी
- यशोमति ने अपने पति की बीमारी से दुःखी होकर आत्मदाह (सती) कर लिया ।
- शशांक ने राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी ।

1. हर्षवर्धन (606-647 ई.पू.)

- राज्यभिषेक के समय हर्ष संवत् चलाया
- इसने शपथ ली कि ''मै धरती को गौडविहिन कर दूँगा''
- कन्नौज पर अधिकार किया तथा बहन राजश्री को जंगल में आत्मदाह करने से बचाया
- हर्ष ने सम्पूर्ण उत्तरभारत को विजित किया

- शशांक की मृत्यु के पश्चात् सम्भवतः बंगाल को भी जीता ।
- प्रारम्भ में - शैव, बाद में बौद्ध धर्म अपनाया ।
- दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया लेकिन चालुक्य शासक पुलकेसिन द्वितीय से पराजित हो गया
- इसकी जानकारी - ऐहोल अभिलेख से मिलती है, जिसको रविकीर्ति ने लिखा था । इसमें हर्ष को उत्तरापथ स्वामी बताया गया है ।
- कन्नोज में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया हेनसांग ने इसकी अध्यक्षता की ।

इस कारण ब्राह्मणो ने हेनसांग को विरोध किया । प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात् हर्ष प्रयाग में "महामोक्ष परिषद" का आयोजन करवाता था । छठी महामोक्ष परिषद में हेनसाँग ने भाग लिया । हेनसाँग के अनुसार हर्ष ने अपना सम्पूर्ण धन दान दे दिया ।

- हर्ष वर्धन विद्वान शासक था ।
  इसने तीन नाटकों की रचना की :-
  1. नागानंद
  2. रत्नावली
  3. प्रियदर्शिका
- बाणभट्ट इसका दरबारी था ।
  पुस्तके :-
  - हर्षचरित
  - कादम्बरी

मयूर (दरबारी) की पुस्तक :- सूर्यशतक

त्रिपक्षीय संघर्ष (750 ई.पू.)

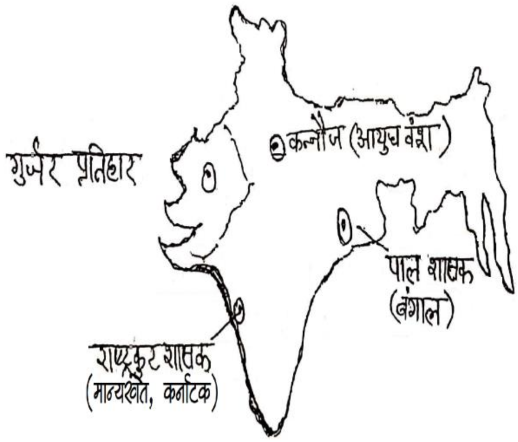

- कन्नौज पर अधिकार करने के लिए तीन वंशो ने लम्बे समय तक आपस में संघर्ष किया, इसे ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है ।

गुर्जर प्रतिहार

- ये स्वयं को लक्ष्मण के वंशज मानते थे ।
- प्रतिहार - द्वारपाल
- ऐहोल अभिलेख (रविकीर्ति) में गुर्जरों का उल्लेख मिलता है ।

(1) नागभट्ट :- संस्थापक

(2) वत्सराज

- इसके समय त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारम्भ हुआ ।
- कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया लेकिन स्वयं राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हो गया ।
- इन्हे 'रणहस्तिन्' भी कहा जाता है ।

(3) नागभट्ट द्वितीय

- पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया लेकिन राष्ट्रकुट शासक गोविन्द तृतीय से पराजित हो गया ।

(4) मिहिरभोज

- प्रभास एवं आदिवराह की उपाधि धारण की ।
- पाल शासक देवपाल को पराजित किया
- पाल शासक नारायणपाल को मिहिरभोज ने पराजित किया ।
- मिहिरभोज ने कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया था ।
- अरब यात्री सुलेमान यात्रा पर आया । सुलेमान ने मिहिरभोज को अरबों का स्वाभाविक शत्रु बताया
- मिहिरभोज को मलेच्छो को नाशक कहा गया है ।
- यह इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था ।

(5) महेन्द्रपाल

इसके दरबार में राजशेखर नामक विद्वान थे, जिन्होने कई पुस्तकों की रचना की यथा :-

- काव्य मीमांसा
- कर्पुर मन्जरी
- विशालभांजिका (भंजिका)
- बाल रामायण

(6) महिपाल

राष्ट्रकुट शासक इन्द्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण कर महिपाल को पराजित किया । इन्द्र तृतीय ने कन्नोज को तहस-नहस कर दिया ।

राष्ट्रकूट

1. दन्तिदुर्ग :- संस्थापक
राजधानी - मान्यखेत

2. कृष्ण प्रथम :- एलोरा के कैलाश मन्दिर (एकाश्मक) का निर्माण ।

3. ध्रुव :- उपाधि - धारावर्ष

4. गोविन्द तृतीय :- इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक

5. अमोघवर्ष :-
वह विद्वान शासक था, जिसने विद्वानों को दरबार में शरण दी ।
पुस्तक - कविराज मार्ग
   - दरबारी विद्वान जिनसेन की पुस्तक 'आदिवराह'
   - दरबारी विद्वान महावीराचार्य पुस्तक 'गणित सार संग्रह'

6. कृष्ण तृतीय :- इसने अपने साम्राज्य का विस्तार कन्याकुमारी तक किया ।

पाल वंश

1. गोपाल

- बंगाल के प्रतिष्ठित लोगो द्वारा इसका चयन किया गया
- पाल वंश का संस्थापक
- बंगाल में ओदन्तपुरी विहार का निर्माण कराया
- पाल वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया ।
- भारतीय इतिहास में अन्तिम राजवंश जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया ।

2. धर्मपाल :- विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवायी ।

3. देवपाल
   - अरब यात्री सुलेमान ने इसे सबसे शक्तिशाली शासक बताया ।
   - अल मसूदी ने राष्ट्रकुटों को सर्वाधिक शक्तिशाली बताया ।

4. महिपाल :- पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है ।

मध्यकालीन भारत

भारत पर अरब आक्रमण

712 ईस्वी मे मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर सेन को हराया । दाहिर एवं उसका पुत्र जयसिंह लडते हुए मारे गए; भारत पर प्रथम मुस्लिम एवं प्रथम अरब आक्रमणकारी था

- रावर के युद्ध में बौद्ध भिक्षुओं ने कासिम की मदद की ।
- कासिम ने पहली बार सिन्ध में 'जजिया कर' लगाया
- इसकी जानकारी हमें 'चचनामा'' से मिलती है । (चच दाहिर का पिता था) सिन्ध के इतिहास की जानकारी इस पुस्तक से मिलती है ।

तुर्क आगमन (आक्रमण)

महमूद गजनवी

- प्रथम तुर्क आक्रमणकारी जिसने भारत पर आक्रमण किया ।
- सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था ।
- 'गाजी' को उपाधि धारण की ।
- 'बुत शिकन' (मूर्ति भंजक) की उपाधि धारण की ।
- जिहाद (धर्म युद्ध)/जेहाद का नारा दिया ।
- आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य भारत की सम्पन्नता या लूट था ।

आक्रमण

- पहला आक्रमण काबुल - 1000 ईस्वी
- मुल्तान पर आक्रमण 1005 ईस्वी
- नारायणपुर (अलवर) पर आक्रमण 1009 ईस्वी
- थानेश्वर (हरियाणा) 1014 ईस्वी
- कश्मीर पर 1016 ईस्वी - पहला असफल आक्रमण
- कन्नौज व मथुरा - 1018-19 ईस्वी
- प्रभास पट्टन (सोमनाथ) पर आक्रमण 1026 ईस्वी में भीम प्रथम (चालुक्य) शासक ।
- 1027 में जाटों पर अन्तिम आक्रमण

मोहम्मद गौरी

- मूलतः गौर प्रान्त के थे इसलिए गौरी कहलाये
- 1175 ई. में मुल्तान पर आक्रमण ।
- 1178 ई. में गुजरात पर आक्रमण
- मोहम्मद गौरी शांसबनी वंश से था ।
- गुजरात पर मूल द्वितीय या भीम द्वितीय का शासन था । वास्तविक शक्तियाँ उसकी माता नायिका देवी के पास थी ।
- आबू की लडाई में गौरी की सेना बुरी तरह पराजित हुई ।

1191 ई. में तराईन का प्रथम युद्ध

- गौरी बनाम पृथ्वीराज चौहान (विजय हुआ)
- 1192 ई. में तराईन का द्वितीय युद्ध गौरी की विजयी हुआ ।
- पृथ्वीराज मारा गया ।
- गोविन्द राज इस समय दिल्ली का गवर्नर था

1194. में चन्दावर का युद्ध

- गौरी बनाम जयचन्द (कन्नौज) गौरी जीत गया ।
- मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को विजित क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया एवं स्वयं गजनी (गौर) चला गया ।
- 1205 ई. - खोखरों के विरूद्ध अभियान
- गौरी घायल हो गया एवं 1206 में उसकी मृत्यु हो गई ।
- गौरी ने मौहम्मद बिन साम नाम के सिक्के चलाऐ जिन्हे देहलीवाल सिक्के कहा जाता है ।
- सिक्को पर देवी लक्ष्मी का चित्र मिलता है ।

सल्तनत काल (1206 -1526)

मामूलक/गुलाम वंश

इस वंश के सभी प्रमुख शासक गुलाम (मामूलक) वंश के थे इसलिए इसे गुलाम वंश कहा गया

1. कुतुबद्दीन ऐबक (1206-1210)

- वास्तव में 1192 से 1210 ई. तक पहले गवर्नर था, बाद में शासक बना ।
- ऐबक का शाब्दिक अर्थ -''चन्द्रमा का स्वामी''
- 1208 ई. में गौरी के भतीजे ग्यासुदीन महमुद ने सेवक को दास मुक्ति पत्र देकर उसे सुल्तान कि उपाधि प्रदान की थी ।

ऐबक की उपाधियाँ

- कुरान खाँ
- लाख बक्श (लाख)
- हातिम द्वितीय
- पील (हाथी) बक्श (बखस)

ऐबक की राजधानी - लाहौर

- कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी ।
- अपने नाम के सिक्के नहीं चलाये ।
- 1210 ई. में लाहौर में चौंगान (पोलो) खेलते समय घोडे से गिरकर मौत हो जाती है ।

2. इल्तुमिश (1211-1236 ई.)

- सुल्तान बनने से पहले बदायूं का गवर्नर था ।
- मुईज्जी एंव कुत्बी अमीरों का दमन करने के लिए'तुर्कान-ए-चिहलगानी'(40-चालीसा दल) का गठन किया ।
- इसे ''सल्तनत का वास्तविक संस्थापक'' कहा जाता है ।
- इल्तुतमीश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनवाया और अपने नाम के सिक्के चलाए ।
- तराईन का तीसरा युद्ध - 1216 ई. इल्तुतमिश बनाम यल्दौज (पराजित व मारा जाता है)
- 1221 ई. में जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खान सल्तनत की तरफ आ रहा था इल्तुतमिश ने जलुद्दीन मंगबरनी को सहायता न देकर नव स्थापित सल्तनत की रक्षा की ।
- इल्लतुतमीश ने कुंतुबमीनार के निर्माण कार्य को पुरा करवाया । उसे मकबरा शैली निर्माण का जन्मदाता भी कहा जाता है ।
- इसने दिल्ली में स्वयं का मकबरा भी बनवाया उसने बदायु में हौज-ए-खास का निर्माण करवाया ।
- 1229 ई. में खलीफा से मान्यता प्राप्त की ।
- नई मुद्रा जारी की थी ।
  1. चाँदी का टंका
  2. ताँबे का जीतल
- 1236 ई. में मृत्यु
- 'इक्ता प्रणाली' को विकसित किया ।

3. रजिया सुल्तान (1236-40 ई.)

- रजिया कुबा एवं कुलाह पहनकर दरबार में आती थी सिंहासन पर बैठती थी । प्रथम महिला शासक थी ।

- गैर तुर्क लोगों को महत्वपूर्ण पद प्रदान किए :-
अल्तुनिया → तबर हिन्द का गवर्नर (भटिण्डा)
याकूत → अमीर -ए-आखूर (अश्व शाला का प्रमुख)
एतगीन - समीर
- कैथल (हरियाण) नामक स्थान पर डाकुओं ने रजिया की हत्या कर दी ।
- रजिया कि असफलता का मुख्य कारण तुर्की गुलामों कि महत्वकांक्षाए थी ।

4. बलबन (1266–86)

- चालीसा दल का सदस्य था ।
- रजिया के समय बलबन अमीर-ए-आखूर (अश्वशाला) का प्रधान था ।
- राजत्व का दैवीय सिद्धान्त -
1. जिल्ल- ए- इलाही (ईश्वर की छाया)
2. नियामत- ए- खुदाई (ईश्वर का प्रतिनिधि)
- यह रक्त की शुद्धता में विश्वास रखता था ।
- इसका संबंध ईरान के आफराशियाब वंश से था
- इसने ईरानी रीति - रिवाज एवं प्रथाएँ आरम्भ की ।
1. सिजदा
2. पैबोस / पायबोस
3. नौरोज / नवरोज त्यौहार
4. तुलादान
5. ताजिया
- इसने सैनिक विभाग की स्थापना की - 'दीवान-ए-अर्ज'
- गुप्तचर विभाग → दीवान ए बरीद
- बलवन ने लौह एवं रक्त की नीति का अनुसरण किया ।

खिलजी वंश

- खिलजी वंश की स्थापना खिलजी क्रान्ति कहलाती है ।

1. जलालुद्दीन खिलजी (1290–96) (जलालुद्दीन फिरोज तुगलक)

- किलोखरी को 1 वर्ष तक अपना केन्द्र बनाकर रखा
- यह लालमहल के सिंहासन पर कभी नही बैठा
- रणथम्भौर पर आक्रमण किया । जलालुद्दीन खिलजी ने रणथम्भौर के बारे में कहा- "मेरे सैनिक के एक बाल की कीमत इस किले से कही ज्यादा है" ।
- जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगीरी का आक्रमण था । रामचन्द्र देवगिरी का शासक था ।
- अमीर खुसरो और हसन देहलवी जलालुद्दीन के दरबारी थे ।
- 'दीवान ए वकूफ' की स्थापना । (व्यय विभाग)
- इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने कडा (इलाहाबाद) में इसकी हत्या कर दी ।

2. अलाउद्दीन खिलजी (1296–1316 ई.)

बचपन का नाम- अली गुरूशास्य/गुर्शास्प सुल्तान बननें से पूर्व कडा (इलाहाबाद) का सूबेदार था
कडा का सूबेदार रहते समय इसने दक्षिण भारत अभियान किया था । " सिकन्दर सानी "उपाधि धारण की ।

- सुल्तान बनने से पहले अलाऊदीन अमीर-ए-तुजूक के पद पर था ।
- सेना को नगद वेतन देने एवं स्थाई सेना रखने कि प्रथा अलाऊदीन खिलजी ने ही प्रारम्भ की थी ।
- दिल्ली के शासको में सबसे विशाल सेना इसकी ही थी ।
- भारत में मंगोल के आक्रमण अलाऊदीन खिलजी के समय हुये थे ।

सैनिक अभियान

1. 1299 ई. (गुजरात)
यहाँ का शासक कर्ण था । कर्ण अपनी बेटी देवलरानी के साथ देवगिरी भाग गया ।
2. 1300 ई. (जैसलमेर)
3. 1301 ई. (रणथम्भौर)
   - यहाँ का शासक हम्मीर देव था । नुसरत खान इस युद्ध में मारा गया ।
4. 1303 ई. (चित्तौड) :- चित्तौड को जीतकर इसका नाम खिज्राबाद रख दिया तथा खिज्र खाँ को सूबेदार बनाया ।
5. 1305 ई.(मालवा)
6. 1308 ई. (सिवाणा) :- खैराबाद
7. 1311 ई. (जालौर)
जालौर को जीतकर (जलालाबाद) नाम रखा ।

चार खाँ

1. जफर खाॅ - मंगोलो से लडता हुआ मारा गया
2. नुसरत खाँ - रणथम्भौर युद्ध में मारा गया ।
3. उलूग खाँ
4. अल्प खाँ

अन्य सेनापति

1. गाजी मलिक
2. मलिक काफूर :- यह हिन्दू था बाद में इस्लाम स्वीकार किया ।
   - 1000 दीनार से खरीदने के कारण इसे "हजार दिनारी" कहा जाता है ।
   - दक्षिण के अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर ने ही किया था ।

दक्षिण भारत के अभियान

(i) देवगिरी आक्रमण
रामचन्द्र देव (यादव वंश) अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली ।

(ii) बारंगल (तेलंगाना)
प्रतापरूद्रदेव ने अधीनता स्वीकार कर ली । मलिक काफूर को कोहिनूर का हीरा भेंट में दिया ।

(iii) द्वारसमुद्र :- वीर बल्लाल देव (होयसल वंश)

(iv) मदुरै :- वीर पाण्डेय एवं सुन्दर पाण्डेय
- मलिक काफूर का सबसे सफल अभियान ।
- वीर पाण्डेय ने अधीनता स्वीकार नहीं की ।

सैनिक सुधार

- इसने विशाल एवं नियमित सेना का गठन किया
- सैनिकों को नियमित वेतन देना प्रारम्भ किया ।
- खुम्स (लूट) में सैनिकों की भागीदारी मात्र 20% कर दी गई ।

खुम्स		सेना	सुल्तान
	पहले	80	20
	अब	20	80

- सैनिकों का हुलिया लिखना प्रारम्भ किया । "दीवान ए खारिज" हुलिया लिखता था ।
- घोडो को दागने की प्रथा प्रारम्भ की ।

बाजार को तीन भागों में बाँटा गया ।

1. सराय ए अदल (सराय-अदल सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था जहाँ वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था ।)
2. मण्डी/खाद्यान बाजार
3. दास, घोडे, एवं पशुओं का बाजार
   - शहना ए मण्डी नामक अधिकारी नियुक्त किया गया यह मण्डी में पुलिस अधिकारी होता था ।

3. मुबारक खिलजी (1316–1320 ई.पू.)

- अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था । खिलजी वंश का अन्तिम शासक था, इसके बाद इसके मित्र ने राज किया ।

अमीर खुसरो

- ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे ।
- महान कवि, जन्म-परियाली , ईटा (यू.पी.) में ।
- "भारत का तोता" तथा "तुती ए हिन्द" के नाम से भी जाना जाता था ।
- एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होने दिल्ली शासनकाल के 8 राजाओं का शासन देखा था
- ये निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था ।
- तम्बूरा वाद्य यंत्र भी इन्होने ही बनाया ।
- 'कव्वाली का जनक" भी कहा जाता है ।

तुगलक वंश

- सर्वाधिक 94 वर्ष शासन किया । (सल्तनत काल में)

1. गयासुद्दीन तुगलक (1320–25 ई. पू.)

- वास्तविक नाम गाजी मलिक
- प्रथम सुल्तान था जिसने अपने नाम के आगे "गाजी" (धर्मयोद्धा) शब्द का प्रयोग किया ।
- इसकी राजस्व पद्धति रस्म ए मियानी के नाम से जाना जाता है ।
- गियासुद्दीन ने उदारता की नीति अपनाई थी । उदारता की नीति से किसानों और राज्यों कि आर्थिक नीति में सुधार हुआ ।
- इसके कार्यकाल में डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी ।
- इसने न्याय व्यवस्था में भी सुधार किये ।
- इसने तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना की थी ।
- ये पहला शासक था जिसने कैनाल का निर्माण करवाया

2. मुहम्मद बिन तुगलक (1325–51)

- सल्तनत काल का सबसे विद्वान शासक था ।
- इसको रक्तपिपासु पागल आदि कहा जाता था
- वास्तविक नाम जौना खाँ
- यह एक प्रयोगधर्मी एवं सनकी शासक था ।
- इसे बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है ।
- विरोधाभाषों का पिटारा कहा जाता है ।
- सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार इसके समय हुआ

- यह अपनी राजधानी देवगिरी लेकर गया ।
- देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा ।
- इनका साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था ।

कराचिल अभियान

- यहाँ से मात्र 3 सैनिक जीवित लौटे ।
  तुगलक ने किसानों को ''तकावी'' ऋण प्रदान किये
- सांकेतिक मुद्रा चलाई ।

दीवान ए अमीर कोही

- यह कृषि विभाग था ।
- फसल चक्र अपनाया गया ।

इब्नबतुता :- यह मोरक्को (अफ्रीका) का निवासी था ।
- 1333 ई. में दिल्ली आया था ।
- तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया
- तुगलक ने इसे अपना दूत बनाकर 1342 ई. में चीन भेजा ।
- अपनी पुस्तक रेहला (अरबी भाषा में) की रचना की

3. फिरोज तुगलक (1351-88 ई.)

- यह बिन तुगलक का चचेरा भाई था ।
- राज्याभिषेक थट्टा में ही हुआ ।
- दूसरा राज्यभिषेक दिल्ली मे
- इसने शरियत में उल्लेखित चार करों को लागू किया ।
  1. खुम्स - लूट का माल
  2. खराज - भूमि कर
  3. जजिया - यह एक गैर धार्मिक-राजनीतिक कर था इसको देने वाले जिम्मि कहलाते थे ।
  4. जकात - मुसलमान अपनी आय का 40वाँ हिस्सा देते थे ।
- हक ए शर्ब नामक नया कर सिंचाई पर लगता था
- ''उश्र'' नामक भूमि कर मुसलमानों से लिया जाता था । मुसलमानों की जमीन को ''उश्री'' कहते थे

नये सिक्के जारी किए
1. शंशगनी
2. अद्दा
3. बिख

इसने लगभग 300 शहर बसाये :-
उदा.
- फिरोजशाह कोटला (पाँचवी दिल्ली)
- जोनपुर (अपने भाई जोना खाँ की याद में बंगाल अभियान से लौटते समय)
  फिरोजापुर फतेहाबाद, हिसार फिरोज
- लगभग 1200 उद्यानों का निर्माण करवाया ।
- नहरों का निर्माण । दो प्रसिद्ध - राजावाही, उलुगखानी

कुछ विभाग स्थापित किए-
- दीवान- ए- बन्दगान - यह दासों (गुलामों) के लिए था । फिरोज के पास 1 लाख 80 हजार गुलाम थे
- दार -उल- शफा - मरीजों के लिए अस्पताल
- दीवान -ए- खैरात - दान विभाग
- दीवान- ए- इस्तिहाक - पेंशन विभाग
- पहला शासक जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया
- फिरोज की आत्मकथा → फुतुहात- ए- फिरोजशाही
- जियाऊद्दीन बरनी की पुस्तके तारीख ए फिरोजशाही एवं फतवा- ए- जहाँदारी
- शम्स- ए- सिराज अफीफ की पुस्तक- तारीख - ए -फिरोजशाही
- फिरोज के समय रेशमकीट पालन आरम्भ हुआ ।

4. नासिरूद्दीन मोहम्मद तुगल (1394-1412)

- इनका शासन दिल्ली तक ही सीमित था ।
- इसके समय सल्तनत दिल्ली से पालम तक थी ।
- 1398 ई. में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था ।
- नासिरूद्दीन दिल्ली छोडकर भाग गया ।

सैय्यद वंश (1414-1451)

खिज्र खाँ

- सैय्यद वंश का संस्थापक
- इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की ।
- यह स्वयं को शाहरूख का प्रतिनिधि मानता था
- ''रैय्यत ए आला'' की उपाधि धारण की ।
- इसने यमुना के किनारे मुबारकाबाद बसाया
- मुबारकाशाह सैयद् शासको में योग्यतम शासक था ।
- सैयद वंश का शासन केवल 37 वर्ष रहा ।

अलाउद्दीन आलम शाह (1445-51 ई.)

यह सल्तनत को बहलोल लोदी को सौंपकर बदायूं चला गया ।

लोदी वंश (1451-1526 ई.)

- यह अफगानिस्तान/अफगानों के गिलजई कबीले की शाहूखेल शाखा के थे ।
- इनके पूर्वज घोडों के व्यापारी थे ।

1. बहलोल लोदी (1451–1489 ई.)

- अमीरों को "मसनद-ए-आली" कहकर पुकारता था
- यह अपनी पगडी अमीरों के पैरो में रख देता था
- इसने बहलोली सिक्के चलाये, जो मुगल काल तक चलते रहे ।
- बहलोल लोदी ने 1451 ई. में आलमशाह को हटाकर कर दिल्ली पर लोदी वंश की स्थापना की ।
- इसकी महत्वपूर्ण सफलता जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाना था ।

2. सिकन्दर लोदी (1489–1517)

- इसने सिंहासन का प्रयोग आरम्भ किया ।
- "गुलरूखी" उपनाम से लिखता था ।
- इसने आगरा शहर की स्थापना की (1504) एवं 1506 में इसे राजधानी बनाया ।
- इसने सिकन्दरी गज का प्रयोग किया ।
- एकमात्र सुल्तान जिसने खुम्स में हिस्सेदारी नहीं ली ।
- इसने आगरा को बसाया जहाँ पर बादलगढ का किला का निर्माण कराया ।
- सिकंदर ने अनाज पर जकात लेना बंद करवाया ।
- इसने ब्रह्माणों से जजिया कर लेना पुनः शुरू कर दिया ।
- सिकंदर लोदी कि मृत्यु 21 नवम्बर 1517 ई को आगरा में हुई ।
- इसने अनाज से चुंगी कर हटा दिया ।
- पसंदीदा वाद्य यंत्र = शहनाई
- लज्जत ए सिकन्दरशाही = संगीत ग्रन्थों का फारसी में अनुवाद ।
- फरहंग ए सिकन्दरी = आयुर्वेद ग्रन्थों का फारसी

3. इब्राहिम लोदी (1517–1526 ई.)

- राणा सांगा ने इसे 2 बार पराजित किया ।
- आलम खाँ लोदी एवं दौलत खाँ लोदी (पंजाब का सूबेदार) ने बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए बुलाया था ।

पानीपत का प्रथम युद्ध
इब्राहिम लोदी बनाम बाबर

- इब्राहिम लोदी युद्ध में लडता हुआ मारा गया ।
- दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध में मरा ।

सल्तनतकालीन प्रमुख विभाग एवं उनके प्रमुख

- दीवान-ए-इंशा – पत्राचार विभाग
- दीवान-ए-बरीद – गुप्तचर विभाग
- दीवान-ए-अर्ज – सैनिक विभाग प्रमुख- आरिज ए मुमालिक
- दीवान-ए-वकूफ – व्यय विभाग
- दीवान-ए-नजर – उपहार विभाग
- दीवान-ए-रसालत – विदेश विभाग
- दीवान-ए-मुस्तखराज – राजस्व विभाग
- दीवान-ए-अमीरकोही – कृषि विभाग

सल्तनतकालीन प्रमुख इमारतें

1. **कुतुबुद्दीन ऐबक**

   A. कुतुब मीनार :– कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में बनवायी ।
   - ➢ इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया ।
   - ➢ पुनर्निर्माण फिरोज तुगलक ने

   B. कुवत उल इस्लाम मस्जिद
   - ➢ सल्तनत काल की पहली मस्जिद
   - ➢ इस मस्जिद में "लौह स्तम्भ स्थापित है ।

   C. अढाई दिन का झोपडा – अजमेर
   पहले यहाँ संस्कृत पाठशाला थी ।

2. **इल्तुतमिश** :- इसे "मकबरों का जन्मदाता" कहा जाता है ।

   A. सुल्तान गढी
   भारत का पहला मकबरा
   अपने पुत्र नासिरूद्दीन के लिए

   B. तारीकीन का दरवाजा – नागौर (RAJ)

   C. स्वयं का मकबरा (कुतुब Complex में) इसे मकबरे का निर्माण "स्कीच शैली" में किया गया है ।

   D. बदायूँ की इमारते :- जामा मस्जिद

3. **बलबन**

   A. लाल महल
   B. स्वयं का मकबरा

खिलजी वंश

अलाउद्दीन खिलजी

1. नवनगर / नौनगर
2. सिरी फोर्ट

3. हज़ार सितुन का महल
4. हौजखास
5. अलाई मीनार
6. अलाई दरवाजा – वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्मित प्रथम गुम्बद
   - जमातखाना मस्जिद :- शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित प्रथम इमारत

तुगलक वंश
गयासुद्दीन

1. तुगलकाबाद
2. तुगलकाबाद का किला
   - इसे छप्पनकोट भी कहा जाता है ।
3. गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा
   - यह एक कृत्रिम झील मे बना हुआ है ।
   - इस पर हिन्दू प्रभाव दिखाई देता है ।

मोहम्मद बिन तुगलक

1. जहाँपनाह
2. आदिलाबाद का किला
3. बाराखम्भा : -इसे धर्मनिरपेक्ष इमारतें कहा जाता है

फिरोज तुगलक

1. फिरोजशाह कोटला (5th दिल्ली)
2. खिरकी मस्जिद -ASI को यहाँ से सिक्के मिले है
3. बेगमपुरी मस्जिद
4. काली मस्जिद
5. कला मस्जिद
6. कुश्क ए शिकार मस्जिद
   - इसके समय को मस्जिदों का काल कहा जाता है ।
7. खान ए जहाँ तेलंगानी का मकबरा
   - यह भारत का प्रथम अष्टाकोणीय मकबरा है ।
   - इसका निर्माण जौना खाँ (पुत्र) ने करवाया ।
   - अशोक के टोपरा व मेरठ स्तम्भों को दिल्ली में स्थापित करवाया ।

सैय्यद वंश

सैय्यद व लोदी काल को "मकबरे का काल " कहते है ।

लोदी काल

A. बहलोल लोदी का मकबरा
B. सिकन्दर लोदी का मकबरा
   - ➢ भारत पहला दोहरा गुम्बद
   - ➢ इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है ।
C. मौठ की मस्जिद – बयाना
   - ➢ सिकन्दर लोदी के सेनापति मियाँ भूवा ने बनवाई ।
D. बडे खाँ का मकबरा
E. छोटे खाँ का मकबरा
F. दादी का मकबरा
G. पोती का मकबरा :- कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसका वास्तविक नाम "पोली" था ।

मुगलकाल

मुगल मध्य एशिया (उजबेकिस्तान) से आये थे ।

बाबर

जन्म – 1483 ई.
जन्मस्थान – फरगना (उजबेकिस्तान)

- 1501 ई. में समरकन्द को जीता किन्तु यह वापिस इसके हाथ से निकल गया ।
- 1505 ई. में मुल्तान जीता ।
- 1507 में (बादशाह) की उपाधि धारण की
- 1519 ई. में भेरा व बाजोर (पंजाब) के किले जीते
- भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग किया ।
- भारत पर आक्रमण करने से पहले बाबर ने काबुल बुखारा खुरासान और समरकंद पर विजय प्राप्त की ।
- तीसरा आक्रमण 1520ई. में हुआ और सियालाकोट उसके अधीरकाट में आ गया था ।

पानीपत का प्रथम युद्ध : 1526 – बाबर बनाम इब्राहिम लोदी

- इस युद्ध के बाद काबुल वासियों को 1 – 1 चाँदी का सिक्का दान में दिया, इस कारण बाबर को " कलन्दर " कहते है ।

1527 ई. खानवा का युद्ध :- बाबर बनाम सांगा बाबर ने विजय प्राप्त की ।
1528 ई. चंदेरी का युद्ध :- बाबर बनाम ममेदिनीराय बाबर ने विजय प्राप्त की ।

1529 ई. घाघरा का युद्ध :- बाबर बनाम अफगान
बाबर ने विजय प्राप्त की ।
1530 ई. मृत्यु

आत्मकथा :- बाबरनामा (तुजुक ए बाबरी भी कहते है ।)
- तुर्की भाषा में

हुमायूँ

- बाबर के सबसे बडे पुत्र हुमायूँ का जन्म 6 मार्च 1508 ई. को काबुल में हुआ था उसकी माँ साहम सुल्तान थी ।
- हुमायूं ने अपना राज्य अपने भाईयों में बाँट दिया ।

  कामरान - काबुल
  हिन्दाल - मेवात
  अस्करी - सम्भल (यू.पी.)

- यह अंधविश्वासी था । (7 दिन-7 रंग के कपडे) ।
- अफीम का आदी ।

अभियान

1. कालिंजर अभियान - 1531 ई.
2. चूनार का घेरा - 1532 ई.
3. दौहरीया के युद्ध में अफगानों को पराजित किया । (1532)
4. गुजरात पर आक्रमण - 1535 ई. हुमायू $^{v}/_{s}$ बहादुर शाह
5. चूनार का घेरा - 1535 ई.
   शेरशाह चूनार छोडकर बंगाल की तरफ चला गया । हुमायूँ ने बंगाल पहुँचकर जनताबाद नाम से बसाया
6. 1539 ई. चौसा का युद्ध :-हुमायूँ बनाम शेरशाह सूरी (शेर खाँ/फरीद)
   - हुमायूँ कर्मनासा नदी में कूदकर जान बचाई । एक भिश्ती निजाम झक्का ने इसकी जान बचाई ।
   - हुमायूँ ने चिश्ती को एक दिन का बादशाह बनवाया तब चिश्ती ने
   - "चमडे के सिक्के" चलवाये एवं अपने नाम का खुतबा पढवाया ।
7. 1540 - कन्नौज का युद्ध/बिलग्राम का युद्ध हुमायूँ बनाम शेरशाह सूरी
   - हुमायूँ इस युद्ध में पराजित हुआ तथा भागकर अमरकोट चला गया ।
   - 1545 पारस के शाह की मदद से काबुल पर अधिकार दिया ।
   - 1555 ई. मच्छीवाडा का युद्ध, सरहिन्द का युद्ध इन युद्धों में हुमायूँ ने अफगानों को हराकर दिल्ली पर पुनः कब्जा कर दिया ।
   - 1556 ई. दीनपनाह महल में मृत्यु (गिरने के कारण)

शेरशाह सूरी

बचपन का नाम - फरीद
जन्म - बैजवाडा (होशियारपुर पंजाब)
शिक्षा - जौनपुर
- प्रशासनिक शिक्षा खवासपुर
- फरीद के पिता को खवासपुर एवं सासाराम की जागीर मिली हुई थी । बहार खाँ नुहानी ने फरीद को शेर खाँ की उपाधि दी ।
- शेरखाँ ने हजरत-ए-आला की उपाधि ग्रहण की और दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बना ।
- 1530 में एक विधवा लाड बेगम से विवाह किया । दहेज में इसे चूनार का किला मिला था ।

अभियान

1541 - गम्बरों के विरूद्ध
1541 - मालवा के विरूद्ध
1542 - रायसीन के विरूद्ध :- शासक-पुरनमल
- 1544 गिरी-सुमेल का युद्ध/ जैतारण का युद्ध :- शेरशाह सूरी बनाम मालदेव मालदेव की सेना का नेतृत्व जैता एवं कूंपा ने किया
- 1545 कालिंजर अभियान :- शेरशाह सूरी $^{v}/_{s}$ कीरत सिंह

स्थापत्य कला

1. इसने पटना शहर को बसाया ।
2. दिल्ली मे किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया ।
3. लाल दरवाजे का निर्माण करवाया ।
4. रोहतासगढ किले का पुनर्निमाण करवाया ।
5. उत्तर - पश्चिमी सीमा पर रोहतासगढ किले का निर्माण करवाया ।
6. शेरशाह सूरी का मकबरा - सासाराम
7. इसके सिक्के 23 टकसाले थे इसके सिक्को पर पारसी भाषा के साथ-साथ नागरी लिपी अंकित थी ।

नोट
1. टोडरमल इसके दरबार में था ।
2. पद्मावत का लेखक = मलिक मोहम्मद जायसी
3. अब्बास खाँ शरवानी इसके दरबार में था ।

पुस्तक
1. तारीख ए शेरशाही
2. तोहफा ए अकबरशाही

अकबर (1556-1605 ई.)

जन्म -15 अक्टूबर 1542 अमरकोट में राणा वीरसाल के यहाँ।
संरक्षक - मुनीम खाँ प्रथम, बैराम खाँ (द्वितीय-खान बाबा)

पानीपत का दूसरा युद्ध - 1556

अकबर (बैराम खाँ) v/s हेमू - मारा गया
- पानीपत के युद्ध में अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की।
- 1560 तक सभी शक्तियाँ बैराम खाँ के पास
- अकबर ने बैराम खाँ के समक्ष 3 प्रस्ताव रखे :-
  1. काल्पी एवं चंदेरी की सूबेदारी
  2. बादशाह के गुप्त मामलों को देखना
  3. हज यात्रा
- बैराम खाँ ने विद्रोह कर दिया।
- बैराम खाँ की हज यात्रा के दौरान पाटन (गुजरात) में हत्या कर दी।
- सन् 1560 से 1562-पेटीकोट शासन
- सन् 1562 - आदम खाँ का मालवा अभियान (बाज बहादुर-रूपमती)
  1562 में ही आदम खाँ की मृत्यु।

अभियान
- 1568 चितौडगढ :- जयमल एवं फत्ता लडते हुए मारे गये। अकबर ने लगभग 30000 लोगों की हत्या की।

1572-73 : गुजरात अभियान

- अकबर ने गुजरात के शासक मुजफ्फर III को पराजित किया।
- इतिहासकार स्मिथ ने गुजरात अभियान को विश्व का सबसे द्रुत गति से किया गया अभियान बताया है
- सीकरी का नाम फतेहपुर सीकरी कर दिया।
- 1570 नागौर दरबार :- राजपुताना के अधिकांश शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली (अपवाद-चन्द्रसेन व प्रताप) (चन्द्रसेन दरबार में गया)
- 1576 हल्दीघाटी युद्ध अकबर बनाम प्रताप में हुआ।
- जहांगीर ने मेहरून्निसा से 1611 ई. में विवाह किया।
- गुलाब से इत्र बनाने की विधि नूरजहाँ कि माता अस्मत बेगम ने चलाई थी।
- 1581 काबूल अभियान मिर्जा हकीम ने विद्रोह किया अकबर ने बख्तुनीशा को सूबेदार नियुक्त किया
- 1585 में मानसिंह को वहाँ का सूबेदार बनाया।
- 1586 कश्मीर अभियान बीरबल युसुफजाई कबीले से लडता हुआ मारा गया।
- 1591 सिन्ध का अभियान।
- 1592 उडीसा का अभियान।
- 1595 कंधार का अभियान।
- 1601 खानदेश (अन्तिम अभियान) अकबर ने इस किले को "सोने की चाबियों" से खोला।
- गुरू अब्दूल लतीफ का प्रभाव था।
- शेख सलीम चिश्ती (सूफी सन्त) का शिष्य था।
  - 1575 में इबादतखाना स्थापना।
  - 1578 अन्य धर्म के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया। इसमें निम्न ने भाग लिया।

हिन्दू	- देवी व पुरूषोतम
पारसी	- दस्तुरजी मेहरजी राणा
जैन	- जिन प्रभु सुरी व हरि विजय
इसाई	- मॉन्सेरात व एक्वाबीवा

- 1582 दीन ए ईलाही या तौहिद ए ईलाही धर्म की स्थापना
- अकबर इसका धार्मिक प्रमुख था।
- अबुल फजल को प्रधान पुरोहित बनाया गया।
- शास्त - धर्म स्वीकार किया था।
- सिक्ख गुरू रामदासजी को 500 बीघा जमीन दी जहाँ पर गुरू अर्जुन देव जी ने अमृतसर बसाया,एवं हर मन्दिर (Golden Temple) बनवाया।
- विट्ठल नाथ (वल्लभाचार्य का पुत्र) को गोकूल एवं जैतपुरा जागीर दी थी।
- अकबर की धार्मिक नीति को "सुलह-ए-कुल" की नीति भी कहते है।

अकबर के नवरत्न

1. तानसेन
2. महेश दास (बीरबल)
3. अबुल फजल
4. हकीम फकीर
5. टोडरमल
6. अब्दुर्रहीम खान खाना
7. मानसिंह
8. मुल्ला दो प्याजा
9. भगवंत दास

- अकबर ने सुलह ए कुल नीति को अपनाया।
- 1562 :- युद्ध बंदियों के धर्मातरण पर रोक।
- 1562 :- दास प्रथा पर रोक।
- 1563 :- तीर्थयात्रा कर को समाप्त किया।
- 1564 :- जजिया कर समाप्त।
- 1575 :- इबादतखाने की स्थापना
- मुस्लिम विद्वानों को आमंत्रित किया गया।
- 1578: - धर्म संसद की स्थापना
- अकबर ने इन्हे दरबार में अग्नि जलाने की अनुमति दी।
  जैनः - (a) हरिविजय सुरि (b) जिनचन्द्र सुरि
  ईसाईः -(a) एक्वाबीवा

जहाँगीर (1605-1627)

वास्तविक नाम - सलीम

- अकबर इसे "शेखुबाबा" कहकर बुलाता था।
- राज्याभिषेक के समय 12 घोषणाएँ की।
  - ➢ न्याय की जंजीर लगवायी (सोने की 66 घंटिया थी)
  - ➢ आगरा किले के 'मुसम्मन' बुर्ज पर लगवायी।
- 1606 में खुसरो ने विद्रोह कर दिया।
  - ➢ सिक्खों के पाँचवे गुरू अर्जुन देव जी ने इसे आशीर्वाद दिया था। जहाँगीर ने गुरू अर्जुन देव जी को मृत्युदण्ड दे दिया।
- 1615 - सर टॉमस रॉ भारत आया।

  1616 में जहाँगीर से अजमेर में मिला। जहाँगीर ने इसे व्यापारिक रियायते दी। तम्बाकु की खेती इसी समय प्रारम्भ हुई। बाद में प्रतिबन्ध लगा दिया।
- 1615 - शहजादा खुर्रम ने मेवाड के साथ सन्धि की।
- जहांगीर ने नुरूद्दीन की उपाधि धारण की।
- जहांगीर ने निसार नामक सिक्को का प्रचलन किया।

नुर ए जहाँ (नूरजहाँ) :-

वास्तविक नाम

- मेहरून्नीसा जहांगीर की पत्नी जो राज कार्यो में हस्तक्षेप करती थी।
- जहांगीर ने मेहरून्निसा से 1611 ई. में विवाह किया।
- शाहजहाँ ने विद्रोह (1622 ई.) कर दिया।

शाहजहाँ (1627-1658 ई.)

- शाहजहाँ ने अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मुहम्मद साहिब किरण-ए-सानी कि उपाधि धारण कर सिहांसन पर बैठा था।
- आगरा के ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था।
- शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण अपनी बेगम मूमताज कि याद में करवाया था।
- ताजमहल का मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था।
- शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल माना जाता है।
- आसफ खाँ ने खुसरों के पुत्र दावरबख्श को आगरा में बादशाह बनाया।
- शाहजहाँ ने शहरयार, दावरबख्श एवं मुगल परिवार के सभी सदस्यो (पुरूषो) की हत्या कर दी।
- खान-ए-जहाँ लोदी का विद्रोह :- यह मालवा का सूबेदार था।
- पुर्तगालियों का विद्रोह (1631-32) दमन कर दिया गया।
- 1631 व 32 में भयंकर अकाल पडा। जिसका वर्णन "पीटर मुण्डी" करता है। अब्दुल हमीद लाहौरी अकाल राहत कार्यो की जानकारी देता है।

उत्तराधिकार संघर्ष

दारा पराजित होकर बलूचिस्तान चला गया। वहाँ से गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया। दारा को हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया।

औरंगजेब (1658-1707 ई.)

- जन्म - 1618 ई. (दोहाद गुजरात) में
- गुरू - मीर मोहम्मद हकीम
- औरंगजेब को अन्य नाम जींदा पीर भी कहा जाता है।
- इसे "शाही दरवेश एवं जिन्दा पीर" कहा जाता था
- कुछ इतिहासकार इसे धर्मांध बताते है जबकि धार्मिक नीतियों का पालन करना इसकी मजबूरी थी।
- बचपन - नूरजहाँ के पास बीता था।

अभियान

- मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया
- मीर जुमला ने आसाम के अहोमों के विरूद्ध अभियान चलाया।

Toppersnotes
Unleash the topper in you

- शाईस्ता खां को बंगाल का गवर्नर बनया गया 1660 में शाइस्ता खान को दक्कन भेजा गया था शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए । आरम्भ में इसे सफलता मिली लेकिन 1663 में शिवाजी ने पूना पर आक्रमण किया । शाईस्ता खान पराजित होकर भाग गया । औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा
- पुरन्दर की संधि 1665 शिवाजी व मिर्जा राजा जयसिंह के बीच शिवाजी ने अधीनता स्वीकार कर ली

विद्रोह

1. **जाटों का विद्रोह**
   मथूरा के आस पास के किसानों ने गोकुल के नेतृत्व में विद्रोह किया ।
2. **सतनामी विद्रोह**
   मेवात एवं हरियाणा के क्षेत्रों में सतनामी साधु निवास करते थे । सतनामी शाखा की स्थापना "वीरभान" ने की थी । सतनामियों को मुंडिया कहा जाता था ।
3. **सिक्खों का विद्रोह (1675)**
   औरंगजेब ने गुरू तेगबहादुर जी को मृत्यु दण्ड दिया था (दिल्ली के चाँदनी चोक में) वहाँ शीशगंज गुरूद्वारा बना हुआ है ।
   1681 में औरंगजेब के पुत्र अकबर ने अजमेर में विद्रोह कर दिया था ।

औरंगजेब स्वयं वीणावादक था अकबर नगाडा वादक था

(संगीत घराने, चित्रकला विकसित)

मीर बक्शी शाही सेना का प्रमुख (मुख्य सेनापति नही)

मनसबदारी व्यवस्था :- मुगलों की एक प्रशासनिक व्यवस्था थी । यह दशमलव प्रणाली पर अधारित थी । मनसब 10 से 10,000 तक होते थे ।

स्थापत्य कला :- हिन्दू-इस्लामिक श्रेणी का पूर्णतया विकास हो चुका था ।

बाबर :-

1. पानीपत की ईटों की मस्जिद
2. आगरा की मस्जिद
3. आगरा में आरामबाग
4. सम्भल की मस्जिद

   हुमायूं :- दिल्ली में दीन पनाह की स्थापना (यही मृत्यु)

अकबर

1. फतेहपुर सीकरी का निर्माण

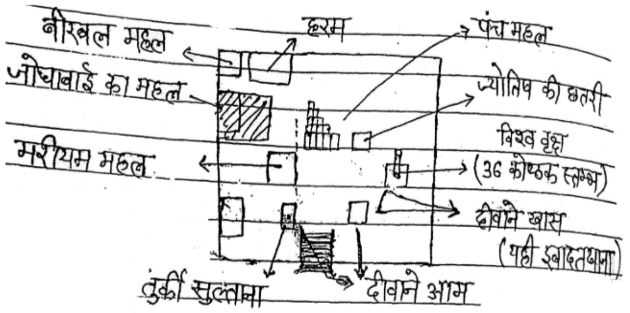

दीवाने खास

यह इबादत खाना थी (रविवार को) इसमें 36 कोष्ठक के स्तम्भ है, जिसे विश्व वृक्ष कहा जाता है

- ज्योतिष की छतरी - हिन्दू शैली में निर्मित
- पंचमहल -
  - पिरामिडनुमा पाँच मंजिला इमारत
  - दीवारे नही केवल स्तम्भों से निर्मित
- तुर्की सुल्ताना का महल
  - लाल बलुआ पत्थर अत्यन्त सुन्दर कार्य
  - सीकरी की सुन्दरतम इमारत

यह सारी इमारते एक ही परिसर में है ।
इनका वास्तुकार - बहाऊदीन

1. **जामा मस्जिद (सीकरी)**
   - इसका द्वार "बुलन्द दरवाजा " कहलाता है ।
   - गुजरात विजय के बाद अकबर द्वारा निर्माण एवं सीकरी का नाम फतेहपुर सीकरी रखा था ।
   - शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी मध्य में ही है
   - इस्लाम शाह सूर का मकबरा भी यही है ।
2. **हुमायूँ का मकबरा - दिल्ली**
   - अकबर की माँ ने बनवाया (हाजी बेगम ने)
   - वास्तुकार मिरख मिर्जा ग्यास
   - चार बाग शैली में निर्मित दोहरा गुंबद है ।
3. **आगरा का लाल किला**
   - वास्तुकार -कासिम खां
   - पहले यहाँ पर बादलगढ नाम से खण्डर थे ।
   - किले के 2 द्वार है ।
     1. अमर सिंह गेट (खुला)
     2. दिल्ली दरवाजा

- दीवाने आम
  दीवाने खास } आदि इमारतें
  खास महल
- जहाँगीर महल भी इसी किले में है। इसका निर्माण जहाँगीर ने करवाया। "शहतीर शैली" में निर्मित हुआ।
- मोती मस्जिद भी -शाहजहाँ ने निर्माण कराया।

4. लाहौर का किला
5. इलाहाबाद का किला
6. अजमेर का मैग्जीन किला
   - यह शस्त्रागार था (मुगलो का)
   - सबसे सुरक्षित किला माना गया था।

जहाँगीर

1. अकबर का मकबरा -सिकन्दरा
   - 5 मंजिला इमारत
   - गुम्बद विहीन
2. मरीयम का मकबर - सिकन्दरा
3. अब्दुलरहिम खान खाना का मकबरा दिल्ली
4. इत्माद उद दौला का मकबरा - आगरा
   - अस्मत बेगम, आसफ खाँ की कब्र भी यही है।

- पित्रा द्यूरा (पत्थरों मे हीरा मोती का कार्य) (In lay) का प्रयोग पहली बार इसी इमारत में किया गया।
- इसे बेबी ताज (BABY TAJ) कहते हैं।

शाहजहाँ

- "स्थापत्य कला का स्वर्णकाल"
- लाल बलूआ पत्थर के साथ में मकराना मार्बल का भी प्रयोग किया गया है।

1. ताजमहल
   - हिन्दू - इस्लामिक शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है
   - अंग्रेजी इतिहासकारों के अनुसार ऐरोनियो व वेरोनियो (इटली) इसके वास्तुकार थे।
   - वास्तुकारः - उस्ताद अहमद लाहौरी
2. दिल्ली का लाल किला
   - वास्तुकार - अहमद एवं हमीद
   - मोती मस्जिद - औरंगजेब ने बनवायी।
3. दिल्ली की जामा मस्जिद
   - भारत की सबसे बडी मस्जिद
4. आगरा की जामा मस्जिद
   निर्माण - जहाँ आरा (बेटी)

दिल्ली के चाँदनी चौक का प्रारूप भी जहाँ आरा ने तैयार किया।

औरंगजेब

1. बीबी का मकबरा - औरंगाबाद
   - इसे रबिया उल दुर्रानी का मकबरा भी कहते हैं।
   - "ताजमहल की बूरी नकल" कहा जाता है।
   - इसे दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं।
2. बादशाही मस्जिद - लाहौर
3. सफदरजंग का मकबरा - दिल्ली इसमें तिहरा गुम्बद है।

मुगल कालीन साहित्यिक रचनायें

पुस्तक	लेखक
तुजुके बाबरी (बाबरनामा)	बाबर
दीवान (कविता संग्रह)	बबर
तारीखे अल्की	मुल्ला दाउद
आइने अकबरी	अबुल फजल
अकबर नामा	अबुल फजल
तबकाते अकबरी	निजामुद्दीन अहमद
अकबरनामा	फैजी सरहिन्दी
हुमायूँनामा	गुलकान बेगम
मुन्तखाबुल-तवारीख	बदायुँनी
तुजुके जहाँगीरी	जहाँगीर
मआस्सरे जहाँगीर	मुल्ला महबन्दी
पादशाहनामा	अब्दुल हमीद लाहौरी
शाहजहाँ - नामा	इनायत खाँ
नुस्के - दिलकुशा	मुहम्मद सकी
फुतुहते - आलमगिरी	ईश्वरदास नागौड
मजमुं - बहरीन	दारा शिकोह
रामचरित मानस	तुलसीदास
विनय-पत्रिका	तुलसीदास
कवितत्नाकर	सेनापति
कवि-प्रिया	केशवदास
रसिक-प्रिया	केशवदास
अकबरशाही - श्रंगारदर्पण	परमसुन्दर
रसगंगाधर	पंडित जगन्नाथ
फतवा-ए-आलमगिरी	औरंगजेब

कुछ अनुवाद की गयी पुस्तकें

पुस्तक	अनुवाद	अनुवादकर्ता
महाभारत	संस्कृत से फारसी	नकीब खां, बदायूनी, फैजी
रामायण	संस्कृत से फारसी	बदायूँनी

अथर्ववेद	संस्कृत से फारसी	बदायूँनी
लीलावती	संस्कृत से फारसी	फैजी
कालिय दमन	संस्कृत से फारसी	अबुल फजल
नल दमयन्ती	संस्कृत से फारसी	फैजी
उपनिषद्	संस्कृत से फारसी	
भागवत् गीता	संस्कृत से फारसी	दारा शिकोह
योग वशिष्ठ	संस्कृत से फारसी	दारा शिकोह
हरिवंश	संस्कृत से फारसी	मौलाना शेरी
हयातुल हैवान	अरबी से फारसी	अबुल फजल, शेख मुबारक
बाबरनामा	तुर्की से फारसी	अब्दुर्रहीम खान-खाना

भक्ति एवं सूफी आन्दोलन

- मध्यकाल में सर्वप्रथम दक्षिण के अलवार सन्तों द्वारा भक्ति आन्दोलन की शुरूआत हुई ।
- उत्तर भारत में भक्ति आन्दोलन प्रारम्भ करने का श्रेय रामानन्द को हैं ।
- रामानन्द का जन्म प्रयाग (इलाहाबाद) में हुआ था । उन्होंने विष्णु के अवतार के रूप में राम की भक्ति को लोकप्रिय बनाया ।
- कबीर ने हिन्दू-मुस्लिम एकता पर बल दिया । उनकी रचनाएँ 'बीजक' में संगृहीत हैं । वे निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे ।
- गुरूनानक का जन्म ननकाना साहब (तलवण्डी) में हुआ था । उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकता पर बल दिया ।
- चैतन्य बंगाल में भक्ति आन्दोलन के प्रवर्तक थे । उन्होंने संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया ।
- सूरदास कृष्ण भक्ति परम्परा से सम्बन्धित थें । उन्होनें अपने ग्रन्थ 'सूरसागर' के राधा-कृष्ण के आदर्श प्रेम को लोकप्रिय बनाया ।
- गुजरात के संत नरसिंह मेहता राधा-कृष्ण भक्ति से सम्बन्धित थे ।
- शंकराचार्य के अद्वैतवाद दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव सन्तों द्वारा चार मतों की स्थापना की गई थी, जो इस प्रकार हैं -

विभिन्न सम्प्रदाय एवं वाद

श्री सम्प्रदाय	रामानुजाचार्य	विशिष्टाद्वैतवाद
ब्रम्ह सम्प्रदाय	माधवाचार्य	द्वैतवाद
रूद्र सम्प्रदाय	विष्णुस्वामी	शुद्धा द्वैतवाद
सनक सम्प्रदाय	निम्बार्काचार्य	द्वैताद्वैतवाद

विभिन्न वाद एवं उसके प्रणेता

वाद	प्रणेता
अद्वैतवाद	शंकराचार्य
विशिष्टाद्वैतवाद	रामनुजाचार्य
द्वैताद्वैतवाद	निम्बकाचार्य
शुद्धाद्वैतवाद	वल्लभाचार्य
द्वैतवाद	माधवाचार्य
भेदाभेदवाद	भास्कराचार्य
अविभागद्वैतवाद	विज्ञान भिक्षु
शैव विशिष्टाद्वैतवाद	श्री कंठ
वीर शैव विशिष्टाद्वैतवाद	श्रीपति

- सूफियों का संगठन 'सिलसिला' कहा जाता था । जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे, उन्हें 'मुरीद' कहा जाता था ।

प्रमुख सूफी सिलसिले और उनके संस्थापक

सिलसिला	संस्थापक	भारत में प्रचारक
चिश्ती	ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल चिश्ती	ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती
कादिरी	शेख अब्दूर कादिर जिलानी	मुहम्मद गौस
सुहरावर्दी	शेख बहाउद्दीन जअब्दुल अबू वाहिद	शेख बहाउद्दीन जकारिया
नक्शबंदी	ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद	ख्वाजा बाकी बिल्लाह
शत्तारी		शेख अब्दुल्ला शत्तारी
कलंदरिया	सैयद खिज्र रूमी कलंदर	सैय्यद नज्मुद्दुन कलंदर

- चिश्ती सम्प्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती थे । उनका मकबरा अजमेर में स्थित हैं ।
- बाबा फरीद की कुछ रचनाएँ 'गुरू ग्रन्थ साहिब' में शामिल हैं ।

- हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवनकाल में दिल्ली के सात सुल्तानों का शासन देखा था। 'अभी दिल्ली दूर है,' ये वचन निजामुद्दीन औलिया ने ग्यासुद्दीन तुगलक को कहे थे।
- शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी। इसका मुख्य केन्द्र बिहार था।
- रोशनिया सम्प्रदाय के संस्थापक वायजीद अंसारी थे।
- सुहरावर्दी परम्परा की शाखा फिरदौसी पूर्वी भारत विशेषकर बिहार में विकसित हुई, जिसके महत्वपूर्ण सन्त सैफुद्दीन याहिया मनेरी थे।

सिख परंपरा के गुरू एवं उनकी कार्य विशेषताएँ

क्र. सं.	सिख गुरू	काल	प्रमुख कार्य एवं विशेषतायें
1.	गुरूनानक	1469–1538 ई.	सिख सम्प्रदाय के संस्थापक। हिन्दू मुस्लिम एकता पर बल, कर्मकाण्डों का विरोध।
2.	गुरूअंगद	1538 – 1552 ई. (लेहना)	गुरू नानक के विचारों का सरल भाषा में प्रचार गुरुमुखी लिपा के माध्यम से गुरूनानक के शिष्य थे।
3.	गुरू अमरदास	1552 – 1574 ई.	सिख सम्प्रदाय को संगठित किया तथा अपने शिष्यों को पारिवारिक संत होने का उपदेश दिया। वे गुरू अंगद के शिष्य थे। सती प्रथा का विरोध किया।
4.	गुरूरामदास	1574 – 1581 ई.	अकबर इनसे बहुत प्रभावित था। अब गुरू का पद पैतृक बन गया।
5.	गुरू अर्जुनदास	1581 – 1606 ई.	सभी गुरूओं के उपदेश का संकलन आदि ग्रंथ में किया, स्वर्ण मंदिर बनवाया जहाँगीर ने राजद्रोह के जुर्म में उन्हें फाँसी पर लटकवा दिया।
6.	गुरू हरगोविन्द	1606–1664 ई.	उन्होनें सिखों को सैनिक सम्प्रदाय बना दिया, शाहजहाँ के विरूद्ध विद्रोह किया।
7.	गुरू हरराय	1645 – 1661 ई.	दारा उनका सम्मान करता था।
8.	गुरू हरकिशन	1661 – 1664 ई.	उत्तराधिकार के लिये रामराय से विवाद।
9.	गुरू तेगबहादुर	1664 – 1675 ई.	औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया, जिसके फलस्वरूप उनका वध कर दिया गया।
10.	गुरूगोविन्द सिंह	1675 – 1708 ई.	पटना में जन्म हुआ, पहुल नाम दीक्षा की प्रणाली कायम की। इस दीक्षा को स्वीकार करने वाले खालसा कहलायें, उन्हें सिंह की उपाधि दी तथा प्रत्येक सिख को केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने का आदेश दिया। इन्होनें पूरक ग्रन्थ (दसवें बादशाह का ग्रन्थ) का संकलन किया। वे अन्तिम सिख गुरू थे।

मराठा उद्भव

1. शिवाजी (1627–1680 ई.)

- जन्म–1627 में शिवनेर दुर्ग में (महाराष्ट्र
- पिता – शाहजी भौंसले (पहले अहमदनगर, बाद में बीजापुर के शासक की सेवा में थे
- माता–जीजाबाई
- राजनैतिक गुरू–दादा कोणदेव (कोडदेव)
- धार्मिक गुरू – रामदास
- शिवाजी की मृत्यु – 1680 ई. में
- शिवाजी के मंत्रिमण्डल को अष्टप्रधान कहा जाता था।
- अष्टप्रधान का महत्वपूर्ण केन्द्र पेशवा था।

- आरम्भ से ही शिवाजी का मूल उद्धेश्य दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना था ।
- 1643 ई. सिंहगढ व तोरण किला विजीत किया (RBSE-NEW Book- 1646 ई.)
- 1657 ई.-रायगढ के किले को जीता व राजधानी बनाया ।
- शिवाजी के प्रारम्भिक सभी आक्रमण बीजापुर के विरूद्ध रहे ।
- 1659 ई. - अफजल खान की हत्या (बीजापुर का सेनानायक)
- 1663 ई. -पुना पर आक्रमण शाइस्ता खान बचकर भाग गया ।
- 1664 ई. -सूरत की लूट

1665 ई. - पुरन्दर की सन्धि (जयसिंह बनाम शिवाजी)

शिवाजी ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली ।
23 किले मुगलो को सौप दिये ।
शिवाजी के मुगल दरबार में नही आने का प्रावधान किया ।

- 1666 में शिवाजी मुगल दरबार में उपस्थित हुए शिवाजी को जयपुर पैलेस में कैद कर लिया गया
- 1670 ई. सूरत की लूट
- 1674 ई. राज्याभिषेक (बनारस के पं. गंगाधर भट्ट द्वारा स्वयं को सिसोदिया वंश (मेवाड) से सम्बन्धित बताया ।

''छत्रपति'' उपाधि धारण की ।
''गौ-उद्धारक व हिन्दू उद्धारक''
हिन्दू साम्राज्य की अवधारणा दी ।

- 1680 ई. मृत्यु

2. शम्भाजी (1680-89)

- शिवाजी की मृत्यु के समय पन्हाला के किले में कैद ।
- मृत्यु के बाद उनके दोनों पुत्रों शम्भाजी एवं राजाराम के मध्य उत्तराधिकार का विवाद खडा हो गया था ।
- शम्भाजी 20 जुलाई 1680 को सिंहासन पर बैठा
- शम्भाजी ने 1681 ई. को औरंगजेब के पुत्र अकबर को शरण दी थी ।
- औरंगजेब ने मृत्युदण्ड दे दिया ।

3. राजाराम (1689-1700)

- राज्यभिषेक - 1680
- एकमात्र राजा जो कभी सिंहासन पर नहीं बैठा
- राजाराम ने दूसरी राजधानी सतारा को बनाया

4. ताराबाई (1707 तक)

- राजाराम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ताराबाई ने गद्दी सम्भाली और मुगलो से संघर्ष जारी रखा ।
- ताराबाई ने रायगढ, सतारा और सिंहगढ किलों को मुगलो से जीता था ।

5. शाहू (1749 ई. तक)

- चौथ एवं सरदेशमुखी (1/10 हिस्सा) नामक कर वसूली करते थे ।
- साहू ने 22 जनवरी 1708 ई. में सतारा पर अधिकार कर लिया था ।

अष्टप्रधान

1. पेशवा
2. अमात्य
3. वाकियानविस (मंत्री) - दैनिक गतिविधियों को लिपिबद्ध करता था ।
4. शुरूनवीस (सचिव) - पत्राचार करता था ।
5. दबीर/सुमन्त - विदेश मंत्री
6. सर ए नौबत - सेनापति
7. न्यायाधीश
8. पण्डित राव

राजवंश	संस्थापक	राजधानी
हर्यक वंश	बिम्बिसार	राजगृह
शिशुनाग वंश	शिशुनाग	वैशाली
नन्द वंश	महापद्मनंद	पाटलीपुत्र
मौर्य वंश	चंद्रगुप्त	पाटलीपुत्र
कण्व वंश	वासुदेव	पाटलीपुत्र
सातवाहन	सिमूक	पाटलीपुत्र
गुप्तवंश	श्रीगुप्त	पाटलीपुत्र
परमार वंश	उपेन्द्र	धारा नगरी
गहडवाल वंश	चंद्रदेव	कन्नौज
गुर्जर प्रतिहार	नागभट्ट प्रथम	कन्नौज
सैयद वंश	खिज्र खाँ	दिल्ली
लौदी वंश	बहलोल लोदी	दिल्ली
चौल वंश	विजयालय	तन्जौर
यादव वंश	भिल्लभ पंचम	देवगिरी
सालुव वंश	नरसिंह	विजयनगर
सौलंकी वंश	मुलराज	अंन्हिलवाड
पाल वंश	गोपाल	मुंगेर
चौहान वंश	वासुदेव	अजमेर
कुषाण वंश	कुजुला कडफिसेस	पुरूषपूर
चंदेल वंश	नानुका	खजुराहो
गुलाम वंश	कुतबुद्दीन ऐबक	दिल्ली
खिलजी वंश	जलालूद्दीन खिलजी	दिल्ली

तुगलक वंश	गयासुद्दीन तुगलक	दिल्ली
संगम वंश	हरिहर एवं बुक्का प्रथम	विजयनगर
मुगल वंश	बाबर	दिल्ली/आगरा
उत्पल वंश	अवन्ति वर्मन	कश्मीर

भारत के प्रमुख स्थल एवं उनके निर्माणकर्ता

क्र. सं.	स्थल	स्थान/राज्य	निर्माणकर्ता	निर्माणवर्ष
1.	आगरा फोर्ट	आगरा (उत्तर प्रदेश)	अकबर	1566 ई.
2.	जहाँगीर महल	आगरा (उत्तर प्रदेश)	अकबर	1566 ई.
3.	अकबर का किला	आगरा (उत्तर प्रदेश)	जहाँगीर	1613 ई.
4.	शीशमहल	आगरा (उत्तर प्रदेश)	शाहजहाँ	1637 ई.
5.	दीवाने खास	आगरा (उत्तर प्रदेश)	शाहजहाँ	1637 ई.
6.	जामा मस्जिद	आगरा (उत्तर प्रदेश)	शाहजहाँ	1644 ई.
7.	मोती मस्जिद	आगरा (उत्तर प्रदेश)	शाहजहाँ	1646-53 ई.
8.	ताजमहल	आगरा (उत्तर प्रदेश)	शाहजहाँ	1630-52 ई.
9.	लाल किला	दिल्ली	शाहजहाँ	1648 ई.
10.	जामा मस्जिद	दिल्ली	शाहजहाँ	1650-56 ई.
11.	एत्मादुद्दौला का मकबरा	आगरा (उत्तर प्रदेश)	नूरजहाँ	1622-28 ई.
12.	हुमायूँ का मकबरा	दिल्ली	हुमायूँ की बेगम	1665-74 ई.
13.	सफदरगंज का मकबरा	दिल्ली	शाजुद्दौला	1753-54 ई.
14.	स्वर्ण मंदिर	अमृतसर (पंजाब)	महाराजा रणजीत सिंह	1802 ई.
15.	कोणार्क मंदिर	पुरी (उड़ीसा)	नरसिंह देव प्रथम	13वीं. शताब्दी
16.	खजुराहो मंदिर	छतरपुर (मध्य प्रदेश)	चन्देल राजाओं ने	950-1050 ई.
17.	मोती मस्जिद	दिल्ली	औरंगजेब	1659 ई.
18.	बीबी का मकबरा	औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	औरंगजेब	1679 ई.
19.	जूनागढ का किला	बीकानेर (राजस्थान)	राजा जयसिंह	1587 ई.
20.	कुतुबमीनार (नींव)	दिल्ली	कुतुबुद्दीन ऐबक	1199 ई.
21.	जन्तर-मन्तर	दिल्ली	राजा सवाई जयसिंह	1724 ई.
22.	जन्तर-मन्तर	जयपुर (राजस्थान)	राजा सवाई जयसिंह	1724-27 ई.
23.	विक्टोरिया मेमोरियल	कोलकाता (प.बंगाल)	लॉर्ड कर्जन	1906-1921 ई.
24.	गेटवे ऑफ इण्डिया	मुम्बई (महाराष्ट्र)	ब्रिटिश सरकार	1924 ई.
25.	गोलघर	पटना (बिहार)	कैप्टन जॉन गार्स्टीन	1786 ई.
26.	हवामहल	जयपुर (राजस्थान)	सवाई प्रताप सिंह	1799 ई.
27.	दरगाह	अजमेर (राजस्थान)	सुल्तान ग्यासुद्दीन	1464 ई.
28.	अढाई दिन का झोपडा	अजमेर (राजस्थान)	कुतुबुद्दीन ऐबक	1199 ई.
29.	चारमीनार	हैदराबाद (आंध्रप्रदेश)	अली कुतुबशाही	1591 ई.
30.	सबरमती आश्रम	अहमदाबाद (गुजरात)	महात्मा गांधी	1918 ई.

आधुनिक भारत का इतिहास

भारत में यूरोपियन शक्तियों का आगमन

सत्रहवीं शताब्दी के दौरान भारत विदेशी व्यापार का एक ऐसा आकर्षण केन्द्र बन गया था कि हर विदेशी राष्ट्र व्यापार के माध्यम से उस पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। क्योंकि -

भारत में अग्रांकित यूरोपियन शक्तियाँ अपने हित साधने हेतु आयी -

पुर्तगाल - (1498)
डच - (1596)
अंग्रेज - (1600)
डेनिश - (1616)
फ्राँसीसी - (1664)
स्वीडिश - (1731)

1. पुर्तगाली

- प्रथम पुर्तगाली यात्री 'वास्को - डी - गामा' था जिसने भारत की खोज (1498) की।
- अब्दुल मनीक नामक गुजराती व्यक्ति उसका मार्गदर्शक था।
- वास्को - डी - गामा पश्चिमी तट के कालीकट बन्दरगाह पर आया था।
- कालीकट के जमोरिन (वहाँ का राजा) ने वास्को - डी - गामा का स्वागत किया।
- वास्को - डी - गामा को भारत के साथ व्यापार में 60 गुना फायदा हुआ था।

- 1502 में वास्को - डी - गामा दूसरी बार भारत आया ।
- 24 मई 1524 में वास्को - डी - गामा की भारत में ही मृत्यु हो गई ।
- 1961 तक इनका पुर्तगालियों गोआ, दमन व द्वीप पर अधिकार था ।
- इसके बाद भारत सरकार ने गोवा, दमन, दीव को उनसे पुनः अपने कब्जे मे ले लिया ।
- पेड्रो अल्वारेज क्रेबाल : दूसरा पूर्तगाली यात्री (1500 ई. में)
- 1503 में पूर्तगालियों ने कोचीन में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की ।
- पूर्तगालियों का प्रथम गर्वनर फ्रांसिस्को - डी - अल्मेडा भारत में 1505 में बनाया ।
- अल्फांसो – डि – अल्बुकर्क : द्वितीय पुर्तगाली गर्वनर 1509 में भारत आया ।
- यह पूर्तगालियों का भारत में वास्तविक संस्थापक था
- (1509 में) अल्बुकर्क ने कृष्णदेवराय (विजयनगर) के कहने पर बीजापुर के राजा युसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था
- 1530 में 'नीनो डि कुन्हा' ने कोचीन से अपनी राजधानी को गोवा में विस्थापित कर ली थी तथा 1961 तक गोवा पर पूर्तगालियों का शासन रहा ।

नोट : 1542 में जेसुइट संत जेवियर (पादरी), अल्फांसो डी सूजा (गर्वनर) के साथ भारत आया था ।
नीले समुद्र की नीति - पूर्तगालियों का समुद्र पर एकाधिकार था ।

पूर्तगालियों का सामुद्रिक साम्राज्य एस्तादो द इण्डिया कहलाता था ।

- पूर्तगालियों ने भारत में बडे जहाजों का निर्माण प्रारम्भ किया ।
- 1556 में गोवा में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस (छापाखाना) लगाया गया ।
- मक्का और तम्बाकू की फसल बाद में पूर्तगालियों ने प्रारम्भ की ।
- स्थापत्य कला की "गोथिक शैली" प्रारम्भ की । (ऊँची उठी हुई छते)

2. डच

कॉर्नेलियन डे हाउटमैन : पहला डच यात्री 1596 में भारत आया ।

- 1602 में डच ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना हुई
- 1605 में 'मसूलीपट्टम' (पूर्वी तट पर) में पहली फैक्ट्री की स्थापना की ।
- 1653 में चिनसुरा (बंगाल) में फैक्ट्री शुरू की ।
- इस फैक्ट्री को गुस्तावास फोर्ट कहा जाता था ।
- 1759 में अंग्रेजो ने 'बेदारा के युद्ध' में डचों को हरा दिया था ।
- डचो ने पुलीकट (जो उनका मुख्यालय) था में स्वर्ण सिक्के 'पैगोडा' का प्रचलन करवाया था ।

3. डेनिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी

- डेनमार्क की "ईस्ट इण्डिया कम्पनी" की स्थापना 1616 ई. में हुई ।
- इस कम्पनी ने 1620 में ट्रान्केबार (तमिलनाडु) तथा 1676 में सेरामपुर (बंगाल) में अपनी व्यापारिक कम्पनियाँ स्थापित की ।
- सेरामपुर डचों का प्रमुख केन्द्र था ।
- 1854 में डचों ने अपनी वाणिज्यिक कम्पनी अंग्रेजों को बेच दी ।

4. अंग्रेज

जॉन मिल्डेनहॉल (1599) : प्रथम अंग्रेज यात्री

- 31 दिसम्बर 1600 की ईस्ट इण्डिया कम्पनी (अंग्रेजी) की स्थापना की गई ।
- यह एक निजी कम्पनी थी ।
- महारानी ऐलिजाबेथ प्रथम ने कम्पनी को भारत में व्यापार के लिए 15 वर्षो का एकाधिकार दिया । कालान्तर में इसे 20-20 वर्षो के लिए आगे बढाया गया ।
- 1608 में इंग्लैण्ड के राजा जैम्स प्रथम का राजदूत कैप्टन हॉकिन्स मुगल बादशाह जहाँगीर के दरबार में आया । वह फारसी भाषा का जानकार था ।
- जहाँगीर ने इसे 400 का मनसब दिया था । लेकिन वह व्यापारिक रियायतें प्राप्त नहीं कर पाया था ।
- अंग्रेजो ने अपनी प्रथम कंपनी 1611ई. में मसुलीपट्टम में स्थापित की ।
- 1615 में सर टॉमस रो भारत आये (द्वितीय राजदूत भारत आये) 10 जनवरी 1616 को अजमेर में जहाँगीर से मुलाकात की तथा व्यापारिक रियायते प्राप्त करने में सफल रहा । (लेकिन वास्तव में ये रियायते गुजरात के गवर्नर खुर्रम (शाहजहाँ) ने दी थी)
- 1608 में सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की
- अंग्रेजो ने चन्द्रगिरि के राजा से चैन्ने नामक गाँव खरीदा तथा यहाँ पर 1639 में मद्रास की स्थापना की ।यहाँ पर सेन्ट जॉर्ज नामक किला बनाया गया
- मद्रास का संस्थापक : फ्रांसिस डे था ।
- इंग्लैण्ड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुई तथा बॉम्बे दहेज में दिया गया । (1661 में)
- गोलकुण्डा के सुल्तान ने 1632 ई. में अंग्रेजो का सुनहरा फरमान दिया था ।

- 1651 ई. में ब्रिजमैन ने हुगली में एक कारखाना स्थापित किया ।
- 1668 में बॉम्बे में फैक्ट्री की स्थापना की ।
- 1698 में यहाँ कलकत्ता (कलिकाता) में फैक्ट्री की स्थापना की गई । यहाँ पर फोर्ट विलियम बनाया गया
  संस्थापक : जॉब चारनाक

5. फ्रांसिसी

- 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना की गई ।
- नोटः- यह कम्पनी एक 'सरकारी कम्पनी' थी
- 1668 में सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना की
- संस्थापक : फ्रेंको कैरो
- 1669 में मसूलीपट्टम में फैक्ट्री की स्थापना की
- 1673 में पुदुचेरी गाँव खरीदा तथा यहाँ पर पाण्डीचेरी की स्थापना की ।
- 1674 में बंगाल में चन्द्रनगर नामक गाँव खरीदा
- फ्रांसीसियों ने 1731 ई. मॉरीशस, 1724 ई. में मालाबार में स्थित माही तथा 1739 में कारिकाल पर अधिकार कर लिया था ।
- 1724 ई. में डुप्ले गवर्नर बना । वह भारत में फ्रांसीसि साम्राज्य स्थापित करना चाहता था ।

अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष

- अंग्रेजो तथा फ्रांसीसीयों के बीच 3 युद्ध हुये थे जिन्हें कर्नाटक युद्ध कहा जाता है ।

1. प्रथम कर्नाटक युद्ध : (1746-1748)

कारण : ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार

- ऑक्स ला शैपेल की सन्धि द्वारा यह युद्ध समाप्त हो गया ।

2. दूसरा कर्नाटक युद्ध : (1749-1754)

रियासत	राजा	राजा
कर्नाटक	अनवरूद्दीन (सहायक - अंग्रेज)	चन्दा साहिब (सहायक - फ्रांसीसी)
हैदराबाद	नासिर जंग (सहायक - अंग्रेज)	मुजफ्फर जंग (सहायक - फ्रांसीसी)

अम्बूर का युद्ध - 1749

- फ्रांसिसी, चन्दा साहिब, मुजफ्फर जंग से मिलकर अनवरूद्दीन को मार दिया ।
- मुजफ्फरजंग ने डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिण का भाग दिया तथा बस्सी के नेतृत्व में एक सेना (फ्रांसिसी) हैदराबाद में रखी गई ।
- इस प्रकार भारत में सहायक सन्धि की शुरूआत डुप्ले ने की थी ।
- कालान्तर में इसे अंग्रेजी गर्वनर जनरल वेलेजली ने बडे तौर पर लागू किया था ।
- डुप्ले को हराकर गोडेहू को नया फ्रांसिसी गर्वनर बनाया गया ।
- इस युद्ध में अन्त में अंग्रेजो की जीत हुई थी ।

3. तीसरा कर्नाटक युद्ध : (1756-63)

कारणः कनाडा पर अधिकार करने के लिए इंग्लैण्ड और फ्रांसिसीयों के बीच सात वर्षीय युद्ध

वाण्डीवाश का युद्ध (1760)

अंग्रेज → आयरकूट | अंग्रेज | फ्रांसिसी → लाली और बुस्सी

इस युद्ध में फ्रांसिसी निर्णायक रूप से हार गये थें । अंग्रेजो ने पाण्डिचेरी पर भी अधिकार कर लिया था ।

- पैरिस की संधि द्वारा युद्ध समाप्त हो गये ।

स्वीडिश

- 1731 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना की

बंगाल

1. मुर्शीद कुली खाँ

- इसने मुर्शीदाबाद को बंगाल की राजधानी बनाया था ।

2. अली वर्दी खाँ

- इसने यूरोपियन की तुलना मधुमक्खियों से की थी

3. सिराजुद्दौला

- यह अलीवर्दी खाँ का दोहिता था ।

अलीनगर की संधि (9 फरवरी, 1757) :-
सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य
ब्लैक हॉल घटना : (कालकोठरी की घटना) (20 जून 1756)

- अंग्रेजी इतिहासकारों के अनुसार नवाब ने कम्पनी के 146 कर्मचारियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया । अगले दिन उनमें से केवल 23 जीवित बचे थें ये घटना अंग्रेज कर्मचारी हॉलवेल द्वारा बताई गई थी ।
- अंग्रेजो ने पुनः कलकता में अधिकार कर लिया था 9 फरवरी 1757 ई. को अंग्रेजो और नवाब के बीच अलीनगर की संधि हुई ।

प्लासी का युद्ध (23 जून 1757)

क्लाइव वर्सेज सिराजुद्दौला

- सेनापति मीर जाफर (यह क्लाइव से मिल गया था)
- मीर जाफर ने युद्ध से पहले ही सिराजुद्दौला को वापस भेज दिया ।
- मीर मदान, मोहन लाल तथा फ्रांसिसी नवाब के वफादार थे । उन्होंने युद्ध किया तथा मारे गये ।
- प्लासी के युद्ध के समय आलमगीरी II मुगल बादशाह था
- इस युद्ध में अंग्रेजो कि सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया और नवाब सिराजुद्दौला कि सेना का नेतृत्व मीर जाफर, यारलतीफ खाँ और राजा दुर्लभ राय ने किया
- इस युद्ध में अंग्रेजो की जीत हुई तथा सिराजुद्दौला को मारकर बंगाल का नया नवाब बना दिया गया ।
- के.एम. पनिक्कर के अनुसार प्लासी का युद्ध, एक युद्ध नहीं बल्कि एक विश्वासघात था

4. मीर जाफर

- इसे क्लाइव का गीदड कहा जाता था ।

5. मीर कासिम

- यह अंग्रेजो द्वारा बनाया गया पहला नवाब था ।
- यह एक अयोग्य शासक था, अंग्रेजो ने अपने खिलाफ षडयंत्र करने का आरोप लगाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया ।
- 1760 में बंगाल के गवर्नर वेन्सिटार्ट ने मीर जाफर को हराकर मीर कासिम को नवाब बना दिया ।
- मीर कासीम ने बंगाल छोडकर अवध के नवाब शुजाउद्दौला के यहाँ के यहा शरण ली ।

बक्सर का युद्ध (1764)

मीर कासिम (बंगाल)
शुजाउद्दौला (अवध)
शाह आलम – द्वितीय (मुगल बादशाह)
} वर्सेज हेक्टर मुनरो (अंग्रेज)

- बीच युद्ध में ही शाह आलम अंग्रेजो से मिल गया था तथा मीर कासिम युद्ध छोड कर भाग गया ।
- इस युद्ध में अंग्रेजो की जीत हुई थी ।
  1765 में क्लाइव दुबारा भारत आया तथा उसने शाह आलम – द्वितीय तथा शुजाउद्दौला के साथ सन्धियाँ की । जिन्हे इलाहाबाद की सन्धियाँ कहा जाता हैं ।
- इस युद्ध के बाद अंग्रेजो कि भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित हुई थी ।
- लॉर्ड क्लाइव को द्वैध शासन का जनक माना जाता है लेकिन 1772 ई. में वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन का अंत कर दिया ।

इलाहाबाद की प्रथम सन्धि : (12 अगस्त 1765)

क्लाइव तथा मुगल बादशाह शाहआलम के बीच

इलाहाबाद की दूसरी संधि (16 अगस्त 1765)

क्लाइव व शुजाउद्दौला के बीच
अंग्रेजों ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया

मराठा शक्ति का उत्कर्ष

- छत्रपति शिवाजी – 1627 – 1680
- मध्यकाल के पार्ट में इस टॉपिक को पढाया जा चुका है ।

शिवाजी के उत्तराधिकारी

- छत्रपति शिवाजी – 1627 – 1680
- शम्भाजी – 1680 –1689
- राजाराम – 1689 – 1700
- ताराबाई – 1700 – 1707
- साहू – 1707 – 1748
- राजाराम – द्वितीय

1. राजाराम प्रथम
2. ताराबाई (1700–1707)
   मराठा संघ के सदस्य
   - ग्वालियर के सिंधिय
   - इन्दौर के होल्कर
   - नागपुर के भोंसले
   - बडौदा के गायकवाड
   - पूना के पेशवा

3. बालाजी विश्वनाथ – (1713–1720 ई.) :

4. बाजीराव प्रथम (1720 – 40)

पालखेडा का युद्ध

बाजीराव प्रथम वर्सेज चिनकिलच खाँ (निजाम – उल – मुल्क)
(मुंगी शिवगाँव की सन्धि)

- इस युद्ध में मराठों की जीत हुई तथा मुंगी शिवगाँव की संधि हुई ।
- मुहम्मद खाँ बंगश के खिलाफ ओरछा के राजा छत्रसाल बुन्देला की सहायता की ।

5. बालाजी बाजीराव (1740–61)
पानीपत का तीसरा युद्ध (1761)

- मराठे व अहमद शाह अब्दाली
- अहमद शाह अब्दाली का यह भारत पर 5 वां आक्रमण था ।
- मराठे मुगल बादशाह की तरफ से लड रहे थे
- मराठों का औपचारिक सेनापति : विश्वास राव
  वास्तविक सेनापति : सदाशिव राव भाऊ
  तोपखाने का प्रमुख : इब्राहिम खां गार्दी
- इस युद्ध में मराठे बुरी तरह से पराजित हुये ।
- हार का समाचार सुनकर बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई ।

संगोला की संधि (1750)

- यह संधि छत्रपति राजाराम द्वितीय तथा पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच हुई ।
- इसके द्वारा छत्रपति की सारी शक्तियाँ पेशवा को दे दी गई ।

6. माधवराव प्रथम (1761–1772)

- ये 1761 ई. में पेशवा बने ।
- इसने मराठो कि खोई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया ।

7. नारायण राव (1772–1773 ई.)

माधवराव के पश्चात् उसका भाई नारायणराव पेशवा बना परन्तु एक वर्ष बाद ही उसके चाचा रघुनाथ राव (राघोबा) ने पेशवा बनने के लिए इसकी हत्या कर दी ।

8. माधवराव – द्वितीय (1774–1795 ई.)

- पेशवा नारायण राव की मृत्यु के बाद उसकी विधवा गंगाबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया । जिसे 1774 में ही पेशवा बना दिया गया ।
- पेशवा की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख "बाराभाई" नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद् किया करती थी । इस परिषद् में सखाराम बापू, महादजी सिंधियाँ तथा नाना फडनवीस प्रमुख थें ।

प्रथम अंग्रेज – मराठा युद्ध : (1775–1782)

i. सूरत की संधि (1775) (राघोवा पेशवा नहीं बनाये जाने पर बॉम्बे प्रेसिडेन्सी के पास चला गया)

- राघोबा तथा बॉम्बे प्रेसिडेन्सी के बीच
- अंग्रेज राघोबा को पेशवा बनाने में सैनिक सहायता देंगे ।
- तथा राघोबा अंग्रेजों को सालसेट, बसीन व थाना देगा ।

ii. पुरन्दर की संधि (1776)

- पेशवा तथा बंगाल प्रेसिडेन्सी के बीच
- पेशवा की तरफ से नानाजी फडनवीस ने यह संधि की ।

iii. बडगाँव की संधि (1779)

- बडगाँव के युद्ध में हारने पर अंग्रेजो ने यह अपमानजनक संधि की ।

iv. सालबाई की संधि (1782)

- इस संधि द्वारा युद्ध समाप्त हो गया ।
- महादजी सिंधिया की मध्यस्ता से यह संधि हुई
- बंगाल के गर्वनर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे 'आपत्तिकाल की सफल संधि वार्ता' कहा
  1. इस संधि के द्वारा माधव नारायण राव को पेशवा मान लिया गया ।
  2. राघोवा को पेंशन दे दी गई ।
  3. अंग्रेजों को सालसेट तथा ऐलीफेंटा दिया गया

9. पेशवा बाजीराव – द्वितीय (1795–1818)

- विनायक राव को पेशवा बनाने से नाराज राघोवा का पुत्र बाजीराव – द्वितीय अंग्रेजों के पास जाकर 1802 में बसीन की संधि कर लेता हैं इस संधि के तहत उसे पेशवा बना दिया गया । यह एक अयोग्य, स्वार्थी एवं महत्वाकांक्षी था । अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए यह मराठों को आपस में लडवा रहा था
- दौलतराव सिन्धिया एवं जसवन्तराव होल्कर की आपसी प्रतिद्वन्द्विता में इसने सिन्धिया का साथ दिया इस पर होल्कर की सेना ने इनकी संयुक्त सेना को हरा दिया । बाजीराव – द्वितीय ने भागकर अंग्रेजो से 1802 में बसीन की संधि कर ली ।

प्रमुख प्रावधान

- बाजीराव – द्वितीय ने अंग्रेजी संरक्षकता स्वीकार कर लीं ।
- बाजीराव की राजधानी पुनः पूना में स्थापित की जायेगी
- दोनो एक – दूसरे के शत्रु को अपना शत्रु मानेंगे ।
- अंग्रेजो ने लगभग 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा हेतु देने का वायदा किया । बदले में अंग्रेजो को पेशवा 26 लाख वार्षिक आय वाले क्षेत्र देगा ।
- सूरत नगर कम्पनी को दे दिया गया ।
- पेशवा ने निजाम से चौथ प्राप्ति कर अधिकार कम्पनी को दे दिया ।

द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध (1803–1806)

बाजीराव को अधीन कर लेने के बाद अंग्रेजों की नजर होल्कर, भोंसले तथा सिंधिया को अपने अधीन कर लेने की थी । मराठों की आपसी फूट का लाभ उठाकर वेलेजेली ने 1803 में युद्ध की घोषणा कर दी । पराजित सिन्धिया ने 30 दिसम्बर 1803 को सुर्जी अर्जुन तथा भोंसले ने देवगाँव की संधि कर ली ।

तृतीय आंग्ल – मराठा युद्ध (1817–1818)

- अंग्रेजो ने 1817 में सिंधिया के साथ "ग्वालियर की संधि" की जिसके तहत सिन्धिया पिण्डारियों के दमन में अंग्रेजो का साथ देगा ।
- जून 1817 को पेशवा से संधि की जिसके तहत पेशवा ने मराठा संघ की अध्यक्षता त्याग दी ।
- "नागपुर की संधि" भोंसले से की गईं ।

कालान्तर में इन सभी ने इन संधियों का उल्लंघन करके अंग्रेजों के विरूद्ध युद्ध की घोषणा कर डाली । लेकिन अंग्रेजो ने इन्हें हरा दिया । इससे इनकी शक्ति समाप्त हो गयी ।

लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि

- भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डूप्ले द्वारा सहायक संधि का प्रयोग किया गया ।
- लेकिन व्यवस्थित एवं विस्तृत रूप से इसकी शुरूआत 1798 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली द्वारा की गईं ।
- वेलेजली ने सर्वप्रथम हैदराबाद, मैसूर एवं तंजौर से सहायक संधि की ।

देशी राज्यों के प्रति अंग्रेजो की नीति

- घेरे की नीति (1765–1813)
- अधीनस्थ पार्थक्यवाद की नीति (1813–1858)
- अधीनस्थ संघ की नीति (1858–1935)
- बराबर के संघ की नीति (1935–1947)

नरेन्द्र मण्डल

नरेन्द्र मण्डल की स्थापना 1921 में हुईं । यह एक परामर्शदात्री संस्था थी । इसके पास किसी भी प्रकार के अधिकार नही थें ।

अंग्रेजों की भू-राजस्व पद्धतियाँ

1. स्थायी बन्दोबस्त या जमींदारी प्रथा

- इस व्यवस्था को जागीरदारी, मालगुजारी एवं बीसवेदारी नाम से भी जाना जाता हैं ।
- इसे जॉन शोर एवं जेम्स ग्राण्ट ने तैयार किया था । 1790 में कार्नवालिस ने दसवर्षीय व्यवस्था को लागू किया । यह व्यवस्था तत्कालीन ब्रिटिश भारत की 19% भूमि पर लागू की गईं ।

2. महालवाडी व्यवस्था (Mahalwari System)

- महाल – ग्राम या ग्रामों का समूह ।
- 1819–22 के मध्य यह व्यवस्था निश्चित स्वरूप धारण करती हैं । इसके आरम्भिक स्वरूप का श्रेय हॉल्ट मेकैन्जी को दिया जाता हैं ।
- यह ब्रिटिश भारत के 30% भू-भाग पर लागू की गईं
- यह व्यवस्था उत्तरप्रदेश, मध्य प्रान्त एवं पंजाब में लागू की गईं ।

3. रैय्यतवाडी व्यवस्था (The Rayotwari System)

- इस व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार भूमि का स्वामी होता था जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी होते थें । रैय्यतवाडी व्यवस्था को मद्रास, बम्बई, आसाम आदि क्षेत्रों में लागू किया गया था । कुल मिलाकर यह ब्रिटिश भारत के 51 प्रतिशत भू-भाग में लागू की गईं ।
- 1792 में कैप्टन रीड द्वारा बारामहल में इसे प्रायोगिक तौर पर लागू किया ।
- टॉमस मुनरों ने अपने कार्यकाल के दौरान इसे मद्रास में लागू किया ।

भारत में लोकसेवा का विकास

- लॉर्ड कार्नवालिस ने लोक सेवा के दरवाजे भारतीयों के लिए बंद कर दिये ।
- 1800 लोकसेवकों के प्रशिक्षण हेतु 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की ।

- 1805 – हरफोर्ड में ईस्ट इण्डिया कॉलेज की स्थापना की जिसे 1809 में हैलीबरी स्थानान्तरित किया गया ।
- 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार भारतीय लोक सेवा के लिए जा सकते हैं ।
- 1833 का चार्टर एक्ट सीमित रूप में लोक सेवको की भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का सिद्धान्त मानता है
- 1853 में खुली प्रतियोगिता द्वारा भर्ती का सिद्धान्त स्वीकार किया गया ।
- 1855 में सिविल सर्विस कमीशन की स्थापना की गई
- 1855 में बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल द्वारा प्रथम प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन ।
- 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन ।

आंग्ल-मैसूर संघर्ष

- मैसूर में वाडियार वंश के चिक्का राजा का शासन था ।
- चिक्का राजा के अयोग्य होने के कारण नंदराज एवं देवराज नामक 2 भाईयों के पास सत्ता थी ।
- 1761 में हैदर अली मैसूर की सत्ता पर अधिकार कर लेता है । हैदरअली ने डिंडीगुल में फ्रांसिसीयों की मदद से तोपखाना लगवाया था ।

प्रथम आंग्ल – मैसूर युद्ध : (1767–69) (मद्रास की संधि) :-

- इस युद्ध में निजाम (हैदराबाद) तथा मराठे अंग्रेज की तरफ थे लेकिन हैदर – अली ने अपनी कूट – नीति से उन्हें अलग कर दिया ।
- हैदर अली मद्रास को घेर लेता है तथा अंग्रेजों को मद्रास की संधि करनी पडी ।
- टीपू को अरबी, फारसी, उर्दू एवं कन्नड भाषाओं का ज्ञान था ।
- इसने नई मुद्रा, माप तौल की इकाई व नवीन संवत का प्रचलन करवाया ।
- टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्नम में फ्रांस और मैसुर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया ।
- इस युद्ध में हैदर – अली जीत गया था क्योंकि अंग्रेज ना हैदर अली पर युद्ध हर्जाना लगा पाये तथा दोनों ने एक-दूसरे के जीते हुये क्षेत्र लौटा दिये थें । लेकिन हैदर अली ने अंग्रेजों को 'करूर' वापस नहीं दिया ।

दूसरा आंग्ल – मैसूर युद्ध : (1780–84) (मैकार्टनी – मंगलौर की संधि) :-

- इस समय अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तथा फ्रांस इस समय वहाँ पर इंगलैण्ड के खिलाफ अमेरिका का साथ दे रहा था ।
- अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की माहे (पांडुचेरी) नामक बस्ती पर आक्रमण कर दिया । हैदर – अली ने इसका विरोध किया क्योंकि वह माहे पर अपना अधिकार समझता था ।
- युद्ध के प्रारम्भ में मराठे व निजाम हैदर अली के साथ थे अंग्रेज सेनापति कर्नल बेली को हरा दिया

पोर्टोनोवा का युद्ध (1781)

तीसरा अंग्रेज – मैसूर युद्ध (1790–1792) :-

(त्रिगुट का निर्माण श्रीरंगपट्टनम की सन्धि)
कारणः ट्रावणकोर के राजा ने जैकाटे तथा क्रेगानूर नामक डच बस्तियाँ खरीदने का प्रयास किया तथा टीपू सुल्तान ने इसका विरोध किया ।

- अंग्रेजों ने ट्रावणकोर के राजा का साथ दिया
- कॉर्नवालिस ने मराठों व निजाम को मिलाकर त्रिगुट का निर्माण किया (त्रिगुट का निर्माण)
- टीपू सुल्तान ने अंग्रेज सेनापति मीडोस को हरा दिया
- इसके बाद स्वयं कॉर्नवालिस ने आक्रमण (श्री रंगपट्टनम पर) किया तथा टीपू को निर्णायक रूप से हरा दिया गया तथा उसके साथ "श्रीरंगपट्टनम की सन्धि" (राजधानी) की ।
- टीपू सुल्तान पर युद्ध हर्जाना लगाया गया । धन न होने के कारण टीपू सुल्तान के 2 बेटे बंधक बना लिये ।
- टीपू सुल्तान का आधा राज्य ले लिया गया तथा उसे 3 भागों में बाँट लिया ।

अंग्रेज	बारामहल, डिंडीगुल, मालाबार
मराठा	तुंगभद्रा के उत्तर का भाग
निजाम	कृष्णा व पेन्नार के बीच का भाग

चौथा आंग्ल – मैसूर युद्ध : (1799)

- टीपू सुल्तान पर फ्रांसीसियों के साथ बातचीत का आरोप लगाया गया । (गर्वनर जनरल वेलेजली के समय)
- टीपू सुल्तान युद्ध में लडता हुआ मारा गया ।
- अंग्रेजो ने वाडियार वंश के चिक्का राजा को मैसूर का राजा बना दिया तथा उसके साथ सहायक संधि कर ली ।
- टीपू सुल्तान ने सक्रिय विदेश नीति का पालन किया तथा तुर्की फ्रांस तथा मिस्त्र के साथ सम्बन्ध स्थापित किये ।

- टीपू ने नाप – तौल की नयी प्रणाली एवं नया कैलेण्डर सिस्टम शुरू किया था ।
- टीपू फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य था ।
- टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था ।
- श्रृंगेरी के शारदा मन्दिर का पुनः निर्माण करवाया था ।

आंग्ल-सिक्ख संघर्ष

पंजाब

- गुरू गोविन्द सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर ने सिखों को संगठित किया था ।
- कपुर सिंह के नेतृत्व में 1448, 1748 ई. में दल 'खालसा' की स्थापना हुई ।
- सुरचकिया मिसल को आधुनिक पंजाब निर्माण का श्रेय दिया जाता है ।
- इन्होने लाहौर में तोप निर्माण का कारखाना स्थापित करवाया था ।
- इन्होने नौकरीशाही सिक्के चलाये थे ।
- बन्दा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख 12 मिसलों में विभाजित हो गये थे ।
- रणजीतसिंह सुकरचकिया मिसल का था ।
- अफगानिस्तान के राजा जमान शाह ने 1799 में रणजीतसिंह को लाहौर का राजा बना दिया था । (चिनाव में जमान शाह की फंसी हुई तोपे वापस देने के कारण जमान शाह ने खुश होकर राजा बनाया था)
- 1805 में रणजीत सिंह ने अमृतसर पर अधिकार कर लिया ।

अमृतसर की सन्धि : (1809)

- रणजीत सिंह तथा अंग्रेजो के बीच
- उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड मिन्टों प्रथम
- इस संधि में अंग्रेजों का प्रतिनिधि चार्ल्स मेटकॉफ था
- 1809 में अफगानिस्तान का शहजादा शाह शुजा, रणजीतसिंह से सहायता माँगता है तथा उसे कोहिनूर हीरा भेंट करता है । लेकिन रणजीत सिंह ने सहायता नहीं की ।
- अंग्रेजो ने शाह शुजा को पेंशन देकर लुधियाना में रखवा दिया ।
- 1838 में त्रिगुट का निर्माण किया गया तथा इसमें शाह शूजा, कम्पनी, रणजीत सिंह थें । (प्रथम आंग्ल – अफगान युद्ध से पहले)
- 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई ।

- रणजीत सिंह खालसा के नाम से शासन करता था
- रणजीत सिंह ने गुरू नानक तथा गुरू गोविन्द सिंह नाम के सिक्के चलाये थें ।
- रणजीत सिंह धर्म सहिष्णु शासक था ।
- वह सूफी संतो का आदर करता था ।इसके वित मंत्री दीनानाथ तथा विदेश मंत्री अजीजुद्दीन था ।
- रणजीत सिंह ने अपने प्रशासन में अनेक यूरोपीयन को शामिल किया था ।
  1. वन्तूरा – पैदल सेना प्रमुख
  2. अलोर्ड – घुड़सवार सेना प्रमुख
  3. कोर्ट/गार्डनर – तोपखाना प्रमुख (इलाहीबख्श भी तोपखाने का प्रमुख था)
  4. एविटेबल – पेशावर का प्रशासक
- इसकी सेना एशिया की द्वितीय सबसे शक्तिशाली सेना थी ।
  1. रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी
  2. खडग सिंह
  3. नौनिहाल सिंह
  4. शेर सिंह
  5. दलीप सिंह

1. **प्रथम आंग्ल – सिक्ख युद्ध (1845-46) :-**
   इस युद्ध में प्रमुख लडाईयाँ
   5 युद्ध लडें गए थे –
   1. मुदकी का युद्ध
   2. फिरोजपुर का युद्ध
   3. अलीवाल का युद्ध
   4. बूदवाल का युद्ध
   5. सबराओं का युद्ध – इसमें सिखों की निर्णायक हार हुई । अंग्रेजो ने युद्ध जीत लिया
      लाहौर की संन्धिः (9 मार्च 1846)
      भैरोवाल की सन्धि (22 दिसम्बर 1846)

2. **द्वितीय आंग्ल – सिख युद्धः (1848-1849) :-**
   कारणः मुल्तान के गवर्नर – मूलराज
   हजारा के गवर्नर – चतर सिंह
   } ने विद्रोह कर दिया था ।

   - डलहौजी ने सेनापति 'गफ' के नेतृत्व में पंजाब पर आक्रमण कर दिया ।

गवर्नर जनरल

1773 के रेग्यूलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गर्वनर को गर्वनर जनरल बना दिया गया ।

गर्वनर जनरल का क्रम

1. वॉरेन हेस्टिंग्स (1772–85)
2. लॉर्ड कॉर्नवालिस (1785–93)
3. जॉन शोर (1793–98)
4. वेलेजली (1798–1805)
5. जॉर्ज बारलो (1805)
6. लॉर्ड मिन्टो 1 (1805–07)
7. लॉर्ड हेस्टिंग्स (1807–13)
8. जॉन एडम्स (1823)
9. लॉर्ड एमहर्स्ट (1823–28)

1. वारेन हेस्टिंग्स (1772–1785)

- 1772 में इसे बंगाल का गवर्नर बनाया गया । 1773 में रेग्यूलेटिंग एक्ट द्वारा इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया ।
- 1772 में "कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स" के अनुसार इसने बंगाल से द्वैध शासन समाप्त किया ।
- 1784 में पिट्स इण्डिया एक्ट के विरोध में इसने इस्तीफा दे दिया ।
- 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई । (1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट के अनुसार)
- इसमें अंग्रेजी कानून ही लागू होते थे तथा इसका क्षेत्राधिकार केवल कलकत्ता क्षेत्र ही था ।
- यदि दोनो पक्ष सहमत हो तो बाहर का मामला भी कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में सुना जा सकता है प्रमुख न्यायाधीश (कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट)
- एलिजा इम्पे (मुख्य न्यायाधीश)

2. लॉर्ड कॉर्नवालिस (1786–1793)

- अपने न्यायिक सुधारों के तहत इसने सर्वप्रथम जिले की समस्त शक्ति कलेक्टर के हाथों में केन्द्रित कर दी ।
- कॉर्नवालिस ने भारत में सर्वप्रथम "कानून की विशिष्टता" का नियम लागू किया ।
- 1793 में कॉर्नवालिस ने "कॉर्नवालिस कोड" का निर्माण कराया जो 'शक्तियों के पृथक्करण' के सिद्धान्त पर आधारित था ।
- कॉर्नवालिस को "पुलिस सुधारो का जनक" भी कहा जाता है ।
- इसी के शासन में 'बोर्ड ऑफ रेवेन्यू' कि स्थापना हुई थी ।
- कॉर्नवालिस की मृत्यु उत्तरप्रदेश के गाजीपुर जिले में हुई ।
- इसी के शासन में 'बोर्ड ऑफ रेवेन्यू' कि स्थापना हुई थी ।
- कॉर्नवालिस की मृत्यु उत्तरप्रदेश के गाजीपुर जिले में हुई ।
- इसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया ।
- कॉर्नवालिस को भारत में "नागरिक सेवा का जनक" माना जाता है ।

3. सर जॉन शोर

- अहस्तक्षेप नीति एवं खारदा का युद्ध सर जॉन शोर के काल की महत्वपूर्ण घटना थी ।
- खारदा का युद्ध 1795 ई. में मराठों एवं निजाम के बीच लडा गया ।

4. लॉर्ड वेलेजली (1798–1805)

- यह अपनी सहायक संधि के कारण प्रसिद्ध हुआ ।
- इसके समय "चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध" (1799) में हुआ ।
- नागरिक सेवाओं के प्रशिक्षण हेतु इसने 1800 में कलकत्ता में "फोर्ट विलियम कॉलेज" की स्थापना की ।
- इसे "बंगाल का शेर" उपनाम से भी जाना जाता है ।
- 1801 में इसके समय मद्रास प्रेसीडेन्सी का सृजन किया गया ।
- 1802 में पेश्वा बाजीराव II के साथ बेसीन की संधि की ।

5. जॉर्ज बॉरलो (1805–07)

- 1806 वैल्लोर विद्रोह (मद्रास)
  कारण : अंग्रेजो द्वारा धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग बन्द कर दिया था । उस समय मद्रास का गर्वनर विलियम बैन्टिक था । इसने प्रेस पर प्रतिबन्ध को विद्रोह का कारण बताया था ।
- होल्डर के साथ सहायक संधि (राज पुरघाट की संधि)

6. लार्ड मिन्टो (1807–13)

- 1809 अमृतसर की संधि
- इसी के कार्यकाल में चार्टर एक्ट 1813 पारित हुआ था ।

7. लॉर्ड हेस्टिंग्स (1813-23)

- बिना बराबरी के स्तर पर मुगल बादशाह से मिलने से मना कर दिया ।
- मद्रास में टॉम्स मुनरो द्वारा रैयतवाडी की व्यवस्था लागू की गई ।

प्रथम आंग्ल - नेपाल युद्ध : (1814-16)

- संगौली की सन्धि द्वारा युद्ध समाप्त हुआ ।

8. जॉन एडम्स (1823)

- इसने प्रेस पर प्रतिबन्ध लगा दिया था ।
- राजाराम मोहनराय के 'मिरातुल अखबार' को बन्द कर दिया था

9. लॉर्ड एमहर्स्ट (1823-28)

- यह पहला गवर्नर जनरल जो मुगल बादशाह से बराबरी के स्तर पर मिला ।

प्रथम आंग्ल - बर्मा युद्ध : (1824-26)

- 'यान्दबू की सन्धि' द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ

भारत के गवर्नर जनरल

- 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गर्वनर जनरल बना दिया गया ।
- 'विलियम बैंटिक' भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था

गवर्नर का क्रम : (भारत के गवर्नर जनरल)

1. विलियम बैंटिक (1828-35)
2. चार्ल्स मेटकॉफ (1835-36)
3. लॉर्ड ऑकलैण्ड (1836-42)
4. लॉर्ड एलनबरो (1842-44)
5. लॉर्ड हार्डिंग प्रथम (1844-48)
6. लॉर्ड डलहौजी (1848-56)

1. विलियम बैन्टिक (1828-35)

- भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में आया था लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया ।
- 1829 में धारा 17 के तहत सती प्रथा पर रोक लगा दी यह रोक राजाराममोहनराय के प्रयासों से लगी थी
- विलियम बैंटिक ने ठग प्रथा का उन्मूलन किया था "कर्नल सलीमैन" के नेतृत्व में इसका उन्मूलन किया था ।
- 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की ।
- 1835 में मैकाले स्मरण पत्र जारी किया गया जिसमें शिक्षा हेतु विप्रवेशन / निस्यदन / टपक / छनन / बूंद-बूंद सिद्धांत दिया । इसके अंतर्गत भारतीय उच्च वर्ग को अंग्रेजी में शिक्षा दी जाएगी । जो टपक-टपक कर जनसाधारण तक पहुंच जाएगी ।

2. चार्ल्स मैटकॉफ : (1835-36)

- चार्ल्स मैटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है ।
- इसने 1818 में राजस्थानों की रियासतों के साथ सन्धि करने के लिए अंग्रेजो की तरफ से प्रतिनिधि था ।

3. लॉर्ड ऑकलैण्ड : (1836-42)

1839 में इसने कोलकत्ता से दिल्ली तक ग्राण्ड ट्रक रोड का मरम्मत करवाया ।

प्रथम आंग्ल - अफगान युद्ध : (1839-42)

कारण : अफगानिस्तान का राजा दोस्त मोहम्मद रूस से दोस्ती कर रहा था ।

- कलकत्ता से दिल्ली के बीच जी.टी. रोड का पुनर्निमाण करवाता है ।

4. लॉर्ड एलनबरोः (1842-44)

- 1843 में सिन्ध का विलय किया गया । यह विलय नेपियर के नेतृत्व में हुआ था ।
- 1843 में दास प्रथा (धारा-5) पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था । (यह घोषणा 1833 के चार्टर एक्ट के तहत की गई थी ।)
- इसका कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है ।

5. लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम (1844-48)

- प्रथम आंग्ल सिख युद्ध (1845-46)
- औडिशा में खोडो के बीच प्रचलित नर बलि कि प्रथा को समाप्त कर दिया ।

6. लॉर्ड डलहौजी (1848-56)

- डलहौजी आधुनिक भारत के मानचित्र का निर्माता था ।
- डलहौजी ने भारतीय रियासतों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया था ।
- रेलवे माईनुट 1853 में बंबई से थाणे तक रेल का परिचालन ।
- शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया ।

युद्ध द्वारा किये गये विलय

1. पंजाब (1849)
2. सिक्किम (1850)
3. लॉअर बर्मा व पीगू (1852)

शान्तिपूर्ण तरीके से किये गये विलय :

गोद निषेध नीति / व्ययगत / हडप नीति

1848 – सतारा

1849 – जैतपुर / संभलपुर

1850 – बघाट

1852 – उदेपुर (एम.पी)

1853 – झाँसी

1854 – नागपुर

1855 – करौली

डलहौजी के सुधार

1. 1852 में भारत में तार सेवा शुरू की थी।
   तार विभाग का प्रमुख श्री शेघने सी
2. 1853 में भारत में रेल सेवा शुरू की।
   पहली रेल बॉम्बे से थाने के बीच चलाई गई थी।
   इंजन – फेयरी क्विन
3. 1854 में डाक सेवा शुरू की थी।
   (डाक टिकट 2 पैसे का होता था)
   डलहौजी ने सैनिको के लिए भी डाकटिकट अनिवार्य कर दिया था।
4. 1854 में सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) बनाया गया।
5. 1854 में शिक्षा में सुधार किये थें।
   ये सुधार चार्ल्स वुड के नेतृत्व में किये थे इसलिए इन्हें वुड डिस्पैच कहा जाता है।
   चार्ल्स वुड बॉर्ड ऑफ कन्ट्रोल का अध्यक्ष था।

भारत के वायसराय

1858 के भारत परिषद् अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल को वायसराय भी बना दिया गया।
लॉर्ड केनिंग भारत का प्रथम वायसराय था।

(1) लॉर्ड कैनिंग (1856-62)
(2) लॉर्ड एल्गिन प्रथम (1862-63)
(3) जॉन लॉरेन्स (1863-69)
(4) लॉर्ड मेयो (1869-72)
(5) लॉर्ड नॉर्थब्रुक (1872-76)
(6) लॉर्ड लिटन (1876-80)
(7) लॉर्ड रिपन (1880-84)
(8) लॉर्ड डफरिन (1884-88)
(9) लॉर्ड लैंड्सडाउन (1888-94)
(10) लॉर्ड एल्गिन – द्वितीय (1894-99)
(11) लॉर्ड कर्जन (1899-1905)

1. लॉर्ड कैनिंग (1856-62)

- यह कम्पनी का अंतिम गवर्नर जनरल एवं वायसराय था।
- इसके समय ही युरोपीय सेना के द्वारा श्वेत विद्रोह हुआ था।
- 1856 में विधवा पुर्नविवाह अधिनियम पारित हुआ (धारा 15) ईश्वर चन्द्र विद्यासागर के प्रयासो से यह कानून बनाया गया था
- 1857 की क्रान्ति के समय गवर्नर जनरल था।
- 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे व मद्रास में विश्वविद्यालय बनाये गयें। (लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर)
- 1861 में इण्डियन हाइकोर्ट एक्ट पारित हुआ तथा कालान्तर में बॉम्बे, मद्रास में हाइकोर्ट की स्थापना की गई।

C.P.C	Cr.P.C	I.P.C को अलग किया
Civil Procedure Court	Criminal Procedure Court	Indian Penal Court

- 1860 में जेम्स विल्सन के नेतृत्व में आर्थिक सुधार कियें।
- पहली बार बजट पेश किया गया।
- (500 रूपये से अधिक आय पर 1% कर लगाया जाता था।)
- विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया था।

2. जॉन लॉरेन्स (1863-69)

- केम्पबेल की अध्यक्षता में अकाल आयोग बनाया गया था।
- 1865 में कलकत्ता, मुम्बई, मद्रास के न्यायलयों कि स्थापना की।

- भारत से ब्रिटेन के बीच समुद्री टेलीग्राम (तार) सेवा शुरू की ।
- अफगानिस्तान के प्रति इसने कुशल अकर्मण्यता की नीति अपनाई । (कुशल अकर्मण्यता शब्द का प्रयोग J. W. S. वाईली ने किया था ।

3. लॉर्ड मेयो (1869–1872)

- मेयो ने भारत में वित्तीय विकेन्द्रीकरण की नीति की शुरूआत की । इसने बजट घाटे को कम किया
- कठियावाड एवं अलवर को इसने भ्रष्टाचार एवं कुशासन के आधार पर दण्डित किया ।
- इसने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की ।
- 1872 में इसने एक कृषि विभाग की स्थापना की
- मेयो के शासनकाल में 1872 ई. में सर्वप्रथम प्रायोगिक जनगणना करवाई गई ।

4. लार्ड नार्थब्रुक (1872–76)

- कूका आन्दोलन का दमन किया था ।
- ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872 पारित कर बाल विवाह पर प्रतिबंध ।
- लॉर्ड नार्थबुक मुक्त व्यापार का समर्थक था ।

5. लॉर्ड लिटन (1876–80)

- 'ओवेन मेरेडिथ' नाम से साहित्य लिखता था ।
- 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया तथा महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिन्द की उपाधि दी थी ।
- रिचर्ड स्ट्रेची के नेतृत्व में अकाल आयोग की स्थापना की गई ।
- वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट (1878)
- (वर्नाक्यूलर – स्थानीय भाषा)
- देशी/स्थानीय भाषा के समाचार पत्र सरकार के खिलाफ लिखने पर जब्त कर लिये जायेंगे ।
- लिटन ने अलीगढ में एक मुस्लीम-ऐंग्लो प्राच्य महाविद्यालय कि स्थापना कि तथा सिविल सेवा कि उम्र घटाकर 21 से 19 कर दिया ।
- इसे गैगिंग एक्ट (Gagging Act) (मुँह बन्द रखना) भी कहा जाता है ।

वैधानिक जनपद सेवा (1879)

- लिटन ICS में भारतीयों का प्रवेश रोकना चाहता था इसलिए उसने नई सेवा शुरू की । इनका पद तथा वेतन ICS से कम होता था ।
- इनकी संख्या ICS की $1/_6$ होती थी ।
- ICS की अधिकतम आयु 19 वर्ष कर दी गई ।
- सत्येन्द्र नाथ टैगोर प्रथम भारतीय ICS थें ।
- 1886 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई
- 1919 के भारत परिषद अधिनियम में केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई ।
- 1935 के भारत शासन अधिनियम में संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई । जो बाद में UPSC बन गया ।

6. लॉर्ड रिपन (1880–84) अच्छा रिपन

- यह अच्छी प्रवृति का व्यक्ति था ।
- 1881 में प्रथम नियमित जनगणना करवाई ।
- प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 लागू हुआ ।
- 1881 में रिपन मैसूर वापस लौट गया था ।
- 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बंद कर दिया था ।
- 1882 में भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरूआत की गई । (नगरपालिका, नगरबोर्ड आदि बनाये गये)
- 1882 में भारत में शिक्षा सुधार किये गयें । इसके लिए 'हन्टर आयोग' बनाया गया था । प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में सुधार किये जायेंगें ।
- इलबर्ट बिल विवाद (1883-84) के कारण इन्हे कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व त्यागपत्र देना पडा । इस विवाद को श्वेत विद्रोह कहा जाता है ।

इल्बर्ट बिल विवाद : (1883)

- कोई भी भारतीय न्यायाधीश फौजदारी मामले में अंग्रेज मुजरिम को नहीं सुन सकता था । इसमें P.C. इल्बर्ट विधि सदस्य (Legal Member) था ।
- मिस्त्र में भारतीय सेना भेजने के सवाल पर रिपन ने इस्तीफा दे दिया था ।
- फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारतीयों का उद्धारक कहा था ।

5. लॉर्ड डफरिन (1884–88)

- 28 दिसम्बर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी । (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस)
- इसके समय (1885-88) तृतीय आंग्ल-वर्मा युद्ध हुआ वर्मा को अंग्रेजी राज्य में मिला दिया ।

6. लॉर्ड लैंड्सडाउन (1888–94)

- भारत – अफगानिस्तान के बीच डुरण्ड लाइन खिंची गई थी ।
- 1891 –दूसरा कारखाना अधिनियम लागू हुआ ।
- इसके तहत महिलाओं से 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम पर प्रतिबंध एवं सप्ताह में एक दिन अवकाश की व्यवस्था की ।

7. लॉर्ड कर्जन (1899–1905)

- तिलक ने कहा था "कैसा दुर्भाग्य है अकाल, प्लेग, और कर्जन तीनों भारत एक साथ आयें।"
- एंटनी मैक्डॉनाल्ड – अकाल आयोग
- सिंचाई आयोग – स्कॉट मानक्रिफ
- पुलिस आयोग – एंड्रयू फ्रेजर
- विश्वविद्यालय अधिनियम (1904) लागू हुआ।
- रॉबर्टसन के नेतृत्व में भारत में रेलवे सुधार किये थें।
- सबसे अधिक रेलवे का विकास कर्जन के समय में हुआ था।
- कलकत्ता नगर निगम अधिनियम (1899)
- कर्जन ने नगर निगम में सरकारी सदस्यों की संख्या बढा दी।
- भारतीय टंकण एवं पत्र मुद्रा अधिनियम (1899)
- पौण्ड को भारत में वैध किया गया तथा 1 पाउण्ड – 15 रूपये होगा
- रूपये को स्वर्ण प्रमाप पर रखा गया था।
- सहकारी समिति अधिनियम (1904)
- किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने के लिए
- प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम (1904)
- 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गईं।
- 1903 में यंगहसबेंड के नेतृत्व में तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। चुंबी घाटी पर 75 वर्षो के लिए अधिकार कर लिया।
- 1905 में बंगाल विभाजन किया।

बंगाल विभाजन (1905)

पूर्वी बंगाल	पश्चिमी बंगाल
बांग्लादेश + असम	प.बंगाल + बिहार + उडीसा
राजधानी – ढाका	राजधानी – कलकत्ता
1.90 करोड – मुस्लिम	4.50 करोड – गैर बांग्ला भाषी
1.20 करोड – हिन्दू	90 लाख – बांग्ला भाषी
धार्मिक अल्पसंख्यक	भाषायी अल्पसंख्यक

कर्जन ने विभाजन का कारण प्रशासनिक अव्यवस्था बताया लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य बंगाली हिन्दुओं में बढती राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलना था।

कर्जन के सैनिक सुधार

1. सेनापति किचनर ने सैनिको के लिए किचनर टेस्ट शुरू किया।
2. क्वेटा (पाक) में सैनिक अधिकारियों के मिलिट्री प्रशिक्षण की व्यवस्था की गईं।
   सैनिक सदस्य की नियुक्ति पर कर्जन तथा किचनर में विवाद हो गया तथा कर्जन ने इस्तीफा दे दिया।

लार्ड चेम्सफोर्ड

- कांग्रेस के लखनऊ अधीवेशन 1916 से कांग्रेस का एकीकरण एवं मुस्लीम लीग से समझौता
- 1919 के संवैधानिक सुधार अधीनियम द्वारा प्रांतो में द्वैध शासन लागू।
- खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था।

लार्ड इरवीन

- 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति
- 1929 में शारदा एक्ट पारित
- 1929 में लाला लाजपतराय की मृत्यू एवं असेम्बली में बम फैंका गया।
- 12 नवम्बर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन

लार्ड बेवेल

- 1945 में शिमला समझौता
- 12 मार्च 1946 को कैबीनेट मिशन भारत आया
- इनके समय में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी।

लार्ड माउण्टबेटेन

- मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लार्ड माउण्ट बेटेन को बनाया गया।
- इनके समय 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा की गई।
- स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल

सी. राज गोपालचारी

- स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल
- 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किये जाने के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया।

1857 की क्रांन्ति

- बैरकपुर में 34 वीं इनफेन्ट्री के सैनिक मंगल पाण्डे ने 29 मार्च को चर्बी वाले कारतुसों के खिलाफ विद्रोह कर दिया।
- 8 अप्रैल को उसे फांसी दे दी गईं।

- 24 अप्रैल को मेरठ छावनी के 90 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया ।
- 10 मई को मेरठ छावनी में क्रान्ति की शुरूआत होती हैं ।
- 20 NI (Native Infantary) तथा 3 L.C. (Light cavelary) ने विद्रोह किया था ।
- विद्रोही सैनिक दिल्ली चले गये तथा 11 मई को बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाया ।

1857 का विद्रोह				
भारतीय नायक (विद्रोह के)	समय (विद्रोह का)	केन्द्र	ब्रिटिश नायक (विद्रोह दबाने के)	समय (विद्रोह दबाने का)
बहादुरशाह जफर एवं जफर बख्त खां, कार्यकारी सेनापति (सैन्य नेतृत्व)	11, 12 मई, 1857	दिल्ली	जॉन निकोलसन व हडसन	21 सितम्बर 1857
नाना साहब एवं तात्या टोपे	5 जून, 1857	कानपुर	कैंपबेल	6 सितम्बर 1857
बेगम हजरत महल	4 जून, 1857	लखनऊ	कैंपबेल	मार्च, 1858
रानी लक्ष्मी बाई एवं तात्या टोपे	जून, 1857	झांसी, ग्वालियर	ह्यूरोज	3 अप्रैल, 1858
लियाकत अली	1857	इलाहाबाद, बनारस	कर्नल नील	1858
कुँवर सिंह	अगस्त,1857	जगदीशपुर (बिहार)	विलियम टेलर, मेजर विसेंट आयर	1858
खान बहादुर खां	1857	बरेली	सर कोलिन कैंपबेल	1858
मौलवी अहमद हुल्ला	1857	फैजाबाद	जनरल रेनार्ड	1858
अजीमुल्ला	1857	फतेहपुर	जनरल रेनार्ड	1858

बंगाल आर्मी में सर्वाधिक सैनिक अवध के होते थे इसलिए अवध को 'बंगाल आर्मी की नर्सरी' कहा जाता था ।

- रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था ।
- सिंधिया ने अंग्रेजो का साथ दिया था तथा रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में लडते हुये मारी गई ।
- ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा कि - "भारतीय क्रान्तिकारियों में एक मात्र मर्द हैं"
- कैनिन ने कहा था- "सिंधिया अगर क्रान्ति में शामिल हो जाता तो हमें भारत से जाना पडता ।"

क्रान्ति के योजनाकार

1. अजीमुल्ला
2. रंगोजी बापू

क्रान्ति का दिन 31 मई तय किया गया था लेकिन मेरठ में क्रान्ति 10 मई को ही शुरू हो गई थी

क्रांति के प्रतीक

1. कमल का फूल
2. रोटी

क्रांति का स्वरूप

अंग्रेज इतिहासकार	मत
1. लॉरेन्स/सीले	सैनिक विद्रोह
2. T.R. होम्स	सभ्यता व बर्बरता के बीच संघर्ष
3. L.E.R. रीज	धर्मान्धों एवं ईसाईयों के बीच संघर्ष
4. बेंजामिन डिजरैली	राष्ट्रीय विद्रोह
5. आउट्रम / टेलर	अंग्रेजो के विरुद्ध हिन्दू - मुस्लिम षड्यन्त्र

भारतीय

1. वीर सावरकर Book (The First War of the Indian Independence) प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तथा अशोक मेहता Book (The Great Rebelion)
2. रमेश चन्द्र मंजूमदार ना पहला, ना राष्ट्रीय, ना स्वतंत्रता संग्राम
   (Book – The sepoy multiny & revolt of 1857).
3. सुरेन्द्र नाथ सेन Book – 1857
   सैनिक विद्रोह से कुछ अधिक तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से थोड़ा कम

1857 क्रांति का तत्कालीन कारण ब्राउन बेस बंदूकों के स्थान पर नई एनफिल्ड राईफलों का प्रयोग जिनमें चर्बी लगे कारतूस होते थे । इसमें डलहौजी हड़प नीति भी इसका कारण थी ।

अन्य प्रमुख आन्दोलन

आन्दोलन/ विद्रोह	प्रभावित क्षेत्र	सम्बन्धित नेता/नेतृत्व	विद्रोह का वर्ष
संन्यासी विद्रोह	बिहार, बंगाल	केना सरकार, दिरजीनारायण	1763–1800 ई.
फकी विद्रोह	बंगाल	मजनुशाह एवं चिराग अली	1776–77 ई.
चुआर विद्रोह	बाकुड़ा (बंगाल)	दुर्जन सिंह	1798 ई.
पॉलीगरी का विद्रोह	तमिलनाडु	वीर पी. काट्टावाग्मान	1799–01 ई.
वेलुथम्पी विद्रोह	ट्रावनकोर	वेलुथम्पी	1808–09 ई.
भील विद्रोह	पश्चिमी घाट	सेवाराम	1825–31 ई.
रामोसी विद्रोह	पश्चिमी घाट	चितर सिंह	1822–29 ई.
पागलपन्थी विद्रोह	असोम	टीपू	1825–27 ई.
अहोम विद्रोह	असोम	गोमधर कुँवर	1828 ई.
वहाबी आन्दोलन	बिहार, उत्तर प्रदेश	सैयद अहमद टीटूमीर	1831 ई.
कोल आन्दोलन	छोटा नागपुर (झारखण्ड)	नारायण राव	1831–32 ई.
खासी विद्रोह	असोम	तीरथ सिंह	1833 ई.
फैराजी आन्दोलन	बंगाल	शरीयतुल्ला	1839 ई.
संथाल विद्रोह	बंगाल, बिहार	सिद्धु कान्हू	1855–57 ई.
मुण्डा विद्रोह	बिहार	बिरसा मुण्डा	1899–1900 ई.
पाइक विद्रोह	उड़ीसा	बख्शी जंगबन्धु	1817 – 1825 ई.
नील आन्दोलन	बंगाल	दिगम्बर	1859–60 ई.
पाबना विद्रोह	पाबना (बंगाल)	ईशानचन्द्र राय एवं शम्भुपाल	1873–76 ई.
दक्कन विद्रोह	महाराष्ट्र	–	1874–75 ई.
मोपला विद्रोह	मालाबार (केरल)	अली मुदालियार	1920–22 ई.
कूका आन्दोलन	पंजाब	भगत जवाहरमल	–
रम्पा विद्रोह	आन्ध्र प्रदेश	सीताराम राजू	1879–1922 ई.
तानाभगत आन्दोलन	बिहार	जतरा भगत	1914 ई.
तेभागा आन्दोलन	बंगाल	कम्पाराम सिंह एवं भवन सिंह	1946 ई.
तेलंगाना आन्दोलन	आन्ध्र प्रदेश	–	1946 ई.

धर्म एवं समाज सुधार आन्दोलन

19 वी सदी के प्रारम्भ में भारत में पुनर्जागरण की स्थिति आई । राजा राम मोहनराय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत एवं आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है ।

राजाराम मोहनराय

उपाधियाँ :-

- आधुनिक भारत का पिता
- भारतीय पुनर्जागरण का जनक
- अतीत व भविष्य के बीच सेतु

इनके द्वारा स्थापित संगठन

- आत्मीय सभा 1815
- हिन्दु कॉलेज 1817
- वेदान्त कॉलेज 1825
- ब्रिटिश यूनिटेरियन एसोसिएशन
- ब्रह्म समाज 1828

इनकी पुस्तके
1. तुहफुतुल – मुहावहिदीन or एकेश्वरवादियों के उपहार or Gift to monothiest
2. हिन्दु उत्तराधिकार के नियम
3. Precepts of Jesus

समाचार पत्र
1. मिरातुल अखबार
2. संवाद कौमुदी
3. ब्रह्मोनिकल मैंगजीन

अन्य सहयोगी
द्वारिका नाथ टैगोर
ताराचन्द चक्रवती
- 1843 में देवेन्द्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को संभाला
- इन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी ।
- पत्रिका – तत्वबोधिनी
- संपादक – अक्षय कुमार दत्त
- देवेन्द्र नाथ टैगोर ने केशवचन्द्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया ।
- 1865 में केशवचन्द सेन को ब्रह्म समाज से निकाल दिया गया तथा इन्होंने बाद में भारतीय ब्रह्मसमाज की स्थापना की ।
- अतः बाद में देवेन्द्र नाथ टैगोर का ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्मसमाज कहलाया ।
- 1872 में केशवचन्द्र सेन के प्रयासों से Native Marriage Act पारित हुआ तथा विवाह की न्यूनतम आयु 14 व 18 वर्ष तय की गई ।
- केशवचन्द सेन ने अपनी नाबालिग पुत्री की शादी कूच बिहार के राजा के साथ कर दी थी इसलिए उनके समर्थकों ने अलग होकर 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की ।

साधारण ब्रह्म समाज
समर्थक
- आनन्द मोहन बोस
- सुरेन्द्र नाथ बनर्जी
- द्वारिका नाथ गांगुली

केशवचन्द्र सेन के समाचार पत्र :– **Indian Mirror**
केशवचन्द्र सेन के संगठन
1. मैत्री सेन (संगत सभा)
2. टेबरनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन
3. इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन

प्रार्थना समाज (1867)
महाराष्ट्र में केशवचन्द्र सेन के प्रयासों से स्थापना हुई

संस्थापक :–
1. जस्टिस महादेव गोविन्द रानाडे
2. आत्माराम पाण्डुरंग
3. R.G. भण्डारकर
4. चन्द्रावरकर

महादेव गोविन्द रानाडे
- गोखले के राजनीतिक गुरू थे
- इन्हें 'महाराष्ट्र का सुकरात' कहा जाता हैं ।

संगठन
1. विधवा विवाह संघ (1867)
2. पूना सार्वजनिक सभा (1871)
3. दक्कन एजुकेशनल सोसायटी (1884) (फर्ग्यूसन कॉलेज, पूणे)
4. नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस (1887)
   दक्कन एजुकेशनल सोसायटी बाद में फर्ग्यूसन कॉलेज कहलाई ।
   तिलक, गोखले, आगरकर तीनों इस कॉलेज से जुडे थें ।

आर्य समाज, 1875 स्वामी दयानन्द सरस्वती
- आर्य समाज की स्थापना वर्ष 1875 में बम्बई में स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा की गई ।
- इसका उद्धेश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना ।
  स्वामी जी ने झूठे धर्मों का खण्डन करने के लिए "पाखण्ड खण्डनी पताका" लहराई । इन्होनें "वेदों की ओर लौटो" का नारा दिया ।
- जन्म 1824 गुजरात के काठियावाड में
- स्वामीजी ने गौधन की रक्षा के लिए "गौरक्षणी सभा की स्थापना की तथा" गौ करूणानिधि नामक पुस्तक की रचना की ।
- दयानन्द सरस्वती की प्रमुख रचनायें –
  1. सत्यार्थ प्रकाश
  2. पाखण्ड खण्डन
  3. वेद भाष्य भूमिका
  4. ऋग्वेद भाष्य
  5. अद्वैतमत का खण्डन
  6. पंचमहायज्ञ विधि आदि ।

रामकृष्ण मिशन, 1887
- रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1887 में कलकत्ता के समीप बारानगर में स्वामी विवेकानंद ने की ।

- विवेकानन्द ने 1897 बेलूर (कलकत्ता) में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की।

वहाबी आन्दोलन

- ईरान में अब्दुल वहाब द्वारा शुरू किया गया था।
- भारत में सैय्यद अहमद बरेलवी ने लोकप्रिय किया था।
- उद्देश्य - दारूल हर्ब को दारूल इस्लाम में बदलना
  (दार-उल-हर्ब)
  दार → घर, हर्ब → गैर मुसलमान
- प्रारंभ में पंजाब में सिक्खों के खिलाफ था।
- पंजाब के विलय के बाद अंग्रेजों के खिलाफ हो गया था।
- यह हिंसक एवं सांप्रदायिक आंदोलन था।
- कालान्तर में पूर्वी भारत इसका मुख्य केन्द्र हो गया
  → यहां के मुख्य नेता (1) हाजी करामात अली
  (2) शरीयत-उल्ला खां

थियोसोफिकल सोसाइटी

- स्थापना - 1875 (न्यूयार्क)
- अंतर्राष्ट्रीय कार्यलय - मद्रास
- ऐनी बेसेन्ट 1889 मे इस सोसाईटी की सदस्य बनी तथा 1907 में अध्यक्ष बनी।

अलीगढ आन्दोलन

- यह आन्दोलन सर सैय्यद अहमद खां ने चलाया था इन्होनें मुसलमानों में आधुनिकीकरण लाने का प्रयास किया इसलिए अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया व अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग किया।
- इन्होंने कुरान की वैज्ञानिक व्याख्या की।
- पीर - मुरीदी प्रथा का विरोध किया।
- बाइबिल पर टीका लिखी।

संगठन -

1863 - मुहम्मडन लिटरेरी एसोसिएशन
1864 - साइंटिफिक सोसायटी
1875 - एंग्लो - ओरियन्टल मोहम्मडन कॉलेज
↓
यही 1920 में अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना।
1888 - देशभक्त एसोसिएशन नामक पार्टी बनाई।

- बनारस के राजा शिवप्रसाद के साथ मिलकर बनाई थी।
- यह कांग्रेस की विरोधी संस्था थी।

समाचार पत्र

1. तहजीब उल अखलाक
2. राजभक्त मुसलमान

अहमदिया आन्दोलन

स्थापना - 1889
स्थान - गुरूदासपुर के कादिया नामक स्थान पर

संस्थापक - मिर्जा गुलाम अहमद

रहनुमाई मजदेसन/ रहनुमा-ए-माजदा-ए-सभा (पारसी) :-
स्थापना वर्ष - 1851

संस्थापक सदस्य -
नौरोजी फरदीन जी, दादाभाई नौरोजी, आर.के. कामा, एस. एस. बंगाली इस संस्था ने 'रास्त गोफ्तार' (सत्यवादी) नामक पत्रिका का प्रकाशन किया परमहंस मण्डली की स्थापना महाराष्ट्र में गोपाल हरिदेश मुख (लोकहितवादी) ने की।

राष्ट्रवाद का जन्म (उदारवादी चरण: (1885-1905)

- **भारतीय राष्ट्रवाद** विदेशी प्रभुत्व के परिणामस्वरूप विकसित हुआ जिसने **भारतीय समाज** के विभिन्न वर्गों और जातियों के लोगों को **एकजुट** किया।
- भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में योगदान देने वाले कारक-
  - अंग्रेजों के वास्तविक स्वरूप को समझना
  - लोगों ने महसूस किया कि **औपनिवेशिक शासन** भारत के आर्थिक **पिछड़ेपन** का प्रमुख कारण था।
  - अंग्रेज भारतीयों और **भारतीयों** के **हितों** के विरोधी थे।

देश का एकीकरण

- संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप **ब्रिटिश शासन** के अधीन **एकीकृत** था।
- भारतीय प्रांतों पर सीधे तौर पर अंग्रेजों का शासन था, जबकि रियासतों पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया गया।
- पूरे देश में एक पेशेवर **सिविल सेवा**, एक **एकीकृत न्यायपालिका** और **संहिताबद्ध नागरिक** और **अपराधिक कानूनों** ने भारत की राजनीतिक एकता का एक नया आयाम प्रदान किया।
- रेलवे, टेलीग्राफ और एकीकृत डाक प्रणाली की शुरूआत ने भौगोलिक दूरियों को कम कर दिया।
- उद्योगों के विकास ने वर्ग हित और **ट्रेड यूनियनों** को जन्म दिया।
- परिवहन और संचार के आधुनिक साधनों ने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक साथ ला दिया।

शिक्षा और पश्चिमी विचार

- **पाश्चात्य शिक्षा** ने भारतीय राजनीतिक चिंतन को एक नया आयाम दिया।
- भारतीय राष्ट्रवादियों ने मिल्टन, जॉन स्टुअर्ट मिल, रूसो, पाइन, स्पेंसर और वोल्टेयर जैसे विचारकों के लेखन के साथ तर्कसंगत और उदार विचारों का विकास किया।
- दादाभाई नरोजी और आर.सी.दत्त ने राष्ट्रवाद की आर्थिक आलोचना प्रस्तुत की।
- अंग्रेजी भाषा संचार का माध्यम बन गई, जिससे विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के राष्ट्रवादी नेताओं को अपने विचारों को साझा करने में मदद मिली।
- शिक्षित भारतीयों ने उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड का दौरा किया और उन्हें आधुनिक राजनीतिक संस्थानों के कामकाज की तुलना भारत के साथ करने में मदद मिली और उन्हें उन अधिकारों का एहसास कराया जिनसे उन्हें वंचित रखा जा रहा था।

प्रेस और साहित्य

- उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान समाचार पत्रों (अंग्रेजी और वर्नाक्युलर दोनों) में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई।
- समाचार पत्रों और साहित्य ने लोगों की आकांक्षाओं को आवाज दी और राष्ट्रीय चेतना के प्रसार के साधन बन गए।
- अखबारों ने सरकारी नीतियों की आलोचना की और भारतीयों को विदेशी शासन के असली मकसद से अवगत कराया।
- उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के राष्ट्रवादी नेताओं के बीच राजनीतिक विचारों के आदान-प्रदान के माध्यम के रूप में कार्य किया।

स्थानीय साहित्य का विकास

- पश्चिमी शिक्षा ने शिक्षित भारतीयों को स्थानीय साहित्य के माध्यम से स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद के विचार को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रेरित किया।
- राष्ट्रवाद की भावना से सरोबार जनता को ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए प्रेरित करने में सहायक।
- बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ और दीनबंधु मित्रा के नाटक नील दर्पण ने लोगों पर प्रभाव डाला और उनमें ब्रिटिश विरोधी भावनाएं पैदा कीं।
- भारतेन्दु हरीश चंद्र का भारत दुर्दशा (नाटक) ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय जनता की दयनीय स्थिति को दर्शाता है।

भारत के अतीत की पुनर्खोज

- इंडोलॉजिस्ट ने भारत के अतीत का अध्ययन किया और एक बिल्कुल नई तस्वीर पेश की।
- यूरोपीय विद्वानों के अनुसार, इंडो-आर्यन उसी जातीय समूह के थे जिससे यूरोप के अन्य राष्ट्र विकसित हुए थे। इस अध्ययन ने शिक्षित भारतीयों को मनोवैज्ञानिक प्रोत्साहन दिया।
- भारतीयों में गर्व, स्वाभिमान और आत्मविश्वास की भावना फिर से पैदा हुई और इसने राष्ट्रवादियों को औपनिवेशिक मिथकों को ध्वस्त करने में मदद की।

सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन

इन आंदोलनों ने भारतीय समाज में विभाजन का कारण बनने वाली सामाजिक बुराइयों को दूर करने में मदद की।
इन आंदोलनों के कारण, समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ लाया गया, और वे उन कारकों से अवगत हो गए जो भारत के विकास में बाधक थे।

मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का उदय

- आधुनिक शिक्षा के विकास, ब्रिटिश प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों ने शहरों में एक नए शहरी मध्यम वर्ग को जन्म दिया।

- इस वर्ग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को औपनिवेशिक स्वामियों के खिलाफ उसके संघर्ष में नेतृत्व प्रदान किया।

सरकार की प्रतिक्रियावादी नीतियां और नस्लीय विरोध

- निम्नलिखित ने श्वेत श्रेष्ठता के मिथक को तोड़ दिया और उपनिवेश विरोधी भावनाओं को जगाने में मदद की।
  - आई.सी.एस. के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष (1876) कर दी गयी।
  - जब देश अकाल की चपेट में था तब 1877 का भव्य दिल्ली दरबार ।
  - वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट (1878)।
  - शस्त्र अधिनियम (1878)।
  - इल्बर्ट बिल विवाद
- अंग्रेजों द्वारा किए गए नस्लीय भेदभाव ने राष्ट्रवादी भावनाओं को आहत किया। भारतीयों को दुर्व्यवहार और अपमान का शिकार होना पड़ा और इसने उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले के राजनीतिक संघ

संगठन	संस्थापक	उद्देश्य
बंगभाषा प्रकाशिका सभा 1836	**राजा राममोहन राय के सहयोगी**	• प्रेस की स्वतंत्रता • सेवाओं का भारतीयकरण • कानून का संहिताकरण
जमींदारी एसोसिएशन / द लैंडहोल्डर्स सोसाइटी 1838	**द्वारकानाथ टैगोर**	• जमींदारों के हितों की रक्षा
ब्रिटिश इंडिया सोसायटी 1839	विलियम एडम्स	• कंपनी के प्रशासन के निरंकुश चरित्र की ओर ध्यान आकर्षित करना
बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843	जॉर्ज थॉमस	• औपनिवेशिक शासन के तहत लोगों की स्थिति के बारे में जानकारी का संग्रह और प्रसार
ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851	राधा कांत देव	• वर्ग हितों की रक्षा • सरकार को याचिका भेजना • लैंडहोल्डर्स सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय से गठित।
बॉम्बे एसोसिएशन 1852	जगन्नाथ शंकर सेठ	• परिषदों में भारतीयों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866	दादाभाई नरोजी	• भारत के संबंध में इंग्लैंड में जनमत को प्रभावित करना
पूना सार्वजनिक सभा 1867	महादेव गोविंद रानाडे	• सरकार और लोगों के बीच एक पुल के रूप में कार्य किया
इंडियन लीग 1875	शिशिर कुमार घोष	• राजनीतिक शिक्षा
इंडियन एसोसिएशन (जिसे इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भी कहा जाता है) 1876	सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस	• बंगाल के शिक्षित समुदाय के प्रमुख प्रतिनिधियों का केंद्र। • भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए 1877 में आयु सीमा में कटौती का विरोध किया। • इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने और उच्च प्रशासनिक पदों के भारतीयकरण की मांग की। • 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया
मद्रास महाजन सभा 1884	एम. वीरराघवचारी और बी. सुब्रमण्यम	• स्थानीय संघों की गतिविधियों का समन्वय
बॉम्बे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन 1885	बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोजशाह मेहता और के.टी. तेलंग	• लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता को एकजुट किया

कांग्रेस-पूर्व संगठनों के उद्देश्य

- विधान परिषद में भारतीयों को शामिल करना
- सार्वजनिक व्यय में कमी
- उच्च प्रशासनिक पदों का भारतीयकरण
- आर्म्स एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, आदि जैसे कृत्यों का विरोध
- विधान परिषदों का गठन।
- कपास पर आयात शुल्क लगाना
- वृक्षारोपण श्रम के खिलाफ और अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम के खिलाफ

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना

- 1883 और 1885 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और अन्य द्वारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दो सत्र आयोजित किए गए थे।
- ए.ओ.ह्यूम ने विभिन्न बुद्धिजीवियों और संगठनों को एक अखिल भारतीय संगठन में लामबंद करने में प्रमुख भूमिका निभाई।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम 1885 में भारतीय नेताओं के समर्थन से की।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दादाभाई नौरोजी द्वारा दिया गया।
- कांग्रेस का पहला सत्र दिसंबर 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। सत्र में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की।
- दूसरा सत्र 1886 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की थी।
- कांग्रेस की बैठक हर साल दिसंबर में देश के अलग-अलग हिस्सों में होती थी। इसमें शुरू में 436 सदस्य थे।

कांग्रेस के निर्माण के पीछे सिद्धांत

1. **<u>पौराणिक सिद्धांत/मानवतावादी सिद्धांत</u>**

- ह्यूम ने भारतीयों की दुर्दशा को देखा और वे एक राजनीतिक मंच स्थापित करना चाहते थे जहां से भारतीयों की शिकायतों को सरकार के सामने उठाया जा सके।
- विलियम वेडरबर्न, ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लेखक के अनुसार ए.ओ.ह्यूम मानवतावादी दृष्टिकोण में विश्वास करते थे।

2. **<u>यथार्थवादी सिद्धांत / सुरक्षा वाल्व सिद्धांत</u>**

- लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल आदि उग्रवादी नेताओं द्वारा दिया गया।
- सिद्धांत के अनुसार कांग्रस लॉर्ड डफरिन और ए. ओ. ह्यूम की साजिश का परिणाम था।
- कांग्रेस की स्थापना का उनका उद्देश्य भारतीयों के बढ़ते असंतोष के खिलाफ अंग्रेजों को एक सुरक्षा वाल्व प्रदान करना था
- इस सिद्धांत की भारतीय राष्ट्रवादियों ने आलोचना की, जो मानते थे कि कांग्रेस राजनीतिक रूप से जागरूक भारतीयों की आकांक्षाओं और प्रयासों का परिणाम है और कोई भी व्यक्ति या समूह इसकी स्थापना के लिए श्रेय का दावा नहीं कर सकता है।

बिपिन चंद्र: "यदि ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस को सुरक्षा वाल्व के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे, कांग्रेस के शुरुआती नेताओं ने उन्हें लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद की थी।

कांग्रेस के उद्देश्य

- जनता के बीच एकता और राष्ट्रीय चेतना की भावना को बढ़ावा देना।
- राजनीतिक रूप से लोगों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करें।
- एक लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत करना।
- देश के विभिन्न हिस्सों के नेताओं को एक राजनीतिक मंच प्रदान करें
- उपनिवेशवाद विरोधी विचारधारा को विकसित और प्रचारित करना
- धर्म, जाति या प्रांत के बावजूद भारतीयों के बीच राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित कर्नाक।

उदारवादी चरण (1885-1905)

- नेता: दादाभाई नौरोजी, फिरोजशाह मेहता, डी.ई. वाचा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एस.एन. बनर्जी, फिरोजशाह मेहता।
- वे कानून के दायरे में संवैधानिक आंदोलन में विश्वास करते थे।
- नरमपंथियों ने भारत को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में माना और माना कि भारत को अपनी वास्तविक स्वतंत्रता से पहले आधुनिक लोकतांत्रिक तर्ज पर स्व-शासन के लिए तैयार होना होगा।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति की स्थापना 1889 में लंदन में हुई थी। इसके अंग का नाम "इंडिया" रखा गया था।

नरमपंथियों के तरीके

- वे अपनी मांगों को माँगने और पूरा करवाने के लिए शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों में विश्वास करते थे।
- अपनी मांगों को रखने के लिए याचिकाओं, बैठकों, प्रस्तावों, पर्चे, ज्ञापन और प्रतिनिधिमंडलों का इस्तेमाल किया।
- हिंसा और टकराव के बजाय धैर्य और मेल-मिलाप में विश्वास रखते थे।
- ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में पूर्ण विश्वास ।
- पढ़े-लिखे वर्ग तक ही सीमित ।
- जनता को रोजगार देने की कोशिश नहीं की।
- उनका उद्देश्य केवल ब्रिटिश शासन के तहत राजनीतिक अधिकार और स्वशासन प्राप्त करना था।

नरमपंथियों की प्रमुख मांगें

- विधान परिषदों का विस्तार और सुधार।
- इंग्लैंड और भारत में एक साथ आईसीएस परीक्षा आयोजित करके उच्च पदों पर भारतीयों के लिए अधिक अवसर।
- न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना।
- स्थानीय निकायों के लिए अधिक शक्तियाँ।
- भू-राजस्व में कमी और अन्यायी जमींदारों से किसानों की सुरक्षा।
- नमक कर और चीनी शुल्क का उन्मूलन, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता
- शस्त्र अधिनियम का निरसन
- भारत के अन्य भागों में स्थायी बंदोबस्त की शुरूआत

नरमपंथी राष्ट्रवादियों की उपलब्धियां

1. **ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक आलोचना**

- दादाभाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, दिनशॉ वाचा और अन्य ने लेखन के माध्यम से।
  - दादाभाई नौरोजी: भारत में गरीबी और ब्रिटिश शासन।
  - आर सी दत्त: द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया।
- भारत के ब्रिटिश शोषण की व्याख्या करने के लिए "धन निष्कासन सिद्धांत" प्रतिपादित किया।
- उन्होंने एक आत्मनिर्भर भारतीय अर्थव्यवस्था को एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदलने और भारतीय अर्थव्यवस्था को अंग्रेजों के अधीन करने का विरोध किया।

2. **संवैधानिक सुधार**

- नरमपंथियों ने विधान परिषदों का विस्तार और सुधार करके निर्णय लेने की प्रक्रिया में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने की मांग की।
- 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम की कांग्रेस के सत्रों में कड़ी आलोचना की गई क्योंकि इसने भारतीयों को विशेष रूप से वित्तीय मामलों में अधिक शक्ति प्रदान नहीं की और अंतिम निर्णय अंग्रेजों के पास था।
- नरमपंथियों ने निर्वाचित भारतीयों का बहुमत, और बजट पर अधिक नियंत्रण, यानी वोट देने और बजट में संशोधन करने की शक्ति की मांग की। उन्होंने नारा लगाया- "प्रतिनिधित्व के बिना कोई कराधान नहीं"।
- दादाभाई नौरोजी (1904), गोपाल कृष्ण गोखले (1905) और लोकमान्य तिलक (1906) जैसे नेताओं द्वारा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की स्वशासी उपनिवेशों की तर्ज पर भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग।
- हालांकि शुरुआती राष्ट्रवादी. वोट का अधिकार, महिलाओं के राजनीतिक अधिकार आदि जैसी जनता की बुनियादी मांगों को शामिल नहीं करके अपना आधार बढ़ाने में विफल रहे।

3. **सामान्य प्रशासन में सुधार**

- मांगें
  - सरकारी सेवा का भारतीयकरण, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, लोक कल्याण पर खर्च में वृद्धि
  - अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में, विदेशों में भारतीय श्रमिकों के लिए बेहतर व्यवहार।

4. **नागरिक अधिकारों की मांग**

- राष्ट्रवादियों ने नागरिक अधिकारों की मांग की जैसे: भाषण, विचार, संघ और प्रेस की स्वतंत्रता।
- सरकार ने लोगों के नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाए।
- 1897 में तिलक और कई अन्य नेताओं और पत्रकारों की गिरफ्तारी से व्यापक आक्रोश फैल गया।
- इसी तरह, बिना किसी मुकदमे के नाटू भाइयों की गिरफ्तारी और निर्वासन ने सार्वजनिक आक्रोश को आमंत्रित किया।

5. **जनता की भूमिका**

- उदारवादी जनता को अपने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल करने में विफल रहे।
- उदारवादी चरण के दौरान राजनीति में भागीदारी को कुलीनों का काम माना जाता था क्योंकि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में जनता के राजनितिक विश्वास की कमी थी।

6. **ब्रिटिश सरकार का रवैया**

- जैसे ही कांग्रेस ने राजनीतिक भूमिका ग्रहण की (1887 के बाद) सरकार को संदेह हुआ।
- उदारवादी तरीकों और नरमपंथियों द्वारा ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादारी के बावजूद सरकार ने कांग्रेस के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाया।
- सरकार ने खुले तौर पर कांग्रेस की निंदा की और राष्ट्रवादियों को "देशद्रोही ब्राह्मण", "वफादार बाबू" आदि कहा।
- डफरिन ने कांग्रेस को "राजद्रोह का एक कारखाना" और "केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन" करार दिया।
- सरकार ने कांग्रेस के प्रति 'फूट डालो राज करो' की नीति अपनाई।
  - उदाहरण: अधिकारियों द्वारा बनारस के सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सिंह को कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए यूनाइटेड इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन गठित करने को प्रोत्साहित किया गया।
- सरकार ने राष्ट्रवादियों को धर्म के आधार पर और 'कैरेट और स्टिक ' की नीति के माध्यम से विभाजित करने का भी प्रयास किया।

नरमपंथियों की कमजोरियां

- अधिकांश आबादी राजनीतिक संघर्ष से अछूती रही
- उन्होंने औपनिवेशिक शासन की वास्तविक प्रकृति को समझे बिना ताज के प्रति अपनी वफादारी का दावा किया
- कांग्रेस की गतिविधियां एक कुलीन मामला बना रहा।
- विदेशी शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की।
- गांधीजी के विपरीत, इन्होने जन आन्दोलन का महत्त्व नही समझा।
- इनके अधिकांश विचार पश्चिमी राजनीतिक सोच से प्रेरित थे जिसने उन्हें लोगों से और दूर कर दिया
- इन सबके बावजूद, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने बाद के वर्षों के लिए राष्ट्रीय आंदोलन की मजबूत नींव रखी।

नरमपंथियों का मूल्यांकन

- भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक मजबूत जनमत बनाकर जनता के बीच राष्ट्रीय भावना को जागृत किया।
- लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और नागरिक स्वतंत्रता जैसे आधुनिक विचारों को लोकप्रिय बनाया।
- औपनिवेशिक शासन के शोषक चरित्र को उजागर किया।
- इस तथ्य को स्थापित किया कि भारतीयों के हित के लिए भारत पर शासन किया जाना चाहिए।
- उनका राजनीतिक कार्य कठोर वास्तविकताओं पर आधारित था, न कि जाति या धर्म जैसी भावनाओं पर।
- उन्होंने पत्र, दलीलों, याचिकाओं, प्रस्तावों, भाषणों और आवेदनों के रूप में आंदोलन के संवैधानिक तरीकों को अपनाया।

Toppersnotes
Unleash the topper in you

उग्रवादी राष्ट्रवाद का युग/ चरमपंथी चरण (1905-1909)

- 1890 के दशक में उग्रवादी राष्ट्रवाद की एक नई प्रवृत्ति का उदय हुआ, जिसने 1905 तक एक ठोस रूप ले लिया।
- इस चरण के नेताओं (चरमपंथियों) ने उदारवादी नेताओं द्वारा अपनाई गई नीतियों को त्याग दिया और शांतिपूर्ण और संवैधानिक आंदोलन के तरीकों की आलोचना की
- उग्र राष्ट्रवाद के चरण के दौरान, राष्ट्रीय आंदोलन ने एक अखिल भारतीय चरित्र ग्रहण किया।

लाल-बाल-पाल (लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और बिपिन चंद्र पाल): 1905-1918 से 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय राष्ट्रवादियों की तिकड़ी।

चरमपंथियों के उदय के कारण

- **नरमपंथियों की विफलता**
  - ब्रिटिश अधिकारियों से कोई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करने में उदारवादी नेताओं की विफलता।
  - नरमपंथियों की सीमाएँ उग्रवाद के उदय का मुख्य कारण थीं।
- **ब्रिटिश काअसली मकसद उजागर होना**
  - नेताओं ने यह मानना शुरू कर दिया कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी लक्ष्यों ने ही भारत का शोषण किया।
  - राष्ट्रवादियों ने महसूस किया कि अंग्रेजों का वास्तविक उद्देश्य भारत की कीमत पर अपने देश का विकास करना था।
  - 1896 और 1900 के बीच विनाशकारी अकालों के प्रकोप जैसे लोगों के सामने आने वाली आर्थिक दुर्दशा ने औपनिवेशिक शासन के शोषक चरित्र को और उजागर किया।
  - बुबोनिक प्लेग ने दक्कन के बड़े क्षेत्रों को प्रभावित किया जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर दंगे हुए।

1892	नाटू बंधुओं को बिना किसी मुकदमे के निर्वासित कर दिया गया और आरोपों को जनता के सामने प्रकट नहीं किया गया।
1897	तिलक और अन्य, राजद्रोह के आरोप में कैद।
1898	आईपीसी की धारा 156 ए के तहत एक नया कानून जिसके तहत ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असंतोष की भावना को भड़काना अपराध घोषित कर दिया गया।
1899	कलकत्ता निगम में भारतीय सदस्य कम कर दिए गए।
1904	आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम पारित हुआ जिसने प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया।
1904	विश्वविद्यालयों पर अधिक से अधिक सरकारी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, जिस में उन्हें राजनीतिक क्रांतिकारियों का उत्पादन करने वाले कारखानों के रूप में वर्णित किया गया।

- **आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान की वृद्धि**
  - राष्ट्रवादियों में विश्वास बढ़ता गया क्योंकि समय के साथ वे राजनीतिक रूप से अधिक जागरूक हो गए जिस से विदेशी शासन के खिलाफ लड़ाई में उनका आत्मविश्वास को बढ़ा।
  - सांस्कृतिक पुनरुत्थान ने लोगों में आत्म-सम्मान की भावना पैदा की और तिलक, अरबिंदो और बिपिन चंद्र पाल ने बार-बार राष्ट्रवादियों से भारतीय लोगों के चरित्र और क्षमताओं पर भरोसा करने का आग्रह किया।
  - राष्ट्रवादी नेताओं ने आलोचनात्मक परीक्षण के बाद लोगों से अपने अतीत पर गर्व करने का आग्रह किया।
- **शिक्षा का विकास और बढती बेरोजगारी**
  - 19वीं शताब्दी के अंत में शिक्षा के प्रसार से जनता में जागरूकता बढ़ी, जिस से वे लोकतंत्र, राष्ट्रवाद के विचारों से प्रभावित हुए।
  - बेरोजगारी और अल्परोजगार में वृद्धि और औपनिवेशिक नीतियों के कारण भेदभावपूर्ण व्यवहार ने जनता के बीच असंतोष को बढ़ा दिया।
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव**
  - 1896 में इथियोपियाई लोगों द्वारा इतालवी सेना की हार, बोअर युद्ध (1899-1902) जैसी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जहां अंग्रेजों को पराजय का सामना करना पड़ा और 1905 में रूस पर जापान की जीत ने यूरोपीय अजेयता के मिथक को नष्ट कर दिया।
  - आयरलैंड, रूस, मिस्र, तुर्की, फारस और चीन जैसे विश्वव्यापी क्रांतिकारी आंदोलनों ने भारतीयों को प्रेरित किया और जनता के बीच देशभक्ति और आत्म-बलिदान की भावना पैदा की।
- **उग्रवादी विचारधारा का उदय**
  - राज नारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्ता, अरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने विचार के उग्रवादी स्कूल का प्रतिनिधित्व किया।
  - तिलक ने अपने पत्रों मराठा (अंग्रेजी में) और केसरी (मराठी में) के माध्यम से जनता के बीच राष्ट्रवाद का संदेश दिया।

- **एक प्रशिक्षित नेतृत्व का उदय**
  - उग्रवादी नेताओं द्वारा निर्देशित जनता ने विदेशी शासन के खिलाफ लड़ाई शुरू की और अब अंग्रेजों को उनकी मातृभूमि से बाहर निकालने की चुनौती लेने के लिए तैयार थे।
- **कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां**
  - कर्जन ने कुछ प्रशासनिक उपाय किए जैसे कि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, कलकत्ता निगम अधिनियम, और सबसे बढ़कर, बंगाल का विभाजन।
  - कर्जन की इन नीतियों ने भारतीयों को भारत में ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रियावादी प्रकृति में विश्वास दिलाया।
- **बढ़ते पश्चिमीकरण की प्रतिक्रिया**
  - भारतीय राष्ट्रीय पहचान पर पश्चिमीकरण के प्रभाव ने नेताओं को औपनिवेशिक योजनाओं के प्रति जागरूक किया।
  - स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी और स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे बुद्धिजीवियों ने अतीत में भारतीय सभ्यता की समृद्धि का जिक्र करते हुए भारत के गौरवशाली अतीत पर प्रकाश डाला और युवा राष्ट्रवादियों को प्रेरित किया।
  - दयानंद ने 'भारतीयों के लिए भारत' का संदेश फैलाया।

बंगाल का विभाजन

- बंगाल प्रांत आज के ओडिशा, बंगाल (पूर्व और पश्चिम) और बिहार से बना था और राष्ट्रवादी गतिविधियों के एक तंत्रिका केंद्र के रूप में कार्य करता था।
- बंगाल के पूर्वी भाग (वर्तमान बांग्लादेश) में मुस्लिम आबादी का प्रभुत्व था जबकि इसके पश्चिमी भाग में बहुसंख्यक हिंदू थे।
- 1903: ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया।
- इसका दो प्रांतो में विभाजन: बंगाल जिसमें पश्चिमी बंगाल के साथ-साथ बिहार और उड़ीसा के प्रांत और पूर्वी बंगाल और असम शामिल थे।
  - कलकत्ता: बंगाल की राजधानी।
  - ढाका: पूर्वी बंगाल की राजधानी।
- कर्जन द्वारा विभाजन के पीछे दिया गया प्रशासनिक कारण कुछ हद तक सही था।
- हालांकि, असली मकसद बढ़ते राष्ट्रवादी ज्वार और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बढ़ती एकता को कमजोर करना था।

विभाजन विरोधी आंदोलन

नरमपंथियों के अधीन (1903-1905)

- 1903-1905: सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के.के. मित्रा और पृथ्वीचंद्र राय ने इस अवधि के दौरान विभाजन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया।
- विभाजन के विरोध में अपनाए गए तरीके
- हितवादी, संजीवनी और बंगाली जैसे अख़बार और समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार को याचिकाएं, जनसभाएं, ज्ञापन और प्रचार।
- इसका उद्देश्य बंगाल के अन्यायपूर्ण विभाजन को लागू होने से रोकने के लिए सरकार पर पर्याप्त दबाव डालना था।
- जुलाई 1905: सरकार ने उदारवादी नेताओं की दलीलों की अनदेखी करते हुए बंगाल के विभाजन की घोषणा की।
- 7 अगस्त, 1905: बहिष्कार प्रस्ताव के पारित होने के साथ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा।
- 16 अक्टूबर, 1905 को विभाजन औपचारिक रूप से लागू हुआ।
- इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया।
- लोगों ने जुलूस निकाला और नंगे पैर वंदे मातरम (आंदोलन का थीम गीत) गाते हुए चले ।
- रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित 'अमार सोनार बांग्ला' को सड़कों पर मार्च करते हुए भीड़ ने गाया।
- बंगाल के दो हिस्सों की एकता के प्रतीक के रूप में लोगों ने उपवास किया, गंगा में डुबकी लगाई और एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधी।
- आंदोलन देश के अन्य हिस्सों में भी फैल गया- तिलक के अधीन पूना और मुंबई में, पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के अधीन, दिल्ली में सैयद हैदर रज़ा के अधीन, और मद्रास में चिदंबरम पिल्लई के अधीन।

कांग्रेस की स्थिति

- कांग्रेस अधिवेशन 1905 (बनारस): गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलनों का समर्थन करने का प्रस्ताव पारित किया।
- उदारवादी नेतृत्व स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलनों को केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहता था, जबकि चरमपंथी जन समर्थन हासिल करने के लिए स्वदेशी आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर विस्तारित करना चाहते थे।
- कांग्रेस अधिवेशन 1906 (कलकत्ता): दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में, यूनाइटेड किंगडम या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा के उपनिवेशों की तरह स्वशासन या स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया।

चरमपंथियों के तहत

- 1905 के बाद बंगाल में स्वदेशी आंदोलन पर चरमपंथियों का दबदबा रहा।

- कारण -
  - नरमपंथी नेतृत्व वाला आंदोलन कोई महत्वपूर्ण परिणाम हासिल करने में विफल रहा।
  - सरकार ने छात्रों पर अत्याचार जैसे आंदोलन को रोकने के लिए दमनकारी उपाय किए, जिनमें से कई को शारीरिक दंड दिया गया; वंदे मातरम के सार्वजनिक गायन पर प्रतिबंध; सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध; स्वदेशी कार्यकर्ताओं पर मुकदमा और लंबी कैद, कई शहरों में पुलिस और लोगों के बीच झड़प
  - नेताओं की गिरफ्तारी और निर्वासन; और प्रेस की स्वतंत्रता का दमन।

स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन

- **स्वदेशी:** का अर्थ है "अपने देश का"।
- **उद्देश्य**: ब्रिटिश वस्तुओं के उपयोग का बहिष्कार करके स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना।
- यह आत्मनिर्भरता के विचार के आसपास केंद्रित था
- इसने अलग-अलग परिदृश्यों में खुद को अलग-अलग अर्थों से जोड़ा
  - राजनीतिक क्षेत्र में: इसका अर्थ स्वराज या स्वशासन था
  - सामाजिक क्षेत्र में: यह राष्ट्रीय गरिमा, सम्मान और आत्मविश्वास के विचार को दर्शाता है।
  - आर्थिक क्षेत्र में: इसने पारंपरिक उद्योगों को मजबूत करने और भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया।
- **बहिष्कार**
  - विदेशी कपड़े का बहिष्कार और सार्वजनिक रूप से जलाना,
  - विदेश निर्मित नमक या चीनी, पुजारियों द्वारा विदेशी सामानों के आदान-प्रदान से जुड़े विवाहों को करने से इनकार करना,
  - धोबी द्वारा विदेशी कपड़े धोने से इनकार करना।
  - लोगों ने ब्रिटिश स्कूलों और कॉलेजों का भी बहिष्कार किया।
- जनता को लामबंद करने के लिए जनसभाएं और जुलूस निकाले गए।
- जनता को लामबंद करने के लिए समितियों का गठन किया गया था जैसे अश्विनी कुमार दत्ता (बरिसाल में) की स्वदेश बांधव समिति जन लामबंदी के एक बहुत लोकप्रिय और शक्तिशाली साधन के रूप में उभरी।
- नेताओं ने राजनीतिक संदेश फैलाने के लिए पारंपरिक त्योहारों और उत्सवों का सहारा लिया।
  - जैसे: तिलक का गणपति और शिवाजी उत्सव
- भारतीयों में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने के लिए सामाजिक सुधार और जाति उत्पीड़न, कम उम्र में शादी, दहेज प्रथा, शराब का सेवन आदि के खिलाफ अभियान।
- कपड़ा मिलों, साबुन और माचिस की फैक्ट्रियों, चर्मशोधन कारखानों, बैंकों, बीमा कंपनियों, दुकानों आदि जैसे स्वदेशी उद्यमों की स्थापना की गई।
- तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना
  - वी.ओ. चिदंबरम पिल्लई ने ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी को एक चुनौती पेश की।
- कई नेताओं ने देशभक्ति के गीतों की रचना की।
- 21 अक्टूबर 1905: कलकत्ता में पेंटर्स यूनियन का गठन किया गया।
- नंदलाल बोस को 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा दी जाने वाली पहली छात्रवृत्ति मिली।
- टैगोर के शांतिनिकेतन से प्रेरित होकर बंगाल नेशनल कॉलेज स्थापित किया गया।
- 15 अगस्त, 1906: राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई।
- 1906: अरबिंदो ने स्थानीय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की।
- तकनीकी शिक्षा की उन्नति के लिए एक बंगाल प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई और छात्रों को उन्नत शिक्षा के लिए जापान भेजने के लिए धन जुटाया गया।

स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलनों में जन भागीदारी

छात्रों की भूमिका

- छात्रों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और लोगों से ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार करने को कहा।
- सरकार ने छात्रों के प्रति दमनकारी रवैया अपनाया और आंदोलन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की।
- छात्रों को भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी से या सरकारी छात्रवृत्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

महिलाओं की भूमिका

- महिलाओं, विशेष रूप से शहरी मध्यम वर्ग की महिलाओं ने विदेशी सामान बेचने वाली दुकानों पर धरने में सक्रिय रूप से भाग लिया।

मुसलमानों की भूमिका

- कई प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया जैसे: बैरिस्टर अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, गुज़नवी, मौलाना आज़ाद
- अधिकांश उच्च और मध्यम वर्ग के मुसलमान आंदोलन से दूर रहे और न तो राष्ट्रवादियों का समर्थन किया और न ही अंग्रेजों का।

- ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुसलमानों ने इस दलील पर बंगाल के विभाजन का समर्थन किया कि यह उन्हें मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल देगा।

श्रमिक अशांति और ट्रेड यूनियन

- हड़तालों का आयोजन कर मजदूर वर्ग की आर्थिक शिकायतों को राजनीतिक अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया गया।
- 1905 से 1908: अपमानजनक कार्य विनियमन के जवाब में मजदूर वर्ग द्वारा कई हड़तालें आयोजित की गईं।
  - उदाहरण: हावड़ा में बर्न कंपनी में 250 बंगाली क्लर्कों की हड़ताल
  - ईस्ट इंडियन रेलवे में श्रमिकों की हड़ताल, जिसके परिणामस्वरूप रेलवेमेन यूनियन का गठन हुआ।
  - सुब्रमण्यम शिवा और चिदंबरम पिल्लई द्वारा तूतीकोरिन और तिरुनेलवेली में एक विदेशी स्वामित्व वाली कपास मिल में हड़ताल।
  - रावलपिंडी (पंजाब) में शस्त्रागार और रेल कर्मचारी लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के नेतृत्व में हड़ताल पर चले गए।
- 1908: सरकार द्वारा श्रमिक अशांति पर सख्ती से अंकुश लगाया गया।

आंदोलन का अखिल भारतीय पहलू

- स्वदेशी आंदोलन जल्द ही भारत के अन्य हिस्सों जैसे बॉम्बे, मद्रास, पंजाब और संयुक्त प्रांत में फैल गया।
- बंगाल के बाहर आंदोलन के प्रसार में तिलक ने प्रमुख भूमिका निभाई।

विभाजन की समाप्ति

- 1911: बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया।
- बंगाल में बढ़ रहे क्रांतिकारी आतंकवाद के खतरे को रोकने के लिए किया गया।
- मुस्लिम राजनीतिक अभिजात वर्ग विभाजन की समाप्ति के निर्णयों से नाखुश था।
- मुसलमानों को खुश करने के लिए 1911 में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था लेकिन मुसलमान खुश नहीं थे।
- बाद में, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया और असम को एक अलग प्रांत बना दिया गया।

स्वदेशी आंदोलन का पतन

- स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन ने 1980 के दशक तक अपना प्रभाव खो दिया
  - घोर सरकारी दमन।
  - एक प्रभावी संगठन या पार्टी संरचना बनाने में विफलता।
  - जनता में अनुशासन की कमी।
  - 1908: अधिकांश नेताओं को या तो गिरफ्तार कर लिया गया या निर्वासित कर दिया गया।
  - अरबिंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और इस तरह आंदोलन को नेतृत्वविहीन बना दिया गया।
  - कांग्रेस के दो गुटों के बीच तनाव: नरमपंथी और चरमपंथी अंततः बढ़ गए जिसके परिणामस्वरूप 1907 का सूरत विभाजन हुआ।
- आंदोलन मुख्य रूप से उच्च और मध्यम वर्गों और जमींदारों तक ही सीमित रहा और जनता विशेषकर किसानों को शामिल करने में विफल रहा।
- अक्सर जन-आधारित आंदोलन को उच्च स्तर पर बहुत लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल होता है।

चरमपंथियों का विश्लेषण

सकारात्मक प्रभाव

- उग्रवादियों ने राष्ट्रीय लड़ाई में जनता को शामिल किया, जो पहले बौद्धिक अभिजात वर्ग तक ही सीमित थी।
- विरोध, प्रार्थनाओं और याचिकाओं पर निर्भर होने के बजाय, उन्होंने अपने उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए कार्रवाई की।
- स्वतंत्रता संग्राम में सभी वर्गों के लोग शामिल थे।

नकारात्मक प्रभाव

- चरमपंथी विचारधारा में निरंतरता का अभाव था। जब वे वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रहे, तो समूह ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रांतिकारी हिंसक साधनों की ओर रुख किया।
- चरमपंथी नेताओं में आम धारणा का अभाव था।
  - उदाहरण: स्वराज की परिभाषा का अर्थ तिलक के लिए स्वशासन था,
  - जबकि अरबिंदो के लिए इसका अर्थ विदेशी शासन से पूर्ण स्वतंत्रता था।
- एज ऑफ कंसेंट बिल का तिलक का विरोध, गणपति और शिवाजी त्योहारों का उत्सव, गौ-हत्या अभियान को उनका समर्थन, आदि ने उन्हें एक हिंदू राष्ट्रवादी के रूप में चित्रित किया, जिसने मुसलमानों को अलग-थलग कर दिया।
- राष्ट्रवादी नेताओं के कार्यों से धर्म और राजनीति के बीच एक अस्वस्थ संबंध विकसित हुआ, जिसकी कड़वी फसल बाद के वर्षों में भारतीयों को काटनी पड़ी।

नरमपंथियों और उग्रवादियों के बीच अंतर

नरमपंथी	चरमपंथी
सामाजिक आधार: जमींदार और उच्च-मध्यम वर्ग।	सामाजिक आधार: शिक्षित मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग।
प्रेरणा: पश्चिमी उदारवादी विचार और यूरोपीय इतिहास	प्रेरणा: भारतीय इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, और

	हिंदू पारंपरिक प्रतीक
भारत में इंग्लैंड के प्रोविडेंशियल मिशन में विश्वास किया।	भ्रम के रूप में 'प्रोविडेंटल मिशन थ्योरी' को खारिज कर दिया
इनके अनुसार ब्रिटेन भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हितों के लिए फायदेमंद होगा	इनके अनुसार देश के पिछड़ेपन के लिए अंग्रेज जिम्मेदार।
ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादारी।	ताज के प्रति वफादारी नहीं
माना जाता था कि जनता अभी तक राजनीतिक कार्यों में भाग लेने के लिए तैयार नहीं थी	भाग लेने और बलिदान करने के लिए जनता की क्षमता में विश्वास किया
संवैधानिक सुधारों और सेवाओं के भारतीयकरण की मांग की	ब्रिटिश शासन से स्वराज की मांग की
केवल संवैधानिक तरीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया- दलीलें, प्रार्थनाएं और याचिकाएं	अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध जैसे अतिरिक्त-संवैधानिक तरीके
सीमित सीमाओं के भीतर काम किया	अखिल भारतीय स्तर पर विरोध और अभियान का आयोजन किया।

ऑल इंडिया मुस्लिम लीग

- स्थापना: 31 दिसंबर, 1906 ढाका में।
- नवाब मोहसिन-उल-मुल्क, नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह (अध्यक्ष) के साथ आगा खान द्वारा
- 1907: पहला वार्षिक सत्र (कराची)।
- 1908: दूसरा सत्र (अमृतसर)।
- 1913: एम.ए.जिन्ना लीग (लखनऊ) में शामिल हुए।
- 1924: एम.ए.जिन्ना ने सत्र (लाहौर) की अध्यक्षता की।

उद्देश्य

- भारत में मुस्लिम आबादी के राजनीतिक अधिकारों और हितों को बढ़ावा देना
- ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी बनाए रखें (बंगाल के विभाजन का समर्थन किया)
- मुस्लिम समुदाय के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग (1909 मॉर्ले-मिंटो सुधार)
- साम्राज्यवाद की किसी भी आलोचना का समर्थन नहीं करना।
- हसन इमाम, मजहर-उल-हक, मौलाना जफर अली खान और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे कुछ मुस्लिम उग्रवादी राष्ट्रवादियों द्वारा स्थापित **अहरार आंदोलन** (1906-12) ने मुस्लिम लीग का विरोध किया।

कांग्रेस का सूरत विभाजन (1907)

- **बनारस अधिवेशन 1905:** कांग्रेस दो गुटों में बंट गई।
- **प्राथमिक कारण:** बंगाल के विभाजन के बाद कांग्रेस द्वारा अपनाई जाने वाली कार्रवाई और पद्धति के सम्बन्ध में मतभेद।
    - **चरमपंथी:** बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को बंगाल के बाहर के क्षेत्रों में फैलाना और बहिष्कार कार्यक्रम के भीतर सभी प्रकार के संघों को शामिल करना।
    - **चरमपंथी:** बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को बंगाल के बाहर के क्षेत्रों में फैलाना और बहिष्कार कार्यक्रम के भीतर सभी प्रकार के संघों को शामिल करना।
    - **नरमपंथी:** आंदोलन को बंगाल से आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे और परिषदों और इसी तरह के संघों के बहिष्कार के विरोध में थे।
- **कलकत्ता अधिवेशन 1906:** कांग्रेस ने 'स्वराज या स्वशासन' को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया।
- स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यक्रम का समर्थन करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया।
- कलकत्ता अधिवेशन के बाद, चरमपंथी नेताओं ने व्यापक निष्क्रिय प्रतिरोध और स्कूलों, कॉलेजों, विधान परिषदों, नगर पालिकाओं, कानून अदालतों आदि के बहिष्कार का आह्वान किया।
- नरमपंथियों को परिषद में होने वाले सुधारों के बारे में पता चला, और उन्होंने कलकत्ता कार्यक्रम से अलग होने का फैसला किया।
- नरमपंथी नेताओं ने सरकार का समर्थन हासिल करने के लिए चरमपंथियों से दूरी बना ली।

विभाजन (कारण)

- उग्रवादी 1907 के अधिवेशन को नागपुर (मध्य प्रांत) में आयोजित करना चाहते थे, जिसके अध्यक्ष तिलक या लाजपत राय थे।
- जबकि नरमपंथी राष्ट्रपति के रूप में रास बिहारी बोस के साथ सूरत में सत्र चाहते थे।
- परिणाम: रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में सूरत में सत्र आयोजित किया गया क्योंकि दोनों पक्षों ने कठोर रुख अपनाया, समझौते के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी।
- उग्रवादियों ने कांग्रेस छोड़ी
- कांग्रेस पर अब नरमपंथियों का वर्चस्व था जिन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल संवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल किया।

विभाजन के प्रभाव

- विभाजन न तो नरमपंथियों के लिए और न ही चरमपंथियों के लिए फायदेमंद साबित हुआ।

- नरमपंथी: यह महसूस करने में विफल रहा कि सरकार द्वारा शुरू किए गए परिषद सुधारों का उद्देश्य कांग्रेस में दरार पैदा करना है।
- चरमपंथी: उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि नरमपंथियों ने राज्य के दमन के खिलाफ उनकी रक्षा की अग्रिम पंक्ति के रूप में काम किया।
- सरकार को विभाजन से लाभ हुआ और 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को पेश करके फूट डालो और राज करो का खेल खेला।

सरकारी दमन

- 1907 से 1911: सरकार विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कानून बनाए गए। उदाहरण:
- देशद्रोही बैठक अधिनियम, 1907
- भारतीय समाचार पत्र (अपराधों को प्रोत्साहन) अधिनियम, 1908
- आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1908
- भारतीय प्रेस अधिनियम, 1910
- 1909: राजद्रोह के आरोप में तिलक पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें मांडले (बर्मा) जेल में छह साल की कैद की सजा सुनाई गई।
- अरबिंदो और बी.सी. पाल ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया।
- लाजपत राय विदेश चले गए।
- जनता और आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कोई नेता नहीं होने के कारण, चरमपंथी आंदोलन को बनाए रखने के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक पार्टी को संगठित करने में विफल रहे।
- 1908 के बाद कुछ समय के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में गिरावट आई।
- 1914: तिलक को रिहा किया गया और उन्होंने आंदोलन को पुनर्जागृत किया।

सरकार की रणनीति

- 'कैरेट और स्टिक' की नीति का इस्तेमाल कांग्रेस के दो गुटों में दरार डालने के लिए किया गया था।
- यह **दमन-सुलह-दमन** का त्रि-आयामी दृष्टिकोण था।
  - **दमन** : नरमपंथियों को डराने के लिए उग्रवादियों का हल्का दमन किया गया।
  - **सुलह**: नरमपंथियों को उन्हें खुश करने के लिए, उन्हें चरमपंथियों से अलग करने के लिए कुछ रियायतें दी गईं।
  - **दमन**: नरमपंथी अब सरकार के समर्थन में थे, सरकार ने अब उग्रवादियों को पूरी ताकत से कुचल दिया।
- दुर्भाग्य से, न तो नरमपंथी और न ही चरमपंथी सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीति के पीछे के वास्तविक कारण को समझ पाए।
- 1907 के सूरत विभाजन से पता चलता है कि गाजर और छड़ी की नीति ने ब्रिटिश भारत सरकार को समृद्ध लाभ दिया था।

1909 के मॉर्ले-मिंटो सुधार / 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम

- वायसराय, लॉर्ड मिंटो, और भारत के राज्य सचिव, जॉन मॉर्ले द्वारा प्रस्तुत।
- **प्रावधान:**
  - भारत में परिषदों की गैर-सरकारी सदस्यता के लिए चुनाव प्रणाली की शुरुआत की।
  - भारतीयों को विभिन्न विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेने का मौका दिया गया, हालांकि वर्ग और समुदाय के आधार पर।
  - हिंदुओं और मुस्लिम मतदाताओं के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, जिन्हें अपने समुदाय के नेताओं का चुनाव करना था।
  - शाही विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई।
  - प्रांतीय परिषदों में, गैर-सरकारी बहुमत स्थापित किया गया, लेकिन इनमें से कुछ गैर-सरकारी सदस्य नामांकित होते थे निर्वाचित नहीं, इसलिए निर्वाचित सदस्यों की तुलना मे अभी भी गैर-निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिक बनी रही।
  - निर्वाचित सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाना था।
- प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की शक्तियाँ सलाहकारी बनी रहीं।
- एक भारतीय सदस्य, सत्येंद्र सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया था।

उग्रवादी राष्ट्रवाद का विकास

- बंगाल के विभाजन और सांप्रदायिक वफादारी के बढ़ने से परोक्ष रूप से उग्रवाद का उदय हुआ।
- राष्ट्रवादी ज्वार को रोकने के लिए राष्ट्रवादी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने और प्रेस पर सख्त नियंत्रण लगाने जैसे कड़े कदम उठाए गए।
- नेताओं को कारावास की सजा दी गई और कुछ को शारीरिक दंड भी दिया गया।
- भारत में क्रांतिकारी वीरता का विकास उग्र राष्ट्रवाद के विकास के उपोत्पाद के रूप में होने लगा।
- क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण (1917 तक) स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के परिणाम के रूप में विकसित हुआ।
- दूसरा चरण असहयोग आंदोलन के परिणाम के रूप में विकसित हुआ।

क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण

- स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के पतन के बाद, युवा राष्ट्रवादियों ने अपनी देशभक्ति की ऊर्जा को अभिव्यक्ति देने के रास्ते तलाशे।
- जब चरमपंथी नेताओं द्वारा अपनाए गए तरीके वांछित परिणाम देने में विफल रहे, तो क्रांतिकारी युवा राष्ट्रवादियों

के समूह ने अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए हिंसा और बल को चुना।
- क्रांतिकारियों ने पूरे देश में एक हिंसक जन क्रांति किए बिना गुप्त रूप से कार्य किया। वे रूसी शून्यवादियों या आयरिश राष्ट्रवादियों से प्रेरित थे।
- क्रांति के उनके तरीकों में
- व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्रवाइयाँ,
- अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या,
- क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए डकैती,
- सरकारी खजाने को लूटना
- और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए बमबारी करना शामिल था।
- भगत सिंह ने बाद में कहा कि उनका प्राथमिक उद्देश्य "बधिरों को सुनाना" यानी अंग्रेजों के दिल में आतंक फैलाना था।

क्रांतिकारी गतिविधियां

बंगाल

अनुशीलन समिति	• बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन। • 1902 में प्रमथनाथ मित्र द्वारा स्थापित। • सहयोगी: जतिंद्रनाथ बनर्जी (भागा जतिन), बरिंद्र कुमार घोष, श्री अरबिंदो, चित्तरंजन दास (देशबंधु), भूपेंद्रनाथ दत्त, और अन्य। • 1906: बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्रनाथ दत्त द्वारा एक राजनीतिक साप्ताहिक युगांतर शुरू किया गया। • 1907: युगांतर समूह ने एक बहुत ही अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारी सर फुलर को मारने की कोशिश की। • 1907: उस ट्रेन को पटरी से उतारने का प्रयास किया गया जिस पर बंगाल के लेफ्टिनेंट-गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर यात्रा कर रहा था। • अप्रैल 1908: प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड, एक न्यायाधीश को मारने की कोशिश की। • प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली, जबकि खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। • 1908: पुलिन दास द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए बर्रा डकैती का आयोजन किया गया था।
अलीपुर षड़यंत्र केस	• 1908: अनुशीलन समिति के सदस्यों के मुकदमे और मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश को अलीपुर साजिश का मामला या मानिकटोला बम साजिश, या मुरारीपुकुर साजिश कहा जाने लगा। • बरिंद्र घोष पर साजिश का आरोप लगाया गया था। • अरबिंदो, चितरंजन दास द्वारा बचाव करने पर सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। • अरबिंदो ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और पांडिचेरी में एक आश्रम स्थापित किया।
युगांतर	• जतिंद्रनाथ मुखर्जी या बाघा जतिन द्वारा गठित • रासबिहारी बोस की मदद से पार्टी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अखिल भारतीय विद्रोह करने का लक्ष्य रखा। • इसने विदेशों में बसे भारतीय हमदर्दों और क्रांतिकारियों के माध्यम से जर्मन हथियारों और गोला-बारूद के आयात की व्यवस्था की, जिसे 'जर्मन प्लॉट' या 'जिम्मरमैन प्लान' कहा गया है। • दुर्भाग्य से, योजना को गद्दारों ने लीक कर दिया था, और जतिन और उसके सहयोगियों को पुलिस ने पकड़ लिया था। सितंबर 1915 में जतिन मुखर्जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
दिल्ली षड़यंत्र केस	• रासबिहारी बोस और सचिन सान्याल ने दिसंबर 1912 में वायसराय हार्डिंग पर बम हमला किया। • बसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद और अवध बिहारी को साजिश में भाग लेने के लिए दोषी ठहराया और मौत की सजा दी गयी। • रासबिहारी बोस ने भेष बदल लिया और गिरफ्तारी से बच गए।

महाराष्ट्र

रामोसी किसान बल	• 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा स्थापित। • इसका उद्देश्य संचार लाइनों को बाधित करके सशस्त्र विद्रोह को भड़काकर देश को अंग्रेजों से मुक्त करना था।
अभिनव भारत	• वी.डी.सावरकर द्वारा 1904 में मित्र मेला (1899 में सावरकर और उनके भाई द्वारा स्थापित एक गुप्त समाज) के साथ विलय करके स्थापित किया गया था।

	• 1909: . अभिनव भारत के एक सदस्य अनंत लक्ष्मण कान्हेरे ने नासिक के कलेक्टर ए.एम.टी जैक्सन की हत्या कर दी थी, इस घटना को कोल्हापुर बम कांड के रूप में जाना जाने लगा। • सावरकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उनकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया गया।
व्यक्तिगत प्रयास	• 1890 के दशक के दौरान तिलक ने गणपति और शिवाजी त्योहारों और उनकी पत्रिकाओं केसरी और मराठा के माध्यम से उग्र राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया। • 1897: चापेकर बंधुओं, दामोदर और बालकृष्ण ने पूना के प्लेग कमिश्नर, रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या कर दी।

पंजाब

- पंजाब में उग्रवाद के उदय के कारक:
  - बार-बार अकाल
  - भू-राजस्व में वृद्धि।
  - सिंचाई कर।
  - जमींदारों द्वारा 'बेगार' की प्रथा।
  - बंगाल की घटनाएँ।
- लाला लाजपत राय की पत्रिका "पंजाबी"और अजीत सिंह की 'भारत माता' ने लाहौर में चरमपंथी अंजुमन-ए-मोहिस्बन-ए-वतन का आयोजन किया।
- अन्य उग्रवादी नेताओं में आगा हैदर, सैयद हैदर रज़ा, भाई परमानंद और कट्टरपंथी उर्दू कवि, लालचंद 'फलक' शामिल थे।

विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां

1. **इंडिया हाउस (इंडिया होम रूल सोसाइटी):**
- 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्णवर्मा द्वारा स्थापित।
- इसने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक एक पत्रिका निकाली।
- इंडिया हाउस के मदनलाल ढींगरा ने 1909 में लंदन में कर्जन-वायली की हत्या कर दी थी।

2. **भारतीय स्वतंत्रता समिति:**
- वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्रनाथ दत्ता, लाला हरदयाल और अन्य द्वारा जर्मन विदेश कार्यालय की मदद से 'ज़िम्मरमैन प्लान' के तहत बर्लिन, जर्मनी (मुख्यालय) में स्थापित।

3. **भारतीय राष्ट्रीय पार्टी**
- चंपक रमन पिल्लई द्वारा स्थापित।
- मुख्यालय - जर्मनी में

4. **इंडियन इंडिपेंडेंस लीग**
- तारकनाथ दास द्वारा स्थापित
- 1907 में कैलिफोर्निया, यूएसए

5. **मैडम भीकाजी कामा,**
- एक पारसी क्रांतिकारी, 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारत के झंडे (लाल, हरे और पीले रंग का एक तिरंगा जिसमें वंदे मातरम का नारा है) को फहराने वाली पहली भारतीय ।
- वे पेरिस इंडियन सोसाइटी की सह-संस्थापक थी
- अपनी रचनाओ, बंदे मातरम और मैडम तलवार के माध्यम से राष्ट्रवादी साहित्य में योगदान दिया।

6. **ग़दर पार्टी**
- 1913 में एक क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया गया जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका में था।
- सोहन सिंह भाकना द्वारा स्थापित
- पहले "पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन" के नाम से जानी जाती थी।
- इस समूह में मुख्य रूप से पूर्व सैनिक और किसान शामिल थे जो बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में पंजाब से अमेरिका और कनाडा चले गए थे।
- 1914: कामागाटा मारू घटना और प्रथम विश्व युद्ध के प्रकोप ने आंदोलन को गति दी।
- "गदर" चार भाषाओं- हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और गुरुमुखी में प्रकाशित हुई थी।
- कामागाटा मारू हादसा और ग़दर
- कामागाटा मारू (जहाज का नाम) 370 यात्रियों को ले जा रहा था, जिनमें मुख्य रूप से सिख और पंजाबी मुस्लिम अप्रवासी थे,
  - जों सिंगापुर से वैंकूवर जा रहे थे।
- 23 मई 1914 को जहाज हांगकांग से वैंकूवर पहुंचने के लिए निकला।
- दो महीने बाद कनाडा के अधिकारियों ने उन्हें वापस भेज दिया।
- सितंबर 1914: जहाज कलकत्ता पहुंचा।
- कैदियों ने पंजाब जाने वाली ट्रेन में चढ़ने से इनकार कर दिया। कलकत्ता के निकट बज बज में पुलिस के साथ हुए संघर्ष में 22 लोगों की हत्या कर दी गई।
- इससे निराश होकर ग़दर नेताओं ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन को हटाने के लिए एक हिंसक हमला करने का फैसला किया।
- करतार सिंह सराबा और रघुबर दयाल गुप्ता को भारत वापस भेज दिया गया।
- रासबिहारी बोस और सचिन सान्याल ने आंदोलन का नेतृत्व किया।
- 21 फरवरी, 1915: फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी गैरीसन में सशस्त्र विद्रोह के लिए तिथि चुनी गई।
- भारत रक्षा नियम, 1915 को लागू करते हुए, अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई की
  - विद्रोही रेजिमेंटों को भंग कर दिया गया,
  - नेताओं को गिरफ्तार कर निर्वासित कर दिया गया
  - उनमें से 45 को फांसी दे दी गई।

क्रांतिकारी गतिविधि का पतन

- प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों में अस्थायी राहत मिली।
- मोंटेग्यू की अगस्त 1917 की घोषणा में संवैधानिक सुधारों की बात और अहिंसक असहयोग के कार्यक्रम के साथ गांधीजी के राजनीतिक परिदृश्य में आगमन ने एक नई आशा उत्पन्न की।

प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन

- 1914-1919: अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध लड़ने के लिए भारतीय संसाधनों और सैनिकों का इस्तेमाल किया।
- प्रथम विश्व युद्ध के लिए राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया तीन प्रकार की थी-
- नरमपंथी: युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन को कर्तव्य माना।
- चरमपंथी: ब्रिटेन का समर्थन इस विश्वास के साथ किया की भारत की वफादारी का स्वशासन के रूप में फल मिलेगा।
- क्रांतिकारियों की यूरोप में युद्ध की स्थिति का लाभ उठाने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ने की नीति।

होम रूल लीग आंदोलन

- तिलक, एनी बेसेंट, जीएस खापर्डे, सर एस सुब्रमण्यम अय्यर, जोसेफ बैप्टिस्टा और एम.ए. जिन्ना जैसे प्रमुख नेताओं ने फैसला किया कि राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए एक राजनीतिक संगठन होना जरूरी है जों पूरे वर्ष काम कर सके।
- 1915: एनी बेसेंट ने युद्ध के बाद श्वेत उपनिवेशों की तर्ज पर स्वशासन की मांग के लिए अभियान और बैठकें आयोजित कीं।
- 1616: दो होमरूल लीग की स्थापना की गई- एक बाल गंगाधर तिलक द्वारा और दूसरी एनी बेसेंट द्वारा।

तिलक के अधीन होमरूल लीग

- स्थापना: अप्रैल 1916 में तिलक द्वारा बॉम्बे प्रांतीय सम्मेलन (बेलगाम) में।
- मुख्यालय: पूना
- संचालन के क्षेत्र: महाराष्ट्र (बॉम्बे शहर को छोड़कर), कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार।
- लीग के उद्देश्य
    - स्वराज या स्वशासन
    - भाषा के आधार पर राज्यों का गठन
    - स्थानीय भाषा में शिक्षा
- तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया: "स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा"।

बेसेंट के तहत होम रूल लीग

- 1916: एनी बेसेंट ने मद्रास के अड्यार में अपनी अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की।
- यह तिलक की लीग से इस मायने में व्यापक थी कि इसने एक व्यापक क्षेत्र को कवर किया- शेष भारत (बॉम्बे शहर सहित)।
- अरुंडेल (आयोजन सचिव), बी.डब्ल्यू. वाडिया और सी.पी. रामास्वामी अय्यर लीग से जुड़े थे
- निचली जातियाँ, एंग्लो-इंडियन और मुसलमान लीग से दूर रहे।

होम रूल लीग के उद्देश्य

- भारत में स्वशासन प्राप्त करना।
- स्वशासन के लिए आंदोलन स्थापित करने के लिए राजनीतिक शिक्षा और चर्चा को बढ़ावा देना।
- सरकार के दमन के खिलाफ बोलने के लिए भारतीयों में आत्मविश्वास पैदा करना।
- भारतीयों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग करना।
- कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए भारत में राजनीतिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करना।

होम रूल लीग के कार्य

- राजनीतिक शिक्षा और चर्चा के लिए सार्वजनिक बैठकों, पुस्तकालयों और वाचनालय,सम्मेलनों का आयोजन,
    - राजनीति पर कक्षाएं आयोजित करना,
    - समाचार पत्रों, पैम्फलेट, पोस्टर, सचित्र पोस्टकार्ड, नाटकों, धार्मिक गीतों आदि के माध्यम से प्रचार करना
    - धन इकट्ठा करना, सामाजिक आयोजनों के माध्यम से प्रचार करना।
    - स्थानीय सरकार की गतिविधियों में भाग लेना।
- राष्ट्रवादी नेता जो बाद में लीग में शामिल हो गए:
    - मोतीलाल नेहरू, जवाहर लाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, भूलाभाई देसाई, सीआर दास, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य।

सरकारी रवैया

- सरकार ने दमनकारी कदम उठाए और छात्रों को राजनीतिक बैठकों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया।
- तिलक को पंजाब और दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया गया था।
- जून 1917: एनी बेसेंट, बी.पी. वाडिया और जॉर्ज अरुंडेल को गिरफ्तार किया गया था।
- 1915: आंदोलनकारियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए भारत रक्षा अधिनियम।
- प्रेस पर लगाया गया 1910 का भारतीय प्रेस अधिनियम
- अवज्ञा के प्रतीक के रूप में, सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी गई। एनी बेसेंट सितंबर 1917 में जेल से मुक्त हुई थी।

होम रूल लीग का मूल्यांकन

- होमरूल आंदोलन ने पूरे देश में तीव्र प्रचार किया और गुजरात और सिंध के निष्क्रिय क्षेत्रों को अपने पाले में ले लिया।
- 1919 तक इस आंदोलन में गिरावट आई
- प्रभावी संगठन का अभाव।
- आंदोलन एक जन आंदोलन नहीं था।
- यह शिक्षित लोगों और कॉलेज के छात्रों तक ही सीमित था।
- लीगों को दक्षिण भारत के मुसलमानों, एंग्लो-इंडियन और गैर-ब्राह्मणों के बीच बहुत अधिक समर्थन नहीं मिला
  - क्योंकि उन्हें लगा कि होम रूल का मतलब उच्च जाति के हिंदू बहुमत का शासन होगा।
- 1917-18 में सांप्रदायिक दंगे हुए।
- अगस्त 1917 के मोंटागु के बयान ने नरमपंथियों को शांत कर दिया।
- उग्रवादियों द्वारा निष्क्रिय प्रतिरोध की बात ने नरमपंथियों को दूर रखा।
- सितंबर 1918: वैलेंटाइन चिरोल के खिलाफ मानहानि के मुकदमे के सिलसिले में तिलक विदेश चले गए।
- उनकी पुस्तक, इंडियन अनरेस्ट, में तिलक को भारत में विकसित हुई आंदोलनकारी राजनीति के लिए जिम्मेदार बताया गया था।
- 1920: गांधीजी ने अखिल भारतीय होम रूल लीग की अध्यक्षता स्वीकार की और संगठन का नाम बदलकर स्वराज्य सभा कर दिया।
- एक वर्ष के भीतर, लीग का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया।

<u>सकारात्मक लाभ</u>

- इसने सिंध जैसे कम-ज्ञात क्षेत्रों सहित देश के एक बड़े हिस्से को कवर किया
- यह वर्ष भर काम करने वाला संगठन बना।
- बहुत सारे शिक्षित भारतीयों का भारी समर्थन।
- 1917: दोनों लीगों में संयुक्त रूप से लगभग 40,000 सदस्य थे।
- इस आंदोलन के माध्यम से नरमपंथी, चरमपंथी और मुस्लिम लीग कुछ समय के लिए एकजुट हो गए थे।
- यह आंदोलन देश के अधिक क्षेत्रों में राजनीतिक चेतना फैलाने में सक्षम था।
- होम रूल आंदोलन से प्रभावित होकर, सरकार ने अगस्त 1917 में मोंटेग्यू की घोषणा और मोंटफोर्ड सुधारों की शुरुआत की।
- 1916: लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों का परिणाम था।

कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन (1916)

- अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार (मध्यम) ने की।
- कांग्रेस में चरमपंथियों का फिर से प्रवेश
- एनी बेसेंट और एम. ए. जिन्ना की पहल पर 1907 में सूरत में नौ साल के विभाजन के बाद तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस में नरमपंथियों ने उग्रवादियों का स्वागत किया।
- इस पुनर्मिलन के लिए अग्रणी कारक -
  - विभाजन के कारण राजनीतिक निष्क्रियता ने दोनों गुटों को चिंतित कर रखा था।
  - तिलक ने प्रशासन के सुधार का समर्थन किया। उन्होंने हिंसा की घटनाओं की भी निंदा की।
  - गोखले और फिरोजशाह मेहता (दोनों नरमपंथी) की मृत्यु, जो मुख्य रूप से चरमपंथियों की नीतियों के विरोधी थे

लखनऊ पैक्ट

- मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एकीकरण।
- लीग ने कांग्रेस के साथ संवैधानिक मांगों को संयुक्त रूप से सरकार के सामने पेश करने पर सहमति व्यक्त की
- कांग्रेस ने अलग निर्वाचक मंडलों पर मुस्लिम लीग की स्थिति को स्वीकार कर लिया जो तब तक जारी रहेगा जब तक कोई एक समुदाय संयुक्त निर्वाचक मंडल की मांग नहीं करता।
- **संयुक्त मांग**
  - भारतीयों को जल्द से जल्द स्वशासन।
  - केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं को निर्वाचित बहुमत के साथ उन्हें दी गई शक्तियों को विस्तारित किया जाना चाहिए।
  - विधान परिषद का पांच साल का कार्यकाल।
  - भारत के राज्य सचिव को वेतन का भुगतान ब्रिटिश राजकोष द्वारा किया जाना चाहिए न कि भारत से लिया जाना चाहिए।
  - वायसराय की कार्यकारी परिषदों के आधे सदस्य भारतीय होने चाहिए।
- **लखनऊ समझौता**ः तिलक और जिन्ना के प्रयासों से "हस्ताक्षर"। कांग्रेस ने पृथक निर्वाचक मंडल के सिद्धांत को स्वीकार किया।

<u>लीग और कांग्रेस के पुनर्मिलन का कारण</u>

- बाल्कन युद्धों (1912-13) और इटली (1911 के दौरान) के विरुद्ध तुर्की की मदद करने से ब्रिटेन के इनकार ने मुसलमानों को नाराज कर दिया था।
- 1911 में बंगाल के विभाजन की घोषणा
- पूरे भारत में संबद्ध कॉलेजों की शक्तियों के साथ अलीगढ़ में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने से ब्रिटिश सरकार का इनकार।
- प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दमनकारी नीतियों ने युवा मुसलमानों को प्रभावित किया।

<u>अनसुलझे मुद्दे-</u>

- मुसलमानों के अल्पसंख्यक होने के आधार पर उनके एक तिहाई प्रतिनिधित्व की स्वीकृति सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि इसने सांप्रदायिक राजनीति के बीज बोए थे।

- इस समझौते ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में अलग-अलग समुदाय हैं और उनमें से प्रत्येक के अपने हित हैं।

मोंटेग्यू का अगस्त 1917 का वक्तव्य

- एडविन सैमुअल मोंटेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बयान दिया, जो 1917 की अगस्त घोषणा के रूप में आया।
- भारत में ब्रिटिश नीतियों के लक्ष्य को परिभाषित किया।
- 'जिम्मेदार सरकार': शासकों को निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए
- भारतीय संवैधानिक सुधारों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई।
- रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी।
- महारानी विक्टोरिया की घोषणा(1858) के आधी सदी से भी अधिक समय के अंतराल के बाद, मोंटेग्यू घोषणा को फिर से "भारत का मैग्ना कार्टा" कहा गया।

Toppersnotes Unleash the topper in you

जन आंदोलन: गांधीवादी युग (1917-1925)

- गांधीजी का युग जन-आधारित संघर्ष से चिह्नित है।
- पहले, राष्ट्रवादी गतिविधियाँ कुछ बुद्धिजीवियों और समूहों तक ही सीमित थीं, हालाँकि, गांधीजी के साथ, राष्ट्रीय आंदोलन ने एक मोड़ लिया और इसने भारत में स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की।
- उनके नेतृत्व में, भारतीय एक साथ आए और अपने साझा दुश्मन के खिलाफ एकजुट हुए।

गांधी का प्रारंभिक जीवन

- मोहनदास करमचंद गांधी: 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्म।
- शिक्षा: लंदन में कानून की पढाई की और 1894 में एक कानूनी फर्म में काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के नेटाल गए।
- दक्षिण अफ्रीका: उनकी विचारधाराओं का विकास और परिवर्तन तब हुआ जब उन्हें अन्य साथियों भारतीयों और अफ्रीकियों की तरह यूरोपीय या गोरों के हाथों नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा।
- पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन की घटना (7 जून, 1893) -
    - प्रिटोरिया की अपनी यात्रा के दौरान, प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद, गांधी को उनकी नस्ल के कारण तीसरे श्रेणी के डिब्बे में जाने के लिए कहा गया था।
    - मानने से इनकार करने पर, उन्हें पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया।
- ट्रेन की घटना ने गांधीजी को एशियाई और अफ्रीकियों के साथ नस्लीय व्यवहार पर स्तब्ध और क्रोधित कर दिया।
- उन्होंने भारतीय कामगारों को उनके अधिकारों के लिए लड़ने में सक्षम बनाने के लिए संगठित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने का फैसला किया।

संघर्ष का मध्यम चरण (1894-1906)

- गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन में अधिकारियों को भारतीयों की दुर्दशा से अवगत कराने के लिए याचिकाएं भेजीं और आशा व्यक्त की कि वे उनकी शिकायतों के निवारण के लिए गंभीर कदम उठाएंगे।
- 1894: गांधीजी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की।
- 1903: भारतीयों के विभिन्न वर्गों को एकजुट करने और उनकी शिकायतों को सुनने के लिए इंडियन ओपिनियन (हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल में) एक पेपर शुरू किया।
- "सत्याग्रह" शब्द पहली बार अखबार में मुद्रित किया गया था।
- 1904: फ़ोनिक्स आश्रम की स्थापना
- यहीं पर उन्होंने अपनी पहली पुस्तक, इंडिया होम रूल (अंग्रेजी में) प्रकाशित की। इस आश्रम में उनकी कुटिया को सर्वोदय कहा जाता था।

निष्क्रिय प्रतिरोध या सत्याग्रह का चरण (1906-1914)

निष्क्रिय प्रतिरोध या सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया, जिसे गांधीजी ने सत्याग्रह कहा।

- पंजीकरण प्रमाण पत्र के खिलाफ सत्याग्रह (1906)
- दक्षिण अफ्रीका में नए कानून ने वहां रहने वाले सभी भारतीयों के लिए हर समय अपनी उंगलियों के निशान वाले पंजीकरण प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य कर दिया।
- गांधीजी ने कानून की अवहेलना करने का एक जन अभियान चलाने के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध संघ का गठन किया।
- गांधीजी और अन्य जिन्होंने खुद को पंजीकृत करने से इनकार कर दिया, उन्हें अधिकारियों ने जेल में डाल दिया।
- भारतीयों ने सार्वजनिक रूप से अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र जला दिए।
- गांधीजी ने अधिकारियों से परेशान होकर अपना बेस जोहान्सबर्ग में स्थानांतरित कर दिया।

निष्क्रिय प्रतिरोध: असहयोग और अन्य अहिंसक तरीकों के इस्तेमाल से सरकार या विशिष्ट सरकारी कानूनों का विरोध। जैसे: आर्थिक बहिष्कार, विरोध मार्च, उपवास आदि।

भारतीय प्रवास पर प्रतिबंध के खिलाफ अभियान (1908)

- भारतीय प्रवास पर प्रतिबंध लगाने वाला नया कानून।
- भारतीयों ने एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाकर और लाइसेंस प्रस्तुत करने से इनकार करके इस कानून की अवहेलना की।

<u>पोल टैक्स (1913) और भारतीय विवाहों के अमान्यकरण के खिलाफ अभियान</u>

- सभी पूर्व अनुबंधित भारतीयों पर तीन पाउंड का पोल टैक्स लगाया गया था।
- चुनाव कर को समाप्त करने की मांग ने अभियान के आधार को बढ़ाया।
- ईसाई रीति-रिवाजों के अनुसार नहीं होने रजिस्ट्रार द्वारा अपंजीकृत सभी विवाहों को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के

आदेश ने भारतीयों और अन्य गैर ईसाई लोगों में आक्रोश उत्पन्न किया ।
- आदेश के अनुसार, हिंदू, मुस्लिम और पारसी विवाहों को अवैध माना जाता था, और ऐसे विवाहों से पैदा हुए बच्चे नाजायज होते थे।
- भारतीयों के लिए, इस फैसले का मतलब उनकी महिलाओं का अपमान था।
- इस घटना के कारण, कई महिलाएं आंदोलन में शामिल हो गईं।

ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट का विरोध
- गांधी ने नेटाल से ट्रांसवाल में अवैध रूप से प्रवास करके ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट का विरोध किया।

आंदोलन के परिणाम और शिक्षा
- गांधीजी, लॉर्ड हार्डिंग, सी.एफ. एंड्रयूज, और जनरल स्मट्स के बीच एक समझौता हुआ
  - जिसमें दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने मतदान कर, पंजीकरण प्रमाण पत्र, और भारतीय रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह से संबंधित प्रमुख भारतीय मांगों पर सहमति व्यक्त की
  - और भारतीय आप्रवासन के मुद्दे के प्रति सहानुभूति दिखाने का वादा किया।
- दक्षिण अफ्रीका में सरकार से लड़ने के दौरान, गांधीवादी संघर्ष के तरीकों का 'खाका' विकसित हो गया था, जिसे अब भारत पर लागू करना था।

महात्मा गांधी की सत्याग्रह की तकनीक

- यह सत्य और अहिंसा पर आधारित था।
- इसके मूल सिद्धांतों में शामिल हैं
- तीन बुनियादी सिद्धांत: सत्य, अहिंसा और निर्भयता
- असहयोग और बहिष्कार इसके हथियार ।
- गलत करने वाले के खिलाफ संघर्ष में मिले दुख को स्वीकार करना।
- शत्रु के प्रति भी घृणा का भाव नहीं रखना।
- हमेशा सही रास्ते पर चलें और कभी भी बुराई के आगे झुकें नहीं, चाहे परिणाम कुछ भी हो।
- साधन उतना ही जरूरी है जितना साध्य।

महात्मा गांधी का भारत आगमन

- जनवरी 1915: वे भारत लौट आए।
- अपनी वापसी पर, उन्होंने एक प्रमुख कार्यकर्ता, सिद्धांतवादी और सामुदायिक नेता की प्रतिष्ठा अर्जित की।
- अपने राजनीतिक गुरु, गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर, उन्होंने जनता की स्थिति की निगरानी के लिए देश का दौरा करने का फैसला किया और कम से कम एक साल तक किसी भी मामले में राजनीतिक रूप से शामिल नहीं होने का निर्णय लिया।
- गांधी होमरूल आंदोलन के पक्ष में नहीं थे क्योंकि ब्रिटेन युद्ध के बीच में था।
- उन्होंने राष्ट्रवादी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक अहिंसक सत्याग्रह की वकालत की।
- 1917-1918: चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में वे तीन संघर्षों में शामिल हुए।

चंपारण सत्याग्रह (1917)

भारत में गांधी जी की पहली सविनय अवज्ञा।
- यूरोपीय बागान मालिकों ने चंपारण (बिहार) के किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से (जिसे तिनकठिया प्रणाली कहा जाता है) पर नील उगाने के लिए मजबूर किया और नील की उस उपज को बागान मालिकों द्वारा निर्धारित एक निश्चित कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया।
- एक स्थानीय व्यक्ति राजकुमार शुक्ल ने गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं को देखने के लिए आमंत्रित किया।
- गांधीजी राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल-हक, महादेव देसाई, नरहरि पारेख और जेबी कृपलानी के साथ मामले की जांच के लिए चंपारण पहुंचे।
- सरकार ने मामले में जाने के लिए एक समिति नियुक्त की और गांधीजी जिसके सदस्य थे।
- गांधी ने अधिकारियों को सुझाव दिया कि तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और किसानों को उनसे वसूले गए अवैध धन के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए (केवल 25% मुआवजा दिया जाना चाहिए)।
- गांधीजी ने भारत में सविनय अवज्ञा की पहली लड़ाई जीती।
- **अन्य नेता:** ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, राम नवमी प्रसाद और शंभूशरण वर्मा।

महत्व
- इसने जबरन खेती और खराब उत्पादन के मामले में बागान मालिकों के हाथों किसानों के लंबे उत्पीड़न को समाप्त कर दिया।
- चंपारण कृषि अधिनियम, 1918 किसानों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था।
- अन्याय का मुकाबला करने के लिए लोगों को सत्याग्रह की शक्ति के प्रति आश्वस्त किया।
- चंपारण में गांधी की जीत ने उन्हें जनता के बीच हीरो बना दिया

अहमदाबाद मिल हड़ताल (1918)

- भारत में गांधीजी की पहली भूख हड़ताल।
- **मार्च 1918:** प्लेग बोनस को बंद करने के मुद्दे पर गांधी ने अहमदाबाद की सूती मिल के मजदूरों का मुद्दा उठाया।
- **मिल मालिक:** बोनस बंद करने के लिए

- **श्रमिक:** प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की भागीदारी के कारण युद्धकालीन मुद्रास्फीति को बनाए रखने के लिए अपने वेतन में 50% की वृद्धि की मांग की।
- **परिणाम:** मिल मालिक 20% वेतन वृद्धि पर सहमत हुए। कर्मचारी हड़ताल पर चले गए।
- कार्यकर्ता मदद के लिए अनुसूया साराभाई के पास पहुंचे।
    - वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं, जो मिल मालिकों में से एक और अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अंबालाल साराभाई की बहन भी थीं।
- अनुसूया बहन ने गांधीजी को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा क्योंकि मिल मालिकों और श्रमिकों द्वारा उनका समान रूप से सम्मान किया जाता था
- हालांकि गांधीजी मिल मालिक अंबालाल के मित्र थे, लेकिन उन्होंने मजदूरों के मुद्दे को उठाया।
- गांधीजी ने स्थिति का विश्लेषण करने पर श्रमिकों को हड़ताल पर जाने और 50% के बजाय 35% वेतन वृद्धि की मांग करने के लिए कहा।
- गांधीजी ने कार्यकर्ताओं से हड़ताल के दौरान अहिंसा की रणनीति का पालन करने के लिए कहा।
- मजदूरों के संकल्प को मजबूत करने के लिए गांधीजी ने स्वयं आमरण अनशन (उनका पहला) किया।
- हड़ताल के चौथे दिन ट्रिब्यूनल ने कर्मचारियों को 35 प्रतिशत वेतन वृद्धि देने का फैसला सुनाया।

खेड़ा सत्याग्रह (1918)

- भारत में गांधीजी का पहला असहयोग।
- 1918 में सूखे और उसके बाद फसल खराब होने के कारण गुजरात के खेड़ा जिले के किसान राजस्व कर को निलंबित करने की मांग कर रहे थे।
- राजस्व संहिता के अनुसार, यदि उपज सामान्य उत्पादन का एक-चौथाई से कम था, तो किसान छूट के हकदार थे।
- सरकार ने किसानों की मांगठुकरा दी
- सरकार ने मांग की कि कर की पूरी वसूली की जाए अन्यथा किसानों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी।
- गांधीजी ने इस मुद्दे पर किसानों का समर्थन किया और किसानों से करों का भुगतान न करने के लिए कहा।
- असहयोग का नेतृत्व सरदार वल्लभभाई पटेल ने नरहरि पारिख, मोहनलाल पांड्या और रविशंकर व्यास के साथ किया, जिन्होंने गांवों का दौरा किया, ग्रामीणों को संगठित किया और उन्हें राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया।
- अंत में, सरकार किसानों के साथ सहमत हुई और केवल उन किसानों से कर वसूलने के लिए तैयार थी जो भुगतान कर सकते थे।
- सरकार विचाराधीन वर्ष के लिए और अगले वर्ष के लिए कर को निलंबित करने पर सहमत हुई; दर वृद्धि को कम करना; और जब्त की गई सारी संपत्ति वापस कर दी गयी।

इन तीन घटनाओं का महत्व

आंदोलनों ने गांधी की शैली और राजनीति के तरीके का प्रदर्शन किया

आंदोलनों ने गांधीजी को राज्य और जनता के मामलों का अध्ययन करने का मौका दिया और इस तरह उनकी ताकत और कमजोरियों को समझने में मदद की।

मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार और भारत सरकार अधिनियम, 1919

- इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि सरकार में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाए।
- सरकार के संघीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर सुधार लाया जाए।

विशेषताएं

- प्रांतीय सरकार (कार्यकारी)
- प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की।
- राज्यपाल कार्यकारी प्रमुख होगा।
- विषयों को दो सूचियों में विभाजित किया गया था: 'आरक्षित' और 'स्थानांतरित' विषय।
- आरक्षित विषय: राज्यपाल द्वारा उनकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से प्रशासित
- स्थानांतरित विषय: विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से मनोनीत मंत्रियों द्वारा प्रशासित।
- मंत्रियों को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया, जबकि कार्यकारी पार्षद विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे।
- प्रांत में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में, हस्तांतरित विषयों को राज्यपाल द्वारा प्रशासित किया जाएगा।

विधान - सभा

- प्रांतीय विधान परिषद में 70% सदस्यों का चुनाव होना था।
- महिलाओं को वोट देने का अधिकार ।
- विधान परिषदें राज्यपाल की सहमति से कानून बना सकती थीं।
- राज्यपाल के पास विधेयकों को वीटो करने और अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी।
- विधान परिषदों के पास बजट को अस्वीकार करने की शक्ति थी, लेकिन यदि आवश्यक हो तो राज्यपाल इसे बहाल कर सकता था।

केंद्र सरकार- (कार्यकारी)

- मुख्य कार्यकारी प्राधिकरण गवर्नर-जनरल था।
- वायसराय की कार्यकारी परिषद में आठ सदस्य (3 भारतीय) थे।
- प्रांतों में, आरक्षित विषय गवर्नर-जनरल के नियंत्रण में थे।
- गवर्नर-जनरल के पास अनुदानों में कटौती को बहाल करने, केंद्रीय विधायिका द्वारा खारिज किए गए बिलों को प्रमाणित करने और अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी।

विधान - सभा

- द्विसदनीय विधायिका का परिचय दिया।
- सदस्य:
    - निचला सदन या केंद्रीय विधान सभा: 145 सदस्य
    - उच्च सदन या राज्य परिषद: 60 सदस्य।
- राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष था और इसमें केवल पुरुष सदस्य थे।
- केन्द्रीय विधान सभा का कार्यकाल 3 वर्ष का था।
- भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश राजकोष से भुगतान किया जाता था।

महत्व

- **भारतीयों में जागृति:** भारतीयों को प्रशासन के बारे में गुप्त सूचना मिली और वे अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो गए। जिससे राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई।
- **मतदान के अधिकारों का विस्तार:** भारत में चुनाव क्षेत्रों का विस्तार हुआ और लोग मतदान के महत्व को समझने लगे।
- **प्रांतों में स्वशासन:** अधिनियम ने भारत में प्रांतीय स्वशासन के अस्तित्व को जन्म दिया।
- इस अधिनियम ने लोगों को प्रशासन करने की शक्ति दी और सरकार से प्रशासनिक दबाव बहुत कम हो गया।
- भारतीयों को प्रांतीय प्रशासन में जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए तैयार किया।

कमियां

- मताधिकार बहुत सीमित था।
- वायसराय और केंद्र में उसकी कार्यकारी परिषद पर विधायिका का कोई नियंत्रण नहीं था।
- प्रांतीय मंत्रियों को वित्त और नौकरशाहों पर कोई नियंत्रण नहीं दिया गया था।
- प्रांतों का सापेक्षिक महत्व के कारण केंद्रीय विधायिका से प्रांतों को सीटों का आवंटन किया गया था।
    - जैसे: पंजाब का सैन्य महत्व और बॉम्बे का व्यावसायिक महत्व।
- विषयों का अनुचित विभाजन: केंद्रीय विधायिका को बहुत कम शक्ति दी गई थी और वित्त पर कोई नियंत्रण नहीं था।

कांग्रेस की प्रतिक्रिया

- बॉम्बे सत्र 1918: हसन इमाम की अध्यक्षता में विशेष सत्र, कांग्रेस ने सुधारों को "निराशाजनक" और "असंतोषजनक" करार दिया और इसके बजाय प्रभावी स्वशासन की मांग की।
- तिलक के अनुसार: "अयोग्य और निराशाजनक - एक धूप रहित सुबह"
- एनी बेसेंट ने सुधारों को "इंग्लैंड के प्रस्ताव के योग्य और भारत द्वारा स्वीकार करने के लिए अयोग्य" पाया।
- सुरेंद्रनाथ बनर्जी-सरकारी प्रस्तावों को स्वीकार करने के पक्ष में।

रॉलेट एक्ट (1919)

- भारत सरकार अधिनियम, 1919: पूरे भारत में व्यापक विरोध और रैलियों का नेतृत्व किया।
- 1919: रॉलेट एक्ट को आधिकारिक रूप से अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम कहा गया।
- भारतीय लोगों की 'देशद्रोही साजिश' की जांच के लिए सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा इस अधिनियम की सिफारिश की गई थी।
- इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सभी निर्वाचित भारतीय सदस्यों ने बिल के खिलाफ मतदान किया और बिल के पारित होने के विरोध में इस्तीफा दे दिया।
- इस अधिनियम ने केवल राजद्रोह के संदेह पर वारंट के बिना भारतीयों की गिरफ्तारी की अनुमति दी।
- इस उद्देश्य के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया गया था जिसमें उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीश शामिल थे।
- उस पैनल के ऊपर अपील की कोई अदालत नहीं थी।
- इस अधिनियम के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण के कानून को निलंबित कर दिया गया था।
- भारत में वाक् और सभा की स्वतंत्रता पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए गए।
- इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत, सरकार ने सैकड़ों राष्ट्रवादियों को सलाखों के पीछे डाल दिया, जबकि कुछ को सीधे मार दिया गया।
- रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह - प्रथम सामूहिक हड़ताल
- गांधी ने रॉलेट एक्ट को "ब्लैक एक्ट" कहा और अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने पर विरोध का आह्वान किया।
- फरवरी 1919: गांधीजी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किया और होमरूल लीग और पैन इस्लामवादियों के युवा सदस्यों को शामिल किया।
- प्रतिरोध के तरीके: उपवास और प्रार्थना के साथ एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल (हड़ताल), विशिष्ट कानूनों के खिलाफ सविनय अवज्ञा, और गिरफ्तारी और कारावास।
- 6 अप्रैल, 1919 को सत्याग्रह शुरू करने की तारीख तय की गई थी।
- पंजाब में, युद्धकालीन दमन, जबरन भर्तियों और बीमारी के कहर के कारण स्थिति बहुत तनावपूर्ण थी, जिस कारण सेना को बुलाना पड़ा था।
- सर माइकल ओ डायर उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे।

जलियांवाला बाग नरसंहार (13 अप्रैल, 1919)

- 6 अप्रैल 1919: गांधीजी को गिरफ्तार किया गया।
- 9 अप्रैल 1919: राष्ट्रवादी नेताओं, सैफुद्दीन किचलू और डॉ सत्यपाल को ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया।
- इससे भारतीय प्रदर्शनकारियों में आक्रोश फैल गया और तनाव बढ़ गया।

- ब्रिगेडियर-जनरल रेजिनाल्ड डायर, एक वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी, जिसे गिरफ्तारी के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लागू करने और व्यवस्था बहाल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
- 13 अप्रैल: उन्होंने एक उद्घोषणा जारी की जिसमें लोगों को बिना पास के शहर छोड़ने और तीन से अधिक के समूहों में प्रदर्शन या जुलूस या इकट्ठा होने से मना किया गया था।
- 13 अप्रैल बैसाखी के दिन निषेधाज्ञा की जानकारी नहीं होने पर जलियांवाला बाग में लोग उमड़ पड़े।
- ब्रिगेडियर-जनरल डायर अपने आदमियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और अपने सैनिकों को एकमात्र निकास बिंदु को अवरुद्ध करने और बिना किसी चेतावनी के निहत्थे भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया।
- पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की एक निहत्थी भीड़ पर गोलीबारी की गई, जब वे भागने की कोशिश कर रहे थे।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अनुमान है कि 1,500 से अधिक लोग घायल हुए, और लगभग 1,000 लोग मारे गए।
- घटना के बाद, पंजाब में मार्शल लॉ की घोषणा की गई, और सार्वजनिक कोड़े और अन्य तरह से अपमानित किया गया।
- विरोध में, रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया
- गांधीजी ने बोअर युद्ध के दौरान अपने काम के लिए अंग्रेजों द्वारा दी गई कैसर-ए-हिंद की उपाधि को त्याग दिया।
- 18 अप्रैल, 1919 को गांधीजी ने आंदोलन वापस ले लिया।
- उधम सिंह, जिनका नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद था, ने बाद में 1940 में लंदन में माइकल ओ'डायर की हत्या कर दी। उधम सिंह को उनके काम के लिए फांसी दी गई।
- 14 अक्टूबर, 1919: विकार जांच समिति/हंटरआयोग का गठन किया गया।
  - समिति के सदस्यों में तीन भारतीय थे, सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सरदार साहिबजादा सुल्तान।
- समिति की अंतिम रिपोर्ट ने सर्वसम्मति से डायर के कार्यों की निंदा की।
- सरकार द्वारा अपने अधिकारियों की सुरक्षा के लिए पारित किए गए क्षतिपूर्ति अधिनियम के कारण इसने डायर पर कोई दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की।
- क्षतिपूर्ति अधिनियम जिसे "व्हाइट वाशिंग बिल" भी कहा जाता था, मोतीलाल नेहरू और अन्य लोगों ने इसकी कड़ी आलोचना की ।
- हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, अधिकांश साथियों ने डायर का समर्थन किया
  - सदन ने उनके समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया। मॉर्निंग पोस्ट ने डायर के लिए 26,000 पाउंड की राशि जुटाई।
- अरुण सिंह के नेतृत्व में स्वर्ण मंदिर के पुजारियों ने डायर को सिख घोषित कर सम्मानित किया।
- इसके परिणामस्वरूप गुरुद्वारा सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में अपनी गैर-सरकारी समिति नियुक्त की।
  - इसके सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, अब्बास तैयबजी, एम.आर. जयकर और गांधीजी शामिल थे।
  - कांग्रेस ने डायर के कृत्य को अमानवीय बताया।

खिलाफत आंदोलन

जन आंदोलन

- 1919-1922: भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आयोजन किया गया।
- आंदोलनों ने अहिंसा और असहयोग की कार्रवाई की एक एकीकृत योजना को अपनाया।

कारण

- सरकारी शत्रुता:
  - रॉलेट एक्ट, पंजाब में मार्शल लॉ लागू करना और जलियांवाला बाग हत्याकांड ने विदेशी शासन के क्रूर और असभ्य चेहरे को उजागर किया।
- पंजाब में हो रहे अत्याचारों पर हंटर आयोग की कार्यवाही बेईमानी साबित हुई।
- हाउस ऑफ लॉर्ड्स (ब्रिटिश संसद के) ने जनरल डायर की कार्रवाई का समर्थन किया।
- असंतुष्ट भारतीय: द्वैध शासन की अपनी कुविचारित योजना के साथ मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार स्वशासन के लिए भारतीयों की बढ़ती मांग को पूरा करने में विफल रहे।
- आर्थिक कठिनाइयाँ: युद्ध के बाद के वर्षों में देश की आर्थिक स्थिति वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि,
  - भारतीय उद्योगों के उत्पादन में कमी,
  - करों और किराए के बोझ में वृद्धि आदि से खतरनाक हो गई थी।
- युद्ध के कारण समाज के लगभग सभी वर्गों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा और इससे ब्रिटिश विरोधी रवैया मजबूत हुआ

खिलाफत मुद्दा

- रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों विशेषकर हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ ला दिया।
- 1919: तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा के लिए शुरू किया गया, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद पतन के कगार पर था।
- युद्ध के बाद, अंग्रेजों ने तुर्की को विभाजित कर दिया और खलीफा को सत्ता से हटा दिया गया।

- दुनिया भर के मुसलमानों ने मांग की कि खलीफा का मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण हो, और क्षेत्रीय व्यवस्था के बाद उसे पर्याप्त क्षेत्र मिलने चाहिए।
- **एक खिलाफत समिति का गठन :** 1919 की शुरुआत में अली भाइयों (शौकत अली और मुहम्मद अली), मौलाना आज़ाद, अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में।

खिलाफत-असहयोग कार्यक्रम का विकास

- 1919: दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का आह्वान।
- अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष के रूप में गांधी जी ने इसे अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ लाने के अवसर के रूप में देखा।
- एम.ए.जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया क्योंकि यह धर्म और राजनीति को मिलाएगा, भले ही मुस्लिम लीग आंदोलन के पक्ष में थी।

खिलाफत के मुद्दे पर कांग्रेस का दृष्टिकोण

- कांग्रेस सरकार के खिलाफ सत्याग्रह और असहयोग शुरू करने का विरोध कर रही थी।
- तिलक ने एक धार्मिक मुद्दे पर मुस्लिम नेताओं के साथ गठबंधन का विरोध किया।
- 1920: खिलाफत नेताओं और कांग्रेस के बीच एक गठबंधन बनाया गया था।

असहयोग खिलाफत आंदोलन

- **फरवरी 1920:** खिलाफत के मुद्दे पर वायसराय के पास एक संयुक्त हिंदू-मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल भेजा गया।
- गांधीजी ने घोषणा की कि भारतीय मुसलमानों को संतुष्ट करने में शांति संधि के विफल होने पर वे जल्द ही असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करेंगे।
- **मई 1920:** सेवरेस की संधि पर हस्ताक्षर किए गए जिसने तुर्की को पूरी तरह से खंडित कर दिया।
- **जून 1920:** इलाहाबाद में एक सर्वदलीय सम्मेलन में गांधीजी को स्कूलों, कॉलेजों और कानून अदालतों के बहिष्कार के कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए कहा गया।
- **31 अगस्त 1920:** खिलाफत समिति द्वारा औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। (तिलक ने 1 अगस्त 1920 को अंतिम सांस ली।)
- **सितम्बर 1920:** कलकत्ता में कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन में गांधीजी ने अहिंसक, असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसे कांग्रेस ने मंजूरी दे दी थी।

कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य थे:

- पंजाब के साथ हुए अन्याय का निवारण (जलियांवाला बाग त्रासदी)
- खिलाफत मुद्दा।
- शांतिपूर्ण और वैध साधनों का उपयोग करके भारत के लिए स्वराज प्राप्त करना।
- असहयोग की विधि में का निम्नलिखित का बहिष्कार शामिल था -
    - सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान।
    - कानून अदालतें। इसके बजाय पंचायतों के माध्यम से न्याय दिया जाना चाहिए।
    - विधान परिषदें
    - विदेशी कपड़ा और खादी का प्रयोग
- अन्य तरीके
    - हाथ से कताई के अभ्यास को बढ़ावा देना।
    - सरकारी सम्मान और उपाधियों का त्याग
    - आंदोलन के अंतिम चरण में करों का भुगतान न करने का अभियान चलाया गया।
    - हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना और अस्पृश्यता को दूर करने के लिए काम करना।
- दिसंबर 1920: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन ने निम्नलिखित बातो का समर्थन किया
    - असहयोग का कार्यक्रम
    - जन संघर्ष का उपयोग करके शांतिपूर्ण और वैध माध्यमों से स्वराज की प्राप्ति।
    - कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए 15 सदस्यों की एक कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) का गठन किया जाएगा
    - भाषाई आधार पर समितियों का गठन किया गया
    - वार्ड समितियों का गठन किया गया, और प्रवेश शुल्क को घटाकर चार आना कर दिया गया।
    - क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के कई समूहों, विशेषकर बंगाल के लोगों ने भी कांग्रेस के कार्यक्रम को समर्थन देने का संकल्प लिया।

आंदोलन का प्रसार

- अली के भाइयों के साथ गांधीजी ने देशव्यापी दौरा किया।
- हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया।
- 1920 में अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना, 1921 में काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ की स्थापना।
- मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सी.आर. दास आदि जैसे कई वकीलों ने वकालत छोड़ दीं।
- विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया और उन्हें सार्वजनिक रूप से जला दिया गया, और उनका आयात आधा हो गया।
- विदेशी शराब व सामान बेचने वाली दुकानों पर धरना
- आंदोलन को वित्तपोषित करने के लिए तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई थी
    - इसे अत्यधिक अंशदान दिया गया तथा एक करोड़ रुपये इक्कठे हो गये।
- कांग्रेस स्वयंसेवी वाहिनी की स्थापना की गई।
- जुलाई 1921: अली बंधुओं ने मुसलमानों से सेना को अधार्मिक बताते हुए इस्तीफा देने को कहा।
- गांधीजी ने आह्वान का समर्थन किया और इसी तरह का एक प्रस्ताव कांग्रेस समितियों द्वारा पारित किया गया। इसके लिए अली बंधुओं को गिरफ्तार किया गया था।

- अवध किसान आंदोलन (यूपी), एका आंदोलन (यूपी), मोपला विद्रोह (मालाबार) और पंजाब में सिख आंदोलन जैसे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय आंदोलन भी शुरू हुए।

आंदोलन पर लोगों की प्रतिक्रिया

- मध्यम वर्ग की आबादी ने आंदोलन के प्रारंभिक चरण में भाग लिया, हालांकि, बाद में वे गांधी के कार्यक्रम के प्रति बहुत सारी आपत्तियों के कारण दूर रहे।
- छोटे व्यवसाय समूहों ने आंदोलन को समर्थन दिया क्योंकि आर्थिक बहिष्कार के कारण आयात में कमी आई थी, और स्वदेशी के उपयोग से उनको लाभ हुआ।
- बड़े व्यापारिक समूह अपने कारखानों में श्रमिक अशांति के डर से आंदोलन के प्रति संशय में रहे।
- बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। आंदोलन ने किसानों को अंग्रेजों के साथ-साथ अपने भारतीय आकाओं और उत्पीड़कों (जमींदारों और व्यापारियों) के खिलाफ अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की अनुमति दी।
- छात्र आंदोलन के सक्रिय स्वयंसेवक बन गए, और उनमें से हजारों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया और राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों में शामिल हो गए।
- महिलाएं बड़ी संख्या में बाहर आईं और तिलक कोष के लिए अपने गहने भी दान दिए। उन्होंने विदेशी कपड़े और शराब बेचने वाली दुकानों पर धरने में सक्रिय भाग लिया।
- मोपला विद्रोह जैसी घटनाओं के बावजूद मुसलमानों ने भारी संख्या में भाग लिया और आंदोलन में सांप्रदायिक एकता दिखाई।

सरकार की प्रतिक्रिया

- पुलिस फायरिंग में कई लोगों की जान चली गई।
- कांग्रेस और खिलाफत स्वयंसेवी संगठनों को गैरकानूनी और अवैध घोषित किया गया।
- सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया
- मई 1921 में गांधी और वायसराय लॉर्ड रीडिंग के बीच बातचीत बंद हो गयी
- सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर कठोर दमनात्मक उपाय किए।
- स्वयंसेवी कोर्प्स को अवैध घोषित कर दिया गया, प्रेस को नियंत्रित किया गया और गांधीजी को छोड़कर अधिकांश राष्ट्रवादी नेताओं को जेल में डाल दिया गया।

आंदोलन का अंतिम चरण

- सी.आर. दास की अध्यक्षता में1921 में अहमदाबाद अधिवेशन: जेल में रहते हुए भी गांधीजी को इस मुद्दे पर एकमात्र अधिकार प्रदान किया गया।
- 1 फरवरी, 1922: गांधी ने घोषणा की की अगर सभी राजनीतिक कैदियों को सात दिनों के भीतर जेल से रिहा नहीं किया गया और प्रेस नियंत्रण नहीं हटाया गया तो बारदोली (गुजरात) से बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा शुरू किया जाएगा।

चौरी चौरा की घटना

- 5 फरवरी, 1922: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा में शराब की बिक्री और उच्च खाद्य कीमतों के खिलाफ अभियान चलाने वाले स्वयंसेवकों के एक समूह के नेता को पुलिस ने पीटा और फिर 3000 किसानों के कांग्रेस के जुलूस पर गोलियां चला दीं।
- इसका बदला लेने के लिए आक्रोशित भीड़ ने पुलिसकर्मियों सहित थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई।
- आंदोलन की हिंसक प्रवृत्ति को देखते हुए गांधी ने तुरंत असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की।
- फरवरी 1922: कांग्रेस कार्यसमिति ने बारदोली (गुजरात) में बैठक की और रचनात्मक कार्यक्रम शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें शामिल था-
    - खादी को लोकप्रिय बनाना - आर्थिक आत्मनिर्भरता।
    - राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना,
    - हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए और अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान।
    - महिलाओं का सशक्तिकरण
    - अन्य ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देना
- सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष बोस, जवाहरलाल नेहरू ने आंदोलन के निलंबन का विरोध किया।
- मार्च 1922 में, गांधीजी को गिरफ्तार कर लिया गया और छह साल जेल की सजा सुनाई गई।

गांधीजी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया?

- गांधीजी ने आंदोलन को उसके अहिंसक स्वरूप के कारण स्थगित कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि इस तरह की हिंसा को औपनिवेशिक शासन द्वारा आसानी से दबाया जा सकता है।
- आंदोलन को रोकने की जरूरत थी क्योंकि अत्यधिक लम्बा आन्दोलन जनता के लिए थका देने वाला हो सकता है।
- आंदोलन का केंद्रीय विषय: खिलाफत प्रश्न अधिक प्रासंगिक नहीं रहा क्योंकि नवंबर 1922 में तुर्की के लोग मुस्तफा कमाल पाशा के अधीन उठ खड़े हुए और सुल्तान को राजनीतिक सत्ता से वंचित कर दिया। तथा तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना दिया गया था।

खिलाफत असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन

- शहरी मुसलमानों को आंदोलन के दायरे में लाया गया, लेकिन अंत में इसने सांप्रदायिक रूप ले लिया।
- नेताओं ने बड़े पैमाने पर देश का दौरा किया और आबादी के हर तबके का राजनीतिकरण किया- कारीगर, किसान, छात्र, शहरी गरीब, महिलाएं, व्यापारी आदि।
- उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा की गयी आर्थिक आलोचना ने औपनिवेशिक शासन के मिथक का भंडाफोड़ कर दिया।
- जनता में अब औपनिवेशिक शासन और उसके शक्तिशाली दमन का भय ख़त्म हो गया था

स्वराज के लिए संघर्ष (1925-1939)

- कांग्रेस-खिलाफत स्वराज्य पार्टी या स्वराज पार्टी
- चौरी चौरा की घटना और गांधी की गिरफ्तारी (मार्च 1922) के बाद असहयोग आंदोलन के निलंबन से राष्ट्रवादी तत्वों में विघटन, अव्यवस्था और उनका मनोबल गिर गया। कांग्रेस निष्क्रियता के चरण में प्रवेश कर गई।
- **कांग्रेस के भीतर दो वर्ग उभरे**
  - **स्वराजवादी:** सी.आर. दास के नेतृत्व में, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान विधान परिषदों के बहिष्कार को समाप्त करना चाहते थे और इन परिषदों की बुनियादी कमजोरियों को उजागर करने के लिए इन परिषदों में प्रवेश प्राप्त करना चाहते थे ताकि इन परिषदों को 'समाप्त या सुधार' किया जा सके।
  - **अपरिवर्तनवादी:** सी राजगोपालाचारी, वल्लभभाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और एमए अंसारी के नेतृत्व में, उन्होंने परिषद में प्रवेश का विरोध किया, रचनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने और बहिष्कार और असहयोग जारी रखने की वकालत की।
- **गया अधिवेशन (1922):** परिषदों को 'समाप्त करने या सुधारने' के स्वराजवादियों के प्रस्ताव को विफल कर दिया गया।
- सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस-खिलाफत स्वराज्य पार्टी या केवल स्वराजवादी पार्टी के गठन की घोषणा की, जिसमें सीआर दास अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू सचिव थे।
- मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी
- एस सत्यमूर्ति और एस श्रीनिवास अयंगर ने पार्टी का नेतृत्व किया।
- **1934:** मद्रास प्रांत स्वराज्य पार्टी का अखिल भारतीय स्वराज्य पार्टी में विलय हो गया, जिसका बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया।
- 1907 जैसे विभाजन से बचने के लिए, स्वराजवादियों के साथ-साथ अपरिवर्तनवादी दोनों ने गांधी के संयुक्त राष्ट्रवादी मोर्चे के नेतृत्व को स्वीकार किया।
- **सितंबर 1923:** एक समझौता हुआ जिसमें स्वराजवादियों को कांग्रेस के भीतर एक पार्टी के रूप में चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई।
- **नवंबर 1923:** नवगठित केंद्रीय विधान सभा और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव होने थे।

गांधी का रवैया

- गांधीजी शुरू में परिषद में प्रवेश के स्वराजवादी प्रस्ताव के विरोध में थे।
- फरवरी 1924 में स्वास्थ्य कारणोंसे जेल से रिहा होने के बाद, उन्होंने स्वराजवादियों का समर्थन किया।
- नवंबर 1923: स्वराजवादियों ने 141 निर्वाचित सीटों में से 42 पर जीत हासिल की और मध्य प्रांतों के प्रांतीय विधानसभा चुनावों में स्पष्ट बहुमत हासिल किया।
- विधायिकाओं में, वे उदारवादियों और जिन्ना और मालवीय जैसे निर्दलीय लोगों के सहयोग से बहुमत में थे, उन्होंने बहुमत हासिल किया।
- इस जीत के बाद गांधीजी ने स्वराजवादियों के साहसी और अडिग रवैये की सराहना की।
- उन्हें अब विश्वास हो गया था कि वे औपनिवेशिक प्रशासन का अंग नहीं बनेंगे।
- 1924: सरकार ने क्रांतिकारी आतंकवादियों और स्वराजवादियों पर कार्रवाई की घोषणा की।
- बेलगाम अधिवेशन (1924) (एकमात्र सत्र जिसकी गांधीजी ने अध्यक्षता की थी): गांधीजी सहमत थे कि स्वराजवादी कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में परिषदों में काम करेंगे।

स्वराज पार्टी की उपलब्धियां

- पार्टी ने कई महत्वपूर्ण मामलों जैसे बजट, स्थगन प्रस्तावों और अन्य पर गठबंधन के माध्यम से सरकार को पछाड़ दिया।
- 1925: विट्ठलभाई पटेल केंद्रीय विधान सभा के अध्यक्ष चुने गए।
- उन्होंने 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को पराजित किया
- यह प्रदर्शित किया कि परिषदों का रचनात्मक उपयोग किया जा सकता है और कांग्रेस के भीतर ऐसा अवसर प्रदान किया जिसने जनता के बीच राष्ट्रवाद की भावना को जीवित रखा।
- उनके प्रयासों से भारत सरकार अधिनियम,1919 के दोषों की जांच करने के लिए मुद्दीमन समिति की नियुक्ति हुई।
- उन्होंने सबसे पहले गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने की मांग प्रस्तुत की।

पार्टी की कमियां

- अपने संचार के लिए केवल समाचार पत्रों पर निर्भर रहने के कारण नेताओं और जनता के बीच असहयोग पैदा हो गया।
- परस्पर विरोधी विचारों के कारण अपने सहयोगियों के साथ गठबंधन लंबे समय तक नहीं चल सका।
- सत्ता और पद के भत्तों और विशेषाधिकारों का लालच।
- बंगाल में किसानों के मुद्दे का समर्थन नहीं किया
- मुस्लिम किसान समर्थक सदस्यों के बीच समर्थन खो दिया।

स्वराजवादियों का मूल्यांकन

- स्वराज पार्टी अपने सदस्यों की विचारधाराओं में अंतर के कारण दो समूहों में विभाजित हो गई-
  - प्रतिक्रियावादी
  - गैर-प्रतिक्रियावादी।
- सांप्रदायिक हितों ने भी पार्टी में प्रवेश किया। 1925 में सी.आर. दास की मृत्यु ने इसे और कमजोर कर दिया।
- स्वराजवादियों के प्रतिक्रियावादियो में लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और एन.सी. केलकर शामिल थे।

- सरकार के साथ सहयोग की वकालत की और जहाँ भी संभव हो पद धारण किया।
- मोतीलाल नेहरू जैसे गैर-प्रतिक्रियावादियों ने परिषद में शामिल होने का पक्ष नहीं लिया और मार्च 1926 में विधायिकाओं से हट गए।
- 1926: प्रतिक्रियावादियों ने केंद्र में 40 सीटें और मद्रास में कुछ सीटें जीतीं, लेकिन संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में हार गईं।
- 1930: कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन (1929) में 'पूर्ण स्वराज' प्रस्ताव के पारित होने और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के कारण स्वराजवादी अंततः परिषदों से बाहर चले गए।

अपरिवर्तन वादियों द्वारा रचनात्मक कार्य

- इनमे गांधीजी के साथ वल्लभभाई पटेल, सी. राजगोपालाचारी, और राजेंद्र प्रसाद शामिल थे।
- आदिवासियों और निचली जातियों (विशेषकर गुजरात के खेड़ा और बारदोली क्षेत्रों में) के बीच आश्रमों की स्थापना, जहाँ युवक और युवतियाँ काम करते थे
- चरखे और खादी के उपयोग को लोकप्रिय बनाया।
- राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना
- हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना,
- अस्पृश्यता को दूर करना,
- विदेशी कपड़े और शराब का बहिष्कार
- बाढ़ राहत कार्य।
- लोकतंत्र के विचार को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए स्थानीय स्वशासन का गठन।
- गांधीजी ने कांग्रेस कार्यसमिति के प्रत्येक सदस्य के लिए हर महीने 2000 गज कपास कताई करना अनिवार्य कर दिया।
- कई जगहों पर खादी भंडार खोले गए।

रचनात्मक कार्य की आलोचना

- राष्ट्रीय शिक्षा से ज्यादातर शहरी निम्न मध्यम वर्ग और अमीर किसानों को ही लाभ हुआ।
- खादी आयातित कपड़े की तुलना में महंगा था जिसने इसे अपनाने के लिए जनता को हतोत्साहित किया।
- भूमिहीन और खेतिहर मजदूरों की आर्थिक शिकायतों पर जोर नहीं दिया गया, जिसमें ज्यादातर अछूत शामिल थे।

मार्क्सवादी और समाजवादी विचारों का प्रसार

- मार्क्स और समाजवादी विचारकों के विचारों ने राष्ट्रीय संघर्ष के कई क्रांतिकारियों को प्रेरित किया।
- इन विचारों ने कांग्रेस के भीतर वामपंथ को जन्म दिया, जिसका प्रतिनिधित्व जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया।
- ये युवा राष्ट्रवादी
  - स्वराजवादियों और अपरिवर्तनवादी दोनों के आलोचक थे
  - पूर्ण स्वराज की मांग (पूर्ण स्वतंत्रता)
  - अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से प्रभावित थे
  - इन्होने पूंजीपतियों और जमींदारों द्वारा आंतरिक वर्ग उत्पीड़न का मुद्दा उठाया।
- 1920: ताशकंद में एम.एन. रॉय, अबानी मुखर्जी और अन्य द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) की स्थापना ।
- 1924: एस.ए. डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता जैसे कम्युनिस्टों को कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामले में जेल में डाल दिया गया।
- 1925: कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट सम्मेलन ने सीपीआई की नींव को औपचारिक रूप दिया।
- 1929: प्रसिद्ध मेरठ षड़यंत्र का मामला- 31 प्रमुख कम्युनिस्टों, ट्रेड यूनियनों और वामपंथी नेताओं की गिरफ्तारी और उन पर मुकदमा।

किसानों का आंदोलन

- भारत के विभिन्न हिस्सों जैसे संयुक्त प्रांत, आंध्र के रम्पा क्षेत्र, बॉम्बे और मद्रास में आंदोलन हुए।
- 1928: गुजरात में वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह किया गया।

व्यापार संघवाद का विकास

- 1920: ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) की स्थापना हुई।
- लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे और दीवान चमन लाल इसके महासचिव थे।
- 1923: भारत में पहला मई दिवस मद्रास में मनाया गया।

जाति आंदोलन

- इस अवधि के दौरान कई जाति आंदोलन भी हुए जैसे
  - "पेरियार" के तहत स्वाभिमान आंदोलन (1925) - ई.वी. रामास्वामी नायकर (मद्रास)
  - सतारा (महाराष्ट्र) में सत्यशोधक कार्यकर्ता - भास्कर राव जाधव (महाराष्ट्र)
  - महाराष्ट्र में महार आन्दोलन - भीमराव अम्बेडकर
  - केरल में रेडिकल एझावा, आदि - के. अयप्पन और सी. केशवन के नेतृत्व में ।

1920 के दशक के दौरान क्रांतिकारी गतिविधि का पुनरुत्थान

- असहयोग आंदोलन की अचानक वापसी ने कई क्रांतिकारियों को निराश किया।
- उनका मानना था कि केवल हिंसक तरीके ही भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कर सकते हैं।
- क्रांतिकारी नीतियों के सभी प्रमुख नेताओं ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया।
- इस अवधि के दौरान क्रांतिकारी समूह के दो पहलुओं का विकास हुआ

- पंजाब-यूपी-बिहार में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन
- बंगाल में सूर्य सेन के अधीन युगांतर, अनुशीलन समूह और चटगांव समूह

- ये क्रांतिकारियों से प्रभावित थे-
  - युद्ध के बाद मजदूर वर्ग के ट्रेड यूनियनवाद से।
  - 1917 की रूसी क्रांति से।
  - मार्क्सवाद, समाजवाद और सर्वहारा वर्ग पर जोर देने वाले नए उभरते हुए कम्युनिस्ट समूह से।
- आत्मशक्ति, सारथी और बिजोली जैसी पत्रिकाओं ने क्रांतिकारियों के आत्म-बलिदान की प्रशंसा करने वाले संस्मरण और लेख प्रकाशित किए।
- सचिन सान्याल द्वारा बंदी जीवन और शरत चंद्र चटर्जी द्वारा पाथेर डाबी जैसे साहित्यिक ग्रंथों की रचना।

प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियां

- **<u>हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन / आर्मी</u>** (बाद में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया) -
  - कानपुर में अक्टूबर 1924 में रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल द्वारा स्थापित।
  - उद्देश्य: अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का आयोजन करना।
  - 9 अगस्त 1925: एचआरए ने काकोरी डकैती को अंजाम दिया।
- **<u>काकोरी षडयंत्र केस</u>**
  - लखनऊ के पास काकोरी में उन लोगों ने 8-डाउन ट्रेन को पकड़ लिया और खजाना लूट लिया।
  - सरकार ने कई नेताओं को गिरफ्तार किया जिनमें से 17 जेल गए, चार को आजीवन कारावास और चार बिस्मिल, अशफाकउल्लाह, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई।
- 1928: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में एचआरए का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (एचएसआरए) कर दिया गया।
- HSRA का नेतृत्व समाजवादी विचारों से प्रेरित युवा क्रांतिकारियों ने किया था,
- सहयोगी नेता: भगत सिंह, सुखदेव, भगवतीचरण वोहरा, बिजॉय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर।
- समाजवाद को HSRA के लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था।

- **सॉन्डर्स की हत्या**
  - 17 दिसंबर 1928: सॉन्डर्स नाम के एक पुलिस अधिकारी की भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु ने गोली मारकर हत्या कर दी थी (साइमन विरोधी प्रदर्शन के दौरान लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने के लिए सॉन्डर्स जिम्मेदार था, जिसके कारण लाला की मृत्यु हो गई)।

<u>सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम</u>

- 8 अप्रैल 1929: भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता को कम करने वाले सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक के पारित होने के विरोध में केंद्रीय विधान सभा में बम फेंका।
- किसी को नुकसान नहीं हुआ क्योंकि बमों को जानबूझकर हानिरहित बनाया गया था और इसका उद्देश्य 'बधिरों को सुनाना' था।
- मिशन का उद्देश्य गिरफ्तारि देना और ट्रायल कोर्ट को एक मंच के रूप में इस्तेमाल करना था ताकि लोगों को क्रन्तिकारी आंदोलन और विचारधारा से अवगत कराया जा सके।
- 23 मार्च 1931: भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर लाहौर षड्यंत्र मामले में मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दे दी गई।
- अनशन के 64वें दिन जतिन दास का निधन हो गया।
- आजाद दिसंबर 1929 में दिल्ली के पास वायसराय इरविन की ट्रेन को उड़ाने की एक घटना में शामिल थे। पुलिस की गिरफ्तारी से बच गए और बाद में फरवरी 1931 में इलाहाबाद के एक पार्क में एक मुठभेड़ में उन्हें गोली मार दी गई।

<u>चटगांव शस्त्रागार विद्रोह (अप्रैल 1930)</u>

- सूर्य सेन: असहयोग आंदोलन से जुड़े और चटगांव के राष्ट्रीय स्कूल में शिक्षक थे।
- वह अपनी क्रांतिकारी गतिविधि के लिए 1926 से 1928 तक जेल में रहे और बाद में कांग्रेस में काम करना जारी रखा।
- सूर्य सेन ने भारतीय रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की।
- सेन ने अनंत सिंह, गणेश घोष और लोकनाथ बाउल के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का आयोजन किया।
- उन्होंने चटगांव में दो मुख्य शस्त्रागारों पर हमला करने की योजना बनाई थी ताकि क्रांतिकारियों को टेलीफोन और टेलीग्राफ लाइनों को नष्ट करने और शेष बंगाल के साथ चटगांव के रेलवे लिंक को नष्ट करने के लिए हथियारों की आपूर्ति की जा सके।
- अप्रैल 1930: भारतीय रिपब्लिक सेना की चटगांव शाखा के बैनर तले छापेमारी की गई।
- छापेमारी सफल रही; सेन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और एक अस्थायी क्रांतिकारी सरकार की घोषणा की।
- फरवरी 1933 में सेन को गिरफ्तार कर लिया गया और जनवरी 1934 में फांसी दे दी गई।
- आईआरए से जुड़ी महिला क्रांतिकारी:
  - प्रीतिलता वद्देदार, जो एक छापेमारी करते हुए मारी गयी;
  - कल्पना दत्त जिन्हें गिरफ्तार कर सूर्य सेन के साथ मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई।

क्रांतिकारी आंदोलन के नए चरण का विश्लेषण

- विशेष रूप से सूर्य सेन के नेतृत्व में युवा महिलाओं की बड़े पैमाने पर भागीदारी देखी गई।
- दिसंबर 1931: शांति घोष और सुनीति चंदेरी ने जिला मजिस्ट्रेट की गोली मारकर हत्या कर दी
    - फरवरी 1932 में, बीना दास ने दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री प्राप्त करते हुए राज्यपाल पर गोली चलाई।
- व्यक्तिगत कार्रवाई के बजाय सामूहिक कार्रवाई पर अधिक ध्यान दिया।
- हिंदू धार्मिकता की प्रवृत्ति को छोड़ दिया गया था, और शपथ ग्रहण जैसी कोई रस्म नहीं थी, जिससे मुसलमानों को अलगाव महसूस हो।

आधिकारिक प्रतिक्रिया

- प्रारंभिक अव्यवस्था की स्थिति के बाद, सरकार क्रांतिकारियों पर भारी पड़ गई।
- चटगांव: कई गांवों को जला दिया गया और कई पर दंडात्मक जुर्माना लगाया गया.
- 1933: जवाहरलाल नेहरू को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया और क्रांतिकारियों की वीरता की प्रशंसा करने के जुर्म में दो साल की सजा दी गई।

साइमन कमीशन/भारतीय सांविधिक आयोग (1927)

- **भारत सरकार अधिनियम, 1919:** इसके कामकाज पर एक समीक्षा समिति का गठन 10 वर्षों के बाद किया जाना था
- **साइमन कमीशन:** एक श्वेत, सात सदस्यीय भारतीय सांविधिक आयोग, जिसे स्टेनली बाल्डविन के प्रधानमंत्रित्व काल में ब्रिटिश सरकार द्वारा लोकप्रिय रूप से नियुक्त किया गया था और इसके अध्यक्ष के रूप में सर जॉन साइमन थे।
- आयोग को ब्रिटिश सरकार को सिफारिशें देने का काम सौंपा गया था कि क्या भारत आगे के संवैधानिक सुधारों के लिए तैयार है और किस आधार पर।

<u>आयोग को भारतीय प्रतिक्रिया</u>

- **व्यापक आक्रोश:** चूंकि आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था और यह एक श्वेत आयोग था।
- भारतीयों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें स्वशासन के लिए अपना भविष्य तय करने में सक्षम नहीं मानते थे।

<u>कांग्रेस प्रतिक्रिया</u>

- **मद्रास अधिवेशन (1927):** एम.ए. की अध्यक्षता में अंसारी ने आयोग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया।
    - हिंदू महासभा, जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के गुट ने कांग्रेस का समर्थन किया।
    - सरकार के समर्थक: मुहम्मद शफी के अधीन मुस्लिम लीग का गुट, पंजाब में संघवादी और दक्षिण में जस्टिस पार्टी।

<u>सार्वजनिक प्रतिक्रिया</u>

- 3 फरवरी, 1928: आयोग भारत आया, एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया और सामूहिक रैलियां आयोजित की गईं।
- आयोग का स्वागत काले झंडे के प्रदर्शनों, हड़तालों और 'साइमन गो बैक' के नारों से किया गया।
- आयोग से नाराज युवा राष्ट्रवादियों की भावना को आवाज देने के लिए पंजाब नौजवान भारत सभा, मजदूरों और किसानों की पार्टियों और हिंदुस्तानी सेवा दल (कर्नाटक) जैसे नए समूहों का उदय।

<u>पुलिस दमन</u>

- पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया, यहां तक कि वरिष्ठ नेताओं को भी नहीं बख्शा।
    - जवाहरलाल नेहरू और जी.बी. पंत को लखनऊ में पीटा गया था।
    - अक्टूबर 1928 में लाला लाजपत राय के सीने पर गंभीर चोटें आईं। बाद में 17 नवंबर, 1928 को राय ने दम तोड़ दिया।

<u>साइमन कमीशन की सिफारिशें</u>

- प्रांतों में स्वायत्तता के साथ द्वैध शासन और प्रतिनिधि सरकार का उन्मूलन।
- विभिन्न समुदायों की रक्षा के लिए आंतरिक सुरक्षा और प्रशासनिक शक्तियों के संबंध में राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्ति ।
- प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि ।
- इसने केंद्र में संसदीय जिम्मेदारी को खारिज कर दिया।
- पृथकसांप्रदायिक मतदान व्यवस्था को बनाए रखा (और मतदाताओं को अन्य समुदायों तक उसका विस्तारित किया)
- कोई सार्वभौमिक मताधिकार नहीं।
- इसने सुझाव दिया कि वृहद इंडिया की एक सलाहकार परिषद की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के साथ-साथ रियासतों दोनों के प्रतिनिधि शामिल हों।
- उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान में स्थानीय विधायिकाएं और केंद्र में प्रतिनिधित्व का अधिकार।
- सिंध को बंबई से और बर्मा को भारत से अलग किया जाएगा।
- भारतीय सेना का भारतीयकरण किया जाना चाहिए और ब्रिटिश सेना को बरकरार रखा जाना चाहिए।

मुस्लिम लीग के दिल्ली प्रस्ताव (1927)

- दिसंबर 1927: मुस्लिम नेताओं ने अपने सत्र के लिए दिल्ली में मुलाकात की और संविधान के मसौदे में शामिल करने के लिए चार मांगें रखीं।

- इन प्रस्तावों को कांग्रेस ने अपने मद्रास अधिवेशन (दिसंबर 1927) में स्वीकार कर लिया। यह 'दिल्ली प्रस्ताव' बन गया।
- वे प्रस्ताव थे:
  - पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर संयुक्त निर्वाचक मंडल।
  - मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटें
  - केंद्रीय विधान सभा में मुसलमानों का एक तिहाई प्रतिनिधित्व
  - पंजाब और बंगाल- मुसलमानों का उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व
  - तीन नए मुस्लिम बहुल प्रांतों का गठन- सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत।
  - हिंदू महासभा ने नए मुस्लिम-बहुल प्रांत बनाने और पंजाब और बंगाल में मुस्लिम बहुमत के लिए सीटों के आरक्षण के प्रस्तावों का विरोध किया।

नेहरू रिपोर्ट (1928)

- मोतीलाल नेहरू द्वारा निर्मित(जवाहर लाल नेहरू नहीं)
- कंजर्वेटिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बिरकेनहेड ने साइमन कमीशन से भारतीयों को बाहर करने के मामले को सही ठहराया।
- लॉर्ड बिरकेनहेड की चुनौती के उत्तर के रूप में, फरवरी 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन की बैठक हुई और भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक उपसमिति नियुक्त की गई।
- अगस्त 1928 तक रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया।
- नेहरू समिति की सभी सिफारिशों को (एक को छोड़कर) नेताओं ने स्वीकार कर लिया- जबकि बहुमत ने "प्रभुत्व की स्थिति" का समर्थन किया।

रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें

- स्वशासी अधिराज्यों की तर्ज पर डोमिनियन का दर्जा।
- अलग निर्वाचक मंडलों की अस्वीकृति, इसके बजाय, केंद्र में और उन प्रांतों में जहां वे अल्पसंख्यक थे, मुसलमानों के लिए सीटों के आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचक मंडल की मांग
- प्रांतों का भाषाई संगठन।
- महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियन बनाने का अधिकार और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सहित मौलिक अधिकारों की मांग।
- केंद्र और प्रांतों में जिम्मेदार सरकार।
- मुसलमानों के सांस्कृतिक और धार्मिक हितों को पूरी सुरक्षा दी जाए।
- धर्म में राज्य का हस्तक्षेप नहीं।

समझौता

- मुस्लिम लीग की मांगों को नेहरू रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया था जैसा कि दिल्ली घोषणा में प्रस्तावित था।
- मोतीलाल नेहरू और अन्य लोगों को इस दुविधा का सामना करना पड़ा कि अगर मुसलमानों की मांगें मान ली गईं, तो हिंदू सांप्रदायिकता अपना समर्थन वापस ले लेंगे, अगर हिन्दू संतुष्ट हो गए, तो मुस्लिम नेता अलग हो जाएंगे।
- इस प्रकार रिपोर्ट में निम्नलिखित रियायतें दी गईं-
- हर जगह संयुक्त निर्वाचक मंडल लेकिन मुसलमानों के लिए आरक्षण केवल वहीं है जहां वे अल्पसंख्यक हैं
- डोमिनियन का दर्जा दिए जाने के बाद ही सिंध को बॉम्बे से अलग किया जाना था।
- राजनीतिक संरचना का एकात्मक रूप, अवशिष्ट शक्तियों, केंद्र के पास ।

जिन्ना द्वारा प्रस्तावित संशोधन

- दिसंबर 1928: नेहरू रिपोर्ट पर विचार करने के लिए कलकत्ता में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन।
- जिन्ना ने मुस्लिम लीग की ओर से तीन संशोधन प्रस्तावित किये
  - केंद्रीय विधायिका में मुसलमानों को 1/3 प्रतिनिधित्व
  - बंगाल और पंजाब विधानसभाओं में मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण
  - प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियाँ।
- हालांकि इन मांगों को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया।

जिन्ना के चौदह सूत्र

- प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियों के साथ संघीय संविधान।
- प्रांतीय स्वायत्तता।
- केंद्र द्वारा किसी भी संवैधानिक संशोधन के लिए राज्यों की सहमति आवश्यक है।
- सभी विधायिकाओं और निर्वाचित निकायों में प्रत्येक प्रांत में मुसलमानों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
- सेवाओं और स्वशासी निकायों में मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व।
- केंद्रीय विधायिका में मुस्लिम प्रतिनिधित्व का एक तिहाई।
- केंद्र में या प्रांतों में किसी भी कैबिनेट में, एक तिहाई मुस्लिम प्रतिनिधित्व।
- पृथक निर्वाचक मंडल।
- किसी भी विधायिका में कोई विधेयक या प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सके यदि अल्पसंख्यक समुदाय के तीन-चौथाई उस विधेयक/संकल्प के पक्ष में नहीं हैं।
- पंजाब, बंगाल और उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र में मुस्लिम बहुमत को प्रभावित नहीं करने के लिए क्षेत्रीय पुनर्समायोजन।
- सिंध को बंबई से अलग करना।
- NWFP और बलूचिस्तान में संवैधानिक सुधार।
- सभी समुदायों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता।
- मुसलमानों के सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक और भाषाई अधिकारों का संरक्षण।

नेहरू रिपोर्ट असंतोषजनक

- मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सिख सांप्रदायिकतावादी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस के नेतृत्व में कांग्रेस के युवा वर्ग द्वारा विरोध।
- डोमिनियन स्टेटस का विचार: युवा राष्ट्रवादियों द्वारा एक कदम पीछे माना जाता है।
- नेहरू और सुभाष चन्द्र बोस ने डोमिनियन स्टेटस की कांग्रेस की मांग को खारिज कर दिया और संयुक्त रूप से इंडिया लीग के लिए स्वतंत्रता की मांग की।

कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन (1928)

- कलकत्ता अधिवेशन 1928: कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट को मंजूरी दी।
- जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चन्द्र बोस और सत्यमूर्ति के नेतृत्व में राष्ट्रवादियों ने रिपोर्ट पर अपना असंतोष व्यक्त किया।
- अधिराज्य की स्थिति के स्थान पर, उन्होंने मांग की कि कांग्रेस पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य बनाए।
- गांधी और मोतीलाल नेहरू की इच्छा थी कि डोमिनियन स्टेटस की मांग जल्दबाजी में नहीं छोड़ी जानी चाहिए।
- उन्होंने सुझाव दिया कि डोमिनियन स्टेटस की मांग के लिए सरकार को दो साल की छूट अवधि दी जाए बाद में युवा तत्वों के दबाव के कारण इसे कम करके एक साल किया गया।

1929 के दौरान राजनीतिक गतिविधि

- 1929 के दौरान गांधीजी द्वारा देश का गहन दौरा किया गया ताकि युवाओं को अग्नि परीक्षा के लिए तैयार किया जा सके और गांवों में रचनात्मक कार्यों को व्यवस्थित करने में मदद मिल सके।
- कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) द्वारा एक विदेशी कपड़ा बहिष्कार समिति का गठन किया गया था।
- गांधीजी ने मार्च 1929 में कलकत्ता में अभियान शुरू किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
- मेरठ षडयंत्र केस (मार्च), भगत सिंह और बी.के. दत्त (अप्रैल) ने क्रांतिकारी जोश को ऊंचा रखा।

इरविन की घोषणा (31 अक्टूबर, 1929)

- साइमन कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले वायसराय बना।
- यह लेबर सरकार और एक कंजरवेटिव वायसराय का संयुक्त प्रयास था।
- इसने बिना कोई समय निर्धारित किये भारत को डोमिनियन स्टेटस का वादा किया।
- साइमन कमीशन द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद एक गोलमेज सम्मेलन का वादा किया गया।

दिल्ली घोषणापत्र (नवंबर 1929)

- दिल्ली घोषणापत्र: गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कुछ शर्तें रखी
    - गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य यह आकलन करना नहीं होना चाहिए कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाना है या नहीं, बल्कि डोमिनियन स्टेटस के कार्यान्वयन के लिए एक संविधान तैयार करना है।
    - सम्मेलन में कांग्रेस के पास बहुमत का प्रतिनिधित्व।
    - राजनीतिक बंदियों की सजा माफ की जाए।
- दिसंबर 1929: गांधीजी ने मोतीलाल नेहरू और अन्य राजनीतिक नेताओं के साथ इन मांगों पर चर्चा करने के लिए लॉर्ड इरविन से मुलाकात की।
- लॉर्ड इरविन ने दिल्ली मेनिफेस्टो में रखी गई मांगों को खारिज कर दिया।

कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन (1929)

- जवाहरलाल नेहरू को मुख्य रूप से गांधी के समर्थन के कारण दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के लिए अध्यक्ष नामित किया गया था।
- लाहौर अधिवेशन में लिए गए प्रमुख निर्णय
    - गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार।
    - कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता।
    - करों का भुगतान न करने और विधायिकाओं के सभी सदस्यों के इस्तीफे सहित सविनय अवज्ञा की शुरुआत।
    - 26 जनवरी, 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस (पूर्ण स्वराज) दिवस के रूप में तय किया गया था, जिसे हर जगह मनाया जाना था। (यही कारण है कि राष्ट्रवादी नेताओं ने 26 जनवरी 1949 को संविधान के लागू होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ही चुना, जबकि संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था)
- 31 दिसंबर, 1929 को आधी रात को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने 'इंकलाब जिंदाबाद' के नारों के बीच आजादी का नया अपनाया हुआ तिरंगा झंडा फहराया था।
- 26 जनवरी 1930 को गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम का मसौदा तैयार किया था। इसे पूरे देश में स्थानीय भाषाओं में पढ़ा गया और राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया।

सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930)

गांधी की ग्यारह मांगें

सामान्य हित के मुद्दे	• सेना और सिविल सेवाओं पर खर्च में 50% की कमी। • पूर्ण शराबबंदी लागू करें। • आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) में सुधार लाना। • आर्म्स एक्ट में बदलाव • राजनीतिक बंदियों की रिहाई। • डाक आरक्षण विधेयक को स्वीकार करें।

विशिष्ट बुर्जुआ मांगें	• रुपया-स्टर्लिंग विनिमय अनुपात 1s 4d . तक कम करें • कपड़ा संरक्षण का परिचय दें। • भारतीयों के लिए रिजर्व तटीय शिपिंग।
विशिष्ट किसान मांगों	• भू-राजस्व में 50% की कमी करना। • नमक कर और सरकार के नमक एकाधिकार को समाप्त करें।

- उनकी मांगों के प्रति कोई प्रतिक्रिया न होने पर, कांग्रेस कार्य समिति ने गांधीजी को उनकी पसंद के समय और स्थान पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की पूरी शक्ति दी।
- फरवरी के अंत तक, गांधीजी ने नमक को आंदोलन का विषय बनाने का फैसला किया था।

नमक को प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में क्यों चुना गया?
जैसा कि गांधीजी ने कहा था, "नमक, पानी के बाहर और कोई वस्तु नहीं है, जिस पर कर लगाकर सरकार लाखों भूखे, बीमार, अपंग और पूरी तरह से असहाय लोगों तक पहुंच सके... यह मनुष्य पर लगाये जाने वाला सबसे अमानवीय कर है।

दांडी मार्च (12 मार्च - 6 अप्रैल, 1930)

- 02 मार्च 1930: गांधीजी ने वायसराय इरविन को अपनी कार्य योजना से अवगत कराया।
- साबरमती आश्रम के 78 सदस्यों के साथ गांधीजी को 240 मील तक गुजरात के गांवों से होते हुए साबरमती आश्रम को दांडी तक मार्च करना था।
- गांधी जी ने सभी को भावी कार्रवाई के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए-
  - जहां भी संभव हो नमक कानून तोड़ना।
  - विदेशी शराब और कपड़े की दुकानों पर धरना
  - करों का भुगतान करने से इनकार।
  - वकील अभ्यास छोड़ सकते हैं।
  - मुकदमेबाजी से परहेज कर जनता अदालतों का बहिष्कार करें।
  - सरकारी कर्मचारी अपने पदों से इस्तीफा दें।
  - स्वराज प्राप्त करने के साधन के रूप में हर समय सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए।
  - गांधी की गिरफ्तारी के मामले में, स्थानीय नेताओं की बात मानी जानी चाहिए।
- प्रारंभ: 12 मार्च को जब गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक मार्च किया।
- निष्कर्ष: 6 अप्रैल को जब गांधीजी ने दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। (24 दिनों में 240 मील)।
- मार्च में पूरे देश में नमक कानूनों की अवहेलना शुरू कर दी गयी।
- गांधी जी ने खुलेआम लोगों से अपने घरों में समुद्री जल से नमक बनाने और नमक कानून का उल्लंघन करने को कहा।

नमक कानून की अवज्ञा का प्रसार

- 6 अप्रैल के बाद पूरे देश में नमक कानूनों की अवहेलना शुरू हो गई।
- नेहरू को अप्रैल 1930 में नमक कानून की अवहेलना करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
- गिरफ्तारी के बाद मद्रास, कलकत्ता और कराची में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए।
- गांधीजी को 4 मई 1930 को गिरफ्तार किया गया था, जब उन्होंने घोषणा की थी कि वे पश्चिमी तट पर धरसाना साल्ट वर्क्स पर छापेमारी करेंगे।
- गांधी की गिरफ्तारी के बाद बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता और शोलापुर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जहां प्रतिक्रिया सबसे भयंकर थी।
- गांधी की गिरफ्तारी के बाद, सीडब्ल्यूसी ने मंजूरी दी
- रैयतवाड़ी क्षेत्रों में राजस्व का भुगतान नहीं
- जमींदारी क्षेत्रों में नो-चौकीदार-टैक्स अभियान
- मध्य प्रांतों में वन कानूनों का उल्लंघन।

विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रह

- **तमिलनाडु:** सी. राजगोपालाचारी के अधीन (तिरुचिरापल्ली से वेदारणियम तक तंजौर (या तंजावुर) तट पर नमक कानून तोड़ने के लिए मार्च।
- **मालाबार** में के. केलप्पन के अधीन।
- **आंध्र क्षेत्र:** पूर्व और पश्चिम गोदावरी, कृष्णा और गुंटूर में नमक मार्च का आयोजन किया गया।
- **उड़ीसा:** गोपालबंधु चौधरी के अधीन, बालासोर, कटक और पुरी जिलों के तटीय क्षेत्रों में।
- **बंगाल:** मिदनापुर, आरामबाग और कई ग्रामीण इलाकों के आसपास नमक सत्याग्रह और चौकीदार कर के शक्तिशाली आंदोलनों का विकास हुआ।
- **बिहार:** चंपारण और सारण नमक सत्याग्रह शुरू करने वाले पहले दो जिले थे। जल्द ही, नमक सत्याग्रह की जगह 'चौकीदारी कर नहीं' आंदोलन चलाया गया।
  - राजेंद्र प्रसाद ने चौकीदारी कर विरोधी अभियानों में भाग लिया।
- **पेशावर:** खान अब्दुल गफ्फार खान (बादशाह खान या फ्रंटियर गांधी) ने पेशावर में आंदोलन का नेतृत्व किया।
  - उन्होंने एक स्वयंसेवी ब्रिगेड 'खुदाई खिदमतगार' का गठन किया, जो लोकप्रिय रूप से 'लाल कुर्ती ' दल के नाम से जाना जाता था। जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम और अहिंसा के प्रति वचनबद्ध किया गया था।
- **सोलापुर :** कपड़ा कर्मचारी 7 मई से हड़ताल पर चले गए और अन्य निवासियों के साथ शराब की दुकानों और सरकारी प्राधिकरण के अन्य प्रतीकों जैसे रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, नगरपालिका भवन, कानून अदालत आदि को जला दिया।
- **धरसाना:** सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल (गांधी के पुत्र) ने धरसाना साल्ट वर्क्स पर छापेमारी का नेतृत्व

करने का अधूरा काम संभाला। सरकार द्वारा लाठीचार्ज में 2 की मौत हो गई और 320 घायल हो गए।

- **गुजरात:** खेड़ा जिले में आणंद, बोरसाड और नडियाद क्षेत्र, सूरत जिले के बारडोली और भरूच जिले के जंबूसर में कर-मुक्त आंदोलन देखा गया
    - जिसमें भू-राजस्व का भुगतान करने से इनकार करना शामिल था।
- **महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत:** वन कानूनों की अवहेलना देखी।
- **मणिपुर और नागालैंड:** एक नागा आध्यात्मिक नेता रानी गेडीन्ल्यु (13 वर्ष की आयु) ने विदेशी शासन के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया।
    - उसने लोगों से आग्रह किया कि वे करों का भुगतान न करें या अंग्रेजों के लिए काम न करें।
    - बाद में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
- **असम:** कनिंघम सर्कुलर के खिलाफ शक्तिशाली छात्र-नेतृत्व वाला आंदोलन, जिसमें छात्रों और उनके अभिभावकों को अच्छे व्यवहार का आश्वासन देने की आवश्यकता थी, शुरू किया गया था।
- सूर्य सेन के नेतृत्व में चटगांव विद्रोह समूह ने चटगांव में दो शस्त्रागारों पर छापा मारा। इसने एक अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की।

लामबंदी के रूप

- प्रभात फेरी, वानर सेना, मंजरी सेना, गुप्त पत्रिकाएं, और जादू लालटेन शो के माध्यम से जनता को जुटाया गया था।

आंदोलन का प्रभाव

- विदेशी कपड़े और अन्य वस्तुओं के आयात में गिरावट।
- शराब, आबकारी और भू-राजस्व से सरकार की आय में गिरावट।
- विधान सभा के चुनाव का बहिष्कार।
- सामूहिक भागीदारी की सीमा
- महिलाओं की भागीदारी बढ़ी: वे एक परिचित दृश्य बन गए, शराब की दुकानों, अफीम के गढ़ों और विदेशी कपड़े बेचने वाली दुकानों के बाहर धरना दिया।
- छात्र और युवा : विदेशी कपड़े और शराब के बहिष्कार में सबसे प्रमुख भूमिका निभाई।
- 1920-22 के असहयोग आंदोलन के स्तर की तुलना में मुस्लिम भागीदारी कम थी।
- व्यापारी और छोटे व्यापारी बहिष्कार को लागू करने में सक्रिय थे, खासकर तमिलनाडु और पंजाब में।
- आदिवासियों ने मध्य प्रांत, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भाग लिया।
- बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, शोलापुर में श्रमिकों की भागीदारी देखी गई।
- संयुक्त प्रांत, बिहार और गुजरात में किसान सक्रिय थे।

सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं

- पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन, पहले सभी आन्दोलन सम्बंधित शहरों तक सीमित थे।
- ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी अपनी भागीदारी दर्ज कराने में सक्षम थे।
- कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया।
- लोकप्रिय महिलाओं ने सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। उदाहरण: कस्तूरबा गांधी, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, अवंतिकाबाई गोखले, लीलावती मुंशी, और हंसाबेन मेहता
- इस आंदोलन का आदर्श वाक्य अहिंसा था।
- लगातार ब्रिटिश दमन के बावजूद इस आंदोलन ने हार नहीं मानी।

सरकार की प्रतिक्रिया- संघर्ष विराम के प्रयास

- नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले अध्यादेशों का स्वतंत्र रूप से उपयोग किया गया
- कांग्रेस कार्यसमिति को जून तक अवैध घोषित नहीं किया गया था।
- निहत्थे भीड़ पर लाठीचार्ज और फायरिंग में कई लोग मारे गए और घायल हो गए, जबकि गांधीजी और अन्य कांग्रेस नेताओं के अलावा हजारों सत्याग्रही सलाखों के पीछे थे।
- जुलाई 1930: लॉर्ड इरविन ने एक गोलमेज सम्मेलन का सुझाव दिया और डोमिनियन स्टेटस के लक्ष्य पर जोर दिया।
- अगस्त 1930: मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू ने यरवदा जेल में गांधीजी से मुलाकात की और सरकार से सहयोग मांगा।
- उन्होंने अपनी मांगों को दोहराया-
    - ब्रिटेन से अलग होने का अधिकार
    - रक्षा और वित्त पर नियंत्रण के साथ पूर्ण राष्ट्रीय सरकार
    - ब्रिटेन के वित्तीय दावों को निपटाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण की स्थापना।

गांधी-इरविन समझौता (1931)

- 25 जनवरी 1935: तेज बहादुर सप्रू, डॉ. जयकर, और एस.एस. शास्त्री के प्रयासों से, गांधीजी और कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के अन्य सभी सदस्यों को बिना शर्त रिहा कर दिया गया और अंग्रेज गांधीजी के साथ बातचीत करने के लिए सहमत हो गए।
- 14 फरवरी, 1931 को दिल्ली में वायसराय इरविन और गांधी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- यह दिल्ली समझौता, उर्फ गांधी-इरविन समझौता, ने कांग्रेस को सरकार के बराबर खड़ा कर दिया।
- सरकार की ओर से इरविन ने सहमति व्यक्त की
- हिंसा के दोषी नहीं पाए गए सभी राजनीतिक बंदियों की तत्काल रिहाई

- उन सभी जमीनों की वापसी जो अभी तक तीसरे पक्ष को नहीं बेची गई हैं
- इस्तीफा देने वाले सरकारी कर्मचारियों के साथ व्यवहार में नरमी
- तटीय गांवों में निजी उपभोग के लिए नमक बनाने का अधिकार (बिक्री के लिए नहीं)
- शांतिपूर्ण और गैर-आक्रामक धरना का अधिकार
- आपातकालीन अध्यादेशों को वापस लेना।
- वायसराय ने गांधी की दो मांगों को ठुकरा दिया
  - पुलिस ज्यादतियों की सार्वजनिक जांच
  - भगत सिंह और उनके साथियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदलना।
- कांग्रेस की ओर से गांधीजी ने सहमति व्यक्त की
- सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए
- संवैधानिक प्रश्न पर अगले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना।

सविनय अवज्ञा आंदोलन का मूल्यांकन

- गांधी-इरविन समझौते के बाद, गांधीजी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का फैसला किया
- युवा निराश थे, क्योंकि उन्होंने उत्साहपूर्वक भाग लिया था।
- गुजरात के किसान निराश थे क्योंकि उनकी भूमि को तुरंत बहाल नहीं किया गया था।

कांग्रेस का कराची अधिवेशन (1931)

- 29 मार्च, 1931: पटेल की अध्यक्षता में गांधी-इरविन समझौते का समर्थन करने के लिए विशेष सत्र।
- सत्र से छह दिन पहले (23 मार्च), भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फंसी दे दी गयी।
- भगत सिंह और उनके साथियों के लिए मौत की सजा को कम करने में विफल रहने के कारण गांधीजी को कराची की यात्रा के दौरान काले झंडे दिखाए गए।
- निर्णय लिए गए -
  - दिल्ली समझौते का समर्थन
  - पूर्ण स्वराज का लक्ष्य दोहराया गया।
  - दो प्रस्तावों को अपनाया गया
    - मौलिक अधिकारों पर
    - राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर।

गोलमेज सम्मेलन

- भारत के वायसराय, लॉर्ड इरविन और ब्रिटेन के प्रधान मंत्री, रैमसे मैकडोनाल्ड, 31 अक्टूबर, 1929 को लॉर्ड इरविन द्वारा घोषित गोलमेज सम्मेलनों के लिए सहमत हुए।

प्रथम गोलमेज सम्मेलन

- पहला सम्मेलन जिसमें अंग्रेजों और भारतीयों के साथ समान व्यवहार किया गया।
- कांग्रेस और कारोबारी नेता शामिल नहीं हुए।
- मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, राजकुमारों, अछूतों और सिखों दो महिलाओं, बेगम जहांआरा शाहनवाज और राधाबाई सुब्बारायण ने सम्मेलन में भाग लिया।
- अन्य जिन्होंने भाग लिया: उदारवादी, भारतीय ईसाई, यूरोपीय, बिहार, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा के जमींदार, कार्यकर्ता और जस्टिस पार्टी।
- दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व बी.आर. अम्बेडकर और रेट्टमलाई श्रीनिवासन।
- भारत सरकार का प्रतिनिधित्व नरेंद्र नाथ कानून, भूपेंद्र नाथ मित्रा, सी.पी. रामास्वामी अय्यर, और एम. रामचंद्र राव।
- कांग्रेस की गैर-उपस्थिति के कारण सम्मेलन विफल हो गया। भारत में सविनय अवज्ञा जारी रही।

दूसरा गोलमेज सम्मेलन

- स्थान: लंदन में 7 सितंबर, 1931 से 1 दिसंबर, 1931 तक।
- सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधीजी ने किया था
- ए. रंगास्वामी अयंगर और मदन मोहन मालवीय भी सम्मेलन में उपस्थित थे।
- रियासतें, आगा खान III के नेतृत्व में मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, उदारवादी, जस्टिस पार्टी, सिख, पारसी, भारतीय ईसाई, उद्योग, मजदूरने भाग लिया।
- दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व बी.आर. अम्बेडकर और रेट्टमलाई श्रीनिवासन।
- सरोजिनी नायडू, बेगम जहांआरा शाहनवाज और राधाबाई सुब्बारायण ने सम्मेलन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया।
- बर्मा, सिंध, असम, मध्य प्रांत और एनडब्ल्यूएफपी के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
- सी.पी. रामास्वामी अय्यर, नरेंद्र नाथ लॉ और एम. रामचंद्र राव ने भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया।
- गांधीजी ने केंद्र के साथ-साथ प्रांतों में भी एक जिम्मेदार सरकार की तत्काल स्थापना की मांग रखी।
- उन्होंने मुसलमानों और अछूतों के लिए अलग निर्वाचक मंडल के विचार को भी खारिज कर दिया क्योंकि वे भी हिंदू थे।
- अल्पसंख्यकों के सवाल पर गतिरोध के साथ सम्मेलन समाप्त हुआ।
- मुसलमानों, दलित वर्गों, ईसाइयों और एंग्लो-इंडियन के बीच एक "अल्पसंख्यक संधि" पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने अलग निर्वाचक मंडल की मांग की।
- रियासतें भी संघ के विचार का समर्थन नहीं करती थीं।
- समूहों के बीच सहमति की कमी के कारण, मैकडोनाल्ड की निम्नलिखित घोषणा के साथ सम्मेलन समाप्त हुआ:
  - दो मुस्लिम बहुल प्रांत उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत (NWFP) और सिंधू की स्थापना
  - भारतीय परामर्शदात्री समिति की स्थापना
  - वित्त, मताधिकार और राज्यों के लिए तीन विशेषज्ञ समितियों की स्थापना

- अल्पसंख्यकों के सवाल पर भारतीय सहमत होने में विफल रहने पर एकतरफा ब्रिटिश सांप्रदायिक पुरस्कार।
- लंदन की सरकार ने स्वतंत्रता की बुनियादी भारतीय मांग को मानने से इनकार कर दिया।
- 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी खाली हाथ भारत लौटे।

तीसरा गोलमेज सम्मेलन

- अवधि: 17 नवंबर, 1932 और 24 दिसंबर, 1932 से के बीच।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या गांधीजी ने भाग नहीं लिया।
- सम्मेलन में देशी रियासतों ने भाग लिया।
- आगा खान III के नेतृत्व में मुस्लिम लीग, बी.आर. अम्बेडकर ने सम्मेलन में भाग लिया।
- मार्च 1933 में सम्मेलन की सिफारिशों के साथ एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया था।
- सिफारिशों का अध्ययन करने और भारत के लिए एक नया अधिनियम तैयार करने के लिए एक संयुक्त चयन समिति का गठन किया गया था।
- समिति की सिफारिशों के आधार पर, फरवरी 1935 में एक मसौदा विधेयक प्रस्तुत किया गया था जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम के रूप में लागू किया गया था।

सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू करना

- दिसंबर 1931: दूसरे गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू हुआ।
- इस प्रकार वायसराय विलिंगडन ने 31 दिसंबर को गांधीजी के साथ बैठक करने से इनकार कर दिया और 4 जनवरी, 1932 को गांधीजी को गिरफ्तार कर लिया गया।

सरकारी कार्रवाई

- सरकार ने दमनकारी अध्यादेशों की एक श्रृंखला जारी की और देश में "सिविल मार्शल लॉ" लागू किया गया।
- सभी स्तरों पर कांग्रेस संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया
- कार्यकर्ता नेताओं और उनके हमदर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गईं
- महिलाओं पर अत्याचार किया गया और गांधी के आश्रमों पर कब्जा कर लिया गया।
- प्रेस का गला घोंट दिया गया और राष्ट्रवादी साहित्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

लोकप्रिय प्रतिक्रिया

- देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए।
- सत्याग्रहियों को पहले चार महीनों में ही गिरफ्तार कर लिया गया था।
- विरोध के अन्य रूपों में शामिल हैं: दुकानों का धरना, अवैध सभा, अहिंसक प्रदर्शन, राष्ट्रीय दिवस का उत्सव, राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीकात्मक फहराना, चौकीदार कर का भुगतान न करना, नमक सत्याग्रह, वन कानून का उल्लंघन आदि।
- लेकिन जल्द ही आंदोलन ने अपनी गति खो दी क्योंकि जनता तैयार नहीं थी।
- अप्रैल 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया।

सांप्रदायिक पुरस्कार और पूना पैक्ट

- 16 अगस्त, 1932 को ब्रिटिश प्रधान मंत्री, रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित।
- यह पुरस्कार भारतीय मताधिकार समिति (लोथियन समिति) के निष्कर्षों पर आधारित था।
- यह पुरस्कार अलग निर्वाचक मंडलों और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों के लिए प्रदान किया गया, जिसमें दलित वर्ग भी शामिल थे, जिन्हें 78 आरक्षित सीटें दी गई थीं।
- कांग्रेस ने इस पुरस्कार को बांटो और राज करो का एक और ब्रिटिश हथियार माना।

सांप्रदायिक पुरस्कार के मुख्य प्रावधान

- मुस्लिम, यूरोपीय, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो-इंडियन, दलित वर्ग, महिलाएं और यहां तक कि मराठों के लिए अलग मतदाता।
- दलित वर्गों के लिए ऐसी व्यवस्था 20 साल के लिए की जानी थी।
- प्रांतीय विधानसभाओं में सीटों का सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व।
- प्रांतीय विधायिकाओं की मौजूदा सीटों को दोगुना करना।
- उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत को छोड़कर सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 3% सीटें आरक्षित की जानी थीं।
- दलित वर्गों को अल्पसंख्यक घोषित किया जाना है।
- दलित वर्गों को 'दोहरा वोट' प्रदान करना , एक को अलग निर्वाचक मंडलों के माध्यम से इस्तेमाल किया जाना था और दूसरे को सामान्य मतदाताओं में इस्तेमाल किया जाना था।
- मजदूरों, जमींदारों, व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए सीटों का आवंटन किया जाना था।

गांधी की प्रतिक्रिया

- सांप्रदायिक पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह भारतीय एकता और राष्ट्रवाद पर हमला था।
- सार्वभौमिक मताधिकार के माध्यम से पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर संयुक्त निर्वाचक मंडल की मांग की।
- 20 सितंबर 1932: गांधीजी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध करने के लिए आमरण अनशन किया।
- गांधीजी और अम्बेडकर के बीच एक गतिरोध पैदा हो गया था, जो दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल के पक्ष में थे।

पूना पैक्ट

- गांधी और डॉ. बी.आर. अम्बेडकर(दलित वर्गों की ओर से) के बीच हस्ताक्षरित
- इसने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल के विचार को त्याग दिया और इसके बजाय प्रांतीय विधानसभाओं में

उनके लिए आरक्षित सीटों को 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया।
- केंद्रीय विधायिका को सभी सीटों का 18% दलित वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षित करना पड़ा।
- हिंदुओं और दलित वर्गों के बीच एक संयुक्त मतदाता।
- इस समझौते को सरकार ने स्वीकार कर लिया था।
- पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने के बाद भी डॉ. बी.आर. अम्बेडकर 1947 तक पूना पैक्ट की निंदा करते रहे।

हरिजनों के लिए और अस्पृश्यता के खिलाफ गांधी का अभियान

- गांधीजी ने दलित वर्गों और अछूतों को 'हरिजन' (भगवान के लोग) के रूप में नामित किया।
- सितम्बर 1932: यरवदा जेल (पूना) में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की गई।
- जनवरी 1933: साप्ताहिक हरिजन की शुरुआत हुई।
- यरवदा जेल से रिहा होने के बाद, वर्धा में सत्याग्रह आश्रम में चले गए क्योंकि उन्होंने 1930 में साबरमती आश्रम में वापस नहीं लौटने की कसम खाई थी जब तक कि स्वराज नहीं जीता गया।
- हरिजन सेवक संघ की स्थापना- इसके लिए उन्होंने वर्धा से शुरू होकर नवंबर 1933 से जुलाई 1934 तक सभी रूपों में अस्पृश्यता को दूर करने का प्रचार करते हुए देश का दौरा किया।
- अस्पृश्यता के पूर्ण उन्मूलन का आह्वान किया और अछूतों के लिए मंदिर खुले रखने को कहा।
- केवल अस्पृश्यता को दूर करने के लिए लड़े न कि अंतर्जातीय विवाह और अंतर्भोजन के लिए क्योंकि उन्हें लगा कि इस तरह के प्रतिबंध स्वयं सवर्ण हिंदुओं और हरिजनों के बीच मौजूद हैं।
- गांधीजी के अनुसार, जाति व्यवस्था में दोष हो सकते हैं लेकिन जातिवाद का अभ्यास करने में कोई पाप नहीं था।
- हालाँकि, उन्होंने छुआछूत को पाप माना।
- इस बिंदु पर, वह अम्बेडकर से भिन्न थे, जिन्होंने अस्पृश्यता को दूर करने के लिए जाति व्यवस्था के उन्मूलन की वकालत की थी।

गांधीजी और अम्बेडकर- वैचारिक समानताएं और मतभेद

समानताएँ

- उनके कार्यों में प्रतीकवाद: बहिष्कार आंदोलन के दौरान गांधीजी द्वारा विदेशी कपड़े को जलाना और अम्बेडकर द्वारा मनुस्मृति को जलाना। ये दोनों वस्तुएं भारत के लिए बंधन और गुलामी का प्रतिनिधित्व करती थीं।
- सविनय अवज्ञा का गांधी का विचार समुद्र से एक चुटकी नमक उठा रहा था, और अम्बेडकर के लिए, यह महाड टैंक से पानी की एक बूंद थी।
- लोगों को परिवर्तन, सुधार और एकीकरण की मांग करने के लिए उचित शिक्षा के विचार पर दोनों नेताओं को विश्वास था।
- दोनों का मानना था कि कम से कम शासन सबसे अच्छा शासन है।
- लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीकों से सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य से

मतभेद

- अम्बेडकर ने स्वतंत्र भारत के लिए सरकार की संसदीय प्रणाली की वकालत की, जबकि गांधीजी ने ऐसा नहीं किया।
    - अम्बेडकर को शाही शासकों द्वारा स्वतंत्रता प्रदान करने की अपेक्षा थी।
- अम्बेडकर के विचार ने भारतीय भिन्नता को और अधिक उजागर किया जबकि गांधी जी ने भारतीय एकता के पहलू को दिखाने की कोशिश की।
- गांधीजी हमेशा मानते थे कि भारत साम्राज्यवादी सत्ता के आने से पहले एक राष्ट्र था जैसा कि उनकी पुस्तक 'हिंद स्वराज' में उल्लेख किया गया है।
    - अम्बेडकर का मानना था कि भारतीय एकता अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई कानूनी व्यवस्था का उपोत्पाद थी।
- गांधीजी के लिए, 'ग्रामराज' 'रामराज' था और भारतीयों के लिए वास्तविक स्वतंत्रता थी।
    - जबकि, अम्बेडकर के लिए, 'ग्रामराज' का अर्थ भेदभाव और असमानता पर आधारित सामाजिक पदानुक्रम था।
- गांधीजी ने दलित वर्गों और अछूतों को 'हरिजन' नाम दिया, अम्बेडकर ने इसे एक चतुर योजना और राजनीतिक नौटंकी कहा।
- अम्बेडकर वेदों और अन्य हिंदू शास्त्रों में विश्वास नहीं करते थे।
    - गांधीजी ने अपने विचारों को वेदों और अन्य शास्त्रों से विकसित किया।
- अम्बेडकर ने राज्य और धर्म को अलग करने की वकालत की, जिसे गांधी जी ने कभी स्वीकार नहीं किया।
- अम्बेडकर ने पूर्ण अहिंसा को एक अंत और सापेक्ष हिंसा को एक साधन के रूप में रखा, जबकि गांधीजी ने किसी भी तरह की हिंसा का विरोध किया।
- अम्बेडकर साध्य की पवित्रता में विश्वास करते थे जबकि गांधी जी का मानना था कि साधनों की शुद्धता ही साध्य निर्धारित करती है।
- गांधीजी ने जनता के साथ संवाद करने के लिए स्थानीय स्थानीय भाषा का इस्तेमाल किया, जबकि अम्बेडकर ने अंग्रेजी में बात की।
- गांधीजी का मानना था कि अछूत पूरे हिंदू का हिस्सा थे, जबकि अम्बेडकर अछूतों को एक धार्मिक अल्पसंख्यक मानते थे न कि हिंदू समुदाय का हिस्सा।

भारत सरकार अधिनियम, 1935

- इसने प्रांतों और रियासतों के घटकों के रूप में एक अखिल भारतीय संघ के गठन का आह्वान किया।
- केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों के बंटवारे के लिए संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची का उपयोग किया गया था।
  - वायसराय को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गईं। हालाँकि, यह संघ कभी सफल नहीं हुआ क्योंकि रियासतों ने भाग लेने से इनकार कर दिया था।
- इसने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और इसे "प्रांतीय स्वायत्तता" से बदल दिया।
- कानून ने प्रांतों में जिम्मेदार सरकार की स्थापना की, राज्यपाल को उन मंत्रियों की सलाह पर कार्य करने की आवश्यकता थी जो प्रांतीय विधानसभा के प्रति जवाबदेह थे।
- इसने केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना का आह्वान किया। हालाँकि, इस खंड को कभी लागू नहीं किया गया था।
- द्विसदनीयवाद छह प्रांतों, बंगाल, बॉम्बे मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत में पेश किया गया था।
- गरीबों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल भी स्थापित किए गए थे।
- भारतीय परिषद का गठन करने वाले 1858 के क़ानून को निरस्त कर दिया गया था। इसके बजाय, राज्य के सचिव को सलाहकारों का एक स्टाफ दे दिया गया।
- संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, संघीय न्यायालय और भारतीय रिजर्व बैंक सभी कानून के तहत स्थापित किए गए थे।

1937 के प्रांतीय चुनाव

- सिंध, बंगाल, पंजाब, असम और एनडब्ल्यूएफपी को छोड़कर अधिकांश प्रांतों में कांग्रेस जीती।
- असम और एनडब्ल्यूएफपी में कांग्रेस द्वारा गठबंधन सरकार बनाई गई थी।
- पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, जबकि बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग की जीत हुई।
- कांग्रेस ने ग्यारह में से सात प्रांतों में मंत्रालय बनाए।
- कांग्रेस मंत्रालयों के तहत निम्न काम किये
  - सार्वजनिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए कांग्रेस के मंत्रालयों ने कई सकारात्मक बदलाव किये
  - सार्वजनिक कार्यों के लिए धन एकत्र करने के लिए स्वयं के खर्च में कटौती करना।
  - शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाए।
  - ट्रेड यूनियनों और किसान सभाओं की स्थापना को बढ़ावा दिया
  - राजनीतिक बंदियों की रिहाई
  - प्रेस और अवैध संगठनों पर से प्रतिबंध हटा लिया गया।
  - आपातकालीन शक्तियां देने वाले कानूनों को निरस्त कर दिया गया
  - जब्त हथियार और शस्त्र लाइसेंस बहाल किए गए
  - सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा जब्त की गई भूमि की बहाली।
  - सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े अधिकारियों की पेंशन की बहाली।
  - जेल सुधार
  - खादी का प्रचार
- कांग्रेस की अतिरिक्त संसदीय गतिविधियों में शामिल हैं-
  - जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक करने के लिए जन साक्षरता अभियान शुरू करना।
  - जनता की शिकायत निवारण के लिए कांग्रेस के पुलिस थाने और पंचायतें स्थापित की गईं।

कांग्रेस के हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन

- **हरिपुरा अधिवेशन (1938):** सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया।
- राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया।
- **1939:** बोस ने फिर से त्रिपुरी (वर्तमान मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास) में होने वाले कांग्रेस के आगामी दिसंबर सत्र के लिए अध्यक्ष की उम्मीदवारी के लिए खड़े होने का फैसला किया।
- गांधीजी ने पट्टाभि सीतारमैया को अपना समर्थन देने की घोषणा की।
- हालांकि, बोस ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्टों के समर्थन से सीट जीती।
- बोस ने अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ गांधीजी का समर्थन हासिल करने की कोशिश की।
- ऐसा करने में विफल रहने पर, उन्होंने अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए।

द्वितीय विश्व युद्ध (1939)

- राष्ट्रवादी नेताओं से परामर्श किए बिना ब्रिटेन ने भारत को अंग्रेजों के सहयोगी के रूप में युद्ध में घसीटा।
- इसने उन भारतीयों को क्रोधित कर दिया जिन्हें युद्ध के बाद अपने भाग्य के बारे में अंग्रेजों द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।
- सुभाष चंद्र बोस और नेहरू ने अंग्रेजों के इस फैसले की आलोचना की क्योंकि उनका मानना था कि युद्ध साम्राज्यवाद, विलय और उपनिवेशों के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए लड़ा जा रहा था।
- कांग्रेस ने दो शर्तों के पूरा होने पर ही युद्ध के प्रयास में सहयोग करने का निर्णय लिया

- एक स्वतंत्र भारत के राजनीतिक ढांचे को निर्धारित करने के लिए युद्ध के बाद एक संविधान सभा बुलाई जानी चाहिए।
- केंद्र में तुरंत किसी तरह की जिम्मेदार सरकार की स्थापना की जानी चाहिए।

- वायसराय लिनलिथगो ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

वर्धा में सीडब्ल्यूसी (कांग्रेस वर्किंग कमिटी) की बैठक (10-14 सितंबर, 1939)

- गांधीजी ने मित्र देशों की शक्तियों को बिना शर्त समर्थन दिया क्योंकि वे युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार को शर्मिंदा करने के लिए तैयार नहीं थे।
- गांधीजी के फैसले के खिलाफ: सुभाष चंद्र बोस और अन्य समाजवादियों, जैसे आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण।
- उन्होंने सोचा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने और भारत की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए स्थिति का लाभ उठाने का समय आ गया है क्योंकि ब्रिटिश युद्ध लड़ने में व्यस्त थे।
- जवाहरलाल नेहरू ने भारत के स्वतंत्र होने तक किसी भी भारतीय भागीदारी की वकालत नहीं की।
- गांधीजी ने अंत में नेहरू की स्थिति का समर्थन किया, जिसे कांग्रेस कार्य समिति ने भी स्वीकार कर लिया।
- सीडब्ल्यूसी ने एक प्रस्ताव पेश करते हुए कहा-
  - भारत लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के लिए अपने युद्ध प्रयासों में अंग्रेजों का समर्थन नहीं कर सका, क्योंकि भारत को उस स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा था।
  - ब्रिटेन को अपने उपनिवेशों में साम्राज्यवाद को समाप्त करना चाहिए और भारत में पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना करनी चाहिए
  - अंग्रेजों को जल्द ही भारत के लिए अपने युद्ध लक्ष्य घोषित करने चाहिए।

कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा

- 28 महीने के शासन के बाद अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने विरोध में इस्तीफा दे दिया।
- 22 दिसंबर 1939: कांग्रेस के मंत्रालयों ने युद्ध से अपनी भागीदारी वापस ले ली।
- जिन्ना ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया।
- जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन किया।

कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन (मार्च 1940)

- अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की
- कांग्रेस के मंत्रालयों के इस्तीफे के बाद, अब सभी नेता इस बात पर सहमत हो गए कि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ा जाना चाहिए।
- इसका रूप और समय गांधीजी पर तय करने के लिए छोड़ दिया गया था।
- गांधीजी अपने युद्ध में अंग्रेजों को नैतिक रूप से समर्थन देने के पक्ष में थे, हालांकि, जवाहरलाल नेहरू ने दोहराया कि ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों में कांग्रेस के समर्थन के लिए भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता एक पूर्व शर्त है।
- सुभाष बोस औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहते थे।
- इस अधिवेशन में अंततः यह निर्णय लिया गया कि कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता से कम नहीं है।
- संकट की स्थिति में कांग्रेस जल्द ही सविनय अवज्ञा का सहारा लेगी।

सुभाष चंद्र बोस

- अध्यक्ष: बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी।
- उन्होंने तथा जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट (1928) का समर्थन नहीं किया, जिसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की उम्मीद थी।
- बोस ने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के निर्णय का पूर्ण समर्थन किया और कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में 'पूर्ण स्वराज' को अपनाया।
- उन्होंने नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया।
- वह 1931 के गांधी-इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने के पूरी तरह खिलाफ थे क्योंकि सरकार ने भगत सिंह और उनके सहयोगियों के लिए मौत की सजा पर बातचीत करने से इनकार कर दिया था।
- जब ब्रिटिश द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य में थे, बोस गांधीजी के नेतृत्व में एक जन संघर्ष शुरू करना चाहते थे, हालांकि, गांधीजी अपने विश्वास में दृढ़ थे कि समय सही नहीं था क्योंकि इसका मतलब बुरी परिस्थितियों में दुश्मन का फायदा उठाना होगा। उनके अनुसार पूर्ण संघर्ष के लिए जनता अभी तैयार नहीं थी।
- मई 1939 में, बोस और उनके अनुयायियों ने कांग्रेस के भीतर एक नई पार्टी के रूप में फॉरवर्ड ब्लॉक (मकुर, उन्नाव में) का गठन किया।
- कांग्रेस कार्यसमिति ने बोस के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की: अगस्त 1939 में, उन्हें बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और कांग्रेस में किसी भी पद पर रहने से तीन साल के लिए वंचित कर दिया गया।
- बोस ने इटली के फासीवादियों और जर्मनी के नाजियों में अनुशासन और व्यवस्थित दृष्टिकोण जैसे कुछ गुणों की प्रशंसा की।

गांधी और बोस: वैचारिक मतभेद

	गांधी जी	सुभाष चंद्र बोस
अहिंसा बनाम उग्रवादी दृष्टिकोण	• अहिंसा के दृढ़ विश्वासी: अहिंसा और सत्याग्रह की वकालत की	• हिंसक साधनों पर विश्वास- सशस्त्र क्रांति; केवल वही भारत से औपनिवेशिक शक्तियों को बाहर निकाल सकता था।
साधन बनाम साध्य	• साधन और साध्य समान रूप से अच्छे होने चाहिए। • विश्व युद्धों के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया, जबकि उम्मीद थी कि वे भारत को आजादी देकर एहसान वापस करेंगे।	• केवल कार्रवाई के परिणाम पर विश्वास । • स्वतंत्रता केकार्य को आगे बढ़ाने के लिए यूरोप में युद्ध की स्थिति का लाभ उठाना चाहते थे।
शासन	• गांधीजी ने राज्य को आदर्श बनाया और राजनीतिक के साथ-साथ आर्थिक शक्ति के विकेंद्रीकरण में विश्वास किया। • मूल इकाई एक गाँव थी, जिसे एक आत्मनिर्भर गणतंत्र या पंचायत के रूप में कार्य करना चाहिए।	• एक राज्यविहीन समाज में विश्वास करने वाले, • पार्टी प्रणाली पर संदेह करते थे, और मानते थे कि प्रतिनिधि लोकतंत्र लोगों को न्याय प्रदान नहीं कर सकता।
अधिकार बनाम कर्तव्य	• कर्तव्यों पर अधिक जोर	• अधिकारों पर अधिक ध्यान दें।
सैन्यवाद	• सत्य, अहिंसा और आत्म-नियमन मुख्य सिद्धांत थे। सैन्यवाद के खिलाफ था।	• सैन्य अनुशासन के लिए गहराई से आकर्षित।
आर्थिक विचार	• राज्य के नियंत्रण के बिना विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में विश्वास। • पूंजीवाद और पश्चिमी समाजवाद दोनों के विचार का विरोध किया। • बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण के खिलाफ था। • वह व्यक्तिगत श्रम को कम करने वाले उपकरणों और मशीनरी के खिलाफ नहीं थे। • ग्राम सर्वोदयके विचार को विकसित किया। • न्यासियों का सिद्धांत रखा	• बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण में विश्वास • राष्ट्रीय सरकार को सलाह देने के लिए योजना आयोग का गठन किया जाएगा। • जमींदाजी का उन्मूलन और कृषि ऋण का परिसमापन • समाजवाद के विचार के पक्षधर, जैसा कि समाजवाद ने औद्योगीकरण को पूर्वकल्पित किया था।
धर्म	• गांधीजी धर्म के व्यक्ति थे। • उनका मानना था कि गरीबों की सेवा करने और उनमें भगवान की पहचान करने के अलावा भगवान की पूजा करने का कोई बेहतर तरीका नहीं था • विश्वास किया गया धर्म एक बाध्यकारी शक्ति है न कि विभाजित करने वाली शक्ति।	• उपनिषद की शिक्षाओं में विश्वास रखते थे। वह भगवद गीता का सम्मान करते थे और विवेकानंद से प्रेरित थे। • वह धर्म के आधार पर पूर्ण गैर-भेदभाव के पक्षधर थे।
जातिप्रथा और छुआछूत	• छुआछूत के उन्मूलन के लिए वकालत की। • वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया और माना कि जाति के नियम शाश्वत हैं, और सामाजिक सद्भाव का आधार बने।	• समतामूलक, जातिविहीन और वर्गविहीन समाज में विश्वास रखते थे। • सामाजिक असमानता, अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था को खारिज किया। • अंतर्जातीय विवाह का समर्थन।

महिलाओ की स्थिति	• महिलाओं को उनके घरों से बाहर निकाला और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की अनुमति दी। • बाल विवाह, दहेज प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या और विधवाओं के इलाज जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। • लैगिक समानता में विश्वास	• महिलाओं को भी पुरुषों की तरह स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेना चाहिए। • उन्होंने महिलाओं के लिए एक अलग योजना आयोग की स्थापना की जिसकी अध्यक्षता रानी लक्ष्मी भाई राजावाड़े ने की • उन्होंने 1943 में आईएनए में एक महिला रेजिमेंट का गठन किया, जिसका नाम झांसी की रानी रेजिमेंट था, और चाहते थे कि महिलाएं भारतीय राष्ट्रीय सेना में सैनिकों के रूप में सेवा करें। • नारी मुक्ति, शिक्षा (औपचारिक और व्यावसायिक दोनों) में विश्वास, पर्दा प्रथा का उन्मूलन, और विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया।
शिक्षा	• आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा और शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के उपयोग के खिलाफ। • उनका मानना था कि शिक्षा में बौद्धिक और संज्ञानात्मक विकास के साथ-साथ शारीरिक प्रशिक्षण और उच्च नैतिक सिद्धांत शामिल होने चाहिए। • हिंदू धर्मग्रंथों को शिक्षा का हिस्सा बनाना चाहते थे। • 1937 में अपनी नई तालीम योजना या सभी के लिए बुनियादी शिक्षा की कल्पना की। • व्यावसायिक शिक्षा पर जोर	• उच्च शिक्षा का समर्थन किया, विशेष रूप से तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में। • चाहते थे कि छात्र विदेश में उच्च अध्ययन करें।

स्वतंत्रता की ओर (1940-1947)

1940 से 1947 की अवधि को सौदेबाजी की अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसमें सरकार ने प्रस्ताव दिए और कांग्रेस के राष्ट्रवादियों ने उन प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया दी।

मुस्लिम लीग का लाहौर प्रस्ताव (1940)

- मार्च 1940: मुस्लिम लीग ने "पाकिस्तान प्रस्ताव" पारित किया और मुसलमानों के लिए एक अलग स्वायत्त क्षेत्र की मांग रखी।
- इसने उन सभी क्षेत्रों का समूह बनाने की मांग की जहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे।
- इससे पहले, सर मुहम्मद इकबाल ने एनडब्ल्यूएफपी, बलूचिस्तान, सिंध और कश्मीर को संघ के भीतर एक स्वायत्त मुस्लिम राज्य में शामिल करने का सुझाव दिया था।
- वाही थे जिन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र के आंदोलन को प्रेरित किया।
- "पाकिस्तान" शब्द गढ़ने का श्रेय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली को जाता है।

अगस्त प्रस्ताव (1940)

- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हिटलर के अधीन जर्मनी की सफलता और बेल्जियम, हॉलैंड और फ्रांस के पतन ने इंग्लैंड के विचारो को प्रभावित किया।
- जैसे-जैसे यूरोप में युद्ध परिस्थितिया बदल रही थी, कांग्रेस इस दुविधा में थी कि युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन किया जाए या उनका फायदा उठाया जाए।
- गांधीजी और नेहरू ब्रिटेन की स्थिति का फायदा उठाने के विचार के सख्त खिलाफ थे।
- समझौता करने को तैयार कांग्रेस ने सरकार से युद्ध काल के दौरान उसे अंतरिम सरकार बनाने की अनुमति देने को कहा।
- सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक वैकल्पिक समाधान निकाला।
- लिनलिथगो ने युद्ध में भारतीयों का समर्थन हासिल करने के लिए 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव दिया।

प्रस्ताव

- भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाना है।
- वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार जिसमें अधिकांश भारतीय होंगे (प्रमुख राजनीतिक दलों से लिया गया)
- युद्ध के बाद एक संविधान सभा की स्थापना जहां मुख्य रूप से भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे।
- भविष्य के संविधान के लिए अल्पसंख्यकों की सहमति को ली जाएगी।
- युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना

अगस्त ऑफर पर प्रतिक्रिया

- कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि राष्ट्रीय सरकार के लिए कोई आश्वासन नहीं था। नेहरू ने कहा, "डोमिनियन स्टेटस कॉन्सेप्ट एक डोरनेल के रूप में मरा हुआ है।"
- गांधीजी के अनुसार, प्रस्ताव ने राष्ट्रवादियों और ब्रिटिश शासकों के बीच की खाई को चौड़ा कर दिया था।
- मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया क्योंकि इसने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय किए।

अगस्त ऑफर का मूल्यांकन

- पहली बार, भारतीयों के संविधान का मसौदा तैयार करने के निहित अधिकार को मान्यता दी गई और संविधान सभा की कांग्रेस की मांग को स्वीकार कर लिया गया।
- डोमिनियन स्टेटस को स्पष्ट रूप से पेश किया गया था।
- वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार।
- 12 सदस्यों में से 8 भारतीय थे।
- ब्रिटिश रक्षा, वित्त और गृह जैसे महत्वपूर्ण विभागों के प्रभारी बने रहे।

व्यक्तिगत सत्याग्रह (1941)

- सविनय अवज्ञा आंदोलन की विफलता पर गांधीजी द्वारा शुरू किया गया।
- युद्ध के दौरान भारत के समर्थन के अंग्रेजों के दावे ने कांग्रेस को नाराज कर दिया।
- अंग्रेजों ने एक अध्यादेश के बाद भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता और संघों को व्यवस्थित करने का अधिकार छीन लिया।
- गांधी जी ने सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया ।
- सत्याग्रहियों ने युद्ध के खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की मांग की।
- यदि सत्याग्रहियों को सरकार द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया था, तो वे अपना सत्याग्रह जारी रखेंगे और गांवों में जाकर दिल्ली की ओर एक मार्च शुरू करेंगे, जो 'दिल्ली चलो आंदोलन' के रूप में सामने आया।
- 1940 में विनोबा भावे वर्धा, महाराष्ट्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे और नेहरू दूसरे और उसके बाद ब्रह्म दत्त थे।

गांधीजी ने नेहरू को अपना उत्तराधिकारी नामित किया

- दिसंबर 1941: कांग्रेस नेताओं को जेल से रिहा किया गया, ब्रिटिश युद्ध के बीच में थे और जापान के आक्रामक कार्यों के कारण उन्हें झटका लगा ।
- कांग्रेस वर्किंग कमिटी (CWC) सहयोगी दलों की मदद करने के लिए उत्सुक थी और अपने निर्णय पर गांधी और नेहरू की आपत्तियों को खारिज कर दिया।
- सीडब्ल्यूसी ने युद्ध में सरकार का समर्थन करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, इस शर्त पर कि
  - युद्ध के बाद पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी
  - सत्ता का तुरंत स्थानांतरण होगा।
- नेहरू ने विश्वसनीय रूप से भारत के बहुलवादी, समावेशी विचारों को प्रतिबिंबित किया जिनका महात्मा गाँधी ने समर्थन किया था

जून 1941: जर्मनी ने रूस पर हमला किया और रूस को युद्ध में घसीटा।
दिसंबर 1941: जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया।
मार्च 1942: लगभग पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया पर कब्जा करने के बाद, जापान ने रंगून पर कब्जा कर लिया।

द क्रिप्स मिशन (1942)

- अगस्त प्रस्ताव की विफलता के बाद, स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन को युद्ध में भारतीय समर्थन प्राप्त करने के लिए मार्च 1942 में भारत भेजा गया।
- दक्षिण-पूर्व एशिया में ब्रिटेन द्वारा झेली गई पराजय और भारत पर आक्रमण करने की जापानी धमकी ने अंग्रेजों को सचेत कर दिया।
- ब्रिटेन पर युद्ध में भारतीय सहयोग लेने का दबाव था।
- स्टैफोर्ड क्रिप्स ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सक्रिय समर्थन किया था। वह एक वामपंथी मजदूर, हाउस ऑफ कॉमन्स का नेता और ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल का सदस्य था।

मुख्य प्रस्ताव

- युद्ध के बाद भारत के लिए डोमिनियन का दर्जा
- भारत राष्ट्रमंडल, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ अपने संबंधों को तय करने के लिए स्वतंत्र है।
- युद्ध की समाप्ति के बाद, एक नया संविधान बनाने के लिए ब्रिटिश भारत के सदस्यों के साथ-साथ रियासतों की एक संविधान सभा बुलाई जाएगी।
- इसने मुसलमानों को आत्मनिर्णय के अधिकार और पाकिस्तान के निर्माण से वंचित कर दिया।
- इसी तरह, उदारवादी, सिख, दलित वर्ग और हिंदू महासभा जैसे अन्य सभी प्रमुख दलों ने प्रांतों के अलग होने के अधिकार पर आपत्ति जताई।
- स्टैफोर्ड क्रिप्स खाली हाथ घर लौट आए क्योंकि यह राष्ट्रवादी नेताओं की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा।

भारत छोड़ो आंदोलन (1942)

- क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधीजी और कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया।
- 14 जुलाई 1942 को सीडब्ल्यूसी की वर्धा में बैठक हुई जिसमे संघर्ष के विचार को स्वीकार किया गया।
- क्रिप्स मिशन की विफलता ने संवैधानिक प्रगति पर अंग्रेजों के अपरिवर्तित रवैये को उजागर कर दिया।
- लोगों को उनके भाग्य पर छोड़क रदक्षिण-पूर्व एशिया से ब्रिटिश निकासी ने, गोर लोगो की प्रतिष्ठा को तोड़ दिया और शासकों की भेदभावपूर्ण मानसिकता को उजागर किया।
- कीमतें बढ़ने और चावल, नमक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कम होने से जनता अधिक असंतुष्ट हो गई।

- क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधीजी और कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया।
- 14 जुलाई 1942 को सीडब्ल्यूसी की वर्धा में बैठक हुई जिसमे संघर्ष के विचार को स्वीकार किया गया।
- क्रिप्स मिशन की विफलता ने संवैधानिक प्रगति पर अंग्रेजों के अपरिवर्तित रवैये को उजागर कर दिया।
- लोगों को उनके भाग्य पर छोड़क रदक्षिण-पूर्व एशिया से ब्रिटिश निकासी ने, गोर लोगो की प्रतिष्ठा को तोड़ दिया और शासकों की भेदभावपूर्ण मानसिकता को उजागर किया।
- कीमतें बढ़ने और चावल, नमक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कम होने से जनता अधिक असंतुष्ट हो गई।

'भारत छोड़ो' का संकल्प

- 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालिया टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पारित किया गया था।
- प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित और सरदार पटेल द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- अगस्त 1942 में गांधीजी ने भारत छोड़ो का नारा दिया और 8 अगस्त की रात को उन्होंने "करो या मरो" का नारा दिया।
- संकल्प का उद्देश्य है-
- भारत में ब्रिटिश शासन का अंत
- ब्रिटिश वापसी के बाद भारत की एक अस्थायी सरकार का गठन।
- ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत।
- सभी प्रकार के फासीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ खुद को बचाने के लिए स्वतंत्र भारत की प्रतिबद्धता।

चरण

आंदोलन के तीन चरण थे-

प्रथम चरण	• शहरी विद्रोह, हड़ताल, बहिष्कार और धरना, जिसे जल्दी ही दबा दिया गया था। • पूरे देश में हड़तालें और प्रदर्शन हुए और श्रमिकों ने कारखानों में काम न करके समर्थन प्रदान किया। • गांधीजी को जल्द ही पुणे के आगा खान पैलेस में कैद कर दिया गया और लगभग सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।
द्वितीय चरण	• ग्रामीण इलाके मुख्या केंद्र , जहा एक प्रमुख किसान विद्रोह देखा गया जिसमे संचार प्रणाली को नष्ट कर दिया गया • जैसे रेलवे ट्रैक और स्टेशन, टेलीग्राफ तार और पोल, सरकारी भवनों पर हमले या औपनिवेशिक सत्ता का कोई अन्य प्रतीक।
तृतीय चरण	• अंतिम चरण में अलग-अलग इलाकों (बलिया, तमलुक, सतारा आदि) में राष्ट्रीय सरकारों या समानांतर सरकारों का गठन देखा गया।

विभिन्न वर्गों के लिए गांधी के सामान्य निर्देश

- सरकारी सेवक: इस्तीफा नहीं बल्कि कांग्रेस के प्रति निष्ठा की घोषणा करे।
- सैनिक: सेना में रहे और हमवतन पर गोली न चलाये।
- विद्यार्थी : आत्मविश्वास हो तो पढ़ाई छोड़ दें।
- किसान: यदि जमींदार सरकार विरोधी हैं, तो आपसी सहमति से लगान अदा करें, अन्यथा भुगतान न करें।
- राजकुमार: जनता का समर्थन करें।

आंदोलन का प्रसार

- प्रस्ताव पारित होने के एक दिन बाद, 1908 के आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के तहत कांग्रेस कार्य समिति, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति और प्रांतीय कांग्रेस समितियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
- पटेल और नेहरू जैसे सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और अज्ञात स्थानों पर ले जाया गया।
- सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी गई।
- प्रमुख नेता सलाखों के पीछे थे , एक युवा नेता अरुणा आसफ अली ने 9 अगस्त को कांग्रेस समिति के सत्र की अध्यक्षता की और झंडा फहराया।
- जनता ने महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों जैसे पुलिस स्टेशनों, डाकघरों, रेलवे स्टेशनों, टेलीग्राफ लाइनों आदि पर हमला किया और सार्वजनिक भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
- सरकारी इमारतों को जला दिया गया और संचार लाइनें बाधित हो गईं।
- संयुक्त प्रांत और बिहार में सबसे अधिक विरोध प्रदर्शन हुए।

भूमिगत गतिविधि

- राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, बीजू पटनायक, छोटूभाई पुराणिक, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी जैसे कई राष्ट्रवादी भूमिगत हो गए और विध्वंसक गतिविधियों में लग गए।
- उषा मेहता द्वारा बॉम्बे में एक भूमिगत रेडियो शुरू किया गया था।

समानांतर सरकारें

- बलिया (अगस्त 1942 में एक सप्ताह के लिए) चित्तू पांडे के नेतृत्व में, कांग्रेस नेताओं को रिहा कर दिया गया।
- तामलुक (मिदनापुर, दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक) जातीय सरकार के तहत, चक्रवात राहत कार्य।
- सतारा (1943 से 1945 के मध्य) - जिसका नाम "प्रति सरकार" रखा गया, का गठन वाई.बी. चव्हाण, नाना पाटिल, आदि द्वारा तालचेर (उड़ीसा) में।

सामूहिक भागीदारी का विस्तार

- छात्रों ने बड़ी संख्या में हड़ताल पर जाकर, जुलूसों में भाग लेकर, अवैध समाचार पत्र (पत्रिकाएँ) लिखकर और वितरित करके और भूमिगत नेटवर्क के लिए कूरियर एजेंट के रूप में कार्य करके बड़ी संख्या में भाग लिया।
- महिलाओं, विशेषकर स्कूल और कॉलेज की लड़कियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।
- अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी और उषा मेहता सबसे आगे थीं।
- अहमदाबाद, बॉम्बे, जमशेदपुर, अहमदनगर और पूना में मजदूरों की हड़ताल।
- किसानों और यहां तक कि कुछ जमींदारों की भागीदारी।
- कुछ सरकारी अधिकारियों ने आंदोलन में भाग लिया।
- मुसलमानों ने भूमिगत कार्यकर्ताओं को आश्रय प्रदान किया।
- आंदोलन के दौरान कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं देखा गया।
- व्यवसायियों (दान, आश्रय और सामग्री सहायता के माध्यम से), छात्रों, ग्रामीणों (अधिकार को सूचना देने से इनकार करके), पायलट और ट्रेन चालक (बम और अन्य सामग्री वितरित करके) और पुलिस सहित सरकारी अधिकारियों द्वारा सक्रिय सहायता प्रदान की गई
- नाजी जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर हमला किए जाने के बाद, कम्युनिस्टों ने जर्मनी के खिलाफ ब्रिटिश युद्ध का समर्थन करना शुरू कर दिया।
- मुस्लिम लीग ने इस डर से आंदोलन का विरोध किया, कि हिंदुओं द्वारा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जाएगा।

- हिंदू महासभा ने आंदोलन का बहिष्कार किया।
- रियासतों ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दिखाई।
- उच्च वर्ग और नौकरशाही काफी हद तक सरकार के प्रति वफादार रहे।
- यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का आखिरी बड़ा आंदोलन था।

सरकारी दमन

- सरकार ने आंदोलन को बेरहमी से कुचल दिया।
- भीड़ पर लाठीचार्ज किया गया और फायरिंग की गई।
- लगभग 10,000 लोग मारे गए थे।
- कई शहरों में सैन्य शासन लगाया गया था
- भाग लेने वाले गांवों पर भारी जुर्माना लगाया गया।
- आन्दोलन नेतृत्व विहीन हो गया और हिंसा आम हो गई थी।

आंदोलन की सफलता

- **भविष्य के नेताओं का उदय :** राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, अरुणा आसफ अली, बीजू पटनायक, सुचेता कृपलानी आदि नेताओं ने भूमिगत गतिविधियों को अंजाम दिया, जो बाद में प्रमुख नेताओं के रूप में उभरे।
- **महिलाओं की भागीदारी :** आंदोलन में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। उषा मेहता जैसी महिला नेताओं ने एक भूमिगत रेडियो स्टेशन स्थापित करने में मदद की जिससे आंदोलन के बारे में जागरूकता पैदा हुई।
- **राष्ट्रवाद का उदय :** भारत छोड़ो आंदोलन के कारण एकता और भाईचारे की अधिक भावना पैदा हुई। कई छात्रों ने स्कूल-कॉलेज छोड़ दिए, लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी और बैंकों से पैसे निकाल लिए।
- **स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया :** जबकि 1944 में भारत छोड़ो आन्दोलन को कुचल दिया गया , और अंग्रेजों ने तत्काल स्वतंत्रता देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि यह युद्ध समाप्त होने के बाद ही हो सकता है, उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भारत को लंबे समय तक नियंत्रण में रखना संभव नही।
- इसने अंग्रेजों के साथ राजनीतिक बातचीत की प्रकृति को बदल दिया, अंततः भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया।

आंदोलन की कमियां

- आंदोलन में कुछ स्थानों पर हिंसा हुई जो पूर्व नियोजित नहीं थी।
- इस आंदोलन को अंग्रेजों ने क्रूरतापूर्वक दबा दिया
- नेतृत्व की कमी के कारण आंदोलन को अच्छी तरह से समन्वित मार्गदर्शन और प्रगति नही मिली , जिससे इसकी तीव्रता कुछ लोगो तक ही सीमित रही।
- समर्थन की कमी
- मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा और भारतीय नौकरशाही द्वारा समर्थन नहीं।
- लीग देश के विभाजन से पहले अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने के पक्ष में नहीं थी।
- कम्युनिस्ट पार्टी ने अंग्रेजों का समर्थन किया क्योंकि वे सोवियत संघ के साथ संबद्ध थे।
- हिंदू महासभा ने खुले तौर पर भारत छोड़ो आंदोलन के आह्वान का विरोध किया और इस आशंका के तहत आधिकारिक तौर पर इसका बहिष्कार किया कि यह आंदोलन आंतरिक अव्यवस्था पैदा करेगा और युद्ध के दौरान आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल देगा।
- इस बीच, सुभाष चंद्र बोस ने देश के बाहर से भारतीय राष्ट्रीय सेना और आजाद हिंद सरकार को संगठित किया।
- सी राजगोपालाचारी जैसे कई कांग्रेस सदस्यों ने प्रांतीय विधायिका से इस्तीफा दे दिया क्योंकि वे महात्मा गांधी के विचार का समर्थन नहीं करते थे।

गांधी के अनशन

- 10 फरवरी से 3 मार्च 1943: गांधीजी ने सरकार द्वारा उनकी गैरकानूनी नजरबंदी के खिलाफ उपवास (21 दिन- गांधीजी का सबसे लंबा उपवास) शुरू किया।
- उनके अनशन की जानकारी होने पर देश-विदेश में हड़ताल, धरना-प्रदर्शन के माध्यम से विरोध प्रदर्शन हुए।
- वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के तीन सदस्यों ने अनशन का विरोध करने के लिए इस्तीफा दे दिया।
- अनशन की उपलब्धियां
- जनता का मनोबल बढ़ा।
- ब्रिटिश विरोधी भावना को बल मिला।
- राजनीतिक गतिविधि के लिए एक अवसर प्रदान किया गया था।
- सरकार की मनमानी उजागर हुई।

1943 का बंगाल अकाल

- सबसे अधिक प्रभावित जिले: तमलुक-कोंताई-डायमंड हार्बर क्षेत्र, ढाका, फरीदपुर, टिपेरा और नोआखली।
- प्रभाव: लगभग 1.5 से 3 मिलियन लोग भुखमरी, महामारी (मलेरिया, हैजा, चेचक) और चिकित्सा सहायता की कमी से मर गए।
- **अकाल के कारण**
    - खाद्य भंडार को युद्ध में लगी एक विशाल सेना को के लिए भेज दिया गया।
    - बर्मा और दक्षिण-पूर्व एशिया से चावल के आयात को रोकना।
    - खाद्य भंडार के कुप्रबंधन और मुनाफाखोरी और राशनिंग के तरीकों ने स्थिति को खराब कर दिया।
- एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल इस मामले की ओर चर्चिल (प्रधानमंत्री) का ध्यान आकर्षित करने के लिए लंदन गया, तब उन्होंने यह जवाब दिया गया - गांधी अभी तक मरे क्यों नहीं हैं ?

नोट :- 23 मार्च, 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया।

राजगोपालाचारी फॉर्मूला (1944)

- इसके नाम इसके प्रस्तावक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर सीआर फॉर्मूला रखा गया।
- उन्होंने 1944 में कांग्रेस-लीग सहयोग के लिए एक सूत्र तैयार किया।
- सूत्र पाकिस्तान के लिए लीग की मांग की एक मौन स्वीकृति थी।
- गांधीजी ने सूत्र का समर्थन किया।

सीआर फ़ॉर्मूला में मुख्य बिंदु

- उत्तर-पश्चिम और पूर्वी भारत में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की सीमाओं का सीमांकन करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति।
- मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग को स्वीकारकरेगी और अंतरिम सरकार के गठन में उनका समर्थन करेगी।
- युद्ध के बाद, उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व भारत में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की पूरी आबादी को एक जनमत संग्रह द्वारा तय करना था कि एक अलग संप्रभु राज्य बनाना है या नहीं।
- विभाजन की स्थिति में , रक्षा, वाणिज्य, संचार आदि के लिए एक संयुक्त रक्षोपाय
- उपरोक्त शर्तें केवल भारत को सत्ता के पूर्ण हस्तांतरण के मामले में ही लागू होंगी।

फॉर्मूले पर आपत्ति

- जिन्ना चाहते थे कि कांग्रेस द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार करे।
- वह चाहते थे कि जनमत संग्रह में केवल उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व के मुसलमान ही मतदान करें, न कि पूरी आबादी, और एक साझा केंद्र के विचार का भी विरोध किया।
- लीग और कांग्रेस के बीच सहयोग लाने की कोशिश के लिए वीर सावरकर के नेतृत्व में हिंदू नेताओं ने सीआर योजना की निंदा की।
- कांग्रेस ने धर्म के आधार पर प्रांतों के विभाजन के विचार का विरोध किया।

देसाई-लियाकत समझौता (1945)

- लीग-कांग्रेस गतिरोध को हल करने के लिए
- जनवरी 1945: भुलाभाई देसाई और लियाकत अली खान ने केंद्र में एक अंतरिम सरकार के गठन के लिए एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया
- कांग्रेस और लीग केंद्रीय विधायिका में समान सदस्यों को नामित करेंगे।
- अल्पसंख्यकों के लिए 20% आरक्षित सीटें (सिख और अनुसूचित जाति सहित)
- भारत सरकार अधिनियम, 1935 सरकार के गठन के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में कार्य करेगा।
- कांग्रेस और लीग के बीच कोई समझौता नहीं हुआ।

वेवेल योजना (1945)

- जापानी खतरे ने ब्रिटेन में चर्चिल के नेतृत्व वाली रूढ़िवादी सरकार को भारत में संवैधानिक गतिरोध को हल करने के लिए मजबूर किया।
- वायसराय, लॉर्ड वेवेल को भारतीय नेताओं जो 1 जून 1945 को जेल से रिहा हुए थे, के साथ बातचीत करने के लिए तैयार किया गया।
- शिमला सम्मेलन जून 1945- 21 भारतीयों को वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा शिमला में वेवेल योजना पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था।

मुख्य प्रस्ताव

- गवर्नर-जनरल और कमांडर-इन-चीफ को छोड़कर, सभी कार्यकारी परिषद के सदस्यों का भारतीय होना।
- कार्यकारी परिषद में हिंदुओं और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
- भारत सरकार अधिनियम 1935 के ढांचे के भीतर कार्य करने के लिए परिषद।
- गवर्नर जनरल की वीटो शक्ति का मंत्रियों की सलाह पर प्रयोग किया जाएगा।
- एक बार युद्ध समाप्त होने के बाद नए संविधान पर बातचीत के लिए भविष्य के चैनल खुले रहेंगे।
- सभी मुस्लिम प्रतिनिधियों को मनोनीत करने का अधिकार मुस्लिम लीग के पास नही होगा।
- लीग ने योजना को खारिज कर दिया
- यह चाहता था कि सभी मुस्लिम सदस्य लीग के उम्मीदवार हों, कांग्रेस को अपने मुस्लिम उम्मीदवारों को प्रस्तावित करने के अधिकार से वंचित कर दिया।
- लीग ने वीटो के अधिकार का दावा किया कि मुसलमानों से संबंधित निर्णयों के लिए परिषद में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता हो।
- कांग्रेस ने इस योजना पर आपत्ति जताई क्योंकि यह कांग्रेस को सवर्ण हिंदुओं के एक संगठन के रूप में चित्रित करता।
- परिणाम: लीग और कांग्रेस के बीच असहमति के कारण वेवेल की योजना को निलंबित कर दिया गया था।

सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA)

- बोस ने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की लेकिन 1921 में सेवा से इस्तीफा दे दिया और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए कांग्रेस में शामिल हो गए।
- चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे।
- 1938: जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना।
- 1939: उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया (गांधीजी द्वारा समर्थित) को हराया और दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने।

- वैचारिक मतभेद: त्रिपुरी (मध्य प्रदेश) में आयोजित कांग्रेस के 1939 के अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया।
- 1939: उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की नींव रखी।
- 1940: बोस ने रामगढ़ में एक समझौता-विरोधी सम्मेलन बुलाकर लोगों से आह्वान किया कि वे किसी भी संसाधन-पुरुषों, धन या सामग्री के साथ साम्राज्यवादी युद्ध में मदद न
- इसके लिए बोस को जुलाई 1940 में गिरफ्तार किया गया था।
- भूख हड़ताल के बाद, उन्हें दिसंबर 1940 में जेल से रिहा कर दिया गया और उन्हें नजरबंद कर दिया गया।
- जनवरी 1941: बोस अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी भाग गए थे।
- अप्रैल 1941: वह छद्म नाम ऑरलैंडो मज़ोट्टा के साथ हिटलर से मिले।
- हिटलर की मदद से उन्होंने 'फ्रीडम आर्मी' (मुक्ति सेना) की नींव रखी, जिसमें जर्मनी और इटली द्वारा कब्जा किए गए भारतीय मूल के युद्ध के सभी कैदी शामिल थे।
- जर्मन और भारतीय अधिकारी बोस को 'नेताजी' कहते थे।
- फ्री इंडिया सेंटर(जर्मनी) से प्रसिद्ध नारा 'जय हिंद' दिया।
- 1942: जर्मनी में "आजाद हिंद रेडियो" की स्थापना की।
- जनवरी 1943: उन्होंने जर्मनी छोड़ दिया और उसी वर्ष जुलाई में सिंगापुर पहुंचे और 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा निर्मित भारतीय राष्ट्रीय सेना के सर्वोच्च कमांडर का पदभार ग्रहण किया।
- अक्टूबर 1943: आजाद हिंद की अनंतिम सरकार की नींव रखी।
- रंगून और सिंगापुर में मुख्यालय।
- बर्मा में "तुम मुझे खून दो, और मैं तुम्हें आजादी दूंगा" का नारा दिया

भारतीय राष्ट्रीय सेना का उदय

- 1942 में भारतीय युद्धबंदियों (POWs)को शमी कर कैप्टन मोहन सिंह द्वारा गठन किया गया।
- सितंबर 1942: आईएनए का पहला डिवीजन 16,300 पुरुषों के साथ बनाया गया था।
- बैंकॉक में सम्मेलन: रासबिहारी बोस की अध्यक्षता में आईएनए को एक भारतीय स्वतंत्रता लीग के तहत रखने का निर्णय लिया।
- लीग की स्थापना 1942 में टोक्यो में हुई थी।
- 1943: रासबिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग और आईएनए का नियंत्रण और नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को हस्तांतरित कर दिया।
- 25 अगस्त 1943: सुभाष बोस आईएनए के सर्वोच्च कमांडर बने।
- रानी झांसी रेजिमेंट: आईएनए के भीतर गठित एक महिला रेजिमेंट।
- जनवरी 1944 में आईएनए मुख्यालय को रंगून (बर्मा में) में स्थानांतरित कर दिया गया था, और सेना के रंगरूटों ने "चलो दिल्ली" के नारे लगाते हुए वहां से दिल्ली तक मार्च किया।
- 6 नवंबर, 1943: जापानी सेना द्वारा इन द्वीपों को आईएनए को दिए जाने के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम क्रमशः शहिद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा गया।
- मार्च 1944: आजाद हिंद फौज ने बर्मा सीमा पार की और भारतीय धरती पर आ पहुचे।
- मई 1944: आईएनए ने इंफाल और कोहिमा पर विजय प्राप्त की। बटालियन का नेतृत्व जापानी सेना के साथ शाह नवाज़ कर रहे थे।
- 6 जुलाई 1944: बोस ने आजाद हिंद रेडियो से महात्मा गांधी जी को 'राष्ट्रपिता' कहकर संबोधित किया।
- 15 अगस्त 1945: जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया जिसके परिणामस्वरूप आईएनए ने आत्मसमर्पण किया।
- 18 अगस्त 1945: सुभाष बोस की ताइपे (ताइवान) में एक हवाई दुर्घटना में रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई।

लाल किले में आईएनए पर मुकदमा (नवंबर 1945)

- दिल्ली के लाल किले में INA अधिकारियों का कोर्ट मार्शल हुआ।
- प्रारंभ में प्रेम कुमार सहगल (एक हिंदू), शाह नवाज खान (एक मुस्लिम), और गुरबख्श सिंह ढिल्लों (एक सिख) पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था।
- भुलाभाई देसाई: आईएनए कैदियों के मुख्य बचाव पक्ष के वकील।
- अन्य प्रतिवादी: तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना और आसफ अली।
- दोषी पाये गये तथा अधिकारियों का कोर्ट-मार्शल किया गया लेकिन व्यापक आंदोलन के परिणामस्वरूप उनकी सजा निलंबित कर दी गई।
- आईएनए के समर्थक: मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, संघवादी, अकाली, जस्टिस पार्टी, रावलपिंडी में अहरार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा और सिख लीग।

आम चुनाव (1945-46)

- लॉर्ड वेवेल ने 19 सितंबर 1945 को केंद्रीय विधान सभा और राज्य परिषद के चुनाव की घोषणा की,जिसका आयोजन दिसंबर 1945 में किया गया था।
- कांग्रेस ने सेंट्रल असेंबली की कुल 102 सीटों में से 59 और गैर-मुस्लिम वोटों में से 91% पर जीत हासिल की।
- प्रांतीय चुनावों में, बंगाल, सिंध और पंजाब को छोड़कर अधिकांश प्रांतों में इसे बहुमत मिला।
- मुस्लिम लीग को 86.6% मुस्लिम वोट मिले।
- इसने सेंट्रल असेंबली में 30 आरक्षित सीटों पर जीत हासिल की और बंगाल और सिंध में बहुमत का दावा किया।
- 1937 के विपरीत, अब लीग ने खुद को मुसलमानों के बीच प्रमुख पार्टी के रूप में स्थापित कर लिया।
- लीग के नेताओं ने सिर्फ वोट मांगने के लिए प्रचार नहीं किया बल्कि भारत की आजादी के लिए अंतिम कार्रवाई का नेतृत्व करने के लिए चुनावों का इस्तेमाल किया।

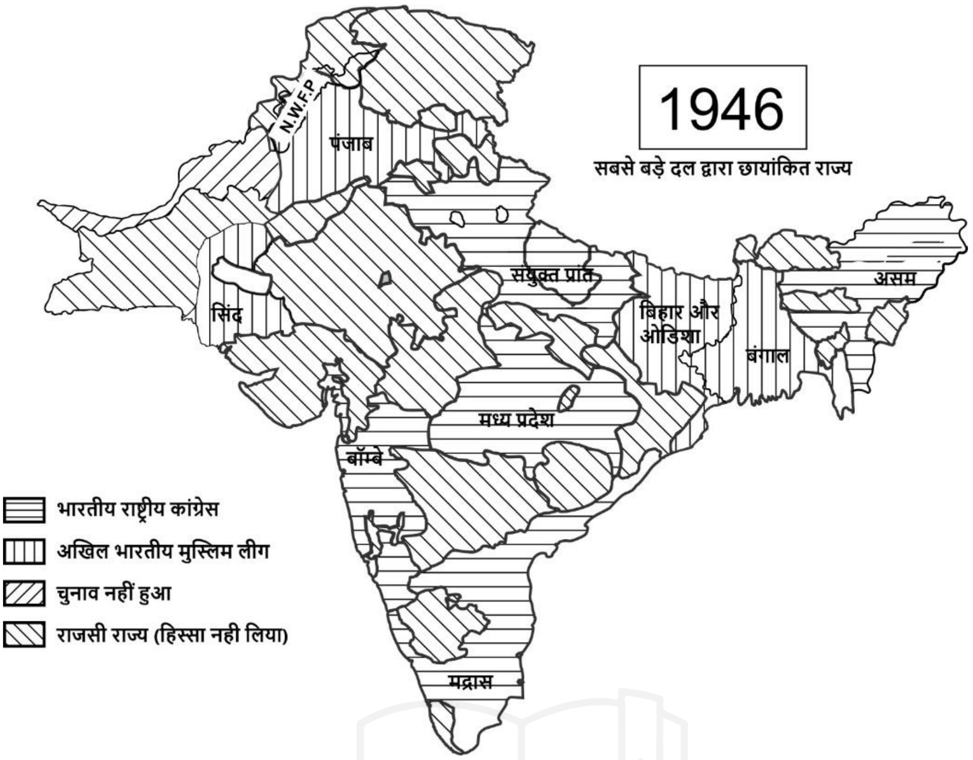

1945-46 की सर्दियों में विद्रोह की तीन घटनाये

- 21 नवंबर, 1945- कलकत्ता में आईएनए के मुकदमो के कारण।
- 11 फरवरी, 1946- कलकत्ता आईएनए अधिकारी राशिद अली को सात साल की सजा के खिलाफ।
- 18 फरवरी, 1946-बॉम्बे, रॉयल इंडियन नेवी द्वारा हड़ताल।

नौसेना द्वारा विद्रोह

- फरवरी 1946: एचएमआईएस तलवार की रॉयल इंडियन नेवी (आरआईएन) निम्नलिखित के विरोध में हड़ताल पर चले गए:
    - नस्लीय भेदभाव (भारतीय और गोरे सैनिकों के लिए समान वेतन की मांग)
    - खराब भोजन
    - वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार
    - एचएमआईएस तलवार पर 'भारत छोड़ो' का नारा लगाने वाली टुकड़ी की गिरफ्तारी
    - आईएनए के मुकदमे
    - इंडोनेशिया में भारतीय सैनिकों का प्रयोग
    - रॉयल इंडियन नेवी के कमांडर बी.सी. दत्त की गिरफ्तारी।
- अन्य रेटिंग जल्द ही एचएमआईएस हिंदुस्तान, कराची जैसी हड़ताल में शामिल हो गईं।
- 23 फरवरी 1946: वल्लभभाई पटेल और जिन्ना के समझाने पर नेवी ने आत्मसमर्पण कर दिया।
- विद्रोह का समर्थन: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी।
- निंदा कीगयी : कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा।
- गांधीजी के अनुसार बगावत का समय गलत था।
- नतीजा: ब्रिटेन ने महसूस किया कि अब भारत को अपना उपनिवेश बनाकर रखना संभव नहीं है।

कैबिनेट मिशन (1946)

- फरवरी 1946: क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने बातचीत और शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए भारत में एक उच्चस्तरीय मिशन भेजने की घोषणा की।
- सदस्य: पेथिक लॉरेंस (भारत के राज्य सचिव); स्टैफोर्ड क्रिप्स, और ए.वी. सिकंदर।
- अध्यक्ष: पेथिक लॉरेंस।
- 24 मार्च 1946: कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा और अंतरिम सरकार के मुद्दों और नए संविधान के निर्माण के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं पर सभी दलों और समूहों के भारतीय नेताओं से मुलाकात की।
- **उद्देश्य**
    - भारत के लिए एक संविधान के निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ एक समझौता करना।
    - एक संविधान बनाने वाली संस्था (भारत की संविधान सभा) तैयार करना।
    - प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करना।

- **योजना के मुख्य बिंदु**
  - पूर्ण पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया।
  - मौजूदा प्रांतीय विधानसभाओं को तीन वर्गों में बांटा गया:
    - खंड-ए: मद्रास, बॉम्बे, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा,
    - खंड-बी: पंजाब, उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत और सिंध,
    - खंड-सी: बंगाल और असम (मुस्लिम बहुल प्रांत)।
- प्रांतीय, खंड और संघ स्तरों पर त्रिस्तरीय सरकार।
- 389 सदस्यों की एक संविधान सभा (292- प्रांतीय विधानसभाओं से, 93 रियासतों से और 4 मुख्य आयुक्त के प्रांतों से) आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुनी जानी थी।
- प्रत्येक समूह द्वारा अलग-अलग प्रांतों के लिए एक अलग संविधान, और तीनों वर्गों द्वारा एक साथ एक आम संघ संविधान बनाया जाएगा।
- रक्षा, संचार और विदेश मामलों का सामान्य नियंत्रण।
- भारत के लिए एक संघीय ढांचा।
- केंद्रीय विधायिका में सांप्रदायिक प्रश्नों का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले दोनों समुदायों के साधारण बहुमत से किया जाना था।
- **प्रान्तों में निहित अवशिष्ट शक्तियां**
  - रियासतें अब ब्रिटिश सरकार की सर्वोच्चता के अधीन नहीं थीं और वे भारतीय संघ में शामिल होने या ब्रिटिश सरकार के साथ अलग समझौता करने हेतु स्वतंत्र थीं।
  - संविधान सभा से अंतरिम सरकार का गठन होना था।
  - कांग्रेस प्रतिक्रिया: कैबिनेट मिशन योजना पाकिस्तान के निर्माण के खिलाफ थी क्योंकि समूह बनाना वैकल्पिक था।
  - मुस्लिम लीग का मानना था कि पाकिस्तान अनिवार्य समूह में निहित है। (मिशन ने बाद में स्पष्ट किया कि समूह बनाना अनिवार्य था।)
  - 6 जून को मुस्लिम लीग और 24 जून 1946 को कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया।
  - जुलाई 1946: संविधान सभा के लिए प्रांतीय विधानसभाओं में चुनाव हुए और 29 जुलाई, 1946 को लीग ने योजना से अपनी स्वीकृति वापस ले ली और पाकिस्तान के निर्माण के लिए 16 अगस्त से "सीधी कार्रवाई" का आह्वान किया।

प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस और सांप्रदायिक दंगे

- कैबिनेट मिशन के बाद एक अलग राष्ट्र की मांग को गति मिली, लेकिन सभी ने इस मांग का समर्थन नहीं किया, जिसमें एनडब्ल्यूएफपी के अबुल कलाम आजाद और खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे मुस्लिम शामिल थे।
- कैबिनेट मिशन योजना को खारिज करने के बाद, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई प्रस्ताव पारित किया और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में निर्धारित किया।
- अक्टूबर 1946: नोआखली और टिपरा (बंगाल) की मुस्लिम आबादी ने हिंदुओं पर अत्याचार किए।
- भारत के विभिन्न हिस्सों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, बॉम्बे, कलकत्ता आदि में व्यापक सांप्रदायिक दंगे देखे गए, जिसमें लगभग कई हजार लोग मारे गए।
- इस प्रकार, भारत के विभाजन के लिए आंदोलन शुरू हो गया था।

संविधान सभा का चुनाव (1946)

- जुलाई 1946 में सीमित मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव किया गया।
- चुनावों में, 210 में से 202 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था, जबकि मुस्लिम लीग ने 78 आरक्षित सीटों में से 73 पर जीत हासिल की थी।

अंतरिम सरकार

- 2 सितंबर 1946 को गठित।
- मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को वेवेल के आग्रह पर अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। हालाँकि, इसने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया।
- अंतरिम सरकार: भारत को सत्ता के हस्तांतरण में ब्रिटिश सरकार की सहायता करने का कार्य सौंपा गया।
- 1946-1947 की अवधि के लिए एक प्रशासनिक निकाय के रूप में कार्य करना।
- अंतरिम सरकार रियासतों, प्रेसीडेंसी और प्रांतों से बनी थी।

अंतरिम सरकार के तहत मंत्रिपरिषद	
कार्यालय	**नाम**
भारत के वायसराय और गवर्नर-जनरल	लॉर्ड माउंटबेटन
प्रमुख कमांडर	सर क्लाउड औचिनलेक (ब्रिटेन)
कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष	जवाहर लाल नेहरू
गृह मामले, सूचना और प्रसारण	वल्लभभाई पटेल (कांग्रेस)
कृषि और भोजन	राजेंद्र प्रसाद (कांग्रेस)
व्यापार	इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर (मुस्लिम लीग)
शिक्षा और कला	सी. राजगोपालाचारी
रक्षा	बलदेव सिंह

वित्त	लियाकत अली खान (मुस्लिम लीग)
स्वास्थ्य	ग़ज़नफ़र अली ख़ान (मुस्लिम लीग)
उद्योग और आपूर्ति	डॉ जॉन मथाई
श्रम	जगजीवन राम
कानून	जोगेंद्र नाथ मंडल (मुस्लिम लीग)
पोस्ट और एयर	अब्दुर रब निश्तार (मुस्लिम लीग)
रेलवे और संचार	आसफ अली
काम, खान और बिजली	सी.एच. भाभा

लीग का अवरोधक दृष्टिकोण

- 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया।
- लीग ने कैबिनेट की अनौपचारिक बैठकों में भाग लेने से भी इनकार कर दिया।
- वे कांग्रेस सदस्यों द्वारा की गई नियुक्तियों के आलोचक थे।
- वित्त मंत्री के रूप में लियाकत अली खान ने अन्य मंत्रालयों के कामकाज को प्रतिबंधित कर दिया।
- जब लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई, तो कांग्रेस ने मांग की कि ब्रिटिश अंतरिम सरकार में लीग को अपना रवैया बदलने के लिए कहें या अलग हो जाए।
- फरवरी 1947: कांग्रेस के नौ सदस्यों ने वायसराय को पत्र लिखकर लीग के सदस्यों के इस्तीफे की मांग की और अपने स्वयं के उम्मीदवारों को वापस लेने की धमकी दी।
- परिणामस्वरूप, लीग ने संविधान सभा को भंग करने की मांग की।

भारत में साम्प्रदायिकता

- साम्प्रदायिकता: एक विचारधारा, जिसमें व्यक्ति अपने जातीय/धार्मिक समूह को समग्र रूप से व्यापक समाज के बजाय अधिक महत्व देता है।

चरण

सांप्रदायिक राष्ट्रवाद	इस सिद्धांत आधारित की चूंकि एक समूह या लोगों का एक वर्ग एक विशेष धार्मिक समुदाय से संबंधित है, इसलिए उनके धर्मनिरपेक्ष हित समान हैं।
उदार सांप्रदायिकता	इस सिद्धांत पर आधारित कि चूंकि दो धार्मिक समुदायों के अलग-अलग धार्मिक हित हैं, इसलिए धर्मनिरपेक्ष क्षेत्रो में भी उनके अलग-अलग हित हैं (आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र)।
चरम सांप्रदायिकता	इस सिद्धांत पर आधारित कि न केवल विभिन्न धार्मिक समुदायों के अलग-अलग हित हैं, बल्कि यह भी है कि ये हित असंगत हैं (एक दूसरे के साथ संघर्ष में हैं)।

भारत में सांप्रदायिकता के विकास के कारण

सामाजिक-आर्थिक कारण

- शिक्षित मुसलमानों का अनुपात हिंदुओं, पारसियों या ईसाइयों की तुलना में बहुत कम था।
- इसने ब्रिटिश अधिकारियों और वफादार मुस्लिम नेताओं को शिक्षित हिंदुओं के खिलाफ नफरत की भावना को भड़काने का कारण बना दिया।
- सैयद अहमद खान जैसे नेताओं ने सरकारी सेवा में मुसलमानों के लिए विशेष व्यवहार की मांग की और शिक्षित मुसलमानों को सरकारी नौकरियों और अन्य विशेष लाभों की आशा में अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने के लिए कहा।
- औपनिवेशिक नीतियों के कारण, भारत अविकसित रहा, जिसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी हुई और इस प्रकार मौजूदा नौकरियों के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा थी, सांप्रदायिक, प्रांतीय या जाति के आधार पर नौकरियों में आरक्षण की मांग तेज हो गई।
- सरकार ने मौजूदा स्थिति का फायदा उठाया और सांप्रदायिक और अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने के लिए रियायतों और आरक्षणों का इस्तेमाल किया।

बहुसंख्यक समुदाय द्वारा सांप्रदायिक प्रतिक्रिया

- जो हिंदू बहुसंख्यक थे, वे भी भारत में सांप्रदायिकता के प्रसार के लिए जिम्मेदार थे।
- 1870 के दशक से कुछ हिंदू तत्वों जैसे जमींदारों, साहूकारों और मध्यम वर्ग के पेशेवरों ने मुस्लिम विरोधी भावनाओं को अभिव्यक्ति दी।
- उन्होंने घोषणा की कि अंग्रेजों ने भारत को मुस्लिम अत्याचार से मुक्त कराया और हिंदुओं को मुसलमानों के उत्पीड़न से बचाया।
- पंजाब हिंदू सभा जैसे कुछ संगठनों ने सांप्रदायिक दृष्टिकोण को भी बढ़ावा दिया, जिसकी स्थापना 1909 में यू.एन. मुखर्जी और लाल चंद द्वारा की गई थी, जिसने सभी रंगों के भारतीयों को एक राष्ट्र में एकजुट करने की कोशिश के लिए कांग्रेस का विरोध किया था।
- अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना अप्रैल 1915 में हुई थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की स्थापना 1925 में हुई थी।

फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश नीति

- वहाबी और 1857 के विद्रोह के बाद, मुसलमानों को संदेह की दृष्टि से देखा गया और अंग्रेजों के हाथों भेदभाव का सामना करना पड़ा।
- हालाँकि, 1870 के दशक के बाद, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय और शिक्षित मध्यम वर्ग के बढ़ते राजनीतिकरण के साथ, अंग्रेजों ने मुसलमानों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दिया।
- अंग्रेजों ने तब रियायतों, एहसानों और आरक्षणों के माध्यम से मुसलमानों को एकजुट करना शुरू किया और बढ़ते राष्ट्रवादी ज्वार के खिलाफ उनका इस्तेमाल किया।

इतिहास लेखन में सांप्रदायिकता

- इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को दो चरणों में विभाजित किया है:
    - प्राचीन चरण को हिंदू चरण के रूप में वर्णित किया गया है
    - मध्ययुगीन चरण मुस्लिम चरण के रूप में।
- इतिहासकारों द्वारा मध्यकाल में हिंदू-मुस्लिम संघर्षों को उजागर किया गया।
- औपनिवेशिक शक्तियों ने इतिहास का फायदा उठाते हुए दो समुदायों के बीच एक खाई पैदा की।

सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों के दुष्परिणाम

- मुसलमानों के बीच वहाबी आंदोलन और हिंदुओं में शुद्धि ने धर्म को सांप्रदायिकता से जोड़ा।
- ये सुधार आंदोलन एक समुदाय को दूसरे धार्मिक समुदाय के प्रभाव से बचाने के लिए चलाए गए थे।

उग्र राष्ट्रवाद के दुष्प्रभाव

- उदारवादी नेताओं ने भारत को आजादी की ओर ले जाते हुए अल्पसंख्यकों के डर को दूर करने के लिए हर संभव कदम उठाया। दादाभाई नौरोजी की तरह, जिन्होंने घोषणा की की कांग्रेस की मंशा अपने मंचों पर सामाजिक-धार्मिक प्रश्नों को उठाने की नहीं थी।
- 1889 के अधिवेशन में, कांग्रेस ने मुसलमानों द्वारा विरोध किए गए किसी भी मुद्दे को नहीं उठाने का फैसला किया।
- उग्र राष्ट्रवाद के उदय के साथ, भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में हिंदू राष्ट्रवाद का एक स्वर था।
- खिलाफत आंदोलन (1920-22) ने धर्म के प्रश्न को राजनीति से जोड़ा और इस प्रकार भविष्य की राजनीतिक चर्चाओं को धार्मिक आधार पर आधारित करने का मार्ग प्रशस्त किया।

संविधान सभा का गठन (1946)

- 9 दिसंबर 1946: डॉ सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में पहली मीटिंग।
- 11 दिसंबर 1946: डॉ राजेंद्र प्रसाद विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए।
- लीग ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया।
- संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 13 समितियों का गठन किया गया था। डॉ बी आर अंबेडकर को मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।
- 13 दिसंबर 1946: जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया 'उद्देश्य प्रस्ताव' विधानसभा के सामने रखा गया और इसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया।
    - इस उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में "भारत की प्रस्तावना" के रूप में संविधान में शामिल किया गया था।
- पाकिस्तान का संविधान बनाने के लिए अलग विधानसभा।
- इस प्रकार विधानसभा द्वारा तैयार किया गया संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसने भारत को संप्रभु गणराज्य में स्थापित किया।

क्लेमेंट एटली की घोषणा

- क्लेमेंट एटली (ब्रिटिश प्रधान मंत्री) ने 20 फरवरी, 1947 को एक घोषणा की।
- एटली की घोषणा के मुख्य बिंदु
    - 30 जून 1948 की तारीख, भारत को सत्ता हस्तांतरण केलिए तय की गई।
    - यदि मुस्लिम बहुल प्रांत संविधान सभा में शामिल नहीं होते हैं तो ब्रिटिश सत्ता को किसी न किसी रूप में केंद्र सरकार या मौजूदा प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर देंगे।
    - सत्ता के हस्तांतरण के साथ रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त हो जाएगी
    - माउंटबेटन भारत के वायसराय के रूप में वेवेल की जगह लेंगे।
- किसी भी संवैधानिक संकट से बचने के लिए सरकार द्वारा सत्ता हस्तांतरण की तारीख तय की गई थी क्योंकि युद्ध के बाद अंग्रेजों की स्थिति में गिरावट आई थी और उसके पास लंबे समय तक उपनिवेश बनाए रखने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे।
- कांग्रेस ने एक केंद्र को सत्ता हस्तांतरण के प्रावधान को स्वीकार कर लिया क्योंकि इसका मतलब था कि मौजूदा विधानसभा आगे बनी रह सकती है और इसके प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों के लिए एक संविधान तैयार कर सकती है।
- लीग ने इस बयान का समर्थन नहीं किया और पंजाब में गठबंधन सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया।

माउंटबेटन योजना (3 जून 1947)

- 24 मार्च 1947: माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया।
- 3 जून 1947: माउंटबेटन भारत पहुंचे और ब्रिटेन से भारत में सत्ता के अंतिम हस्तांतरण का कार्य संभाला।
- उनके आगमन का उद्देश्य: अक्टूबर 1947 तक एकता और विभाजन के विकल्पों का पता लगाना और फिर सत्ता के हस्तांतरण के रूप में ब्रिटिश सरकार को सलाह देना।
- माउंटबेटन ने अपनी योजना के माध्यम से कांग्रेस और लीग दोनों पक्षों को प्रसन्न करने की कोशिश की।
- योजना के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार थे
    - विभाजन के पक्ष में मतदान करने के लिए पंजाब और बंगाल विधानसभाओं की दो समूहों में बैठक होगी, हिंदू और मुसलमान।
    - यदि किसी भी समूह के साधारण बहुमत ने विभाजन के लिए मतदान किया, तो इन प्रांतों का विभाजन हो जाएगा, इस स्थिति में, दो अधिराज्य और दो घटक विधानसभाएं बनाई जाएंगी।
    - सिंध अपना फैसला खुद लेगा।
    - विभाजन की स्थिति में सीमा आयोग की स्थापना।

- विभाजन के मामले में भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए NWFP और बंगाल के सिलहट जिले में जनमत संग्रह।
- देशी रियासतों की स्वतंत्रता को खारिज कर दिया गया था। उन्हें या तो भारत में शामिल होना पड़ेगा या पाकिस्तान में
- बंगाल की स्वतंत्रता से इंकार
- हैदराबाद के पाकिस्तान में विलय को खारिज कर दिया गया था।
- सत्ता का हस्तांतरण 15 अगस्त 1947 को होगा, न कि जून 1948 में जैसा कि एटली के बयान में उल्लेख किया गया है।

- इस योजना को ब्रिटिश संसद ने स्वीकार कर लिया और इसके कारण 5 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, जिसे 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति मिली।
- विभाजन के पक्ष में: बंगाल और पंजाब की विधान सभाएँ।
- पश्चिम बंगाल और पूर्वी पंजाब भारत के साथ रहे। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में शामिल हो गए।
- सिलहट पूर्वी बंगाल में शामिल हो गया और एनडब्ल्यूएफपी में, खान अब्दुल गफ्फार खान के अनुयायियों ने जनमत संग्रह का बहिष्कार किया, और बाकी की आबादी ने पाकिस्तान के पक्ष में फैसला किया।
- बलूचिस्तान और सिंध ने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया।
- सभी रियासतों ने भारत के साथ विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। हालांकि, मणिपुर, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर नाम की चार रियासतों ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया।

बाल्कन योजना/डिकी बर्ड प्लान

- जनरल सर हेस्टिंग्स इस्मे, सर गेरोगे एबेल और लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा तैयार।

प्रस्ताव:

- पंजाब और बंगाल को अपने प्रांतों के विभाजन के लिए वोट देने का विकल्प दिया गया था, जबकि अन्य सभी इकाइयों को तीन विकल्प दिए गए थे- भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के लिए।
- योजना को जल्दी ही छोड़ दिया गया क्योंकि नेहरू ने इसका विरोध किया था क्योंकि इसने भारत के बाल्कनीकरण का सुझाव दिया था।

कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस को क्यों स्वीकार किया?

- अंग्रेजों द्वारा दी गई प्रभुत्व की स्थिति को स्वीकार करने से सत्ता का शांतिपूर्ण और त्वरित हस्तांतरण सुनिश्चित होगा और इस प्रकार भारत में चल रही सांप्रदायिक हिंसा को फैलने से रोका जा सकेगा।
- डोमिनियन स्टेटस नौकरशाही और सेना में निरंतरता सुनिश्चित करेगा और देश में विस्फोटक स्थिति को नियंत्रित करने में मदद करेगा।
- ब्रिटेन ने डोमिनियन स्टेटस की पेशकश करते हुए भारत को आर्थिक,रक्षा और निवेश क्षमता को देखते हुए, भले ही अस्थायी रूप से, राष्ट्रमंडल के भीतर रखने की उम्मीद की।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम

- 5 जुलाई, 1947: ब्रिटिश संसद ने माउंटबेटन योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जिसे 18 जुलाई, 1947 को शाही सहमति मिली और इसे 15 अगस्त, 1947 को लागू किया गया।
- अधिनियम के प्रावधान
    - इस अधिनियम ने भारत के विभाजन और भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन के निर्माण के लिए 15 अगस्त, 1947 से प्रावधान किया।
    - सीमा आयोग (सर सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में) की सिफारिशों के अनुसार दोनों डोमिनियन की सीमा तय की गई थी।
    - दोनों अधिराज्यों के लिए एक सामान्य गवर्नर-जनरल, यदि वे सहमत हों। हालाँकि, विभाजन के बाद, मुहम्मद अली जिन्ना को भारत का गवर्नर-जनरल नियुक्त किया गया, जबकि सी. राजगोपालाचारी को स्वतंत्र भारत का गवर्नर-जनरल बनाया गया।
    - नए संविधान का मसौदा तैयार होने तक दोनों अधिराज्यों की सरकारें भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अनुसार कार्य करेंगी।
    - भारतीय राज्यों के साथ-साथ इसकी सभी संधियों और समझौतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता और आधिपत्य 15 अगस्त, 1947 को समाप्त हो जाएगा।
    - भविष्य में ब्रिटिश क्राउन के लिए कोई बिल आरक्षित नहीं किया जाएगा।
    - भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त किया जाएगा।
    - प्रत्येक नए डोमिनियन की संविधान सभा उस डोमिनियन की विधायिका के रूप में कार्य करेगी, और मौजूदा केंद्रीय विधान सभा और राज्यों की परिषद स्वतः भंग हो जाएगी।
- अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, पाकिस्तान 14 अगस्त को स्वतंत्र हुआ, जबकि भारत ने 15 अगस्त, 1947 को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की

स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत

अंग्रेजों के भारत से शीघ्र ही निकोल जाने के कारण अनेक समस्याएँ उत्पन्न हुईं।

- माउंटबेटन योजना विभाजन का विवरण प्रदान करने में विफल रही और इस प्रकार पंजाब नरसंहार को रोकने में विफल रही।
- ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विभाजन के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई संस्था स्थापित नहीं की गई थी।
- दो नए उपनिवेशों के बीच एक आवश्यक कड़ी के रूप में कार्य करने के लिए माउंटबेटन भारत और पाकिस्तान के सामान्य गवर्नर-जनरल के रूप में कार्य करना चाहते थे।
    - हालाँकि, जिन्ना पाकिस्तान में अपने लिए पद चाहते थे।
- रैडक्लिफ के तहत स्थापित सीमा आयोग की घोषणा में देरी।
    - इस देरी से देश में व्यापक सांप्रदायिक दंगे हुए और लाखों शरणार्थियों का विस्थापन हुआ।

सीमा आयोग

- सिरिल रैडक्लिफ के अधीन
- उद्देश्य: भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन करना
- 12 अगस्त 1947 तक प्रस्ताव तैयार हो गया था, माउंटबेटन ने 15 अगस्त के बाद ही इसे सार्वजनिक करने का फैसला किया ताकि अंग्रेज अराजकता और अशांति की सारी जिम्मेदारी से बच सकें।
- अराजकता और हिंसा के बीच सीमा पार से बड़े पैमाने पर पलायन हुआ।

संसाधनों का विभाजन

- संसाधनों के विभाजन की देखभाल के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों के दो प्रतिनिधियों के साथ गवर्नर-जनरल की अध्यक्षता में एक विभाजन परिषद की स्थापना की गई थी।
- सशस्त्र बलों और उनके संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और दुकानों के विभाजन को देखने के लिए सर्वोच्च कमांडर के रूप में औचिनलेक के तहत एक संयुक्त रक्षा परिषद की स्थापना की गई थी।

रियासतों का एकीकरण

- 1947 से पूर्व: पूरे भारत को दो भागों में विभाजित किया गया था-
    - ब्रिटिश प्रशासित प्रांत
    - रियासतें (भारत का लगभग 40%)।
- एटली की घोषणा: सत्ता के आधिकारिक हस्तांतरण के बाद ब्रिटिश प्रशासित प्रांतों को सीधे स्वतंत्र भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
- रियासतों को तीन विकल्प दिए गए थे:
- स्वतंत्र रहें, भारत या पाकिस्तान में शामिल हों।
- वल्लभ भाई पटेल ने , वी पी मेनन की सहायता से, भारत को एकजुट करने के लिए बड़े पैमाने पर ताकत और सहयोग की नीति का उपयोग करके भारतीय राज्यों को दो चरणों में एकीकृत करने का कार्य किया।

इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ एक्सेशन

- दो अहम दस्तावेज पेश किए गए।
    - **स्टैंडस्टिल समझौता** - यह पुष्टि करता है कि जो समझौते और प्रशासनिक प्रथाएं रियासतो और अंग्रेजों के बीच मौजूद थीं, भारत द्वारा जारी रखी जाएंगी।
    - **विलय का साधन:** विचाराधीन रियासत के शासक ने अपने राज्य को स्वतंत्र भारत में शामिल करने और निर्दिष्ट विषय मामलों पर भारत को नियंत्रण देने के लिए सहमति व्यक्त की।
- **अन्य सुरक्षा उपाय**
    - जब मसौदा तैयार किया जरगा तब रियासतों के राजकुमार भारतीय संविधान के लिए बाध्य नहीं होंगे।
    - उन सभी क्षेत्रों में रियासतों को स्वायत्तता की गारंटी दी जिनमें भारत सरकार को स्पष्ट रूप से अधिकार नहीं दिया गया था।
- इसमें कई शर्ते शामिल थी
    - उनके बाहरी अधिकार, जैसे भारतीय अदालतों में अभियोजन से उन्मुक्ति और सीमा शुल्क से छूट की रक्षा की जाएगी
    - उन्हें धीरे-धीरे लोकतांत्रिक बनाने की अनुमति दी जाएगी
    - अठारह प्रमुख राज्यों में से किसी को भी विलय के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा
    - वे ब्रिटिश सम्मान और अलंकरण के पात्र बने रहेंगे।

अधिग्रहण प्रक्रिया

प्रथमम चरण	• **सभी राज्यों ने 15 अगस्त, 1947 तक भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। (कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ को छोड़कर)।**
द्वितीय चरण	• पड़ोसी प्रांतों या नई इकाइयों के साथ राज्यों के एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल। उदाहरण: काठियावाड़ संघ, विंध्य और मध्य प्रदेश, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ राज्यों में आंतरिक संवैधानिक परिवर्तन (हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, कोचीन)। • रियासतों को प्रिवी पर्स की पेशकश की गई थी जबकि कुछ राजकुमारों को स्वतंत्र भारत में राज्यपाल और राजप्रमुख बनाया गया था।

प्रिवी पर्स: पूर्ववर्ती रियासतों के शाही परिवारों को दी जाने वाली वार्षिक राशि।

- यह राशि कर-मुक्त थी और संविधान के अनुच्छेद 291 के तहत इसकी गारंटी दी गई थी।
- 26वां संशोधन अधिनियम 1971 के तहत प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया।

हैदराबाद

- सबसे बड़ी और सबसे अमीर रियासत, जो दक्कन के पठार के एक बड़े हिस्से को कवर करती थी।
- शासक: निज़ाम मीर उस्मान अली।
- मांग: एक स्वतंत्र राज्य और भारतीय शासन में शामिल होने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया।
- 13 सितंबर 1948: 'ऑपरेशन पोलो' के तहत भारतीय सैनिकों को हैदराबाद भेजा गया।
- भारतीय सेना ने राज्य पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया और हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बन गया।
- उन्हें जिन्ना का समर्थन मिला और हैदराबाद को लेकर विवाद समय के साथ और मजबूत होता गया।

जूनागढ़

- स्थान: गुजरात का दक्षिण-पश्चिमी छोर भी 15 अगस्त, 1947 तक भारतीय संघ में शामिल नहीं हुआ।
- शासक: नवाब मुहम्मद महाबत खानजी III।
- 15 सितंबर, 1947: नवाब महाबत खानजी ने माउंटबेटन के विचारों की अनदेखी करते हुए पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया, यह तर्क देते हुए कि जूनागढ़ समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है।
- जूनागढ़ के संप्रभु नियंत्रण के तहत दो राज्यों मंगरोल और बाबरियावाद ने जूनागढ़ से स्वतंत्रता की घोषणा की और भारत में शामिल हो गए।
- जवाब में, जूनागढ़ के नवाब ने दोनों राज्यों पर सैन्य कब्जा कर लिया।
- अन्य पड़ोसी राज्यों के शासकों ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जूनागढ़ सीमा पर सेना भेज दी और भारत सरकार से सहायता की अपील की।
- सरकार ने कहा कि राज्य 80% हिंदू था, और विलय के प्रश्न को तय करने के लिए जनमत संग्रह का आह्वान किया।
- भारतीय सैनिकों की वापसी के अधीन की शर्त पर पाकिस्तान एक जनमत संग्रह पर चर्चा करने के लिए सहमत हो गया, जिसे भारत ने खारिज कर दिया।
- 26 अक्टूबर: नवाब और उसका परिवार भारतीय सैनिकों के साथ संघर्ष के बाद पाकिस्तान भाग गया।
- 7 नवंबर 1947: जूनागढ़ ने भारत सरकार को राज्य के प्रशासन को संभालने के लिए आमंत्रित किया।
- जूनागढ़ के दीवान, सर शाह नवाज भुट्टो, (जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता), ने भारत सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया।
- फरवरी 1948 में एक जनमत संग्रह कराया गया, जो लगभग सर्वसम्मति से भारत में विलय के पक्ष में गया।
- जूनागढ़ तक सौराष्ट्र के भारतीय राज्य का हिस्सा बन गया, 1 नवंबर, 1956 सौराष्ट्र बॉम्बे राज्य का हिस्सा बन गया।
- 1960: बॉम्बे राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात के भाषाई राज्यों में विभाजित किया गया था, जिसमें जूनागढ़ स्थित था और तब से जूनागढ़ गुजरात का हिस्सा है।

कश्मीर

- यह रियासत दोनों में से किसी भी डोमिनियन में शामिल होने की इच्छुक नही थी।
- कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान दोनों को राज्य के विलय पर एक स्टैंडस्टील समझौते का प्रस्ताव दिया जों विलय के अंतिम निर्णय तक लंबित रहेगा।
- पाकिस्तान ने एक स्टैंडस्टील समझौते पर हस्ताक्षर किया लेकिन उसने उत्तर से कश्मीर पर सैनिकों और आदिवासियों की सेना के साथ हथियार लेकर आक्रमण किया।
- जम्मू-कश्मीर के महाराजा ने भारत से मदद की गुहार लगाई।
- 26 अक्टूबर 1947: महाराजा हरि सिंह श्रीनगर से भाग गए और जम्मू पहुंचे जहां उन्होंने जम्मू-कश्मीर राज्य के 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन' पर हस्ताक्षर किए।
- समझौते के अनुसार भारतीय क्षेत्राधिकार बाहरी मामलों, संचार और रक्षा तक विस्तारित होगा।
- 5 मार्च, 1948: महाराजा हरि सिंह ने प्रधान मंत्री के रूप में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ एक अंतरिम लोकप्रिय सरकार के गठन की घोषणा की।
- 1951: राज्य की संविधान सभा का चुनाव हुआ।
- 1952: भारतीय संवैधानिक ढांचे के तहत राज्य को विशेष दर्जा देते हुए भारत और जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्रियों के बीच दिल्ली समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- **महत्व**
    - इसने नए भारतीय राज्य के क्षेत्रफल में 500,000 वर्ग मील और इसकी आबादी में लगभग 90 मिलियन लोगों की वृद्धि की।
    - इसने उपमहाद्वीप के राजनीतिक मानचित्र को नया रूप दिया, और एक संपूर्ण शासन व्यवस्था को उलट दिया।
    - तथ्य यह है कि यह सोवियत संघ और चीन के विपरीत सामूहिक हत्याओं तथा दमन के बिना पूरा किया गया था, जो भारत के एकीकरण की कहानी को बीसवीं शताब्दी की महानतम कहानियो में से एक बनाता है।

कांग्रेस ने विभाजन को क्यों स्वीकार किया?

- राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम जनता को आकर्षित करने में विफल, कांग्रेस केवल अपरिहार्य (विभाजन) को स्वीकार कर रही थी।
- बड़े पैमाने पर फैली सांप्रदायिक हिंसा ने नेताओं को यह विश्वास दिलाया कि इसे रोकने का एकमात्र तरीका सत्ता का तत्काल हस्तांतरण था।
- विभाजन को स्वीकार करना ही देश के बाल्कनीकरण को रोकने का एकमात्र तरीका था क्योंकि विभाजन योजना ने रियासतों के लिए स्वतंत्रता को खारिज कर दिया जो भारतीय एकता के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता था।
- धीरे-धीरे, एक अलग मुस्लिम राज्य का विचार आकार लेने लगा और अब केवल विभाजन प्रक्रिया की स्वीकृति बची थी।
- क्रिप्स मिशन (1942): मुस्लिम बहुल प्रांतों की स्वायत्तता को स्वीकार किया गया।
- गांधीजी-जिन्ना वार्ता (1944): गांधीजी ने मुस्लिम बहुल प्रांतों के आत्मनिर्णय के अधिकार को स्वीकृति दी।
- कैबिनेट मिशन योजना (1946): कांग्रेस ने मुस्लिम बहुल प्रांतों द्वारा एक अलग संविधान सभा की स्थापना की संभावना को स्वीकार किया। बाद में, कांग्रेस ने स्वीकार किया कि समूह बनाना अनिवार्य था (दिसंबर 1946)।
- मार्च 1947: सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव के अनुसार, अगर देश को अविभाजित रहना है तो पंजाब (और निहितार्थ से, बंगाल) का विभाजन होना चाहिए।
- 3 जून योजना: कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार किया।
- भारत के विभाजन ने गांधीजी को असहाय बना दिया क्योंकि उन्हें विभाजन को स्वीकार करना पड़ा क्योंकि लोग इसे चाहते थे।

महत्वपूर्ण व्यक्ति और घटनाएँ

गवर्नर जनरल

वारेन हेस्टिंग्स (1773-1785)

- बंगाल के गवर्नर (1774 तक)
- 1773 के रेग्युलेटिंग अधिनियम के पारित होने के बाद बंगाल के पहले गवर्नर-जनरल
- लॉर्ड क्लाइव द्वारा स्थापित प्रशासन की दोहरी व्यवस्था को समाप्त किया
- खजाने को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया
- 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट और 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना
- 1781 का अधिनियम: गवर्नर-जनरल की परिषद और सर्वोच्च न्यायालय में क्षेत्राधिकार शक्तियों का विभाजन।
- 1774: रोहिल्ला और अवध के नवाब के बीच रोहिल्ला युद्ध।
- 1775-82: प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध
- 1782: सालबाई की संधि (1782)
- 1780-84: द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध।
- 1784: विलीम जोन्स के साथ बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी का गठन।
- 1784: पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ
- हेस्टिंग्स द्वारा लिखित भगवद गीता के अंग्रेजी अनुवाद का परिचय

लॉर्ड कार्नवालिस (1786-1793)

- निचली श्रेणी के न्यायालयों और अपीलीय न्यायालयों की नींव रखी
- जिला न्यायाधीश के पद का परिचय।
- 1789-92: तीसरा आंग्ल-मैसूर युद्ध
    - 1792: श्रीरंगपट्टनम की संधि।
- पुलिस सुधार
- भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस और कंपनी के कर्मचारियों का बढ़ा वेतन
- 1791: जोनाथन डंकन द्वारा वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना।
- 1793: बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की गई।
- कार्नवालिस कोड 1793: न्यायिक सुधारों के लिए प्रावधान, राजस्व प्रशासन का पृथक्करण, और नागरिक अधिकार क्षेत्र।
- प्रशासनिक तंत्र का यूरोपीयकरण
- भारत में सिविल सेवाओं का परिचय

सर जॉन शोर (1793-1798)

- गैर-हस्तक्षेप की नीति
- 1793 के चार्टर अधिनियम का पारित होना
- निजाम और मराठों के बीच खारडा की लड़ाई (1795)

लॉर्ड वेलेस्ली (1798-1805)

- 1798: भारतीय राज्यों को अंग्रेजों के नियंत्रण में लाने के लिए सहायक गठबंधन की प्रणाली शुरू की।
- 1799: चौथा आंग्ल-मैसूर युद्ध।
- 1803-05: दूसरा आंग्ल-मराठा युद्ध।
- तंजौर (1799), सूरत (1800) और कर्नाटक (1801) का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया।
- 1802: बाजी राव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बेसिन की संधि।
- 1798: हैदराबाद के निजाम के साथ पहली सहायक संधि।
- कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की।
- 1801: मद्रास प्रेसीडेंसी का निर्माण।

सर जॉर्ज बार्लो (1805-1807)

- 1806 में वेल्लोर विद्रोह

लॉर्ड मिंटो प्रथम (1807-1813)

- 1809 में रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर

लॉर्ड हेस्टिंग्स (1813-1823)

- सर जॉन शोर द्वारा शुरू की गई अहस्तक्षेप की नीति को समाप्त किया
- 1814-16: एंग्लो-नेपाल युद्ध और सुगौली की संधि
- 1817-18: पिंडारियों के खिलाफ सैन्य अभियान।
- 1817: सिंधिया के साथ संधि।
- 1816-18: तीसरा आंग्ल-मराठा युद्ध।
- 1818: पेशवा पद का उन्मूलन।
- 1818: बॉम्बे प्रेसीडेंसी का निर्माण।
- प्रेस की सेंसरशिप समाप्त
- थॉमस मुनरो (मद्रास के राज्यपाल) द्वारा मद्रास में रैयतवारी प्रणाली की शुरुआत
- बॉम्बे और उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांतों में महलवारी प्रणाली की शुरुआत की

लॉर्ड एमहर्स्ट (1823-1828)

- 1824-26: प्रथम आंग्ल-बर्मा युद्ध।
- 1826: भरतपुर पर कब्जा।

लॉर्ड विलियम बेंटिक (1828-1835)

- 1828-33: बंगाल के गवर्नर-जनरल के रूप में नियुक्ति।
- चार्टर एक्ट 1833: इन्हें भारत का पहला गवर्नर-जनरल बनाया गया।
- सामाजिक सुधार जैसे- राजा राम मोहन राय की मदद से सती प्रथा का उन्मूलन (1829), ठगी का दमन (1830), शिशुहत्या और भ्रूण हत्या का दमन
- 1835: डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पर मैकाले की रिपोर्ट पारित की गई।
- मैकाले की सिफारिश के आधार पर अंग्रेजी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया
- अफीम के व्यापार को नियमित किया गया, लाइसेंस दिया गया और शुल्क का भुगतान किया गया

- सैन्य अधिकारियों को दिए जाने वाले भत्ते में कटौती के साथ-साथ सिविल सेवकों के वेतन में कमी
- उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी ने फारसी को अदालत की भाषा के रूप में बदल दिया
- महाराजा रणजीत सिंह के साथ "शाश्वत मित्रता" की संधि।
- लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीलीय न्यायालयों और सर्किटों का उन्मूलन।
- राजस्व आयुक्त और सर्किट आयुक्त की नियुक्ति।
- कलकत्ता में प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना
- मैसूर (1831), सेंट्रल कछार (1834), और कूर्ग (1834) का विलय

लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ (1835-36)

- इसने भारतीय प्रेस पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटा दिया जिस कारण इसे "भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता" कहा जाता है।

लॉर्ड ऑकलैंड (1836-42)

- 1838-42: पहला अफगान युद्ध।
- 1839: महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु।

लॉर्ड एलेनबरो (1842-1844)

- 1843: सिंध का विलय
- 1843: ग्वालियर के साथ युद्ध

लॉर्ड हार्डिंग प्रथम (1844-1848)

- 1845-46: प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध।
- 1846: लाहौर की संधि।
- कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलि जैसे सामाजिक सुधार।

लॉर्ड डलहौजी (1848-1856)

- व्यपगत का सिद्धांत: उन भारतीय राज्यों के विलय के लिए पेश किया गया, जिनके शासक की मृत्यु बिना प्राकृतिक उत्तराधिकारी के हुई।
- उदाहरण: सतारा (1848), उदयपुर (1852), झांसी (1853), जैतपुर, और संबलपुर (1854), और नागपुर (1854)।
- सुशासन का सिद्धांत के आधार पर दो राज्यों का विलय- अवध और पंजाब
- 1854: शिक्षा पर चार्ल्स वुड डिस्पैच की स्वीकृति जिसे "ब्रिटिश शिक्षा का मैग्ना कार्टा" कहा जाता है
- एंग्लो-वर्नाक्यूलर स्कूल और सरकारी कॉलेज खोलना।
- 1853: बॉम्बे और ठाणे को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन।
- डाकघर अधिनियम 1854 का पारित किया गया
- पहली बार डाक टिकट जारी की गयी।
- डाक और तार प्रणाली की स्थापना की गई।
- पहली टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता और आगरा के बीच बिछाई गई
- नहरों, पुलों, सड़कों आदि के निर्माण एवं रख-रखाव के लिए प्रत्येक प्रान्त में पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की
- 1854: गंगा नहर को जनता के लिए खोल दिया गया।
- 1848-49: दूसरा आंग्ल-सिक्ख युद्ध
- 1849: पंजाब का विलय (1849)
- 1852: लोअर बर्मा या पेगु का विलय।
- उपाधियों और पेंशनों का उन्मूलन
- शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी और सेना का स्थायी मुख्यालय बनाया गया
- भारतीय सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान लाया गया
- बंगाल तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया गया
- रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना
- 1853 का चार्टर अधिनियम पारित करना
- विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सहायता से पारित करना।

लॉर्ड कैनिंग-(1856-1857)

- 1857: बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय।
- 1857 का विद्रोह

वायसराय

लॉर्ड कैनिंग (1857-1862)

- भारत का प्रथम वायसराय
- रानी की उद्घोषणा और भारत सरकार अधिनियम, 1858
- भारत के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया
- भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज में स्थानांतरित कर दिया गया ।
- 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम का पारित होना- केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की स्थापना की गई
- लार्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति (व्यपगत का सिद्धांत) का अंत
- भारतीय दंड संहिता (1858), दंड प्रक्रिया संहिता (1859) और उच्च न्यायालय अधिनियम (1861) का परिचय
- नील विद्रोह (1859-60)- बंगाल
- भारत में गुलामी को अवैध घोषित किया गया
- 1859 में यूरोपीय सैनिकों द्वारा श्वेत विद्रोह

लॉर्ड मेयो (1869-1872)

- कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना
- वित्तीय विकेंद्रीकरण

- भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना
- 1871 - भारत में पहली जनगणना हुई लेकिन यह असफल रही
- भारतीय राजकुमारों को राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज और काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज की स्थापना।
- राज्य रेलवे लाई गयी

<u>लॉर्ड लिटन (1876-1880)</u>

- 1876 का रॉयल टाइटल एक्ट को पारित किया गया और महारानी विक्टोरिया ने "भारत की महारानी" या "कैसर-ए-हिंद" की उपाधि धारण की।
- 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का पारित होना- इसे गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है।
- 1877 का पहला दिल्ली दरबार
- 1876-78 में मद्रास, बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद, पंजाब और मध्य भारत के हिस्से को प्रभावित करने वाले अकाल के बाद सर रिचर्ड स्ट्रैची के तहत एक अकाल आयोग की नियुक्ति
- दूसरा अफगान युद्ध (1878-80)
- भारतीय सिविल सेवा (आईसीएस) परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा को 21 से घटाकर 19 वर्ष करना
- 1878 के शस्त्र अधिनियम का पारित होना

<u>लॉर्ड कैनिंग (1857-1862)</u>

- भारत का प्रथम वायसराय
- रानी की उद्घोषणा और भारत सरकार अधिनियम, 1858
- भारत के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया
- भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज में स्थानांतरित कर दिया गया ।
- 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम का पारित होना- केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की स्थापना की गई
- लार्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति (व्यपगत का सिद्धांत) का अंत
- भारतीय दंड संहिता (1858), दंड प्रक्रिया संहिता (1859) और उच्च न्यायालय अधिनियम (1861) का परिचय
- नील विद्रोह (1859-60)- बंगाल
- भारत में गुलामी को अवैध घोषित किया गया
- 1859 में यूरोपीय सैनिकों द्वारा श्वेत विद्रोह

<u>लॉर्ड मेयो (1869-1872)</u>

- कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना
- वित्तीय विकेंद्रीकरण
- भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना
- 1871 - भारत में पहली जनगणना हुई लेकिन यह असफल रही

- भारतीय राजकुमारों को राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज और काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज की स्थापना।
- राज्य रेलवे लाईगयी

<u>लॉर्ड लिटन (1876-1880)</u>

- 1876 का रॉयल टाइटल एक्ट को पारित किया गया और महारानी विक्टोरिया ने "भारत की महारानी" या "कैसर-ए-हिंद" की उपाधि धारण की।
- 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का पारित होना- इसे गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है।
- 1877 का पहला दिल्ली दरबार
- 1876-78 में मद्रास, बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद, पंजाब और मध्य भारत के हिस्से को प्रभावित करने वाले अकाल के बाद सर रिचर्ड स्ट्रैची के तहत एक अकाल आयोग की नियुक्ति
- दूसरा अफगान युद्ध (1878-80)
- भारतीय सिविल सेवा (आईसीएस) परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा को 21 से घटाकर 19 वर्ष करना
- 1878 के शस्त्र अधिनियम का पारित होना

<u>लॉर्ड रिपन (1880-1884)</u>

- 1881 का पहला कारखाना अधिनियम
- वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया।
- भारत की पहली सफल जनगणना 1881 में हुई थी
- 1882 - स्कूली शिक्षा के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति।
- 1883-84- इल्बर्ट बिल विवाद
- 1882- स्थानीय स्वशासन पर सरकारी संकल्प
- 1883-85 के दौरान विभिन्न प्रांतों में स्थानीय स्वशासन अधिनियमों को पारित करना
- पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार, "रिपन सबसे महान और सबसे प्रिय वायसराय था जिसे भारत जानता है"।

<u>लॉर्ड डफरिन (1884-1888)</u>

- 1885- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन
- तीसरा बर्मा युद्ध- 1885 में ऊपरी और निचले बर्मा का विलय
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को "सूक्ष्म अल्पसंख्यक" कहा ।

<u>लॉर्ड लैंसडाउन (1888-1894)</u>

- 1891 का कारखाना अधिनियम
- भारतीय सिविल सेवाओं को शाही, अनंतिम और अधीनस्थ में वर्गीकृत किया गया
- 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित करना
- 1893 का डूरंड आयोग- भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा को परिभाषित करने के लिए (अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, रेखा का एक छोटा सा हिस्सा पीओके क्षेत्र में भारत को छूता है)

लॉर्ड कर्जन (1899-1905)

- सर एंथनी मैकडॉनेल के अधीन अकाल आयोग की नियुक्ति।
- 1899- भारतीय सिक्का और कागजी मुद्रा अधिनियम का परिचय
- 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर के तहत एक पुलिस आयोग की नियुक्ति
- 1903 का दूसरा दिल्ली दरबार
- 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया
- पुरातत्व विभाग की स्थापना की
- 1902- विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति
- 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का पारित होना
- 1905 - बंगाल विभाजन की घोषणा की गई
- स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन
- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की स्थापना
- कर्जन - किचनर विवाद
- 1904 में तिब्बत के लिए यंगहसबैंड का मिशन
- कर्जन ने कहा था की "कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मैं इसे एक शांतिपूर्ण मृत्यु दूंगा"।

लॉर्ड मिंटो II (1905-1910)

- 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को पारित करना (मॉर्ले-मिंटो सुधार)
- 1906 में ढाका में सलीमुल्लाह द्वारा मुस्लिम लीग का गठन। आगा खान को लीग के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था
- 10 अक्टूबर 1906 को बंगाल का विभाजन लागू हुआ
- कांग्रेस का सूरत अधिवेशन और कांग्रेस में विभाजन (1907)
- राजद्रोह के आरोप में तिलक को छह साल कैद की सजा सुनाई गई
- 30 अप्रैल, 1908 को खुदीराम बोस को फाँसी

लॉर्ड हार्डिंग II (1910-1916)

- 1911- बंगाल के विभाजन की समाप्ति
- 1911 में बंगाल प्रेसीडेंसी का निर्माण
- 1911 में किंग जॉर्ज पंचम के सम्मान में तीसरा दिल्ली दरबार
- भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गयी
- 1913 में सैन फ्रांसिस्को में ग़दर पार्टी का गठन
- 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना

लॉर्ड चेम्सफोर्ड (1916-1921)

- कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन (1916)
- कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता
- 1916 में तिलक और एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग
- गांधीजी की वापसी के बाद 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना
- चंपारण सत्याग्रह (1917), खेड़ा सत्याग्रह (1918) अहमदाबाद में मिल मालिकों के खिलाफ सत्याग्रह (1918) का शुभारंभ
- मोंटेग्यू की अगस्त घोषणा (1917)
- भारत सरकार अधिनियम, 1919 के पारित होने से प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई
- रॉलेट एक्ट, 1919
- जलियांवाला बाग हत्याकांड- 1919
- खिलाफत आंदोलन (1919-20)
- असहयोग आंदोलन (1920-22)
- पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना (1916)
- 1917 में शिक्षा के लिए सैडलर आयोग का गठन
- बिहार के गवर्नर के रूप में एस.पी. सिन्हा की नियुक्ति (गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय)
- 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु

लॉर्ड रीडिंग (1921-1926)

- 1921 में एम एन रॉय द्वारा ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन
- 1922 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी का गठन
- चौरी चौरा कांड -1922 और बाद में असहयोग आंदोलन की वापसी
- 1910 के प्रेस अधिनियम का निरसन और 1919 का रॉलेट अधिनियम
- आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम पारित किया गया और कपास पर उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिया गया
- मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अरवी, अलीगढ़ और कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे
- 1923 से आईसीएस परीक्षा का भारत और लंदन में एक साथ आयोजन
- 1926 में स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या
- 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का गठन
- काकोरी ट्रेन डकैती- 1925
- केरल में मोपला विद्रोह- 1921

लॉर्ड इरविन (1926-1931)

- 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति। आयोग 1928 में भारत आया
- 1928 - लखनऊ में आयोजित एक सर्वदलीय सम्मेलन में भारत के भविष्य के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए

- नेहरू रिपोर्ट पारित की गयी
- 1929 - कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन
- "पूर्ण स्वराज की घोषणा" - ने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता को अपने लक्ष्य के रूप में अपनाया
- लाहौर के असिस्टेंट एसपी सॉन्डर्स की हत्या
- दिल्ली के सभा भवन में बम विस्फोट- 1929
- लाहौर षडयंत्र केस
- लंबी भूख हड़ताल के बाद जतिन दास की मृत्यु (1929)
- दिल्ली ट्रेन बम घटना- 1929
- 1930- सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत
- गांधीजी द्वारा दांडी मार्च- 12 मार्च, 1930
- 1929 में लॉर्ड इरविन द्वारा "दीपावली की घोषणा"
- 1931 का गांधी-इरविन समझौता
- सविनय अवज्ञा आंदोलन का निलंबन
- 1 जनवरी 1930 - जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा फहराया
- 1928- अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन
- 1927 में हारकोर्ट बटलर भारतीय राज्य आयोग की नियुक्ति
- 1930- पहला गोलमेज सम्मेलन

<u>लॉर्ड विलिंगडन (1931-1936)</u>

- 1931- दूसरा गोलमेज सम्मेलन और इसकी विफलता और सविनय अवज्ञा आंदोलन की पुनः शुरुआत
- 1932 में रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित सांप्रदायिक पुरस्कार
- यरवदा जेल में गांधीजी द्वारा "आमरण अनशन"। 1932 में पूना पैक्ट पास होने के बाद अनशन ख़त्म किया
- 1932- तीसरा गोलमेज सम्मेलन
- 1935 के भारत सरकार अधिनियम का पारित होना
- व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ
- 1934 - आचार्य नारायण देव और जयप्रकाश नारायण द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन।
- 1935 में बर्मा भारत से अलग हुआ
- 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना

<u>लॉर्ड लिनलिथगो (1936-1944)</u>

- पहला आम चुनाव हुआ (1936-37) - कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया
- 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के बाद कांग्रेस के मंत्रालयों का इस्तीफा
- 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस का चुनाव
- 1938 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस से इस्तीफा और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन
- 1939 में मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया
- 1940 - मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर प्रस्ताव- मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग।
- 1940- अगस्त प्रस्ताव- कांग्रेस द्वारा इसकी आलोचना और मुस्लिम लीग द्वारा समर्थन
- 1940 में विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधान मंत्री चुने गए
- सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना का संगठन
- 1942- क्रिप्स मिशन- भारत को डोमिनियन का दर्जा प्रदान करना और संविधान सभा की स्थापना- कांग्रेस द्वारा अस्वीकृति
- 1942- भारत छोड़ो आंदोलन
- 1942 - राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अगस्त क्रांति
- 1944- मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में फूट डालो और छोड़ो का नारा अपनाया गया

<u>लॉर्ड वेवेल (1944-1947)</u>

- 1944- सी आर फॉर्मूला
- गांधी-जिन्ना वार्ता की विफलता- 1944
- द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति- 1945
- वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन- 1945
- संविधान सभा के लिए चुनाव
- 1946 में कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन
- 1946- कैबिनेट मिशन योजना और कांग्रेस द्वारा इसकी स्वीकृति
- 16 अगस्त 1946- मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस
- एटली की 20 फरवरी 1947 की घोषणा- जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित की जाएगी

<u>लॉर्ड माउंटबेटन (1947-1948)</u>

- भारत के अंतिम वायसराय
- स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर-जनरल
- 3 जून 1947 की योजना की घोषणा
- हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया
- 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
- 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन अस्तित्व में आया
- सर सिरिल रैडक्लिफ के अधीन दो सीमा आयोगों की नियुक्ति

सी राजगोपालाचारी (1948-1950)

- स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर-जनरल
- एकमात्र भारतीय गवर्नर-जनरल - 21 जून 1948 से 25 जनवरी 1955 तक पद पर बने रहे

कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण सत्र

	अध्यक्ष	घटनाये
बॉम्बे, 1885	डब्ल्यू सी बनर्जी	**पहला सत्र- 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया**
कलकत्ता, 1886	दादाभाई नौरोजी	राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय सम्मेलन का विलय प्रतिनिधियों की संख्या बढ़कर 436 हो गई
मद्रास, 1887	सैयद बदरुद्दीन तैयबजीSyed	**कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम अध्यक्ष**
इलाहाबा, 1888	जॉर्ज यूल	कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज़ अध्यक्ष
कलकत्ता, 1896	रहीमतुल्लाह एम. सयानी	पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया
लखनऊ, 1899	रोमेश चंद्र दत्त	भू-राजस्व के स्थायी निर्धारण की मांग
कलकत्ता, 1901	दिनशॉ ई. वाचा	पहली बार गांधीजी कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिए
बनारस, 1905	गोपाल कृष्ण गोखले	• बंगाल के बंटवारे को लेकर आए फैसले पर नाराजगी • स्वदेशी आंदोलन की उद्घोषणा।
कलकत्ता, 1906	दादाभाई नौरोजी	चार प्रस्तावों को अपनाया गया- • स्वराज (पहली बार उल्लिखित शब्द), • बहिष्कार आंदोलन, • स्वदेशी • राष्ट्रीय शिक्षा
सूरत, 1907	रास बिहारी घोष	कांग्रेस में विभाजन- नरमपंथी और चरमपंथी
मद्रास, 1908	रास बिहारी घोष	कांग्रेस के लिए संविधान तैयार किया गया
लाहौर, 1909	मदन मोहन मालवीय	भारतीय परिषद अधिनियम, 1909- मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल के प्रावधान पर अस्वीकृति
कलकत्ता, 1911	बिशन नारायण धर	पहली बार 'जन गण मन' का गायन
लखनऊ, 1916	ए.सी.मजूमदार	कांग्रेस के दो गुटो के बीच एकता - नरमपंथी और चरमपंथी • लखनऊ समझौता - कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त मांगें
कलकत्ता, 1917	एनी बेसेंट	कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष
बॉम्बे और दिल्ली, 1918	सैयद हसन इमाम (बम्बई) मदन मोहन मालवीय (दिल्ली)	विवादास्पद मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों पर विचार करना
अमृतसर, 1919	मोतीलाल नेहरू	• जलियांवाला बाग हत्याकांड की कड़ी निंदा • कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया
नागपुर, 1920	C.विजयराघवचारी	• कांग्रेस कार्य समितियों का भाषाई पुनर्गठन • जिन्ना ने कांग्रेस छोडी
अहमदाबाद, 1921	हकीम अजमल खान	हसरत मोहनी द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग
गया, 1922	सी. आर. दास	स्वराज पार्टी का गठन
बेलगाम, 1924	एम के गांधी	महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र सत्र
कानपुर, 1925	सरोजिनी नायडू	कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष
मद्रास, 1927	डॉ. एम.ए. अंसारी	• चीन, ईरान और मेसोपोटामिया में भारतीय सैनिकों के इस्तेमाल के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया।

		• साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ। • जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर पहली बार स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित हुआ
कलकत्ता, 1828	मोतीलाल नेहरू	अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन
लाहौर, 1929	जवाहर लाल नेहरू	• पूर्ण स्वराज' पर संकल्प पारित। • सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का संकल्प • 26 जनवरी को "स्वतंत्रता दिवस" मनाया जाना था।
कराची, 1931	वल्लभभाई पटेल	• मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर संकल्प। • गांधी-इरविन समझौते का समर्थन किया। • गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे
बॉम्बे, 1934	राजेन्द्र प्रसाद	कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन
लखनऊ, 1936	जवाहर लाल नेहरू	लक्ष्य के रूप में समाजवाद को अपनाना होगा- जवाहर लाल नेहरू
फैजपुर, 1937	जवाहर लाल नेहरू	कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो एक गाँव में हुआ था
हरिपुरा, 1938	सुभाष चंद्र बोस	जवाहर लाल नेहरू के तहत राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना
त्रिपुरी, 1939	राजेन्द्र प्रसाद (कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस का फिर से चुनाव लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा (गांधी जी ने पट्टाभि सीतारमैया का समर्थन किया), उनके स्थान पर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया)।	बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन
रामगढ, 1940	अबुल कलाम आज़ाद	सविनय अवज्ञा आंदोलन उचित समय और परिस्थितियों में शुरू किया जाएगा
1941-45	-	• क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना और कैबिनेट मिशन जैसी संवैधानिक वार्ताओं का चरण। • भारत छोड़ो, आरआईएन विद्रोह, आईएनए ट्रायल आदि जैसी घटनाओं की अवधि, इसलिए कोई कांग्रेस सत्र आयोजित नहीं किया गया था
मेरठ, 1946	आचार्य कृपलानी	• आजादी से पहले का आखिरी अधिवेशन • जेबी कृपलानी ने स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया

क्रांतिकारी संगठन/पार्टियाँ

वर्ष	**स्थान**	**संस्थापक**
	भारत	
व्यापमं मंडल, 1896-97	पूना	चापेकर ब्रदर्स
मित्र मेला, 1901	नासिक (बाद में पूना)	सावरकर ब्रदर्स
अनुशीलन समिति, 1902	मिदनापुर	प्रमथ नाथ मित्र
अभिनव भारत, 1904	पूना	वी डी सावरकरी
स्वदेश बांधव समिति, 1905	वारिसाल	अश्विनी कुमार दत्त
अनुशीलन समिति, 1907	ढाका	पुलिन बिहारी दास
भारत माता सोसाइटी, 1907	पंजाब	अजीत सिंह, सूफी अंबा प्रसाद

एचआरए, 1924	कानपुर	हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन/ सचिन्द्र नाथ सान्याल
भारत नौजवान सभा, 1926	लाहौर	भगत सिंह
एचएसआरए, 1928	दिल्ली	चन्द्र शेखर आजाद
फॉरवर्ड ब्लॉक, 1939	कलकत्ता	सुभास चन्द्र बोस
विदेशो में		
इंडिया होम रूल सोसाइटी, 1904	लंदन	श्यामजी कृष्ण वर्मा
अभिनव भारत, 1906	लंदन	वी. डी. सावरकरी
इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, 1907	कैलिफोर्निया (यूएसए)	तारक नाथ दास
ग़दर पार्टी, 1913	सैन फ्रांसिस्को	लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना
इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, 1914	बर्लिन (जर्मनी)	वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय
भारतीय स्वतंत्रता लीग और सरकार, 1915	काबुल	राजा महेंद्र प्रताप

क्रांतिकारी घटनाएँ/मामले

वर्ष	स्थान	घटनाएँ	अभियुक्त
1897	पूना	प्लेग आयुक्तों रैंड और एमहर्स्ट की हत्या	चापेकर बन्धु
1908	मुजफ्फरपुर	किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास	खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकिक
1908	मानिकटोला (कलकत्ता) और अलीपुर	मानिकटोला उद्यान में सरकार द्वारा अवैध हथियारों की तलाशी और अलीपुर षड़यंत्र केस	अरबिंदो घोष
1909	नासिक	जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या	अनंत कान्हरे
1909	लंदन	कर्जन वाइली की हत्या	मदन लाल ढींगरा
1912	दिल्ली	दिल्ली बम मामला- वायसराय हार्डिंग की हत्या का प्रयास	रास बिहारी बोस और बसंत कुमार
1925	काकोरी	काकोरी ट्रेन डकैती का मामला	राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला
1928	लाहौर	सॉन्डर्स की हत्या	भगत सिंह
1929	दिल्ली	असेंबली बम केस	भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त
1930	चटगांव	चटगांव शस्त्रागार छापे	सूर्य सेन
1940	लंदन	माइकल ओ'डायर की हत्या	उधम सिंह

भारतीय संविधान

भारतीय संविधान

भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास

1773 ई. का रेग्युलेटिंग एक्ट:- तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नार्थ द्वारा 1772 ई. में गठित गुप्त समिति के प्रतिवेदन पर 1773 ई. में ब्रिटिश संसद द्वारा रेग्युलेटिंग एक्ट पारस किया गया। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैः-

1. कम्पनी के डायरेक्टर सभी प्रकार के कार्यो से सरकार को अवगत कराएँ।
2. संचालन मण्डल का कार्यकाल चार वर्ष कर दया गया।
3. बंगाल में 1774 ई. में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई।
4. बंगाल में एक प्रशासक मंडल गठित किया गया, जिसमें गवर्नर जनरल तथा चार पार्षद नियुक्त किये गये।
5. कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद् को दिया गया।
6. बंगाल के गवर्नर को अब समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कहा गया ।

1793 का चार्टर एक्ट The Charter Act of 1793:-
कम्पनी के कार्यो और संगठन में सुधार करने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:-

1. कम्पनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्षो के लिए बढा दिया गया।
2. शासकों के व्यक्तिगत नियमों की जगह ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में लिखित विधि-विधानों द्वारा प्रशासन की आधारशिला रखी गई।
3. गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों की परिषदों के सदस्यों की योग्यता के लिए सदस्य को कम-से-कम 12 वर्षो के तक भारत में रहने के अनुभव को आवश्यक कर दिया गया।
4. नियंत्रक मण्डल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया।
5. सभी कानूनों एवं विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दिया गया ।

1833 का चार्टर अधिनियम The Charter Act of 1833:-
1833 ई. में चार्टर अधिनियम पारित किया गया, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किये गये थे।

1. कम्पनी के व्यापारिक एकाधिकार (चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार करने संबंधी) को समाप्त करके उसे प्रशासनिक तथा राजनीतिक संस्था बना दिया गया।
2. कम्पनी के नियंत्रक मण्डल के अधिकार को सीमित किया गया।
3. बंगाल के गवर्नर जनरल को सम्पूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया।
4. गवर्नर जनरल की परिषद् को सम्पूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया।

1858 का भारत शासन अधिनियम The Government of India Act, :- 1858 इस अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान किये गये थे

1. भारत में कम्पनी के शासन को समाप्त कर दिया गया तथा शासन का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार (ब्रिटेन की संसद) को सौंप दिया गया।
2. कम्पनी के निदेशक मण्डल, नियंत्रक मण्डल तथा गुप्त समिति को समाप्त करके इनके अधिकारों तथा शक्तियों के प्रयोग का अधिकार ब्रिटेन की साम्राज्ञी की ओर से भारत राज्य सचिव (Secretary of state for india) को सौंप दिया गया।
3. भारत राज्य सचिव के कार्यो में सहायता देने हेतु 15 सदस्यों की एक 'भारत परिषद्' की स्थापना की गयी।
4. भारत के गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया।
5. कम्पनी की सेनाओं को ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया।

भारतीय परिषद् अधिनियम 1861 Indian Council Act, 1861:- इस अधिनियम में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी थी

1. गवर्नर जनरल को नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया।
2. गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया।
3. गवर्नर जनरल को विधायी कार्यो हेतु नये प्रान्त के निर्माण का तथा नवनिर्मित प्रान्त में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया।
4. केन्द्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढाकर 5 कर दी गई।
5. गवर्नर जनरल की विधान परिषद् की संख्या में वृद्धि कर की गयी।
   नोटः-1909, 1919, 1935 के अधिनियम की चर्चा इतिहास में की जा चुकी है ।

संविधान की पृष्ठभूमि

संविधान सभा

- सर्वप्रथम 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की ।
- 1938 में कांग्रेस ने यह मांग की कि प्रत्यक्ष निर्वाचन से संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए
- 1940 अगस्त प्रस्ताव - इसके तहत पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा यह स्वीकार किया गया कि संविधान सभा में भारतीय सदस्य होगें और भारतीय सदस्य ही संविधान बनाएगें ।
- 1942 क्रिप्स मिशन - इसके तहत पहली बार संविधान सभा एवं इसके निर्वाचन की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया ।
- 1946 कैबिनेट मिशन - इसकी सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन जुलाई - अगस्त 1946 में हुआ । संविधान सभा का चुनाव प्रान्तीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा आनुपातिक पद्धति के एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया गया । इसके तहत संविधान सभा के सदस्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया ।
  (1) मुस्लिम (2) सिक्ख
  (3) सामान्य

संविधान सभा के सदस्य :-

संविधान सभा की प्रथम बैठक :- 9 दिसम्बर 1946 अध्यक्ष - सच्चिदानंद सिन्हा

संविधान सभा की दूसरी बैठक :- 11 दिसम्बर

1946 स्थायी अध्यक्ष - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद,
उपाध्यक्ष - H. C. मुखर्जी
सलाहकार - B. N. राव

- संविधान का पहला प्रारूप B. N. राव ने तैयार किया संविधान का मुख्य प्रारूप B. R. अम्बेडकर ने तैयार किया ।
- 13 दिसम्बर को जवाहर लाल नेहरू द्वारा 'उद्देश्य प्रस्ताव' पेश किया गया जो कि 22 जनवरी 1947 को पास किया गया ।

उद्देश्य प्रस्ताव

- यह एक प्रकार से संविधान के लिए संविधान की रूपरेखा थी । इसमें संविधान के मूल आदर्शों की स्थापना की गई । यह एक मार्गदर्शिका थी ।
- संविधान सभा ने अपने कार्य विभाजन के लिए अनेक समितियों का गठन किया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण समितियां इस प्रकार है -

क्र.सं.	समितियां	अध्यक्ष
1.	संघीय शक्ति समिति	जवाहरलाल नेहरू
2.	संघीय संविधान समिति	जवाहरलाल नेहरू
3.	प्रान्तीय संविधान समिति	सरदार वल्लभ भाई पटेल
4.	मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक के समर्थन में सलाहकार समिति	सरदार वल्लभ भाई पटेल
5.	राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में तदर्थ समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
6.	मूल अधिकारों के संदर्भ में उप समिति	जे. बी. कृपलानी
7.	अल्प संख्यकों के संदर्भ में उप समिति	एच. सी. मुखर्जी
8.	प्रारूप समिति	भीमराव अम्बेडकर

प्रारूप समिति :-

- इसमें कुल 7 सदस्य थे ।
- अध्यक्ष - भीमराव अम्बेडकर
- अन्य सदस्य -
  1. गोपाल स्वामी आयंगर
  2. अल्लदी कृष्णा स्वामी अय्यर
  3. के. एम. मुंशी
  4. सईद मोहम्मद सादुल्ला
  5. बी. एल. मिश्र, स्वास्थ्य खराब होने के कारण इसके स्थान पर एन. माधवराव आए थे ।
  6. डी. पी. खैतान, मृत्यु होने पर इसके स्थान पर टी. टी. कृष्णामाचारी आए थे ।
- 15 अगस्त 1947 के बाद भारत व पाकिस्तान के विभाजन के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे ।
- अंतिम रूप से संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे । जे. पी. नारायण एवं तेज बहादुर सप्रु ने खराब स्वास्थ्य के कारण संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया ।
- 22 जुलाई 1947 के बाद संविधान सभा ने तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दी ।
- 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा ने विधानमंडल का कार्य भी किया जिसके अध्यक्ष जी. वी. मावलंकर थे ।
- 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता के लिए मान्यता दे दी ।

- संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी । सरोजनी नायडू, ऊषा मेहता, दुर्गा बाई देशमुख एवं अन्य
- 26 नवम्बर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और इसी दिन 284 सदस्यों ने संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किये । इसी दिन से 15 अनुच्छेद लागू किये गये । संविधान का शेष भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ ।
- संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी, 1950 को हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान को मान्यता दी गयी । इसके बाद भी संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य करती रही । इसके बाद 1952 में संसद के गठन के बाद संविधान सभा पूर्णतया समाप्त हो गयी ।

- <u>संविधान सभा का मूल संविधान</u> :- भाग = 22, अनुच्छेद = 395, अनुसूचियाँ = 12
<u>वर्तमान में</u> :- भाग = 24 (चार नए भाग हैं- 4A, 9A, 9B, 14A) (नोट- 7 वां भाग 7 वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया ।) अनुच्छेद = 446, अनुसूचियाँ = 12

भारतीय संविधान के स्त्रोत

1. <u>भारत सरकार अधिनियम 1935</u> :- यह भारतीय संविधान का मुख्य स्त्रोत है । हमारे संविधान के लगभग 2/3 अनुच्छेद इसी से लिए गए है । आपातकाल लगाने की व्यवस्था केन्द्र व राज्यों के बीच विषयों का विभाजन आदि ।

2. <u>ब्रिटेन/इंग्लैण्ड</u> :-
(1) संसदीय शासन व्यवस्था
(2) कैबिनेट व्यवस्था
(3) सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना
(4) राष्ट्रपति का अभिभाषण
(5) रिट जारी करना
(6) एकल नागरिकता
(7) न्याय के समक्ष समानता
(8) First Past The Post System (सर्वाधिक मत लाने वाला व्यक्ति विजयी होगा)
(9) CAG की व्यवस्था, विधि का शासन

3. <u>अमेरिका</u> :-
(1) मूल अधिकार
(2) न्यायिक पुनरावलोकन
(3) न्यायिक सर्वोच्चता
(4) विधि की सम्यक प्रक्रिया (Due Process of Law)
(5) राष्ट्रपति पर महाभियोग
(6) सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के जजों को हटाने की प्रक्रिया
(7) प्रस्तावना की शुरूआत "हम भारत के लोग भारत को"
(8) उपराष्ट्रपति का पद

4. <u>आयरलैण्ड</u> :-
(1) नीति निदेशक तत्व
(2) राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति
(3) राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन

5. <u>ऑस्ट्रेलिया</u> :-
(1) समवर्ती सूची
(2) संयुक्त अधिवेशन
(3) अन्तर्राज्यीय व्यापार-वाणिज्य और समागम
(4) प्रस्तावना का प्रारूप

6. दक्षिण अफ्रीका :-
(1) संविधान संशोधन
(2) राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन

7. कनाडा :-
(1) संघात्मक ढांचा – केन्द्र राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं, अवशिष्ट शक्ति केन्द्र के पास होती है ।
(2) राज्यपाल की नियुक्ति (जो कि केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति करता हैं)
(3) सुप्रीम कोर्ट की परामर्शदात्री व्यवस्था

8. फ्रांस :-
(1) गणतंत्रात्मक व्यवस्था
(2) स्वतंत्रता, समानता बंधुत्व

9. जर्मनी :-
(1) वाइमर/वीमर गणतंत्र
(आपातकाल में मूल अधिकारों का निलम्बन)

10. रूस :-
(1) मूल कर्तव्य
(2) न्याय (सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय) - Preamble

11. जापान :- (1) विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया (अनुच्छेद – 21)

संविधान के भाग

भाग 1

संघ और उसका राज्यक्षेत्र (Union and the territory)

अनुच्छेद 1 : संघ का नाम और राज्यक्षेत्र
अनुच्छेद 2 : नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
अनुच्छेद 2 क : निरसित (Deleted)
अनुच्छेद 3 : नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन
अनुच्छेद 4 : पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ

भाग 2

नागरिकता (Citizenship)

अनुच्छेद 5 : संविधान के प्रारम्भ पर नागरिकता
अनुच्छेद 6 : पाकिस्तान से भारत को प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
अनुच्छेद 7 : पाकिस्तान को प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
अनुच्छेद 8 : भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
अनुच्छेद 9 : विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना ।
अनुच्छेद 10 : नागरिकता के अधिकारों का बना रहना
अनुच्छेद 11 : संसद् द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना

अनुच्छेद 16 : लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता

अनुच्छेद 17 : अस्पृश्यकता का अंत

अनुच्छेद 18 : उपधियों का अंत

2. स्वातंत्र्य – अधिकार (Right to Freedom)

अनुच्छेद 19 : वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण

अनुच्छेद 20 : अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

अनुच्छेद 21 : प्राण और दैहहिक स्वतंत्रता का संरक्षण

अनुच्छेद 22 : कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण

3. शोषण के विरूद्ध अधिकार (Right Against Exploitation)

अनुच्छेद 23 : मानव के दुर्व्यापार और वलात्श्रम का प्रतिषेध

अनुच्छेद 24 : कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध

4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion)

अनुच्छेद 25 : अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 26 : धार्मिक कार्यो के प्रबंध की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 27 : किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता

अनुच्छेद 28 : कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता

5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (Cultural and Educational Rights)

अनुच्छेद 29 : अल्पसंख्यक – वर्गों के हितों का संरक्षण

अनुच्छेद 30 : शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार

अनुच्छेद 31. (निरसित)

कुछ विधियों की व्यावृत्ति (Saving of certain Laws)

अनुच्छेद 31 – क : संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों का व्यावृत्ति ।

अनुच्छेद 31 – ख : कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण

अनुच्छेद 31 – ग : कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति ।

अनुच्छेद 31 – घ : (निरसित)

6. सांविधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies)

अनुच्छेद 32 : इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार ।

अनुच्छेद 32 क : (निरसित)

अनुच्छेद 33 : इस भाग द्वारा प्रदत्ता अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद् की शक्ति ।

अनुच्छेद 34 : जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त हैं तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन

अनुच्छेद 35 : इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान

भाग 4

राज्य की नीति के निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy)

अनुच्छेद 36 : परिभाषा

अनुच्छेद 37 : इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना

अनुच्छेद 38 : राज्य के लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ।

अनुच्छेद 39 : राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व

अनुच्छेद 39 – क : समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता

अनुच्छेद 40 : ग्राम पंचायतों का संगठन

अनुच्छेद 41 : कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार

अनुच्छेद 42 : काम की न्यायसंगत और नानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध

अनुच्छेद 43 – क : उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना

अनुच्छेद 44 : नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता

अनुच्छेद 45 : बालकों के लिए निःशुल्क और अनविार्य शिक्षा का उपबंध

अनुच्छेद 46 : अनुसुचित जातियों, अनुसुचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि

अनुच्छेद 47 : पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य
अनुच्छेद 48 : कृषि और पशु पालन का संगठन
अनुच्छेद 48-क : पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा
अनुच्छेद 49 : राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
अनुच्छेद 50 : कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण
अनुच्छेद 51 : अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि

भाग 4-क

मूल कर्तव्य (Fundamental Duties)

अनुच्छेद 51 - कः मूल कर्तव्य

भाग 5

संघ (The Union)

अध्याय 1 - कार्यपालिका (The Executive)

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति (The President and Vice President)

अनुच्छेद 52 : भारत का राष्ट्रपति
अनुच्छेद 53 : संघ की कार्यपालिका शक्ति
अनुच्छेद 54 : राष्ट्रपति का निर्वाचन
अनुच्छेद 55 : राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति
अनुच्छेद 56 : राष्ट्रपति की पदावधि
अनुच्छेद 57 : पुनर्निवाचन के लिए पात्रता
अनुच्छेद 58 : राष्ट्रपति निर्वाचित हाने के लिए अर्हताएं
अनुच्छेद 59 : राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें
अनुच्छेद 60 : राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद 61 : राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
अनुच्छेद 62 : राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि
अनुच्छेद 63 : भारत का उपराष्ट्रपति
अनुच्छेद 64 : उपराष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना
अनुच्छेद 65 : राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन
अनुच्छेद 66 : उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
अनुच्छेद 67 : उपराष्ट्रपति की पदावधि
अनुच्छेद 68 : उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि
अनुच्छेद 69 : उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद 70 : अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन
अनुच्छेद 71 : राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय
अनुच्छेद 72 : क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति
अनुच्छेद 73 : संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

मंत्रि परिषद (Council of Ministers)

अनुच्छेद 74 : राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद्
अनुच्छेद 75 : मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध

भारत का महान्यायवादी (The Attorney General of India)

अनुच्छेद 76 : भारत का महान्यायवादी

सरकारी कार्य का संचालन (Conduct of Government Business)

अनुच्छेद 77 : भारत सरकार के कार्य का संचालन
अनुच्छेद 78 : राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य

अध्याय 2 - संसद (Parliament)

साधारण (General)

अनुच्छेद 79 : संसद का गठन
अनुच्छेद 80 : राज्य सभा की संरचना
अनुच्छेद 81 : लोक सभा की संरचना
अनुच्छेद 82 : प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन
अनुच्छेद 83 : संसद के सदनों की अवधि
अनुच्छेद 84 : संसद की सदस्यता के लिए अर्हता
अनुच्छेद 85 : संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन
अनुच्छेद 86 : सदनों में अभिभाषण का और उनकों संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार
अनुच्छेद 87 : राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण
अनुच्छेद 88 : सदनों के बारे में मंत्रियों और

महान्यायवादी के अधिकार

संसद के अधिकारी (Officers of Parliament)

अनुच्छेद 89 : राज्य सभा का सभापति और उपसभापति

अनुच्छेद 90 : उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना

अनुच्छेद 91 : सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति, के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति

अनुच्छेद 92 : जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना

अनुच्छेद 93 : लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

अनुच्छेद 94 : अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना

अनुच्छेद 95 : अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति

अनुच्छेद 96 : जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना

अनुच्छेद 97 : सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते

अनुच्छेद 98 : संसद का सचिवालय

कार्य संचालन (Conduct of Business)

अनुच्छेद 99 : सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

अनुच्छेद 100 : सदनों के मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति

सदस्यों की निरर्हताएं (Disqualification of Members)

अनुच्छेद 101 : स्थानों का रिक्त होना

अनुच्छेद 102 : सदस्यों के लिए निरर्हताएं

अनुच्छेद 103 : सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय

अनुच्छेद 104 : अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति

संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ (Power's Priviledges and Immunities of Parliament and its Members)

अनुच्छेद 105 : संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां,विशेषाधिकार आदि

अनुच्छेद 106 : सदस्यों के वेतन और भत्ते

विधायी प्रक्रिया (Legislative Procedure)

अनुच्छेद 107 :

अनुच्छेद 108 : कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक

अनुच्छेद 109 : धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया

अनुच्छेद 110 : ''धन विधेयक'' की परिभाषा

अनुच्छेद 111 : विधेयकों पर अनुमति

वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया (Procedure in financial Matters)

अनुच्छेद 112 : वार्षिक वित्तीय विवरण

अनुच्छेद 113 : संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया

अनुच्छेद 114 : विनियोग विधेयक

अनुच्छेद 115 : अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान

अनुच्छेद 116 : लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादनुदान

अनुच्छेद 117 : वित्तत विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध

साधारणतया प्रक्रिया **(Procedure Generality)**

अनुच्छेद 118 : प्रक्रिया के नियम

अनुच्छेद 119 : संसद में वित्तीय कार्य संबंध प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन

अनुच्छेद 120 : संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा

अनुच्छेद 121 : संसद में चर्चा पर निर्बन्धन

अनुच्छेद 122 : न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना

अध्याय 3 – राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां **(Legislative Powers of the President)**

अनुच्छेद 123 : संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति

अध्याय 4– संघ की न्यायपालिका (The Union Judiciary)

अनुच्छेद 124 : उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन
अनुच्छेद 125 : न्यायाधीशों के वेतन आदि
अनुच्छेद 126 : कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति
अनुच्छेद 127 : तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति
अनुच्छेद 128 : उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत न्यायाधीशों की उपस्थिति
अनुच्छेद 129 : उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना
अनुच्छेद 130 : उच्चतम न्यायालय का स्थान
अनुच्छेद 131 : उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता
अनुच्छेद 131 क : (निरसित)
अनुच्छेद 132 : कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता
अनुच्छेद 133 : उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता
अनुच्छेद 134 – क : उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाणपत्र
अनुच्छेद 135 : विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना
अनुच्छेद 136 : अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत
अनुच्छेद 137 : निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन
अनुच्छेद 138 : उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि
अनुच्छेद 139 : कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त कियाजाना
अनुच्छेद 139 क : कुछ मामलों का अंतरण
अनुच्छेद 140 : उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियाँ
अनुच्छेद 141 : उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना
अनुच्छेद 142 : उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश
अनुच्छेद 143 : उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
अनुच्छेद 144 : सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना
अनुच्छेद 144 – क : (निरसित)
अनुच्छेद 145 : न्यायालय के नियम आदि
अनुच्छेद 146 : उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय
अनुच्छेद 147 : निर्वचन

<u>अध्याय 5 – भारत का नियंत्रक – महालेखापरीक्षक (Comptrollet and Auditor General of India)</u>

अनुच्छेद 148 : भारत का नियंत्रक – महालेखापरीक्षक
अनुच्छेद 149 : नियंत्रक – महालेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ
अनुच्छेद 150 : संघ के राज्यों के लेखाओं का प्रारूप
अनुच्छेद 151 : संपरीक्षा प्रतिवेदन

भाग 6

राज्य (The States)

अध्याय 1 – साधारण (General)
अनुच्छेद 152 : परिभाषा
अध्याय 2 – कार्यपालिका (The Executive)
राज्यपाल (The Governor)
अनुच्छेद 153 : राज्यों के राज्यपाल
अनुच्छेद 154 : राज्य की कार्यपालिका शक्ति
अनुच्छेद 155 : राज्यपाल की नियुक्ति
अनुच्छेद 156 : राज्यपाल की पदावधि
अनुच्छेद 157 : राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं
अनुच्छेद 158 : राज्यपाल के पद के लिए शर्तें
अनुच्छेद 159 : राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद 160 : कुछ आकस्मिकताओं में राज्यापाल के कृत्यों का निर्वहन
अनुच्छेद 161 : क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति
अनुच्छेद 162 : राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

मंत्रि – परिषद (Council of Ministers)

अनुच्छेद 163 : राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि परिषद
अनुच्छेद 164 : मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध

राज्य का महाधिवक्ता (Advocate General for the State)
अनुच्छेद 165 : राज्य का महाधिवक्ता

सरकारी कार्य का संचालन (Conduct of Government Business)

अनुच्छेद 166 : राज्य की सरकार के कार्य का संचालन
अनुच्छेद 167 : राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य

अध्याय 3 – राज्य का विधान – मंडल (The State Legislature

साधारण (General)

अनुच्छेद 168 : राज्यों के विधान – मंडलों का गठन
अनुच्छेद 169 : राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन या सृजन
अनुच्छेद 170 : विधान सभाओं की संरचना
अनुच्छेद 171 : विधान परिषदों की संरचना
अनुच्छेद 172 : राज्यों के विधान मंडलों की अवधि
अनुच्छेद 173 : राज्य के विधान – मंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन
अनुच्छेद 174 : राज्य के विधान – मंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन
अनुच्छेद 175 : सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनकों संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार
अनुच्छेद 176 : राज्यपाल का विशेष अभिभाषण
अनुच्छेद 177 : सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार

राज्य के विधान – मंडल के अधिकारी (Officers of the state Legislature)

अनुच्छेद 178 : विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
अनुच्छेद 179 : अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना
अनुच्छेद 180 : अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति को शक्ति
अनुच्छेद 181 : जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना
अनुच्छेद 182 : विधान परिषद का सभापति और उपसभापति
अनुच्छेद 183 : सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना पदत्याग और पद से हटाया जाना
अनुच्छेद 184 : सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या किसी अन्य को शक्ति
अनुच्छेद 185 : जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना
अनुच्छेद 186 : अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते
अनुच्छेद 187 : राज्य के विधान-मंडलों का सचिवालय

कार्य संचालन (Conduct of Business)

अनुच्छेद 188 : सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद 189 : सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति

सदस्यों की निरर्हताएं (Disqualification of Members)

अनुच्छेद 190 : स्थानों का रिक्त होना
अनुच्छेद 191 : सदस्यता के लिए निरर्हताएं
अनुच्छेद 192 : सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय
अनुच्छेद 193 : अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति

राज्यों के विधान-मंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां (Powers, Priviledges and Immunities of State Legislatures and their Members)

अनुच्छेद 194 : विधान-मंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां विशेषाधिकार आदि
अनुच्छेद 195 : सदस्यों के वेतन और भत्ते

विधायी प्रक्रिया (Legislative Procedure)

अनुच्छेद 196 : विधेयकों के पुरःस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध
अनुच्छेद 197 : धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन
अनुच्छेद 198 : धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया
अनुच्छेद 199 : 'धन विधेयक' की परिभाषा
अनुच्छेद 200 : विधेयकों पर अनुमति
अनुच्छेद 201 : विचार के लिए आरक्षित विधेयक

वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया (Procedure in Financial Matters)

अनुच्छेद 202 : वार्षिक वित्तीय विवरण
अनुच्छेद 203 : विधान-मंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया
अनुच्छेद 204 : विनियोग विधेयक
अनुच्छेद 205 : अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान
अनुच्छेद 206 : लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान
अनुच्छेद 207 : वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध

साधारणतया प्रक्रिया (Procedure Generally)

अनुच्छेद 208 : प्रक्रिया के नियम
अनुच्छेद 209 : राज्य के विधान - मंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन
अनुच्छेद 210 : विधान मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा
अनुच्छेद 211 : विधान - मंडलों में चर्चा पर निर्बंधन
अनुच्छेद 212 : न्यायालयों द्वारा विधान-मंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना

अध्याय 4 - राज्यपाल की विधायी शक्ति (Legislative Powers of the Governor)

अनुच्छेद 213 : विधान - मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति

अध्याय 5 - राज्यों के उच्च न्यायालय (The High Courts of the States)

अनुच्छेद 214 : राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
अनुच्छेद 215 : उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना
अनुच्छेद 216 : उच्च न्यायालयों का गठन
अनुच्छेद 217 : उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें
अनुच्छेद 218 : उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना
अनुच्छेद 219 : उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद 220 : स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात् विधि - व्यवसाय पर निर्बंधन
अनुच्छेद 221 : न्यायाधीशों के वेतन आदि
अनुच्छेद 222 : किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण
अनुच्छेद 223 : कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति
अनुच्छेद 224 : अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति
अनुच्छेद 224-क : उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति
अनुच्छेद 225 : कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति
अनुच्छेद 226 : कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति
अनुच्छेद 226 - क : (निरसित)
अनुच्छेद 227 : सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति
अनुच्छेद 228 : कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण
अनुच्छेद 228 - क : (निरसित)
अनुच्छेद 229 : उच्च न्यायलयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय
अनुच्छेद 230 : उच्च न्यायालयों की अधिकारित का संघ राज्यक्षेत्रों पर विस्तार
अनुच्छेद 231 : दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना

अध्याय 6 - अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts)

अनुच्छेद 233 : जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
अनुच्छेद 233 - क : कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण
अनुच्छेद 234 : न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती
अनुच्छेद 235 : अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण
अनुच्छेद 236 : निरसित
अनुच्छेद 237 : कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबन्धों का लागू होना

भाग 7

पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य (The states in Part B or the First Schedule)

अनुच्छेद 238 : (निरसित)

भाग 8

संघ राज्य क्षेत्र (The Union Territories)

अनुच्छेद 239 : संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन
अनुच्छेद 239 - क : कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान-मंडलों या मंत्रि-परिषदों का या दोनों का सृजन

अनुच्छेद 239 – ख : विधान – मंडलों के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति
अनुच्छेद 240 : कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति
अनुच्छेद 241 : संघ राज्यक्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय
अनुच्छेद 242 : (निरसित)

भाग 9

243 – परिभाषायें
243 क – ग्राम सभा
243 ख – पंचायतों की गठन
243 ग – पंचायतों की संरचना
243 घ – स्थानों का आरक्षण
243 ड – पंचायतों आदि की अवधि
243 च – सदस्यता के लिए अनर्हता
243 छ – पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व
243 ज – पंचायतों द्वारा करारोपण की शक्तियां और उनकी निधियां
243 झ – वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्तीय आयोग की स्थापना
243 ञ – पंचायतों का लेखा परीक्षण
243 ट – पंचायतों के निर्वाचन
243 ठ – संघ राज्यक्षेत्रों पर प्रवर्तन
243 ड – कतिपय क्षेत्रों को इस भाग का लागू न होना
243 ढ – विद्यमान विधियों और पंचायतों की निरन्तरता
243 ण – निर्वाचकीय मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन

भाग 9 क

नगरपालिकायें

243 त – परिभाषायें
243 थ – नगरपालिकाओं का गठन
243 द – नगरपालिकाओं की संरचना
243 ध – वार्डों, समितियों आदि का गठन और उनकी संरचना
243 न – स्थानों का आरक्षण
243 प – नगरपालिकाओं आदि की अवधि
243 फ – सदस्यता के लिए अनर्हता
243 ब – नगरपालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व
243 भ – नगरपालिकाओं द्वारा करारोपण की शक्तियां और उनकी निधियां
243 म – वित्त आयोग
243 य – नगरपालिकाओं के लेखा का परीक्षण
243 – यक – नगरपालिकाओं के निर्वाचन
243 – यख – संघ राज्यों का प्रवर्तन
243 – यग – कतिपय क्षेत्रों को इस भाग का लागू न होना
243 – यघ – जिला योजना के लिए समिति
243 – यङ. – महानगरीय योजना के लिए समिति
243 – यच – वर्तमान विधियों तथा नगरपालिकाओं की निरन्तरता
243 – यछ – निर्वाचकीय मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन

भाग 10

अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र (The Schedule and Tribal Areas)

अनुच्छेद 244 : अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन
अनुच्छेद 244 – क : असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधान – मंडल या मंत्रि – परिषद का या दोनों का सृजन ।

भाग 11

संघ और राज्यों के बीच संबंध (Relations between the Union and the States)

अध्याय 1 – विधायी संबंध (Legislative Relations)
विधायी शक्तियों का वितरण (Distribution of Legislative Powers)
अनुच्छेद 245 : संसद द्वारा और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार

अनुच्छेद 246 : संसद द्वारा और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय-वस्तु

अनुच्छेद 247 : कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद 248 : अवशिष्ट विधायी शक्तियां
अनुच्छेद 249 : राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद् की शक्ति
अनुच्छेद 250 : यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति

अनुच्छेद 251 : संसद् द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति

अनुच्छेद 252 : दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद् की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना

अनुच्छेद 253 : अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान

अनुच्छेद 254 : संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति

अनुच्छेद 255 : सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना

अध्याय 2 – प्रशासनिक संबंध (Administrative Relations

साधारण (General)

अनुच्छेद 256 : राज्यों की और संघ की बाध्यता

अनुच्छेद 257 : कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण

अनुच्छेद 257 क : (निरसित)

अनुच्छेद 258 : कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति

अनुच्छेद 259 (निरसित)

अनुच्छेद 260 : भारत के बाहर के राज्यक्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता

अनुच्छेद 261 : सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां

जल संबंधी विवाद (Disputes relating to Waters)

अनुच्छेद 262 : अंतर्राज्यिक नदियों या नदी – दूनों के जल संबंधी विवादों का न्यायनिर्णयन

राज्यों के बीच समन्वय (Co-ordinations between States)

अनुच्छेद 263 : अंतर्राज्यीय परिषद् के संबंध में उपबंध

भाग 12

वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद (Finance, Property, Contracts and Suits)

अध्याय 1 – वित्त (Finance)

साधारण (General)

अनुच्छेद 264 : निर्वचन

अनुच्छेद 265 : विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना

अनुच्छेद 266 : भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे

अनुच्छेद 267 : आकस्मिकता निधि

संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण (Distribution of Revenues between the Union and the States)

अनुच्छेद 268 : संघ द्वारा उद्गृहीत किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क

अनुच्छेद 269 : संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत तथा किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर

अनुच्छेद 270 : संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर

अनुच्छेद 271 : कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार

अनुच्छेद 272 : कर जो संघ द्वारा उद्गृहीत किए जाते हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकेंगे

अनुच्छेद 273 : जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान

अनुच्छेद 274 : ऐसे कराधान पर, जिसमें राज्य हितबद्ध है, प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा

अनुच्छेद 275 : कुछ राज्यों को संघ से अनुदान

अनुच्छेद 276 : वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर

अनुच्छेद 277 : व्यावृत्ति

अनुच्छेद 278 : (निरसित)

अनुच्छेद 279 : "शुद्ध आगम" आदि की गणना

अनुच्छेद 280 : वित्त आयोग

अनुच्छेद 281 : वित्त आयोग की सिफारिशें

प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध (Miscellaneous Financial Provisions)

अनुच्छेद 282 : संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय

अनुच्छेद 283 : संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि

अनुच्छेद 284 : लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियां और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा
अनुच्छेद 285 : संघ की संपत्ति को राज्य के करों से छूट
अनुच्छेद 286 : माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन
अनुच्छेद 287 : विद्युत पर करों से छूट
अनुच्छेद 288 : जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट
अनुच्छेद 289 : राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट
अनुच्छेद 290 : कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन
अनुच्छेद 290 -क : कुछ देवस्यम् निधियों को वार्षिक संदाय
अनुच्छेद 291 : (निरसित)

अध्याय 2 - उधार लेना (Borrowig)

अनुच्छेद 293 : राज्यों द्वारा उधार लेना

अध्याय 3 - संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद (Property, Contracts, Rights, Liabilities, Obligations and Suits)

अनुच्छेद 294 : कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार
अनुच्छेद 295 : अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार
अनुच्छेद 296 : राजगामी या व्यपगत या स्वामीविहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति
अनुच्छेद 297 : राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्त्रोतों का संघ में निहित होना
अनुच्छेद 298 : व्यापार करने आदि की शक्ति
अनुच्छेद 299 : संविदाएं
अनुच्छेद 300 : वाद और कार्यवाहियां

अध्याय 4 - संपत्ति का अधिकार (Right to Property)

अनुच्छेद 300 क : विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना

भाग 13

भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम (Trade, Commerce and Intercourse within the Territory of India)

अनुच्छेद 301 : व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 302 : व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद् की शक्ति
अनुच्छेद 303 : व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन
अनुच्छेद 304 : राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन
अनुच्छेद 305 : विद्यमान विधियों और राज्यों के एकाधिकार का उपबंध करनेवाली विधियों की व्यावृत्ति
अनुच्छेद 306 : (निरसित)
अनुच्छेद 307 : अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति

भाग 14

संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं (Services under the Union and the States)

अध्याय 1 - सेवाएं (Services)

अनुच्छेद 308 : निर्वचन
अनुच्छेद 309 : संघ का राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्ते
अनुच्छेद 310 : संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि
अनुच्छेद 311 : संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना
अनुच्छेद 312 : अखिल भारतीय सेवाएं
अनुच्छेद 312 - क : कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहृत करने की संसद् की शक्ति
अनुच्छेद 313 : संक्रमणकालीन उपबंध
अनुच्छेद 314 : (निरसित)

अध्याय 2 – लोक सेवा आयोग (Public Service Commissions)

अनुच्छेद 315 : संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग

अनुच्छेद 316 : सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि

अनुच्छेद 317 : लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना

अनुच्छेद 318 : आयोग के सदस्यों और कर्मचारिगृंह की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति

अनुच्छेद 319 : आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध

अनुच्छेद 320 : लोक सेवा आयोगों के कृत्य

अनुच्छेद 321 : लोक सेवा आयोगों पर कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति

अनुच्छेद 322 : लोक सेवा आयोगों के व्यय

अनुच्छेद 322 : लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन

भाग 14 क

अधिकरण (Tribunals)

अनुच्छेद 323 – क : प्रशासनिक अधिकरण

अनुच्छेद 323 – ख : अन्य विषयों के लिए अधिकरण

भाग 15

निर्वाचन (Elections)

अनुच्छेद 324 : निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन, आयोग में निहित होना

अनुच्छेद 325 : धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक – नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक – नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना

अनुच्छेद 326 : लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना

अनुच्छेद 327 : विधान – मंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद् की शक्ति

अनुच्छेद 328 : किसी राज्य के विधान-मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधान-मंडल की शक्ति

अनुच्छेद 329 : निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

अनुच्छेद 329 –क : (निरसित)

भाग 16

कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध (Special Provisions relating to Certain Classes)

अनुच्छेद 330 : लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण

अनुच्छेद 331 : लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व

अनुच्छेद 332 : राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण

अनुच्छेद 333 : राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल – भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व

अनुच्छेद 334 : स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधत्व का पचास वर्ष के प्श्चात न रहना

अनुच्छेद 335 : सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे

अनुच्छेद 336 : कुछ सेवाओं में आंग्ल – भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध

अनुच्छेद 337 : आंग्ल – भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध

अनुच्छेद 338 : अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए विशेष जानकारी

अनुच्छेद 339 : अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण

अनुच्छेद 340 : पिछडे वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति

अनुच्छेद 341 : अनुसूचित जातियां

अनुच्छेद 342 : अनुसूचित जनजातियाँ

भाग 17

राजभाषा (Official Language)

अध्याय 1 – संघ की भाषा (Language of the Union)

अनुच्छेद 343 : संघ की राजभाषा (हिन्दी)

अनुच्छेद 344 : राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति

अध्याय 2 – प्रादेशिक भाषाएं (Regional Languages)

अनुच्छेद 345 : राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं

अनुच्छेद 346 : एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा

अनुच्छेद 347 : किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जानेवाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध

अध्याय 3 – उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा (Language of the Supreme Courts, High Courts etc.)

अनुच्छेद 348 : उच्चतम न्ययालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा

अनुच्छेद 349 : भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया

अध्याय 4 – विशेष निदेश (Special Directives)

अनुच्छेद 350 : व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा

अनुच्छेद 350–क : प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं

अनुच्छेद 350–ख : भाषाई अल्पसंख्यक - वर्गों के लिए विशेष अधिकारी

अनुच्छेद 351 : हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश

भाग 18

आपात उपबंध (Emergency Provisions)

अनुच्छेद 352 : आपात की उद्घोषणा

अनुच्छेद 353 : आपात की उद्घोषणा का प्रभाव

अनुच्छेद 354 : जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना

अनुच्छेद 355 : बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य

अनुच्छेद 356 : राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध

अनुच्छेद 357 : अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग

अनुच्छेद 358 : आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों के निलंबन

अनुच्छेद 359 : आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन

अनुच्छेद 359 क : (निरसित)

अनुच्छेद 360 : वित्तीय आपात के बारे में उपबंध

भाग 19

प्रकीर्ण (Miscelianeous)

अनुच्छेद 361 : राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण

अनुच्छेद 361 क : संसद और राज्यों के विधान-मंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण

अनुच्छेद 362 : (निरसित)

अनुच्छेद 363 : कुछ संविदों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

अनुच्छेद 363 – क : देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता क समाप्ति और निजी थैलियों का अंत

अनुच्छेद 364 : महापत्तनों और विमानक्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध

अनुच्छेद 365 : संघ द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव

अनुच्छेद 366 : परिभाषाएं

अनुच्छेद 367 : निर्वचन

भाग 20

संविधान का संशोधन (Amendment of the Constitution)

अनुच्छेद 368 : संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया

भाग 21

अस्थायी, सक्रमणकालीन और विशेष उपबंध (Temporary, Transitional and Special Provisions)

अनुच्छेद 369 : राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने को संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानों वे समवर्ती सूची के विषय हो

अनुच्छेद 370 : जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध

अनुच्छेद 371 : महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के सम्बन्धा में विशेष उपबंध

अनुच्छेद 371 – क : नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 371 – ख : असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 371 – ग : मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 371 – घ : आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना
अनुच्छेद 371 – ड. : आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना
अनुच्छेद 371 – च : सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 371 – छ : मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 371 – ज : अरूणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 371 – झ : गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 372 : विधमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन
अनुच्छेद 372 – क : विधियों की अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति
अनुच्छेद 373 : निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति
अनुच्छेद 374 : फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों के और फेडरल न्यायालय में यह परिषद हिज मेजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध
अनुच्छेद 375 : संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों पदाधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना
अनुच्छेद 376 : उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध
अनुच्छेद 377 : भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंध
अनुच्छेद 378 : लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध
अनुच्छेद 378 – क : आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 379-391 : (निरसित)
अनुच्छेद 392 : कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति

भाग 22

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठा और निरसन (Short Title, Commencement, Authoritative Text In Hindi and Repeals)

अनुच्छेद 393 : संक्षिप्त नाम
अनुच्छेद 394 : प्रारंभ
अनुच्छेद 394 –क : हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठा
अनुच्छेद 395 : (निरसित)

अनुसूचियाँ

<u>पहली अनुसूची</u> :- भारत के राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश

<u>दूसरी अनुसूची</u> :- वेतनमान (जिनका वेतन संचित निधि पर भारित है)

- राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति व उपसभापति, विधानसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, विधानपरिषद् का सभापति व उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के जज, उच्च न्यायालय के जज, CAG, UPSC के चैयरमैन व सदस्य ।
- वितीय आपातकाल के समय इनके वेतन में कटौती की जा सकती है ।

<u>तीसरी अनुसूची</u> :- शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप

- लोकसभा व राज्यसभा की सदस्यता के उम्मीदवार, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य (M.P.), मंत्री, विधानसभा की सदस्यता के उम्मीदवार, विधानसभा से सदस्य (M.L.A.), मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के जज, उच्च न्यायालय के जज, CAG
- तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष की शपथ का प्रावधान नहीं है । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शपथ मूल संविधान में दी गयी है । लोकसभा अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती ।

<u>चौथी अनुसूची</u> :- राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के सीटों का आवंटन

<u>पांचवीं अनुसूची</u> :- अनुसुचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातिय क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध

छठी अनुसूची :- असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण के बारे में उपबंध

सातवीं अनुसूची :-

- विषयों का विभाजन = संघ सूची - 97, राज्य सूची - 66, समवर्ती सूची - 47

वर्तमान में = संघ सूची - 100, राज्य सूची - 61, समवर्ती सूची - 52

आठवीं अनुसूची :-संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख है ।

- मूल रूप से संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता दी गयी है ।
- वर्तमान में कुल भाषाएं = 22
- अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है ।
- हिन्दी व अंग्रेजी को राजभाषा घोषित किया गया है

आठवीं अनुसूची की भाषाएँ

- मूल संविधान के आठवीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएँ थी, जो वर्तमान में बढकर 22 भाषा हो गई हैं
- असमिया, बंगाली, गुजराती, हिन्दी, कन्नड, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उडीया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलगू, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, वोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी ।
- कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें सांविधानिक संशोधन 1992 द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में जोडा गया ।
- वोडों, मैथिली, संथाली, डोंगरी को 92 वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोडा गया ।

नवीं अनुसूची :- न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण

- (1951) पहले संविधान संशोधन के द्वारा इस 9 वीं अनुसूची को जोडा गया ।

दसवीं अनुसूची :- दल-बदल से संबंधित प्रावधान

- (1985) 52 वें संविधान संशोधन द्वारा इस 10 वीं अनुसूची को जोडा गया । बाद में 91 वें संविधान संशोधन द्वारा इस 10 वीं अनुसूची में परिवर्तन किया गया ।

ग्यारहवीं अनुसूची :- ग्राम पंचायत/पंचायती राज व्यवस्था

- ग्राम पंचायतों को दिए गए 29 विषय शामिल हैं लेकिन इसमें से अभी तक 22 विषय ही दिए गए हैं ।
- (1992) 73 वें संविधान संशोधन द्वारा इस 11 अनुसूची को शामिल किया गया ।

बारहवीं अनुसूची :- नगरपालिकाएं/नगर प्रशासन नगरपालिकाओं को 18 विषय दिए गए हैं । 74 वें संविधान संशोधन द्वारा इस 12 वीं अनुसूची को शामिल किया गया।

प्रस्तावना

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए,तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढाने के लिए दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते है ।

- संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है।
- प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखण्डता शब्द 42 वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ई. में जोडे गये।
- हमारी प्रस्तावना 4 बातें बताती हैं-
  - शक्ति का स्त्रोत - जनता स्वयं
  - राज्य की प्रकृति - सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, समाजवादी
  - उद्देश्य - न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व की भावना
  - कब - 26 नवम्बर, 1949 ई. (संविधान दिवस)
- हमारे देश के संविधान का मूल दर्शन हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलता है, जिसे के एम मुन्शी ने राजनीतिक कुण्डली का नाम दिया।
- प्रस्तावना संविधान के भाग के रूप में संविधान का अंग है तथा बेरुबारी यूनियन वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिधारित किया है कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है, परन्तु यह संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानन्द भारती वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग घोषित किया है।
- न्याय का तात्पर्य-व्यक्तियों के परस्पर हितों, समूहों के परस्पर हितों के बीच एवं एक ओर व्यक्तियों तथा समूहों के हितों तथा दूसरी ओर समुदायों के हितों के बीच सामंजस्य स्थापित हो, न्याय की संकल्पना बहुत ही व्यापक है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय को सहत्त्व दिया गया है। समानता का अर्थ किसी के साथ भी, धर्म, मूलवंश, स्त्री-पुरुष या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होगा।

- समाजवाद शब्द का आशय ऐसी व्यवस्था से है, जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों पूँजी, सम्पत्ति, जमीन आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियन्त्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य हो।
- भारत को 26 जनवरी, 1950 को गणराज्य घोषित किया गया, जिसका अर्थ है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, जो आनुवंशिक नहीं होगा।
- संविधान के भाग I में अनुच्छेद 1-4 तक भारतीय संघ और इसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इण्डिया राज्यों का संघ होगा।
- ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत थे, जबकि देशी रियासतों की संख्या 565 थी, जिसमें 507 रियासतें भारत में तथा 58 रियासतें पाकिस्तान में शामिल हुई, इनमें से जूनागढ को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद को सैनय कार्यवाही के द्वारा (ऑपरेशन पोलो) तथा जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तानी आक्रमण के कारण भारत में विलय किया गया।
- <u>एन. ए. पालकी वाला</u> - इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है ।
- <u>के. एम. मुंशी</u> - प्रस्तावना संविधान की राजनैतिक जन्मकुंडली है ।
- <u>अर्नेस्ट बर्कर</u> - प्रस्तावना संविधान का Key Stone है ।
- <u>ठाकुर दास भार्गव</u> - प्रस्तावना संविधान की आत्मा है ।
- <u>टी. टी. कृष्णामाचारी</u> - ने प्रस्तावना को "संविधान की आत्मा" कहा है ।

1973 के केशवानन्द भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को पलट दिया और माना कि प्रस्तावना संविधान का विभिन्न अंग है । 1976 के 42 वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड गए ।

(1) समाजवाद (2) पंथनिरपेक्षता
(3) अखण्डता

संविधान की विशेषताएं

<u>संविधान की संघीय विशेषताऐ</u>

1. दैध शासन/शक्तियों का पृथ्ककरण
2. लिखित संविधान
3. संविधान की सर्वोच्चता
4. कठोरता
5. न्यायिक सर्वोच्चता

<u>संविधान की एकात्मक विशेषताऐ</u>

1. एकल नागरिकता
2. एकल संविधान
3. केन्द्र के पास अधिक विधायी शक्तियाँ
4. राज्यपाल की नियुक्ति
5. राज्य सूची के विषयों पर केन्द्र को कानून बनाने का अधिकार
6. आपातकालीन उपबंध
7. अखिल भारतीय सेवायें
8. निर्वाचन आयोग
9. CAG-CAG :- ही केन्द्र व राज्य दोनों का लेखा परीक्षण करता है, जबकि अमेरिका मे केन्द्र व राज्यों के अलग अलग CAG होते है ।
10. राज्यसभा मे असमान प्रतिनिधित्व
11. राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति के लिए किसी भी विधेयक को आरक्षित रख सकता है । इस तरह केन्द्र सरकार राज्य विधायिका पर पूरी तरह से नियंत्रण रखती है ।
12. लचीला संविधान
13. उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति
14. राज्य अविनाशी नही है

मूल अधिकार (Fundamental Rights)

- "भारतीय संविधान में मौलिक/मूल अधिकार"
- भारतीय संविधान के भाग 3 में अनु. 12–35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है।
- भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए है।
- मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मेग्नाकार्टा और अधिकार पत्र कहा जाता है।
- इसकी प्रकृति नकारात्मक है।
- मूल अधिकार न्याय और वाद के योग्य होते है।
- मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को सात मूल अधिकार प्रदान किये थे।
- परन्तु 44 वें संविधान संशोधन 1978–79 के द्वारा संपति के अधिकार को मूल अधिकारो से हटा दिया और उसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 (क) स्थान दिया गया है।
- अब संपति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है।
- वर्तमान में भारतीय नागरिकों के पास 6 मूल/मौलिक अधिकार है।

नोट – सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सर्वप्रथम 1931 के कराची अधिवेशन में अपने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की माँग की थी मूल अधिकारों का प्रारूप पं. जवाहरलाल ने बनाया था।

साधारण (General)

अनुच्छेद 12 : परिभाषा

अनुच्छेद 13 : मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ

1. समता का अधिकार (Right to Equality)

अनुच्छेद 14 : विधि के समक्ष समता

अनुच्छेद 15 : धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध

अनुच्छेद 16 : लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता

अनुच्छेद 17 : अस्पृश्यता का अंत

अनुक्ष्छेद 18 : उपाधियों का अंत

2. स्वातंत्र्य – अधिकार (Right to Freedom)

अनुच्छेद 19 : वाक्–स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारो का संरक्षण इसमें भारतीय नागरिकों को सात स्वतंत्रताएँ, प्रदान की गई थी। लेकिन 44 वें संविधान संशोधन में संपत्ति की स्वतंत्रता को हटा दिया गया (19 F) अब 6 स्वतंत्रताएँ है।

अनुच्छेद 19 – a : विचार अभिव्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 19 – b : संघ बनाने की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 19 – c : सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 19 – d : निवास स्थान बनाने की स्वतंत्रता (जम्मू कश्मीर को छोडकर)

अनुच्छेद 19 – e : भ्रमण करने की स्वतंत्रता (केवल भारत)

अनुच्छेद 19 – g : व्यापार वृत्ति कारोबार की स्वतंत्रताएँ

अनुच्छेद 20 : अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

अनुच्छेद 21 : प्राण और दैहहिक स्वतंत्रता का संरक्षरण

अनुच्छेद 22 : कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण

3. शोषण के विरूद्ध अधिकार (Right Against Exploitation)

अनुच्छेद 23 : मानव के दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रतिषेध

अनुच्छेद 24 : कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध

4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion)

अनुच्छेद 25 : अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 26 : धार्मिक कार्यो के प्रबंध की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 27 : किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता

अनुच्छेद 28 : कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता

5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (Cultural and Educational Rights)

अनुच्छेद 29 : अल्पसंख्यक– वर्गों के हितों का संरक्षण

अनुच्छेद 30 : शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार

अनुच्छेद 31 : निरसित

6. कुछ विधियों की व्यावृत्ति (Saving of Certain Laws)

अनुच्छेद 31 – क : संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों का व्यावृत्ति।

अनुच्छेद 31–ख : कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण

अनुच्छेद 31 – ग : कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति ।

अनुच्छेद 31 – घ : निरसित।

7. संविधानिक उपचारों का अधिकार

(Right to Constitutional Remedies)

अनुच्छेद 32 : इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार।

अनुच्छेद क : निरसित

अनुच्छेद 33 : इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति।

अनुच्छेद 34 : जब किसी क्षेत्र मे सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन

अनुच्छेद 35 : इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान।

नोट –

- अनुच्छेद 20, 21 को छोडकर राष्ट्रपति शासन (356 आपात)के समय सभी अधिकार निलंबित हो जाएंगे।
- राष्ट्रपति आपात में (356) सर्वप्रथम अनुच्छेद 19 निलंबित होगा।
- 86 वें संविधान 2002 द्वारा भारतीय नागरिकों को एक और नया अधिकार मिला "निःशुल्क अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का अधिकार" जिसके द्वारा 6–14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा इस अधिकार को अनु. 21 (क) में जोडा गया है और इसे 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोडकर संपूर्ण भारत में लागू किया गया।
- मूल अधिकारों (भाग 3) को प्रशासकों की "आचरण संहिता" माना जाता है।

राज्य के नीति निदेशक तत्व
(Directive Principles of State Policy)

- संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 (कुल 16) में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है।
- यह तेग बहादुर स्प्रू समिति के द्वारा मूल संविधान में जोडे गये।
- नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए ।
- ये राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है।
- इसकी प्रकृति सकारात्मक है।
- नीति निर्दशक तत्व वाद या न्याय के योग्य नहीं है।
- नीति निदेशक तत्वों को कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है।
- ये आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र से संबंधित है।
- इनके द्वारा राज्य को सामाजिक आर्थिक न्याय, शिक्षा लोकतंत्र, गांधीवादी विचार और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र से संबंधित निर्देश दिये गए है, जिनसे एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके।
- इनके निम्न प्रमुख निर्देश अनुच्छेदों में दिये गए है–

अनुच्छेद 36 : परिभाषा

अनुच्छेद 37 : इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना

अनुच्छेद 38 : राज्य के लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा।

अनुच्छेद 39(क): समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता

अनुच्छेद 40 : ग्राम पंचायतों का संगठन

अनुच्छेद 41 : कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार

अनुच्छेद 42 : काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध

अनुच्छेद 43 (क) : उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना

अनुच्छेद 44 : नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता

अनुच्छेद 45 : बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध

अनुच्छेद 46 : अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गो के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि।

अनुच्छेद 47 : पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य।

अनुच्छेद 48 : कृषि और पशु पालन का संगठन

अनुच्छेद 48 (क) : पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा

अनुच्छेद 49 : राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण

अनुच्छेद 50 : कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण

अनुच्छेद 51 : अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि

नोट – 42वें, 44वें, 86वें, 97वे संविधान द्वारा संसोधन द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में बदलाव किया गया। (चार बदलाव)

मूल कर्त्तव्य (Fundamentals Duties)

नोट – मूल संविधान में एक भी मूल कर्त्तव्य नहीं था।

- 42 वें संविधान द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्त्तव्य जोडे गए।
- मूल कर्त्तव्य संविधान के "भाग – 4 क" और "अनुच्छेद 51क" में जोडा गया ।
- मूल कर्त्तव्य सोवियत संघ (रूस) से ग्रहण किये गए है।
- ये नागरिकों के लिए बाध्यकारी नहीं है क्योंकि उन्हें राजनैतिक सामाजिक नैतिक अनुशक्ति तो प्राप्त है

नोट – मूल कर्त्तव्यों को "कानूनी" अनुशक्ति प्राप्त नहीं है । (RAS- 2013)

- इनकी प्रकृति सकारात्मक है।
- मूल कर्तव्या केवल नागरिकों से संबंधित है।

नोट –86 वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मूल कर्त्तव्य जोडा गया जिसमें कहा गया कि 6–14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को उनके माता–पिता या संरक्षक शिक्षा के लिए विद्यालय भेजेंगे यह उनका कर्त्तव्य होगा। वर्तमान में कुल ग्यारह मूल कर्तव्य है।

मूल कर्त्तव्य (अनुच्छेद–51क)

- मूल कर्त्तव्यों का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था लेकिन **42 वें** संविधान संशोधन 1976 द्वारा (सरदार स्वर्ण सिंह समिति, 1973 की सिफारिश पर) संविधान के **भाग 4 (क)** तथा **अनुच्छेद–51(क)** के अंतर्गत कुल **10 मूल कर्त्तव्य** जोडे गए।
- ये **सोवियत संघ** (रूस) के संविधान से लिए गए है।
- मूल कर्त्तव्य न्याय योग्य नहीं है अर्थात् इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा दण्ड का प्रावधान नहीं है।
- अनुच्छेद – 51 (क) के अनुसार, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य होगा कि वह –
  1. संविधान का पालन तथा उनके आदर्शो, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीको का सामान करें–
  2. राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रत्येक आदर्शो का पालन करें–
  3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करें–
  4. देश की रक्षा एवं राष्ट्र सेवा करें–
  5. भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें–
  6. समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परम्परा की रक्षा करें–
  7. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखें–
  8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास करें–
  9. सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा व हिंसा से दूर रहें–

10. व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करें–
    - 86 वें संवैधानिक संशोधन (2002) के आधार पर अनुच्छेद–51(क) को संशोधित करते हुए 11 वां मूल कर्तव्य जोडा गया है।
11. माता–पिता या संरक्षक का यह कर्त्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करे –
    - वर्तमान में 11 मूल कर्त्तव्य है।

Toppersnotes
Unleash the topper in you

भाग 5 :- संघ (अनुच्छेद 52-151)

क्र.सं.	अनुच्छेद	विषय
1.	अनु. 52 - 151	-
2.	अनु. 52 - 78	कार्यपालिका
3.	अनु. 79 - 123	विधायिका
4.	अनु. 124 - 147	न्यायपालिका
5.	अनु. 148 - 151	CAG
6.	अनु. 52 - 78	कार्यपालिका >> राष्ट्रपति
7.	अनु. 52	भारत का राष्ट्रपति

भारत का एक राष्ट्रपति होगा ।

अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति :-

- संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी
- राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा । लेकिन अनुच्छेद 74 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा ।
- कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है

अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन :-

1. लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य
2. राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
3. पांडुचेरी व दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य

नोट :- राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो सदस्य भाग नहीं लेते :-

1. लोकसभा व राज्यसभा के मनोनीत सदस्य
2. राज्य की विधानसभा के मनोनीत सदस्य
3. राज्य विधान परिषद के सदस्य

अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया :-

- आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा ।
- एक विधायक के मत का मूल्य = $\frac{\text{राज्य की कुल जनसंख्या}}{\text{राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य}} \times \frac{1}{1000}$
- एक संसद के मतों का मूल्य = $\frac{\text{सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य}}{\text{संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या}}$
- निश्चित मतों का भाग = $\frac{\text{Total Valid Vote}}{1+1=2} + 1$
- 1971 की जनसंख्या के आधार पर मत का मूल्य निकाला जायेगा ।
- राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते है तथा उसका फैसला अंतिम होता है ।
- राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग द्वारा दी जाती है जबकि लोकसभा व राज्यसभा के चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है ।
- राष्ट्रपति चुनाव का सम्पादन लोकसभा का मुख्य सचिव करवाता है जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव का सम्पादन राज्यसभा का मुख्य सचिव करवाता है ।
- राष्ट्रपति के चुनाव हेतु 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदकों की आवश्यकता होती है ।

अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि :- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याद सकेगा । परन्तु

- संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा ।
- राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है ।

अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता :

अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं :-

1. वह भारत का नागरिक हो ।
2. 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो ।
3. लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो ।

अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्ते

अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया

- संविधान के अतिक्रमण की स्थिति में ही महाभियोग लाया जा सकता है ।
- महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारम्भ किये जा सकते है । उन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्यों (जिस सदन ने आरोप लगाए गए हैं) के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए ।
- USA में यह प्रस्ताव (महाभियोग की प्रक्रिया) House of Representative में ही आरम्भ हो सकती है ।
- यह प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए ।
- महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात यह दूसरे सदन में भेजा जाता है जिसे इन आरोपों की जांच करनी चाहिए । राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा ।

- यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करता है तो राष्ट्रपति को विधेयक पारित होने की तिथि से उसके पद से हटाना होगा।
  1. राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली, पांडुचेरी केन्द्रशासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य इस महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं लेते है जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था
- अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया।

राष्ट्रपति की शक्तियां

कार्यपालिका, विधायिका, क्षमादान, सैनिक, राजनयिक, आपातकालीन, न्यायिक शक्तियां

- राष्ट्रपति की अनुमति से ही कोई बिल/विधेयक 'अधिनियम/एक्ट' बनता है।
- इस बिल के संबंध में राष्ट्रपति की शक्तियां – जब बिल राष्ट्रपति के पास आता है तो वह
  1. हस्ताक्षर कर दे।
  2. हस्ताक्षर करने से इंकार कर दे।
  3. वापस लौटा दे।
  4. कुछ भी नहीं करें।

1. वीटो शक्तियां (Veto Power) :-
   a) अत्यांतिक वीटो (Absolute Veto) from - UK
   b) निलम्बनकारी वीटो (Suspensive Veto) from - France
   c) पॉकेट वीटो (Pocket Veto) from - USA

1. लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों (सांसदों) को चुनाव आयोग की अनुशंसा के आधार पर अयोग्य घोषित कर सकता है।
2. लोकसभा का अध्यक्ष पद व उपाध्यक्ष पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति किसी भी एक सदस्य को अध्यक्षता के लिए नियुक्त कर सकता है। यदि राज्य सभा का सभापति पद व उपसभापति पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति किसी भी एक सदस्य को अध्यक्षता के लिए नियुक्त कर सकता है।
3. राज्य विधानमंडल द्वारा पारित एक्ट पर गर्वनर के हस्ताक्षर होने चाहिए।
4. अनुच्छेद 200 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकता है अतः अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति पास 4 स्थितियां होती है। राष्ट्रपति यदि विधेयक वापिस भेजता है तो राज्य विधानमंडल पुनः उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजता है और यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। (धन विधेयक को छोडकर)
5. अण्डमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीव इन सभी के लिए विधान/नियम बनाने का कार्य राष्ट्रपति करता है।
6. पांडुचेरी में विधानसभा भंग होने की स्थिति में राष्ट्रपति विधान/नियम बना सकता है।

2. सैन्य शक्तियां (Military Power) :-

- राष्ट्रपति तीनों सेनाओं (जल, थल, वायु) के अध्यक्षों को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है।
- राष्ट्रपति युद्ध एवं शांति की घोषणा करता है।

3. राजनयिक शक्तियां (Diplomatic Power) :-
   - विदेशों से किए जाने वाले समझौते एवं संधियां राष्ट्रपति के तहत (नाम से) की जाती है यद्यपि इसमें संसद की अनुमति अनिर्वाय है।
   - राजनयिकों की नियुक्ति, उच्च आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।

4. न्यायिक शक्तियां (Judicial Power) :-
   - सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
   - अनुच्छेद 143 में यह प्रावधान है कि किसी भी मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है।
   - राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी व्यक्ति के लिए दण्डादेश को निलम्बित, माफ या परिवर्तित कर सकता है या दंड में क्षमादान, प्राणदंड स्थगित, राहत और माफी प्रदान कर सकता है
     1. उन सभी मामलों में, जिनमें सजा सैन्य न्यायालय में दी गई हो।
     2. उन सभी मामलों में, जिनमें केन्द्रीय विधियों के विरुद्ध अपराध के लिए सजा दी गई हो।
     3. उन सभी मामलों में, जिनमें दंड का स्वरूप प्राण दंड हो।

5. क्षमादान शक्तियां (Pardoning Power) :-
   1. क्षमा :- इसके तहत यदि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को पूर्ण क्षमा कर देता है तो वह व्यक्ति अपराध करने से पूर्व की स्थिति में आ जाता है।
   2. लघुकरण :- इसके तहत सजा की प्रकृति बदल दी जाती है। जैसे- किसी व्यक्ति की मृत्युदंड की सजा को कारावास में बदल देना (आजीवन कारावास में)
   3. परिहार :- इसके तहत सजा की अवधि कम कर दी जाती है। जैसे- किसी व्यक्ति के 6 वर्ष के कारावास को 2 वर्ष के कारावास में बदल देना।

4. विराम :- सजा की प्रकृति एवं मात्रा दोनों बदल जाती है । इसके तहत किसी दोषी को मूल रूप से दी गई सजा की किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम किया जाता है । जैसे- शारीरिक अपंगता अथवा महिलाओं को गर्भावस्था की अवधि के कारण ।
5. प्रविलम्बन :- कुछ समय के लिए सजा को रोकना या स्थगित करना । प्रायः मृत्युदंड के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है ।

- संविधान के अनुच्छेद 161 के अन्तर्गत राज्य का राज्यपाल भी क्षमादान की शक्तियां रखता है । अतः राज्यपाल भी किसी दंड को क्षमा कर सकता है, अस्थाई रूप से रोक सकता है, सजा को या सजा की अवधि को कम कर सकता है । वह राज्य विधि के विरूद्ध अपराध में दोषी व्यक्ति की सजा को निलम्बित कर सकता है, दंड का स्वरूप बदल सकता है । दंड की अवधि कम कर सकता है ।
- परन्तु निम्नलिखित दो परिस्थितियों में राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां, राष्ट्रपति से भिन्न है-
  1. राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है, परन्तु राज्यपाल नहीं ।
  2. राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, परन्तु राज्यपाल नहीं कर सकता । हालांकि राज्यपाल मृत्युदंड को निलम्बित, दंड का स्वरूप परिवर्तित अथवा दंडावधि को कम कर सकता है ।

6. **आपातकालीन शक्तियां (Emergency Power)** :- तीन परिस्थितियों में आपातकालीन शक्तियां भी प्रदान की है ।
   1. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)
   2. राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)
   3. वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)

अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति

- भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा ।

अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना :- उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा ।

अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन :-

- उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा ।
- उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह
  1. भारत का नागरिक हो ।
  2. 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो ।
  3. राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो ।
- भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो ।

अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि :-

- उपराष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक होती है । हालांकि वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है ।
- उपराष्ट्रपति, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा । जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है ।

अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि

अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन

अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय

नोट :-

- राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा एक दूसरे को देते है ।
- डॉ. राधाकृष्ण, मोहम्मद हिदायतुल्ला, शंकर दयाल शर्मा निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गये थे ।
- जे. डी. पाठक, मोहम्मद हिदायतुल्ला, कृष्णकांत (कार्यकाल के दौरान मृत्यु), बी. डी. जत्ती, भैरोसिंह शेखावत ये राष्ट्रपति नहीं बन पाये थे ।
- उपराष्ट्रपति :-
  1. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्ण (निर्विरोध)
  2. जाकिर हुसैन
  3. वी. वी. गिरी
  4. जी. एस. पाठक
  5. बी. डी. जत्ती
  6. मोहम्मद हिदायतुल्ला (निर्विरोध)
  7. आर. वेंकटरमन
  8. शंकर दयाल शर्मा (निर्विरोध)
  9. के. आर. नारायण
  10. कृष्णकांत
  11. भैरोसिंह शेखावत
  12. मोहम्मद हामिद अंसारी

13. वैंकेया नायडू
14. जगदीश धनकड

अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद :-

- इसके तहत राष्ट्रपति की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति इसकी सलाह से ही कार्य करेगा।

अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध :-

- प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा।
- मंत्रिपरिषद् में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी
- मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपने पद धारण करेंगे
- मंत्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।
- कोई मंत्री जो निरन्तर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है। उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं होगा।
- मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते, संसद द्वारा निर्धारित किये जाएगें।

मंत्रिमंडल

- वस्तुतः मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं था। यह 44 वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 352 में मात्र एक बार मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है। लेकिन संविधान के आरम्भ से ही मंत्रिपरिषद् के सभी कार्य वस्तुतः मंत्रिमंडल द्वारा ही किये जाते है। इसे ब्रिटिश परम्परा से लिया गया है
- मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। सभी महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिए जाते हैं। सप्ताह में लगभग 1 बार इसकी बैठक होती है। मंत्रिमंडल की नियमित बैठकें होती हैं।

मंत्रिमंडलीय समितियां :-

1. ये संविधानेत्तर है क्योंकि संविधान में इनका उल्लेख नहीं है हालांकि उनके गठन हेतु कार्य नियम का प्रावधान किया गया है।
2. ये दो प्रकार की होती हैं - स्थायी समिति, तदर्थ समिति (अस्थायी समिति)
3. अधिकांशतः इनका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। कभी-कभी अन्य कैबिनेट मंत्री मुख्यतः गृहमंत्री अथवा वित्तमंत्री इनके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते है।
4. चार महत्वपूर्ण स्थायी समितियां है-
    - राजनीतिक मामलों संबंधी समिति - प्रमुख प्रधानमंत्री
    - आर्थिक मामलों संबंधी समिति - प्रमुख प्रधानमंत्री
    - नियुक्ति समिति - प्रमुख प्रधानमंत्री
    - संसदीय मामलों संबंधी समिति - प्रमुख गृहमंत्री

सभी कैबिनेट समितियों में सबसे शक्तिशाली समिति 'राजनीतिक मामलों संबंधी समिति' है, जिसे प्रायः 'सुपर कैबिनेट' भी कहा जाता है।

किचन कैबिनेट :- यह ब्रिटेन से ली गयी है। यह कैबिनेट 15 या 20 महत्वपूर्ण मंत्रियों को मिलाकर बनती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है

अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्त्तव्य :-

1. संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद् के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करें।
2. संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगें, वह दे।
3. किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चित कर दिया है किन्तु मंत्रिपरिषद् ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद् के समक्ष विचार के लिए रखें।

संसद

अनुच्छेद 79 संसद का गठन :- लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति संयुक्त रूप से संसद कहलाती है।

अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना :- पहले राज्यसभा को Council of States कहा जाता था लेकिन 1954 से इसका नाम राज्यसभा रखा गया।

राज्यसभा

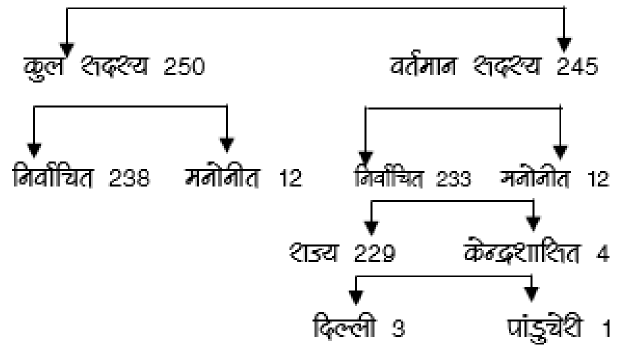

- राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते है।
- राज्यसभा को दूसरा सदन भी कहते है।
- राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहते है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता।
- राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत होते है।
- राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है।

- राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है ।
- राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है ।
- सबसे ज्यादा राज्यसभा सदस्य उत्तरप्रदेश (31 सदस्य) से आते है जबकि त्रिपुरा से 1 सदस्य आता है ।
- अनुसूची 4 में राज्यसभा सीटों का आवंटन दिया गया है ।

राज्यसभा के विशेषाधिकार :-

- अनुच्छेद 249 :- राज्यसभा संसद को राज्यसूची के विषय पर कानून बनाने की अनुमति दे सकती है
- अनुच्छेद 312 :- राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके नयी अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है ।
  नोट :- वर्तमान में अखिल भारतीय सेवायें = IAS, IPS, IFS
- अनुच्छेद 67 :- उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा से ही आरम्भ की जा सकती है ।

- अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना :-

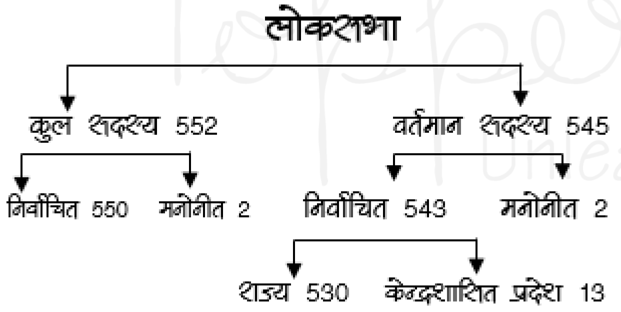

- लोकसभा को निम्न सदन भी कहते है ।
- लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते है ।
- लोकसभा को प्रथम सदन भी कहते है ।
- लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहते है ।
- लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है । लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है ।
- आपातकाल में एक बार में 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढाया जा सकता है ।
- सभी राज्यों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है । एक राज्य के अन्दर से चुने जाने वाले प्रत्येक M.P. समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते है ।
- 84 वां संविधान संशोधन (2001) में अगले 25 वर्षो तक (यानी वर्ष 2026 तक) लोकसभा सीटों की संख्या निश्चित कर दी गयी । इसके तहत परिसीमन आयोग का गठन किया गया जिसके द्वारा राज्यों के अन्दर लोकसभा सीटों को पुनः व्यवस्थित किया गया । SC/ST की सीटों को भी निश्चित किया गया ।

87 वां संविधान संशोधन, 2003 :-

- SC के लिए 84 सीटों को आरक्षित किया गया ।
- ST के लिए 47 सीटों को आरक्षित किया गया ।
- SC के लिए सबसे ज्यादा सदस्य उत्तरप्रदेश से आरक्षित है ।
- ST के लिए सबसे ज्यादा सदस्य मध्यप्रदेश से आरक्षित है ।

अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता

1. वह भारत का नागरिक हो ।
2. राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष तथा लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो ।
3. संसद के द्वारा निश्चित की गयी अर्हताओं को पूरा करता हो ।
4. उसे निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में दिए प्रारूप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान लेना चाहिए ।

पद का रिक्त होना :-

- यदि कोई व्यक्ति लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है और 10 दिन के भीतर एक सदन की सदस्यता नहीं त्यागता है तो उसकी स्वतः ही राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है
- यदि एक सदन के सदस्य किसी दूसरे सदन के लिए निर्वाचित होता है तो पहले वाले सदन की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी ।
- यदि कोई सदस्य दो सीटों से एक साथ चुनाव जीतता है और वह एक सीट को 14 दिन के भीतर नहीं त्यागता है तो दोनों सीटों से उम्मीदवारी समाप्त हो जाती है ।
- यदि कोई व्यक्ति राज्यविधानमंडल व संसद के दोनों सदनों के लिए सदस्यता के लिए निर्वाचित होता है तथा 14 दिन के भीतर एक सदस्यता नहीं त्यागता है तो उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी

प्रोटेम स्पीकर (Protem Speaker) :-

- लोकसभा चुनाव के बाद नव निर्वाचित बैठक में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और

उसे राष्ट्रपति ही लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाता है ।

अनुच्छेद 93 लोकसभा अध्यक्ष :-

- लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पद को आरम्भ 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत किया गया था और 1921 में सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की नियुक्ति की गयी ।
- सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष बने – फ्रेडरिक व्हाइट
- सर्वप्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष बने – सच्चिदानंद सिन्हा
- प्रथम भारतीय लोकसभा अध्यक्ष बने – विठ्ठल भाई पटेल (1925)
- लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत (लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत) से किया जाता है ।
- स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभाध्यक्ष जी. वी. मावलंकर थे ।

अनुच्छेद 94 लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना :-

- लोकसभा अपने कुल सदस्य संख्या के 'बहुमत' से प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है । इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना दी जानी चाहिए ।
- लोकसभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन साधारण बहुमत से होता है । लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कर्त्तव्यों का निर्वहन करता है। जिस दौरान उपाध्यक्ष उसके कर्त्तव्यों का निर्वहन करता है जो अधिकार अध्यक्ष को प्राप्त होते है, अध्यक्ष के रूप में कार्य करते समय उपाध्यक्ष को भी प्राप्त रहेंगे अध्यक्ष के आने के पश्चात वे सभी अधिकार पुनः प्राप्त हो जायेगें ।
- लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष का अधीनस्थ नहीं होता है बल्कि वह सदन के प्रति उत्तरदायी होता है ।

राज्यसभा का सभापति अनुच्छेद 89 :-

- देश का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है । जब उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करता है । राज्यसभा के सभापति को तब ही पद से हटाया जा सकता है । जब उसे उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया जाए ।

राज्यसभा का उपसभापति :- राज्यसभा अपने सदस्यों के बीच में स्वयं अपना उपसभापति चुनती है ।

संसद में नेता :-

1. **सदन का नेता** :- लोकसभा के नियमों के तहत 'सदन का नेता' का अभिप्राय है प्रधानमंत्री/प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है वह उस सदन का नेता होता है । दूसरे सदन में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री ही उस सदन का नेता होता है ।
2. **विपक्ष का नेता** :- इस पद का सृजन 1969 में किया गया है और 1977 में इसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया और उसी के अनुरूप ही वेतन भत्ते निर्धारित किए गए ।

छाया मंत्रिमंडल :-

- ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में एक अनोखी संस्था है जिसे छाया मंत्रिमंडल कहा जाता है ।
- ब्रिटेन में विपक्षी दल छाया मंत्रिमंडल का गठन करते है । इसका केवल प्रतीकात्मक महत्व होता है ।
- इसे विपक्षी दलों द्वारा सरकार के साथ तुलना के लिए बनाया जाता है और अपने सदस्यों को भविष्य के मंत्रियों के तौर पर तैयार किया जाता है ।

लेमडक सत्र :- यह नयी लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है । वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य, जो नयी लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते 'लेम-डक' कहलाते है ।

अनुच्छेद 85 संसद का सत्र, सत्रावसान व विघटन

- सत्र तीन प्रकार के होते है-
  1. **बजट सत्र** :- फरवरी से मई, यह साल का पहला सत्र है जिसमें राष्ट्रपति अभिभाषण देता है ।
  2. **मानसून सत्र** :- जुलाई से सितम्बर
  3. **शीतकालीन सत्र** :- नवम्बर से दिसम्बर
- एक सत्र के सत्रावसान एवं दूसरे सत्र के प्रारम्भ होने के मध्य की समयावधि को 'अवकाश' कहते है
- संसद के दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक अंतर नहीं हो सकता ।
- सत्र को आहूत करने एवं सत्रावसान करने के बीच सत्र को स्थगित करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है ।
- **सत्रावसान** :- पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष या सभापति) को सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता है । इसके कुछ दिनों में ही राष्ट्रपति सदन सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है । हालांकि राष्ट्रपति सत्र के दौरान भी सत्रावसान कर सकता है ।

- **विघटन :-** एक स्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती । सिर्फ लोकसभा का विघटन होता है ।
- **प्रश्नकाल :-** सदन की कार्यवाही आरम्भ होने के बाद 1 घंटे का प्रश्नकाल होता है । प्रश्नकाल में तीन तरह के प्रश्न होते है ।

1. तारांकित प्रश्न :-
2. अतारांकित प्रश्न :-
3. अल्पसूचना प्रश्न :-

शून्यकाल :- प्रश्नकाल के तुरन्त बाद का समय जब संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते है ।

साधारण विधेयक :- यह किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है । इसके तीन वाचन होते है-

1. **प्रथम वाचन :-** जब पहली बार कोई विधेयक सदन में पेश किया जाता है । इस समय इस पर कोई चर्चा नहीं होती है तथा किसी तरह का संशोधन नहीं किया जाता है । प्रस्तुतकर्ता इस विधेयक का शीर्षक एवं इसका उद्देश्य बताता है ।
2. **द्वितीय वाचन :-** इसके तहत 3 चरण होते है- सामान्य चर्चा, समिति स्तर, विचार विमर्श
   a) **सामान्य चर्चा :-** सामान्य चर्चा में तीन विकल्प होते है ।
      - इस पर तुरन्त चर्चा कर सकता है या इसके लिए कोई अन्य तिथि नियत कर सकता है ।
      - इसे सदन की प्रवर समिति को सौंपा जा सकता है ।
      - इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जा सकता है ।
      - इसे जनता के विचार जानने के लिए सार्वजनिक किया जा सकता है ।
        सामान्यतया विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है ।

   b) **समिति स्तर :-** यह विधेयक को अनेक खण्डों में विभाजित कर खण्डशः विचार करती है । यह समिति स्तर अलग-अलग खण्डों पर विचार विमर्श करती है एवं अपनी राय देती है ।

   c) **विचार विमर्श :-** इस समय विधेयक में किसी तरह का संशोधन किया जा सकता है । विधेयक के प्रत्येक उपबंध पर खण्डवार चर्चा एवं मतदान होता है । इस अवस्था में सदस्य संशोधन भी प्रस्तुत कर सकते है और यदि संशोधन स्वीकार हो जाते है तो वे विधेयक का हिस्सा बन जाते है
3. **तृतीय वाचन :-** इस चरण में केवल विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है तथा विधेयक में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है । यदि सदन का बहुमत इसे पारित कर देता है तो विधेयक पारित हो जाता है । इसके उपरांत उस सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधेयक पर विचार एवं स्वीकृति के लिए उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है ।

दूसरे सदन में विधेयक :-

- एक सदन में पारित होने के उपरांत दूसरे सदन में भी विधेयक का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वाचन होता है ।
- इस संबंध में दूसरे सदन के समक्ष निम्न चार विकल्प होते है-
  1. यह विधेयक को उसी रूप में पारित कर प्रथम सदन को भेज सकता है । (बिना संशोधन के)
  2. यह विधेयक को संशोधन के साथ पारित करके प्रथम सदन को पुनः विचारार्थ भेज सकता है ।
  3. यह विधेयक को अस्वीकार कर सकता है ।
  4. यह विधेयक पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही न करके उसे लंबित कर सकता है ।
- यदि दोनों सदनों के बीच मतभेद हो जाता है । जैसे- एक सदन के द्वारा पारित बिल पर दूसरा सदन इंकार कर दे । यदि सदन 6 माह के भीतर कोई प्रतिक्रिया न दे । दूसरा सदन कोई संशोधन करता है जो कि प्रथम सदन द्वारा स्वीकार्य ना हो ।
  अतः इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक (अधिवेशन) बुला सकता है । संयुक्त अधिवेशन में बिल साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है ।
- संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है तथा इसकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है तथा यह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति तथा यह भी अनुपस्थित है तो सदस्य अपने में से किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाएगा ।
- संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया लोकसभा के नियमों के अनुरूप होती है । अब तक तीन बार संयुक्त अधिवेशन

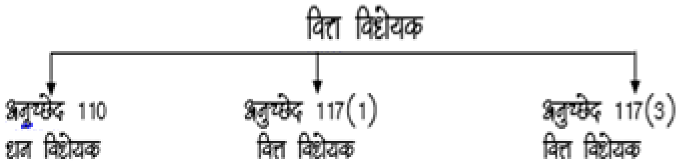

धन विधेयक (Money Bill)

सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते है लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते है । धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गयी है । वह विधेयक जिसमें अनुच्छेद 110 में दिए गए उपबंधों में से एक या सभी उपबंध हो तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रावधान नहीं हो ।

अनुच्छेद 117(1) :- इसके तहत वह विधेयक जिसमें अनुच्छेद 110 में उल्लेखित प्रावधान हो और साथ में इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रकार का प्रावधान हो ।

अनुच्छेद 117(3) :- इसके तहत वह विधेयक जिसका संबंध संचित निधि से हो लेकिन उनका अनुच्छेद 110 में कोई उल्लेख नहीं हो ।

अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया

- धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है । लोकसभा अध्यक्ष ही किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करता है ।
- धन विधेयक पर केवल लोकसभा को ही अधिकार/विशेषाधिकार दिए गए हैं । राज्यसभा को इस पर अधिक अधिकार नहीं दिए गए हैं । राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक धन विधेयक को रोक सकती है ।
- राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, राज्यसभा इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती । राज्यसभा इस पर केवल अपना सुझाव/राय दे सकती है ।
- राज्यसभा के सुझाव मानना लोकसभा के लिए बाध्यकारी नहीं है । यदि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन में पारित नहीं करती है तो यह राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है । इसके बाद इसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हेतु भेजा जाता है ।
- धन विधेयक सरकारी विधेयक ही होता है ।
- धन विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है ।

वित्त विधेयक अनुच्छेद 117(1) :-

- इसके तहत वह विधेयक जिसमें 110 में उल्लेखित प्रावधान हो और साथ में इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रकार का प्रावधान हो ।
- वित्त विधेयक अनुच्छेद 117(1) में धन विधेयक के अनुरूप दो विशेषताएं होती है -
  1. इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है ।
  2. यह राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पेश किया जा सकता है ।
     लोकसभा में पेश किए जाने के बाद इसके साथ साधारण बिल जैसा व्यवहार किया जाता है ।

वित्त विधेयक अनुच्छेद 117(3) :-

- इसके तहत वह विधेयक जिसका संबंध संचित निधि से हो लेकिन अनुच्छेद 110 में उनका कोई उल्लेख नहीं हो ।
- इसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है । इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेना आवश्यक नहीं है लेकिन राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही सदन पर विचार-विमर्श करता है । इसके बाद शेष प्रक्रिया साधारण बिल के समान ही क्रियान्वित की जाती है ।

वित्त विधेयक 117(1) तथा 117(3) के अन्तर्गत

:- इन्हें राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है । इनके लिए संयुक्त अधिवेशन बुलायी जा सकती है ।

अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण :-

- सर्वप्रथम बजट भारत में 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया था ।
- 1921 में रेल बजट को मुख्य बजट से अलग किया गया ।
- बजट राष्ट्रपति की ओर से वित्तमंत्री पेश करता है ।
- बजट का संबंध संचित निधि से होता है ।
- बजट फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस के दिन पेश किया जाता है ।
- संविधान ने बजट को 'वार्षिक वित्तीय विवरण' कहा है दूसरे शब्दों में 'बजट' शब्द का संविधान में कही उल्लेख नहीं है ।
- बजट 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च तक होता है ।
- वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक मामलों का विभाग बजट तैयार करता है ।

1. विनियोग विधेयक :- चूंकि अनुदान की मांगों को पूरा करने के लिए संचित निधि से धन निकालना होता है तथा विनियोग विधेयक पारित किए बिना संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता । अतः संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित किया जाता है । विनियोग विधेयक दो प्रकार के होते हैं-
   a) संचित निधि पर भारित व्यय
   b) संचित निधि से किए जाने वाले व्यय

संचित निधि पर भारित व्यय :-

- राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते, पेंशन, लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, CAG के वेतन भत्ते ।
- UPSC अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते, लोकपाल, सर्वोच्च न्यायालय और UPSC के कार्मिक भाग/विभाग के सभी प्रकार के व्यय, भारत सरकार द्वारा लिए गये सभी प्रकार के ऋण ।

अनुच्छेद 116 लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान :-

लेखानुदान :- बजट पारित होने की प्रक्रिया में 2 से 3 माह का समय लग जाता है । इस समय के खर्चे पूरे करने के लिए सरकार लेखानुदान पेश करती है ।

प्रत्ययानुदान :- सरकार को आकस्मिक रूप से यदि धन की आवश्यकता होती है तो इस स्थिति में प्रत्ययानुदान पेश किया जाता है । जिसमें सरकार को कारणों को विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं होती है । लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चैक है ।

अपवादानुदान :- चालू वित्त वर्ष में ऐसी कोई सेवा प्रदान की जा रही है जिसका उल्लेख बजट में नहीं है । इस स्थिति में अपवादानुदान पेश किया जाता है । इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है

अनुच्छेद 118 संसदीय समितियां :-

(1) स्थायी (2) अस्थायी

- समिति की बैठक के लिए 1/3 सदस्यों की गणपूर्ति होनी चाहिए ।

PAC (Public Account Committee) :-

- इसमें कुल 22 सदस्य होते है । 15 सदस्य - लोकसभा, 7 सदस्य - राज्यसभा
- यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत द्वारा इनका निर्वाचन होता है ।
- अध्यक्ष - विपक्षी दल का सदस्य होता है ।
- कार्यकाल - 1 वर्ष का होता है ।
- कोई मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता । यदि कोई मंत्री इसका सदस्य बन जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है ।
- समिति का कार्य - CAG के प्रतिवेदन की समीक्षा करना ।
- यह देखना कि सरकार ने विभिन्न व्ययों में अनियमितता तो नहीं बरती है ।

प्राक्कलन समिति :-

- इसमें कुल 30 सदस्य होते है । सभी सदस्य लोकसभा के होते है । इसके सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है ।
- अध्यक्ष - सत्ता दल का सदस्य होता है । (स्पीकर द्वारा नियुक्त)
- समिति का कार्य - बजट अनुमानों की समीक्षा करना यह देखना कि सरकार ने पर्याप्त मितव्ययता के साधन अपनाए है या नहीं ।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समिति :-

- इसमें कुल सदस्य 22 होते है । 15 सदस्य - लोकसभा, 7 सदस्य - राज्यसभा
- इसके सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत किया जाता है ।
- इसका चैयरमेन/अध्यक्ष प्रायः सत्ता पक्ष का व्यक्ति ही बन सकता है इसके अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करता है ।
- कार्यकाल - 1 वर्ष
- समिति का कार्य - यह समिति CAG के द्वारा PSUs के लिए तैयार किए गए प्रतिवेदन की समीक्षा करती है ।

विभागीय समितियां :-

- यह अवधारणा USA से ली गयी है । इसके लिए 1989 में प्रथम बार कानून बनाया गया । इसे 1993 में लागू किया गया और इसके तहत 17 समिति बनायी गयी ।
- 2004 में उन समितियों की संख्या बढाकर 24 कर दी गयी । इसमें 1 व्यक्ति एक से अधिक समितियों का सदस्य बन सकता है । एक समिति एक से अधिक विभागों की जांच कर सकती है ।
- 16 समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति - लोकसभा अध्यक्ष द्वारा
- 8 समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति - राज्यसभा के सभापति द्वारा
- प्रत्येक समिति में 31 सदस्य = 21 लोकसभा से व 10 राज्यसभा से
- विभागीय समितियों के कार्य - बजट पेश किए जाने बाद कुछ समय के लिए सदन को स्थगित कर दिया जाता है और अनुदान की मांगों की समीक्षा करने का कार्य इन विभागीय समितियों को दे दिया जाता है । समितियों की समीक्षा कटौती प्रस्ताव के प्रकृति वाली नहीं होती है ।

अस्थायी समितियां :-

- यह किसी कार्य विशेष के लिए गठित की जाती है। उस कार्य के पूर्ण होने पर यह समिति स्वतः समाप्त हो जाती है। उदाहरण - JPC – Joint Parliamentry Committee
- हाल ही में JPC '2G स्केम' की जांच करने के लिए इसका गठन किया गया था।

अनुच्छेद 105 में संसद के सदनों, सदस्यों समितियों की शक्तियां व विशेषाधिकार है।

अनुच्छेद 148 – 151 CAG

- CAG का प्रावधान 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
- संविधान में इसकी कोई अर्हताएं निश्चित नहीं की गयी है।
- राष्ट्रपति या उसके प्रतिनिधि के समक्ष यह शपथ ग्रहण करता है।
- कार्यकाल - 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो।
- यह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपने पद पर कार्य नहीं करता है।
- इसे अपने पद से हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया के समान है।
- इसका वेतन संचित निधि पर भारित होती है। इसका वेतन दूसरी अनुसूची में शामिल है। इसकी अनुसूची में इसकी शपथ का उल्लेख है।

न्यायपालिका

(सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय)

- सर्वोच्च न्यायाल, राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र न्यायालय है।
- सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कानून का सर्वोच्च न्यायालय है।
- राज्यों के अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरूद्ध उच्च न्यायालयों में अपील की जाती है और उच्च न्यायालय के फैसले के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, परन्तु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय अन्तिम होते है तथा इन निर्णयों के विरूद्ध किसी और न्यायाल में अपील नहीं की जा सकती है।
- भारतीय संविधानके अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है।
- उच्चतम न्यायालय की मुख्यपीठ नईदिल्ली में स्थित है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से नईदिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है।
- वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और तीस अन्य न्यायाधीश (कुल इक्तीस न्यायाधीश) है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 (3) के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ निश्चित की गई है
  1. वह भारत का नागरिक हो,
  2. वह कम-से-कम पाँच वर्ष तक किसी एक या दो या इससे अधिक उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश रह चुका हो,
  3. उसने कम-से-कम लगातार दस वर्ष तक किसी एक या दो या इससे अधिक उच्च न्यायालयों में वकालत की हो, तथा
  4. राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो।
- उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में केवल यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के ऐसे न्यायाधीशों से, जिनसे परामर्श करना वह आवश्यक समझे, परामर्श करने के पश्चात् उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा।
- संविधान के अनुच्छेद 127 (1) के अनुसार, यदि किसी कारणवश न्यायालय की बैठक करने के लिए निश्चित गणपूर्ति या कोरम (गणपूर्ति तीन निश्चित की गयी है।) पूरी नहीं होती तो राष्ट्रपति की अग्रिम स्वीकृति द्वारा मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है।
- उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस व्यक्ति को, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता हो, तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है।
- संविधान के अनुच्छेद 124 (2) के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रहते है। 65 वर्ष की आयु से पहले कोई भी न्यायाधीश अपनी इच्छानुसार त्यागपत्र दे सकता है।
- संविधान के अनुच्छेद 124 (6) के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते है।

- उच्चतम तथा उच्च न्यायालय (सेवा शर्तें) संशोधन अधिनियम 1998 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को रू. 90,000 मासिक वेतन के रूप में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त निःशुल्क निवास तथा अन्य भत्ते मिलते हैं।
- भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भारत की संचित निधि में से दिये जाने चाहिए।
- उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित मामलों में क्षेत्राधिकार प्राप्त हैः-
  1. प्रारम्भिक क्षेत्राधिकारः-उच्चतम न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ऐसे मामले आते हैं; जिनकी सुनवाई करने का अधिकार किसी उच्च न्यायालय अथवा अधीनस्थ न्यायालयों को नहीं होता है।
     (A) भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में,
     (B) भारत संघ तथा कोई एक राज्य या अनेक राज्यों और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों में,
     (C) दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में, जिसमे उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो।

     प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय उसी विवादा को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा, जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है। उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समवर्ती प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इन अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार पृच्छा तथा उत्प्रेक्षण रिट जारी कर सकता है।
2. अपीलीय क्षेत्राधिकार भारत का सबसे बडा अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय को भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय में संवैधानिक, दीवानी, आपराधिक कुछ विशिष्ट मामलों में अपील की जा सकती है।
3. परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया गया है। यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा विवाद पैदा हुआ है, जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उस विवाद का सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श माँग सकता है। न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है।
4. पुनर्विलोकन क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय को संसद या विधानमण्डलों द्वारा पारित किसी अधिनियम तथा कार्यपालिका द्वारा दिये गये किसी आदेश की वैधानिकता को पुनर्विलोकन करने का अधिकार है।
5. अन्तरण का क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय को अन्तरण के निम्नलिखित क्षेत्राधिकार प्राप्त हैः-
   (A) वह उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों को अपने यहाँ अन्तरित कर सकता है,
   (B) वह किसी उच्च न्यायालय में लम्बित मामलों को दूसरे उच्च न्यायालय में अन्तरित कर सकता है।
6. अभिलेख न्यायालय उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्राप्त है। इस न्यायालय के निर्णय सभी जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किये जाते है तथा इन्हें किसी न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर उनकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के पद पर रह चुका है, वह भारतीय क्षेत्र में पुनः किसी भी न्यायालय या अन्य किसी भी अधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता है।

उच्च न्यायालय

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए अथवा दो या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है।
- केन्द्रशासित प्रदेशों के केवल दिल्ली में ही उच्च न्यायालय है।
- प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर किया जाता है, जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करें।
- भिन्न-भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या भिन्न-भिन्न होती है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम अर्थात् 58 है। भारत के सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या 456 है।
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों को नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राजय के राज्यपाल के अतिरिक्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेता है।

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 (2) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ निर्धारित की गई है
  1. वह भारत का नागरिक हो,
  2. भारत में कम-से-कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर आसीन रहा हो, तथा
  3. किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में या एक से अधिक राज्य के उच्च न्यायालयों में कम-से-कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो।
- संविधान के अनुच्छेद 217 (1) के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं।
- उच्चतम तथा उच्च न्यायालय (सेवा शर्ते) संशोधन अधिनियम, 1998 के अनुसार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को रू. 90,000/- तथा न्यायाधीशों को रू. 80,000/- मासिक वेतन के रूप में मिलते हैं।
- न्यायाधीशों के वेतन और भत्तें भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।
- न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 219 के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने पद पर आसीन होने से पूर्व राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किये गये किसी अधिकारी के सम्मुख संविधान के प्रति निष्ठावान रहने तथा अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करने की शपथ ग्रहण करनी पडती है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 के अनुसार, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण कर सकता है।
- उच्च न्यायालय का कोई स्थीय न्यायाधीश पद निवृत्ति के बाद उसी उच्च न्यायालय में या किसी उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। परन्तु वह किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है।
- उच्च न्यायालय को निम्नांकित क्षेत्राधिकार प्रदान किए गए हैः-
  1. प्रारम्भिक क्षेत्राधिकारः- उच्च न्यायालय को राजस्व तथा राजस्व संग्रह संबंध में तथा मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार है। इसके अतिरिक्त, प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उच्च न्यायालय को वसीयत, विवाह-विच्छेद, विवाह विधि, कम्पनी कानून तथा उच्च न्यायालय का अपमान इत्यादि से संबंधित मुकदमों को सुनने का अधिकार है।

राजस्व तथा राजस्व संग्रह संबंध में तथा मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार है। इसके अतिरिक्त, प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उच्च न्यायालय को वसीयत, विवाह-विच्छेद, विवाह विधि, कम्पनी कानून तथा उच्च न्यायालय का अपमान इत्यादि से संबंधित मुकदमों को सुनने का अधिकार है।

2. अपीलीय क्षेत्राधिकारः- उच्च न्यायालय को अपने अधीन सभी न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों के निर्णयो, आदेशों तथा डिक्रियों के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार है।
3. पुनरावलोकन क्षेत्राधिकारः- उच्च न्यायालय को कानून संबंधी न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है।
4. अन्तरण का क्षेत्राधिकारः- यदि उच्च न्यायालय के विचार में किसी निम्न न्यायालय में चल रहे किसी मुकदमे में किसी कानून की व्याख्या का कोई विशेष प्रश्न हो, तो वह उस मुकदमे को अपने पास मँगवा सकता है।
5. प्रमाण-पत्र देने का अधिकारः- उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए संबंधित उच्च न्यायालय की आज्ञा आवश्यक है।
6. अभिलेख न्यायालयः- उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में स्वीकार किया गया है।
7. प्रशासकीय अधिकारः- उच्च न्यायालय को निम्नलिखित प्रशासकीय अधिकार प्राप्त है- (1) अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यवाही का विवरण माँग सकते है। (2) अपने अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यवाही के संबंध में नियम बना सकते है। (3) किसी मुकदमें को अपने किसी अधीनस्थ न्यायालय में स्थानान्तरित कर सकते है। (4) अपने अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा आदि के नियम निर्धारित कर सकते है। (5) जिला न्यायालय तथा इससे छोटे न्यायालय के अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, पदावनति और छुट्टी इत्यादि के संबंध में नियम बना सकते है।

भाग 6 :- राज्य

अनुच्छेद 152 राज्य की परिभाषा

अनुच्छेद 153 राज्यपाल :-

- प्रत्येक राज्यके एक राज्यपाल होगा ।
- एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है । (7 वें संविधान संशोधन द्वारा)

अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति :-

राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है लेकिन अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद् की सहायता/सलाह से कार्य करेगा ।

अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति :- राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ।

अनुच्छेद 156 :- सामान्यतः राज्यपाल की पदावधि 5 वर्ष होती है लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपने पद पर बना रहता है । अतः राष्ट्रपति इसको समय से पूर्व भी पद से हटा से सकता है ।

राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया गया है ।

केन्द्र के एजेंट के रूप में राज्यपाल की भूमिका

- राज्यपाल प्रायः दोहरी भूमिका निभाता है । एक ओर जहां वह राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है वहीं दूसरी ओर वह राज्य में केन्द्र के प्रतिनिधि के रूप में ।

राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां :- भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की तुलना में राज्यपाल को अधिक विवेकाधीन शक्तियां दी गयी है । जहां राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सलाह मानने के लिए बाध्य है वहीं राज्यपाल के लिए बाध्य जैसा प्रावधान नहीं है ।

1. राज्यों में यह देखना कि संविधान का पालन हो रहा है या नहीं ।
2. राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करना ।
3. राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में सभी कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित हो जाती है
4. राज्यपाल विभिन्न नियुक्तियां व स्थानान्तरण करता है ।
5. अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रख सकता है
6. यदि किसी राज्य दल को बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है ।
7. यदि मुख्यमंत्री विश्वास मत खो देता है तो इस स्थिति में राज्यपाल दूसरा मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है विधानसभा को भंग कर सकता है, राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसा कर सकता है ।
8. राज्यों से प्रशासनिक तथा वैधानिक सूचना मांगने का अधिकार ।
9. भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत गर्वनर की पूर्वानुमति से ही मुख्यमंत्री तथा मंत्री के विरूद्ध केस दर्ज किया जायेगा ।
10. इसके अतिरिक्त गर्वनर को कुछ राज्यों तथा उनके कुछ विशेष क्षेत्रों से संबंधित अधिकार दिये गये है । जैसे
 -
 (1) गुजरात के कच्छ तथा सोराष्ट्र में विकास बोर्ड की स्थापना, महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाडा क्षेत्र के लिए विकास बोर्ड का गठन करना ।
 (2) मणिपुर के पहाडी क्षेत्रों के लिए अलग से समिति का गठन करना ।
 (3) सिक्किम में शांति को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करना ।
 (4) वर्तमान में छत्तीसगढ, झारखंड, उडीसा, मध्यप्रदेश में राज्यपाल जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति करवा सकता है ।

अनुच्छेद 157 :- राज्यपाल की नियुक्ति के लिए अर्हता
अनुच्छेद 158 :- राज्यपाल कार्यालय के लिए दशाएं ।
अनुच्छेद 159 :- राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण ।
अनुच्छेद 160 :- कतिपय आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य ।
अनुच्छेद 161 :- राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां
अनुच्छेद 162 :- राज्य की कार्यपालक शक्ति की मांग
अनुच्छेद 163 :- मंत्रिपरिषद् का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना ।
अनुच्छेद 164 :- मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे- नियुक्ति, कार्यकाल तथा वेतन आदि ।
अनुच्छेद 165 :- राज्य का महाधिवक्ता ।
अनुच्छेद 166 :- राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही ।
अनुच्छेद 167 :- राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि का मुख्यमंत्री का दायित्व ।
अनुच्छेद 174 :- राज्य विधायिका का सत्र, सत्रावसान तथा उसको भंग करना ।
अनुच्छेद 175 :- राज्यपाल को राज्य विधायिका के किसी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने अथवा संदेश देने का अधिकार राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन
अनुच्छेद 213 :- राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति ।

राज्य का विधानमंडल (अनुच्छेद 168-213)

- **विधानसभा** :-
 अधिकतम सदस्य - 500
 निम्नतम सदस्य - 60
 अपवाद - गोवा (40)
 सिक्किम (32)
 इनमें कम से कम 30
 सदस्य संख्या हो सकती है ।
 अरूणाचल प्रदेश (60)
 मिजोरम (40)
 नागालैण्ड (46)
- 84 वें संविधान संशोधन के द्वारा विधानसभा की सदस्य संख्या 2026 तक निश्चित कर दी गयी है । विधानसभा में राज्यपाल 1 एंग्लों इंडियन मनोनीत कर सकता है ।

राज्य विधानमण्डल

- संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमण्डल का संगठन, कार्यकाल, अधिकारियों, शक्तियों एवं विशेषाधिकार आदि के बारे में बताया गया है। यद्यपि ये सभी संसद के अनुरूप हैं फिर भी इनमें कुछ अन्तर पाया जाता है।
- अनुच्छेद 168 में उपबन्ध है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमण्डल होगा, जो राज्यपाल और एक सदन, जहाँ दो सदन हैं, दो सदनों से मिलकर बनेगा। जहाँ दो सदन हैं, वहाँ का उच्च सदन विधानपरिषद् और निम्न सदन विधानसभा कहलाता है।

विधानपरिषद्

- वर्तमान में केवल 7 राज्यों-कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आन्ध्रा प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू-कश्मीर में विधानपरिषद् है। विधानपरिषद् के निर्माण व समाप्ति का उल्लेख अनुच्छेद 169 में किया गया है। विधानपरिषद् के निर्माण व समाप्ति की अन्तिम शक्ति संसद के पास है। ऐसा संविधान में संशोधन किए बिना एक साधारण प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 171, (1) के अनुसार, विधानपरिषद् वाले राज्य की विधानपरिषद् के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं होगी, परन्तु किसी राज्य की विधानपरिषद् के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी, परन्तु जम्मू-कश्मीर में सदस्य संख्या 36 है।
- विधानपरिषद् के 1/3 सदस्यों का चुनाव राज्य की स्थानीय संस्थाओं, नगरपालिकाओं, जिला बोर्ड आदि के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मण्डल द्वारा होता है।
- विधानपरिषद् के 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाएँगे तथा 1/2 सदस्य राज्य के विश्वविद्यालय स्नातकों से निर्वाचित होंगे, जो कम-से-कम 3 वर्ष पहले स्नातक कर चुके हों।
- विधानपरिषद् के 1/12 सदस्य उन अध्यापकों द्वारा चुने जाएँगे, जो राज्य के हायर सैकण्डरी स्कूलों या उच्च शिक्षा संस्थाओं में कम-से-कम 3 वर्ष से पढा रहे हो।
- विधानपरिषद् के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे, जो राज्य के जो राज्य के कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा तथा सहकारिता से जुडे हों।
- विधानपरिषद सदस्य की योग्यताएँ निम्न हैं-30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, संसद द्वारा निश्चित अन्य योग्यताएँ, राज्य विधानमण्डल का सदस्य होने की पात्रता आदि।
- विधानपरिषद् एक स्थायी सदन है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात एक-तिहाई सदस्य अवकाश प्राप्त कर लेते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु या त्याग-पत्र द्वारा हुई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित होता है, तो वह उस सदस्य की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा।
- अनुच्छेद 174 में सत्र, सत्रावसान व विघटन सम्बन्धी प्रावधान है। राज्य की विधानपरिषद् के भी संसद की भाँति 3 सत्र होते हैं। एक सत्र की अन्तिम बैठक और दूसरे सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अन्तर नहीं होगा।
- सामान्य विधेयक को विधानपरिषद् में पेश किया जा सकता है, परन्तु सामान्य विधेयक पर अंतिम शक्ति विधानसभा के पास है। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को पहली बार में विधानपरिषद् 3 माह तक रोक सकती है।
- यदि 3 माह बाद विधानसभा पुनः विधेयक को पारित कर दे, तो सामान्य विधेयक को विधानपरिषद एक माह तक और रोक सकती है।
- जिन संशोधन विधेयक में राज्य विधानमण्डल का समर्थन आवश्यक है उनमें विधानपरिषद् भी भाग लेती है। विधानपरिषद धनविधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है।
- विधानपरिषद् सदस्य अपने बीच में से ही सभापति चुनते है। सभापति निम्न मामलों में पद छोड सकता है- उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए, उपसभापति को लिखित त्याग-पत्र दे, यदि विधानपरिषद के तत्कालीन उपस्थित सदस्य बहुमत से उसे हटाने का संकल्प पास कर दे। इस तरह का प्रस्ताव 14 दिनों की पूर्व सूचना के बाद ही लाया जा सकता है।

विधानसभा

- राज्य विधानमण्डल के निचले सदन को विधानसभा कहा जाता है। इस सदन के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अनुच्छेद 170 के अनुसार, अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की विधानसभा के अधिक-से-अधिक 500 और कम-से-कम 60 सदस्य हो सकते है।
- राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है, जिसकी गणना प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात होती है। प्रत्येक जनगणना के पश्चात परिसीमन आयोग नियुक्त किया जाता है।

- यह आयोग जनसंख्या के नए आँकडों के अनुसार चुनाव क्षेत्रों का नए रूप में विभाजन करता है (अनुच्छेद 70 (3))
- 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रावधान किया गया है कि वर्ष 2000 के पश्चात होने वाली प्रथण जनगणना तक प्रत्येक राज्य के चुनाव क्षेत्रों के विभाजन के लिए वही आँकडे प्रमाणिक होंगे, जो वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार निश्चित और प्रमाणिक हों।
- 84वें संशोधन अधिनियम, 2001 में सरकार को यह अधिकार भी दिया गया कि विधानसभा क्षेत्रों के तुलनात्मक पुनर्निर्धारण को वर्ष 1991, की जनगणना के आधार पर किया जाए।
- तत्पश्चात 87वें संशोधन अधिनियम, 2003 में निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण 2001 की जनसंख्या के हिसाब से करने की व्यवस्था की गई। यद्यपि यह पुनर्निर्धारण प्रत्येक राज्य में विधानसभा की कुल सीटों के अनुसार ही सम्भव है, किंतु सदस्यों की संख्या 2026 तक उतनी ही बनी रहेगी, जितनी है।
- विधानसभा सदस्यों की योग्यताएँ निम्न है- 25 वर्ष की आयु पूरी कर चका हो, न्यायालय द्वारा पागल, दिवालिया घोषित न किया गया हो, संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अनुसार विधानसभा के लिए बयोग्य न हो।
- अनुच्छेद 172 के अन्तर्गत राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। इस निश्चित समय से पूर्व भी राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है
- आपातकालीन स्थिति में संघीय संसद कानून बनाकर किसी राज्य विधानसभा की अवधि अधिक-से-अधिक एक समय में 1 वर्ष तक बढा सकती है। आपात स्थिति की समाप्ति के बाद यह बढाई हुई अवधि केवल 6 माह तक लागू रह सकती है।
- विधानपरिषद् के सदस्यों को वही वेतन और भत्ते मिलते हैं, जो राज्य विधानमण्डल विधि द्वारा निर्धारित करे। राज्य विधानसभा सदस्य राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं।
- अनुच्छेद 173 के अनुसार, विधानसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष तथा एक अन्य को उपाध्यक्ष के पद के लिए चुन लेते हैं।
- विधानसभा अध्यक्ष को 5 वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है। विधानसभा भंग होने पर उसे अपना पद त्यागना नहीं पडता, बल्कि वह नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रथम अधिवेशन होने तक अपने पद पर बना रहता है (अनुच्छेद 179)
- विधानसभा को राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है।
- विधानसभा का राज्य के वित्त पर नियन्त्रण होता है। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश हो सकते हैं। वितीय वर्ष के प्रारम्भ होने से पहले राज्य का वार्षिक बजट भी इसी के सामने प्रस्तुत किया जाता है।
- विधानसभा की स्वीकृति के बिना राज्य सरकार न कोई कर लगा सकती है और न ही कोई पैसा खर्च कर सकती है। विधानसभा में पास होने के बाद धन विधेयक विधानपरिषद् के पास भेजा जाता है, (यदि विधानमण्डल द्विसदनीय है) जो उसे अधिक-से-अधिक 14 दिन तक पास होने से रोक सकती है।
- विधानसभा को कार्यकारी शक्तियाँ मिली हुई हैं। विधानसभा का मन्त्रिपरिषद् पर पूर्ण नियन्त्रण है। मन्त्रिपरिषद् अपने समस्त कार्यों व नीतियों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है।
- विधानसभा मन्त्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करके अथवा धन विधेयक को अस्वीकृत करके तथा मन्त्रियों के वेतन में कटौती करके अथवा सरकार के किसी महत्वपूर्ण विधेयक को अस्वीकृत करके मन्त्रिपरिषद् को त्याग-पत्र देने के लिए मजबूर कर सकती है।
- राज्य विधानसभा को संविधान में संशोधन करने का कोई महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं है। संशोधन करने का अधिकार संसद को ही प्राप्त है, परन्तु संविधान में कई ऐसे अनुच्छेद हैं, जिनमें संसद अकेले संशोधन नहीं कर सकती है।
- राज्य सूची के कुछ विषयों पर राज्यों के विधानमण्डल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना कानून नहीं बना सकते हैं। राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्मित कुछ विषयों से जुडे कानून सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजे जाते हैं। ऐसे मामलों को आवश्यक रूप से आरक्षित करेगा, जिससे उच्च न्यायालय की शक्तियाँ प्रभावित होती हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही वह कानून प्रवर्तनीय होगा।
- राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वालों का दो-तिहाई बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी भी विषय को, संसद को कानून निर्माण हेतु सौंप सकती है। ऐसे विषय पर संसद एक वर्ष हेतु कानूनों का निर्माण कर सकती है और इस अवधि में वृद्धि भी की जा सकती है।
- संविधान में राज्य विधानमण्डलों के विशेषाधिकारों को उन व्यक्तियों तक भी विस्तारित किया है, जो राज्य विधानमण्डल के सदन या इसकी किसी समिति की कार्यवाहियों में बोलने और भाषण देने के लिए अधिकृत, जैसे- महाधिवक्ता।

संविधान संशोधन
अनुच्छेद 368

भाग-20

- भारतीय संविधान कठोरता व लचीलापन दोनो ही विशेषताओं को धारण किए हुऐ हैं ।

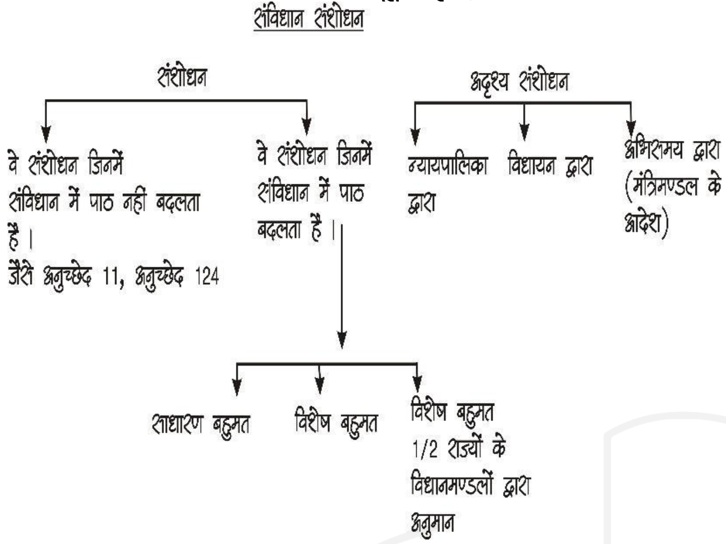

अनु. 368

संविधान के भाग 20 के अन्तर्गत अनु. 368 संसद की संविधान संशोधन की शक्ति का वर्णन है ।
भारत मे संविधान संशोधन की प्रक्रिया न तो अमेरिका (संघात्मक) जितनी कठोर है और न ही ब्रिटेन (एकात्मक) जितनी लचीली ।

साधारण बहुमत से संशोधन:-

नये राज्यों का बनना, सीमाऐं, परिवर्तित करना, राष्ट्रपति राज्यपाल आदि के वेतन भत्ते बढावा, सांसदो के वेतन भत्ते बढावा, चुनाव क्षेत्रो का परिसीमन आदि ।

संविधान संशोधन विधेयक :-

संसद के किसी भी सदन मे किसी भी सदस्य द्वारा राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना लाया जा सकता है
संविधान संशोधन विधेयक के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान नही है, और राष्ट्रपति के द्वारा इसको स्वीकृत देना अनिवार्य है
संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान यथा मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व आदि मे संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, इससे तात्पर्य है कि सदन की कुल संख्या के आधे से ज्यादा तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत
संविधान के ऐसे प्रावधान जिनका संबंध संघीय ढांचे से है उनमे संशोधन के लिए विशेष बहुमत के साथ-साथ आधे राज्यों की साधारण बहुमत से सहमति भी आवश्यक है । इसके लिए संविधान मे समय-सीमा का कोई उल्लेख नही है ।

उदाहरण:-

राष्ट्रपति का चुनाव, केन्द्र व राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टस केन्द्र एवं राज्य की विधायी शक्ति का बंटवारा, सातवाँ अनुसूची की कोई सूची, संसद मे राज्यों का प्रतिनिधित्व

आलोचना :-

1. संशोधन की प्रक्रिया का प्रारम्भ करने का अधिकार केवल केन्द्र के पास है । अतः अपवादों को छोडकर राज्य प्रक्रिया प्रारम्भ नही कर सकते (अमेरिका मे 2/3 राज्य मिलकर संविधान संशोधन प्रस्तावित कर सकते है जो कि 3/4 के समर्थन से लागू हो जायेगा ।

अपवाद :-

राज्य विधानसभा 2/3 बहुमत से विधानपरिषद गठल करने का अथवा भंग करने का प्रस्ताव केन्द्र को भेज सकती है ।

महत्वपूर्ण संविधान संशोधन :-

1. 1/1951 SC, ST तथा सामाजिक, शैक्षिक, पिछडों के लिए विशेष प्रावधान - अनु. 15
2. 7/1956 राज्यों का पूनर्गठन - 14 राज्य व 6 केन्द्र शासित प्रदेश बने ।
3. 21/1967'सिन्धी भाषा को 8वीं अनुसूची मे 15वीं भाषा के रूप मे मान्यता मिली ।
4. 25/1971 अनु. 39 (B) व 39 (C) को क्रियान्वित करने वाला कानून अनु. 14,19,31 का उल्लंघन कर सकता है
5. 26/1971 प्रिवीपर्स की समाप्ति
6. 35/1974 सिक्किम को भारत का सहयोगी राज्य बनाया और 10वीं अनुसूची मे शर्त लिखी ।
7. 36/1975 सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया 10वीं अनुसूची समाप्त
8. 42/1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट क्रियान्वित हुई । (इसे लघु संविधान भी कहते हैं)
   - प्रस्तावना मे 3 नये शब्द जोडे गये
     1. समाजवादी
     2. धर्म निरपेक्ष
     3. अखण्डता
   - मूल कर्तव्य जोडे गये (अनु. 51 (A) व भाग 4 (A)
   - राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है
   - प्रशासनिक अधिकरणों एवं अन्य अधिकरणों की व्यवस्था (भाग - 14 (A))
   - लोकसभा सीट - 1971 की जनसंख्या के आधार पर 2001 तक लोकसभा की सीटें निश्चित की ।

<u>3 नये नीति निर्देशक तत्व जोडे</u>

1- समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता (अनु. 39 (A)
2. उद्योगो के प्रबन्धन मे कार्मिको की भागीदारी 43 (A)
3. पर्यावरण संरक्षण तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा (अनु. 48 (H)

<u>5 विषयों की राज्य सूची से हटा कर समवर्ती सूची मे डाला</u>

1. शिक्षा
2. वन
3. वन्य पशु, पक्षियों का संरक्षण
4. नाप एवं तोल
5. न्याय प्रशासन अर्थात सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट को छोडकर सभी न्यायालयों का प्रशासन ।

9. 44/1978- संसद एवं राज्य विधायिका (विधानसभा) की सही रिपोर्ट को मीडिया को प्रकाशित करने का अधिकार दिया ।

मंत्रिपरिषद की सिफारिश को राष्ट्रपति को एक बार लौटाने का अधिकार दिया ।
राष्ट्रीय आपात के संदर्भ मे आंतरिक अशांति के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' तथा केबिनेट की लिखित सलाह को अनिवार्य किया ।
सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर साधारण विधिक अधिकार बनाया ।
राष्ट्रीय आपात की स्थिति मे भी अनु. 20 और 21 को निम्नलिखित नही किया जा सकता ।

10. 52/1985- दल बदल निरोधक कानून 10वीं अनुसूची संविधान मे डालों
11. 61/1989-वोटर की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया (लोकसभा व विधानसभा)
12. 65/1990- S.C. ST के लिए बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग ।
13. 69/1991- दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए (NCT National Capiital Tarritory) कहा - 70 सदस्यीय विधानसभा बनाई (मंत्रिपरिषद के 7 सदस्य हो सकते हैं)
14. 70/1992- दिल्ली एवं पाण्डिचेरी के विधायकों को राष्ट्रपति चुनाव मे वोट का अधिकार दिया ।
15. 71/1992- कोंकणी, मणिपुर, नेपाली भाषाओं को संविधान को 8वीं अनुसूची मे डाला ।
16. 73/1992-संविधान मे भाग 9 जोडा जिसमें पंचायतों राज का विवरण है तथा 11वीं अनुसूची जोडी जिसमें पंचायतों के 29 विषयों का विवरण है ।
17. 74/1992-इसके माध्यम से संविधान मे भाग 9 (A) जोडा, जिसमें नगर पालिकाओं का विवरण है
 - 12वीं अनुसूची जोडी गई जिसमें 18 विषयों का विवरण है ।
18. 75/1994-किराये का अधिकरण ।
19. 77/1995-S.C. ST को प्रमोशन मे आरक्षण अनु.
20. 84/2001-1971 की संख्या 2026 तक मानी जायेगी (लोकसभा चुनावों मे)
21. 86/2002-शिक्षा का मूल अधिकार (1) अनु. 21 (A) (2) अनु. 45 (3) अनु. 51 (A) में 11वां कर्तव्य
22. 88/2003-'सेवा कर' को केन्द्रीय सूची मे डाल गया
23. 89/2003- S.C. ST के आयोग अलग-अलग किये
24. 91/2003-15% से कम मंत्री होगे । छोटे राज्य मे कम से कम 12 सदस्य होगे (लोकसभा व विधानसभा)
25. 92/2003-'बोडो, डोगरी, मैथिली और सन्थाली' भाषाओं को संविधान की 8वीं अनूसूची मे शामिल किया
26. 93/2005-S.C. ST के लिए तथा सामाजिक एवं शक्षणिक रूप से पिछडे लोगो केलिए शैक्षणिक संस्थाओं मे आरक्षण अनु. 15 (5)
27. 97/2011- सरकारी संस्थाऐं
28. 99/2015-राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना जिसे उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया ।
29. 100/2015-लैण्ड बाउन्ड्री एग्रीमेन्ट बांग्लादेश के साथ
30. 101 वाँ संशोधन अधिनियम 2017 - वस्तु एवं सेवा कर (GST) की शुरुआत की गयी ।
31. 102 वाँ संविधान संशोधन 2018 - सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है ।
32. 103 वाँ संविधान संशोधन 2019 - अनु. 16 में संशोधन कर सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रुप से कमजोर वर्गो के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी ।
33. 104 वाँ संविधान संशोधन 2020 - लोकसभा व राज्यसभा विधानमण्डल में एंग्लो-इण्डियन समुदायों की आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया ।
34. 105 वाँ संविधान संशोधन 2021 - अन्य पिछडा आयोग की सूची बनाने के लिए राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश को शक्ति प्रदान करना ।

भारतीय संविधान की परिसंघीय विशेषताएँ

1. लिखित संविधान
2. शक्तियों का स्त्रोत संविधान
3. केन्द्र व राज्यों के मध्य स्पष्ट शक्ति पृथक्करण
4. कठोर संविधान - क्योंकि संविधान की परिसंघीय व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। एवं अधि राज्यों की सहमति भी आवश्यक है इसलिए यह इस मामले में कठोर है।
5. न्यायिक पुनरावलोकन
6. दोहरी विधायिका (केन्द्र, संसद, राज्यों-विधानसभा)
   - राज्यों की विधानसभा ससंद के अधीन नही है उदा. दोहरी कार्यपालिका
   - राज्य सरकारें केन्द्र के अधीन नही है।

भारतीय संविधान की एकात्मकता की विशेषताएँ

1. एकल संविधान
   भारत में राज्यों का पृथक् संविधान नही है एक ही संविधान में राज्यों के लिए प्रावधान किये गये है। जम्मू-कश्मीर एक अपवाद है।

2. एकल नागरिकता
   भारत में केवल संघ की नागरिकता दी जाती है राज्य पृथक् से नागरिकता प्रदान नही करते है।

3. संघ के पास अधिक विधायी शक्तियाँ
   संघ सूची में 100 विषयों का उल्लेख है जबकि राज्य सूची में मात्र 61 है। तथा महत्वपूर्ण विषय संघ को दिये जाते है एवं समवर्ती सूची पर भी संघ की सर्वोच्चता स्थापित है।

4. अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र के पास

5. संसद राज्य सूची के विषय पर अतिक्रमण कर सकती है।
   अनुच्छेद 249, 250, 252, 253

6. राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति केन्द्र के द्वारा की जाती है।

7. केन्द्र राज्यों का विभाजन कर सकती है सीमा में बदलाव कर सकती है।नाम परिवर्तन कर सकती है।

8. राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व
   राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व किया गया है न कि अमेरिकी सीनेट की भाँति सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है।

9. एकल न्यायपालिका
   भारत में उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ है।

10. निर्वाचन आयोग
    एक ही निर्वाचन आयोग है, जो केन्द्र एवं राज्यों सभी के लिए निर्वाचन करता है।

11. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
12. CAG केन्द्र व राज्य सरकारें दोनो का अंकेक्षण करता है व इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है।
13. वित्तीय संसाधन केन्द्र के पास अधिक है तथा राज्य वित्त के लिए केन्द्र पर निर्भर है।
14. अखिल भारतीय सेवाएँ
15. राज्यपाल राज्य विधायिका के द्वारा पारित किये गये बिल को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित रख सकता है।

16. आपातकालीन उपबन्ध
    तीन प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है और आपातकाल में केन्द्र को विशेष शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है एवं संविधान पूरी तरह एकात्मक हो जाता है।

17. केन्द्र राज्यों को निर्देश दे सकता है अनेक मामलों में (अनुच्छेद 356,357,350 (a), 347,339,244

वरीयता क्रम (Precedence)

सरकारी कार्यक्रमों में प्रोटोकॉल देते समय वरीयता क्रम

- राष्ट्रपति
- उपराष्ट्रपति
- प्रधानमंत्री
- राज्यपाल (अपने राज्य में)
- Ex. राष्ट्रपति
- उप प्रधानमंत्री
- CJI and लोकसभाध्यक्ष
- कैबिनेट मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री (अपने राज्य में)
- भारत रत्न से सम्मानित
- राजदूत था उच्चायुक्त

- राज्यपाल व मुख्यमंत्री (अपने राज्य से बाहर)
- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
- U.P.S.C. निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व C.A.G.
- R.S. उप सभापति, L.S. उपाध्यक्ष, राज्य मंत्री, उप-मुख्यमंत्री
- महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव, U.T. में उपराज्यपाल
- सेनाध्यक्ष
- विदेशी प्रतिनिधि
- राज्य की विधानसभा और विधान परिषद् के अध्यक्ष व सभापति **H.C.** का मुख्य न्यायाधीश (उसी राज्य में)
- राज्य के कैबिनेट मंत्री
- केन्द्र का उपमंत्री
- U.T. का मुख्यमंत्री

आपातकालीन उपबंध

भाग–18

अनु.352–अनु.360

संविधान मे तीन तरह के आपातकालीन उपबंधों को उल्लेख किया गया है ।

अनु. 352 :– आपातकाल की उद्घोषणा

लागू करने के कारण- युद्ध बाह्य आक्रमण
सशस्त्र विद्रोह
संविधान मे इन नामों का उल्लेख नही किया है
राष्ट्रीय आपातकाल

अनु. 352 :– संवैधानिक तंत्र की विफलता लागू करने के कारण

राज्यों मे संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण इसके अन्य नाम है ।

1. राज्य आपातकाल संविधान मे इन नामों का उल्लेख नही किया गया है ।
   राष्ट्रीय शासन, संवैधानिक आपातकाल

अनु. 360 :– वित्तीय आपातकाल लागू करने के कारण–

भारत की वित्तीय स्थायित्व अथवा साख के खतरे के कारण

अनु. 352 आपातकाल की उद्घोषणा

उद्घोषणा के आधार:–

यदि भारत की अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो गया हो तो अनु. 352 के अन्तर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है ।
जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती हो ।

बाह्य आपातकाल

जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती हो आंतरिक आपातकाल प्रारम्भ मे संविधान ने राष्ट्रीय आपातकाल के तीसरे आधार के रूप मे "आंतरिक गडबडी (अशांति)" का प्रयोग किया था लेकिन 1978 के 44वे संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आंतरिक गडबडी (अशांति) शबद को सशस्त्र विद्रोह शब्द से विस्थापित कर दिया गया । अतः अब आंतरिक गडबडी (अशांति) के आधार पर आपातकाल की घोषणा करना संभव नही है, जैसा कि 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने किया था

संसदीय अनुमोदन एवं समयावधि :–

राष्ट्रपति, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमण्डल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है ।
अर्थात् घोषणा केवल मंत्रिमण्डल की सहमति से ही हो सकती है न कि मात्र प्रधानमंत्री की सलाह से ।
(1978 के 44वें संविधान अधिनियम द्वारा)

मूल अधिकारों पर प्रभाव:–

अनु. 358 व 359 राष्ट्रीय आपातकाल मे मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन करते है ।
अनु. 358– अनु.19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलम्बन से संबंधित है ।
अनु. 359– अन्य मूल अधिकारों से संबंधित है (अनु. 20 व 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोडकर)

अनु. 19 के अन्तर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों का निलम्बन:–

अनु. 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तब अनु. 19 द्वारा प्रदत्त छः मूल अधिकार स्वतः ही निलबिंत हो जाते है ।
नोट:– 44वें संविधान संशोधन (1978) ने अनु. 358 को संभावना पर दो प्रकार से प्रतिबंध लगा दिया है ।

1. अनु.19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल मे ही निलबिंत किया जा सकता है न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ।
2. केवल उन विधियों को जो आपातकाल से संबंधित है, चुनौति नह दी जा सकती है तथा ऐसे विधियों के अन्तर्गत दिए गए कार्यकारी निर्णयों को भी चुनौती नही दी जा सकती है ।

अन्य मूल अधिकारों का निलबंन अनु.359 के अन्तर्गत मूल अधिकार नही अपितु उनका लागू होला निलबिंत होता है । वास्तविक रूप से ये अधिकार जीवित रहते हे केवल इनके तहत उपचार निलबिंत होता है
अनु.20 व अनु.21 का निलबंन किसी भी स्थिति मे नही किया जा सकता । शेष को राष्ट्रपति आदेश निकालकर निलबिंत कर सकता है ।
आपत के समय बनाये गए कानून आपातकाल की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जायेगे ।

अनुच्छेद 356 राज्यों मे सांविधानिक तंत्र का विफल हो जाने की दशा मे उपबंध

अनु. 356 मे यह प्रावधान है कि किसी राज्य मे संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है अर्थात सरकार (राज्य सरकार) संविधान के उपबंधों के अनुरूप कार्य नही कर रही है तो राष्ट्रपति राज्य सरकार एवं राज्य विधान सभा को भंग कर सकता है इसे ही राष्ट्रपति कहते है ।

अनु. 355 मे यह प्रावधान है कि केन्द्र बाह्य व आंतरिक शत्रुओं, अर्थव्यवस्था, बाक्रमण से राज्यों की रक्षा करेगा
1. बाह्य आक्रमण
2. आंतरिक अव्यवस्था
राज्यों पर राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने दो आधार है अनु. 356, अनु. 356 ।

अनुच्छेद 356

यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो तथा यदि राष्ट्रपति आश्वस्त है कि वह स्थिति आ गई है कि राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के अनुरूप नही चल रही है तो राष्ट्रपति संबंधित राज्य मे राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है ।

अनुच्छेद 365

यदि केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए कार्यपालिका निर्देशों का पालन यदि राज्य सरकारें नही करती है, तो केन्द्र सरकार राज्यों मे राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है ।
अनु. 256 व अनु. 257 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन यदि राज्य सरकार नही करती है तो इस स्थिति मे केन्द्र सरकार संबंधित राज्य मे राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है ।

संसदीय अनुमोदन तथा समयावधिः-

राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बाद 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक है ।
इसी दौरान यदि लोकसभा भंग हो जाती है, तो नव निर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक के 30 दिन के भीतर इसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक है तथा यह राज्यसभा के द्वारा पहले से ही अनुमोदित होना चाहिए ।
एक बार में यह राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए लागू किया जाता है ।
राष्ट्रपति शासन अधिकतम एक वर्ष तक के लिए लागू किया जा सकता है । लेकिन दो स्थितियों मे इसकी अवधि एक वर्ष से अधिक की हो सकती है ।
1. यदि देश मे राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा पहले से ही हो रखी हो (अनु.352 के तहत)
2. निर्वाचन आयोग यदि उस बात की संस्तुति देदे कि अभी राज्य मे चुनाव करवाने जैसी स्थितियाँ नही है
किसी भी स्थिति मे किसी राज्य मे राष्ट्रपति शासन तीन वर्ष से अधिक लागू नही किया जा सकता है ।
जब किसी राज्य मे राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित असाधारण शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है ।

- संसद राज्य के विधेयक और बजट प्रस्ताव को पारित करती है ।
- सर्वप्रथम 1951 मे पंजाब मे पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया ।

44 वें संविधान संशोधन द्वारा इस प्रस्ताव को हटा दिया गया है, और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम (1978) मे यह प्रावधान किया गया कि राज्य मे संवैधानिक तंत्र के विफल होने से संबंधित अंतिम विनिश्चत राष्ट्रपति का ही होगा तथा अब इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है ।

अनु. 360 वित्तीय आपातकालः-

यदि देश की वित्त व्यवस्था संकट मे हो अर्थात देश मे आर्थिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो, तो इस स्थिति मे वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है ।

संसदीय अनुमोदन एवं समयावधि :-

मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है ।

उद्घोषणा के बाद 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदन किया जाना आवश्यक है वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अनिश्चत काल के लिए की जाती है ।
राष्ट्रपति कभी भी घोषणा करके इसकों वापिस ले सकता है । ऐसी घोषणा को किसी संसदीय मंजूरी की आवश्यकता नही है ।

वित्तीय आपातकाल के प्रभाव :-

केन्द्र व राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को स्थगित कर दिया जाता है ।
राष्ट्रपति द्वारा राज्यों को दिये जाने वाले अनुदानों को रोका जा सकता है ।
संचित-निधि पर भारित व्यय के वेतन मे कटौती की जा सकती है ।
उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों के वेतन, भत्तों हेतु राष्ट्रपति द्वारा निर्देश जारी किया जा सकता है ।
अतः वित्तीय आपातकाल की अवधि मे राज्य के सभी वित्तीय मामलों मे केन्द्र का नियंत्रण हो जाता है ।
नोटः- अब तक वित्तीय आपातकाल (अनु.360)
44वें संविधान अधिनियम (1978) द्वारा इस संविधान को हटा दिया गया है कि इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है

जनहित याचिका

- भारत का संविधान सभी भारतीयों के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। यदि राज्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो व्यक्ति न्याय के लिए कानून की सहायता प्राप्त कर सकता है। आर्थिक सहायता के अभाव में, निर्धन व्यक्ति न्याय के लिए न्यायालय नहीं पहुँच पाते।
- इसके अतिरिक्त भारतीय कानून प्रणाली के तहत, केवल पीड़ित लोग अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। इसलिए सामाजिक संगठन, गरीब लोगों की ओर से उनके मौलिक अधिकारों के लिए न्यायालय में अपील नहीं कर सकते।
- इस समस्या को महसूस करते हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस अवधारणा को विकसित किया कि समाज का कोई व्यक्ति, चाहे वह सीधे तौर पर इससे शामिल न हो, परन्तु इसमें गहन रूचि रखता हो, नियम 226 के तहत् जनहित याचिका के माध्यम से, उन लोगों की ओर से उच्च न्यायालय जा सकता है जो गरीबी, असहायता अथवा विकलांगता अथवा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित स्थिति में होने के कारण अदालत तक नहीं जा सकते।
- इस प्रकार न्याय प्रणाली में जनहित याचिका की शुरूआत एक महत्वपूर्ण विकास है।
- जनहित याचिका (पी.आई.एल.) एक कानूनी माध्यम है, जिसे किसी कानून की अदालत में किसी न्यायिक संस्था या मामले के हित में शुरू किया जा सकता है, जिसमें किसी समुदाय या वर्ग के आर्थिक हित या कुछ हित शामिल हों, जिससे उनके कानूनी अधिकार या दायित्व प्रभावित हो रहे हों।
- यह न्यायिक सक्रियता के माध्यम से प्रदान किए गए अधिकार हैं।
- कोई भी नागरिक संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत् सर्वोच्च न्यायालय में, अनुच्छेद 226 के तहत् उच्च न्यायालय में और सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के तहत् जनपदाधीश के न्यायालय में मुकदमा दायर करके अदालत तक पहुँच सकता है।
- **न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर ने अपने उत्कृष्ट प्रयासों से इस न्यायिक क्रांति को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।**
- **संविधान के अनुच्छेद 39।** (समान न्याय और नि:शुल्क कानूनी सहायता) में निहित सिद्धांत पी.आई.एल. की अवधारणा के अनुरूप हैं। जनहित याचिका राज्य या केन्द्र सरकार, नगरपालिका अधिकारियों और किसी भी निजी पार्टी के खिलाफ दायर की जा सकती है।
- राज्य की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई है।

प्रस्तावना –

- नागरिक न्याय प्रणाली में जनहित याचिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह जनता के हितों को प्राथमिकता देती है। इसका उद्देश्य सामाजिक और सामूहिक न्याय सुनिश्चित करना है।
- इसका कार्य समाज के वंचित, उत्पीड़ित और हाशिए वाले वर्गों को न्याय प्रदान करता है। यह सामूहिक अधिकारों के लिये एक अवसर प्रदान करता है।

याचिका का अर्थ –

- जनहित याचिका से तात्पर्य है सार्वजनिक हित या सामान्य हित में, प्रारंभ की जाने वाली न्यायिक कार्रवाई जिसकी समुदाय के एक समूह के हित में रूचि हो, जिससे उसके कानूनी अधिकार और जिम्मेदारी प्रभावित होती है।

उत्पत्ति –

- **संयुक्त राज्य अमेरिका में 1960 के दशक के मध्य में जनहित याचिका का प्रारंभ माना जाता है।**
- 1970 के दशक के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में, जनहित याचिका को लागू किया और 1970 के अंत में भारत में भी जनहित याचिका का प्रारंभ हुआ और 1980 के दशक में इसे विकसित किया गया।
- **न्यायाधीश सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाओं और सत्ता में संतुलन बनाए रखते हैं।**

जनहित याचिका की प्रकृति

- जनहित याचिका का उद्देश्य गरीब लोगों के साथ किए गए अन्याय के खिलाफ न्यायालय से कानूनी रूप से निवारण करने के लिए न्याय दिलाना है।
- **न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर** के अनुसार, 'जनहित याचिका एक प्रक्रिया है, जो लोगों की शिकायतों को कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से लोगों के लिए न्याय प्राप्त करने को व्यक्त करता है।'
- **न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती ने** कहा कि, 'सामाजिक और आर्थिक न्याय, जो हमारे संविधान के हस्ताक्षर का प्रतीक है जनता के हितों का विरोध विरोधी मुकदमें की प्रकृति में नहीं है, लेकिन यह एक चुनौती है और सरकार तथा अधिकारियों को वंचित और कमजोर वर्गों के लिए सार्थक, बुनियादी मानवाधिकार बनाने और उन्हें आश्वस्त करने का एक मौका देना है।

ऐतिहासिक मुद्दे

- **हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य** इसे भारत में जनहित याचिका का पहला मामला माना जाता है। यह बिहार जेल के विभिन्न कैदियों द्वारा दायर किया गया था।
- **जस्टिस पी. एन. भगवती** की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता तथा त्वरित सुनवाई की सुविधा मिलनी चाहिए।
- **पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ** इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी अन्य पार्टी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर तृतीय पक्ष सीधे पत्र या अन्य माध्यमों से हस्तक्षेप की माँग कर सकता है।
- **डी. सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य** (1986) राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर द्वारा संवैधानिक प्रावधान के उचित कार्यान्वयन का बीमा करने हेतु याचिका दायर की गई थी। उन्होंने विधायिका द्वारा इसे पारित किए बिना अध्यादेशों को फिर से लागू करने की प्रथा को चुनौती दी।
- **एम.सी. मेहता बनाम भारतीय संघ** (1988) गंगा के जल को प्रदूषित होने से रोकने के लिए जनहित याचिका दायर की गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत् स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी।
- **श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ** यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ऐतिहासिक मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 66। को रद्द कर दिया, जिसमें मुक्त भाषण के खिलाफ कुछ मनमाने प्रावधान थे।

श्रेणियाँ, जो पी.आई.एल. के तहत् आती हैं –

1. बंधुआ मजदूरी से संबंधित मामले।	**2. उपेक्षित बच्चों से संबंधित मामले।**	**3. श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना।**
4. उत्पीड़न, जेल में मौत, शीघ्र विचारण आदि से संबंधित शिकायतें।	**5. मामला दर्ज न करने, दुल्हन का उत्पीड़न, बलात्कार, हत्या, अपहरण आदि के लिए पुलिस के खिलाफ याचिका।**	**6. महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ मुकदमा।।**
7. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों के उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें।		**8. पर्यावरण से संबंधित याचिका।**

भारतीय राज्यव्यवस्था से सम्बन्धि महत्वपूर्ण

- भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्रस्तावों के अनुसार किया गया।
- इसके गठन के लिए जुलाई - अगस्त 1946 में चुनाव हुआ।
- 3 जून 1947 के भारत संविधान की योजना की घोषणा के बाद इसका पुनर्गठन हुआ तथा पुनर्गठित संविधान सभा की संख्या 299 थी।
- संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार (Constitutional Advisor) के पद पर बी.एन.राव को नियुक्त किया गया
- 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉ.बी.आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति (Drafting Committee) का गठन किया।
- 15 नवम्बर 1948 को संविधान के प्रारूप पर प्रथम वाचन प्रारम्भ हुआ।
- 26 नवम्बर 1949 को संविधान के प्रारूप पर अन्तिम वाचन हुआ और इसी दिन संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया।
- 26 नवम्बर 1946 को संविधान के उन अनुच्छेदों को प्रस्तावित कर दिया गया जो नागरिकता निर्वाचन तथा अंतरिम संसद से सम्बन्धित थे।
- संविधान सभा का अंतिम दिन 24 जनवरी 1950 था और उसी दिन संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया।
- संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा।
- वर्तमान में संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं।
- ''पंथनिरपेक्ष'', ''समाजवाद'' तथा ''अखण्डता'' शब्द संविधान की उद्देशिका में 42 वें संशोधन के द्वारा 1976 में जोडे गये।
- भारती की उद्देशिका में प्रयुक्त ''गणतन्त्र'' शब्द का तात्पर्य यह है कि भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत (hereditary) नहीं होगा।
- उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार - संविधान की उद्देशिका संविधान का एक भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है (केशवानंद भारती बनाम केरल - 1973 ई.)।
- प्रो. व्हीयर ने भारत के संविधान को अर्द्धसंघीय (Quasifederal) संविधान कहा है।
- राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया।
- भारतीय संविधान में नागरिकता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है तथा इसके सम्बन्ध में अनुच्छेद 5 से 11 तक में प्रावधान किया गया है।
- संविधान के अनुसार कुछ पद केवल भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित हैं, जैसे - राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, महान्याय वादी राज्यपाल एवं महाधिवक्ता का पद।
- संविधान के 44 वे संशोधन द्वारा सम्पत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इस अनुच्छेद 300 (क) के अन्तर्गत रखा गया है। अब यह केवल एक विधिक (Legal) अधिकार रह गया है।
- अनु. 15,16,19,29 तथा 30 द्वारा प्रतयाभूत मूलाधि - कार केवल नागरिकों को ही प्रदान किये गये हैं। शेष सभी मूलाधिकार नागरिकों तथा अन्य व्यक्तियों को प्रदान की गयी हैं।
- मूल कर्तव्यों को 42 वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोडा गया।
- राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुये किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता हैं।
- भारत में केवल नीलम संजीवा रेड्डी ही निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गये।
- भारत के दो राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन तथा फखरूद्दीन अली अहमद की अपने कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हुयी थी।
- भारत के मुख्य न्यायधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने दो बार कार्यकारी राष्ट्रपति के पद का निर्वहन किया था।
- भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा इसी पद के कारण उसका वेतन दिया जाता है।
- संघ शासन की वास्तविक शक्ति केन्द्रीय मंत्रिमंडल में निहित होती हैं, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है।
- प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य यह है कि संघ के शासन की जानकारी राष्ट्रपति को दे।
- प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है।
- केन्द्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामुहिक रूप से उत्तरदायी होती हैं।

- संसद के तीन अंग होते हैं - लोकसभा, राज्यसभा, और राष्ट्रपति ।
- सरकार के तीन अंग होते हैं - विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ।
- राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुयी ।
- राज्यसभा के सदस्यों के पहले समूह की सेवा निवृति 2 अप्रैल 1954 को हुयी ।
- लोकसभा के परिक्षेत्र का परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता हैं ।
- प्रथम लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई और 4 अप्रैल 1957 को पहली लोकसभा राष्ट्रपति द्वारा विघटित कर दी गयी ।
- राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता हैं ।
- लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे । पं. जवाहर लाल नेहरू ने इन्हें संसद का पिता या जनक कहा था ।
- संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा को दो तिहायी तथा राज्यसभा के एक तिहायी सदस्य होते हैं ।
- धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता हैं
- धन विधेयक के सम्बन्ध में राज्यसभा को केवल सिफारिशी अधिकार हैं ।
- राज्यपाल विधान मंडल के सत्रावसान काल में अध्यादेश जारी कर सकता हैं । यह अध्यादेश 6 माह तक प्रभावी रहता हैं ।
- राज्यों की मंत्रिपरिषद सामुहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं तथा प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता हैं ।
- राज्य विधानमंडल में राज्यपाल तथा विधानसभा और विधान परिषद शामिल होता हैं ।
- राज्य के विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होगी ।
- विधानसभा की गणपूर्ति संख्या कुल सदस्यों का 1/10 हैं परन्तु यह किसी भी दशा में 10 सदस्यय से कम नहीं होगी ।
- संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया हैं ।
- जम्मू-कश्मीर राज्य विधानसभा में दो महिलाओं को राज्यपाल नामजद करते हैं ।
- राष्ट्रपति जम्मू-कश्मीर के सम्बन्ध में वित्तीय आपात की घोषणा नहीं कर सकते ।
- राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों से सम्बन्धित संविधान के भाग 4 के प्रावधान जम्मू-कश्मीर राज्य के विषय में लागू नहीं होते हैं ।
- जम्मू - कश्मीर राज्य का अपना संविधान हैं, जो एक पृथक संविधान सभा द्वारा बनाया गया हैं और यह संविधान 26 नवम्बर 1957 को लागू कर दिया गया ।
- भारत में केवल दो संघ शासित राज्यों में विधान सभायें हैं - दिल्ली और पांडिचेरी ।
- भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 21 हैं ।
- देश में छः ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषदों का गठन किया गया है -
  1. उत्तर प्रदेश
  2. बिहार
  3. महाराष्ट्र
  4. कर्नाटक
  5. जम्मू कश्मीर(अब नही)
  6. आन्ध्र प्रदेश ।
- 4 अप्रैल, 2007 को आन्ध्र प्रदेश में पुनः विधानपरिषद का गठन किया गया ।
- राष्ट्रपति प्रत्येक पाँचवे वर्ष वित्त आयोग का गठन करता हैं ।
- प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था
- भारतीय संविधान के प्रवर्तित होने के बाद पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू किया गया ।
- संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किये ।
- जब भारत आजाद हुआ तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लामेंट एटली थे ।
- जब भारत आजाद हुआ तो उसक समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.पी. कृपलानी थे ।
- 15 अगस्त, 1947 से 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत - ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज था ।
- भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित किया गया है।
- भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत की शासन की सर्वोच्च सत्ता भारतीय जनता में निहित हैं ।
- भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन सम्बन्धी कार्यपालिका के अधिकारों को जर्मनी के संविधान से लिया गया हैं ।
- भारत संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गयी हैं ।
- राज्य पुर्नगठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया इसके अध्यक्ष फजल अली थे ।
- संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से प्रबन्ध नहीं किया गया हैं । यह अनुच्छेद 19 (1) A से अंर्तनिहित हैं ।

- डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय व आत्मा कहा है।
- 42 वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। इन्हें संविधान के भाग प्ट ए और अनुच्छेद 51 ए में शामिल किया गया है।
- राष्ट्रीय आपात की स्थिति में मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है।
- संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। मूल कर्तव्य (अनु. 51 क) को 42 वें संविधान संशोधन 1976 में जोडा गया।
- 86 वें संविधान संशोधन द्वारा एक मूल कर्तव्य और जोडा गया जिससे इसकी संख्या अब ग्यारह हो गई
- ''राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाएगा'' - के. टी. शाह
- संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना था।
- प्हला संवैधानिक संशोधन 1951 में बनाया गया।
- 42 वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है।
- 42 वें संविधान अधिनियम स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था।
- 52 वें संविधान संशोधन विधेयक 1985 दल-बदल से सम्बन्धित था।
- भारतीय संविधान में सर्वाधिक बार संशोधन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के कार्यकाल में हुये।
- भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख है। शासन का प्रमुख मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री होता है।
- भारतीय संविधान के अनुसार केन्द्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है।
- राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते आयकर मुक्त हैं।
- राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने से 6 माह के भीतर अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए।
- 1952 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय विपक्षी दलों का उम्मीदवार श्री के.टी. शाह थे।
- राष्ट्रपति पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले डॉ. राजेन्द्र प्रसाद थे एवं सबसे कम समय तक रहने वाले डॉ. जाकिर हुसैन थे।
- राष्ट्रपति पद पर सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य नीलम संजीव रेड्डी को प्राप्त हुआ तथा सबसे अधिक उम्र के.आर. वेंकट रमन राष्ट्रपति बने
- किस कार्यवाहक राष्ट्रपति ने त्यागपत्र देकर चुनाव लडा और विजयी हुआ - वी.वी. गिरी।
- नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोक सभा अध्यक्ष रह चुके थे।
- भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटेन की महारानी से मिलती जुलती है।
- संविधान के अनुच्छेद 123 के अन्तर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है।
- राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद का सभा प्रारम्भ होने के 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है।
- राष्ट्रपति द्वारा आपात काल की उद्घोषणा के 30 दिन के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होता है।
- संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन होने के 6 माह बाद तक आपात काल प्रभावी रहता है।
- आपात काल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष बढा सकती है।
- 42 वें संविधान संशोधन द्वारा आपात काल की अवधि को 6 माह से बढा कर एक वर्ष कर दिया गया है
- हिन्दू आचार संहिता विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद से विवाद हुआ था।
- भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है।
- सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति रहने का गौरव डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को है।
- मन्त्री परिषद का कोई सदस्य बिना किसी सदन का सदस्य रहे 6 माह तक मन्त्री का पद धारण कर सकता है।
- मन्त्री परिषद में तीन स्तर के मन्त्री होते हैं - 1. केबिनेट, 2. राज्य, 3. उपमंत्री
- सामूहिक रूप से मन्त्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।
- प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय तक रहने वाले अटल बिहारी बाजपेयी थे (13 दिन)।
- दो बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद संभालने वाले व्यक्ति गुलजारी लाल नन्दा थे।
- सबसे कम उम्र में भारत का प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने और सबसे अधिक उम्र में मोरार जी देसाई।
- भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल थे।
- संघीय मंत्री परिषद से त्यागपत्र देने वाले पहले मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे।
- सबसे कम अवधि (5 दिन) तक मंत्री रहने का कीर्तिमान एच.आर. खन्ना के नाम है। वह विधि विभाग के मंत्री थे।
- भारत की सम्परीक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान नियन्त्रक एवं महालेख परीक्षक (Controller and Auditor General of India) होता है।
- नियन्त्रक अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है।
- लोक सभा संसद का निम्न सदनों (लोर हाउस) तथा राज्य सभा उच्च सदन (अपर हाउस) है।

- वर्तमान में लोक सभा के सदस्यों की संख्या 545 तथा राज्य सभा के सदस्यों की संख्या 245 हैं ।
- राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव उस राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं ।
- राज्य सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश के हैं
- राज्य सभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
- राज्य सभा के उप सभापति का चुनाव राज्य सभा के सदस्य करते हैं ।
- मूल संविधान में लोकसभा की संख्या 525 निर्धारित की गई थी ।
- लोक सभा की वर्तमान सदस्य संख्या 2026 ई. तक अपरिवर्तित रहेगी ।
- आपात काल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष तक बढा सकती हैं ।
- लोकसभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग हैं ।
- प्रथम लोक सभा का अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे ।
- उन्हें लोक सभा का पिता भी कहा जाता हैं ।
- ब्रिटिश परम्पराओं के अनुसार लोक सभा अध्यक्ष बनने के बाद श्री नीलम संजीव रेड्डी ने अपनी पार्टी की सदस्यता त्याग दी थी ।
- लोक सभा का पहला आम चुनाव 1951-52 के शीतकाल में हुआ था ।
- प्रथम लोकसभा के चुनाव के लिए कुल मतदाताओं की संख्या 17.32 करोड थी ।
- दूसरी लोकसभा में सर्वाधिक12 सदस्यनिर्विरोध सांसद चुने गये थे ।
- 1977 के लोकसभा के निर्वाचन में जनता पार्टी को 265 सीटें मिलीं थी ।
- पन्द्रहवीं लोक सभा में सर्वाधिक महिलायें 59 सासंद के रूप में निर्वाचित हुई ।
- पहली लोकसभा वालों पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई ।
- राज्य सभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ ।
- यदि संसद का कोई नामांकित सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने के 6 माह के भीतर किसी राजनैतिक दल में शामिल हो जाता हैं तो उसकी सदस्यता बरकरार रहेगी ।
- दल-बदल के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय सदन के अध्यक्ष का होता हैं ।
- राज्य-सभा की पहली महिला महासचीव बी.एस. रमादेवी थी ।
- संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पुर्वानुमति लिये बिना 60 दिन तक सदन में अनुपस्थित रहता हैं तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता हैं ।
- लोकसभा की नियम समिति का पदेन अध्यक्ष लोक सभा का अध्यक्ष होता हैं ।
- प्रत्येक विधेयक को पारित हाने से पूर्व तीन बार वाचन से गुजरना पडता हैं ।
- संयुक्त बैठक में विधेयक को दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाता हैं ।
- संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोक सभा का अध्यक्ष होता हैं ।
- गैर सरारी विधेयक शुक्रवार को पेश किये जाते हैं ।
- लोक सभा में मान्य विरोधी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल के पास लोक सभा की कुल संख्या के 1/10 सदस्य होने चाहिए ।
- लोक सभा का विरोधी दल का प्रथम मान्यता प्राप्त नेता राम सुभग सिंह ;1969ई.द्ध थे । ये कांग्रेस संगठन के नेता थे ।
- संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान राष्ट्रपति करता हैं ।
- संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक उच्चतम न्यायालय होता हैं ।
- संविधान के निर्माण के समय सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 न्यायाधीश थे ।
- वर्ष 1986 से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 25 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी ।
- सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की परम्परा फ्रांस की न्यायिक प्रणाली से ली गई हैं ।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों साबित सदाचार और असमर्थता के आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता हैं ।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 80 के दशक में जनहित याचिका की कार्यवाही प्रारम्भ की इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 का दायरा बहुत ही विस्तृत हो गया हैं ।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी. रामास्वामी के विरूद्ध 11 मई 1993 को लोक सभा में लाया गया महाभियोग का प्रस्ताव असफल रहा ।
- सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश एच.जे कानिया थे ।
- सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले न्यायाधीश वाई वी. चन्द्रचूड थे ।
- सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक रहने वाले न्यायाधीश के.एन. सिंह थे (17 दिन)
- राष्ट्रपति ने पहली बार सर्वोच्च न्यायालय को दिल्ली विधि अधिनियम के मामले में सलाह देने के लिए

निर्दिष्ट किया था।

- सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायधीय मीरा फातिमा बीबी थी।
- सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कार्य के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता हैं।
- लोकसभा का सबसे युवा सांसद मुकुल वासनिक हैं।
- सर्वाधिक उम्र में लोकसभा का चुनाव जीतने वाले व्यक्ति एन.जी. रंगा थे।
- अब तक लोकसभा के किसी सीट को सर्वाधिक मतों से जीतने का रिकार्ड पी.वी. नरसिंह राव हैं।
- एक ही निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 8 बार लोकसभा चुनाव जीतने का रिकार्ड जगजीवन राम के नाम हैं।
- लोकसभा में सरकार का मुख्य सचेतक संसदीय मामले का मंत्री होता हैं।
- लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष अनन्त शयनन आयंगर थें।
- देश के छः राज्यों में विधान परिषदों का गठन किया गया हैं।
- विधान सभा के सदस्यों की संख्या कम से कम 60 तथा अधिकतम 500 हो सकती हैं। किन्तु गोवा इसका अपवाद हैं, वहाँ केवल 40 सदस्य हैं।
- संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता हैं।
- ऐसे संघ शासित क्षेत्र जिनकी विधायिका नहीं है उनके लिए विधियों का निर्माण संसद करती हैं।
- संविधान के अनुच्छेद 370 के अर्न्तगत जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया हैं।
- जम्मू-कश्मीर के संविधान को 26 नवम्बर 1957 को लागू किया गया।
- भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 21 हैं।
- सबसे अधिक खण्डपीठ गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पास हैं।
- उच्च न्यायालय के न्यायधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायधीश दुर्गा बनर्जी थीं।
- दिल्ली एक मात्र संघ शासित क्षेत्र हैं जिसका अपना उच्च न्यायालय हैं।
- न्यायधीशों की सबसे कम संख्या सिक्किम उच्च न्यायालय में हैं।
- लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 79 और अनुसूचित जनजाति के लिए 40 स्थान सुरक्षित हैं।
- संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया जाता हैं।
- मूल संविधान के आठवीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएँ थी। बाद में संविधान द्वारा VkB भाषाएँ - कोंकणी, सिन्धी, नेपाल और मणिपुरी को शामिल किया गया हैं बोडो, डोगरी, मैथली संथाली वर्तमान में-22 भाषाऐं
- संसद तथा विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन सम्बन्धी विवादों को उच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाता हैं।
- किसी राजनैतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता निर्वाचन आयोग प्रदान करता हैं। इसके लिए जारी हैं कि उस दल को 4 राज्यों में कम से कम 4: मत मिलें।
- किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आबंटन के निर्णय के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाती हैं।
- प्रथम लोकसभा का चुनाव 25 अक्टूबर, 1951 से 2 फरवरी, 1952 तक सम्पन्न हुआ। इस लोकसभा चुनाव में 14 राजनैतिक दलों को राष्ट्रीय का दर्जा प्रदान किया गया था।
- योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता हैं।
- केन्द्र - राज्य सम्बन्धों के सम्पूर्ण ढांचे पर विचार विमर्श के लिए 1983 में केन्द्र सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन किया था।
- देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरम्भ बलवन्त राय मेहता समिति की रिर्पोट के आधार पर किया गया हैं।
- देश में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था 1959 में राजस्थान के नागौर से शुरू की गयी। इनका ढांचा त्रि-स्तरीय हैं।
- अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थानों के द्विस्तरीय ढाँचे का सुझाव दिया था।
- 1953 में गठित राज्य पुर्नगठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे।
- लोक सभा का सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष के अन्तर्गत कार्य करता था।
- भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित हैं।
- पहली बार राष्ट्रपति ने मुख्य चुनाव आयुक्त की सहायता के लिए दो अन्य चुनाव आयुक्तों एस.एस. धनोबा व वी.एस. सहगल की 1983 में नियुक्ति की थी।
- संसद ने 1950 में भारत की आकस्मिक निधि का गठन किया था।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 394 (क) के अनुसरण में हिन्दी में संविधान का प्रधिकृत पाठ प्रकाशित किया गया। इसे 58वां संविधान संशोधन द्वारा 1987 में तैयार किया गया।
- 1955 में गठित राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष बी.जी. खेर थे।
- केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना 2 अक्टूबर 1985 को हुयी।

- अन्तर्राष्ट्रीय परिषद के गठन की सिफारिश सरकारिया आयोग ने की थी ।
- 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय के गठन से पूर्व दिल्ली राज्य क्षेत्र इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अधिकारिता में था ।
- संविधान लागू होने के बाद पहली बार त्रिशुंक संसद का गठन 1989 में हुआ ।
- भारती में पहली बार मतपत्र और अमिट स्याही का प्रयोग तीसरे निर्वाचन (1962) में किया गया ।
- किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायधीश बनने का सौभाग्य न्यायमूर्ति लीला सेठ की है ।
- 1952 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरूआत अमेरिका के तकनीक सहयोग से हुयी ।
- लोकसभा में मान्य विरोधी दल का दर्जा किसी भी दल का प्राप्त करने के लिए सदस्यों की संख्या सदन की कुल संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए ।
- संसद में सबसे अधिक अधिनियम 1976 में पारित किये गये ।
- सर्वप्रथम अनुच्छेद 356 का प्रयोग केरल में 1956 में किया गया ।
- संघीय मंत्रिपरिष्द्रद का कोई भी मंत्री लोकसभा या राज्यसभा से 4 से अधिक समितियों का सदस्य नहीं बन सकता है ।
- भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं ।
- संविधान की दसवीं अनुसूची में दल-बदल के आधार पर किसी सांसद/विधायक को अयोग्य ठहराए जाने का प्रावधान है ।
- पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है ।
- भारत के महान्यायवादी को संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने तथा सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार प्राप्त है ।
- संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहर लाल नेहरू थे ।
- डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की तीनों बैठकों में भाग लिया था ।
- संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर थे ।
- संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर, 1946 को हुई ।
- संविधान की सूचियों में शिक्षा समवर्ती सूची में है ।
- राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का विशेष अधिकार राज्य सभा को प्राप्त है ।
- 2/3 बहुमत से राज्य सभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है ।
- संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है ।
- उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं ।
- राज्य सभा का सभापति सदन का सदस्य नहीं होता ।
- संविधान के भाग-III को भारत का मैग्नाकार्टा कहा जाता है ।
- भारतीयों को सत्ता के हस्तान्तरण का उल्लेख सर्वप्रथम क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में किया गया ।
- भारतीय राज्यों के नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार संसद को प्राप्त है ।
- भारतीय संविधान का सबसे बडा स्त्रोत भारतीय शासन अधिनियम, 1935 को माना जाता है ।
- भारत की स्वतन्त्रता के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी । प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे ।
- भारत का संविधान 22 भागों में विभक्त है ।
- केन्द्रीय निर्वाचन आयुक्त अधिकतम 65 वर्ष की
- आयु तक पद पर रह सकता है ।
- संसद के दो अधिवेशनों के मध्य अधिकतम 6 महीने का अन्तराल हो सकता है ।
- संसद के किसी सदस्य की असदस्यता 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है ।
- भारतीय संविधान में निर्धारित किए गए के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 हो सकती है ।
- भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है ।
- लोक सभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं ।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन से सम्बन्धित है ।
- नए केन्द्रीय मन्त्रालय/विभाग का निर्माण प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है ।
- संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है ।
- व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अभिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए परमादेश (Mandamus) की रिट जारी की जाती है ।
- कर्मचारी चयन आयोग का गठन 1 जुलाई, 1976 को हुआ ।

- राजभाषा विभाग गृह मन्त्रालय के अन्तर्गत कार्य करता हैं ।
- 73वाँ संविधान संशोधन (1992) पंचायत राज के सुदृढीकरण से सम्बन्धित हैं ।
- वर्तमान में सात राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं ।
- मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय पाँच प्रकार के लेख (रिट) जारी कर सकता हैं ।
- राष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बन्धित विवादों का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय करता हैं ।
- संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोक सभा अध्यक्ष करता हैं तथा उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष करता हैं ।
- लोक सभा की वर्तमान सदस्य संख्या 2026 तक अपरिवर्तनीय हैं ।
- यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता हैं ।
- संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की पदावधि छः वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो होती हैं
- 42 वें संविधान संशोधन (1976) को 'मिनी कंस्टीट्यूशन' कहा जाता हैं ।
- संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया हैं ।
- दादर और नागर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व पुर्तगाल के उपनिवेश थे ।
- 36वें संविधान संशोधान द्वारा सिक्किम को भारत संघ में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया ।
- केन्द्र व राज्यों के मध्य वित्त का बँटवारा वित्त आयोग की सिफारिश पर होता हैं ।
- संविधान से राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान हैं ।
- यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए तो वह न्यायालय में बाद योग्य नहीं रह जायेगा ।
- भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात काल 1962 में किया गया ।
- संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का प्रावधान हैं ।
- राज्य सभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता हैं ।
- स्वतन्त्र भारत में राज्य सभा के प्रथम सभापति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे ।
- 61 वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गयी ।
- संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजन की संस्तुति पर किया गया था ।
- संविधान का भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51 तक) राज्य के नीति निर्देशक तत्व से सम्बन्धित हैं ।
- कलकत्ता, मुम्बई और मद्रास उच्च न्यायलयों की स्थापना 1861 में की गई ।
- 1854 का शिक्षा पर चार्ल्स वुड डिस्पैच :- चार्ल्स वुड जो अर्ल ऑफ एबरडीन की मिली जुली सरकार में बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल के अध्यक्ष थे, ने 1854 में भारत की भावी शिक्षा के लिए एक वृहद योजना बनाई जिसमें अखिल भारतीय आधार पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया । इसे प्रायः भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता हैं ।
- हन्टर शिक्षा आयोग 1882-83 :- शिक्षा के क्षेत्र में 1854 के पश्चात हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में सरकार ने डब्ल्यू-डब्ल्यू हण्टर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया । इसका कार्य केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा समीक्षण तक ही सीमित था ।
- सैडलर वि.वि आयोग 1917-19 :- इस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया ।
- हार्टोग समिति, 1929 :- सन् 1929 में भारतीय परिनियत ;जंजनजवतलद्ध आयोग ने सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक सहायक समिति नियुक्त की जिसे शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने को कहा गया ।
- राधाकृष्णन आयोग 1948-49 :- नवम्बर, 1948 में सरकार ने डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया जिसे विश्व विधालयी शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट और उसके सुधार के लिए सिफारिशें देनी थीं ।
- कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 :- जुलाई 1964 में एक आयोग डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया जिसे सरकार को शिक्षा के सभी पक्षों तथा प्रक्रमों के विषय में राष्ट्रीय नमूने की रूप रेखा, साधारण सिद्धान्त तथा नीतियों की रूप रेखा बनाने का आदेश था ।
- शिक्षा की राष्ट्रीय नीति :- मुख्यतः कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित करके 1968 में भारत सरकार ने शिक्षा पर एक प्रस्ताव पारित किया ।
- नवीन शिक्षा नीति 1986 :- नवीन शिक्षा नीति का उद्देश्य हमारे गतिहीन समाज को ऐसे गतिशील समाज में परिवर्तित करना हैं जिसमें विकास तथा परिवर्तन के प्रति वचनबद्धता हों ।

प्रधानमंत्री एवं केन्द्रीय मंत्रिपरिषद्

संबंधित संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद	प्रावधान
अनुच्छेद 74	राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद्।
अनुच्छेद 75	मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान।
अनुच्छेद 77	भारत सरकार के कार्यों का संचालन
अनुच्छेद 78	राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्त्तव्य
अनुच्छेद 88	सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार।

प्रधानमंत्री पद के बारे में

- संसदीय प्रणाली में सरकार का वास्तविक मुखिया।
- नाममात्र प्रमुखअध्यक्ष -
- चयन और नियुक्ति के लिए संविधान में कोई परिभाषित प्रक्रिया नहीं है।

अनुच्छेद 75(1):

- **प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा** की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी।
- **राष्ट्रपति बहुमत वाले दल के नेतालोकसभा में/** बहुमत वाले दलों के गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं।

शपथ

- राष्ट्रपति द्वारा दिलवाई जाती हैं।
- **पद और गोपनीयता दोनों की शपथ लेता है:**
  - भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखने के लिए,
  - भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए,
  - अपने कार्यालय के कर्त्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करने के लिए, और
  - बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या दुर्भावना के, संविधान और कानून के अनुसार सभी प्रकार के लोगों के प्रति न्याय करने के लिए।

गोपनीयता की शपथ

- प्रधानमंत्री शपथ लेता हैं कि, एक केन्द्रीय मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से पूरा करने के लिए आवश्यक होने के अलावा, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को (व्यक्तियों) किसी भी मामले का खुलासा नहीं करेंगे जो उसके ध्यान में लाया जाता है।

योग्यता

- भारत का नागरिक हो।
- लोकसभा या राज्य सभा का सदस्य हो।
  - यदि चुना गया व्यक्ति चयन के समय न तो लोकसभा का सदस्य है और न ही राज्यसभा का छह महीने के भीतर - सदस्य बनना चाहिए।
- 25 वर्ष से अधिक आयु या (यदि वह लोकसभा का सदस्य हैं) 30 वर्ष से अधिक आयु यदि वह राज्य सभा का सदस्य है

कार्यकाल

- **निश्चित नहीं है।**
- राष्ट्रपति के **प्रसादपर्यन्त पद** धारण करता है।
- इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति कभी भी प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता हैं।
- **राष्ट्रपति तब तक पद से नही हटा** सकता जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है।
- यदि वह लोकसभा में विश्वासमत खो देता है, तो उसे राष्ट्रपति को इस्तीफा देना होता है।
- प्रधानमंत्री पद के लिए एक व्यक्ति कई बार चुनाव लड़ सकता है।

परिलब्धियाँ

- संसद द्वारा नियमित आधार पर निर्धारित किया जाता है।
- संसद सदस्य के समान वेतन और लाभ।
- मुफ्त आवास, यात्रा भत्ता और चिकित्सा लाभ के साथसाथ अन्य - चीजों केलिए 3000 रुपये का भत्ता प्राप्त करता है।

प्रधानमंत्री की शक्तियाँ

मंत्रिपरिषद् के संबंध में

- **मंत्रिपरिषद् का गठन:** राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता हैजिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा , की जाती है।
- **विभागों का आवंटन:** मंत्रियों के बीच विभिन्न विभागों का आवंटन और फेरबदल करता हैं।
- **मंत्रिपरिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करता है** : वह सीओएम की बैठक की अध्यक्षता करता है और एजेंडे को नियंत्रित करता है।
- **कैबिनेट सचिवालय** द्वारा पीएम तथा मंत्रिपरिषद् के परामर्श से एजेंडा तैयार किया जाता है।
- **सरकार का मुखिया:** वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों का **मार्गदर्शन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय करता है।**
- **प्रशासन का समन्वय:** सरकार के मुख्य समन्वयक के रूप में, तथा सभी विभागों के बीच समन्वय और सहयोग सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी होती हैं।

राष्ट्रपति के संबंध में

- **राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद्** के बीच संचार चैनल के रूप में कार्य करता है।
- **कर्त्तव्यों में शामिल**
  - **संघ के मामलों के प्रबंधन** के साथसाथ विधायी पहल से - संबंधित सीओएम के सभी निर्णय राष्ट्रपति को सूचित करेगा।
  - **संघ के मामलों के प्रबंधन से संबंधित कोई** भी जानकारी या विधायी सुझाव राष्ट्रपति को प्रदान करना।
  - **कोई भी विषय जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया जा चुका** हो लेकिन परिषद् ने उस पर ध्यान नहीं दिया। **राष्ट्रपति के कहने पर उसे सीओएम द्वारा विचार के लिए रखेगा।**
- **राष्ट्रपति को भारत के महान्यायवादी, सीएजी, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों** आदि जैसी महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर सलाह देता है।

संसद के संबंध में

- **संसदीय सत्र बुलाने और सत्रावसान करने पर राष्ट्रपति** को सलाह देता है।
- **राष्ट्रपति को किसी भी समय लोकसभा के विघटन** की सिफारिश कर सकता है।
- **सदन के पटल पर प्रमुख सरकारी पहलों की घोषणा करता हैं।**
- सत्र की समय सारिणी और संसद में तैयार किए गए नए विधेयकों की रूपरेखा तैयार करने के लिए मार्गदर्शिका संसद में तैयार किए गए प्रत्येक सत्र की समय सारिणी और नये बिल तैयार करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता हैं।

अन्य शक्तियाँ और कार्य

- **अध्यक्ष:**
  - **नीति आयोग,**
  - **राष्ट्रीय एकता परिषद्,**
  - **अन्तर्राज्यीय परिषद्,**
  - **राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद्** और कुछ अन्य निकाय।
- देश की विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **केन्द्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता हैं।**
- आपात स्थिति के दौरान **राजनीतिक स्तर पर संकट प्रबंधक या प्रमुख के रूप में कार्य करता है।**
- **राष्ट्र के एक नेता के रूप में**, वह विभिन्न राज्यों में लोगों के विभिन्न वर्गों से मिलते हैं और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में ज्ञापन प्राप्त करता हैं।
- **सत्ता में पार्टी का नेता होता हैं-**
- **सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता हैं।**

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंध

संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 74: राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक **मंत्रिपरिषद्** होगी, जो अपने कार्यों के अभ्यास में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा।

- राष्ट्रपति अनुरोध कर सकता हैं कि **मंत्रिपरिषद्** ऐसी सलाह की समीक्षा करे, और राष्ट्रपति इस तरह के पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह पर कार्य करेगा।

अनुच्छेद 75 : राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करेगा, और राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को पीएम के सुझाव पर नियुक्त करेगा।

- मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त कार्य करते हैं।
- **मंत्री परिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेही**
- **अनुच्छेद 78: पीएम का यह कर्त्तव्य होगा**
- **संघ के मामलों के प्रबंधन के साथसाथ विधायी पहल से-** संबंधित हाउस ऑफ पीपल द्वारा **मंत्रिपरिषद्** के सभी निर्णय राष्ट्रपति को सूचित किए जाने चाहिए।
- संघ के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रासंगिक जानकारी या विधायी सुझाव राष्ट्रपति को प्रदान करेगा।
- यदि कोई मंत्री किसी मद पर निर्णय ले चुका है और मंत्रिपरिषद् ने उस पर कोई विचार नहीं किया है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कहने पर परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करवाएगा।

राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की अन्य शक्तियाँ

- **प्रधानमंत्री** और **मंत्रिपरिषद्** द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी भी अदालत में पूछताछ नहीं की जाएगी, **जिसका अर्थ है कि कोई न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती हैं**
- **संसद के सत्रावसान** और आहूत करने के संबंध में **राष्ट्रपति को सलाह देना।**
- **राष्ट्रपति को किसी भी समय लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता हैं।**

केन्द्रीय मंत्रिपरिषद्

संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- लेख: भारतीय संविधान के 74 से78 तक।
- भाग: भारतीय संविधान का भाग V
- मंत्रिपरिषद् से संबंधित महत्वपूर्ण लेख।

अनुच्छेद	प्रावधान
अनुच्छेद 74	राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद्।
अनुच्छेद 75	मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान।
अनुच्छेद 77	भारत सरकार के कार्यों का संचालन।
अनुच्छेद 78	राष्ट्रपति आदि को जानकारी प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री के कर्त्तव्य।
अनुच्छेद 88	सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार।

अनुच्छेद 74: राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद्

- **प्रधानमंत्री के नेतृत्व में** एक **मंत्रिपरिषद् राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी**, जो अपनी शक्तियों के प्रयोग में ऐसी सलाह के अनुरूप कार्य करेगा।
    - हालाँकि, **राष्ट्रपति अनुरोध कर सकता हैं** कि **मंत्रिपरिषद्** ऐसी सलाह की समीक्षा करें, और **राष्ट्रपति इस तरह के पुनर्विचार पर प्रदान की गई सलाह के अनुरूप कार्य करेंगा।**
- **राष्ट्रपति को मंत्रियों की सलाह** किसी भी अदालत द्वारा जांच के अधीन नहीं है।

अनुच्छेद 75: मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान

- पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगा।
- **मंत्रिपरिषद्** में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के **15% से अधिक नहीं होनी चाहिए (2003 के 91वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया)।**
- **संसद के किसी भी सदन के सदस्य को दलबदल** के आधार पर मंत्री के रूप में सेवा करने से अयोग्य घोषित किया जा सकता हैं, इसी तरह एक मंत्री के रूप में सेवा करने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है **(2003 के 91 वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया)।**
- **मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती हैं।**
- राष्ट्रपति द्वारा मंत्री को शपथ दिलवाना।
- **एक मंत्री जो लगातार 6 माह तक किसी भी सदन का सदस्य नहीं हैं, वह उस 6 माह की अवधि के बाद मंत्री पद पर नहीं रहता हैं।**
- **मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किये जाते है।**

अनुच्छेद 77: भारत सरकार के कार्य संचालन

- **भारत सरकार द्वारा संचालित सभी कार्यकारी कार्य राष्ट्रपति** के नाम से किए जाते हैं।
- राष्ट्रपति के नाम पर निष्पादित आदेश और अन्य दस्तावेज राष्ट्रपति द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार प्रमाणित होने चाहिए।
- **राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों के अधिक कुशलता से किए जाने** के साथ-साथ मंत्रियों के बीच उक्त कार्यों के आवंटन के लिए नियम निर्धारित करेगा।

अनुच्छेद 78: प्रधान मंत्री के कर्त्तव्य

- **मंत्रिपरिषद्** के सभी फैसलों की जानकारी राष्ट्रपति को दी जानी चाहिए।
- **संघ के मामलों के प्रबंधन से संबंधित किसी भी जानकारी या विधायी** सुझाव राष्ट्रपति को प्रदान करना।
- यदि राष्ट्रपति ऐसा चाहता है, तो प्रधानमंत्री किसी ऐसे मामले को **मंत्रिपरिषद्** के विचार के लिए प्रस्तुत करें, जिस पर एक **मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया हो, लेकिन जिस पर परिषद् द्वारा विचार नहीं किया गया हो ,तो वह उसे परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करे।**

अनुच्छेद 88: सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार

- प्रत्येक **मंत्री को किसी भी सदन की कार्यवाही,** सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक और **किसी भी संसदीय समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है**, जिसमें उसे **सदस्य नामित किया जा सकता है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं है।**

संयोजन

- कैबिनेट मंत्री
- राज्य मंत्री
- उप मंत्री

इन तीनों कैटेगरी में सबसे ऊपर प्रधानमंत्री।

कैबिनेट मंत्री

- **गृह, रक्षा, वित्त और विदेश** मामलों जैसे केन्द्र सरकार के प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी।
- अपने अधिकार से **कैबिनेट की बैठकों में भाग लेता है।**
- आम तौर पर **राज्य मंत्री या उप मंत्री** या दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

कैबिनेट- केन्द्र सरकार की मुख्य नीति बनाने वाली संस्था।

राज्य मंत्री

- **स्वायत्त मंत्रालय/विभाग की जिम्मेदारी** दी जा सकती है या **कैबिनेट मंत्रियों से जोड़ा जा सकता है।**
- अपने अधिकार से बैठकों में शामिल नहीं हो सकते हैं लेकिन आमंत्रित होने पर भाग ले सकते हैं।
- **किसी मंत्रालय का स्वतंत्र** प्रभार दिए जाने पर आम तौर पर आमंत्रित किया जाता है।

उप मंत्री

- **कैबिनेट मंत्रियों या राज्य मंत्रियों के** साथ काम करें, उन्हें **प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय जिम्मेदारियों में सहायता करें।**
- **कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते हैं।**

कभी-कभी एक डिप्टी पीएम को **मंत्रिपरिषद्** में शामिल किया जा सकता है। **डिप्टी पीएम की नियुक्ति ज्यादातर राजनीतिक कारणों से होती है।**

मंत्री की नियुक्ति

- **राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति** करता है, और अन्य **मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह पर करता हैं।**
    - तात्पर्य यह है कि **राष्ट्रपति केवल उन मंत्रियों को नियुक्त** कर सकता है, जिन्हें **प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित** किया गया है।

- आमतौर पर संसद के सदस्यों के बीच से ही नियुक्त किया जाता है, या तो **लोकसभा या राज्यसभा।**
    - **संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर** भी नियुक्त किया जा सकता है।
    - **छह महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन (चुनाव या नामांकन द्वारा) का सदस्य बन जाना चाहिए, वरना वह मंत्री के रूप में** अपना पद खो देगा।
- **किसी भी सदन की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने** का अधिकार है, लेकिन वह केवल उस सदन में मतदान कर सकता है, जिसका वह सदस्य हैं।

मंत्रियों की शपथ

- राष्ट्रपति द्वारा गोपनीयता की शपथ दिलवायी जाती हैं।
- **मंत्री अपने पद की शपथ में निम्नलिखित की शपथ लेते हैं:**
    - **भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा** की,
    - **भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता** की रक्षा के लिए
    - अपनी जिम्मेदारियों को **सच्चाई और कर्त्तव्यनिष्ठा से निभाने के लिए**, और
    - **बिना किसी डर या पक्षपात, स्नेह या द्वेष** के सभी व्यक्तियों के साथ संविधान और **कानून के अनुरूप सम्मान और शालीनता से व्यव्हार करने के लिए ।**

मंत्रियों का वेतन

- नियमित आधार पर संसद द्वारा निर्धारित।
- संसद के सदस्य के समान वेतन और लाभ का भुगतान किया जाता हैं।
- इसके अलावा भत्ता (उसकी स्थिति के आधार पर), मुफ्त आवास, यात्रा भत्ता और चिकित्सा देखभाल।

उनके द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति

- **अनुच्छेद 74 -** राष्ट्रपति को अपने कर्त्तव्यों के क्रियान्वयन में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रीपरिषद् होगी ।
- **राष्ट्रपति 42वें और 44वें संशोधन अधिनियम** के तहत सलाह मानने हेतु बाध्य हैं।
- कोई भी अदालत **राष्ट्रपति को दी गई मंत्रिस्तरीय सलाह की जाँच नहीं कर सकती है।**
- यह खंड **राष्ट्रपति और मंत्रियों के घनिष्ठ और निजी संबंध** पर जोर देता है।
- विधायिका की सहायता और सलाह के बिना कार्यकारी शक्ति का कोई भी उपयोग गैरकानूनी है, क्योंकि यह अनुच्छेद 74 का उल्लंघन करता है।

मंत्रियों की जिम्मेदारी

व्यक्तिगत जिम्मेदारी

- अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत जिम्मेदारी के सिद्धांत का उल्लेख किया गया हैं।
- मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करते हैं तथा राष्ट्रपति किसी मंत्री को तब तक बर्खास्त नहीं कर सकता हैं जब तक मंत्रीपरिषद् को लोकसभा में विश्वाश मत हासिल हों।
- **पीएम के सुझाव पर ही राष्ट्रपति किसी मंत्री को हटा सकता हैं।**

सामूहिक जिम्मेदारी

- **अनुच्छेद 75: मंत्रिपरिषद्** संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं ।
- एक टीम के रूप में सहयोग करें और तैरें या डूबें।
- जब लोकसभा **मंत्रिपरिषद्** के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो राज्य सभा के मंत्रियों सहित सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना होता हैं ।
- **मंत्रिपरिषद्** राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है कि **लोकसभा को भंग कर दिया जाए** और **नए चुनाव कराए जाए** क्योंकि सदन प्रामाणिक रूप से जनता की राय का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
- राष्ट्रपति एक ऐसे **मंत्रिपरिषद्** का पालन करने से इंकार कर सकता हैं जिसने **लोकसभा में विश्वास मत खो दिया है।**

कानूनी जिम्मेदारी

- **मंत्री का कानूनी जवाबदेही की व्यवस्था** के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है।
- किसी **सार्वजनिक कार्य के लिए राष्ट्रपति के आदेश पर किसी मंत्री द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित** होने की आवश्यकता नहीं है।
- इसके अलावा, अदालतों को **राष्ट्रपति को मंत्रियों की सिफारिशों की प्रकृति** की जाँच करने से प्रतिबंधित किया गया है।

कैबिनेट बनाम केन्द्रीय मंत्रिपरिषद्

मंत्रिमंडल	मंत्रिपरिषद्
कई वरिष्ठ मंत्री कैबिनेट में रक्षा, गृह मामलों और शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं ।	कैबिनेट मंत्री + उप मंत्री, + राज्य मंत्री इस समूह को पूर्ण करते हैं।
44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1978: संवैधानिक निकाय।	संवैधानिक निकाय
अधिकांश अनुभवी मंत्री मंत्रिमण्डल बनाते हैं।	प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद् मंत्रिमण्डल के परामर्श से कार्य करती हैं ।
अपने घटकों के लिए कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करता हैं ।	संसद के निचले सदन के प्रति जिम्मेदार है।
नीतियों को तैयार करने और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए मंत्रिमंडल जितनी बार संभव हो बैठक करता है।	मंत्रिपरिषद् की बैठकें दुर्लभ हैं।
इसमें 15-20 मंत्री होते हैं।	इसमें सरकार के 60 से 70 मंत्री शामिल होते हैं।

किचन कैबिनेट/आंतरिक कैबिनेट

- **किचन कैबिनेट:** एक छोटा समूह जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता हैं - और यह सबसे महत्वपूर्ण **मंत्रियों में से 15 से 20 की शीर्ष निर्णय** लेने वाली संस्था है।
- **प्रधान मंत्री और 2 से 4 महत्वपूर्ण सहयोगी** जिन पर उन्हें भरोसा है और जिनके साथ वह किसी भी विषय को संबोधित कर सकते हैं, इस **अनौपचारिक संगठन को बनाते हैं।**
- प्रधानमंत्री को आवश्यक **राजनीतिक और प्रशासनिक सलाह प्रदान करता है** और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उनकी सहायता करता है।

किचन कैबिनेट की खूबियाँ

- एक विशाल कैबिनेट की तुलना में **अधिक कुशल निर्णय लेने वाली संस्था** क्योंकि यह **एक कॉम्पैक्ट इकाई है।**
- **विशाल कैबिनेट की तुलना में अधिक तेज़ी** से कार्य निष्पादन करती हैं।
- प्रमुख नीतिगत विकल्प चुनते समय **गोपनीयता बनाए रखने में प्रधानमंत्री की सहायता** करता है।

किचन कैबिनेट के दोष

- **अंतिम निर्णय** लेने वाली संस्था के **रूप में कैबिनेट की शक्ति और प्रतिष्ठा को कमजोर** करता है।
- सरकार कैसे काम करती है, इस बारे में **बाहरी लोगों को अपनी बात रखने की अनुमति** देकर कानूनी व्यवस्था के इर्द-गिर्द काम करती है।

छाया मंत्रिमंडल

- **विपक्षी दल सरकार के कार्यों की जांच** के लिए एक वैकल्पिक कैबिनेट बनाते हैं।
- **यूनाइटेड किंगडम जैसे पश्चिमी लोकतंत्रों में लोकप्रिय।**
- **विपक्ष के सदस्य जिन्हें इन "पोर्टफोलियो" को** सौंपा गया है, वे अपने विशेष क्षेत्रों में सभी विकासों पर नज़र रखने के लिए जिम्मेदार हैं। यदि आवश्यक हो, तो **ये मंत्री केन्द्रीय मंत्रियों के प्रतिवाद के रूप में** भी कार्य कर सकते हैं।अक्सर अनौपचारिक, और उनके निर्णय लागू करने योग्य नहीं होते हैं।

कैबिनेट समितियाँ

कैबिनेट समितियों की सूची

8 कार्यात्मक कैबिनेट समितियाँ:

- **राजनीतिक मामलों** की कैबिनेट समिति
- **आर्थिक मामलों** की कैबिनेट समिति
- **मंत्रिमंडल की नियुक्ति** समिति
- **केन्द्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा** संबंधी समिति
- **संसदीय मामलों की** कैबिनेट समिति
- **आवास सम्बन्धी** कैबिनेट समिति
- **निवेश और विकास** पर कैबिनेट समिति
- **रोजगार और कौशल** विकास पर कैबिनेट समिति

कैबिनेट समितियों की विशेषताएँ

- **स्थिति: इसकी उत्पति गैर-संवैधानिक/ संविधानेतर है,** संविधान में उल्लेख नहीं है। हालाँकि, कार्य के नियम तथा इनकी स्थापना के लिए कहा गया हैं।
- **प्रकार:**
  - **स्थायी: स्थायी प्रकृति की समितियाँ।**
  - **तदर्थ:** विशेष समस्याओं से निपटने के लिए समय-समय पर गठित अस्थायी प्रकृति की समितियाँ।
    - **गठन: पीएम के द्वारा और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए।**
- **सदस्य: 3 से 8**
  - केवल **कैबिनेट मंत्री ही आम तौर पर सदस्य होते हैं,** लेकिन गैर-कैबिनेट मंत्रियों को सदस्यता से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है।
  - **विषयों के प्रभारी मंत्रियों और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों को शामिल किया जा सकते हैं।**

अध्यक्षता : पीएम

- **कैबिनेट मंत्री -** विशेष रूप से गृह मंत्री और वित्त मंत्री, इस अवसर पर अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं।
- यदि **प्रधानमंत्री किसी समिति का सदस्य है, तो वह स्वतः ही इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।**

कार्य: समस्याओं को सुलझाना और निर्णय भी लेती हैं।

- कैबिनेट समिति के फैसलों की समीक्षा कर सकती है।

उपयोग: कैबिनेट को अपने भारी कार्यभार से निपटने में मदद करने के लिए एक प्रबंधन उपकरण के रूप में।

- साथ ही गहन **नीति विश्लेषण और प्रभावी सहयोग** को आसान बनाने में।
- **श्रम विभाजन और सफल प्रतिनिधिमंडल** अवधारणाओं के आधार पर।

कैबिनेट समितियों के कार्य

राजनीतिक मामलों की समिति: सभी घरेलू और विदेश नीति के मुद्दों को संभालती है।

सदस्य:

- पीएम (अध्यक्ष)
- गृह मंत्री
- रक्षा मंत्री
- विदेश मंत्री

आर्थिक मामलों की समिति: आर्थिक क्षेत्र में, सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय करती है।

सदस्य:

- प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
- वित्त मंत्री
- ग्रामीण विकास मंत्री
- उद्योग मंत्री

नियुक्ति समिति

केन्द्रीय सचिवालय, सार्वजनिक उद्यमों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों में उच्च स्तर पर सभी नियुक्तियाँ इस समिति द्वारा की जाती हैं।

सदस्य:

- प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
- गृह मंत्री, और
- संबद्ध मंत्री

संसदीय कार्य समिति

संसद में, वह सरकारी कार्यों की प्रगति पर नज़र रखने का कार्य करती है।

सदस्य:

- गृह मंत्री (अध्यक्ष)
- सूचना एवं प्रसारण मंत्री
- श्रम और संसदीय कार्य मंत्री
- कानून मंत्री

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समितियाँ

- राजनीतिक मामलों की समिति (सुपर कैबिनेट)
- आर्थिक मामलों की समिति
- नियुक्ति समिति

गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली समितियाँ

- संसदीय कार्य समिति

मंत्रियों के समूह

- विभिन्न **विषयों और विषयों की जांच के लिए गठित।**
- **कैबिनेट की ओर से निर्णय लेने का अधिकार होता है**, जबकि अन्य सिर्फ सुझाव देते हैं।
- **मंत्रियों के समूह की स्थापना अंतर-मंत्रालयी सहयोग** के लिए एक व्यवहार्य और सफल उपकरण के रूप में की जाती है।
- विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों और **समस्याओं पर कैबिनेट को सिफारिशें प्रदान करने वाली तदर्थ समितियाँ।**
- उपयुक्त **मंत्रालयों के प्रभारी मंत्रियों को संबंधित मंत्रियों के समूह में शामिल किया जाता है,** जिन्हें सलाह को अंतिम रूप देने के बाद भंग कर दिया जाता है।

दूसरी एआरसी (प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग) **(2005-2009) मंत्रिस्तरीय समूह के संबंध में सिफारिशें**

- बड़ी संख्या में मंत्रिस्तरीय समूह अपने काम को पूरा करने के लिए नियमित रूप से बैठके करने में असमर्थ रहे है, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर समस्याओं से निपटने में दरी हुई है।
- विशेष रूप से यदि वे मं**त्रिमंडल की ओर से निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं** और उन्हें सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए समय प्रतिबंध दिया गया है।
- चिंताओं का जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान मंत्रिस्तरीय समूह समन्वय प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए।
- एक परिभाषित जनादेश और समय प्रतिबंधों के साथ चुनिंदा लेकिन प्रभावी ढंग से जीओएम को नियोजित करना फायदेमंद होगा।

भारत निर्वाचन आयोग

- संविधान के **अनुच्छेद 324-329** (**भाग XV**) में उल्लिखित है
- भारत में **संघ** और **राज्य चुनाव** प्रक्रियाओं के **संचालन** के लिए जिम्मेदार **एक स्थायी** और **स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण** है ।
- **चुनाव आयोजित** करता है:
  - **लोकसभा**, **राज्य सभा** और **राज्य विधानसभाएं**, और
  - **राष्ट्रपति** और **उपराष्ट्रपति**
- **स्थापना**: 25 जनवरी 1950
- **भारत** के चुनाव आयोग से संबंधित **अनुच्छेद:**

अनुच्छेद	प्रावधान
324	**चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का चुनाव आयोग में निहित होना**
325	किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रखना
326	**लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर करवाना ।**
327	विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति।
328	राज्य के विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने के लिए राज्य के विधानमंडल की शक्ति।
329	**चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक।**

संयोजन

- **1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त** + **अन्य आयुक्त** की नियुक्ति **राष्ट्रपति** द्वारा की जाती है ।
- **मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग** के **अध्यक्ष** के रूप में काम करता है ।
- **चुनाव आयोग** की सलाह पर **राष्ट्रपति** चुनाव **आयोग** की सहायता के लिए **क्षेत्रीय आयुक्तों** की नियुक्ति कर सकता है।
- **शर्तें** और **कार्यकाल** - **राष्ट्रपति** द्वारा निर्धारित किये जाते है ।

भारत निर्वाचन आयोग का विकास:

- **1950 - 1989:** एकसदस्ययी निकाय के रूप में कार्य करता है
- **16 अक्टूबर 1989**: बहु सदसीय निकाय (2 अन्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया)
  - **नये सदस्य** - 1+2 सदस्य
  - मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 करने के कारण कार्यभार बढ़ने के कारण बढे।
- **1990 - 1993:** एकसदस्ययी निकाय (2 निर्वाचन आयुक्त के पद समाप्त)।
- **1993**- वर्तमान) बहु सदस्य निकाय :1+2=3 निर्वाचन आयुक्त(
- **सचिवालय**- नई दिल्ली

चुनाव आयोग का कार्यकाल

- कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक , जो पहले हो

निष्कासन

- **किसी** भी **समय इस्तीफा** दे सकते हैं
- उन्हें **कार्यकाल समाप्त** होने से पहले भी हटाया जा सकता है।
- **हटाने की प्रक्रिया** = **उच्चतम न्यायलय** के **न्यायाधीश** को **हटाने** की प्रक्रिया सिद्ध) **कदाचार** या **अक्षमता** के आधार परके आधार (पर

कार्यकाल की स्वतंत्रता

- **कार्यकाल की सुरक्षा**: मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से केवल उसी तरीके से और उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में हटाया जा सकता है।
  - **संसद** के **दोनों सदनों** द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर **राष्ट्रपति** द्वारा हटाया जा सकता
  - **आधार**- साबित **कदाचार** या **अक्षमता** के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा हटाया जा सकता है ।
- **राष्ट्रपति** के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है।
- नियुक्ति के बाद सेवा शर्तों में उसके गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
- **निर्वाचन आयुक्त/प्रादेशिक आयुक्त** को **मुख्य निर्वाचन** आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नही ।

दोष :

- **चुनाव आयोग** के सदस्यों की **कोई योग्यता** (कानूनी, शैक्षिक, प्रशासनिक या न्यायिक(**निर्धारित** नहीं है।
- चुनाव आयोग के **सदस्यों** का **कार्यकाल निर्दिष्ट** नहीं है।
- **सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्तों** को सरकार द्वारा आगे **किसी** भी **नियुक्ति** से वंचित नहीं किया जाता है।

शक्तियां

- **कार्यपालिका** का **कोई हस्तक्षेप** नहीं **पूर्ण स्वायत्तता** प्राप्त है
- चुनाव और चुनावी विवादों से संबंधित **एक अर्ध-न्यायिक निकाय** है
- **राष्ट्रपति** पर बाध्यकारी सिफारिशें।
- **निर्णय उच्च न्यायालय** और **उच्चतम न्यायालय** द्वारा **चुनावी याचिकाओं** पर कार्य करने की न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।

- **चुनाव** के दौरान **केंद्र** और **राज्य सरकार** का पूरा कार्यबल (**अर्धसैनिक** और **पुलिस** बलों सहितआयोग में (**प्रतिनियुक्ति** पर माना जाता है।

कार्य

- **स्वतंत्र** और **निष्पक्ष चुनाव** करना।
- **आम** या उप-**चुनावों** के लिए **चुनाव कार्यक्रम** तय करना।
- **मतदाता सूची** तैयार करना, **इलेक्ट्रॉनिक फोटो पहचान** पत्र (EPIC) जारी करना।
- **मतदान केंद्रों** के **स्थान**, **मतदान केंद्रों** पर **मतदाताओं** के कार्यभार और सभी संबद्ध मामलों पर निर्णय लेना**।**
- **राजनीतिक दलों** को मान्यता प्रदान करना और उनसे **संबंधित विवादों** को निपटाने के साथसाथ उन्हें- **चुनाव चिन्ह आवंटित** करना।
- **संसद** और **राज्य विधानमंडलों** के मौजूदा **सदस्यों** के **चुनाव** के बाद की **अयोग्यता** के मामले में सलाह देना**।**
- **राजनीतिक दलों** और **उम्मीदवारों** के लिए **चुनाव** में **आदर्श आचार संहिता** जारी करना।
- **प्रति उम्मीदवार अभियान खर्च** की सीमा निर्धारित करता है और उस पर नजर रखना।
- **उम्मीदवारों** के **नामांकन पत्रों** की जांच करना।
- **सांसदों** और **विधायकों** की अयोग्यता के संबंध में **राष्ट्रपति** और **राज्यपाल** को सलाह देना।
- **राजनितिक दलों** की नीतियों के **प्रचार** के लिए **कार्यक्रम सूची** निर्मित करना।
- **न्यायिक** निर्णयों द्वारा लगाई गयी **अयोग्यताओं** से **व्यक्तियों** को छूट प्रदान करना।

भारत निर्वाचन का महत्व

- **समावेशी मतदाता**-केंद्रित तथा **मतदाता**-अनुकूल वातावरण में चुनावी प्रक्रिया में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना।
- **राजनीतिक** दलों को अनुशासित करके **अंतर**-**पार्टी लोकतंत्र** को बढ़ावा देना, यदि वे उचित मानकों को बनाए रखने में विफल रहते हैं, तो उन्हें मान्यता समाप्त करने की धमकी दी जाती है।
- **संविधान** में निहित मूल्यों जैसे **समानता**, **न्यायपरस्ता**, **निष्पक्षता**, **स्वतंत्रता** को कायम रखता है; और **चुनावी शासन** पर **अधीक्षण, निर्देशन** और **नियंत्रण** में कानून का शासन बनाए रखना**।**
- **विश्वसनीयता**, **स्वतंत्रता**, **निष्पक्षता**, **पारदर्शिता**, **अखंडता**, **जवाबदेही**, **स्वायत्तता** और **व्यावसायिकता** के उच्चतम मानकों के साथ चुनाव का आयोजन करना।
- **हितधारकों** (**मतदाताओं**, **राजनीतिक दलों**, **चुनाव पदाधिकारियों, उम्मीदवारों** और लोगोंके बीच (**चुनावी प्रक्रिया** और चुनावी शासन के बारे में जागरूकता पैदा करना।

Toppersnotes
Unleash the topper in you

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

- भारत के **संविधान** के अंतर्गत **स्वतंत्र प्राधिकारी** होता है।
- भारतीय **लेखा परीक्षण** और **लेखा विभाग** का **मुखिया** है ।
- **लोक वित्त** का **संरक्षक** और **केंद्र** व **राज्य** दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण **वित्तीय प्रणाली** को नियंत्रित करता है।
- **वित्तीय** प्रशासन के क्षेत्र में **भारत** के **संविधान** और **संसद** के कानूनों का **समर्थन** करता है।
- **भारत** की **लोकतांत्रिक व्यवस्था** का रक्षक (अन्य उच्चतम न्यायालय , चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग हैं।(

संवैधानिक प्रावधान

- भारत के संविधान के **भाग V** में **अनुच्छेद 148-151** तक

अनुच्छेद	**प्रावधान**
अनुच्छेद 148	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक।
अनुच्छेद 149	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां।
अनुच्छेद 150	संघ और राज्यों के लेखा का प्रकार ।
अनुच्छेद 151	अंकेक्षण प्रतिवेदन ।
अनुच्छेद 279	"शुद्ध आय" की गणना भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सुनिश्चित और प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम होता है।

पद की नियुक्ति और शपथ

- **भारत** के **राष्ट्रपति** द्वारा उनके **हस्ताक्षर** और **मुहर** के अंतर्गत अधिपत्र द्वारा नियुक्ति की जाती है।
- **शपथ**: राष्ट्रपति के समक्ष (संविधान की तीसरी अनुसूची)
  - भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा
  - भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण रखेगा
  - बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह, या दुर्भावना के अपने पद के कर्तव्यों का विधिवत और विश्वासपूर्वक और अपनी सर्वोत्तम क्षमता, ज्ञान और निर्णय का पालन करेगा
  - संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखेगा।

अवधि

- अवधि :6 वर्ष /65 वर्ष तक , जो भी पहले हो।

निष्कासन

- **राष्ट्रपति** को त्यागपत्र
- **निष्कासनः** राष्ट्रपति द्वारा
- राष्ट्रपति द्वारा **संसद** के **दोनों सदनों** द्वारा **विशेष बहुमत** से **पारित प्रस्ताव** के आधार पर या **दुर्व्यवहार** एवं **अयोग्यता** के आधार पर हटाया जा सकता है।

कार्यकाल की स्वतंत्रता (संविधान द्वारा प्रदत्त)

- **कार्यकाल** की **सुरक्षा** (**राष्ट्रपति** के **प्रसाद पर्यंत** अपना पद धारण नहीं करता, यद्यपि वह उसके द्वारा नियुक्त किया जाता है(
- भारत **सरकार** या किसी भी **राज्य** के अधीन **अन्य पद** के **पात्र नहीं** होता है।
- **वेतन** और **अन्य सेवा शर्तें** (**संसद** द्वारा निर्धारित) (**वेतन** = **उच्चतम न्यायालय** के **न्यायाधीश**) - उनकी **नियुक्ति** के बाद उनके नुकसान के लिए **परिवर्तित** नहीं किया जा सकता है।
- **नियंत्रक** एवं **महालेखापरीक्षक** की **प्रशासनिक** शक्तियाँ नियंत्रक एवं **महालेखापरीक्षक** से परामर्श करने के बाद **राष्ट्रपति** द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
- **नियंत्रक** एवं **महालेखा परीक्षक** के कार्यालय के **प्रशासनिक खर्च** (वेतन, भत्ते और पेंशन(भारत की **संचित निधि** (संसद के वोट के अधीन नहींपर लगाए जाते हैं। (
- कोई भी **मंत्री संसद** में **नियंत्रक** एवं **महालेखा परीक्षक** का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है और न ही उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए कहा जा सकता है

शक्तियां और कर्तव्य

संसद और **संविधान** द्वारा निर्धारित **कर्तव्य** और **शक्तियां:**

- भारत की **संचित निधि**, प्रत्येक **राज्य** की **समेकित निधि** और **विधान सभा** की **समेकित निधि** के साथ प्रत्येक **संघ राज्य क्षेत्र** से सभी व्ययों का **लेखा-परीक्षण** करता है।
- भारत की **आकस्मिकता निधि** और भारत के **सार्वजनिक खातो** के साथसाथ प्रत्येक राज्य की- **आकस्मिक** निधि और **सार्वजनिक** खातो से सभी **व्ययों** की **लेखापरीक्षा** करता है।
- **केंद्र सरकार** और **राज्य सरकार** के व्यापार, विनिर्माण, लाभ और हानि खातों, वित्तीय स्थिति विवरण और अन्य सहायक खातों का **लेखा परीक्षा** करता है।
- **प्राप्तियों** और **व्ययों** का **लेखापरीक्षा** करता है:
  - संघीय या राज्य सरकार से प्रमुख धन प्राप्त करने वाले सभी निकाय और प्राधिकरण
  - सरकारी कंपनियां
  - जब सबंद्ध नियमो द्वारा आवश्यक हो तब अन्य निगम और निकाय का लेखा परिक्षण
- **संघीय** और **राज्य सरकारों** के सभी **ऋण**, **निक्षेप** निधि, **जमा**, **अग्रिम**, **बचत खाता** और **प्रेषण** व्यावसायिक गतिविधियों की **लेखा परीक्षा** करता है ।
- **अनुच्छेद 150**: **राष्ट्रपति** को यह सलाह देता है कि केंद्र और **राज्यों** के **खाते** किस श्रेणी में रखे जाने चाहिए।

- **अनुच्छेद 151:** केंद्र के खातों पर अपनी **लेखा परीक्षा** का **प्रतिवेदन राष्ट्रपति** को प्रस्तुत करता है, जो फिर उन्हें **संसद** के **दोनों सदनों** में प्रस्तुत करता है।
  - एक राज्य के खातों पर अपनी **लेखा परीक्षा राज्यपाल** को भेजता है, जो फिर उन्हें **विधानमंडल** में प्रस्तुत करता है।
- **अनुच्छेद 279**: किसी भी **कर** या **शुल्क** के शुद्ध लाभ का पता लगाता है और **सत्यापित** करता है कर या शुल्क की आय) ।(घटाकर संग्रह की लागत
  - **संसद** की **लोक लेखा समिति** (पीएसीके (**संरक्षक**, **मित्र** और **मार्गदर्शक** के रूप में कार्य करता है।
- **राज्य सरकार** के खातों का **संकलन** और **प्रबंधन** (1976 में **केंद्र सरकार** के **वित्त** की तैयारी और प्रबंधन के लिए उनकी जिम्मेदारी से मुक्त(

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

- **नियंत्रक** एवं **महालेखा** परीक्षक द्वारा तैयार की गई **3 लेखा परीक्षा** का प्रतिवेदन **राष्ट्रपति** को प्रस्तुत करता है
  - विनियोग खातों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन
  - वित्त खातों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन
  - सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन
- **राष्ट्रपति** : संसद के दोनों सदनों में प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।
- **लोक लेखा** समिति इनकी **जांच** करती है और **संसद** को **अवगत** करती है ।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और लोक लेखा समिति

- लोक लेखा समितिभारत सरकार अधिनियम :, 1919 के तहत गठित एक संसदीय स्थायी समिति।
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन केंद्र और राज्य में लोक लेखा समिति को सौंपी गई
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सबसे जरूरी मामलों की एक सूची तैयार करके समिति को अपने विचारविमर्श में - सहायता करता है जो लोक लेखा समिति के ध्यान के योग्य हैं
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक तथा साथी के रूप में कार्य करता है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और सार्वजनिक निगम

- **नियंत्रक** एवं **महालेखा परीक्षक** द्वारा पूर्ण रूप से और **प्रत्यक्ष रूप** से निगमों का **लेखाजोखा**- किया जाता है
  - **उदाहरण**: दामोदर घाटी निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, आदि
- **निजी पेशेवर लेखा परीक्षकों** द्वारा निगमों का लेखा जोखा-किया जाता है
  - **नियंत्रक** एवं **महालेखा परीक्षक** के परामर्श से **केंद्र सरकार द्वारा** नियुक्त किया गया
  - **पूरक लेखा परीक्षा** आयोजित कर सकते हैं।
  - **जैसे**: केंद्रीय भंडारण निगम, औद्योगिक वित्त निगम, आदि
- **निगम** पूरी तरह से निजी लेखा परीक्षा की जाती हैं
  - **नियंत्रक** एवं **महालेखा परीक्षक** की कोई भूमिका नहीं होती है
  - **निगम** अपना **वार्षिक प्रतिवेदन** और **लेखा सीधे संसद** को प्रस्तुत करते हैं।
  - **जैसे**: भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय खाद्य निगम आदि।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और सरकारी कंपनियां

- **सरकारी कंपनियां**: की लेखा परीक्षा निजी अंकेक्षको द्वारा की जाती है ।
  - नियंत्रक एवं **महालेखापरीक्षक** की सलाह पर **सरकार द्वारा** नियुक्त किया जाता है।
- **नियंत्रक** एवं **महालेखा** परीक्षक ऐसी कंपनियों का **पूरक लेखा परीक्षा** या **जाँच लेखा परीक्षा** भी कर सकता है।

भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाम ब्रिटेन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

भारत	ब्रिटेन
• **भूमिका**: महालेखा परीक्षक और नियंत्रक की कोई शक्ति नही • खर्च किए जाने के बाद यानी **एक्स पोस्ट फैक्टो** के बाद खातों की **लेखा परीक्षा** करता है। • संसद के **सदस्य नहीं** होते है	• **भूमिका**: नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दोनों की शक्ति • **नियंत्रक** एवं **महालेखा** परीक्षक की मंजूरी के बिना **सरकारी खजाने** से कोई पैसा नहीं निकाला जा सकता है • निम्न **सदन** के **सदस्य** होते है ।

विनोद राय की (पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) सिफारिशें

- **निजी-सार्वजनिक भागीदारी** (PPP), **पंचायती राज संस्थाओं** और **सरकार द्वारा** वित्त पोषित समाज को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के दायरे में लाया जाता है
- **1971 का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम**: शासन में परिवर्तन के साथ गति बनाए रखने के लिए संशोधन किया गया
- **चुनाव के लिए प्रणाली :** मुख्य सतर्कता आयुक्त के चयन पर एक नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक चुनने के लिए एक कॉलेजियम प्रकार की व्यवस्था है ।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की आलोचना

- भारत में **नियंत्रक** एवं **महालेखा परीक्षक** की भूमिका **औपनिवेशिक प्रशासन** से विरासत में मिली है।
- **प्रतिबंधात्मक और हानिकारक प्रभाव:** नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निर्णय लेने और कार्रवाई करने में व्यापक और शक्तिहिन अयोग्यता का प्रमुख घटक है।
- **नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक** के कार्यों को **संविधान** के **अनुसार परिभाषित** नहीं किया गया है।
- **नियंत्रक** एवं **महालेखा** परीक्षक की भूमिका **विशेष रूप** से **महत्वपूर्ण नहीं** है - **लेखा परीक्षकों** को **उत्कृष्ट प्रशासन** के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और ना ही उम्मीद की जा सकती है।

Toppersnotes
Unleash the topper in you

केन्द्रीय सूचना आयोग

- एक **वैधानिक निकाय** है
- **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005** के प्रावधानों के अंतर्गत **2005 में स्थापित** किया गया था।
- **कार्मिक मंत्रालय** के अंतर्गत आता है
- **उद्देश्य:** केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के तहत अपने कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि शिकायतों पर जाँच करता है

संरचना

- **सदस्य:** केंद्रीय सूचना आयोग प्रमुख + 10 सूचना आयुक्त।

नियुक्ति

- **राष्ट्रपति द्वारा** की जाती है
  - एक समिति की सिफारिश पर:
    - **प्रमुख** के रूप में **प्रधानमंत्री**
    - **लोकसभा** में **विपक्ष का नेता,** और
    - **प्रधानमंत्री द्वारा** मनोनीत एक **केंद्रीय कैबिनेट मंत्री**

योग्यता

- **कानून, विज्ञान** और **प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, प्रशासन** और शासन में व्यापक **ज्ञान** और **अनुभव** के साथ **सार्वजनिक जीवन** में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो।
- **संसद सदस्य** या किसी **राज्य या केंद्र शासित प्रदेश** के **विधानमंडल** का सदस्य नहीं होना चाहिए
- **लाभ** का कोई **अन्य पद धारण नहीं** करना चाहिए या किसी **राजनीतिक दल** से **जुड़ा नहीं** होना चाहिए तथा कोई **व्यवसाय** या **पेशा** नहीं करना चाहिए

कार्यकाल:

- **केंद्र सरकार** द्वारा निर्धारित **अवधि 65 वर्ष** की आयु, जो भी पहले हो।
- **पुनर्नियुक्ति** की **पात्रता नहीं** होती हैं।
- **केंद्रीय सूचना आयोग** और **अन्य सुचना आयोग** के **वेतन, भत्ते** और **अन्य सेवा शर्तें केंद्र सरकार** द्वारा निर्धारित
  - **सेवा** के दौरान **(सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019)** उनके वेतन तथा भत्तो में कोई कटोती नहीं की जा सकती है।

निष्कासन

- **राष्ट्रपति द्वारा:**
  - यदि उसे **दिवालिया घोषित** किया जाता हो ; या
  - यदि उसे किसी ऐसे **अपराध** का **दोषी ठहराया** गया हो जिसमें (राष्ट्रपति की नजर में) **नैतिक चरित्रहीनता** शामिल हो ; या
  - यदि वह अपने पद के **कार्यकाल** के दौरान किसी **अन्य लाभ** के पद पर कार्य कर रहे हो
  - यदि वह (राष्ट्रपति की नजर में) **मानसिक या शारीरिक** रूप से अपना **दायित्वों** का **निर्वहन** करने में **अक्षम** हो;
  - किसी **ऐसे लाभ** को प्राप्त करते हुए पाए जाते है, जिससे उनका **कार्य या निष्पक्षता** प्रभावित होती हो ।

शक्तियां और कार्य

- **स्व-प्रेरणा शक्ति:** किसी भी मामले में **उचित आधार** पर जांच का आदेश देना।
- किसी भी **सार्वजनिक प्राधिकरण** से अपने निर्णयों का **सुरक्षित अनुपालन** करना ।
- किसी भी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करना और पूछताछ करना जो:
  - **निर्दिष्ट समय** के भीतर **सूचना** के लिए उनके **अनुरोध** का कोई **जवाब नहीं** मिलता है
  - यदि दी गई जानकारी **अपूर्ण, असत्य या भ्रामक** है
  - एक **अधिकारी** की **नियुक्ति न होने** के कारण सूचना के लिए **अनुरोध प्रस्तुत** करने में असमर्थ रहा है
  - **सुचना** के **एवज में** मांगी गई **फीस** को **अनुचित** मानते हैं
  - **सुचना प्राप्ति** से सबंधित कोई **अन्य मामला**
- **सार्वजनिक प्राधिकरण** के नियंत्रण में किसी भी **प्रतिवेदन की जांच करना** ।
  - ऐसे सभी **प्रतिवेदन जाँच** के दौरान **आयोग** को देने होते है और कुछ भी रोका नही जाता ।
- **दीवानी अदालत** की शक्तियां हैं, जैसे:
  - **व्यक्तियों** को **बुलाना** और उनकी **उपस्थिति** को लागू करना, और **उन्हें** मौखिक या लिखित साक्ष्य देने और **दस्तावेज प्रस्तुत** करने का आदेश देना
  - किसी **दस्तावेज** को माँगना एवं उसकी **जाँच करना**
  - **शपथ** पर **साक्ष्य प्राप्त** करना
  - किसी **न्यायलय या कार्यालय** से **सार्वजनिक दस्तावेज** को मांगना
  - किसी **गवाह या दस्तावेज** की जाँच करने के लिए **समन जारी** करना
  - कोई **अन्य मामला** जो **निर्धारित किया** जाये
- **अधिनियम** के प्रावधानों के **कार्यान्वयन** पर **भारत सरकार** को **प्रस्तुत रिपोर्ट** जिसे बाद में संसद के **दोनों सदनों** के **समक्ष** रखा जाता है

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005

- भारत का **नागरिक** एक **सुचना का अधिकार** आवेदन प्रस्तुत कर सकता है

- **जनता** के अनुरोध पर **सूचना प्रदान** करने के लिए **प्रत्येक विभाग** में एक **सूचना अधिकारी** की नियुक्ति का प्रावधान करता है
- **सूचना प्रदान करने** के लिए **30 दिनों** की एक निश्चित **समय सीमा** होती है और **48 घंटे में सूचना** किसी व्यक्ति के **जीवन या स्वतंत्रता** से संबंधित है
- **उचित शुल्क** पर या **गरीबी रेखा** से नीचे के लोगों के लिए **मुफ्त में** उपलब्ध कराई गई जानकारी
- यह **अधिनियम सार्वजनिक अभिकरण** पर स्वत: संज्ञान लेकर **सूचना का खुलासा** करने का दायित्व डालता है

- **केंद्रीय सूचना आयोग** और **राज्य सूचना आयोगों** के लिए प्रावधान करता है
- **अधिनियम आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923** को प्रभावी करता है
- **कैबिनेट विचार-विमर्श** और **सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक**, या **आर्थिक हितों, विदेशी** राज्यों के साथ संबंधों को प्रभावित करने वाली या किसी अपराध के लिए उकसाने वाली जानकारी को छोड़कर **20 वर्षों** के बाद छूट प्राप्त जानकारी की **सभी श्रेणियों** का **खुलासा** किया जाता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

- **पेरिस सिद्धांतों** से प्रेरित, **1991 और 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा** द्वारा अपनाया गया।
- **मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993** के तहत **12 अक्टूबर 1993** को **भारत** में स्थापित किया गया ।
- एक **वैधानिक निकाय** है ।
- **संशोधन: मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006** और **मानवाधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019**।

उद्देश्य

- **संस्थागत व्यवस्थाओं** को मजबूत करना जिसके माध्यम से **मानवाधिकारों** के मुद्दों को संपूर्णता में और **केंद्रित तरीके** से संबोधित किया जा सकता है;
- सरकार के अधिकारों के **अतिक्रमण** की स्वतंत्र रूप से जांच करना, जो **मानवाधिकारों** की रक्षा के लिए **सरकार की प्रतिबद्धता** को प्रदर्शित करती है ।
- इस दिशा में किए गए प्रयासों को प्रभावी और सशक्त बनाना ।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी)		
	मानवाधिकार अधिनियम, 1993 का संरक्षण	मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2019
अध्यक्ष	आयोग में एक अध्यक्ष शामिल होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका है।	बिल इसमें संशोधन करता है और प्रावधान करता है कि कोई व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, NHRC का अध्यक्ष होगा।
अन्य सदस्य	अधिनियम में प्रावधान है कि एनएचआरसी में मानवाधिकारों से संबंधित मामलों में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से दो सदस्यों को नियुक्त किया जाना चाहिए।	बिल तीन सदस्यों को नियुक्त करने की अनुमति देने के लिए इसमें संशोधन करता है, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी।
पदेन सदस्य	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष आयोग के सदस्य माने जाएंगे।	विधेयक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त को NHRC के सदस्यों के रूप में शामिल करने का प्रावधान करता है।
शर्त	अधिनियम में कहा गया है कि NHRC के अध्यक्ष और सदस्य पाँच वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे।	विधेयक कार्यालय की अवधि को घटाकर तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, कर देता है।
पुनर्नियुक्ति	अधिनियम पाँच वर्षों की अवधि के लिए NHRC के सदस्यों की पुनर्नियुक्ति की अनुमति देता है।	बिल पुनर्नियुक्ति के लिए पांच साल की सीमा को हटाता है।
महासचिव की शक्तियाँ	अधिनियम एक महासचिव का प्रावधान करता है जो आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और उन्हें सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करेगा।	विधेयक इसमें संशोधन करता है और महासचिव को अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों (न्यायिक कार्यों को छोड़कर) का प्रयोग करने की अनुमति देता है।

संयोजन

- **बहु-सदस्यीय संस्था** है (1+5+7)
- **सदस्य:** एक अध्यक्ष +5 सदस्य + 7 पदेन सदस्य
- **अध्यक्ष:** भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायलय के न्यायाधीश होने चाहिए
- **5 पूर्णकालिक सदस्य:**
  - **उच्चतम न्यायालय** के सेवारत या **सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश**
  - एक **उच्च न्यायालय** के सेवारत या **सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश**
  - **मानव अधिकारों** के संबंध में जानकारी या **कार्यनुभव** रखने वाले **3 व्यक्ति** (कम से कम एक महिला होनी चाहिए)
- **सात पदेन सदस्य** निम्नलिखित के **अध्यक्ष** हैं:
  - **राष्टीयअल्पसंख्यक** आयोग
  - राष्ट्रीय **अनुसूचित जाति** आयोग
  - राष्ट्रीय **अनुसूचित जनजाति** आयोग
  - राष्ट्रीय **महिला** आयोग
  - राष्ट्रीय **पिछड़ा वर्ग** आयोग
  - राष्ट्रीय **बाल अधिकार संरक्षण** आयोग
  - **विकलांग व्यक्तियों** के मुख्य **आयुक्त**

नियुक्ति

- **राष्ट्रपति** के द्वारा की जाती है
  - **छह सदस्यीय समिति** की सिफारिश पर होती है -
    - **प्रधानमंत्री** (समिति के प्रमुख)
    - **लोकसभा अध्यक्ष**
    - राज्यसभा के **उपसभापति**
    - **संसद** के **दोनों सदनों** में **विपक्षी दल** के नेता
    - **केंद्रीय गृह मंत्री**

कार्यकाल:

- **3 वर्ष** का होता है, या **70 वर्ष** की **आयु** जो भी पहले हो।
  - **केंद्र या राज्य सरकार** के तहत **पुनर्नियुक्ति** के लिए **पात्र नहीं** है
  - कुछ परिस्थितियों में **राष्ट्रपति** द्वारा पद से **हटाया जाता** है -
    - यदि वह **दिवालिया घोषित** किया गया हो ; या
    - अपने पद के कार्यकाल के दौरान, अपने कार्यक्षेत्र से बाहर किसी भी भुगतान वाले प्रदत रोजगार में संलग्न होता है; या
    - **मानसिक** या **शारीरिक** कारणों से कार्य करने में **अयोग्य** हो ; या
    - **मानसिक रूप** से **अस्वस्थ** हो तथा **सक्षम न्यायालय** ऐसी घोषणा करे ; या
    - वह **न्यायलय** द्वारा किसी अपराध का **दोषी** व **सजायाफ्ता** हो
- **दुराचार** या **अक्षमता** के कारण भी **राष्ट्रपति द्वारा पद** से हटाया जा सकता है।
  - **राष्ट्रपति** द्वारा इस विषय को आगे जांच के लिए **उच्चतम न्यायालय** को भेजना चाहिए।
  - यदि **उच्चतम न्यायालय** हटाने के कारण का **समर्थन** करता है तब उसकी सलाह पर **अध्यक्ष या सदस्य** को हटा सकता है।

सेवा की शर्तें

- **केंद्र सरकार** द्वारा **निर्धारित** किया जाता है
- **अध्यक्ष या सदस्य** के **वेतन, भत्ते** और **सेवा** की **अन्य शर्तें** और इनमें उनकी नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

शक्तियां और कार्य

- भारत में **मानवाधिकारों** के उल्लंघन की **जांच** या तो **स्व-प्रेरणा** से या एक **याचिका प्राप्त** करने के बाद होती है।
- यह **न्यायिक प्रक्रिया** में हस्तक्षेप कर सकते हैं जिसमें **यदि मानवाधिकारों** के **उल्लंघन** का कोई भी आरोप शामिल हो
- **कैदियों** के रहने की **स्थिति** का **निरीक्षण करना** ,और इनके आधार पर सिफारिशें करने के लिए जेलों और निरोध केंद्रों का दौरा करना।
- **संविधान** के उन **प्रावधानों** की **समीक्षा करना** जो मानवाधिकारों की रक्षा करते हैं और आवश्यक **पुनर्स्थापना उपायों** का सुझाव दे सकते हैं।
- **मानवाधिकार** के क्षेत्र में **शोध करना** और इसे **प्रोत्साहित** करना
- लोगो के बीच जानकारी फेलाना व उनकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध उपायों के प्रति जागरूक करना।
- केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को **भारत** में **मानवाधिकारों** के उल्लंघन को रोकने हेतु उपयुक्त कदमों की सिफारिश करना।
- ऐसे **अन्य कार्य** करना जो **मानव अधिकारों** के प्रचार के लिए आवश्यक होता है ।

प्रतिवेदन :

- ऐसी किसी भी सिफारिश को अस्वीकार करने के बाद **केंद्र सरकार** और **राज्य सरकार** को सिफारिशों पर **कार्रवाई** का ज्ञापन प्रस्तुत करना ।
- **केंद्र सरकार** को **तीन महीने** के भीतर आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की जानकारी देनी चाहिए।

सीमाएँ

- अनुशंसाएँ **गैर-बाध्यकारी** होती हैं।
- **जांच** की कोई **प्रणाली नहीं** होती है (केंद्र या संबंधित राज्य सरकार से मामले की जांच के लिए कहता है)
- यह **अधिकार उल्लघन** के दोषी को दंड देने का **अधिकार नही** रखता है।
- **मानवाधिकार पीड़ित** लोगों को किसी भी प्रकार की **आर्थिक सहायता नहीं** दे सकता।
- **सशस्त्र बलों** के सदस्यों द्वारा किय गए मानवाधिकार उल्लंघन के मामलो में आयोग की **भूमिका, शक्तियां** और **अधिकार क्षेत्र** सीमित होते है।
- ध्यान में नहीं रखता:
  - **एक वर्ष** से अधिक **पुराने मामले**।
  - ऐसे **मामले** जो **गुमनाम**, **छद्म नाम** वाले या **अस्पष्ट** हैं।
  - **तुच्छ मामले**।
  - **अपराध सेवा** के मामले मायने रखते हैं।

<u>मानवाधिकार परिषद</u>

- **15 मार्च 2006** को **संयुक्त राष्ट्र महासभा** के प्रस्ताव द्वारा निर्मित एक **अंतर-सरकारी निकाय** है।
- **पूर्व संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग** (यूएनएचसीआर) की जगह स्थापित हुआ ।
- दुनिया भर में **मानवाधिकारों** के **प्रचार और संरक्षण** को मजबूत करने और **मानवाधिकारों** के उल्लंघन की स्थितियों को संबोधित करने और उन पर सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार हैं।
- **सदस्य-** 47 सदस्य देश जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान का वैश्विक गठबंधन (GANHRI)

- पूर्व में **राष्ट्रीय मानवाधिकार** संस्थानों की **अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति** (आईसीसी) के रूप में जाना जाता था
- वर्ष **1993 में** स्थापित हुआ।
- दुनिया भर में **राष्ट्रीय मानवाधिकार** संस्थानों (**एनएचआरआई**) की भूमिका को बढ़ावा देता है, अपने सदस्यों को बातचीत करने और आदान-प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, साथ ही **अंतरराष्ट्रीय संगठनों** के साथ उनके जुड़ाव को **सुविधाजनक** बनाता है।